
# Birla Corporation Limited



बुढ़ार दिनॉंक 19.11.2024



श्रीमान वनमण्डलाधिकारी , वन मंडल ( दक्षिण) शहडोल जिला - शहडोल ( म. प्र. )

MP BIRLA

GROUP

विषय :- वन मंडल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र बुढ़ार के वन कक्ष RF - 827 & RF 828 के रकवा 142. 0 75 हे. वन भूमि तथा विभिन्न खसरों की रकवा 9. 020 हे. राजस्व वनभूमि कुल 151. 095 हे. वनभूमि में विक्रम कोल ब्लाक ओपन कास्ट /भूमिगत कोयला उत्खनन तथा अन्य उपरि सतह उपयोग के मेसर्स बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड वन प्रत्यावर्तन ( FP /MP/ MIN/49537/2020)

सन्दर्भ- :1. भारत सरकार पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली पत्र क्रमांक / 8 -34 /2021- FC दिनांक 21. 04. 2022 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध ) भोपाल का पत्र क्रमांक /F1/529/10-11/1553/ दिनांक 02.05.2022

#### महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्यमें निवेदन है, कि मेसर्स बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विक्रम कोयला खदान ग्राम गोपालपुर एवं वरतरा तहसील- बुढ़ार जिला शहडोल को भारत सरकार कोयला मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी वेस्टिंग आर्डर NA-104/1/2019-NN दिनॉक 10 /02/2020 के माध्यम से खनन हेतु सतही एवं भूमिगत खदान का आवंटन किया गया है। कोयला खदान में निजी भूमि ,वन भूमि,राजस्व भूमि निहित है। परियोजना में प्रभावित वन भूमि रकवा 151.095 हे. के वन प्रत्यावर्तन( FP/MP / MIN/49537/2020) में भारत सरकार पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली पत्र क्रमांक / 8-34/2021- FC दिनांक 21. 04. 2022 से प्रथम चरण की सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी हैं, संस्थान द्वारा अधिरोपित सभी शर्तो को पूर्ण कर दिया गया है जिसका विवरण बिंदुवार निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार है:-

#### -शर्त (A)

क्रमांक A (1) संस्थान द्वारा कैम्पा मद में जमा की राशि का विवरण-

क्रमांक	वन मंडल का नाम	मांग पत्र जारी दिनांक	रकवा हे,	चालान राशि रुपये मे	राशि जमा दिनांक	चालान आवेदन क्रमांक
1	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी , वन मंडल दक्षिण शहडोल	3924/01/06/2022	55.811	2,13,85,100/-	23/08/2023	5849537792
2	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी वन मंडल रीवा	4405/19/05/2022	22.376	2,23,37,100/-	23/08/2023	5849537792
3	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी , वन मंडल सतना	6523/20/08/2024	33.675	3,25,02,485/-	06/09/2024	5449537900
4	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी , वन मंडल छिंदवाड़ा	971/22/05/2022	2.550	2,27,2,035/-	27/05/2024	12024052724984638

A( ii). संस्थान द्वारा NPV ( Net Present Value) की निर्धारित राशि 16,30,75,051/-( सोलह करोड़ तीस लाख पचहत्तर हजार इक्यावन रुपये) कैम्पा मद में चालान आवेदन क्रमांक 5849537689 दिनांक 30/06/2023 को जमा की जा चुकी है।


A(iii). संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गयी गैर वन भूमि जिसका पंजीयन,नामांतरण एवं राजपत्र में प्रकाशन किया जा चुका हैं विवरण इस प्रकार हैं



-: Registered Office :-

Page 1|5

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com P: 033 666166745/6826 | F: 033 2248 2872





Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

क्रमांक	वन मंडल का नाम	वन परिक्षेत्र का नाम	रकवा हे,	ग्राम का नाम	अधिसूचना प्रकाशन दिनाँक	रिमार्क
1	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी , वन मंडल दक्षिण शहडोल	वन परिक्षेत्रकेशवाही	55.811	छिनमार	14/11/2024	
2	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी वन मंडल रीवा	वन परिक्षेत्र सिरमौर	22.376	रोझौंही	10/07/2023	
3	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी , वन मंडल सतना	वन परिक्षेत्र बरौधा	33.675	वरहा	27/09/2024	
4	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी , दक्षिणवन मंडल छिंदवाड़ा	वन परिक्षेत्र कन्हान	2.550	गोड़ीवाढोना	12/09/2024	

A 4 . कलेक्टर शहडोल द्वारा दिया गया FRA 2006 का प्रमाण पत्र (जिसकी प्रति संलग्न है )

A 5. प्रस्तावित कोल् माइंस की KML file जिसकी प्रति संलग्न है।

A 6. संस्थान द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की प्राक्कलित राशि का पर्यवेक्षण शुल्क की 10% राशि का भुगतान किया जा चुका है, प्रति अवलोकनार्थ संलग्न हैं।

क्रमांक	वन मंडल का नाम	मांग पत्र जारी दिनांक	प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की प्राक्कलित राशि रुपये मे	पर्यवेक्षण शुल्क की 10% राशि रुपये मे	राशि जमा दिनॉंक	रिमार्क
1	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी वन मंडल दक्षिण शहडोल	3924/01/06/2022	2,13,85,10/-	2,13,8,510 /-	05/06/2024	
2	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी वन मंडल रीवा	4405/19/05/2022	2,23,37,100/-	2,56,3,410 /-	05/06/2023	
3	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी वन मंडल सतना	6861/29/08/2024	3,25,02,485/-	32,50,249 /-	06/09/2024	
4	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी , वन मंडल छिंदवाडा	971/22/05/2024	2,27,2,035/-	2,27,203/-	25/05/2024	

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित प्रतिवेदन को E पोर्टल में अपलोड करने की कृपा करे।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ती मेसर्स विरंता कॉपरिशन लिमिटेड

संलग्न ; पालन प्रतिवेदन चार प्रतियों में 1 श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू प्रबंध वन भवन भोपाल ( मप्र.) की ओर सादर सूचनार्थ

< Registered Office >

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001 | CIN : LO1132WB1919PEC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F: 033 2248 2872

Sr. No.	Specific Condition	Compliance from BCL	
	litions which need to be complied prior to han	•	
i.	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years,	As per the letter issued by DFO Shahdol vide no 3924 on dated 01.06.2022, DFO Rewa vide no 4405 on dated 19.05.2022, DFO Satna vide no 6523 on dated 20.08.2024 & DFO Chhindwara South vide no 971 on dated 22.05.2022 against the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme is submitted as per challan issued vide no 5849537792 with amount Rs. 4,37,22,200 on dated 23.08.2023 for Shahdol & Rewa and vide no 051/999999/0406/09/24/001338 on dated 06.09.2024 for Satna & vide no 12024052724984638 on dated 27.05.2024 for Chhindwara South State Forest Department in the account of CAMPA of the MP State through online portal. The payment details are enclosed	
ii.	The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No.202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007- FC dated 05.02. 2009. The requisite funds shall be transferred through online portal into CAMPA account of the State Concerned.	g vide letter no 3924, dated 01.06.2022, the NPV amount of ₹16,30,75,051.00 (Rupees Sixteen Core thirty lakhs it seventy-five thousand and fifty-one only) has been deposited in CAMPA through online portal vide challan no. issued by UBI 5849537689 dated 30.06.2023. The	
iii.	The identified non-forest land for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in the name of forest department and notified as Reserved Forest /Protected Forest prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to State- II approval.	The identified non-forest land for raising compensatory afforestation was transferred and mutated in the name of forest department. The details of the same are as follows:CA Land DetailsLocationMutation dateArea (Ha)1.Forest Range- Keshwahi, Village- Division:23/06/202255.811	

# Condition of FC Stage 1 Compliance

South Shahdol, District: Shahdol., M. P.
2.ForestRange:Sirmour,Village:Rajhoni,ForestDivision:Rewa,District:Rewa M.P.
3. Forest Range: - Sirmour, Village: - Barha, Forest Division: Satna, District: Satna M.P.
4.Forest Range: - Kanhan, Village: - Ghodiwadon a, Forest Division: Chhindwara South, District: Pandhurna M.P.
Total114.412The total114.412The total114.412Ha of CA land mutatedand handed over has been notified vide
letter no मामला क्र. 307/अ-6/2021-22 on dated 23.06.2022 for Shahdol, vide letter no मामला क्रमांक 0180/अ-6/2022-
23 on dated 29.08.2022 for Rewa, vide letter no मामला क्रमांक/113/अ- 6/2024-25 on dated 12.06.2024 for
6/2024-25 on dated 12.06.2024 for Chhindwara South & vide letter no प्रकरण क्रमांक 640/अ-6/2023-25 on
dated 13.06.2024 for Satna as per Section 29 of the Indian Forest ct,1927, by the State Government. The copy of

iv.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;	mutated CA land is enclosed as Annexure- A(iii). Also, the copy of Gazette Notification is enclosed as Annexure- A(iii-a) FRA certificate in Form-II vide letter no. 7059, dated 26.09.2014 & RM/FRA/2020/792, dated 09.10.2020 for 151.095 Ha is enclosed as Annexure- A(iv).
v.	The State Government shall upload the KML files of the area under diversion and the accepted area for raising compensatory afforestation in the E- green watch portal of FSI, before handing over forest land to the user agency;	KML file is attached in form of soft copy pendrive .
vi.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited in CAMPA account only through e-portal (https://parivesh.nic.in/). Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.	All the funds under the project has been transferred in CAMPA account through e-portal ( <u>https://parivesh.nic.in/</u> ) by BCL. This is enclosed as Annexure- A(v)
vii.	The compliance report shall be uploaded on e- portal (https://parivesh.nic.in/).	The compliance report has been uploaded on e-portal ( <u>https://parivesh.nic.in/</u> ). Copy of acknowledgement is enclosed as Annexure- A(vi)
agency	itions which need to be complied on field after I by the State Forest Department but the comp ed and compliance is to be submitted prior to Sta	handing over the forest land to the user liance in form of undertaking shall be
	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	We undertake that the legal status of the forest land shall remain unchanged. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(i).
ii.	Forest land will be handed over only after required non-forest land in the project is obtained by the user agency.	We undertake that the forest land will be taken over only after handing over of non-forest land in the project obtained by the BCL. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(ii)
iii.	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	We agree to pay the additional amount of NPV, if so determined in the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India. An undertaking with this effect has been submitted and enclosed as Annexure- B(iii)
iv.	The R&R Plan shall be implemented as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional	We hereby agree that the R&R Plan shall be implemented as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(iv)

v. the mining lease boundary and area of the safety zone shall be part of the total area of mining lease] shall be done at the project cost within approved working p	comply the fencing, eneration of the safety
<ul> <li>v.</li> <li>v.</li> <li>zone area [7.5 meters strip shall be kept within the mining lease boundary and area of the safety zone shall be part of the total area of mining lease] shall be done at the project cost within three years and maintained thereafter as per</li> <li>We confirm to or protection and rege zone area at the project approved working p The undertaking re</li> </ul>	eneration of the safety
	tain thereafter as per blan of the State Govt. egarding the same is
	e to abide by this ertaking regarding the s Annexure- B(vi).
vii. operations, undertake re-grassing the mining area, and any other areas which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc.; operation we shall area which may be mining activity and common condition growth of fodder, fl undertaking regard enclosed as Annexu	ure- B(vii).
<ul> <li>viii.</li> <li>Viii.</li> <li>The following activities shall be undertaken by the User Agency under supervision of the State Forest Department at the project cost:</li> <li>Proper mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams if available the vicinity of mining area shall be prepared and implemented.</li> <li>Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds to arrest soil erosion.</li> <li>Construction of check dams, retention toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour.</li> </ul>	the following activities on of the State Forest ditigative measures to sion and choking of prepared and it will be ort is enclosed as the drought hardy plant ng of seeds, in the ithin the mining lease n will be implemented The detailed report is ure B(viii-b) neck dams, retention t sliding down of the along the contour will accordance with the es (detail reports) for same is enclosed as
ix. Period of diversion of the said forest land under We confirm to co	omply the period of

	this approval shall be for a period coterminous with the period of the mining lease granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended and the Rules framed there under.	diversion of the said forest land under this approval shall be for a period coterminous with the period of the mining lease granted under the Mines and Minerals. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(ix).
x.	The User Agency shall ensure that the dumping of Over Burden (OB) shall be carried out as per the approved phased Reclamation plan	We confirm to comply the condition as per approved mining plan. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(x).
xi.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	Environmental Clearance has been obtained as per EIA notification, 2006 and its subsequent amendments. Copy of EC is enclosed as Annexure- B(xi).
xii.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas	We hereby agree to abide by the condition that no labour camp shall be established on the forest land. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xii).
xiii.	The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates	We hereby agree to abide by this and follow the directions, strictly. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xiii).
xiv.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government	We hereby agree that the forest land proposed will not be diverted or transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xiv).
xv.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	We undertake that no damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- $B(xv)$ .
xvi.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel	We hereby agree to abide by this and follow the directions, strictly. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xvi).
xvii.	The layout plan of the mining plan/ proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government	We confirm to abide by this condition. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xvii).
xviii.	No additional or new path will be constructed	We confirm to abide by this condition.

	inside the forest area for transportation of	The undertaking regarding the same is
	construction materials for execution of the project work	enclosed as Annexure- B(xviii).
xix.	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project	We hereby agree to abide by this condition by providing nests made up of eco-friendly material, for birds whose nests are to be cleared, as per the estimation by the Forest Department. The schemes (the detailed report) regarding the same is enclosed here with as Annexure- B(xix).
XX.	The concerned Divisional Forest Officer, will monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no adverse impact on the forests in the surrounding area;	We hereby agree to abide this condition.
xxi.	The User Agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department	We hereby agree to abide this condition. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xxi).
xxii.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	We hereby agree to abide this condition. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xxii).
xxiii.	The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in be concerned State Government and the concerned Integrated Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the concern Dy. Director General (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, reclamation activities area satisfactorily executed;	Mining will be done as per the approved mining plan by MoC. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xxiii).
xxiv.	The User Agency shall submit the annual self - compliance report in respect of the above stated	We hereby agree to abide this condition. The undertaking regarding the same is

	conditions to the State Government, concerned Integrated Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	enclosed as Annexure- B(xxiv).
xxv.	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project	We agree to submit self-compliance report of above stated conditions to State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xxv).
xxvi.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018	We hereby agree to abide this condition. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xxvi).
xxvii.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	We hereby agree to abide this condition. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xxvii).

Thanking you,

Bhupendra Singh Chaudhary Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 15:01:16 +05'30' Bhupendra Singh Chaudhary, Vice President - Mines (Authorized Signatory)


Enclosed: All attachments a/a

Copy to: 1. PCCF (LM), Bhopal – For kind information and uploading the same in PARIVESH.

2. CCF, Shahdol – For kind information please.

3. IRO, MoEF&CC, Bhopal – for record purpose only.

### Annexure A(i)



Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

TED (11902) Know More

You are here: / Reports / Query By Account					
Query By Account					
e-PayOrder Number	CRG0589328				
Debit Status	Success				
		27-05-2024			
MADHYA PRADESH CAMPA					
Twenty Two Lakhs	Seventy Two Thousand Thirty	22,72,035.00			
Five only					
00000030015285306					
PUJA J. CAG, KOLKATTA Mai "C		SNEHA BOGHANI Authorizer 2			
Actual Debit Amount	22,72,035.00		•		
	22,72,033.00				
Commission	0.00				
Counterfoil Description	Bikram Coal				
Transaction Type	RTGS Fund Transfer				
GSTIN Number					
Click here to view credit and debit account deta	ils				
You can only enquire the status of transactic authorisation please use the 'View Inbox'/'Br		unt' and 'Query by echeque' option under Report ge Transactions'.	ts tab. For		
<ul> <li>If your corporate has opted for a separate commission transaction for Interbank Transactions, although the echeque displays the consolidated amount, the commission will be initiated as a separate transaction only (EOD or per Txn as per the mandate of your corporate)</li> <li>For NEFT multiple credit transactions, by default the echeque displays the consolidated amount. The commission will be initiated as a separate transaction of your corporate.</li> </ul>					

© State Bank of India

Site best viewed at 1024 x 768 resolution in Microsoft Edge 79+, Mozilla 96+, Google Chrome 97+

https://corp.onlinesbi.sbi/corpuser/queryechequesdetailsdisplay.htm



Corporate Office 1. Shakespeare Serani, A.C. Market (2<sup>rd</sup> FH, Kokana 700 071 P. 055 6605 1500 02 F. 491 035 2208 4426 E. coontinator@binkersp.com

29<sup>th</sup> August 2023

BCL/Bikram/PCCF/23-24/02

### То

# The Principal Chief Conservator of Forest,

(Land Management) and Nodal Office (FC ACT), Satpura Bhawan, Bhopal, Madhya Pradesh

### **Reference:**

- 1. DFO Shahdol Letter bearing no. 케. च./2022/ 39 24 dt.01.06.2022.
- 2. DFO Rewa Letter bearing no. The Address dt.19.05.2022.
- 3. Challan Application No. 5849537792 dt.23.08.2023.

Sub: Payment of CA Scheme amount for Bikram Coal Mines.

Dear Sir,

We write with reference to letter bearing no. dt.01.06.2022 and shahdol and Rewa for payment of INR 4,37,22,200/- i.e INR 2,13,85,100/- + INR 2,23,37,100/- toward CA scheme amount into the Madhya Pradesh CAMPA Account for Bikram Coal Mines.

We hereby submit the CA Scheme payment (RTGS) detail of **INR 4, 37,22,200/- (Indian Rupees Four Crore Thirty Seven Lac Twenty Two Thousand Two Hundred One only)** against the generated Challan Application No. 5849537792 dt.23.08.2023 into the Madhya Pradesh CAMPA Account raised for Bikram Coal Mines.

# Your Sincerely, For Birla Corporation Limited

(Authorised Signatory) Name: Bhupendra Singh Chaudhary Designation: Vice President (Mines)

### Enclosure:

- 1. Copy of Challan Application No. 5849537792 dt.23.08.2023
- 2. CA Scheme Payment (RTGS) detail

<u>CC:</u>

- 1. DFO & CCF (South), Shahdol (MP)
- 2. DFO & CCF, Rewa (MP)





#### NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

#### Date : 23-08-2023

Agency Name.	COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED
Application No.	5849537792
MoEF/SG File No.	8-34/2021-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Birla Building, 9/1 R.N.Mukherjee Road, KolkataKolkata
Amount(in Rs)	43722200/-

Amount in Words :Four Crore Thirty-Seven Lakh Twenty-Two Thousand Two Hundred Rupees Only

# NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765849537792 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only



#### NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-08-2023

Agency Name.	COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED
Application No.	5849537792
MoEF/SG File No.	8-34/2021-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Birla Building, 9/1 R.N.Mukherjee Road, Kolkata Kolkata
Amount(in Rs)	43722200/-

Amount in Words :Four Crore Thirty-Seven Lakh Twenty-Two Thousand Two Hundred Rupees Only

# NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765849537792 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Annexure A (ii)



Birla Corporation Limited Corporate Office 1 Challenberg Sector 2 Challenberg 27 Holl Ballenberg 4 (1011 4005 1200 40 4 (1011 4005 1200 40 4 (1011 4005 1200 40 4 (1011 4005 1200 40 4 (1011 4005 1200 40 4 (1011 4005 1200 40 4 (1011 4005 1200 40 4 (1011 4005 1200 40 4 (1011 4005 1200 40 4 (1011 4005 1200 40 4 (1011 4005 1200 40 4 (1011 40) 40 4 (1011

04th July 2023

BCL/Bikram/PCCF/23-24/01

To

The Principal Chief Conservator of Forest, (Land Management) and Nodal Office (FC ACT), Satpura Bhawan, Bhopal, Madhya Pradesh

Reference:

- 1. DFO Shahdol Letter bearing no. ギロ. マロノンロンクマレ dt.01.06.2022
- 2. Challan Application No. 5849537689 dt. 30.06.2023 and MoEF File No. 8-34/2021-FC

Sub: Payment of NPV amount for Bikram Coal Mines.

Dear Sir,

We write with reference to letter bearing no. ギロ、Pロ・ノ2022/ ~ 9 2 4 dt.01.06.2022 for payment of INR 16,30,75,051/- toward NPV amount into the Madhya Pradesh CAMPA Account for Bikram Coal Mines.

We hereby submit the NPV payment (RTGS) detail of INR 16,30,75,051/- (Indian Rupees Sixteen Crore Thirty Lac Seventy Five Thousand Fifty One only) against the generated Challan Application No. 5849537689 dt.30.06.2023 into the Madhya Pradesh CAMPA Account towards the NPV amount raised for Bikram Coal Mines.

Your Sincerely, For Birla Corporation Limited

(Authorised Signatory) Name: Bhupendra Singh Chaudhary Designation: Vice President (Mines)

#### Enclosure:

1. Copy of Challan Application No. 5849537689 dt.30.06.2023

Shahdol Card

2. NPV Payment (RTGS) detail

CC:

- 1. DFO (South), Shahdol (MP)
- 2. CCF, Shahdol (MP)



003554 | www.birlacorporation.com

Registered Office Buts Building, 1(1 IZ N. Mukherjer Roatt Kolkul) 2 P. 013 6616 6745 / 6824

# कार्यालय वनमण्डल अधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल जिला-शहडोल 484001 (मध्यप्रदेश)

फोन (कार्या-240304) (निवास-241443) (फैक्स-240304) ई-मेल- dfotsshahd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2022/ 39२4

शहडोल, दिनांक :0// & /2022

प्रति,

# ्मे० बिरला कार्पोरेशन लिमि० सतना, कैम्प बुढार जिला-शहडोल (म०प्र०)

- विषय :- वनमण्डल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र बुढ़ार के वन कक्ष आर.एफ. 827 एवं आर.एफ 828 के रकवा 142.075 है0 वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकवा 9.020 है0 राजस्थ वनभूमि कुल 151.095 है0 वनभूमि में विक्रम कोल ब्लाक ओपन काष्ट/भूमिगत कोयला उत्खनन तथा अन्य उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का—मेसर्स बेरल कार्पोरेशन लिमिटेड का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक—FP/MP/MIN/49537/2020
- संदर्भ :-- १--भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/8-34 /2021-एफ.सी. दिनांक 21.04.2022 2--अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/F-1/829/2021/10-11/1871 दिनांक 26.05.2022 3--आपका पत्र क्रमांक/13/22 दिनांक 23.05.2022

--

निवेदन है कि विषयांकित संदर्भित पत्र क्रमांक—01 से भारत सरकार पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति सर्शत प्रदान की गई है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी निर्वेशानुसार भारत सरकार के शर्त क्रमांक A(i) के अनुपालन में वनमण्डल दक्षिण शहडोल के अन्तर्गत हुत 55.811 हे0 गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना 11 वर्षीय तैयार की गई योजना की कुल र 23523610.00 एवं एन.पी.व्ही. की राशि ओपन माईन्स रकवा 114.372 हे0 की भारत सरकार हन निर्धारित दर 1292850.00 से 147865840.00 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपल के आदेश क्रमांक/एफ—5/16/2000 /10—03 दिनांक 12.09.2008 से जारी निर्देशों के तहत भूमिगत कोल माईन्स में 50 प्रतिशत छूट के उपरान्त रकवा 36.723 हे0 राशि 23738665 00 लान राशि 171604505.00 का मांग पत्र भेजा गया था।

STVEAR INSTALEMEND AND N L 2023 V.M. Am 4387

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/F 1 529 2021/10-11/1871 दिनांक 26:05:2022 से लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश में ईको क्लास—III Topocal Do Deciduous Forest पाया जाता है प्रस्तावित वनक्षेत्र के ईको क्लास का पुन: परीक्षण/गणना वार एन पी की, की राशि का निर्धारण कर आवेदक संख्यान को मांग पत्र जारी करने के निर्देश दिये र ये है।

1/2/1

अतः जारी निर्देशानुसार ईको क्लास—ा। के डेन्स अनुसार मारत सरकार के शर्त कमांक A(ii) के अनुपालन में नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि कुल प्रभावित वनभूमि 151.095 है0 में से ओपन काष्ट माईन्स का रकवा 114.372 है0, दर 1228590.00 से 140516296.00 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लम भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ—5/16/2000 /10—03 विनाक 12.09.2008 से जारी निर्देशानुसार भूमिगत कोल माईन्स में 50 प्रतिशत छूट के उपरान्त रकवा 36.723 है0 राशि 22558755.00 कुल राशि 163075051.00 (रूपये सोलह करोड तीस लाख पचहत्तर हजार इक्यावन) एवं शर्त क्रमांक A(i) के अनुपालन में वनमण्डल दक्षिण शहडोल के अन्तर्गत कुल 55.811 है0 गैर वनमूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना 11 वर्षीय की कुल राशि 23523610.00 की तैयार की गई जिसमें वृक्षारोपण राशि 21385100.00 (रूपये दो करोड तेरह लाख पचासी हजार एक स्रां मात्र) ई—पोर्टल के माध्यम से जमा करें एवं पर्वेक्षण शुल्क की राशि 2138510.00 मध्यप्रदेश कोषालय एवं डी.डी. के माध्यम से जमा करें जो वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल के नाम देय हो राशि जमा उपरान्त जमा पर्ची एवं भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो का मान्य करने बावत् वचन पन्न एवं पालन प्रतिवेदन टेबूलर फार्म में 5 प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध करावें |

हिडोल शहडोल, दि /2022

पृ०क्रमांक/मा.चि./2022/

प्रतिलिपिः-

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/F-1/829/2021/10-11/1871 दिनांक 26.05.2022 के पालन में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

STAR STOTERENDRADING NO VAL BOOM

	ENCY COPY	BANK COPY			
यूनियन बैंक	D Union Bank	यूनियन बैंक 🕖 Union Bank			
Sandher Andher	(C) month to the	S Anton	(G) zertitater		
NEFT / RTGS CH Date : 30-06-2023	ALLAN for CAMPA Funds	NEFT / RTGS CP Date : 30-06-2023	IALLAN for CAMPA Funds		
Agency Name.	COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED	Agency Name.	COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED		
Application No.	5849537689	Application No.	5849537689		
MoEF/SG File No.	8-34/2021-FC	MoEF/SG File No.	8-34/2021-FC		
Location.	MADHYA PRADESH	Location.	MADHYA PRADESH		
Address.	Birla Building, 9/1 R.N.Mukherjee Road, KolkataKolkata	Address:	Birla Building, 9/1 R.N.Mukherjee Road, Kolkata Kolkata		
Amount(in Rs)	163075051/-	Amount(in Rs)	163075051/-		
	Alexandra management	Obrana and the second second			
Thousand and Fifty-One F	en Crore Thirty Lakh Seventy-Five Ruppes: Only	Thousand and Fifty-One f	en Crore Thirty Lakh Seventy-Five Rupees Only e made as per following		
NEFT/RTGS to be	lupees Only	NEFT/RTGS to be	Rupees Only		
Thousand and Fifty-One F NEFT/RTGS to be details;	aupees Only	NEFT/RTGS to be details;	Ruppers Only		
Thousand and Fifty-One F NEFT/RTGS to be details; Beneficiary Name:	made as per following	Thousand and Fifty-One I NEFT/RTGS to be details; Beneficiary Name:	Ruppess Only e made as per following MADHYA PRADESH CAMP		

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank



**Birla** Corporation Limited

Cooperate Office 1 Shakes Server Sarah A.C. Markel (2: "Fri Kolsor(a 720 07) 1: 033 6603 3300 02 4: -90 CSX 2384 -4-16 E. prantmater(20 Harmphore

# Bikram Coal Mines - NPV Payment Detail

Debit Account Number	Credit Account Number	Beneficiary IFSC Code	Produ ct Type	Amount	Beneficiary Name	Date	UTR no.
30015285306	156785849517689	UBIN0996335	RTGS	INR 10,30,75,051/ -	Marbya Pradesh CAMPA	64.67 2023	SEMIR12823070456830430

(Authorised Signatory) Name: Bhupendra Singh Chaudhary Designation: Vice President (Mines)

#### Annexure A (iii)

# न्यायालय नायब तहसीलदार सौंसर राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

(2)

भागला क्रमांक / 113 / अ-6 / 2024-25

14

12/06/2024

01 00

20.0

वील रुपये

(1)

प्रकरण दर्ज किया जाकर गाम में ईश्तेहार का प्रकाशन करवाया गया। समयावधि में कोई आपलि आक्षेप प्राप्त नहीं।

हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जो कि प्रतिवेदन प्रदर्श गी—1, एवं पचनामा प्रदर्श पी—2 है, जिस पर हल्का पटवारी के इस्ताक्षर अकित है। हल्का पटवारी झारा प्रतिवेदित किया गया है कि गीजा—गोडींवाढोना. प ह.न.—54/55, तहसील—सौंसर, जिला-पांढुणी में स्थित भूमि खन 75 में से रकवा 2.550 है लगान 10.00 रूपये तक भूमिरवामी की गूमि दानग्रहिता मध्यप्रदेश शासन दक्षिण वन मण्डल जिन्दवाडा विभाग की ओर से दीपक तिरपुढे वन परिसंत्राधिकारी ने दानदाता बिरला कॉर्योरेशन लिमिटेड विक्रम कोल प्रोजेक्ट शहडोल म.प्र. की ओर से अधिकृत इस्ताक्षरकर्ता भूपेन्द्र सिंह बौधरी पिता स्व भूतल सिंह निवासी अछनेस रोड गीता कॉलोनी भरतपुर (राजस्थान) से प्रजीकरण की तिथि 13/05/2024 ई--पजीकरण सख्या MP078232024A1574015 के अनुसार दान ग्रहण किया है। दान की हुई मुमि पर दानग्रहिता का नाम दर्ज हेतु अनुशसा सहित प्रस्तुत किया गया है।

अत पटवारी प्रतिवेदन प्रदर्श पी--1 आवेदक के शपथ प्रकरण में लगे दस्तावेजों के अधार पर गंप्रभू रा सहिता--1959 की धारा 109--110 के अध्याधीन रहते हुये प्रकरण में प्रस्तुत किये गये उवल दान पत्र के आधार पर गौजा--गोडीवाढोना, पहन--54/55, तहसील--सौंसर, जिला--पांढुर्णा में स्थित भूमि खन 75 में से रकवा 2.550 हे लगान 10.00 रूपये दानग्रहिता वन विभाग वनगढलाधिकारी दक्षिण वन मण्डल छिन्दबाडा मंग्र शासन की ओर से दीपक तिरपुडे के नाम से 'दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख हल्का पंटवारी द्वारा दुरूस्त हो, तत्पश्चीत प्रकरण गरतीबदा कर दाखिल अमिलेखागार हो।

> प्रतिलिपी आ. वत्र क्रमांकं 367812024 म्यायालय का नाम जा. त. ह. शीर्ट् एकस्य/दा.प्र.क्रमांक 113335-6] 2024-25 प्रसकार का नाम झ.भु. जा. दतिता त तज्ज मार. जिल्ला अप्रिंग हिंद.


प्राधिकृत अधिकारी लोगसेवा केन्द्र सौरान (समाधान 1 दिन)

m

# न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त बरौँधा तहसील मझगवां जिला सतना (म0प्र0) राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र प्रकरण क्रमांक- 640/अ-6/2023-24

1	2	3
	भावेदक दानगृष्टीता मध्यप्रदेश शासन बन विभाग दारा म030 भू-रा0 संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि मौजा बरहा पटवारी हरूका जवारिन की आ, नं. 107 रकवा 1.2860 है. का अंग रकवा 1.2290 है., आ.नं. 1072 रकवा 1.9910 है. आ.नं. 13 रकवचा 0.0850 है., आ.नं. 14 रकवा 0.1740 है., आ.नं. 1572 रकवा 3.7230 हे. का अंश रकवा 1.7290 है., आ.नं. 69/2/2 रकवा 8.0930 है., आ.नं. 16/2/2 रकवा 1.5090 है., आ.नं. 16/2/1 रकवा 1.3240 है., आ.नं. 23/1 रकवा 1.2140 है., आ.नं. 23/2/1/1 रकवा 2.5630 है., आ.नं. 23/2/1/2 रकवा 1.2150 है., आ.नं. 23/2/1/3 रकवा 1.2150 है., आ.नं. 23/2/2/2 रकवा 4.0500 है., आ.नं. 28/1 रकवा 1.2140 है., आ.नं. 67/1 रकवा 6.0700 है. कुल किता 15 कुल दान रकवा 33.6750 है. जरिए रजिस्टर्ड दान विलेख क्रमांक MP348622024A1610054 दिनांक 20.05.2024 के आधार पर नामातरण हेतु दावा प्रस्तु किया गया । प्रकरण पंत्रीबद किया जाकर इश्तहार का प्रकाशन किया गया । कोई आक्षेप प्राप्त हारी । तथा हल्का पटवारी से जांव प्रतिवेदन लिया गया । प्रकरण पंत्रीबद किया जाकर इश्तहार का प्रकाशन किया गया । कोई आक्षेप प्राप्त हार्य विलेख की प्रति, अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नोटाईज्ड हलफनामा के साथ जवाबदाव प्रस्तुत किया गया । जिसमें आवेदित भूमि का अनावेदक/दानकर्ता भूमिस्वामी के द्वारा दान कर आवेदक/दानगृहीता म030 शासन वन विभाग के पक्ष में रजिस्ट्री दान पत्र संपादित करा दिया है अतः म030 भू-रा0 संहिता 1959 की धारा 109, 110 के विहित प्रावधानों तहत मौजा बरहा पटवारी हल्का जवारिन की आ. नं. 10/1 रकवा 1.2860 है. का अंश रकवा 1.2290 है., आ.नं. 16/2/2 रकवा 1.9910 है., आ.नं. 13 रकवचा 0.0850 है., आ.नं. 69/2/2 रकवा 8.0930 ते. आ.नं. 16/2/2 रकवा 1.5090 हे., आ.नं. 13/2/1/2 रकवा 1.3240 है., आ.नं. 23/1/रकवा 1.2140 हे., आ.नं. 23/2/1/1 रकवा 2.5630 है., आ.नं. 23/2/1/2 रकवा 1.2150 हे., आ.नं. 23/2/1/3 रकवा 1.2150 हे., आ.नं. 23/2/2/2 रकवा 1.5290 हे., आ.नं. 23/2/1/3 रकवा 1.2150 हे., आ.नं. 23/2/27 रकवा 1.5090 हे., आ.नं. 23/2/1/3 रकवा 1.2150 हे., आ.नं. 23/2/27 रकवा 1.5090 हे., आ.नं. 21/40 हे., आ.नं. 67/1 रकवा 6.0700 हे. कुल किता 15 कुल दान रकवा 33.6750 हे जरिए विस्टर्ड दान विलेख क्रमांक MP348622024A1610054 दिनांक रवा 33.6750 हे जरिए विस्टर्ड दान विलेख क्रयर्ग पी.1 एवं पटवा	3
	वृत्त बरौँघा तहसील मझगवां	

नाम्रेम तहसालदार वृत्त बरौँघा तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0 राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र मामला इ. <u>3 р.न.</u>/अ-6/2021-22



Scanned with CamScanner

वैयायालय नायब तढ्ठीलदार युत्त लालगांव तहसीत शिश्मीर जिला-रीवा (भ.प.)

(3)

गावला जेलांक 0180 अ-6/2022-23

उत्राण अतन्त्रेवाजाने एत आदेभ हेतु लिला भराम प्रकाश का संहितित 2/28/22 विवरण दह है कि अवेदक महाप्रदेश लाभन, चन विभाग की और से नरेन्द्र िवाली भिवा समधेवक शिवाली, वल परिद्वीमाविकारी, दल परिद्वीप्र सिरहीर, किन्न दीना द्वास संजेजर हे दान पत्र क्रांतिन MP026532022A1581324 दिगांक २४.३४.३८३२ के आतार घर भाग रोडीदी, पटवारी हल्का सरई, शक्तिमं, लालभोव, जरत्वीन तिरमौर, जिल, रीता की भूमि स्वसंस ग्रमांक 44/2 रकवा 8.289 है. रवेड्र 45/2 रकवा इ.460 हे, रेवड्र), 47/2 रकेबा 3.645 हे, स्वड्रा, 48 स्कवा 0.077 है. रत.क. 49 श्कवा 1.348 है, श्व.क. 50 रकवा 2.221 है, खक्र, 51 रकबा ३.६५२ हे. स्व.क. ५२ रक्तेबा ०.६४४. तूल ८ किता, कुल रकबा २२.३७६ हे. दन कमांतरण हेतु आवेदन पत्र पेश किंश गया है। इश्तकर प्रकाशत में कोई उडकीन पेक्ष नहीं। दिक्रेता/दानदाता का सहभाति का जवाब दावा पैथा है। प्रकरण उदित्वदित हैं। अत्रश्व अवेदित धुभि का अत्मांतरण विक्रेता/दाजदाता मेसर्स विख्या त्वारधेरेशन लिमिटेड युगिट सत्तवा सीग्रेन्ट तवर्श, विक्रम कोल प्रोजेवट शहडोल. बच की ओर से अधिकृत भुवेन्द्र सिंह वौधारी आ भूतल सिंह धीधरी के बजारा अदेदक मध्यप्रदेश शासन, वन विश्वन का जाम स्वीकार किया जाला है। तदानुसार इटनन पटवारी आंशेलेख दुखरत करें। प्रकारण चांद राजर्ववाली दायश से कुभ होवज् खारितल दमतर छे।

159/08/4

नायब किसीनदार नहसीन सिखोर जिला-धेवा (मुद्र)

Digitally signed by Francis Kanes Tripolo Dese: 2022.05.50 10:00:00 + 03:30 Footoot: Online Caye Linewise: MADHYA PRADESH

11)

Annexure A (iii-a)

इसे येवलाईट www.govtpressup.nic.in ल भो डाउन लोड किंगा जा सकता है.



# JUE

# पाधिकार से पकाशित

भेगाल, शुक्रवार, उँदर्गाक १२ जुलाई २०२४—आषाल २१, शक १७४६

क्रमांक 28]

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शसन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (३) उच्च ज्यायालय के आदेश और आंधसुचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्फ, (5) भएन रासन के अदेश और अधिराूचनाएं, (6) निर्वाधन आयोग, भारत को भाग ३.— (\*) विद्वापन और विविध सूचनाएं, (2) सॉण्डिकीय सूचनाएँ,

- भाग ग.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक; (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन;
  - (3) लंखद् में पुरक्ष्यापित विधेयनम्
  - (ख)(1) अष्वादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
    - (3) संसद्द के अभिनियम,
  - (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंधित नियम

# भाग

# राज्य शासन के आदेश

### যুদ্ধ লিপায

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपल

#### भोगाल, विंगोंक 24 जुन 2024

95 (95.1 (2) 175, 1997, च.2, दी.- त्रण्य शासन, एमदृद्धार, શ્રી 'બંગલ શેखર, માયુસે, ચાંતિ, યુલિસ મહામેલેશક, રાજ્ય અપરાજ अन्वेपण ब्यूरी, पुलिस मुख्य राथ, भोषाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनोक 1 से 5 जुलाई 2024 तक, पांच दिवस अजिंत अवकाश एवं 29-50 जन व 5-7 जुलाई 2024 के विज्ञाय अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भनप वात्रा अंतगंत लेड जादे हेंदु अबकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत एरिवार के गिमालिस्वित यदलों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- श्री बंचल शेखर ान्द्रनं
- ओमनी अभिसारिका शेखर नल्से

3. खुश्री ख्याति शेखर		पुत्रो
<ol> <li>भ्रो अदुल्य शंखर</li> </ol>	_	पुत्र

(2) श्री चंचल शेखर, भाष्ट्रां, के अवकाश अवधि में अति, पुलिस महानिदेशक, राज्य अगराध अन्वेषण ब्यूरो, गुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालु कार्य ही आदर्श कटियार, भाषुले, अति, पुलिम महानिदेशक, दुरसंचार संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ साथ सम्पदित किया अलेगा

(૩) અન કાશ યે લૌટને પર શંધવેવન શેહર, ગાયુરે, જો અરવાયો रूप से, आगानी आदेश तक, स्थानापक्ता आति, पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अन्वेषण व्युत्ते, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद्म पर पुन: गट्रस्थ किया ज्ञाना है.

(4) श्री चंचल शेखर, भाषुसे, द्वारा अगना | वार्चभार तहण करने पर कविडकः (7) में अधितित कार्यभार हेट्र निर्देशित अधिकार्त त्यमेय कार्यमार से मुक्त होंगे.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएँ,

ડાધિયુવનાથું (7) રહે કુ મામાં પરિશિષ્ટ

(5) अजवग्राचाल में श्रो चंचल रोखर, भाषुसे, को अववग्रत वेतन एवं भत्त उसी प्रकार देख होगा जो उन्हें अवकड़ा पर लागे के पूर्व शिलता था.

(6) प्रमाणिट किक ताता है कि यदि भी चंचल शेखर, भाषुरो. ठक्त अयक.श पर नहीं जाते तो अपने पद पर जर्न रहते.

#### भोगल, दिनांक 25 जून 2024

क्र. एफ 1 (ए) 195-1991-ल-2-दो.—राज्य शासन, एतद्भुहास, अी पिजय कटासिय, भाषुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशामन), गुलिस नुख्वालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष भें दिनांक 21 जून 2024 का (एक दिवस) आंक्सिशक अवकाश एवं दिनांक 20 रा 24 जून 2024 के (दो दिवस) ऐच्छिक अवकाश व दिनांक 22-26 जून 2024 के जिज्ञात अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गुरू नगर चंडोगड़ जाने हेदू आवकाश थांभ सुविधा अंतर्गड परिवार के निष्नलिखिद सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश जगदीकरण की रवीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री विजय कटारिया	· ।रायं
2. श्रीमती संगीना कटारिया	— गली

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया, भागुले, को अस्थायों रूप री. आगाणी आदेश दक, रभानापना विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), मुलिस पुट्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर गुन: गटस्थ किया जाता है.

(3) अनकाशकाल में श्री विजय कटारिया, भागुसे, को अवकाश वेदन एवं भाग २४मी प्रकार देव होगा को उन्हें आवकाश पर जाने के पूर्व पिलता था.

(4) प्रणणित किया जाता है कि यदि ही विजय कहारिया, भएपुरे, उपरा अवनग्रह पर नहीं जाते तो आएने पद पर बने रहते.

#### भोपाल, दिनांक 26 जून 2024

क. एफ 1 (ए) 233-2017-च-2-दो.—राज्य शासर, एतद्रहास, श्री मनीम कुरार अग्रयाल, भाषुझे, उप पुल्लिस व्हानिसेश्व क, होमगाई/ एसडोईआरएफ को खण्डवर्ष के द्विनीय विस्तार वर्ष में दिनोक 24 से 28 जून 2024 तक, पांच दिवस आकारेगक आवकाश एवं 29-30 जून 2024 के विज्ञया आकारा के लाम के साथ उक्त अवधि में भारत प्रमा अंतर्गत कश्मार, भोगार, तोह, लत्याख जमी हेतु परिकर के निमालिखित स्टर्स्सों के साथ अनुगति प्रदान काता है :—

1. श्री मनीष तु.मार अञ्चलल 👘 — स्वय

<ol> <li>सुष्ठी नियति शावनाल</li> </ol>	-	पुत्रो
4. श्री तमन अग्रवाल	_	पुत्र

(2) अवकाश से लौको पर भी मगीप कुनार अग्रवाल, भएसे, को अरथ मी रूप से, आगागी आदेश दक, स्थानापन्न उप पुलिस गडानिरीक्षक, होमगाई/एसडीई/अरएफ के पद पर पुन: प्रदरभा किया जाता है.

(३) अवकराकाल में श्री मतीष कुमार अग्रवाल, भाषुले, को अनकाश पेटन एवं भत्ता उसी प्रकार देव होगा जो उन्हें अवकाश घर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाडा है कि यदि श्री मनीष कुमार अग्रवाज, भाषुक्षे, आवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर चने रहते.

# भोगाल, दिनांक 2 लुलाई 2024

अर एक 1-1-9 01 2023 व 2 दोरं राज्य शासन, झी नरेन्द्र रावडे, भोपुरो, सहायक पुलिख आयुक्त, एरदेशीपुर, जोन 2, नगरीय पुलिस, जिला इंदौर को प्रथम संतान प्रापा होने पर दिलांक 1 से 15 जुलाई 2024 तेक, पन्द्रद दिवस पितल्म अनकाश की स्वीकृति प्रदान को जाती है.

(2) श्रो नरेन्द्र राजत, भागुसे, के अवकाश अवस्थि में सड़ायक पुलिस आयुक्त, परदेशीगुरा, जोत्त-2, नगरीय गुलिस, जिला इंटौर का चालू कार्य त्री कुन्दन मध्यलोई, भागुसे, सहवक पुलिस आयुक्त, याजराना, जोन-2, नगरीय गुलिस, जिला इंटौर द्वारा अपने वार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अनकाश से लौटने के भ्रो नरेन्द्र सवत, भापुर्स, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानप्रमा पुलिस उपायुक्त, जोन-4, नगरींच पुलिस, जिला इंदौर के पद पर पुतः पदरभ स्केवा जाता है.

(1) श्रेः नरेन्द्र सवत, भाषुसं, इस अपना कार्यभार प्रहण करने पर करंभेडका (7) में अधिरिका कार्यभार हेतु निर्देष्टिंद व्यधिकाती त्यमेय कार्यभार से मुक्त होगे.

(5) अरबाशकल में श्री गरेन्द्र सबत, भागुरो, को अवकाश बेनन एवं भद्य ऊसी प्रकार देव होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिल्ला था.

(७) प्रमामित किया जात है कि यदि झी नरेन्द्र रागड, परपुक्ते, ३ क अलक १९ वर नहीं जादे की आवरे पद पर जर्ने रहते.

#### भौगाल, दिलंक 4 जुल ई 2021

9. 1671 2108371-2024-ज-2-दो,—-राज्य शासल, एतद्रद्वात श्री अमित सांघी, भाषुले, उष्ठ पुलिस महातिरीक्षक, विस्तरत ( मध्यक्षेत्र), भोपाल को दिनांक 22 जुलाई से 5 अतल्व 2024 इक मन्द्रह दिवस अधित अयक श एवं दिनांक 20-21 जुलाई 2024 के विज्ञास अवक.श के लाभ के साथ उवत अवधि में यूनाईटेड किंग्डम की सित्ती विदेश यात्र (Ex-Licha Leave) निम्पॉलसित हतीं के साथ प्रदान करता है:

- विदेश में स्वास्थ्य/चिषित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का ज्यन राज्य शासन द्वारा बहन नहीं किया डावेगा.
- विदेश में शासकांव अथवा किसी निजी संस्था का आदिथा स्वीकर नहीं करेंगे.
- विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री अमित सांत्री, भानुसे, के अवत्याश अवधि में डए तुलिस महानिसेक्षक, विसंबल (नध्यक्षेत्र), भोपाल का कार्य प्रभार श्रीनती मॉनिक शुक्ला, भोपुरे, ठप पुलिख पहानिसेक्षक, चितवल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ साथ सम्मदित किया जायेगा,

(3) अञ्चलका में लौटने पर वी अमित सांघी, भागुरों, को अस्थाओं रूप थे, अलामी आदेश उक, स्थान फन रूप खे उप पुलिस महागिरीक्षक, थिंश्वश्वल (मध्यक्षेज), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अमित सांघी, भग्रुसै, डास अपना कार्यभार ब्रहण करने पर कॉव्डवज-2 में अतिरिक्त कवंभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेत कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल ें ओ थामित लांची, भाषुमे, को अलकाल बंग्रेन एवं भना उसी प्रकार देव होगा जो उन्हें अलगात का जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आमित राधि, १ पूरी, अलकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पर बने रहते.

क. 1672-2089836-2024-व-2-दो.— सच्च शासन, एतद्धास. शीमती प्रज्ञ ऋचा औरास्तव, भागुरो, अतिसंकत पुलिस (हानिदेशक) (पहिला मुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोगाल को दिनांक 5 से 16 बलस्त 2024 तक बारड दिवस अर्तित अवकाश एवं दिनांक 3 से 16 बलस्त 2024 तक बारड दिवस अर्तित अवकाश एवं दिनांक 3 से 16 बलस्त अगस्त 2024 के विज्ञात अवकाश के साथ के से थ अक्त अवधि में कोलंबिया (यू.एस.ए.) की निजी विदेश बाजा (Ex-10.1 a Lowe) निम्नलिधित शर्तों के साथ प्रदान करना है:—

 कियेश में स्वास्थ्य/व्यकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का ज्यन राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जालेग:.

- जिंदेश में शासकांय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्थाकार नहीं करेंगे.
- किंदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) ओमती प्रज्ञा ऋत्ता श्रीवास्तव, भाषुत्ते, के अलकाश अवधि में बाडिसिक्त पुलिस महान्दिक्षक, (महिला सुरक्ष), गुलिस मुख्यत्वय, भोषाल का कार्य ज्ञभार क्री राजेश मुखा, भाषुसे, अहिरिका गुलिस महानिदेशक (अजाक), पुलिस) गुख्यालय, भोषाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जातेगा.

(२) अवकाश से औटने पर ओनडो प्रज्ञा कृवा ओयस्तल, को अच्धार्य रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्त रूप से, अतिहेक्त पुलिस महानिदेशक, (महिला सुरक्षा), नुलिस मुख्यालय, भीपाल के एद पर पुनः पद्रभा किया जाता है.

(4) श्रीमती प्रज्ञ: अटच जीवास्तल, भाषुमे, द्वारा अपना कार्यभार रुहण करने पर केंडिक 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रोगतो प्रज्ञा रहवा झीजास्तल, प्यापुसे, को अवकाश केतन एवं भना टसी प्रकार देय होग। तो उन्हें वावकाश पर जाने के पूर्य जिलता था,

(6) प्रमाणित किया काता है कि यदि श्रीपती प्रसा रहवा श्रीकारतव, भाषुले, आयकाश पर नहीं जातीं तो अगने एव पर वर्गी रहतीं.

> भध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्तू भालाजी, अवर मांचय.

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोगाल, दिनांक २४ जून २०२४ |

फ, इ. 1797-वर्कात-४ (दो).—सम्प्र शासन, एवद्वारा, इस विभाग के पूर्व आदेश झ. 1033-इक्कोस-च (दी), दिनोक 2 अप्रैस 2024 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलतुरुइंदौरन्सलियर में न्युक्त तथा 1256-तक्कीरा च (दी), दिनोक 7 पई 2024 दरा महाधिवत्तता कार्यालय, वर्ड दिल्ली भें निधुक्त विधि प्रदाधिकारियों के कार्यकाल में दिनोक 30 जून 2024 तक की अभिवृद्धि की वई है. उयद सामरा विधि इदाधिकारियों के कार्यकाल में दिनोक 31 जुलाई 2024 तक की अभिवृद्धि की जातों है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम ये तथा आदेहानुसार, धर्मपारन शियाच, अविंग,

वंजी क. 1831 2024 इककोस च (दो).-- राज्य शालय, एउट्हास, तहलोल कुसमो, जिला लोखो में जिभागीय आदेश दिनांक 3 अगस्त 2016 द्वारा इंनेयुका नोटरी थीं लक्ष्मण प्रसाद शुक्रत को इसके द्वारा प्रेथिन ल्याग- पत्र के आधार पर उलका लम शासन द्वारा मंधारित केटरी पंजी से जिलोपित करता है.

> नभ्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण हजारे, अगर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ ध्वन, भोणत

भोपाल, दिगांक 4 जुलाई 2024

क्र. 1449-1784165-2024-पत्तास-2.—राज्य शासन के विभागीय एव क्र. ६६4-1784165-2023-पत्तास-2, दितांक 14 मार्च 2024 के माध्यम से किशोर त्याय (बालकों को देख-रेख और रॉरक्षण) नियम, 2022 (मूल नियम 2016) के नियम 87 के तहद् पठित राज्यस्वरोय जयन समिदि की भागकित सदस्य झींगती मिल्ल्या रायकथार, भोशाल के आकस्थिक निधन होने से उनके स्थान पर श्री प्रदीन सकसेना, जिल्ला लतना का मनोनयन किया जाता है.

> भध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. पाधवी मागेन्द्र, जगसांचव.

# कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल राजभवन, भोगल, दिनांक 3 जुलाई 2024

# संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ-१-4-23-र.स.-पू.ए.1-811.—ननाजी देखनुख पशु चिकित्सा विज्ञन विश्वविद्यालय अधितियम, 2009 (क्र. 16 सन् 2009) को थार 11 की टपधारा (2) के प्रावधन के तहत् नागली देशपुख ५शु जिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जवलपुर के नियमित कुलपदि के पद पर नियुक्ति देतु पैनल जनुशसित करने के लिए इज सजियालय को लंशोंपंत अधियूचन क्रमांक एफ 1 4 25 त.स. यू.ए.1 582, दिनांक 18 मई 2024 के द्वारा डॉ. अतर्यव्द कुमार सुबला, कुलपति, राजपता जिजयसको सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, य्वतियर की अस्वक्षता में तीन मदस्यीय लगिति वर कुर्वातन किय गया है. समिति में औ गुल्हशन बापर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश सामन, पशुपालन लिभार, नंशालय, भोगल एवं डॉ. ए.कं. निआ, पूर्व अध्यक्ष, क्रांग कैप्रानिक भर्ती बोर्ड, नई दिल्ली सत्रत्या हैं. 2. समिति को गएन दिनांक से छ: सम्वाह में बैठक कर एनल प्रस्तुत करने हैं, परन्तु, किन्हों कारणें से समिति द्वारा निर्धारित छ: सप्ताह को रामय बॉध में बैठक कर पंगल प्रस्तुत करने में कलिनाई व्यक्त की गई है.

 अतः, कुलाधिपतिजी के दारा बैनल प्रसूच करने के लिए सांमीते को पूर्व निर्धारित & सप्ताह की समयावधि में & सपाह की और बुद्धि की गई है.

> कुलाधिपति, नानाजी देशपुख, पशु चिकित्सा लिन्नान विश्वविद्यालय, जयलपुर के आदेशानुसार, जमा**शंकर भागँव**, राज्यनाल के अपर लपित.

# खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नंत्रालय, जल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2024

क्र. एफ 11-29-2004-ठन्होरा-2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 02-2024 एवं 07-03-2024 से मध्यप्रदेश (टेट सिविल मन्नाईज कार्योरेशन मेमोरेण्डल एण्ड ऑटिंकल (81) (ए) (डो), (ई) (एक) हास प्रदत्त शक्तिओं को प्रयोग में लाते हुए, श्रीमती स्पिता भाउराज, अपर मुख्य सचिव, याद्य, नागरिक आगृति एवं उगभोक्ता संरक्षण जिभाग को कार्यभार प्रहण के दिनांक से आगामी आदेश इक के लिए नश्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज काररिकन के संचालक मंडल में संचालक एवं अध्यक्ष नियुक्त किया गमा था.

राज्य शासन, एतदद्वार, अक्त नियुषिट को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

क्र एक 17 29 2004 अनीम 2.—राज्य शासन, ६९८६छ। मध्यप्रदेश स्टेट सिंगिल सप्लाइंग कार्योत्शन येगोरेण्डम रण्ड ऑटिकल ऑफ एमोलिएशन के ऑटिकल (81) (ए) (डी), (ई) (एक) के अंतर्गत प्रदन सावित्यों को प्रयोग में लाते हुए, शोमगी रहिम अल्प शर्मी, प्रमुख सावित्य, मध्यप्रदेश शासन, खाड, नागरिक आणूर्ति एवं उनभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिंगिल सालाईज कार्णरेशन दिमिटेड के रांचालक मेडल में संचलक नियुक्त करते इए कार्यथार ४ इण करने के दिनांक से अध्यक्ष का प्रभार सौंपता है.

 यह आदेश कार्थपार प्रहाण करने के दिसांक से आगाने आदेश तक के लिए प्रभावशील होगा.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. क्री. के. चन्द्रेश, उपसणिव.

# वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोताल भोषाल, दिभाक 10 जुल ई 2024

क्रमांक / (3) (2 / आर-2134669 / 2024 / 10-3 : भारतीय दन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए. राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की पोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों भा सभुदाओं के कर्ममान अधिकार लहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित / रुपमेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे ; यह वनखण्ड N 22°16′55.822″ से N 22°17′12.849″ उत्तर अक्षांश तथ्य E 78°42′35.643″ से E 78°42′57.574″ पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

# अनुराची

 तहसील :-- तामिया वन परिक्षेत्र :-- तडमिया

अ.	here and the	तनर	रण्ड की भूमि	कः विवरण		वनखण्ड की सीमायें
क्र.	धनखण्ड का नाम	ग्राम कः नःग	भूमि का वर्त्तमान मद	त्वस्तर; क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	लहगडुआ (सीए–2)	कहग दुअ।	शासकीय भूमि (मद पहाड	71/1/1/3	13.425	अत्तार — कुनाश फ्रमांक 1 से 18 तक को कृत्रिम जन सीमा।
			चट्टान)	° e ~		पूर्व — मुनारा क्रमांक 18 से 31 राक की कृत्रिम यन सीमा।
				-	-	दक्षिण - मुनारा क्रमांक ३१ से ३३ तक की कृतिम पन रोगिम।
			1	15.7	35.1	पश्चिमा · · मुनारा क्रमांक 33 से 44 एवं 1 तक की कृत्रि वन सीमा।
				11		
				10		
				कुल योग	13.425	

#### भध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

#### (क) 🛛 अधिसूचना प्रकाशन का आधार :--

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलबायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8--एम.पी.आर.020/2022-बी.एच.ओ. दिनांक 12.05.2023 में अधिरोपित धर्त के अनुसार म.प्र. रम्ड्रक विकास निगम लिमिटेड की स्वीकृंत परियोजना नीमढना-हिंस्दागढ़- नर्वेगाव-बिंदरई-बोरदेही माग (राज्यमार्ग क्रमांक-41) के निर्माण हेटु प्रभावित 13.425 धेवटेयर क्रम्भूमि के एवज में प्राप्त कुल 13.425 हेक्टेयर राजस्व भूमि (मद पहाड़ चट्टान) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से बनमण्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल बन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 003/अ-19(4)/2021-22 दिनांक 19.08.2021 से हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।

अन्थ कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार परासिया जिला भिन्दयाड़ा के प्रमाण–पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्मानुसार है:–

व्यक्तिगत अधिकार 🚈 उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

 राामुदायिक अधिकार :- जपरोक्त यणित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है। अतः छक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की घारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

> गध्यप्रदेश के रज्यनाल के नाम से तथा आदेशानुसार. अतुल कुमार मिश्रा, सविव.

#### भोधाल, दिनांक १० जुलाई २०२४

क 1317 अपर-2154669-2024 दरू ७.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 3411 के खपड़ (2) के अनुसरण में हल चिमाम की अधिसूचना का 1372-जार-2154669 2024-दर-3, दिनोंक 16 जुलोई 2024 का शंग्रेजी अनुवाद सज्यनाल के प्राधिकार से एस दक्षरा प्रकाशित किया जाता है.

> नव्यप्रदेश के सम्प्रपालन के भाम से तथा आदेशानुसार. असुल 'कुमार' मिश्रा, सचिव.

#### Bhopal, the 10th July 2024.

No./[3]>./R-2134669/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing tights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by the state Government from time to time. This forest blocks lies between N 22°16'55.822" to N 22°17'12.849" North Latitude and E 78°42'35.643" to E 78°42'57.574" East Longitude.

# SCHEDULE

### District - Chhindwara Forest Division - West Division Chhindwara

# Tabsil - Tamia Forest Range - Tamia

1		Detai	ls of Land inclu	uded			
S.N.	Name of Forest Black	Name of Village	Present head of Land	Khasara No.	Area (Hectarc)	Fore	st Block Boundaries
1	2	3	4	5	6		7
1	(CA-2)	Lehgadua	Government (Pahad chatttan)	71/1/3	13.425	North - East - South -	Artificial forest block boundary from Pillar number i to 18 of Proposed forest block. Artificial forest block boundary 18 to 31 of Proposed forest block. Artificial forest block boundary from Pillar number 31 to 33 of Proposed forest block. Artificial forest block boundary from Pillar number 33 to 44 and 1 of Proposed forest block.
				Total	13.425		

#### (A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's order No 6-MPR020/2022-BHO dated 12.05.2023 and in lien of 13.425 hectare forest land affected in construction of Necmdhana-Hirdagadh-Nawegan-Bindrai-Bordebi Road of M.P. Road Development Corporation, the above mentioned Revenue Land of 13.425 hectare transferred/mutated in favour of DFO West Chhindwara Division, Forest Department by order No 003/A-19(4)/2021-22 dated 19.08.2021 of Collector Chbindwara for the purpose of compensatory afforestation.

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Parasia, District Chhindwara are as under.

- 1. Individuals Rights :- There are no individuals Rights on the said land.
- Communities Rights :- There are no Communities Rights on the said land.

Therefore, the above land is declared as protected forest auder section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोजाल, दिनांक ४० जुल ई 2024

क्रमांक/1318 / आर—2134627 / 2024 / 10—8 : भारतीय बन अश्विनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 डारा प्रदत्त सक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, शज्य शासन, एतन, हारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रानधान / एपबन्धों को नोड़े की अनुज़ूची में एक्लेखित भूमि धर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है !के इस भूमि वर व्यक्तियों या सनुदायों के बर्तमान अधिकार जहों नक कि वे राज्य शासन द्वारा करव—समय पर रांशोधित / रूपभेंदेत किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में भ्यूनीकृत या प्रशयित नहीं किये आयेंगे। यह यनखण्ड N 24°52'56.0798″ से N 24°53'21.5171″ उत्तर अक्षांश तथा E 81°31'19.458″ से E 83°81'40.230″ पूर्व देशांश के होक स्थित है.

अनुःशुभी

जिला :- रीवा कामण्डल :- रीवा

#### 

ଖ.		<u>ए</u> न	नरबण्ड की भूमि	দে বিবংগ		तनन्त्रण्ड तते सीमाये
5 <b>5</b> .	वन खण्ड कः। नाम	য়াদ জ্যা নাদ	भूमि क। यतमानः गढ	खरारा इम्मकि	मेअफ ल (हेक्टें पर)	
1	2	3	4	£	€	7
1	ৰাজি	रोड़ी ही	निजी भूमि	44/2	8 2989	বন্ধার — अन्तावित স্বার্থটোর
	प्रहाद (१)	1 2		45/2	5.460	वनरप्रण्ड के मुनार
				47/2	3,645	क्रमांग्र 1 से 2 तक
- 1			1 1	48	0,077	कृजिम् यन भीगा।
	6 L.		1 1	49	1348	पूर्व – प्रस्तावित सराझेत
				50	2.22*	् धन्धण्ड के मुनर कमाक 2 भे 7 तम
			1 3	51	3.652	मन्त्राक 2 स्त 7 सम कृत्विन बन सीमा
				52	0.004	दक्षण प्ररंगावित viviधित बनस्वय्यु कं तुनगर क्रगांक ? से 20 तक कृत्रिम पन सीमा। परिचम — भु-ास्त जमाक 20 से 21 शक कृत्रिम पन सीमा किया मुगारा कनांक 27 से 28 एथं 1 तक आरंकित घन खारु गोठा प्रश्नेत के कह्य ज्ञमांक 102 थ्ये सीमा।
			कुल योग	06	22.376	

# (क) – अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1. वनमण्डल रीवो अन्तर्गत बिक्रम कोल ब्लॉक ओपन कास्ट/अण्टर ग्राउण्ड कोल माइनिंग परियोजना में प्रभावित वनमूमि रकवा 151.095 हेक्टेयर के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेलु 22.376 हेक्टेयर गैर वनभूमि (निजी भूमि) तहसीलदार सिरमौर के आदेश क्रमांक 0180/अ-6/2022-23 दिनांक 29.06.2022 से प्रग्त हुइ है। जिसका प्रभावित रकबे अनुसार खरारा क्रमांक 44/2 रकबा 8.289 हेक्टेयर, 45/2 रकबा 5.460 हेक्टेयर, 47/2 रकबा 3.645 हेक्टेयर, 48 रकबा 0.077 हेक्टेयर, 49 रकबा 1.348 हेक्टेयर, 50 रकबा 2.221 हेक्टेयर, 51 रकबा 0.652 हेक्टेयर, 52 रकबा 0.684 हेक्टेयर कुल रकबा 22. 376 हेक्टेयर में बटांकन कर धन विभाग को हस्तांतरित हुई है।

अन्य कारणों का विधरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्त अधिकारी तहसीलदार अनुविभाग सिरमौर जिला रीवा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:--

 व्यक्तिगत अधिकार :-- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
 सामुदायिक अधिकार:-- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सानुदायिक अधिकारी नहीं है।
 अतः उक्त भूमि को मारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

> मध्यप्रदेश के एज्यवाल के नाव से राज्य रू देश,नुसार. अधुल कुमार मिश्रा, राविव,

#### ं भोणल, दित्तांक 10 जुलाई 2024

क्र. 1318 आए 2184627 2024 दल—3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अभिलूचना क्र. 1318 आप 2534627-2024 दल 3, दिनांक 10 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद सज्यपाल के प्राधिकार से एतदहार प्रकाशित किया जाता है.

> नध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तो तथा आदेशानुतार. अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

#### Bhopal, the I(P July 2024

No./ 13(87)R-2134627/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the ladien forest Act 1977, (XVI of 1927) the stare Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas, specified in the schedule below, subject to the condition, that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manuer except in so for as they may be modified by that state Government from time to time. This forest blocks lies between N 24°52'56.0798" to N 24°53'21.5171" North Catitude and E 81°31'19.458" to E 81°31'40.230" East Longitude.

### SCHEDULE.

District - Rewa Forest Division - Rewa - Unhsil - Sirmour - Forest Range - Sirmour

8.N.		Detail					
	Name of Forest Black	Name of Village	Present hand of Land	Khasam Nu.	Area (Heccare)	Forest Block Boundaries	
1	Z	3	1	5	6		7
1	Gooda Pabart (1)	Rosjhoni	Persnol Land	44/2 45/2 17/2 48 49 50 31 52	8.289 5.460 3.645 0.077 1.348 2.221 0.632 0.684	North - Enst- , South -	Proposed torest block Pillar nondear 2 to 2 Artificial torest block boundary. Proposed forest block pillar number 02 to 7 Artificial furest block boundary. Proposed forest block boundary. Proposed forest block boundary. Artificial forest block boundary. Artificial forest boundary. Artificial forest boundary from Pilla no. 20 to 21 and boundary of Reserve Forest block Genda Pahal compartment number 102 from Pillar number 21 to
- 1			Toro:	08	22.376	-	23 apd 1.

#### (A) Reason for Publication of Notification :-

1. Forest land aftected by the construction of Bikram Coal Block/Open Cust underground Coal mining Project in Forest Division for Diversion of 151.095 ha. To 22.376 ha. non-forest land has been obtained from Tashildar Sirmour for compensative afforestation by order no 0180/A 6/2022 23 dated 29 08 2022 And Forest. Whose affected area Khasra No. 44/2 area 8.289 ha, 45/2 area 5.460 ha, 47/2 area 3.645, 48 area 0.077 hz, 49 area 1.348 ha, 50 area 2.221 ha, 5, area 0.652 ha, 52 area 0.684 ha Total 22.376 ha respectively

Detail of other Reasons - Nil

(B) The Khasta Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Sirmour District Rewa are as under.

- Individuals Rights :- There are no individuals Rights on the said land.
- Communities Rights :- There are no Communities Rights on the said land.

Therefore, the above land is declared as protected forest under socilon 29 of Indian Forest Act 1927.

> By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ATUL KUMAR MISHRA, Seey,

1 514 1

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना. मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजरव विभाग

#### सतल, दिनॉक 11 मार्च 2024

भू-आर्जन-प्र.क. 832--अ-82-23-24- यूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संतम्न अनुसूची के खाने (1) तो (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सावजनिक प्रयोग न के लिए आवश्यकता है, असन अवश्यकता पदने की संगायना है, अतः सही थू में आंधेव्रहण पुग्वांस 2013 की पास-11 की खपधाल (1) के स्पार्थ्य के उनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित जाकियों को इस आराध की भूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकार की संबंधित जाकियों को इस आराध की भूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में राज्य धारू-11 की उन्हास (2) द्वारा दी नई शांक्यों का प्रयोग करने के लिये प्राधिका। करना हू उन्हा भूमि के संबंध में राज्य धारू-11 की अन्धरा (2) द्वारा दी नई शांक्यों का प्रयोग करने के लिये प्राधिका। करना हू अधि नियम की धारा 11 (a) के अंतर्गत कोई मी त्यकित प्रक्षेत्र प्रधानिक आधिसूचना में विनिधित्व भूमि का कोई संव्यव्यास नहों करेगा था कोई संख्यवहार नहीं कहाएना आशवा ऐसी शडिसूचना के प्रकाशन की सारित्य से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहीयों के पूरा हो जाने के समय तरा सूची पर कोई दिल्लंगन स्तर्वित नहीं करेगा :--

अनसम्मी

			2.3.0°		
	धूमि का वर्णन			धारा 🖓 के लिए	सार्वजनिल प्रयोजन का
जिला	पत्रयील	a -	अर्जनीय रकवा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधेकारी	c 1 4
(1)	$\langle 2 \rangle$	(2)	(4)	(5)	(6)
२.न	चिरारोंह <u>न</u> ुर	नयागांव	22.2635	कार्येपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–1 नागीद जिला सतना (म.प्र.)	वरनी व्यत्तवती परियोजन अंतर्गत नागीद शाखा तहर की हेल प्रिएषिक निर्माण हेतु.

#### (g) ्रिजानव्यः (प्लन) कार्यतय, कलेल्टर (म्–अर्जन साळा) राजना के कार्यात्रमें देखां जा सलता है.

#### सतना, दिनांक 28 जून 2024

मू-अर्जन-प्रक्रा 1303-अ-82-24-25.- यूकि, राज्य शालन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संस्थन अनुसूची ये खाने (1) से (4) में वर्णित भूभि को अनुसूची के रसने (6) में कराके राजने नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आगस्यकता है, अध्या अवस्थलता परने की संगादन है. अल भूमि आंधेवरूप पुनर्वास 2013 को धारा 11 की संगधान (1) के संपर्धों के अनुसार एसके द्वारा सभी संग्रेंधेरा व्यक्तियों को इस अ श्वय की लूचना दी जाती है. राजन शासन इसके प्रारा अनुसूची के खाने (5) में सल्पेखित अधिकारी सभी संग्रेंधेरा व्यक्तियों को इस अ श्वय की लूचना दी जाती है. राजन शासन इसके प्रारा अनुसूची के खाने (5) में सल्पेखित अधिकारी को स्थल भूमि के संग्रेय में एक्स धान-11 की संघार! (2) द्वारा दी नई शास्त्रियों का प्रयोग करने के लिये प्र विकृत करता हूं सभ ही शाधीन्यिम रही धारा 11 (4) के संवर्गत कोई भी व्यक्ति श्राण्या से वी नई शास्त्रियों का प्रयोग करने के लिये प्र विकृत करता हूं सभ कोई संव्यवहार नहीं करारणा शास्त्रा रेसी अधियुचना के त्र्याशन की सार्थ अधियुचना में विनिर्द्धिक मुमि का कोई संव्यक्तर नहीं करना थ को स्थत भूमि के संग्रेय में श्रार्थ से अप्रेस्त्रियना के त्र्याशन की सार्थ से अर्थन जार्यक्री के अर्थन करता हूं सभ ही शाधीन्यिम रही धारा 11 (4) के संतर्गत कोई भी व्यक्ति श्राण्या की नई सार्यक्र से अर्थन की की की कोई संव्यक्तर नहीं करना थ कोई संव्यवहार नहीं करारगा शब्दा देसी अधियुचना के त्र्याशन की सार्थ के अर्थन व्यक्ति की की की स्था को के समय करा भूमि ५२ कोई विज्यत्रे म सुचित नहीं करेगा :--

			अनुसूची		
	भूमि चन वर्गन		धारा 12 के लिए	आईजनिक प्रयोजन का	
টিলা	<u>तह</u> त्तील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में.) लगभग	प्राधिव्हत अधिकारी	d n[+ :
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$\langle 6 \rangle$
रातना	যানসুৰ খাইলান	ચોરતરી	3.0238	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्पाईं मुख्यालय मेहर, जिला मेहर (म.प्र.)	बरमी व्यपवर्तन परियोजना उत्तमत शिवा १९खा नंतर को काशा विवरिक की काशा नाइनर के लिमीम हेटु.

(2) भूनि का नक्शा (प्तान) कार्यालय, कलेपतप्त (गू-अर्जन शाखा) सटना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

#### रातना, दिनांक 11 नाम 2024

भू-अर्जन-ज्र.छ. 1337-अ-82-22-24.- यूंजि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संतन्न अनुसूची के साने (?) से (4) मैं वर्षित मुनि को अनुसूचों के साने (6) में लगके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोगन के जिए अवश्यकता है. आधन उवश्यकता पढ़ने की संमादन है. अतः सही भूनि अधिरुष्ठण हुनवांच 2013 की घरा 11 को उपधार (1) के उपबंध के शनुसार उसके द्वार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशा की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वरा अनुसूची के खाने (त) में स्वयंक व्वार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशा की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वरा अनुसूची के खाने (त) में स्वयंक्त आंध कि के उटन भूमि के संबंध में उच्च धारा 11 की उपयाचा (2) द्वरा दी गई शक्तिकों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियन की धारा 11 (a) के अंतर्गत कोई में व्यक्ति प्रारंगेक अधिसूचना में विनिद्धि मूंगे का कोई संवयदाय गई करना या कोई संव्यवहार नहीं करात्मा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकारण की रारिख से इस अन्याय के अधीन कार्यवहियों के पूरा हो साथ दे के उटन भूमि का कोई विल्लांगम स्वीसूचना के प्रकारण की रारिख से इस अन्याय के अधीन कार्यवहियों के पूरा हो

#### अनुसूची

	भूमि का वर्गन			बास 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का धर्णन
जिल	્દર્ભાખ	al e	अर्जनीय रकवा (हे. में,) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	
(2)	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)
सत्र ।	नागौद	हम्:	0.867	उप मुख्य अभियंता (निर्माण2) पश्चिम मध्य रेल्वे सतना, जिला सतना (म.प्र.)	ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बढी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु,

(2) भूमि का नक्सा (लान) कार्यलय, कलेक्टर (यू. अर्जन शाखा) सतना के कार्याजय में देखा जा लकता है.

#### रातना, दिनांक 1 जलाई 2024

मू-आर्जन-प्र.क. 1402-अ-82-24-25 - यूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संतला अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित मूमि की अनुसूची के खाने (0) में सराके सामने नीवे दिये गये लार्वजनिक प्रधोजन के लिए आवश्यकता है, अधव आवश्यकता पढ़ने की संभावना है. अन्त भूमि अप्रिंग्रहण पुनवांस 2013 को घार 15 की उपधारा (1) के उपबंधों के रानुसार उसके दास सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शार न इसके इस अनुसूची के खाने (3) में उल्लोखित अधिकारो की उल्ल मूमि के संबंध में उनत यास 11 को एपपास (2) प्रारा की गई शायना इसके इस अनुसूची के खाने (3) में उल्लोखित अधिकारो की उल्ल मूमि के संबंध में उनत यास 11 को एपपास (2) प्रारा की गई शायता वा प्रयोग करने के लिये आधिकृत करता हूं साथ ही आधे निधम को धास 14 (4) के आंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधियुचना में विनिदिष्ट भूनि का कोई लंबावेदस नहीं करेना या कोई संबदात्वर नहीं कराएग अधवा ऐसी अधिसूचना की प्रजाहन की तालीख से इस अध्याय के अर्धन कार्यवाहन सि के सुरा हो जने के समय उस भूनि पर कोई विल्लंगन सफित नहीं करेगा :-

#### अनुसूची

भूमि का गर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक बरोजन का
जिल	તક્ષીંજ	ule.	अर्जनीस रकवा (हे. में.) लगभग	· ·	ਸ਼ਪੀਜ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
`सत्∙ (	रामपुर बाधैलाः	लखहा	नर्मवा अमरप मुख्या	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अरखाई मुख्यालय मेहर, जिला मेहर (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका की काशा माइनर के निर्माण हेतु.

भूमे का नवशा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (मून-शर्जन शात्वः) रातना के कार्यालय में देखा जा रचया है.

(2)

मू-अर्जन-प्र.क्र. 1403- 3-62-24-25.— चूंकि राज्य शारान को यह प्रभीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) हे (4) में गणिंत मूगि की अनुसूची के खाने (5) में उसके तीये दिये गये कार्यजानेक ज्योजन के लिए आवश्यकता है, उल्या आवश्यकता पड़ने की संगयना है. अतः सही भूमि अधिग्रतण पुनर्यास 2013 की धारा 11 की अधार (1) के उपबंधों के अनुसार कराये हास सभी संबंधित व्यक्तियों के इल आशय की सूच्या दी जाती है. राज्य शायन इसके इ.स.अपूर्ण के खाने (5) में उल्लेखित अले हास सभी संबंधित व्यक्तियों के इल आशय की सूच्या दी जाती है. राज्य शायन इसके इ.स.अपूर्णों के खाने (5) में उल्लेखित अले कि इस सभी संबंधित व्यक्तियों के इल आशय की सूच्या दी जाती है. राज्य शायन इसके इ.स.अपूर्णों के खाने (5) में उल्लेखित अले किस की उन्त भूनि के संकंध में उपरा घाना 1: की संपधार (2) झारा यो गई शकिश्वे का प्रयोग करने के लिये जाधित्य करना ह साथ ही आधीरियन की पास 11 (4) के अतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधित्यन्य में बिनोदेश्व भूमि का कोई संव्यवतार नहीं करेगा या लोई संव्यक्तर नहीं करच्या अथव ऐसी अधिसूच्या के प्रलंभन को लरिख से इस अध्याय के अर्थन कार्यवातियों के पूरा हो जाने के सनय एस भूमि पर कोई विल्लंग्य अधन नहीं करेगा :=1

गुणि का वर्गल				बाल 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिल	त्त्स्ताल	प्रान	अर्जनीय रकवा (हे. में.) लगभग	`	du <mark>:−i</mark>
$(\gamma)$	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
યાર ના	'कोठो	गरल्गा	2.6063	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 नागीद, जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौदसतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उप शाखा नहर की घढेरूआ माइनर के निर्माण हेतु,

अनुसूची

(2) भूमि का नक्सा (प्लान) कार्यालय, कलेजटर (मू--अर्जन साखा) रत्वाना के व्याप्रीलय में देखा की सकता है.

भू अर्जन-प्र.ज. 1464-अ-82-24-25. मूंकि, राज्य शासन को चड़ प्रतीत हो गया है कि इनले लंजमा अनुसूत्री के सामे (1) से (2) में वर्षित मूनि की अनुसूती के खाने (6) में उसके नीत्रे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथव अवश्यकता पड़ते की संमादन है. उस्त राहो पूनि अधिशहण ुंगवांस 2013 की पास 11 की जन्म सा (1) के उन्बंधों के अनुसार एसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आहम की सूचन की जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूधी के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उन्ह मूमि के संबंध में एक्स थार 11 की उन्हार (2) द्वारा ही गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये आधिश्वत करक हूं साथ ही उडिनियम की धारा 11 (4) के अंगनंस कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में केनिर्दिश्व मूमि के संबद्धार नहीं करेगा था कोई संबदाहार नहीं करएमा अभव ऐसी अधिशूचना के प्रकारन की तारीस्य से इस उन्हाय के अधीन कायेग्री को मुसा हो जाने के समय उस भूनि वर कोई विल्लंगग स्तुकित नहीं करेग

अनुत्त्वी

	भूमि का पर्गन			याचा 12 के लिए	सार्वजांगेक प्रयोजन का यण <sup>1</sup> न
जिल	્રક્સીબ	जान	अर्जनीय रकवा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सत्ना	कोर्ज	·	1.7298	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 नागौद, जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद—सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उप शाखा नहर की घढेरुआ माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि क, मक्सा (जान) कार्यालय, जलेक्टर (पू अर्जन शाखा) सत्तन के कार्यालय में देखा जा समारा है।

ू अर्जन-प्राक्त, अ<del>न 82–24–25, २०, ७, 1405–भू-अर्जन</del>-24, नियुंकि, राज्य शालन को चड प्रतीत होका है कि इसले संजयन अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित पूनि की अनुसूची के रहने (6) में उनके सामने दिसे गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अञ्चता अवस्यकता चडने की सभावना है, अतः भूनि अधिव्रहण पुगर्वास 2013 की धार—11 की उपधाश (1) के तन्त्रधों के अंगुलार, एसके द्वारा, राजे संबंधित अतियों को इस आजय की लुघना दी जाती है, राज्य सारान, इसके द्वारा, अनुसूची को खाने 5 में उल्लेखित आएंकारी को लका शूनि के संबंध में उल्ल याचन 11 की उपशास (2) झारा दी गई इपिएयों का प्रधोग करने के लिये प्राह्मिकुत जरता तूं साथ ही अधिनियन की धारा 11 (८) के अंतर्गत कोई भी अलित जरांमेक अधिरहलना विभिन्नित्र पूमि का कोई संव्ययहार नहीं करेना या कोई संवयहार नहीं कराएगा अभ्यमा देसी अधिसूचना के प्रकारान की तासीक से इस अध्याय के अधीन ज्यांगीवाहियों के पूरा हो जाने के रागय जस भूमि पर कोई विल्लंगम सुजित नहीं करेगा —

			0.0.0		
	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए	सार्वजनिक अयोजन का
लिल	ਵਲਬੰਯ	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अध्वेक री	र, ग्रीम
$(\cdot)$	(2)	$\langle 3 \rangle$	(4)	(5)	(6)
सत्तन	မင်္ဂ	करसरा	6.7575	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सत्तना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौदसतना शाखा नहर के बांधी माइनर के निर्माण हेतु,

अनसची

भूमि का नव्दश (स्तान) कार्यालय, कलेव्टर (मु. अजेन शाखा), सतक के व्ययांत्रथ ने देखा का कंकता है. (2)

भू-अर्जन–प्र.क्र. अ–७२- २४- २५- २५- क्र. १४०७–मू–अर्जन- २४. - यूंकि, राज्य शासन को चड प्रतीत होत! है लि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) ें वर्षित भूभि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समने दिसे गये सार्वजनिय अधीजन के लिए अवश्यलहा है, अरुवा अवस्यकता वहने की संगातना है, अतः यही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की घार 11 की स्वथारा (1) के अन्देशों दे अनुसार, चराके द्वारा, ५भी लंबंधित व्यक्तियों को इस आध्य की सूचना दी जाती है. सच्य घासन इसके द्वारा आनुसूची चे खाने हाने टिल्लीरिंग्ल अधिकारी को उवत भूनि के संबंध में उक्ता धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा सी गई शक्तियों का भयौंग करने यो दिये प्राधिकृत करता हूं, साथ ही अभिनियम की धास 11 (4) के अपनंत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिर(कना विनिर्दिण्ड भूमि का योई राज्यवहार नहीं जरेना या कोई राज्यवहार नहीं कचारण अभय देसी अधिसुचना के प्रकाशन जी तालिक से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के रागय तस भूमि पर कोई विल्लंगम सुलित नहीं करेता :--

דני		TT.
ън	T \11	
-1	- 71.1	

भूचे यत्र ्पन				याचा 12 के लिए	स वैक्षांगेक प्रयोजना का
जिला	বট্লীল	र ग	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राप्ति <sub>भू</sub> त २ थिकारी	यणं≻
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	<i>α</i> ોડી	त्तेमरिया	9.5100	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संमाग क्र. १, नागीद, जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौदसतना शाखा नहर के अंतर्गत बांधी भाइनर तथा सेमरिया माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि क नवसा (फान) कार्यालय, कलेववर (मून्अर्जन शाखा), सतना के फार्यालय में देखा जा सकता है.

(2)

भू अलेन जेळ ऊ 62.24.25 पट के 1414 भू उल्लेन 24. चूंकि, चल्प शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (\*) हे (4) में वर्गित भूनि की अनुसूची के खाने (6) में उसके लानने दिये गये संवजनिक प्रयोजन के लिए अवश्यकता है, अधव अवश्यकता नड़ने की स्तावना है, उत्तर भूमि अधिराहम पुनवास 2016 की धारा 15 की उनहार (1) के लगईबी के अनुसार तराजे हु सा सभी सर्वदित व्यक्तियों को इस आधय की सूचना दी जाती है. सच्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अविकारी को उपता भूमि के संबंध में उक्त धार (1) की जाती है. सच्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अविकारी को उपता भूमि के संबंध में उक्त धार (1) की जमाचा (2) द्वारा ही गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राविद्धत करता हूं साथ ही अविनिधम की धारा 11 (4) के अंतमेत कोई भी व्यक्ति प्रत्नेतिक अहिसूचन विनिद्धिय भूनि का कोई संक्रयतार नहीं करेगा का लोई संवयदक्षर नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधियुचना के प्रजाशन की तारीख से इस अध्याय के अभीन जार्यवाहियों के पुरा हो जाने के समय तस भूमि एस कई जिल्लंगम स्तुलित नहीं करेगा 14

अनसची

			- J. G. C. J.		
	भूमि का दर्णन			धारा 12 के लिए	साईप्रतिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राग	अर्जनीय रकवा (हे. में.) लगभग	· · ·	यर्गन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सत्न.	रमुराजननर	र्वाधी	5.5228	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्ययवर्तन परियोजना अंतर्गत नागीद—सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उप शाखा नहर की घडेरूआ माइनर के निर्माण हेतु,

(2) गूमि का नव्यक्त (ग्लान) कार्यालय, कलेव्टर (मू-अर्जन शाखा), रातना के व्यथीलय में देखा जा राज्या है.

भू—अर्जन-प्र.क्ष. अ-82—24—25—वच्चः :415—गू—अर्जन-24 — यूंकि, राज्य शासन को यह प्रसेत होगा कि इससे शंतरन अनुसूत्री के वाने (1) से (4) में वर्णित मूनि की, अनुसूतों के खने (6) में कराके सामने दिये गयं सार्यजनिक प्रयोजन थे लिश आवश्यकता है, अथना उत्तरगकता पहने की संभावना है, अस भूमें अभिन्नष्टण हुनवांस 2013 की धार 11 की रुपधास (1) के अवश ों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तिमों को इस आश्रम की सूत्रमा दी जाती है, राज्य शासन, इसके प्रायं (1) के अवश्व रे के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तिमों को इस आश्रम की सूत्रमा दी जाती है, राज्य शासन, इसके प्रायं, अनुसूत्री थे रवाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमें के संबंध में उक्त धारा 11 की उत्तरास (2) प्रारा दी गई शकेतमों का प्रमोन करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनितम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधेसूत्रना विनिर्दिष्ट भूमें का कंई संख्यतहार नहीं करेगा या कोई संव्यक्तर नहीं कराएना अध्या देश अधिक्रमा के प्रकाशन को सकारान की स्थान से इसी करीन कार्यवादियों के पुरा तो जाने के उन्तर भूमें पर कोई किल्लंगम एजिल नहीं करेगा क्ष

			- 3 K		
	गूंगे का टर्मन			माडा 12 के लिए	साउंद निक प्रयोजन का
जिला	तहसील	गू म	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		वर्मन
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)
सत्त्र	રસુર ૫ નગર	अो⊭की कल।	a.8163	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संमाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागीद—सतना शाखा नहर के अंतर्गत ओढकी माइनर एवं मसनहा सब माइनर के निर्माण हेतु,

(2) — भूनि का गंगर्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू–भर्षान शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है,

3229

.

क्षनुसू रू

## सतना, दिनॉळ 9 जुलाई 202≏

भू अर्जन प्रक्रा 1489 का 82,24,25. भूंपि, रच्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संग्रेजन अनुसूची के खाने (?) से (i) ते वर्णित भूगि की अनुसूची के खाने (b) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवरयवाता है, अथव अवस्थकत पढ़ने की संभावना है, अतः भूमि अविग्रहण मुनवांस 2013 की धारा 11 को उजकरा (1) के लपभंगे के अनुसार उत्तर द्वारा सा संबंधित व्यक्तियों को इस आशव की सूचना वी जाती है, राज्य दासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (a) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूनि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपयोग करने द्वारा अनुसूची के खाने (b) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूनि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपयास (2) हे साथ दी भई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये जाधिकृत करता हूं, साथ ती अभिनेधम की धारा 11 (4) के अन्तता को सुचना के एकशान की जायेल अधिजुचना में विनिधिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार गहों करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कर एना उक्तमा देसी अचिसूचना के एकशान की नाशिख से इस अध्याय के अधीन क यंता हैये के पुरा हो जाने के समय उस भूनि पर कोई दिल्लंगर सकित नहीं करेगा 14

अनसची

			0.0		
	भूनि का वर्णन			भाषा 12 के लिए	शार्वजनिक प्रयोजन का
जिल'	तहसोल	ज्ञम	अर्जनीय एकवा (हे. भें.) लगभग	E	तर्णन
$(\cdot)$	(2)	(3)	(4)	(5)	(Б)
सत्तन	ਹੱਬੇਨਜ	घोट्यं	3,4518	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक7, सतना जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद—सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु.

### (2) भूमि का नक्श (फान) कार्यालय, कलेल्टर (मू–अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

9 अलंग प्र.अ 1470 आ 82 24 25. जूंकि, राज्य शास्त को यह अतीत है कि इससे लंगान अनुसूची के खाने (1) से (4) में धर्मित मूनि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वज नेक प्रयोजन के लिए आवस्यकता है, अथवा अवस्यकता पढ़ने की संभावना है, अतः भूमि अधिग्रहण जुनवांस 2013 की धास 11 को तल्वास (1) के लगवंधों के अनुसार सरके उन गंधी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, सज्य शासन, इसके तास अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, सज्य शासन, इसके तास अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, सज्य शासन, इसके तास अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, सज्य शासन, इसके तास अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, सज्य शासन, इसके तास अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, सज्य शासन, इसके तास अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को संबंधित यहित थारा 11 की अपनेत कोई पी अधित प्रार्थी का अधितूचना में विनिधित्त सूचि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संवयत्वार नहीं कराएगा अथवा देखे अधित प्रथित नक्ते नहीं जरेगा के समय उस सूचि पर कोई विल्लंगन सकित नहीं करेगा क्ल समय उस सूची पर कोई विल्लंगन सकित नहों करेगा क्ल

<u>उन्</u>तूसूची

	भूति का प्रणीन			सास 12 फे लिए	सावेजनिक प्रयोजन का
টিল	तहसील	प्रान	अर्जनीय एकवा (हे. में.) लगभग		<u>च</u> र्गन
(1)	(2)	(1)	(4)	(a)	(e)
सतना	<u>उंक्लेलर</u>	विहत्य	I4.1036	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संमाग क्रमांक–7, सतना जिला सतना (म.प.)	बरमी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका एवं कुंदहरी खुर्द माइनर एवं नीगवां माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूभि का भव्सा (फान) कार्यलय, कलेक्टर (मून-अर्जन शाखा) सतना के कार्नलय में देखा का सकता है.

्रा अजेन अ.इ. 1471-अ-82-24-25.- स्ट्रीके, राज्य शास्ता को यह प्रतीत है कि इससे संजन्म क्षेतुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके रामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अधवा अवश्यकत पढ़ने की संमावना है, 615. भूमि अधिग्रहण पुनवोस 2013 की घार 11 की जमकता (1) के उपमंधों के अनुसार एसके द्वारा समी संबंधिय व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दो जाती हैं. राज्य शास्ता इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उत्तर्भय उसके द्वारा समी संबंधिय व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दो जाती हैं. राज्य शास्ता इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उत्तर्भयों के अनुसार एसके द्वारा समी संबंधित व्यक्तियों के इस आशय की सूचना दो जाती हैं. राज्य शास्ता इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उत्तर्भ खेत उपरा पूर्णि के संबंध में उक्ता धारा 11 की उपयास (2) द्वारा दी नई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये ज़ाधिकृत करता हू साध ही आधे नियन की धार 11 (4) के उत्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अपिसूचना में विनिर्दिष्ट भूने का कोई संव्यवहार नहीं करेना या को संव्यवहार गडी कराएना अथवा ऐसी अधिसुचना के प्रधायन को सारोव्य से इस अप्रायक के अधीन कार्यजाहेकों के पूरा हो जाने के समय एस भूमें पर कोई विल्लगम सजित 1 ही करेगा :

अरसती

			0.74/0		
	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए	स्रवेजनिक प्रयोजनाका
জিল্য	त्रसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में.) लगमग		यर्गन
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(e)
सतना	<u>एं</u> चेतरा	सोगवर्श	3.9592	कार्यपालन यंत्री नर्मवा विकास संमाग क्रमांक-7, सतना जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौदसतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुवे माइनर के निर्माण हेतु

(2) भूमें का नव्यत (फान) कार्यालय, कलेक्टर (मू-अर्जन शास्त्र) सतन के कार्यालय में देख जा राजता है

# च्याना, जिनांक 10 जुलाई 2024

मून-अर्जन-प्र.क 1483-अ-82-24 25. जूंकि रच्य शासन को यह अति। है कि इससे संहल्पने के उपने (1) से (4) में करोंच भूमे की अनुसूची के खाते (6) में एसके सामने दिये गये सार्वजनिक ज्योलन के लिए अवश्वकता है. अथवा अवश्यकत लडने की समाधना है. अत्त भूमें अधिप्रहण पुनर्णस 2013 को धारा 11 की उपधास (1) के अपवंधों के अनुसार उसके द्वारा स्वी संबंधित अधितयों को इस आध की पूचना में जातों है साक शासन, इसके हास अनुसूची के खाने (6) में उस्लेखित अधिकार की संबंधित अधितयों को इस आध की पूचना में जातों है साक शासन, इसके हास अनुसूची के खाने (6) में उस्लेखित अधिकार की उन्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपना से जातों है साथ शासन इसके हास अनुसूची के खाने (6) में उस्लेखित अधिकार की अधिनियन की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिकुचना में दिसिदिध पूलि का कोई संव्यक्तर नहीं करेगा या कोई समय उस पुणि पर कोई में उक्त धारा 11 की अपना के प्रकाशन की तासेख से इस अध्याय के अधिन क येवाहियों के जूर हो जाने जे समय उस पुणि पर कोई में के संसार स्वार्थ की प्रत्य की प्रकाशन की तासेख से इस अध्याय के अधीन क येवाहियों के जूरा हो

		<u> </u>
• X T		
1.74	- Y I	7.11
	N	

	भूमि क. धर्मन			भारा 12 के लिए	सर्वजनिक प्रयोजन का
হিন্টে (	तहसील	भाम	अर्जनीय रकवा (हे. में.) लगभग		वर्गः
(1)	(2)	(3)	(4)	(ā)	(e)
≮तन	र्वचेहर <u>ा</u>	पिपरीकला	1.3284	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संमाग क्रमांक–7. सतना जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागीव—सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की कोनिया सबमाइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का गवशा (फान) क धॉलंथ, कलेवटर (मू अजन शाखा) रातभा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के सज्यपाल के नाम से तथा आवेशानुसार. अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं प्रदेन रापसंचिव.

 $\langle 2 \rangle$ 

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदन उपसचिव, मध्यप्रदेश शारान, राजस्व विभग्ध

#### सीधी, वित्तांक 3 जुल ई 2024

(1) भूमि का विवरण :--(জ) জিলা सीधी (ख) उल्सील चहरी. (ग) प्रान का नाम सदला (प) गिजौ भूमि का अजिंत शेवफल 0.2030 हेक्टेयर धारा 12 के अंतर्गत ম্বর্তানিক মহাজন কা अर्जन हेत् प्रस्तावित रहसरा जम्बर स.क. प्राधिकृत अधिकारी ৯৬লি रकवा (हे. में.) (4) (5) $\left( \mathbf{f} \right)$ (2)(3) मह - (गुलाब आगर्ड) मरियोजना 0.0130 कार्यपालन यंत्री महान 99 1 े बहरी नहर दिस्तार योजना नहर, संमाग सीधी, 2 145 0.1100 जिला-सीधी (म.प्र.) (द्वितीय चरण) के मुख्य पहर а 146 0.6500 निग'ण हेत. 0.0300 4 147 गोन 0,2059

(2) मूमि का नतरा (स्तान) कार्यालय, कप्रखण्ड अधिकारी, बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संग्रॅंधेन परिवारों के पुनर्वाशन और गुनर्व्यदेख्य पन प्रयोजन के जिप अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है, अस: हिसबद कोई भी व्यक्ति इस हेयु सनके समस 60 दिनों के औरर आवैदन कर संकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिकूचना की प्रकारन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी वाक्ति आधिनियम. 2013 की धार 15 के तहत लिखित आधेन प्रस्तुत कर सकते है.

(5) थह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

ःध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुलार, स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसजिव. कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

#### भतम, दिनांक 28 जून 2024

क. 1302-भू-अजंग-2024.—चूंकिं, राज्य शालन को इल बात का समाधान हो गया है कि नोचे थी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णिंड भूमि कों, अनुसूची के गद (2) में उल्लिखिंग सार्यवनिभ प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू बार्जन अधिनियम, 2013 रांशोधन (क्र. एक, रान् 2013) को धार 19 के अंतर्गत इसके हास वह बोषित किया जाता है कि उन्नव भूमि भी ठक्क प्रयोजन के लिये वाक्यकता है:—

#### अनुसूचा

(1) भूमि क, बर्णन—(म, प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सनन
- (ग्त्र) इंडसील—चगीद
- (ग) जगरमाप—चन्दकोनाः
- (घ) क्षेत्रफल—0.1780 डेक्टेजर,

खसत नं		अर्जित रकवा (हे. में)
(1)		(2)
549		0.0450
55D		2,0010
504		3.0020
54B		0.0630
551		0.0470
546		0.0200
	योग	0.1760

- (2) स वंजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आजरतक है कार्थपालन थंत्री, नमेदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिल्ला सडना (म. म.) हारा बरागे व्यप्यर्तन परियांजना में बरगी व्यप्यवर्तन गरियांजना अंतगंत नानौद (सनना), शाया महर के अंदर्गत बन्दकोक गाइनर नहर के निर्माण हेनु,
- (३) भूमि के लक्षों (५०)न) का निरीक्षण, कलेकर (भू-अर्जन), जिला एतन के न्याय तथ में किय जा सकत है.

इ. 1504-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समस्यान हो गया है कि गींचे यो गई अनुमूर्चा के मद (1) में वर्णिट भूमि की, अनुसूर्चा के पद (2) में ठिलिखिद सार्यक्रीक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (फ. ए.६, सन् 2013) की यान 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये। आवश्यक्षत है:—

# अनुजूबी

()) भूमि का जर्मन (म. प्र. शालन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतन्त
- (ख) टहसील—नामौद
- (ग) नगर/ग्राम—छिन्दा
- (u) क्षेत्रगत्त-2.2650 हेक्टेनर.

14	201101	2.24	 V 14 11
	खरास मं,		अर्जित रकवा
			(法, 道)
	(1)		(2)
	803		0,0400
	804		0,0170
	805		0,0130
	806		0.0120
	807		0.0490
	806/1		0.0100
	809/1		0.1440
	809/2		0.0850
	814/2		0.0140
	821/3		0,1070
	822/3		0.012C
	823/1		0,037C
	823/2/1		0,1800
	623/2/2		0.2100
	823/2/3		0.1180
	824/2		0.0130
	875/1/2		0.1760
	639/2		0.0140
	(40/1		0.1330
	(40/2		0.0730
	608		0.2420
	609		0.0120
	610/0/1		C.11R0
	610/0/4		C,1150
	800/1		0,0030
	599		0.1410
	598		0.0090
	148/7		0.0420
	148/3/1		0.2920
	148/2		0.0150
	149/2		0.0060
	149/3		0.0050
		योग	 2,2650

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिंग्रे अर्जन आवश्य भ  $\langle 2 \rangle$ है— कार्यपालन संजी, नर्ददा विकास संभाग कमांक-7, ॉजला सटना (म. प्र.) इस्स अस्ती व्यमजतंत परियोजना में बरमें त्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतन), शाया नहर के थांतर्गत मौहारी वित्तरिका के छिन्दा गाइनर नहर के निर्माण डेत.
- भूमि के तुब्द्रों (ग्लान) का निरोक्षण, कलेक्टर (3)(भू अर्बन), जिला सतना के ज्यावालग में किया जा सकता है,

ज्ञ. 1306-भू-अर्जन 2024.— युंकि, राज्य शासन को इस बाह क) रामाधान हो नवा है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में जणित भूमि की, अनुजुची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू धार्जन अभिनियम, 2013 संशोधन (क. एक, सन् 2018) को थारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह चोषित किया जाता है कि उन्द्र भूमि की अक्त प्रयोजन के लिये आवरमकता है:—

#### अनुसूचा

(1) भूमि का धर्णन—(म. प्र. शासन/निजी घाता)

- निला—सत्रना **(क)**
- तहसील—नागौद (দ্র)
- नगर/ग्राम उरकोनिया कोठार (Ψ)
- क्षेत्रकरी---2.8240 हेक्टेंबर, (N) =

खसरा नं.		अजित स्कर्मा		
		(हे. में)		
(*)		(2)		
230	121	0.5460		
229		0.0130		
232		0.1800		
234		0.4730		
176		0.1420		
175/1		0.0850		
174		0.0120		
165/1		0.2130		
165/2		0.0370		
164/2		0.0130		
169/1		0.2330		
162/%		0.0190		
109		0,090C		
210 U		0,0020		
15771		0.0190		
158/1		0.1120		
13		0.0030		
139		0.0250		
133		0.0320		

(1)		(2)
137		0,0600
136		0.0550
135		0.0660
47		0.0020
43		0.0820
45		0.0400
40/1		0.2340
44		0.0080
235		0.0130
181/1/23		0,1400
182/2		0.0350
14G		0.0090
39		0,0150
233		0,0120
	योग	 2.8240

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक  $\langle 2 \rangle$ है— कार्वपाहन चंत्री, क्वंदा विकास संभाग क्रमांक 7, जिला सतना (म. प्र.) हास बरमी व्यप्रवर्तन परियोजना में बरगी व्यपनतेन परियोजना यांतगंत महाँद (सतना), शाखा नहर के अंतर्गट जमरहाट वितरिका के कचनार खबमाइनर−1, नडर के ज़ेमीप देव.
- भूमि के जक्से (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (3)(भू-जजेन), जिला सडना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क. 1309 भू अर्जन-2024.—चूंकि, रज्य शासन को इस बात का समध्यान हो गया है कि नीचे दो गई अनुसूची के पद (1) में बर्णित भूमि की, असुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू धार्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क. एक, सन् 2015) की थार, 19 के अंत्रगंत इसके दूसी यह चोषित किया जाडा है कि उम्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये ानस्वकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्शन—(ग. प्र. शासन/तेजी खहा)
  - (4) जिल —मता
  - রস্তর্মানে— নাগাঁব (অ)
  - नग⊽ग्राम—रेरूआ खुर्द (T)
  - क्षेत्रफल— २,४४३० हेक्टेयर (च)

रबसर न	आंदीत रक्तय
	(ह, में)
(1)	(2)
651	0.0400
653/2	0.2510

Гинч п

भाग 1 ] -----

1326

1316/2

0,145

0,924

10 C 10				
	(1)	(2)	(1)	(1)
	554/1/1/2	0.1200	13/17/2	0.248
	655	C. 1 190	13/18/2	0,012
	656	0.0370	883/2	0.251
	657		682/3	0.014
		0.2630	681/3	0.055
	661	0.0190	681/4	0.091
	योग	0.8430	680/7	0.009
(0)		'जन जिसके लिये अर्जन आवश्यक	67972	0.154
{2}			678	0.003
		रत यंत्री, चर्मद पिकास संभाग	677/1	0.023
		ला सतना (म. अ.) होरी बरगी	677/2	0,028
		ोजनः में बरगो ज्यपजर्तन परियोजना	676	0.004
		(सदना), शाखा नहर के अंतर्गत	675	0.077
		का के अकौना खुर्द माइनर २, नहर	674/1	0.061
	के निर्माण हेतु,		660	0.049
(3)	भूमि के नवस	(ग्लान) वा निरीक्षण, कलेक्टर	668/2	a, 502
/		जला सचना के ज्यायालय में किया	<del>6</del> 61	0.070
	जा सकता है.		667	0.005
	-		666	0.009
		—चूंकि, राज्य शासन को इस बात	662	0.042
		गे दी गई अनुसुची के एद (1) में	663	0.010
		ाट (२) में टल्लिखिड सर्गजनिक	656	0,057
		अतः भू-अर्लन अधिनियम, 2013	657/1	0,002
		को धार, 19 के अंतर्गत इसके हास	630	0.011
		क्त भुमि को उक्त प्रयोजन के लिंगे	631	0.051
त्वरणगत्वा है:-	_		629/2	0.057
	বার	[सूचो	628	800.0
	a		627	0,100
(1) ๆ	ાય તહે નાયને— ()	म. प्र. शासन/निर्मी खाता)	626	0,084
(क)	) जिला—सनन	г	350/1	0.103 0.009
(रत्र)			559/1 558/1	0.009 0.031
(7)			219/2	0.010
(घ)			218/2	0,247
1.17			217/2	D.C9C
	र्यसर्ग 🖻	शार्थित ∖कब। ८२-२४	216/1	0.016
	<i>(</i> )	(हे, में)	216/2/1	0.085
	(1)	(2)	216/2/2	0.018
	1437/1	0.000		
	1430	0.016	225/2/2	0.111
	1429	0.087	214/2	0.031
	1428	0.007	चरेन	2,980
	1324	0.086		जिसके लिये शर्जन शावश्यक
	1323	0.091		ाजरका छव गणन आवस्क अंजी, नर्गदा विकास संभा
	1322/2	0,013		समा, नगवा विकास सम राजा (म. प्र.) द्वारा बर
	1321/2	0,083		्रा से बरती व्यपचनने परियोज
	1325	0,020		गाम प्रस्ता व्यवस्ता संस्तात स्तन्त), इतर्या नहर के अंतर्ग
	1326	0.145		

3235

चन्द्रकोया माइनर के माड़ाटोला सबलाइनरना तहर

के निर्माण हेतू.

(३) भूमि के ज्वरो (ग्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू शालन), जिला सतना के ज्यायालय में किया जा सफता है.

ज्ञ 1211-भू-अर्जन 2024.—चूंकि, राज्य शालन को इस वान का समाधान हो गया है कि नीचे को गई अतुंधूनी के पर (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूधों के पर (2) में उत्तिलधिद सार्ववानक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू धार्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) को धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रवोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भ्वि का वर्गन—(म. फ्र. शासन/निजैः खाता)

- (क) जिल्ला स्वत्मा
- (ग्व्र) तहसील—नामौद
- (ग) नगर/वाध— फ़्लैयाउटमुक
- (भ) क्षेत्रफल—1,5860 हेन्स्टेयर

खसरा नं.	আর্তি ধ্রুবা (इ. मॅ)
(1)	(2)
204	0.0460
204	0.0070
707	0.1260
	0,0360
201	
189/1	0,1100
189/2	0.1030
190/2	0.0100
183	0.1600
182/0	0.0220
191/2	0.0070
192/2	0.0080
181	0.0530
175/1/2	0.1020
175/2/2	0.0070
176/1	0.0050
74/2	0,0130
173/1	0.0730
173/2	0.0090
173/9	0.1730
172/2	0.0200
1/19	0.1200
140	G. 1050
039/1/1/2	0.0610
139/2/2	C.0460
142/5	0.0620

(1)		(2)
142/2		0.0080
	योग	 1.5860

- (2) शार्वज्ञीत्व प्रयोजन जिलके िंथे अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यांत्रो, नर्गदा विकास संभाग क्रामांक-7, जिल्हा क्षतना (म. प्र.) हारा जर्स्या ज्यपहर्तन परियोजना में बरसी व्याजर्तन गरियोजना अंतर्गत नागीद (स्ततना), शाखा ल्हर के अंतर्गत जमरहाट विद्रशिका के सहौयाउनमुक्त माइनर जेहर के निर्माण हेतू.
- (3) भूमि के नभ्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेकर (भू-अर्जन), जिला रातण के न्यायालय में किया जा सकता है.

9. 13:2-भू-अर्जन-2024.— दूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि तीचे दो गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिघित सापंडरिक प्रयोजन के लिये आत्मरयकता है, अतः भू-अर्जन आधिनियम, 2013 रांजोधन (क्र. एक, सन् 2013) की घरा 19 के अंतमंत स्वर्फ डारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त ज्वीजन के लिये आवश्यवता है:—

# अनुसूची

(1) भूमि का वर्गन—(म. प्र. सामन/निजी खाता)

- (क) जिला—सहना
- (ख) तहसील—नामीव
- (ग) नगर/ग्राम --अरह
- (a) क्षेत्रफल—1,32 हेक्टेयर.

खसरा है	अर्जित रकवा
	(हे. में)
(1)	(2)
292	C.067
296	0.017
797	0.009
798	0.006
299	0.035
90 I	0.036
302	0.033
906	2.070
332	0.031
333	0.014
334	0.036
335	0.103
336/%	9.034
336/2	0.050

मध्यप्रदेश गजपज, दिनांक 12 जुलाई 2024

3237
-

भागा.		मध्यप्रदश गजपज, दिनाक 12	. gelis 2024	
	(1)	(2)	(1)	(2)
	36471	0.006	762/1	0.002
	383	0.028	800/2	0,085
	381	0.102	601/1	0.009
	380	0.607	601/2	0.021
	378/1	0.046	602/1	0.048
	378/2	0,340	502/2	0.03R
	376	0,029	612/1	0.002
	375	0.018	611/1	0.097
	371		641	0,040
		0.013	643	0,169
	369/7	0.196	620	2,030
	368/2	0.012	621	0.034
	366/2	0.064	622	0.046
	367	0.045	625	0.027
	वांग	1.1.32	623	0.002
			624	0.069
$\langle 2 \rangle$		जिम जिसके लिये अर्जन व वश्यक	525	0,007
		नन खंजी, नर्गदा विकास रोभाग	558	0,071
		ला स्वत्रा (म. प्र.) हारा बरगे	359	0.045
		)बना में खरगां व्युगवर्तन परियोजना (राजार) जिल्हा कर के अंतर्णन	550/1	0.016
		(रातना), ज्ञारवा नहर के अंतर्गत हा के बमुरहिंचा माइनर व हरदुआ	550/2	0.017
		ग के अनुसर्फ ग्रेश र स्टब्स् नर नहर के निर्माण हेतु.	561	0.083
(3)		(ग्लान) का निरीक्षण, अध्येक्षर	358	0.048
(2)		राधात) के गरावा, कराकर बेला सतता के जावालय में किया	363	0.007
	्यू कणन7.। जासकताई.	લેલા સંદેશી માં આવારાય માં ઉત્પા	364	D.045
			365	0,050
		– चुंकि, राज्य शासन को इस बात	368	0,044
		वे दी गई अनुसूची के पद (1) में	367	0,003
		ाद (2) में उल्लियित सार्ववनिक	3/3	0,207
		अधः ग् अर्जन अभिगियन, 2013	374	0.010
		को धारा 19 के अंतगंत इसके क्षध	376(1/1	0.054
		13 भूमि को जब्द प्रयोजन के लिये	376/1/2	0.009
आवश्यकता है:-			376/3	3,006
	અન્	ुसूची	377/1/1	2.015
(*). ¥f	– – – – – – – – – – – – – – – – – – –	म. प्र. शासन/निवी खाडा)	378/1/1	0.035
			378/3	0.010
(জ)	-		188	0.647
(고)			189	0.038
	नगर/ग्राम—म		193	0.017
(고)	क्षेत्रफल— 3.1		197	0.002
	खसग्र हैं,	અર્જિત પ્લન્ગ	222	0.024
		(훈. <sup>2</sup> )	194	¢.005
	(1)	(2)	226	C.042
	764/1	0.225	225	0.040
	764/3	0.420		
	763	0.025		

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिगांक 12 जुलाई 2024

3238		મભ્યત્રણ દેવાલન,	iquisi 12 gena	2024	
	(1) 201	(2) 0.007		હાસરા 'મેં.	आर्नित रक्रमा ४२ २४
	202	0.003		7-5	(≷, ≚) (2)
	201	0.043		- (1) 	(2) 0.035
	704	0.052		420/1	
		0.027		470/2	0.063
	76	0.029		421	0.028
	75			425	0.033
	85	0.001		419	C.UU7
	33	D.C 18		252/2	C.041
	74	0,043		253/2	0,030
	72	0.091		253/3	C.021
	73	0.009		751	0.051
	71	0.184		250/0	0.010
	70	0.024		250/2	0.028
	69	0.011		243/0	0.088
	32/ 3	0.003		242/0/0	0.007
	36	0.145		240	0.040
	99	0.002		233	0.074
	839	0.057		229/1	0.020
	28	0.090		229/2	0,063
	चोग	3.190		228	0.018
				221	0.093
(2)		तराके लिये अर्जन आजश्यक		220	0.008
		त्री, तमेदा विकास संभाग		219	0.041
		डना (म. प्र.) द्वरा वरणी हे के कर का जिल्ला		213	0.079
		में बरगी व्ययतदेन एरियोजना। =>		200/1	0.040
		त.), शाखा नहर के अंतर्गत गलनवीं खुई माइनर जहर		199	0.053
	ेक निर्माण हेतू.	ાશ્વનના ભૂજ વારાજ જ		198	0.008
<i>/-</i> 1	-7			198	0,060
(3)		<li>(4) क गिरीक्षण, कलेक्टर</li>		195	0,033
		ua-1 के न्यायालय में किया		191	0,005
	जासकता है.			192	0.035
<b>承</b> 、13145	<u>हू</u> -अर्जन-2024. च्	r, राज्य शासने को इस बात		193	0.022
का समाधान हो	गया है कि नीचे दी ग	ाई अनुसुची के पद (1) में		183	0.002
वर्षित भूनि की	, अनुसूची के पद (2	) में २हिलाख़ित सार्वजॉनक		196	0.042
		भू-अर्जन अक्षित्रियम, 2013		182	0.02/
संसोधन (क्राय	क, सन् २०१३) की थ	RF 19 के अंडनेत इसके द्वारा		185	0.041
খর মাটির ক্রিয	) त्राता है कि उक्त भूां	में को उबत प्रयोजन के श्लेबे			C.02R
आवश्यकता है:-	-			184	
	अनुसूची			187	C.036
				1/4	C.014
	ப் தா சா≣ு/ம ப	शासन/निजी याक)		173	¢.034
(1) 및	of the state—( d, M				
	-			177	C.005
(क)	विलास्तन्य			37.1	0.021
(क) (ख)	-				

भाग	11	

भाग 1]		मञ्मप्रदेश राजपत्र, र	ମୋକ 12 ଶୁମାହ ଅନ	-24	
	0	(2)	(ד)	नगर/ग्राम—-	
	167/1	0.056	(P)	ঐসণ∞ল—2	.562 हेजरेयर.
	162/2	0,018		શ્વસંશ મેં,	अर्थित (कबी
	158	0,100			(हे. में)
	157	0.048		(1)	(2)
	155	0.055		684	C.084
	118	0.062		687	0.035
	347	0.046		<del>6</del> 88	0.104
	146	0.007		689	0.074
	145	0.087		695/1	0.046
	144	0.019		895/2	
	143	0.056		697/1/0	
	142	0.004		697/1/2	0.031
	141	0.038		697/2	
	150	0.003		692	0.006
	454/1/2	0.070		699 704 rd	0.023
	454/1/3	0.054		701/1	0.022
	454/1/4	C.007		700	0.023 0.062
	453/1/2	0.009		649	
	453/1/3	0,008		648/1 648/2	0.057
	453/1/4	0.001		847	0.072
	431	0.028		633	0.008
	432	0.026		634	0,026
	426	0.077		635	0.002
	بناء. م			619	0, DR7
	·+1+	2.311		620	0.053
(2)		पोजन जिसके लिथे अजेन आवश्यक		621	0.012
		लन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग		606	0.008
		जला सतना (म. त्र.) हारा बरणी		622	0.070
		थोळना में वरनी ज्यपजर्तन परिथोलना		623	0.002
		( (सतना), शाख २६१ के अंतर्गत		589	0.018
	~	रमाइनर १, ७ नहर के निर्माण हेतु.		588/1	0,039
(3)		शे (प्लान) का निर्राक्षण, कलेक्यर		588/2	0.031
		जिला राजना के न्यायालय में किया		586/7	0,022
	जा सकता है.			593	0.020
ob 1315-	- भ-अनंछ-७७२४.	—)्रॉ्क, राज्य शासन को इस वाड		595	0,011
का समाधान ।	ो । या है कि नी	चेदी गई अनुसूची के नद (1) में		783	0.025
ৰাটিত গানি ল	ही. अनसची के	uc (2) में उल्लिखित यार्वजनिक		784	0,009
प्रसोजन के 6	। ये आवश्यकता है	. अतः भू अर्जन अधिनियम, २०१३		765	0.068
संशोधन ( <b>क्र</b> .	एक, सन् 2013)	की धाराँ 19 के अंतर्गत इसके द्वारा		345/1	0,059
गड़ कोणित भि	थ जाता है कि उ	उबत भूमि को ठबत प्रयोजन के लिये।		345/2	0.002
आवश्यकदा है				344/1	0,001
	સ	भुसूची		342/1	0.009
(1) 3		(म. प्र. शासन/त्तिजी खडा)		342/2	C.070
	~			343/1	C.042 C.003
(4	<ul> <li>,) दिला—सत</li> <li>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</li></ul>	ना 		345/2	0.005

(ख) ३३सील—न्य्येद

ि≌त 1

0.0430

0,0370

664

66Z

-

	(*)	(2)	क. 1317-भू-अर्जन-2024.—	चुंकि, राष्य शासन को इस बाव
	340	0.048	का समाधान हो गया है कि नीचे	दी गई अनुमूचा के पर (1) में
	339	0.047	न्द्रणित भॉम की, अनसची के पद	(2) में उल्लिखित सार्वजनिक
	334	0.072	्ययोजन के लिये आयश्यकता है. व	प्रतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013
	334	0,077	यंगोधन (क. एक. यन 2013) मे	ी धारा १५ के अंतगंत इसके द्वारा
	332	C.D48	यह घोषित किया जाता है कि उक	r पूथि को उक्त प्रयोजन के लिये
	291	0.065	आवश्यकता है:	
		0.026	અનુસ	तूची 
	292 283	0,001		
	333	C.UU1		
		0.001	(क) जिल,—सदना	
	335 279	0.065	(ख) तहर्साल—नामौ	
	280	0,025	<ul> <li>(ग) नगर/याम—त्तुर</li> </ul>	
		0.057	(ম) ধ্বীস্পল—2-12	130 हेक्टवर,
	282	0.023	खासरा नं.	आर्थित एकभा
	277	0.062		(हे. में)
	276	0.055	(1)	(2)
	764	0.020	1263	0.0080
	271	C.003	1266/1/1	0.1150
	266	0.015	1265/1/2	0.1150
	267/1	0,050	1267/1/2	0,0200
	267/2	0.052	990/1	0.0430
	237	C.057	990/2	0.0520
	236	0.027	989/1	0.2300
	235	0.0027	989/2	0,2460
	277	0.041	979	0.0910
	228	0.041	975/1	0,1360
	279	0.051	975/7	0.0100
	200	0.030	976/1	0.0090
	701	0,016	945	0.0250
	205/1/1	0.001	951	0.0810
	199	0.136	946	0,0200
	197	0.009	950	0.0610
	196	0.001	949/1	0,0660
	194	0.053	949/2	0.0330
	193	0.035	968	0.087Č
	192		947	0.0090
	य	ज 2.562	672	0.1480
(1)	कार्यन्तिन व	ग्रोजन तिसके जिथे अर्जन आवश्वक	675	3.0640
(2)		गलन यंत्री, नर्गदा विकास संभाग	6/3/1/2	0.0350
	क्रमोब-7	जिला सहनः (म. प्र.) ६९ बरगे	673	0.0130
	त्यण्डतंन प	रेथोळता में अरगी जागवतन परियोजना	6/4	0.0560
	अंतर्गत स्थ	द (मतना), शाया नहर के अंतर्भव	565	0.0040
	লন্যক্রেখ্যা স	गुइनर नहर के निर्माण हेर्दु,	651	0.0700
1.55		(ग्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर	663	0.0510
(3)	·بار- م. ۲۰	Market and the second s	00.	a 0420

 (३) भूमि के नन्द्रे (ग्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के जाग्यलय में किंग जा सकतः है. भम्यप्रदेश राजगत, ग्रॅंटनॉक 17 जुलाई 2024

	_		-	
٩ï	ाग	1	1	

(1)			(2)
518/1			0.0240
618/2			0.0570
617/3			0.0730
817/4/1			0.0210
817/4/2			0,0420
617/S			0,0320
614			0.0100
613			0.0060
	चांग		2.1230

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिथे अर्डन आवश्यक है — कार्यतालन थंजी, तमंदा विकास संभाग क्रमांक 7, जिला सडता (न. प्र.) द्वारा वरगी व्यपतर्वन परियोजना में बरगाँ व्यवचर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना), शाद्या नहर के अंतर्गत उमरो माइनर नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के तकड़े ("लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू आर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा राकता है.

क. 13/3-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का सनाधात हो गया है कि तोचे दी गई अनुसूचों के एव (1) में वॉर्णत भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित मार्जजनिक प्रयोजन के लिये आयश्यकता है. अत: भू-अर्जन आर्थनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की थारा 19 के अंतर्गत इसके द्वार यह त्रोधित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्ता प्रयोजन के लिये आयश्यकते। है:---

### अनुसूची

(1) भूमि का प्रणंत-(4, 9, शास्त)/तिनी खाडा)

- (क) जिली—संद्रमा
- (ज़) तहसील नागौद
- (ग) नगर/जन्म-कटवरिया
- (च) क्षेत्रफल— २.५५५० इंक्टेंबर,

ग्रन्नसरा न	अর্জির- কেন্স
	(歳,书)
(1)	(2)
414/1	0.0260
416/1	0.0130
452/1	0.1770
412/2/1	0.1600
412/2/2	0.0830
412/2/3	0.2540
409/1/1	
409/1/2	
409/1/3	
409/1/4	
409/2/1/1	
409/2/1/2	0.3060

(1)			
409/2/2/1/1	1		
409/2/2/1/2			
409/7/2/2			
109/2/3/1			
409/7/3/7	1		
	वांग	į,	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्थन आवश्यक है— कार्वपालन यंत्री, नर्षदा धिकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा वरगी व्यायवर्तन परियोजना में बरगी व्यावर्तन गरियोजना अंग्रगंत नगीड् (रातना), शाखा नहर के अंग्रगंत जिन्दकोवा माइनर के चन्द्रकोवा सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2)

0.9590

(3) भूमि के दबरों (प्लान) का निरीक्षण, करीकर (भू-अर्जन), जिला सनना के त्यायालय में किय वा यकता है.

क. 1919-भू-अर्तन-2024. चूंफि, राज्य शासन को इस बाठ का समाधान हो गया है कि नीचे दो गई अभुपुती के पद (1) में बॉणेंत भूमि की, अनुसूचो के पद (2) में डल्लिखिड सार्यजानेक प्रयोजन के लिये आवश्यकत है. अड: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 मंशोधन (अ. एक, अन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इलके द्वारा यह भोषित किया बाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:---

#### अनुसुमी

(\*) भूमि का वर्णनं (0, प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतन्त
- (ख) तहसोल—नागौद
- (ग) नगर/फाम गणना गणव
- (고) 참기하여— 1.012 इकेयर.

खत्तरा नं.	क्षजित स्कृत्र
	(हे. में)
(1)	(2)
137	0,^44
145/1/1	0.025
145/1/2	0.076
145/1/3	0.028
145/2/1	0.035
145/2/2	0.024
145/1	0.045
146/2	0,091
145/3	0.077
147/2	0.075
147/3	3.080
176/1	
176/2	0.340
176/3	

4

3242		मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाय	⊳ 12 जुल <b>६</b> 2	024	्षाग
	(;)	(2)	· · · ·	(1)	(2)
	175	0.137		236/2	0.0100
				337	C.0070
	વા	1.012		336	0.0510
(2)	सार्वजनिक प्रय	गेजन जिसके लिये अर्जन आवश्य∿		335	0.0040
•		तन यंत्री, तनंदा जिंकास संभाग		334	0.0340
		तला सतन, (म, प्र.) हारा अश्मे		343	0.0160
	व्यवचर्तन अस्मि	ग्रेडना में चरनी ज्यम्यर्चन परियोजन		333	0,0010
	अंधर्ग ध नागीद	(सतना), शाखा नहा के अंतर्गत		345	3.0490
	ः।इपुर माइनर	तहर के निमांग हेतु,		347	0,0490
(3)	भूमि के न स्थे	। (प्लान) का निरोधण, कलेक्स		389	0.0040
(27		जिला राद्यमा के ज्यावालय में जिला		348	0,0310
	जा सकता है.			349	0.0050
				385	0.0010
末、1320	শ্ এজন-2024,	—चूंकि, राष्ट्र भाषन को इस वात		384	0.0470
का संगायान ह	हो गया है कि नी	चे दो गई अनुस्ती के गद (1) में			0.0050
ৰণিঁৱ খুমি ব	मों, अनुसूची के <mark>'</mark>	क्ट (2) में डॉल्लियित सार्वजनिक		359	
		. अतुः भू-अर्जुन आंधनियम, 2013		380	0,0520
रांशोशन (क्र.	एक, सन् २०१३)	<li>भी धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वार </li>		381	0.0190
		क्त भूमि की उच्छ प्रयोजन के लिये		378	0.0430
আত্তংগকরা है				444	0.0150
		नुसूची		377	0,0040
(1) 5	भूमि का पर्णनः (	.म. y. शासन/तिजी खाता)		445	0.0740
(7	-) (	4		450	0,0050
(क (क				445	0.0130
(ড (ম	r -	-		44R	0,0630
(শ (ম		गढ़ दाला 9430 हेन्स्टेथर		452	0.0050
(1	-			465	0,0680
	खसरा मे	आर्जित एकबा		466	0.0910
		(素 単)		468/679	0,0090
	(1)	(2)		468/678	0.0770
	32	0.1240		476	0.0110
	3.3	0.0550		475	0,0550
	36	0.0160		488	0.0580
	34	0.0150		489	0.0530
	255	0.0/30		490	0.0210
	254	0.0420		योग	1.9430
	246	0.0230			
	24.5	0,0500	(2)		जन जिसके लिये अर्जन आवश्यक
	74.4	0,0070			म यंत्री, -एंदा विकास संभग
	262	0.0350			ला सतना (म. प्र.) झर बरनी
	203	0.0060			(जन) में चरगों जनवर्तन परियोजना
	241/1	0.0350			(सत्ता), शाया नहर के अंतमत
	241/2	0.0370		वन्दकोजा माञ	गर तहर के निर्मात हेतु.
	24CV 1	0.0110			
	209/0	C, 1180	(3)	ਘਇ ਨੇ ਜਾਮੀ	(५९१) का निरंक्षण, जलेत्रटर
	239/2	C. 1740 C. 2490	1.47	-	जेलः स्तृता के न्ययलय में किला
	235	C.1680 0.00000		्मू-जन्मग्रा । जा सकता है.	
	236/1	0.0010		भा सक्ता ह.	

3242 \_ भाग । ]

આવસ્વનના ઉં:---

	~
- अनस	4

चह कोभिड किया जाता है कि उक्त भूमि को उका प्रयोजन के लिये

(1) भूमि का चर्णन—(म. प्र. शासन/निबी खन्दा)

- (ব্রা) জিলা--ধরনা
- (ख) तहसील—नामौद
- (१) नगरप्राम—माहावेला
- (घ) क्षेत्रफल—0.427 हेग्ग्टेयर.

खसरानं.	;	अर्जित रक्तवा
		(इ. में)
$(\gamma)$		(2)
668/2/1		2.170
666		0.101
865		0,135
664		0,001
	યોર ુટ્ટ	0,427

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपाछन यंत्री, चपंदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (च. श.) द्वरा वरगी ज्यावर्तन पारंगोजना में घरगी व्यवतंत्री परियोजना अंतर्गत नागीद (सटना), शाखा गहर के अंतर्गत चन्द्रकोआ माइनर के माहाटोला संजमाइनर 1, नहर के चिर्णाय देव.
- (3) भूगम के नजशे (प्लान) का तिरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), खिला सतना के न्यायालय में किया का सकता है.

क्र. 1322-भू-अर्जन 2024.— प्रॅंकि, राज्य शासन को इस यात का समाधान हो गया है कि नीचे दो गई अनुसूची के नद (1) में वॉणेंग पूमि को, अनुसूची के गद (2) में उल्लिखित मार्गजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक. सन् 2013) की थारा 19 के अंदर्गद इसके द्वारा यह घोषित किया जाना है कि दलत भूनि की ठक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकना है:—

#### अन्तूची

(\*) भूमि का वर्णन—(म. ए. हामन/निजी खातः)

- (क) जिला–सततः
- ( ख) तहसील—नामौद -
- (4) भगर/ग्राम-कोनी एण्डायाली
- (घ) क्षेत्रफल—0.8190 हैन्स्टेयर.

		(हे. मैं)
(1)		(2)
-67		0.1160
66		0.0620
69		0.0040
S8		0,0330
57		0,0930
56		0.1490
55		0.0070
54/1		0.0600
83		0.0020
84		0.0020
49		0.0480
85/1		0.0700
85/2		0.0060
86/1		C,0100
R&/2		0.0440
87/2		0.0090
89		0.1580
46/1		0.0020
	योग	C.R190
· ·	F	

લસવા મેં.

(2) सार्वजनिक जयोजन जिसके लिये अर्बत आपश्यक है- कार्यपालन बंबी, तनदे। लिक स संभाग क्रमांक 7, जिला सतना (म. म.) हारा बरणे व्ययवर्तन नारेयोजना में बरणी ज्यवर्वान परियोजना अंतर्गत नागेंद (सतना), झाखा नहर के अंतर्गत उमरी माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) गूमि के नक्ये (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्स (भू-अजंग), जिला सतना के जागालन में किया क: सकता है.

# अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णने (म. प्र. शासन/निजी ख)ता)
  - (क) दिला—सतना
  - (ख) तहर्साल—नागौद
  - (4) नगरत्वोन—गौराः
  - (२८) संत्रभूले— २,६६८० इक्टेंगर

आंर्जित रक्तव

मध्यप्रदेश राजपल, दिनांक 12 जुलाई 2024

खसरा नं.		अर्जित स्कबा
		(हें, में)
(1)		(2)
169/1		0.0620
172		0.0110
171		D.C89G
162/1		0.0670
173		0.0100
174/1		0.0240
174/2		0.0740
(78/1		0.0080
178/2		0,0950
177/265/2		0.0400
177/265/2		0.0680
177/1		0.0440
177/2		0.0600
083/7		0,0030
	र्योग .	. 0.6600

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिंग अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन चंत्री, नर्नदा विकास रॉभाग क्रमांक-7, जिल सतना (म. प्र.) हाए वस्मी व्यपवर्तन परियोजना में बरणी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नामीद (सत्रमा), शाखा नहर के अंत्रर्गत गौरा माइनर नहर के निर्माण हेनू,
- (3) भूमि के नक्से (प्लान) का निरोक्षण, कलेक्टर (भू-अजेन), जिला सहना के न्यापालय में किया जा सकती है.

(त) 1327- भू-अर्जन- 2024.— प्रेंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गए। है कि नीचे दो गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूषि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित आर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (ऊ. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जातः है कि उन्हा प्रेंकि कि दिव्द प्रयोजन के लिये अनुवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) >	भूपि क	-avी—(न,	я.	शत्मन/निजी	ধ্বার	>
-------	--------	----------	----	------------	-------	---

- (क) जिला—सतना
- (गत्र) इडसील जनीद
- (ग) जगर/ग्राम—शाहपुर
- (५) क्षेत्रफल—с өзер हेन्द्रेयत.

खसर न	अजिंद रकव
	(हे. में)
(1)	(2)
218/2	C.0910
219/2	0.0070
र	ने c.0950

- (2) मार्यजनिक प्रयोजन जिसके लिये अलंग आजरण्ड हे— कार्यपालन चंत्री, नर्मदा विकास रॉभाग क्रमांक 7, जिल सतना (म. प्र.) द्वारा वरणी व्यएहर्तन परियोजना में बरणी व्यप्ततेन गरियोजना अंतर्गत नागीद (सडना), झारबा नहर के अंतर्गत चन्द्रकोया माइनर के साहारीजा अबमाइनर-2 नहर के निर्णाय हेतु.
- (5) भूषि के नगरे (प्लाग) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिल सतना के न्यायालय में कियों जा सकता है.

क. 1330 भू आजेंन-2024.—चूंकि, राज्य शालन को ३स वरव का सनापन हो गया है कि नीचे दी गई अनुस्र्यी के पद (1) में यणिंत भूमि की, अनुसूची के नद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिने आवश्य कडा है. आतः भू-अर्जन अर्धिनियम, 2013 संग्रोधन (अ. एक. सन् 2013) वर्ता घारा 19 के थांत<sup>1</sup>वे इसके द्वारा यह वोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/हीलो खाता)
  - (क) जिला—सतना
  - (ख) तहसील नागौद
  - (ग) चगर/ग्राम-चकटवरिक्ष
  - (भ) क्षेत्रफल-2,3690 हेवटेयर.

खरास गं.	आर्जित एकवर
	(हे. में)
(1)	(2)
68	0.2510
67	0.0070
66	0,0530
65/1	0.0550
54	0.1760
63/1/1	0.0350
63/1/7	
61	0,0758
82/1	0.2960
62/2	
106	0.0000
103	0.1110
(C2/)	0.1120
102/2	
101	0,3200
175	0.0780
. 77	0.1530
176/0	0.0140
176/2/1	0.1360
176/2/2	0.1120
176/2/3	0.0060
182/1	0.0040

भरग 1 |

		4.5
(1)	(2)	(1)
187/1/4	0.1100	6C/7
187/2	0.0080	58
186/0	0.0590	69
186/2	0.1290	5271
186/3	0.0590	62/2
185/2	0.0260	52
ચોમ	2,3690	53
		.54
	- the second sec	77/11

- (2) मार्ग्स्टनिक प्रयोजन जिसके हिंग्ये अजिन आवश्यक हे— कार्यपालन योत्रो, नर्मदा विकास संभाग क्रन्सॉक-7, जिला सतना (म. प्र.) इ.स वरमी व्यपवर्त्तन गरियोजना में अश्मी व्यपवर्तन मरियोजना अंतर्गत नामौद (स्ट्रतना), शास्त्रा नहर के अंतर्गत शाहपुर माइनर नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (फ्लान) का लिरीक्षण, कलेक्टर (भू–अर्जन), जिला जतना के न्यायाखय में किया जा राकता है.

अ. 1332-भू-अर्जन-2024.— युँकि, राज्य शासन को ६४ त्राद का समाधान हो गया है कि नोचे दी गई अनुसूची के ५८ (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकहा है, अतः भू अर्थन वर्धित्यिम, 2013 संशोधन (क्र. ६४, राग् 2013) को थारा 19 के अंतर्गत इसके दास यह त्रोषित किया जाता है कि ठका भूमि की टका प्रयोजन के लिये आवश्यकती है:—

### अनुसूची

भूषि क: वर्णन—(म. प्र. शासन्/नेजी खाता)

(क्ष) तहसील—नामौद

(4) नगर/ग्राम—रहिकवारा

(m) #3456-1,4550 278244

खसरा नं.	आर्जित रू७ब। (हे. 7)
(*)	(2)
165/2	0.0500
88	0,0180
159/1	0,0160
158	0.0700
90	0.1270
89	0.0100
45	0.2350
96	0.0100
97	0,1190
98	0.1310
99/1	0.1110
54	0.0300
60/1	0.0150

07			247
60/2			0.0250
58			0.0120
69			C.0100
52/1			0.0290
62/2			0.0340
52			0.0320
53			0.0540
54			0.0150
7/1			0.1500
7/2			0,0320
5			0.0020
3/1/1			0,1180
	યોગ	$\hat{\mathbf{r}}(\mathbf{r})$	1.4550

(2)

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन लिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यनालन खंत्री, नगंदा विकास संभाग क्रमांक 7, जिला सहन (म. प्र.) द्वरा बस्मो ज्यावर्तन परियोजना में क्रमी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागीद (सतना), झाखा नहर के अंतर्गन चन्द्रकोय पाइंनर के अन्द्रकुड्या सबमाइनर 1 नंदर के निर्माप हेत.
- (3) भूमि के नक्ले (प्लान) का सेरोक्षण, कलेक्टर (भू अर्जन), जिला सतना के त्यायालय में किया जा सकता है.

क. 1333-भू-अर्जन-2074. -धूंफि, राज्य शासन को इस आत का समाधान हो गया है कि नीचे दो गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रगंजन के लिये आवश्यकदा है. अदः भू अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) को धारा 19 के अंदर्गत इसके द्वरु यह ओपित किया जाता है कि इन्हा भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आजश्यकदा है: -

### अनुसूची

- (\*) भूमि का वर्णन--(म. प्र. शास्त्र/नित्ती खाता)
  - (क) हिला—सङ्ग

खसरा र.

- (ख) तदसील—नामौद
- (ग) भगर/प्रान—हरदुआ महोले
- (घ) क्षेत्रफल 0.7780 हेक्तेयर.
  - ाजित रकवा (हे. में)

(2)

(1) 150/1/1/1/ 150/1/1/2/1 150/1/1/2/1 150/1/1/2/2 150/1/1/3/2 150/1/1/3/2 150/1/1/4/1

[भग ।

-

(1)	(2)	(1)	(2)
150/1/1/4/7		159/2	0.0130
150/1/1/4/3		यो	ח 0.7780
150/1/1/S			
150/1/1/6	0.4270	(2) सार्वलॉन्क प्र	योजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक
150/1/1/7		ई.— कार्यप	ल्लन यंजी, नर्मदा विकास संभाग
150/1/2/1/1		न्नमांक-7, f	केला मतभा (म. प्र.) द्वारा वरगी
150/1/2/1/2		ज्यापवर्तन परि	योजन्त में अश्मी व्यपवर्टन गरियोजना
150/1/2/2		अंतर्गव नागै।	< (स्तत्म), शाखा तहर के अंवर्गत
150/1/3/1/1		मौहारी लित	का के बमुरहिया सबमाइनर नहर के
150/1/3/1/2		निर्माण डेतू.	
150/1/3/2			🕏 (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर
150/2/1/1/1			बिला सतना के न्यायालग में किया
150/2/1/1/2			
150/2/1/2		আ নক্ষা উ	
150/2/2/1/1		फ्र. <u>1335</u> भू-अजेन-2024	.—चूंकि, राज्य शन्सन को १४ बात
150/2/2/1/2		का समाधान हो गया है कि न	चि याँ गई अनुसूची के ५६ (1) में
150/2/2/2		वणित भूमि वदे, अनुसूची के	पद (2) में ठेल्लिखिड सार्वलनिक
150/2/3/1/1		प्रयोजन के लिये आजहरकता है	🗄 अतः भू-अर्जन अभिनियम, 2013
150/2/3/1/2			) को भाग 19 के अंतर्गत इसके हार
130/2/3/2		राह घोषित किथा जाता है कि	उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये
151/1/1/1/1		আরম্বক্ষর। ই:—	-
151/1/0/1/2			।नुसूची
151/1/0/2/1			(५. ५. शासन/गिजो खन्न)
151/1/0/2/2		(i) fin an ann	(it at ender for seary
151/1/1/3/1		(क) जिला—स6	141
151/1/1/3/2		( <b>শ্র</b> ) রঙ্ক্মাল— <sup>3</sup>	नागौद
151/1/1/4/1		(ग) कार/ब्रा∹—	कचलीहा
151/1/1/4/2			
151/1/1/4/3			अर्थित रक्तथा
151/1/1/5		खसरा तं.	
151/1/1/6		(1)	(3, 4) (3, 4)
151/1/0/7		(1)	(2)
151/1/2/1/1		587	0,086
151/1/2/1/2	0,0100	536	0.014
151/1/2/2		590/1/1	
151/1/3/1/1		590/1/2	0.941
151/1/3/0/2		590/1/3	0.06%
131/1/3/2		590/1/4	
151/2/1/1/1		590/2	0.014
151/2/1/1/2		591	0.016
151/2/1/2		594	0.068
151/2/2/1/1		5-95	0.126
151/2/2/1/2		596	0.272
151/2/2/2		598	0.007
151/2/3/1/1		597	0.002
151/2/3/1/2		603	0,198
		640	0.013
15172/2/2			12 ( 2 )
15172/3/2 160/1	C. 1640	642 (43	0.024 0.042

· ·					
मध्यप्रदेश	রার্যাম স	TCH M	12	जन्मट	2024
A - A - A - A - A - A - A - A -	V -1 1 -14			21.11.2	

	মধ্যমূহ্য ন্ত্ৰণ, আ	भाक 12 जुलाइ 2024 3247
(1)	(1)	(1) (2)
651	0.019	169 0.044
650	0.019	171
652	C.074	170 0.021
649	C.DD1	155 0.020
648	0.017	154 0.013
653	0.042	163 0.005
654	G.021	147 0.061
656	0.025	118 0,037
655	0.011	162 0,017
657	0.035	149 0.033
665	0.022	157 0.060
659	0.025	(SS 0.054
663	0.011	158 C.003
650	0.017	153 0,058
652	0.018	124/1 0.002
460	0,012	248/1 C.030
461	0.042	योग 2.519
462	0.001	
463	0.085	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये शर्वन आवश्यक
455	0.015	है— कार्वपालन यंत्रो, नर्गदा विकास संभग
466	0.038	कमांक 7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा वरनी
469	0,037	व्यपथर्तन परियोजना में वरगी व्यपवर्तन परियोजना
471	0.028	aidगते नागौद (सतना), शाखा नहर के अंग्रगते
472/1	0.011	कन्तलोहा सबमन्द्रंगर नहर के निर्माण हेतु.
472/2	0.020	(3) भूमि के नक्से (ग्लान) का र्गिसीक्षार, जलेक्टर
472/3	0.020	(भू वाजेन), जिला सतना के न्यायालय में किंग
477/4	0.020	আ মন্দরা ই.
479/2	0.084	
435	0.034	ø: 1336-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस आई
434	0.041	<ul> <li>को रामाधान हो नवा है कि नीचे दो गई अनुसूची के पद (1) मैं</li> </ul>
428	aces	वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में कोरेलन्द्रित सावेजनिक
427	0.016	प्रयोजन के उत्तने आवश्यकता है. शहर भू-अर्जन अभिनियम, 2013
429	0.037	संशोधन (क. एक, यन् 2013) की धारा 19 के अंकृति इसके हार
420/833	0,042	यह भोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये
418	0.016	व्याक्सयकता है:—
419	0.042	अनुसूची
399	0.018	(1) भूमि का वर्गन—(0, 9, शासन/निनी खान)
393	0.040	_
401	0.002	(क) जिल
392	0.019	<ul> <li>(ख) वहर्साल—नागौद</li> </ul>
403	0.005	<ul><li>( ग ) नगरन्ध्राग— बरकोनिया मार्ग्त</li></ul>
391	0.032	(७) क्षेत्रफल—0.7510 हेक्तेयर.
204	0.009	खसर नं, अर्थित ७७४।
387	0.006	(j, j)
190	0.014	(1) (2)
169	0.127	148 0,3320
175	0.002	144 2.0240
174	0.078	143 0.2900
	0.051	
173	0.051	

मध्यप्रदेश	राजगत्र,	दिनांक	12
			-

	(1)	(2)	(1)	(2)
	142	0,0260	1096	0,0040
	141	0.0720	1087	0.0550
	140	0.0570	1068	0.0700
	्यः		1089/2	0.0620
	·•••	0.7510	1065/2/1	0.0260
(2)	सार्वअनिक प्रय	ৌলন ভিন্নন্স লিখ ওৰ্বন অত্যহনক	1085/2/2	0.0940
		तन चंत्री, नर्गद्दा विकास संभाग	1084/2	0.0120
	क्रमांक-7, ॉंब	तल सतना (म. प्र.) हार बरगी	1083	0.1920
		ोजना में बरगीं व्युणवतंन परियोजना	1082	C.0200
	अंतर्गत नागौद	(सत्रमा), शाखा नहर के ऑतर्गत	1066	0.0010
		(b) के सिकुरी माइनर नहर के निर्माण	1065	0.0660
	डेतु.	-	1060	0.1320
	-	) (५नान) का निरीक्षण, कलेक्टर	1059	2.0100
		जिला खतना के न्यायालय में किया	1058	0.0450
			10.37	0,0230
	'न। सकता है.		1049	a,0450
<b>क्र.</b> 1337-भू	-अर्जन ∙2024 <b>.</b>	— चूंकिं, रब्प शासन को इस बात	1050	0.0760
का रामाधात हो	गया है कि नी	चे दी गई अनुसूर्या के पद (1) में	1052	C.0430
वर्णित भूमि को,	अनुस्ती के '	पट (2) में उलिसॉखत सार्यजनिक	1056	0.0490
प्रयोजन के लिये	अ.वश्यकता है	. अत्तः भू अर्लन अधिनियम, २०१३	1054	0,0090
संशोधन (क्र. ५व	ह, सन् 2013)	की पारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा	1047	0,0100
সন্থ চাগির কিবা	जाता है कि ब	দর পুনি কী उक्त प्रयोधन के लिये	1045	0.0670
आगस्यकता है:			1043	D.0730
		<u>न</u> ुसूची	586	0.0150
(1) भा		(म. प्र. शासन/निजी खावा)	°C44	0.0560
() <u>v</u> -			587/1	0.0330
(45)	निल्ला—सत्त	71	587/2	0.0210
(ଖ)	तहसील- न	मौद् -	388	0,0790
$\langle v_i \rangle$	नगर/ग्राम—च	बन्दकु इंथ।	589	0.0510
(त्र)		0740 हेक्सेंबर.	593/1/1/1	0.1770
	यसर नं.	হার্তির ২কসা	593/2/2	0.1090
		(हे. में)	593/2/3	0.0930
	(1)	(2)	593/2/5	0,0240
	1131	0,0930	594777	0.0060
	1130	0.02RD	590/1/3	0.0010
	1133	0.0050	515	0.06/10
	1129	0.1450	S16	0.00%0
	1128	3.0140	514	0.0040
	1106/1	0.0800	512	0,2170
	1106/2	0.0920	511	C.0070
	1106/3	0,0380	510	C.0400
	105/3	0.0160	- 509/1	C.0750
	1104	0.0080	506	C.U020
	11.03	0.0070	507	0.0840
	1132	0.0700	47.5/1	0.2000
	1097	C,0750	474/1	0.0100
	1095	0.0340	466	0.0070
	1095	0.0780	430/1/2	0.0230
			431/1	0.0050

्भाग ।

(1)	(2)		क. 1338-भ <u>ि</u>	-अर्जन-2024. च्	किं, राज्य शासन
435	0.0810			गया है कि नीचे दे	
436/2	0.0630			अनुसूची के पद ।	
437	0.0260		प्रयोजन के लिये	आवर्ष्यकर्वा है. अ	<mark>इ; भू-अ</mark> र्जन अधि
440/1	3.0450		संशोधन ( क्र. एव	ह, सन् 2013) की	भरा 19 के भंतर
140/3	0.1230			जाश है कि उक्त	
441/3	0.0210		आजश्यकता है:		
460/2	0,0070			अनुसूर	<u>च</u> े.
459/2/2	0,0210		(-) v <del>u</del>	का वर्णन—(म.	
446/7	0.0350		() মূল	વા વળગ—(મ.	a. vikinerinai s
447	0.0600		(事)	जिला -सतना	
450	0.0400		(ख)	तहलील—उचेहर	Т
450	0.0410		( <b>T</b> <sub>1</sub> )	नगर/ग्राम—और ग	
453/2	0.0090		(म)	धेत्रफल -2./99	
35/1/1/1	0,2200				
35/1/7/1	0,2200			છાયર વં.	অর্ভির ৫ <b>৮</b> জা ১০ ক
33/2	0.7760				(8, Ť)
1140/1/1/1/1	0.7700			(*)	(2)
1140/1/1/1/2/1				9/1/0/1/1/1	0,0840
1140/1/1/2/2				8/1/1/1/12	0.1080
1140/1/1/1/3				V1/1/1/3	C.0030
				8/5/1/3/1	0.0320
1140/1/1/1/4/1				8/1/1/3/2	0.0390
1  40/1/1/1/4/2				118/2	0.0320
1140/1/1//2/1				119/2/2	0.2400
1140/1/1/2/2				119/2/1	0,0360
1140/1/1/2/3				119/1/3	0,0150
1140/1/5/9/1				513	0.0330
1140/1/1/3/2	0,5620			101/1/1	0.2040
1140/1/1/3/3				97/4/1	0.0540
1140/1/1/3/4				97/5/2	0.0540
1140/5/2				97/5/3	0,0570
1140/2/1				98/1/1/2	0.1100
1/140/2/2/1				98/1/2	C.0290
1140/2/2/2				98/1/3	0.1430
1140/2/3				98/2/1/2	0.0650
1110/3/1				69/2/1/1	0,0040
1140/3/2			6	9/7/1/2/1	0.0350
~140/3/3 I			(	9/7/0/2/3	0.0630
यंग	T 5.024			69/2/2/1	0.1420
				47	3,1230
	ग्रेजन जिसके लिये अन			49/2	3.2190
~	तन थंत्री, तर्मदा यि जन्म क			49/3	0.1020
	तला सत्तन (म. प्र.) ग्रेडनामं बरगो स्थपनः			50	0.0080
रसम्बतन प्रस्थि	गळना म जस्मा स्थनवः	1 9 CH 91			

륑 ब्र ज्यमयर्तन एरियोजना में बरगी स्थपत्रदेन परियोजना क्षंतर्गत नागौद् (सतना), शाखा तहर के अंडनंड तन्दकुहवा माइनर के चन्दकुहया सबमाइनर नहर

गूमि के तजरो (पनान) का निरीधण, -beोक्स (भू-अर्हन), जिला सतन, के न्यावालय ें किस ज सकत है.

3249

न को इस अंध के पद् (1) में র্য ধ্যপলানক धनियन, 2013 र्गत इसके द्वारा योजन के लिये

रमत")

नल -2.7960	हेक्टेवर,
<b>i</b> .	অর্ভির ৫ <b>৮এ</b> ।
	(ð. Ť)
	(2)
(VV1	0,0840
1/1/2	0.1080
1/1/3	C.0030
/3/1	0.0320
/3/2	0.0390
2	0.0320
/2	0.2400
/1	0,0360
/3	0,0150
	0.0330
Ľ.	0.2040
٦	0.0540
2	0.0540
3	0,0570
/2	0.1100
2	Ċ. D29-O
9	0.1430
/2	0.0650
71	0,0040
2/1	0.0350
2/3	0.0630
91	0.1420
	0.1230

0,0140

0.0020

0.0470

0.0420

0.0430

0.0010

51/1

57/1/1/1

52/1/2

\$2/2/1

52/2/2

53/1

के लिमांण हेतु,

(3)

(2)

3250

[भागः ।

(1) (2) 53/2 0,0030	(1)	(2)
	2/14/2	0.1750
35/1/2 0,0090	225/1	0.04RD
24/0/1 0.1400	225/2/1/1	0.0210
24/1/2 0.1700	225/2/1/2	3.0290
24/3 0.0280	225/2/1/3	0.0290
23/1/1 0.0020	225/2/2	0.0750
23/1/7 0.0020	223/1/5	0.0160
23/3 0.0040	223/1/2	act 160
75/1/1 0.0040	223/2	
25/1/2 0,0040	227/1	D.CC30
25/3 0.0070	229/1	0.0580
23/2 0.0910	229/2	0.0240
18/2 0.0900	73 ^	0.0400
योग 2.7960	553	0.0010
	552/1	0,0020
(2) सावंजनिक प्रयोजन किराके लिये अर्लन आवश्य	·····································	0.0360
है— कार्यपालन यंत्री, नर्मदा जिकास संग	UU 550	0.0310
क्रमांक 7, ाँजला सतना (म. प्र.) द्वारा वर	ली <u>550</u> /1	0.0010
त्यपवर्डन परिवोजना में बरगी जनगरावन परियोज	PHI 550/2	0.0300
अंतर्गत नागीट (सतना), शाखा नहा के थंत	र्गत 567/1	0,0010
कंचनपुर माइनर नहर के निर्माण हेतु.	572	0.0210
(3) भूमि के नक्हे (प्लान) का निरीक्षण, कलेव	RX 571/1	0.0330
(भू-अर्बन), जिला सतन के त्यायालय में थि		0.0120
(गू-जवन)) जिल्हा के जानसान ने नि जा संस्कृत है.	570/1	0.0170
આ રાયરણ દ્	570/2	0.0030
क्र. 1339 भू-अजंग-2024,—चूंकि, राज्य झासन को इस ब	aið 574	0.0010
<ul> <li>फ. 1539 प्राणगण्ड्यान्ड्यान् पूर्व्य, संग्रं राखा राखा र आ सम्तर्भाव हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचों के ४६ (1)</li> </ul>	± 575/1	0,0070
को समासान हो गया है कि गय दोगद कपूर्वी के पद (7) अर्थित भूमि ब्रो, अनुसूची के पद (7) में अलिगीबत सार्वजनि		0.0150
মাৰ্থনা বুলি আৰু অনুৰুষ আগম (১০ ন সংখ্যাজন আগন। মুখ্যাজন বি ল্লিষ্ট আৰুহনজন্তা है, এবং মৃল্প্ৰাৰ্জন অশিনিষ্ণদ, 20	594	0.0060
संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की घरा 19 के अंतर्गत इसके ह		0.0450
सर्वायन (फ्र. एक, सर्म् 2013) का ने राजिक जया ये २०२१ ह यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूनि की उक्त प्रयोजन के ि		0.0590
સાવ¥446તા દે:—	582	0,0020
	50 m	0.0360
अनुसूची	587	0.0080
<ul> <li>भूमि का वर्णन—(न. प्र. शासल/विजी खाता)</li> </ul>	588	0.0370
('क) जिला—सतना	589	0.0230
(ia) तहरील—लगैद	735	0,0010
(ग) नगर-गाइगुर	739	0,0260
(च) सेत्रफल—3.9310 हेक्टेयर	737/1	0.0330
11.57	737/2	D.CTCC
रबसर न. अधीर्वद रक्षमा	738/1	0.0050
(हे. में)	738/2	0.0260
(1) (2)	745	0.0460
704 0,0200	744	0.0270
205 0.0900	7437 75	0.0010
207 0.1020	7677	0.0870
210 0.0090	768/1/1	0.0540
712/1 0,042.0	770/1/1	0,0600
212/2/1 0.0070	//0/2/	D.0960

1]		मग्यप्रदह राज	गत्र, । इनाक	12 କୁଟା <u>ର୍</u> 200	22	
	(1)	(2)			(1)	(2)
	771/1	0.0070			1367	0.1360
	782/1	0.0650			1368	0.0070
	781	0.0120			न्योग	1 3.9310
	780	C.1250				
	774	0.0210		(2)	सार्वजनिक प्रय	ोजन जिसके लिये अर्लन आवश्यक
	7/8	0.0370			हे – कर्षपाल	तन यंत्री, तमेदा विकल्म संभाग
	117	0.0030			क्रमक्त 7, जि	ला सङ्गा (म. प्र.) द्वारा अस्मी
	801	0.0560				हेल्ला में बरगी व्यषयतेन परियोजना
	799	0.0180				(सतना), शाखा नहः के अंतर्गत
	800	0.0500			ान्द्रकोतः माइ	नर नहर के निर्माण हेतु.
	802	0.0980		(3)	भूमि के ल्झो	( (ज्लान) का निरोक्षण, कलेकर
	acs	0,0430				जिला सतना के न्यात्मलय में किया
	807	0.0010			जा सकता है.	
	806	0.0610				
	805	0.01.50		फ्र. 1340-भू	1-अर्जन-2024	—चूँकि, राज्य शासन को इस बात
	1185	0.0110	4	ः शमाधान हो।	गया हे कि ना	वे दी गई अनुसूची के गद (1) में
	1166	0,056C	न	থির খুদি কা	, अनुसूचा क	44 (2) में डॉल्लसित सार्वजनिक कर्म कर्मना करने के सार्वजनिक करने के सार करने के सार्वजनिक करने के सार करने का सार्वजनिक का सार्वजनिक का का क
	1165	0,0180	x	योतन के लिग	अत्वर्थकता ह	. अतः भू-अजंग आधितियम, २०१३ ।
	1167	0,0460	Ŧ	য়োধন (ক্র. জ্	1%, સન્ 2013)	को भारत 19 के अंतर्गत इसके द्वारा
	1192	0.0330				क्त भूमि की उन्हा प्रयोजन के लिये
	1295	0.0120	3	१७९२५५ता है:		2
	1295	0.0170				ुसूची
	1193	0.0320		(1) ម្តាំ	দি কা পথাঁন— (	নি, মৃ, হামনানিকী আয়া)
	1200	C.0040		(क)	जिलाः	Π
	1292	C,0560				
	1701	0.0040		(સ) (સ)		गाव इन्हरिया व.लां
	1291	0.0470		(ग) ()		
	5288	0.0160		(ষ)		3830 हेक्टेयर,
	1289	0.0810			त्वसरा नं.	अजित स्कृत्म
	1286	0,0170				(हे. में)
	1284/1	0.0260			(1)	(2)
	1284/2	0.0590			288/4	0.0350
	1283	0.0340			287/1/1	0.2000
	1914/1	0.0290			286/1/1	0.0060
	1313/3	0,0160			2R5	0,1300
	1787	0,0020			284	0,0120
	1783	0.1830			योग	0.3330
	1280	0.0120				
	1326/1	3.0230		(2)		ोतन जिसके लिये अर्जन आवश्यक 
	1996/2	0.0240				लग चंडी, तर्मद दिकाथ अंभगि। ————————————————————————————————————
	1937	0.0500				नला सतना (म. प्र.) द्वारा अरमें
	1341	0,0620				रोजक में बरमी अपवर्तन परियोत्तन । (जनक) आपव जन्म के अंतर्गन
	1340	0.0010				(सहना), शाख पहर के अंतर्गत च रेस्ट्रेन्सी सहस्य करा के लिएएए
	1342	0.0370				हः के गौहारी माइनर नहर के निमाण
	1242	0.00%0			हेतु.	
	1358	0.2270		(3)	m 1	) (थान) का निर्देशण, जलेक्टर
	1358 1358	0.0010				जिला सदना के जानालय में किया
	1.5.35				जा एक्ता है.	

क. 1241-भू-अर्जन-2024. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे भी गई अनुमूचों के पद (1) में जॉणेंत भूमि की, अनुसूधों के पद (2) में उल्लिखिंग सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अल्ब्स्डित है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क. ए.इ. सन् 2013) की धारा 19 के अंदर्यंड इसके हास यह भोधित किया जाता है कि उबत भूमि को ठक्त श्रमोजन के लिये आवश्यकता है:---

### अनुसुची

भूमें का जर्मन (म. प्र. शासन/निर्णी खाता)

- (জ) জিলা—ধরন।
- (छ) तहसील—नगौद
- (ग) नगत/प्राप—भाखारोला
- (घ) क्षेत्रफल-1.3110 हेक्टेयर,

खरारा नं.		3	रचिंत रकश
			<ul><li>(हे, में)</li></ul>
(1)			(2)
659			0,0090
658/1			0,0020
6/19/2			0.0090
654/2			0.0100
652/1/1/1			0.0630
632/1/1/2			0.0950
652/2			0,1490
651/1			0,0290
624/2			0.0420
523/2			0.1650
540/3			0.0140
539/1			0.1060
539/2			0.1020
539/3			0,1040
520			C.D190
519			C. 1930
518			0.0560
517			0.0930
516/2			C,0510
	योगः	1.12	1.3110

(2) सार्यवनि स्त प्रयोजन किसके लिये अर्वन आयस्थन हे— कार्यपालन यंत्री, तमंदा विकास संभाग क्रांक-7, जिला सतना (म. प्र.) हारा क्रेस्मी व्यएवर्तन नरियंजन में घरणे व्यएवर्तन परियोजन अंतर्गत नगरेंद्र (सतना), शाखा भइन के अंतर्गत मालादोला मजपडन: 2 नहर के निर्माण हेट्र.

(3) भूमि के नवशे (प्लान) का निरोक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला एतन के न्यायालय में किया जा स्थाता है. क. 1542- भू-अर्जन-2024. -चूंकि, राज्य शासन को इस जात क रामाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुक्षजों के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूचों के पद (2) में उल्लिखित आवंजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनेयम, 2013 संशोधन (ज्ञ. एक, सन् 2013) की खारा 19 के अंतमंत इसके दरफ यह कॉषिट किया जाता है कि ठक्का भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये। आयरककता है:---

#### अनुसूची

- (1) भूमि क, तृषीन—(म, प्र. शासन/विज्ञो खात ).
  - (क) जिला—सतता
  - (ख) उहलेल—नागौद
  - (ग) नगर/ग्राम-फुरताल जलां
  - (a) Bawel-0.32% ईक्टेयर.

रत्रसरा गं.		आंर्जन एमबा
		(हे. में)
(1)		(2)
7,0/2		0,0860
20/1		0.0400
19		0.1400
8		0.0090
18		0,0010
17		0.0040
16/1		0.0430
	योग	 0.3280

- (2) सार्वजानेक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आजश्यक है— कार्वणलन चंत्री, चर्मदा लिक स संभाग क्रमांक-7, जिला सहना (म. त्र.) द्वारा वस्परें उपप्रतिन परियेजना में चरगो व्यावर्तन परियोजना अंतर्गत नागीद (सतन), शास्ता करर के अंदर्मत उमरहाट वितारंका के महागर्शा खुद नाइनर नहर के निर्माण हेइ.
- (3) भूमि के नक्यों (फ़्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अजेन), फिला उतन के न्यायालय में किया वा सकता है.

क. 1543- भू अर्थन 2024.—चूंकि. राज्य शासन को इस पात क। रामाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसुओ के पद (1) में तमित भूमि की, अनुसुच्चे के पद (2) में उतिनक्षित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकत है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क. २.+, सन् 2013) की भारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह कोषित किया जला है कि उक्त भूमि की तक्त प्रयोजन के क्लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसुन्त

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. हामन/निजी खात')
  - (क) तिला—सम्म
  - (ख) तहसंडि—नामौद

  - (घ) क्षेत्रफल 3.320 हे-स्टेक्स

(2)

हेतु.

	गध्यप्रदेश राजनन्त्र, दि	নক । 2 জুলাই 20	174		3253
खसरानं. अदिति र	स्व	(3)	মনি কা নকা	(प्लान) का निरीक्षण,	कंगेक्टर
(चे. प		197		नला सतना के न्यायालग	
(;) (2)	-		ला सकता है.	-1(11 (10) 11 47 11 10(1	
335/1 0.03					
335/2 0,03				- बंकि, राज्य शत्का के	
336 0.15				। दी गई अनुसूची के न	
387/1 0.10				द (2) में उल्लिखित ।	
				<u>अतः भू-अर्जन आधिनि</u>	
				की धारा 19 के अंतर्गव	
				क्त भूमि की उनद प्रयोज	न के लिये
		आवश्यकता है:-			
345 0.00			अनु	सूर्य	
346/1/1 0.15		()) ম্ব	मं का सर्णनः - (व	म. <mark>प्र.</mark> शासन/निजी खाव	п)
346/1/2 0.08			_		
346/2 0.15		('4-) (			
350/2 0.01		(ख)			
351 0,19		(ग)		-	
352 0,02		(F)	क्षेत्र कल—3.2	850 हेक्टेयर	
375/1/2 0.10			खनग् 🖻	अस्तित रक्षमा	
374/7 0.01				(हे. में)	
316 0.73			(1)	(2)	
315 0.07			264/1/1	0,1000	
314 0.25			264/1/2	0.0090	
31B 0,00			264/2/1	0.0500	
31 \/2 0.03			264/2/2	0.0500	
310/3 0.0/			284/3	0.1100	
296/1/1 0.08			784/4	0.1100	
296/1/2 0.79			264/5	0.1100	
297/0/3 0.01			265/1/1	0,0150	
303/2/2 0,02			260	0.1820	
29%/2 0.34			256	0.1180	
799/2 0.02	7		255	C.1920	
300/h 0.01			247/1	0.1920	
900/2 0.01			246/1	0,0430	
290/1/2 0.18			246/2	0.0430	
296/2 0.70			246/3/1	0.0200	
289/3 0.01	3		246/3/2	0.0190	
288/2 0.20	9		744	0.0360	
28770 0.04	2		243	0.0210	
787/7 0.0e	9		242	0,0200	
294/1 0.01-	c		240	0,0030	
वीग ३.३२	с		237	0.2040	
	-		23 <i>6</i>	0.0870	
মার্কজনিক মধ্যাত্রন জৈয়ন্ট বি			197/1	0.0110	
हैं— कार्यपालन यंत्री, नमें	दा प्रिकास संभाग		19777	0.0110	
क्रमांक 7, जिला शत्रना (म	, प्र.) द्वरा चरगे		197/3/1	0.0020	
व्यपहतंत परिगोलना में बरुगो	ल्यमञ्चर्धनः परिथोजना		. 99\.	0,0520	
अंतर्भत भागोंद (सत्ताा), शाय	घा नहर के अंग्रणेड		196/2	0.0320	
मोहारी विवरिका के मोहारी प			196/3/2/1	0.0050	
<u>~</u>			1995717	0.0020	

188/2/1

0.0020

(3)

आवश्यकता है:—

(1) $(2)$ 1920.09401930.00601890.00501900.0160172/10.0070173/10.0350173/20.04201740.02301750.03901760.02001370.01501770.00201360.0490135/10.00501330.01001340.03001350.03001290.0130260.0410270.042025/2/20.0020450.030047/1/10.030047/1/20.005048/20.041025/2/20.012085/1/20.2480460.0210450.030053/30.0520540.050650.010082/10.050650.010082/10.060082/20.010082/10.0600810.3640800.3120730.036074/2/1/1/20.0410			
195         0.0060           189         0.0050           190         0.0160           172/1         0.0250           175/1         0.0350           175/2         0.0420           174         0.0030           175         0.0390           176         0.0200           137         0.0050           137         0.0050           136         0.0490           135/1         0.0050           132         0.0080           133         0.0100           144         0.0380           131         0.0310           129         0.0130           26         0.0410           27         0.0420           25/2/2         0.0020           85/1/2         0.2480           46         0.0210           45         0.0030           47/7         0.0050           48/2         0.0040           49/2         0.0470           53/1         0.0300           47/1/1         0.0300           47/7         0.0050           48/2         0.0040           53/3 <t< td=""><td>(1)</td><td>(2)</td><td></td></t<>	(1)	(2)	
195         0.0060           189         0.0050           190         0.0160           172/1         0.0070           175/1         0.0350           175/2         0.0420           174         0.0030           175         0.0390           176         0.00200           137         0.0050           137         0.0050           136         0.0490           135/1         0.0050           132         0.0080           133         0.010           144         0.0380           131         0.0530           129         0.0130           26         0.0410           27         0.0420           25/2/2         0.0020           85/1/2         0.2480           46         0.0210           43         0.0300           47/7         0.0050           48/2         0.0040           49/2         0.0420           53/1         0.0300           47/1/1         0.0300           47/7         0.0050           48/2         0.0040           53/3 <t< td=""><td>192</td><td>0,0940</td><td></td></t<>	192	0,0940	
190 $0.0160$ $172/1$ $0.0270$ $173/1$ $0.0350$ $175/2$ $0.0420$ $174$ $0.0030$ $175$ $0.0390$ $176$ $0.0200$ $137$ $0.0150$ $177$ $0.0020$ $136$ $0.0490$ $135/1$ $0.0050$ $132$ $0.0080$ $133$ $0.0310$ $134$ $0.0380$ $131$ $0.0310$ $129$ $0.0130$ $26$ $0.0410$ $27$ $0.0420$ $25/2/2$ $0.0020$ $85/1/2$ $0.0210$ $45$ $0.0030$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $53/2$ $0.0320$ $53/2$ $0.0320$ $53/2$ $0.0520$ $54$ $0.0050$ $82/1$ $0.0640$ $80$ $0.0420$ $811$ $0.0640$ $80$ $0.0420$ $79$ $0.2360$		0.0060	
172/1 $0.0070$ $173/1$ $0.0350$ $173/2$ $0.0420$ $174$ $0.0030$ $175$ $0.0390$ $176$ $0.0200$ $137$ $0.0150$ $177$ $0.0020$ $136$ $0.0490$ $135/1$ $0.0050$ $132$ $0.0080$ $133$ $0.0080$ $134$ $0.0310$ $130$ $0.0530$ $129$ $0.0130$ $26$ $0.0410$ $27$ $0.0420$ $25/2/2$ $0.0020$ $85/1/2$ $0.2480$ $46$ $0.0210$ $45$ $0.0030$ $47/1/1$ $0.0300$ $47/1/2$ $0.0050$ $47/2$ $0.0050$ $47/2$ $0.0050$ $47/2$ $0.0050$ $47/2$ $0.0050$ $47/2$ $0.0050$ $47/2$ $0.0050$ $47/2$ $0.0050$ $47/2$ $0.0050$ $47/2$ $0.0050$ $47/2$ $0.0050$ $47/2$ $0.0050$ $47/2$ $0.0050$ $53/3$ $0.0520$ $54$ $0.0050$ $53/2$ $0.0300$ $53/2$ $0.0102$ $82/1$ $0.0640$ $80$ $0.0420$ $81$ $0.0540$ $80$ $0.0420$ $79$ $0.3360$	189	0.0050	
173/1       0.0350         173/2       0.0420         174       0.0390         175       0.0390         176       0.0200         137       0.0150         177       0.0020         135       0.0490         135/1       0.0050         132       0.0080         133       0.0300         134       0.0310         135       0.0490         135/1       0.0050         132       0.0080         133       0.0310         14       0.0380         129       0.0130         26       0.0410         27       0.0420         25/2/2       0.0020         85/1/2       0.2480         46       0.0210         45       0.0030         47/1/1       0.0300         47/7       0.0050         48/7       0.0040         49/2       0.0470         53/1       0.0300         47/7       0.0050         48/7       0.0040         49/2       0.0470         53/3       0.0520         54       <	190	0.0160	
174       0.0420         175       0.0390         175       0.0200         137       0.0150         137       0.0200         136       0.0490         135/1       0.0050         132       0.0080         133       0.0310         144       0.0380         135       0.0490         135/1       0.0050         132       0.0080         133       0.0310         144       0.0380         129       0.0130         26       0.0410         27       0.0420         25/2/2       0.0020         85/1/2       0.2480         46       0.0210         43       0.0030         47/1/1       0.0300         47/7       0.0050         48/7       0.00470         53/1       0.0301         47/2       0.0470         53/1       0.0300         47/7       0.0050         48/7       0.00470         53/2       0.0300         53/3       0.0520         54       0.0050         53/2		D.CO70	
174       D.CC3C         175       D.C39C         176       O.C20C         137       O.C15O         177       D.CC2C         136       D.C49C         135/1       O.CCSC         132       O.CCSC         133       O.CCSC         134       D.CC3C         135       O.CCSC         135       O.CCSC         132       O.CCSC         133       O.CCSC         134       D.C38O         135       O.CCSC         136       D.C49O         137       O.CCSC         138       O.CCSC         139       O.CCSO         129       O.C130         26       O.C410         27       O.0420         25/2/2       O.0020         85/1/2       O.2480         46       O.0210         45       O.0030         47/7       O.0050         47/7       O.0050         47/7       O.0050         48/2       O.0420         53/3       O.0520         53/3       O.0520         54       O.050 </td <td>1/3/1</td> <td>0.0350</td> <td></td>	1/3/1	0.0350	
175       D,C390         176       0.C200         137       0.C150         177       D.C200         136       D.C490         135/1       0.0050         132       0.0080         133       D.C300         134       D.C380         135       D.C380         133       D.C810         134       D.C380         135       D.C490         135       D.C490         135       D.C050         137       D.C800         138       D.C810         139       D.C130         26       D.C410         27       D.0420         25/2/2       D.0020         85/1/2       D.2480         46       D.0210         45       D.0030         47/1       D.0300         47/7       D.0050         48/7       D.0040         49/2       D.0420         53/1       C.0300         53/2       D.0300         53/3       D.0520         54       D.0050         82/1       D.0400         81       D.0540	173/2	0.0420	
176       0.0200         137       0.0150         177       0.0050         136       0.0050         135/1       0.0050         132       0.0080         133       0.0310         134       0.0530         135       0.0030         137       0.0130         138       0.0230         139       0.0130         26       0.0410         27       0.0420         25/2/2       0.0020         85/1/2       0.2480         46       0.0210         45       0.0030         47/1       0.0300         47/1       0.0300         47/2       0.0040         49/2       0.0470         53/1       0.0300         47/7       0.0050         48/7       0.0040         49/2       0.0470         53/1       0.0300         53/2       0.0300         53/3       0.0520         54       0.0050         65       0.0100         82/1       0.0600         81       0.0640         80       0.04	174	0.0030	
137 $0.0150$ $177$ $0.020$ $136$ $0.0490$ $135/1$ $0.0050$ $132$ $0.0080$ $133$ $0.0310$ $114$ $0.0380$ $131$ $0.0310$ $130$ $0.0530$ $129$ $0.0130$ $26$ $0.0410$ $27$ $0.0420$ $25/2/2$ $0.0020$ $85/1/2$ $0.2480$ $46$ $0.0210$ $45$ $0.0030$ $47/1$ $0.0300$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $53/2$ $0.0300$ $53/3$ $0.0520$ $54$ $0.0050$ $53/4$ $0.0520$ $52/1$ $0.06050$ $82/1$ $0.06050$ $82/1$ $0.06050$ $81$ $0.0640$ $80$ $0.0420$ $79$ $0.3360$	175	D,C39C	
177 $0.0020$ $136$ $0.0490$ $135/1$ $0.0050$ $132$ $0.0080$ $133$ $0.0080$ $133$ $0.0080$ $114$ $0.0310$ $130$ $0.0530$ $129$ $0.0130$ $26$ $0.0410$ $27$ $0.0420$ $25/2/2$ $0.0020$ $85/1/2$ $0.0030$ $47/1/1$ $0.0300$ $47/1/1$ $0.0300$ $47/7/2$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $47/7$ $0.0050$ $53/2$ $0.0300$ $53/3$ $0.0520$ $54$ $0.0050$ $65$ $0.0100$ $82/1$ $0.0600$ $81$ $0.0640$ $80$ $0.0420$ $79$ $0.0360$	176	0.0200	
136         D.C490           135/1         0.0050           132         0.0080           133         0.0080           134         0.0380           131         0.0310           130         0.0530           129         0.0130           26         0.0420           25/2/2         0.0020           85/1/2         0.2480           46         0.0210           45         0.0030           47/1         0.0300           47/1/1         0.0300           47/7         0.0050           47/7         0.0050           48/7         0.00420           53/1         0.0300           47/1         0.0300           47/1         0.0300           47/7         0.00420           53/1         0.0320           53/2         0.0300           53/3         0.0520           54         0.0050           65         0.0100           82/1         0.0600           81         0.3640           80         0.3420           79         0.3360	137	0.0150	
135/1       0,0050         132       0,0080         133       0,0810         114       0,0310         130       0,0530         129       0,0130         26       0,0410         27       0,0420         25/2/2       0,0020         85/1/2       0,2480         46       0,0210         45       0,0050         47/7       0,0050         47/7       0,0050         47/7       0,0050         48/7       0,00420         53/1       0,0300         53/2       0,0300         53/3       0,0520         54       0,0050         52/2       0,0300         53/3       0,0520         54       0,0050         52/1       0,0300         53/3       0,0520         54       0,0050         82/1       0,0600         81       0,3640         80       0,3120         79       0,3360	177	0.0C20	
132       0,0080         133       0,0810         114       0,0310         131       0,0530         129       0,0130         26       0,0420         25/2/2       0,0020         85/1/2       0,2480         46       0,0210         43       0,0050         47/1/1       0,0050         47/7       0,0050         48/7       0,0050         48/7       0,0050         53/1       0,0300         53/2       0,0300         53/2       0,0300         53/3       0,0520         54       0,0050         52/1       0,0050         52/2       0,0300         53/3       0,0520         54       0,0050         52/1       0,0600         82/2       0,0100         81       0,3640         80       0,3120         79       0,3360	135	0.0490	
133       2.0810         114       2.0380         131       5.0310         130       0.0530         129       0.0130         26       0.0410         27       0.0420         25/2/2       5.0020         85/1/2       0.2480         46       0.0210         43       0.0030         47/1       0.0300         47/7       0.0050         47/7       0.0050         47/7       0.0050         47/7       0.0050         53/2       0.0300         53/3       0.0520         53/4       0.0050         53/5       0.0520         54       0.0050         65       0.0100         82/1       0.0600         81       0.3640         80       0.3420         79       0.3360	135/1	0.0050	
114       1.0380         131       0.0310         130       0.0530         129       0.0130         26       0.0410         27       0.0420         25/2/2       0.0020         85/1/2       0.2480         46       0.0210         45       0.0030         47/1/1       0.0300         47/1/2       0.0050         47/7       0.0050         47/7       0.0050         47/7       0.0050         47/7       0.0050         53/1       0.0300         53/2       0.0300         53/3       0.0520         54       0.0050         65       0.0100         82/1       0.0600         81       0.3640         80       0.3420         79       0.3360	132	0.0080	
131       0.0310         130       0.0530         129       0.0130         26       0.0410         27       0.0420         25/2/2       0.020         85/1/2       0.2480         46       0.0210         45       0.0030         47/1/1       0.0300         47/7       0.0050         48/7       0.0050         48/7       0.00420         53/1       0.0300         53/2       0.0300         53/3       0.0520         53/3       0.0520         54       0.0050         82/1       0.0600         82/2       0.0100         82/2       0.0100         82/2       0.0100         82/2       0.0100         82/1       0.0640         80       0.0420         79       0.0360	133	3.0810	
130       0.0530         129       0.0130         26       0.0410         27       0.0420         25/2/2       0.0020         85/1/2       0.2480         46       0.0210         43       0.0030         47/1/1       0.0300         47/1/2       0.0050         47/2       0.0050         48/7       0.00420         53/1       0.0050         53/2       0.0040         53/3       0.0520         54       0.0050         52/1       0.0050         52/2       0.0300         53/3       0.0520         54       0.0050         82/1       0.0600         82/2       0.0100         81       0.3640         80       0.3420         79       0.3360	114	3.0380	
129       0.0130         26       0.0410         27       0.0420         25/2/2       0.0020         85/1/2       0.2480         46       0.0210         45       0.0030         47/1       0.0300         47/7       0.0050         47/7       0.0050         48/2       0.0420         53/1       0.0050         53/2       0.0030         53/3       0.0520         54       0.0050         65       0.0100         82/1       0.0600         82/1       0.0600         82/2       0.0100         82/2       0.0100         82/2       0.0100         81       0.3640         80       0.3420         79       0.3360	131	0.0310	
26       0.0410         27       0.0420         25/2/2       0.0020         85/1/2       0.2480         46       0.0210         43       0.0030         47/1/1       0.0300         47/1/2       0.0050         47/2       0.0010         49/2       0.0420         53/1       0.0300         53/2       0.0030         53/3       0.0520         54       0.0050         65       0.0100         82/1       0.0600         81       0.3640         80       0.3420         79       0.3360	130	0.0530	
27         0.0420           25/2/2         0.0020           85/1/2         0.2480           46         0.0210           45         0.0030           47/1/1         0.0300           47/1/2         0.0050           47/7         0.0050           47/7         0.00420           53/1         0.00420           53/2         0.00420           53/3         0.0520           53/3         0.0520           53/3         0.0520           54         0.0050           82/1         0.0600           82/2         0.0100           82/2         0.0100           81         0.3640           80         0.3420           79         0.3360	129	0.0130	
25/2/2         0.0020           85/1/2         0.2480           46         0.0210           43         0.0030           47/1/1         0.0300           47/1/2         0.0050           47/7         0.0050           48/7         0.0040           49/2         0.0470           53/1         0.0300           53/2         0.0300           53/3         0.0520           54         0.0050           65         0.0100           82/1         0.0600           81         0.3640           80         0.3420           79         0.3360	26	0.0410	
85/1/2         0.2480           46         0.0210           45         0.0030           47/1/1         0.0300           47/1/2         0.0050           47/7         0.0050           48/7         0.0040           49/2         0.0420           53/1         0.0300           53/2         0.0300           53/3         0.0520           54         0.0050           65         0.0100           82/1         0.0600           81         0.3640           80         0.3420           79         0.3360	27	0.0420	
46         0.0210           43         0.0030           47/1/1         0.0300           47/1/2         0.0050           47/7         0.0050           47/7         0.0050           48/7         0.0040           49/2         0.0470           53/1         0.0300           53/2         0.0300           53/3         0.0520           54         0.0050           65         0.0100           82/1         0.0600           81         0.3640           80         0.3420           79         0.3360	25/2/2	0.0020	
45         0.0030           47/1/1         0.0300           17/1/2         0.0050           47/7         0.0050           47/7         0.0050           48/7         0.0040           49/2         0.0470           53/1         0.0300           53/2         0.0300           53/3         0.0520           54         0.0050           65         0.0100           82/1         0.0600           81         0.0640           80         0.0420           79         0.0360	85/1/2	0.2480	
47/1/1       0.0300         17/1/2       0.0050         47/7       0.0050         48/7       0.0040         49/2       0.0470         53/1       0.0300         53/2       0.0300         53/3       0.0520         54       0.0050         82/1       0.0600         81       0.0640         80       0.0420         79       0.0360	46	0.0210	
17/1/2       0,0050         47/7       0,0050         48/7       0,0010         49/2       0,0470         53/1       0,0300         53/2       0,0300         53/3       0,0520         54       0,0050         65       0,0100         82/1       0,0600         81       0,0640         80       0,0420         79       0,0360	43	0.0030	
47/7       0.0050         48/7       0.0040         49/2       0.0470         53/1       0.0300         53/2       0.0300         53/3       0.0520         54       0.0050         65       0.0100         82/1       0.0600         81       0.0640         80       0.0420         79       0.0360	47/1/1	0.0300	
48/2         0.0010           49/2         0.0420           53/1         0.0300           53/2         0.0300           53/3         0.0520           54         0.0050           65         0.0100           82/1         0.0600           81         0.0640           80         0.0420           79         0.0360	47/1/2	0,0050	
49/2         0.0470           53/1         0.0300           53/2         0.0300           53/3         0.0520           54         0.0050           65         0.0100           82/1         0.0600           81         0.0640           80         0.0420           79         0.0360	47/7	0.0050	
53/1         C.030D           53/2         0.0300           53/3         0.0520           54         0.0050           65         C.0100           82/1         C.0600           81         0.0540           80         0.0420           79         0.0360	48/7	0.0040	
53/2         0,0300           53/3         0,0520           54         0,0050           65         0,0100           82/1         0,0600           82/2         0,0100           81         0,0640           80         0,0420           79         0,0360	49/2	0.0470	
53/3         0.0520           54         0.0050           65         0.0100           82/1         0.0600           82/2         0.0100           81         0.0640           80         0.0120           79         0.0360	53/1	C.030D	
54         0.0050           65         0.0100           82/1         0.0600           82/2         0.0100           81         0.0640           80         0.0420           79         0.0360	53/2	0,0300	
65         0.0100           82/1         0.0600           82/2         0.0100           81         0.0640           κ0         0.0420           79         0.0360	53/3		
82/1 0.0600 82/2 0.0100 81 0.0640 80 0.0420 79 0.0360	.54		
82/2 0,0100 81 0.0640 80 0.0120 79 0.0360	65		
81 0.0640 80 0.0420 79 0.0360			
ко 0.0420 79 0.0360	82/2		
79 0.0360	81		
74/2/1/1/2 0.0410			
74/2/1/2 0.0440	74/2/1/2	0.0440	

1002/2	0.0100
1003/1/1	3,0060
1003/1/2	3.0420
1003/2	2,3800
936/2	0.0640
937	0,0100
940	0.0150
935/2	0.0350
941	0.0370
934/2	0.0160
4)44	0,0540
933	0.0030
945	C10570
946	0.0510
947	0.0220
877	0.0110
876	0,0540
878	0,0010
879	0.0890
872	0.0010
871	0.0080
887	0.0590
870	0.0050
833	0,0530

योग ... 1.2530

(भू-अर्जन), जिला मतना के त्याचालय में फिया

क्र. 1545 भू अर्जन 2024.—चूंकि, राज्य श्रारान को इस बात का समाधान हो पश्च है कि नीचे दो गई अनुसुची के पद (1) ≒ें तर्णित भूगि भो, अनुसूचे के पद (2) में जॉल्लसिव सार्वजॉनक प्रबोजन के लिये आवश्यकत है, अतः भू-अर्जन अभिनियन, 2015 रांशोधन (क. एक, सन् 2013) को धारा 19 के अंतर्गत इसके हास

भुम के नक्शे (ग्लान) का निरोक्षण, फलेक्स्प्र

# यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये

# अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाउा)

अर्थित एकना

(記)的 (2)

0.0080

0.0760

0,0840

(क) जिल्ला—सतना

जा सकता है.

तहस्रील—नागौद (ন্ধ)।

यत्तरा नं.

(1)

1001/1/1

1002/1/1 1002/1/2

- ागर∕ग्राम—मौहाराँ (ग)
- (u) क्षेत्रफल—1.2530 हंक्टेंबर,

3254

(2)

सालंजनिक प्रयोगन जिसके लिये अर्जन आवश्यक कार्यप्रालन बंधी, भगेदा विकास संभव 훕 क्रमांक 7, जिला जतना (भ. प्र.) द्वारा वरती व्यण्यतंत्र गरिगःजना में जरमी व्यपनतंत्र परियोजना अंतर्गत नागौद (मतना), शाखा नहर के अंतर्गत भमरहिवा माइतर तहर के निर्माण हेतु.

3.2960

योगः

. .

		<u> </u>			
नध्यप्रदेश	રાજાપણ.	ाटनाक	12	जलाइ	2024

allat .1.]		নগুৰহুৱ ধাৰণস, বিনাৰ	મ 12 જાલાફ ટા	124	525
(2)	सावंजनिक प्रये	जिसके लिये अर्चन आवश्यक		(1)	(2)
(2)		तन यंत्री, नर्मदा यिकास खंभाग		307	0.0240
		ieii राइना (म. प्र.) द्वारा चरनी		287	0.0180
		ोजना में अरमी व्ययवर्तन मरियोलना		289	D.   120
		(सतन), झाखा नहर के अंतर्गत		238	0,0590
		त के इटमा माइनर नहर के निर्माण		291/1	0.0910
		n da Seur présió 154 de marca d		291/7	0.2050
	डेतु. जन्म के कार्य	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		292/2	0.0080
(3)		(प्लान) का निरोक्षण, फलेक्टर		261	0,1790
	· •••	बिशो त्ततना के न्यायालय में किया		281	0.0650
	जा सकडा है.				0.0110
ज. <u>1346</u> ा	ণ এ <del>জ</del> ল−2024	— चूंकि, राज्य शासन को इस बात		259	
		वे दी गई अनुसूची के एद (1) में		258	0.0120
		छ (2) में उल्लिखिड सार्वजीक		257	0,0480
		अवः भू धर्जन अधिनियम, 2013		143	0.0050
		की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा		242	0.0170
		का भूमि की उक्त प्रयोगन के लिथे		241	0.0680
ाङ् सामग्र (मेर) सलहराकता है:		14 Total and March 19 1011		240	0.0570
anada a antin'ny fi	275	जानी		145	0,0070
		्यूची		147	0,0700
()) মূ	न का वपन—(	ং. y. খান্তন/নির্লা ব্যারা)		145	0.0050
(क)	) जिला—सतन	1		146/1	0.0970
(स) (ख)				148/2	0.0660
				235	0.0660
(ŋ)				235	0.0082
(ब)	₩ <b>तफल्व</b> —3.5	200 हेक्टेयर		, 234	0.0730
	रत्ररास नं.	आर्जित रक्तना		226	0.1750
		(है, में)		214/1/23	0,060C
	(1)	(2)		213	0.0130
	369	0.0410		163	0.0050
	370	0.0540		164	0.1290
	371	0.0650		169	0.0320
	436	0.0340		213	0,0030
	373	0.1250		212	0.0750
	375	0.0970		1/2/1	0.0490
	375/1	0.0120		172/2	0.0250
	375/2	0.2250		17.3	0.0600
	377/2	0.0170		130	0.0850
	401	0,0950		nan	0.0640
	407	0.0330		18.2	0.0640
	403	C.0420		18.3	0.0130
	404	C.9760		184	0.1510
		0,0100			
	108			र्यान.	3.5400
	405	0.0460	(2)	ज्यतेन्द्रिक प्रयोग	जन जिसके लिये अर्जन आवश्यय
	416	0.3720	142		া বঁরা, নার্যা আঁকেম অথ
	415	0.0090			सतना (भ. प्र. ) द्वारा वरमी व्यावर्टन
	335	0,0310			सतना एग. ४.७ द्वारा अस्ता व्यावदः स्योः व्ययन्तेन भारेमंजनः अंहले
	333	0,0390			
	319	0.0490			्याद्या नहर के अंतर्गद मौदार सन्द्र सम्पन्न नहां के के गंग देव
	323	0.0020			वस्ता माइनर तहर के निगांश हेडू.
	320	0.0790	(3)		(प्लान) का निरोक्षण, कलेक्ट
				5	ਤਿਹਰ ਤੁਹੁੰਦ ਹੈ - ਆਪਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਦਰ
	322	0.0720 0,0330		्भू अजन), 15 जा संचला है.	वेला जगना के न्यायाक्षण में किय

[ ר ויווי

क. 1347-भू-अर्लन-2024. - चूंकि, राज्य शासन को इस जात का समस्यान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूर्चा के एद (1) में वर्षिंद भूमि की, अनुसूची के गद (2) में उल्लिखिड सार्वजीक प्रगोजन के लिये आवश्यकता है, अतः मू-अर्जन व्यक्षिनियन, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्व? यह घोषित किया जाता है कि इक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:---

भूमि का वर्णन—(=. प्र. शासन/निजी खांदा)

- (ক) জিলা মন্যনা
- (ख) तहसोल—नगैद
- (ग) नगरआण—राष्त्रीमाफो
- (घ) क्षेत्रकल 0.8540 हेन्स्रेथर

खनरा चे		धार्जित स्कृत्र
		(F. II)
(1)		(2)
1177		0.1690
52		0.1390
14/1/4		0.2690
11/2		0.0040
15/3		0,0130
<b>`6</b>		0.2450
5		0.0060
17		0.0100
	योग	0 8540

- (2) सार्यजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्लन आजस्यक है कार्यपालन 'यंत्री, जनदे। विकास संभाग क्रमांक-7, जिला स्ट्रनन (न. ग्र.) द्वारा बरगी ज्यवचर्तन परियोजना अंदर्गत नागीद (स्वतन्त), शाखा ज्वर के अंतर्गत उमरहाट जितरिका के न्द्रकोग माइन्स नहर के निर्माण डेत.
- (३) भूमि के नगरे (प्लान) का निरीक्षण, कलेकर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यापालय में किंगा का मकता है.

क. 1567 भू अर्थन-2024.—च्च्रींक, राज्य सामन को इस तात का ममाधान हो भया है कि नीचे दी गई अनुमूर्ची के पट (1) में वांग्रेंड भूमि की, अनुमूर्चों के पद (2) में उल्लिप्रित सार्वजतिक प्रयोजन के लिये आवश्यकतः है, अठ: भू-अर्जी अभिनियम, 2015 संशोधन (क. एक, सन् 2015) की घरा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा वह बोषित किया जाता है कि अत पूर्ति की टक्क प्रयोजन के लिये अवश्यक्ता है:--

# अनुसूचां

- भूमि क वर्णन—(म. प्र. शासन/ताजो खाता)
  - (क) जिला—सतना
  - (ख) इडसील—विरसिंहनुर
  - (म) नगरत्याम—अभिलिया
  - (४) क्षेत्रफल—0.1060 हेक्केयर,

खमर नं.		,	अर्जित स्कबर
			(हे, में)
(1)			(2)
2/3			0,1060
	यं ग		0.1060

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये थार्थन आवश्यक है— 'अरगी व्यपवर्तन गारेयोजना अंतर्गत कानीद सतक, शाखा चहर की टेल वितरिक, के निर्माण हेतु.
- (3) भूषि के न्यसे (फान) का निरोक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), ॉलला सतना के न्यायालय में किथ जा 4-6ता है.

क. 1399 भू आर्जन 2024.— मूर्कि, राज्य शासन को इस अज का समाधान हो गरा है कि नीचे हो गई अनुसूर्या के पद (1) में वर्णित भूमि की, जानुसूर्या के पद (2) में उल्लिडॉखत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवस्यकता है. अतर भू आर्जन अस्थिपियम, 2013 संशोधन (क. २७, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके इटर यह घोषित किया जाता है कि उन्हा भूपि की उभ्य प्रयोजन के लिये आवस्यकत्य है.—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्मन-(म, प्र, श्रम्सन/निजी खाता)
  - (क) विल स्वत
  - (ख) तहसील—सन्पुर बाघेलाग
  - (ग) नगर-प्राप्त-संहरूआ नं. 1
  - (घ) शेवफल 0.7710 हेक्टेक्स

खम्रा नं.		з	वर्षित २५०० -
			(記 中)
$(\cdot)$			(2)
14/1/1			0,1900
04/1/2			0.0990
14/2			0.0420
	योग		0.2710

(2) साथंजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्थन आराध्यक ई— बरमी स्वष्टपर्टन परियोजना अंतर्गत रोज शाखा सहर के अन्तर्गत ॉसंस्टपरी सबमाइनर 2 के निर्माण हेग्रू.

· ·		(* *			
मध्यप्रदेश	राजपत्र	दिनाक	17	जानाड	7:174
10012430	V-1124	1.26 11 -11		21/10/2	*****

SIG 1]	শংশস্বহা র্জাগর, বিশাস	ଳ ୮୬ ଗୁମାର୍ 2024		
(3) भूमि के नक्झो (ग	लाग) का निरीक्षण, कलेक्टर	(1)	(2)	
	। रातना के न्यायालय में किया	83/2	0.073D	
जा सकता है.		77/1	0.0510	
सतन, दिनांक २४	s and 2024	77/2	0,0360	
	**	77/3	0,0360	
क. 1368-भू-अर्जन-2024. च्		77/4	0.0370	
क्त समाधान हो गया है कि गौचे दी		77/5	0.0360	
वर्णित भूमि को, अनुसूची के पट (		77/6	0.0460	
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अव		77/7	0.0360	
संशोधन (क्र. एक, सन् 20:3) की		777B	0.0590	
यह मोथित किंथा जाता है कि दक्त <sup>4</sup>	भूमि को उका प्रयोजन के लिय	77/9	0.0390	
आक्श्वकता है:	_	77/10	0,0230	
अनुसूच	त्री	57	a, 10 <del>9</del> 0	
(1) भूमि वत वर्णन—(म. 1	র হারেন/নির্ধা ধ্রার।)	58	0.37FD	
		65/1		
(क) जिला—'स्रवना		65/2		
(ख) इडसील—विरसि	<u> </u>	65/3/1	0.3040	
(ग) नगर/ग्राम—चं≾ई		65/3/2		
(પ) ક્ષેત્રપત્ને—5.9480	) इंक्टेवर,	65/3/3		
यसग न.	অর্তির ২৬৬।	80/1		
200	(हे. में)	60/2/1		
(1)	(2)	60/7/7	0.7550	
107/1/5	0.0240	60/3/1		
107/1/6	0.1150	62/3/2		
106/1/2/2/1/1/1/		60/3/3		
	0.2690	64/1		
106/1707/1/1/1/2 106/1/1/1/2	D. 1 : CO	64/2		
	0.1870	64/3/1	0.7380	
106717172		64/3/7		
106/1/3	0.1510	64/3/3	22212	
105	0.1100	50/1	0.2010	
104/1/1	2.0910	50/2 30/3/2	0,2720 0.0130	
104/1/2	0,0810	50/3/2	0.1050	
104/1/3	0.0800	69/1	0.0460	
104/9/4	0.0360	93/1	0.0610	
104/275	0.0880	93/3	0,1460	
104/2/0	0.0150	36	C.0040	
101/2/2	0.0320	76	0.0250	
104/2/3	0.0260	: "7/7/7	0.0050	
95/1/1	0.3030	योग	5.9480	
95/2/3	0.2930	-11-1 		
95/2/4	0.1810	(-)(h = a h =	£	
96	C.0350		। किसके लिये कर्जन कर्णकर के जन्म	
s7/1 0.3400			নি বংশিটালনা গাঁৱাৰ কি চিলনি দিব	1 1:1 4-
97/3	0.0970	स्तिन शाख नहर	કાળમાંગ હતું.	

0,1000

0.0570

0.0290

97/4

83/1/0/1

83/1/2

भूमि के नवशे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (3)(भू आजेत), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

NPT 1]

सतना दिनके 1 जुलाई 2024 क्र. 1894- भू अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शालन को इस बात का समाथान हो गया है कि नोचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्षित भूषि की, जानुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक अयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू–अर्डन अधिनियन, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की बारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा वह सोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की टक्क प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

#### अनुसूची

()) भूमि का नर्णन-(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला---स्तना
- (ख) इहसोल समपुर अत्येलान
- (ग) नगरप्राम—अकौनी कोटार
- (भ) क्षेत्रफल-1.9150 हेक्टेयर.

खसरा न.	ম্বৰ্তিৱ দে <b>ন্ধ</b>
	(हे. नें)
(1)	(2)
213/1/1	0,0990
213/1/2	0.0990
204	0.0260
203	0.0800
202/1	3.0240
202/2	0.0160
202/3	0.0870
196/7	0.0830
196/2	0.0130
108	0.0070
105/1/0	0.0170
106/1	0.0450
106/2	0,0060
106/3	0,0050
106/4	0,1090
107/1	0,0750
107/2	0,0050
114	0,0580
96	0.0840
115	0.1000
95	¢.0420
118	C.0350
120	0.0710
94	C.0130
122/1	C.0770
122/2	C.0770
122/339/1/1	C.0150
122/259/1/2	C.0150
122/239/2/1	C.0150
122/239/2/2	0.0160

(1)		(2)
124/1/1		0,0190
2/1/17		0.0500
2/1/1/2		0,3600
2/1/2		0.0100
2/7		0,0800
	योग	 1.9150

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अजने आवश्यक है— तस्मी व्यपवर्टन गरियोजना अंतर्गय सेना शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं लेक्षाय राव माइनर 1 के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निर्धेक्षप, कलेक्बर (भू-अजने), जिला सटना के ल्यापालय में किया जा सकता है.

क. 1395 भू-अर्लग-2024.—चूंकि, राज्य शाखन की इस बात का समाधात हो गया है कि नीचे दे गई अतुसूची के पद (1) में वॉर्णत भूमि की, अनुसूची के पद (2) में डॉल्टलिंग सार्ववनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकत्तवा है. आवे: भू-अर्जन अधित्तियम, 2013 संशोधन (क: एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गढ इंसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

# अनुसूची

भूदि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी (std))

(क) जिला-स्वता

(छ) तहसील—रमपुर वाघेलान

- (0) नगरुग्राम—आंबसे कोटार
- (घ) क्षेत्रफल 4.7310 हे स्टेथर

ग्त्रसरा नं.	अस्ति (कब
	(हे, में)
( : )	(2)
143/0	0.2150
i44/1/1	0.1740
144/2	0.0840
145/2	0.0220
146/1/2	0.0570
148/2/2	0.0610
148/2/1	0.0250
149/1/2	- 0.0690
149/2/2	0.0080
114	0.1620
1/02/1/1	0.0240
107/1/2	0,1230
1 02/1/3	2,1050
105/582/1	0.0400

[মান ।

	1 14 50 31 19 19	Her IF Studies 14	
(1)	(2)	क्र. 1396	न्त्रॉक, राज्य शासन को इस बात
101/582/2	0.0600	का समाथान हो गया है कि नीचे	
102/2	0.2430	वर्णित भूवि की, अनुत्तूणी के पद	
46/2	0.0370	प्रयोजन के लिये आवश्वकता है. र	
46/3	0.0140	संशोधन ( ж. एक, सन् 2013) क	
46/4/1	0.0370	वह घोषित किय जहां है कि उचल	
46/5/1	0.0910	आवश्य ६५. हे:	
46/5/2	0.0910	अनुस	ન્વી
30/3	0.0610	(1) બૂધિ તન વર્ષન— (ग	
91/3	0.0080	(1) ýt na del (n	. X. MINERED MIND
41/2	0.0500	(क) बिला—सतना	
44/1	0.0120	(ख) तहसील सन्द	गुर जामेलान
4477	0.0450	<ul> <li>(ग) नगर/ग्राम- सेंह</li> </ul>	
44/3	0.0700	<ul><li>(घ) क्षेत्रग्रन—1.78</li></ul>	30 हेक्टेगर,
29/1	0.0100		अर्जित रकबा
29/2	0.0400	खखरा नं.	जाजग्र रक्षमा (हे. में)
124/1/1	0.0610	(2)	
124/2	0.1070	(1)	(2)
125/2	0,0300	66/1/2 66/2/1	0.147
126/1/1/1	0.0410		0,048
126/2	0.2800	66/2/2	0.048 0,048
86/1	0.0950	66/2/3 70	
86/3	0.0950	69 69	0.007
87/3	0.0160		0.120
89/5/1	0.1350	74/1	0.015 0.015
89/1/2	0.1000	74/2	
89/2	0.0150	74/3	0.015 0.105
115/1	0.1250	261	0.001
115/1	0.2500	259	
104/2	0.0090	260	0.056 0.003
97/1	0.5000	756	
97/2	0.3820	258	0.061
121/1	0.0120	257	0.041 0.001
121/2	0,0200	97	0.032
121/677	0.0240	90/7	0.019
121/678	0.0080	9307	C,005
122/1/1	0.0480	93	0.003
वांग.	4.2310	84/1	0.015
		K5/1	0.002
सार्वजनिक प्रयोजन	निसये लिये अर्जन आजरगज	95/1	0,010
है। जरमी व्यप्तते	- परियोजना अंतर्गत रीचा शाखा	95/7	0.369
নয়া ভালোহী থিয়া	isel एवं खेरिय, गैंगस्कर माइनर	84/1/1	0,048
के निर्माण हेटु.		84/1/2/1	0.018
		047.17.201	0.0.0

(3) भूमि के नगर्श (फान) का गिरीक्षण, कलेक्टर (भू-अजेर), जिला सतन के खयलय में किंगा जा संजता है.

(2)

(हे. में) =
(2)
0.147
0,048
0.048
0,048
0.007
0.120
0.015
0.015
0.015
0.105
0.001
0.056
0.003
0.061
0.041
0.001
0,032
0.019
C,005
0.003
0,015
0.004
0,010
0.369
0,048
0.018
0,087
0.054
0.004

0.062

(1) (2) 18/2 0.024 17 0.055 115/2 0.005	(1) 401/2	(2)
°7 0.055	401/2	
		0.0320
	401/3	0.0390
16 0.003	401/4	0.0800
116/1 0.033	402/1/2/2	0.2570
117/1 0.030	407/1/5/1/1	0,0960
14/1/1 0.096	402/1/72	0,037C
12 0.081	402/1/8/1/1	0,0010
11 0.016	402/1/8/2	0.0580
nc/1 0.010	403/1	0.1890
10/2 0.121	403/2	0.0390
8/1 0.064	404	0.0500
8/2 0,014	40//1/1	0,0430
8/3 0.068	407/1/3	0.0380
यंग 1.783	407/1/8/2	0.0840
4112	407/2	0.0260
(2) सार्वजनिक प्रयोजन डिसके लिये अर्वन आवश्यक	331/0	0.0890
है— बरगो व्यपततंन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा	331/2/1	
तहर के अन्तगंत लेहरूआ। माइनर के निर्माण हेतु.	329	0.1140
	332	0.0130
(3) भूमि के नजरो (५४१२) का गिरीक्षण, कलेक्टर	337/1/1	0,0800
(भू-अर्जन), जिला खतना के न्यायालय में किया	337/1/2	C, 0390
ल सकत है.	314/1	C.0590
ø. 1397-भू-अर्जन-2024, 'चूंफ़ि, राज्य शासन को इस जात	314/2	C.0670
का समाधान हो गया है कि गीनों दी गई अनुसूची के यद (1) में	313	C.0080
बणित भूमि को. अनुसूची के पद (2) में उत्तिलखित सार्वजनिक	310/1	0.0400
प्रयोजन के लिये शावस्वकत है, अतः भू-खर्जन अधिनियम. 2013	31//1/1	0.0900
संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की पास 19 के अंतर्गत इसके दारा	3/17/2/1	0.1030
गह घोषित किया बाता है कि उबत भूमि को क्षत्र प्रयोजन के लिये	479	0.1110
आवश्यकता है:—	4R0/2	0.0010
अनुसूची	480/3	0.0010
<ol> <li>(1) भूषि का वर्णे÷─(म. प्र. शालन/विजी खाता)</li> </ol>	478/2/1	0.0100
fil dia na tari (a No anti a ⊂on)	477	0.0830
(ক) बिला—स्तत	475	0.0280
(ख) तहसील प्रमपुर अपिझन	472/2	0.0160
(ম) নগ/এমি—কল্ল	473	0.0640
(अ) क्षेत्रफल—5,0140 हेक्टेक्स.	494	0.0370
खल्पस नं. आर्जित रजन्म	493/1	0.0260
(č. ji)	4 <del>3</del> 6/1/1	0.0540
(1) (2)	496/1/2	0.0220
388/1 0.1640	196/2/1	0.0770
365/2 0.0780	499/2	0.0490
363/3 0.0780	500/1/1	0.0520
390/2 0.0490	500/1/3	0.0520
390/3 0.0490	185/1	0.0260
722 0.1080	185/2/2	0.0250

भरग 1]		मध्यप्रदेश राजगत्र, दिनाव	দ 12 জুলাই 2024	
	(1)	(2)	अनुसू	र्वा
	184/2	0.0660	्र (।) भूमि का वर्णने— (म.	
	183	0.0720		
	h82/1	0.1510	(क) किला—सतन -	
	182/2	0.0400	(ख) तहसील—समपुर	
	178/3/1	0.6580	(म) नगर/ग्राम—लंदरा	
	178/4/1	0.1040	(म) क्षेत्रकल—5.464	0 हेजरेगर्
	177/1	0.0500	खस्त में	ऑर्जित एकवा
	177/2	0.0500		(종 취)
	17774	0.0750	(1)	(2)
	177/5	0.0250	13/1	0.0020
	1/5	0.0700	17/1/1/1	0,0750
	174/2/1	0.1270	12/1/2	0.0750
	164	0.0850	2/	0.0070
	161/1	0.0240	116/2	0.2020
	160/1	0.0110	163/2	0.0260
	90/1	0.1070	231	0.0160
	90/2	0.0810	246	0.0250
*	91/1	0.0040	249/1	Ç,0040
	90/2	0.0050	250	C.007.0
	95/1	D.1910	44R	0,0290
	\$573	0.0020	453	0.0620
	101	0.1870	454	0,0160
	100	0.0120	434	0.0320
	40/1	0.0470	470	0.0250
	40/2	0.2310	423/2	0.0020
	37	0.0090	363	0,0440
	38	0,1380	358/1	
	39/2	0.0020	358/2	
	યોગ	5,0140	358/3	0.0500
2		तेसके उलेवे अर्जन थात्रश्यक	358/4/7	
(2)		जसक रतत्र जन्मन वातरमक परियोजना अंतर्गत रीया स्तम्ब	358/4/2	
			258/5	
	नहर के कल्ला सब	माइनर के निर्माण हेडु,	352/1	0.1680
(3)	भूमि के न% । ('स	ान) का निरीक्षण, कलेक्सर	352/2	
		त्ततन के न्यायालय में किया	9/1	0,0320
	जा सवाता है.		10/2	0.1850
			11/1/1	0,0450
क्र. 1398	খ্য <b>এজন-2024.—</b> স্কুঁটি	क, राज्य शानन को इस जात	11/2	0.0470
का अभाषान त	रो गवा है कि नीचे दी	गई अनुसूची के पद (1) में	27	0,1650
वॉणेंत भूमि व	) भे, अनुसूची के पद (2	<ul> <li>में द्रश्लितिवत सर्ग्वजनिक</li> </ul>	24/1	0.0912
प्रयोजन के लिये आजहरकता है. यत: भू–अर्जन अधिनियम, 2013			24/2	0,0560 0.1320
संशोधन (क्र.	५५, सन् २०१३) को ध	त्तरा १५ के अंतर्गत इसके हार	25/1	0.1523
यह घोषित कि	त्याजाताई कि तथत भु	मि कौ उक्ता प्रयोजन के लिये	32 17 17 17 1	
आग्रहथ स्ता है			2237171/2 12171/2	
			12:7.02	0,2350
			12.7.0.3	N120 10

3261 \_\_\_\_

		 	. –	
(1)	(2)		(1)	(2)
171/2/1			719/1	0.0640
121/2/2			219/2	0.0170
121/2/3/1			248	0.0070
21/2/3/2			251	0.0180
23/1/1/1			753	0.0400
123/1/1/2			254/1	0.0790
123/1/2			755	0.0192
123/1/3	0.0820		256	0,0020
123/2/1			257	0.0020
:23/2/2/1			258	0,0020
123/2/2/2			767	0.0280
126	0,1150		260	0.0060
128/2	0.1070		449	0.0400
129/1	0.2850		455	0.0570
136/1	0,1640		439/2	0.0100
136/3	0.7750		439/3	0.0150
136/5	0.0500		439/4	0,0150
146/1	0,0320		439/32/1	0.0700
146/2	0,0320		439/32/2	0,0050
146/3	0.0120		460	0.0700
146/4	0.0610		468/1	0,0330
147/1	0,0400		47 [7]	0.0080
147/2	0.0160		471/2	0,0770
147/3	0.0400		472	0.0060
14774	0,0400		477/1	0,0200
165	0.0050		477/2	0.0040
164/1	0.2200		477/3	0,0040
164/2	0,0200		477/4	0.0040
200/2	0.0020		477/3	0.0040
201	0,0580		477/6	0.0200
201	0,1750		478	0.0750
198/11			479	0.0280
198/2	0,0020		480	0.0060
198/2	(dunt o		481	0,0900
205/1/1	0.0490		365/1	0.0060
205/0/2	0,0020		365/2	0,0080
707/7	0,0090		366/1	0.0340
207/2	0.0480		356/2	0,0840
207/2	0.0480		362/1	0.0200
19.3	0,0400		362/2	0,0080
·9-: ·94	0.0400		350	2.0320
218	0.0520		359	0,0450
218	0.0150		354/1	0.0200
229	0.0300		354/2	0.0340
730	0.0360		353/1/1/1	0.0020
7.00	100 D D 10		353/1/1/2	0.0070

(1)		(2)
353/1/2		0.0060
492/2		0.1250
450/1		0.0500
26		0.0550
	योग	5.4640

- (2) सार्यजनिक प्रयोजन जिसके लिये अजने आवश्यक है— वरगी ज्याजतेन परियोजना अंतर्गत रोवा शाखा गहर के सौनौरा चितरिका के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्से (प्लान) का निर्दाक्षण, करोकरें (भू-अर्जन), जिल्हा सतन के न्यायालय में किया जा सकता है.

क. 1400 भू अर्जन 2024.— ्ं(कि, राज्य शासन को इस बात का समस्थान हो गया है कि त्तीचे हो गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूषि की, अनुसूची के पद (2) में जल्लसित सावजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यवज्ञा है. उन्नत भू अर्जन अभिनियम, 2013 तंक्रोधन (उट २क, २न् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह योषित किया जाना है कि उवत भूषि की उप्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

# अनुसुची

(1) गुमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) दिला---सतन
- (ख) तहसील—समपुर बावेलान
- (ग) नगर/प्राम—स्प्रेलपरी
- (u) क्षेत्रफल—0.9710 हेक्टेयर.

મ્લયા મેં.	अर्जित रकबा
	(हे. में)
(:)	(2)
467	0.0140
465	0.0780
466	0,1040
464/2	0.0610
464/2	0,0670
470/3	0.7170
463	0,0340
459/1/1	0.0450
159/1/2	0,0510
459/2	2.1180
16C/1	0.0460
460/2	2,0450
460/3	0.0460
460/4	0.0450
460/5	0.0010

 (1)
 (2)

 460/6
 0.0120

 460/7
 0.0120

 460/8
 0.0120

 460/9
 0.0110

 道町
 0.9710

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्लन आवश्यक है बदगी व्यक्तर्जन परियोजना अंतर्गत रॉवा शाखा नहर के सेहरूआ माइनर के निर्णाण हेत.
- (3) भूषि के नरहे (भ्वान) के निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

9. 1401-भू-अजेत-2024.—चूंकि, राज्य आसन को इस जात का सपाधान हो गया है फि तोचे दी वई अनुसूची के पद (1) में विंटि भूमि को, अनुसूची के एद (2) में उल्लिखित तार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः पू धार्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्व. एक, सन् 2013) को धारा 19 के अंडगंत ३सके द्वारा यह घोषित किया जाता है फि उख्त भूमि को अक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूचो

- (1) भूमि का वर्णन--(म. प्र. शासन/तिजो खाता)
  - (ক) জিলা∺ময়না
  - (क्ष)) तहराँल---रामपुर बाघेलन्त
  - (শ) নগাং/য়াম যাথগাংগী
  - (घ) होत्रफल ५.२७६७ हेन्स्टेयर

ख़सग तं.	अर्जित रक्तव
	(इ, में)
(1)	(7)
359	C,1710
362	0.0110
360	0.1540
364	0.0280
565	0, 156 D
367	0.3790
363	0.0470
366	0.0490
387	0.3990
496/7	0.0050
436/4	0.2°7C
398/2	0.0160
494/1	0.1750
484/2	0,2320
485/1	0.1460

िभागः :

	(1)	(2)		अन	सूचे
	485/2	0.0040		्य (1) भूमि का राणने ⊶(म	
	511	0.0320			
	483/1	0.0050		(क) जिल्ला—सक्ता	
	483/2	O 0840		(ख) तहसील—को	
	512/1	0.0680		<ul> <li>(म) नगर/प्राम-–भंग</li> </ul>	17
	512/2	0.2100		(ম) স্বাসকল—৪.13	240 हेक्सेयर
	513/1	0.0420		रास्त्र न.	अर्थेत स्कब्र
	464/2	0.4370			(吉, 节)
	<i>5</i> 15	0.3520		(1)	(2)
	516/1/1	0.1700		535/2	0.5030
	516/2	0.2190		\$22/1	0.1010
	516/3/1	0.1040		522/23/1	0,0500
	519/1/2/2	0.0150		577/73/2	0.0500
	519/1/2/3	0,1380		522/23/3	0.0300
	519/1/4	0.1690		520	0.9610
	519/1/6	0.0910		681	0.0220
	519/2/2	0.1/20		680	0.2870
	567	0,2390		582	0.6470
	55B	0.2470		695/1/1	
	556/1	0.1100		895/1/2	
	556/2	0.0240		695/2/1	0.3880
	SSS/1	0.0240		695/2/2	
	SSS/2	0.1120		696/1/2	0.0580
	573/1	0.0010		374/1/2	0.0140
	382/593	0.0890		697/1/2	0.0120
	572/1	0.0950		699	0.0370
	+577/2	0.4900		698/1	0.0300
	552	0.0190		281/1	0.3250
	'થોગ	5.9050		281/2	0,1850
(2)		1न लिसके लिये अर्जन अ		250	0.0150
(2)		वन एकराका लाभ जलाह ज विन परियोजना अंदर्गद रीव		279/1	0.2300
				275	0.0180
	નફર્બ પણાર	थ वितरिको के गिर्माण हे	.g.	276/2	2.0040
(3)	भूमि के नक्ष्णे	(फान) का गिरीक्षण, व	रूलेवटर	278/3	0,0080
		ाः सतना के न्यायालय मे		276/4	C.0170
	जा सकता है.			2/0/1/2	0.1790
				270/1/3	
क. 1407-	भू-अर्कत-2024.—	चूंकि, राज्य शासन को इ	হে নার	275/%	0.0790
का समाधान ह	प्रेग्ग है कि <del>न</del> ीये	ो गई अनुसूची के <u>न</u> द	(1) में	275/2	
		(2) में उक्तिसंखित याः		2/1/17	0,0410
प्रयोजन के लि	चे आगस्यकता है. व	aa: भू अजंग आंधनियम्	2013	271/1/2	0.0740
रांशीका (क्र. 1	एक, सन् 2013) क	ती धारा १९ के आंतर्गत इस	केंद्वर	271/2	
बड कोमिट कि	<mark>या बाधा</mark> है कि ठक	। भूमि की उक्त प्रयोजन ह	के लिये	273/1	0.0120
ंभावश्यवज्ञा डैः				272/1/1	0.0330

272/1/2

272/2

0.0100

(2)

0.0420

0.0100

0.1050

(1)

269/1

269/2

768/1

268/2

46. 1408-भू-अर्जन-2024.— चुंकि, राज्य शासन को इस बज का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्गित भूमि की, अनुसूची के गद (2) में जेल्लाखत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अट: भू अर्जन अधिनियम, 2013 रांशांभग (क्र. एक, सन् 2013) की धन्म 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह ओषित किया जाता है कि उका भन्ति की ठका प्रयोजन के लिये

268/2			
267/1/1		यह घोषित किंगा जाता है कि उक	त भूषि को उक्त प्रयोधन क
267/1/2	0,0460	आवश्यक्ता है:	
267/1/3		अनुन्	सूचा
265	0.2120	(1) भूॉम का वर्णन—(म	. प्र. शासन/तिजी खाता)
266/1	0.0720	(क) तिल्ला—सतन	
266/2	0,0450		-
265/3	0.0190	(ख) तहसील-कोव	
256/2	0.0780	(म) नगरवाम—टीव	
246/1/1	0.0230	(घ) क्षेत्रफल—6.88	100 हिंब्येनर,
246/1/2	0.0700	भूबसर। मॅ.	अर्जित रकना
246/1/3	0.0200		(हे. में)
246/3/1		(:)	(2)
249/2/1	0.1460	11/2	0.1730
250/2/1		11/3	0,1230
246/3/2		17/1	0.3040
249/2/1	0.1460	12/2	0,3030
250/2/2		14	0.0490
246/3/3		27/1	0,1200
249/2/3	0,1460	27/2	0.1370
250/2/3		27/3	D,1200
246/3/4		28	0.2400
249/2/4	3.1460	26	0.2850
250/2/4		25	2.1640
250/1	0.0200	24	0.1260
248/1	0.077C	/2	0.0930
248/2	0.0570	73	0.2820
293/3	0.0040	74/1/1/1	0.0080
293/4	0.0150	74/1/1/2	0.0080
277	0.2040	74/1/2	0.0120
381	0.0010	75/1/3	0.0120
521	C.0020	74/1/4	0,0120
523/1	C.0100	/4/2	0.0090
499/1	C.0110	75	0,1860
/199/2	0,0050	· /6	0.0850
499/3	0.0050	77/1	0,0670
-	前町 5.1240	84171	0.1060
		54/2	0,0420
	प्रयोजन बिसके लिये अर्जन आवश्यक 	776/**	0.0290
-	व्यपनतेः पारयोजना अंतर्गत नागौद-	76/2	0.C290
	ाहर के निर्माण हेतु.	198	0.0410
भूंमें के न	वशे (प्लान) का निर्शसण, कलेक्टर	199	0.0810
-			

200

0.0930

(3)

जा सकता है.

(म्-अर्जन), जिला यहना के न्यायालय में किया

(2)

গ্ৰন 😳

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिगांक 12 जुलाई 2024

∫भलाा

(1)	(2)	(1) (2)	)
209	0.0200	13/2 0.12	10
207	0.0120	172 0.06	
201/2/2	0.0190	173 0.06	10
201/2/3	0.0120	123/17171 0.04	cc
201/2/4	0.0120	योग 6.88	00
203	0.1900		-
707/1	0.1190	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके वि	त्ये अर्जन आवश्यक
207/2/1	0.0420	है— जरमो व्यमवर्डन परियोज	ग्ना शंतर्गत मानौद-
207/2/2	0.0420	स्तवन शाखा नहर के निर्माण	हेतू.
206/1	0.0480	(३) भूषि के लक्षे (५००२) का	- निरीक्षण, कलंक्टर
206/2/1	0.0310	(भू-अर्जन), जिला सतना के	
206/2/2	0.0310	्रूजनगु, जिला स्वयं य जा सकता है.	
496/2/2/1	0.4280		
495/2/2/2	0.4780	क्र. 1409-भू-अजन-2024 चुंकि, राज्य	
232/1	0,1700	का समाधन हो नया है कि नोने दो गई अनुस	
232/2	0.0080	वर्णित भूमि की, अनुसूची के मद (2) में डी	
235	0.0370	<u>प्रयोजन के लिये आवश्यकडा है, अतः भू–अर्व</u>	
'74	0.0590	संशोधन (क. एक, मन् २०१३) की थास 19 थे	
175	0,1050	ंबह गोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उ	क्त प्रयोजन के लिये
236	0.1620	आवश्यकवा है:	
237/2	C,1430	अनुसूची	
Z41	0.1130	(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/	भिजी खाता)
250	0,0570		
251/1	0.0120	(क) जिला—सतन	
251/2	0,0120	(ख) रहसोल—कोठो	
257	0.0200	(ग) चगर/ग्राम चोरवर्त	
244/1/2	0,0280	<ul><li>(भ) क्षेत्रफल—5.5720 हेक्टेयर.</li></ul>	
746	0.0770	खसरा 🗟 अर्थित	কেৰা
242/1	0.0320	(ह.	
242/2	0,0920	(1) (2)	•
248/1	0.0460	64/1 C.474	
248/2	0,0450	61/2 0.18	
249	0.0400	65/1	
264/1	0.0060	66/3 0.111	50
264/2	0.0060	65/2	
265	0.0020	66/2/1	
31/0	0.0160	66/2/7 0.05	20
32/1	0.1000	65/5	
32/2	3.1%50	57/1	
32/3	0.1150	67/3 0,100	20
32/4	0.0680	67/4	
79	0.0200	57/2/2]	
ac	0.0250	67/2/1 0.059	2C
81	0.0320	57/5	
82	0.0360	4 - 2n mil	.0
83/1	0.1120	(7/7)4 0.11:	50

3266

		- ·			
- 1	TTATT	13.13	11.0		0.704
•	16643	16.195	1.2	STOLE	20224
ः ध्यप्रदेश	ST 11 11 1	1.4 1.1-		10000	T

-

	२,९मप्रदेश राजपत्र	. दिनांक 12 जुलाई 2024	3267
(1)	(7)	(1)	(2)
289/3/1		206/2	0.0200
289/3/2		205/3	0.0900
289/3/3	3.0810	703	0.0100
289/3/4		198	0.0240
289/3/5		/07/1	
297/1/1	0.1350	707/7/1/1	
297/1/3	0.0680	707/2/1/2	C.3900
297/2	0.0680	707/2/23	
290/1	0.0930	707/3	
290/4	0.0940	70774	
283/1/1	0.1450	708/1	0.4000
291/3/2	0.0290	708/2	0.1000
291/3/3	0.0290	197/1	0,0280
291/3/4	C.0300	197/2	0,0170
292/1	0.0900	197/3	0.0280
293	0,1730	197/4	0.0090
344/7	0.0050	195/2	0.0160
345/1	0,0050	196/2	0.0050
2.72	0.0010	709/1	0,0090
269/1	0.0040	709/2	0,0080
269/2	0.0020	716/2	0.0320
585/1	D.072C	296/1	0.0120
	0.0720	296/2	2.0210
665/2 686/2		298	0.0050
586/1 686/1	0.0130	295	0.0100
686/2	2.0120	294	0.1290
686/3	0.0120	280	0.0490
686/4	0.0120	671/1	
268/2	0.0430	67 1/2	C.1220
266/1/1	0.3040	671/3	
266/1/2	0.0850	677/1	0.0530
266/2	0.1190	\$737	0.1700
287/2	0.0810	673/2	0,1050
687/1/1	0,0650	279	0.0100
687/1/2	0.0300	274/1	0-020
687/2	0,0210	274/2	0.1866
694	0.2140	715/2	0.3020
695/1/1/3	0,0850	684/1/2	0.0650
595/1/2	0.0350	684/2/1	0.2300
695/3	0.2180	योग .	6.5/20
701	0.0200	-11-1	
702/1	0.1240	(२) सर्ववनिक प्रयोजन	<sup>•</sup> जिसके तिने अर्जन आजश्यक
702/2	0.1200	1.1	नने गरियोजना अंतर्गत नागीए-
702/3/3	0.1200	सतना जाग्या नहर	
20771	0.0300		-
2077777	C.0100		प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर मार्ट्स्ट्रेस के जन्म में फिल
207/2/2	C.0450	(भू काङन), जिल् जा सक्या थै.	।। सतना के न्यावरत्तय में किय

3267 \_ क. 1410 शू थार्डन 2024.— पूंकि, राज्य भासन को इस बाद का समाधान हो गया है कि नॉची दो गई अनुसुची के पद (1) में नगिंद भूमि की, थानुसूखी के पद (2) में उलिलखित रात्रवंजनिक प्रयोजन के लिये आवल्यकता है, अतः भू-अर्बन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. ६क, खन् 2013) की खास 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक्ता है:—

#### अनुसूचाँ

(1) भूमि का वर्णन-(म. प्र. शासनर्वनेजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटी
- (ग) नगर/साम घडेरूआ
- (Y) Bayer 4.0320 Backet.

खसरा नं.		अर्जिट रक्तया
		(हे. में)
(1)		(2)
78		0,6120
99		0.2750
90		0,6200
91/1/1/1		0.5380
91/1/1/2		0.1080
91/1/2		0.2380
91/2/1/2		0.0800
91/2/2		0.3710
99/1/1		0.1360
99/1/2		0.1580
99/1/3		0.1470
99/2/1		0.6370
97/3/1		C.0990
97/3/2		C.0790
	योग	4.0320

- (2) स्वतंत्रनिक प्रयोधन विराके लिये अर्वन आवश्यक है— बस्री व्यपवर्तन परिशेजन अंतर्गत भागीद-सतना शाखा नहर के सोहावल ठपशाखा नहर के स्पिपि हेत.
- (3) भूमि के लक्से (रतान) का निरौधम, कलेकर (भू-कड़न), डिला रातना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क. 1411- भू अपने 2024. चूँकिं, राज्य शासन को इस आग का समाधान हो गया है कि नांचे दो गई अनुसूची के पर (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित पार्वजनिक प्रशेलन के लिये आपश्वकड़ा है. अड़: भू-अजंन आंधनियम, 2013 अलोधन (क्र. एक, सन् 2013) की घरा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह कोंगित क्रिया जाता है कि उन्ता भूमि की उक्त अंगेजन के लिये अवश्यकड़ा है:---

		1.2.2.	•	
(ા) મુધ્યિ	ৰু: বৰ্ণন	—(म. प्र	. शासन/निष्टी	खात:)
(क)	ন্সিলা—	सतना		
(ख)	<b>इ</b> हसील-	—नागौद		
(ग)	नगर/ग्राम	— पुरूषोत्त	मपुर	
$(\mathbf{F})$	ধ্ৰ'ণ ফল-	-2.8990	हेक्सेयर	
ভ	इत्तरा नं,		अर्लिङ रकत	т
			(हे. में)	
	(1)		(2)	
	78/1		0.2700	
	-			
	78/1/N		0.0/20	
	78/1/2		0.4560	
54	/1/1/3/1		0,1820	
F-	4/1/1/2		0.0580	
5	4/1/1/3		0.1580	
	84/174		0.0410	
;	83/2/2		0.0300	
6	68//1/1		0,0020	
6	8/0/271		0.0260	
63	8/1/2/2		0.0470	
í.	\$6/7/2		0.4150	

54/1/1/3			0.1580
84/1/4			0.0110
83/2/2			0.0300
68//1/1			0,0020
68/0/2/1			0.0260
68/1/272			0.0470
66/1/2			0.4150
66/2/2			0.0200
88/2			0.0120
88/3			0.0120
88/4			C,0120
8875			0.0040
91/1			0.0040
91/2			0.0520
91/3			0.0080
91/4			0,0160
90/1			0.1400
90/2			0.1700
90/3			0.1%60
94/2/2			0.0070
92/1			0.0170
89/3/2/1			0.4510
6771			0.0360
6777			C.0430
	लोग	2020	2.8990

(2) सार्वजनि स प्रयोजन जियमें लिये अर्जन आवश्च्यक है— बरनी व्यवतंत्र परियोजना आंतपत नगौद सतला शाखा यहर के निर्माण हेतु.

(5) भूपि के चत्रशे (प्लान) का निर्माशाण, कलंक्टर (भू अर्थन), क्विला क्षत्रना के न्यलाजय में किया जा सकता है.

अनुसूची

क्र. 1412-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राष्प्र शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नोचे दो गई अनुसुन्तों के पद (1) में वॉणेंत भूमि की, अनुसूचे के पद (2) में अलिनखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वावश्यकता है. अतः भू-अर्जन आधानियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के थांवर्गत स्ताके हात यह भोगित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आजश्यकता है:

# अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन--(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला सतन
- (ख) तहसील नागौद
- (গ) কার্য্যান--গ্রার
- (n) Howen-2.0750 gastar.

खासरा नं.		এর্জিঃ ংক্ষলা
		(हे, में)
(1)		(2)
41/9/1		0.1610
41/10/9		0.0310
41/11/0		0,2100
41/5/2/1		0,0520
41/6		0.0920
74/1/6		0.1350
57		0.0450
75/1/1		0.0950
75/0/2		0.1750
73/1/3		0.1050
73/2/1		0.0300
75/2/2		0.0570
34/1		0.0360
34/2		0.0400
35/1/1		0,0360
75/1		0,1770
76/2		0.1730
/5/3		0.1730
33		0.0240
7771		0.0590
77/2		C.0650
77/3		0.0650
7971		0.0580
78/2/1/1		0,0190
78/2/1/2		0,016C
78/1		0,5880
73/3/1/1		0,0080
	येतः	2.0750

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्थन आवश्यक है – बरगो ज्यमवर्तन परियोजना अंदर्गद्र नागौद -सरना शाख्य नहर के निर्माण देव.
- (3) भूमि के नवशे (प्लान) का निरीक्षण, कलेन्ट्रर (भू-अजंग), जिला सतना के न्यायालय में किंगा जा मकता है.

## अनुसूची

(1)	भमि	का	वर्णे-	(म.	Ъ.	शास->निजी	खाता)
					~	N 1 N 1 1 1 1 1 1	

- (ক) জিলাল মানা
- (ख) तहसील रष्ट्रराजनगर
- (ग) नगर/ब्राट—समनुर चौरासँ
- (भ) क्षेत्रफरा—3.5170 हेक्टेवर,

खलरा नं.	अर्जित रक्तवा
	(हे. में)
$\langle \cdot \rangle$	(2)
557/3/7	0.0740
5537272	0.0480
78	0.9440
80	3.0020
712/1/5	0,1090
712(1/1	0,1090
563/3	0.1660
\$1/1/1/1	0.1040
9471	C.0480
105/2/6	0.4300
565/2	0.2440
91/1/1/2	0.1040
S62/0/2	0.1130
56.371	0.3650
819	0.0250
565/3	0,1210

	1. 14-	for every relation of Mand Tank	
(1)	(2)	554/1526/2/1 0.	;09
424/1/2	0.0120	554/1526/2/2 0.1	2-4
717/2	0.1090	554/1526/2/3 C.1	090
713/2	0.0160	554/1 0.3	630
757/3	0.0160	92/3 C.2	200
837/0	0.0080		170
92/1/2	C.0400		<u> </u>
583/7	0.0060	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके	
7 (C	C.1020	है· · बरगो व्ययवर्तन परिय	जिना अंतर्गत नगौद
554/1526/3	0.2170	सतना शाखा नहर के सोहक	ल्त अपशाखा सहर के
562/2/2	C.1190	निर्माण हेतु.	
\$61/27172	0.0740	(૩) મૂર્ષિ બેટ વનકો (પ્લાન) બ	പ്രസംഗംപംപം
91/2	0.5180	(३) म्यूम फानगरा (२०१७) म (भू-अर्बन), जिला राइना व	
93/3	0.3240	্ৰুজ্ঞান, বিলা ব্যান আ উপরো ই.	જ આવેલાય વિજ્ઞા
717/1/3	0.1090	ા સમય શ. . કર્મા ગામક મુંચાલને 2024.— પૂંચિક, હજ	। भाषाच को आग आज
717/3	0,1100	का सनाधान हो गया है कि नीनो दो गई अन्	
713/3	0.0160	વર્ણિત પૂર્ણિ જો, શકુસૂચે જે પેલ (2) મેં જ	- 4
70/1/1/3	0.0980	जयोजन के लिये आवश्यकत है. अत: भू-अर	
830/1	0.0350	સંશોધન (હ. ૫૦૦, સન્ 2013) એ થાય 19	
55.0/1	3.1580	यह योषित किया जाता है कि उनद भूमि को '	
835/1	0.4220	ब्यावस्थकता हे <del></del> व्यावस्थकता हे	
817/1	0.0900	-गरा २३ २३ अनुसूची	
822/0	0.0610		<u></u>
712/1/2	0.1090	(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन	/गनजन स्थातः)
118/3/3	0.0250	(ক্ষ) জিলা–– ধ্বানা	
583/1/1	C.0060	(ग्रा) तहसील समीद	
835	0.2200	(ग) नगर/ग्राम झिरिना	
833/2	0.2550	<ul><li>(च) क्षेत्रफल—3,0370 इंक्टेयर</li></ul>	
832/2	0,0080		
540	0.1180		रक्तन्न २२
539	0,0260	().	
562/1/1/2	0,1150	(1) (3	
92/2	0.2200	236 C.U	
551/1526/1	0.3370	237/1/1 C.D	
827	0,0600	737/1/7 0.0	
/0/1/1/2	0.0980	2,37/1/3 0.04	
562/1/8	C.1140	737/2/2 0.1	
418/3/2	C.0250	237/7/3 0.0	
554/2	0,0170	237/27 0.13	
583/1/2	0.0090	21//2/2 0.0.	)^C

(2)

(3)

(1)	(2)	ज्ञ. 1326-भ	-अर्जन-2024.	—चुँकि, रज्य शासन को इस बात
247/6/3/2	0,2640	-	-	चे दी गई अटुसूची के णद (1) में
232/1/1	0.2760			गद (2) में ठल्लिखिड सार्वजनिक
232/2	0.2820		आवश्यकता है.	. अतः भू–अर्जन अभिनियम, २०१३
232/3		रांशोधन (क. एव	6, સન્ 2013)	को पास 19 के आंतर्गत इसके हास
232/4	0.2700	যন্ত মাধির কিয়া	आ ता है जिस उ	जग्र भूमि को ठवत प्रयोजन के लिये।
226	0.3350	आवश्यकता है:		
216			अन्	गुसूचो
217	0.0280	(1) भूमि	का जर्णन—(	म, प्र, लासन/निजी खातः)
218/1	0.0000			
218/2	0.0900	(事)	जिला—सवन	Π
219	C.0140	(7s)	वहसील—ग	मपुर बाथेलान
.93	C.1540	(ग)	नगर/ग्राम—डु	विहा
191/2	0.0150	(ম)	क्षेत्रफल—6.1	8820 हेक्टेयर.
192	0.0360			
190	0,0570	7	बसरा नं.	जजिंत स्कब।
169	0.0530			( <del>2</del> 41)
184	0.0160		(:)	(1)
185	0.0400		417/3	0.2430
186	0.1010		401	0.0120
187/0	0,1770		289/1	0.0560
187/2	0.0570		289/2	C.0700
183	0.0200		204	0.0060
231	0.0250		200	0.0010
215/1	0.0050		199/1	0.0010
194	0,0310		192	0.0020
195	0.0070		191	0.0010
196			190/1	0.0320
197	0.0070		186/1	2.0250
247/1/1	0.0880		186/3	0.0670
183	0,6620		424/5 19419-5	0.0960
ਬੰਧ	3.03/0		124/2/1	C.0310
			124/2/2 124/2/3	0.0340 0.0310
	नन जिसके लिपे अर्जन आवश्यक		24/2/3	0.0810
	वर्तन गरित्रोजना अंडर्गड चार्गाड-		1247274 1247373	0.0310
ন্ননন স্থাত্রা নচ	र के ॉन्मीय हेतु,		(2473/35) (473/4/1	0.0750
ਅਧਿ ਨੇ ਰਹਬੇ	(प्लान) जा निरीक्षण, कलेक्टर		24/3/5	2.0100
	(२०१४) का सरकाल, अर्ल्यूट ाला सहना के लागालय में किंगा		420/5	0.710
्यू सहता है.	aya shina sa mangati - Parat		01/2/1	0.480
		-		

· ·					
मध्यप्रदेश	राजगत्र.	ादनाक्त	12	বলাই	2024

भाग	1

$\langle \cdot \rangle$	(2)	(	1)	(2)
201/2/2	0.480	u.	5/1	0.0690
201/2/3	0.48C		15/1	
202/2	0,110			0.0450
703/1	0.1020		37/2	0,0020
203/2	0.0570		86	
372	0,0230		90	0.1070 0.0380
373	0.5400		58	0.0250
374	0,0780		1/1/1	0,0410
251	0.1460		1/1/2	0.0980
253/3	0.0020		65	C.0070
382	0.0080		55/1	0.0210
383	0.3550		6/2	0.1150
384/4	0.0410		67	0.0120
4/14/1	0,122C		~~ 65	0,1060
414/2	0.1600		20/1	0.0360
414/431/2	2.0190		0/6	0.1720
405/1	0,0080		n/n/n/3	0,0810
415/2	0.0080		1/1/2/2	0.1030
416	0.2030		/1/6/2	0.0060
189/2/2	0.0460		5/2/h	0.1030
19370	0.0680		1/3/2	0.0810
196/2	0.0760		2017	0.036D
196/3	0,0700		2/2	0.0710
409	0.3050		6/3	0.1870
41C	0.0130		69	0.0020
393	0,1850		85	0,1460
391	0.0020		81	0.0070
395	0.0740		V 1/2	0.0010
299/1	0,0040		भौग ७०	5.8820
299/2	0.1010			
300	0.0570	1-1		सिके लिये अर्जन आवश्यक.
248/2	0.0020			रियोजन अंतर्गन रोजा शाखा
749	0.0700			ता एवं इटमा माइनर तथा। नेन तेन्द्र
194/0	0 3700	. <u>3</u> 41	छा माइनर के निम	191 A.C.
184/2/1	00100	(১) শুদ	ৰ ফঁ নকলা (দলান	r) का निरोक्षण, कलेकट,
184/3	0.6000	(") (")	(अर्जन), जिल्हात	iतनः के न्यायालय 🖓 किया
		লা	सकता है.	

# sh. **1348 -পু-** থার্জন**-** 2024

धूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि गीथ दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित मूमि की. अनुसूची के पद (2) में उत्तिखित सार्यजनिक प्रयोजन के सिथे आवश्यकता है। अत मू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि चकत मूमि की उकत प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.-

#### <u>अनुसूची</u>

## (\*) भूमे का कर्मनः - (ग.प्र. शार न / निजी खात्म) (रु) जिल् – सतना

(ख) तडरीत− भोगोद
(ग) सन्द ∠फ्राप्त – घमनाझ
(व) क्षेत्रगव्ल— 2.014 होत

ŝto,	त्वसत्तानं.	अर्जित रकवा
1	i 10	0.094
2	109	0.009
3	108	0.090
2	107	3 003
5	106/2	0.117
ń	725	0,065
7	128	0.055
8	129	0.647
ÿ	142	0.081
10	143	0.067
11	159/201	0.069
:2	157	0.053
13	156/9.93	0.051
14	93/210	0.128
15	492	0.110
.5	85	\$.071
0	\$5/183	0.03. <sup>1</sup>
18	\$6	0.0-9
19	84	0.076
20	76/1	0.969
21	76/2	0.030
27	64	0,073
23	25	0.542
)d	24	3.177
2.5	11	0.2.17
26	21	0.020
7	12	0.023
	योग-	2.014

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन अवष्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कम्प्रंक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यवदर्तन परियोजना में बरगी व्यवदर्तन परियोजना अंतर्गत नामीद (सतना) शाखा नहर के तिघरा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्से (पनाम) का निरीक्षण कलेक्टर (मू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है। क्र.--1349--भू---अर्जन---2024

यूचि राज्य सालन को इस बात का समाधान हो गया है कि मौले थे नई अनुसूची के पर (1) में बनिंग भूमि की अनुसूची के बढ़ (2) में उदिलेडिक लाईजनिक प्रयोजन के लिंगे आवश्यकरा है। उत्तर भू अर्थन अधिनितम 2013, नातीयन (ज्ञान्सक सन्। 2013) की धार 19 के अन्तरीत इस्टर्ड द्वार यह वांचिन किया जन्मा है कि टब्ल भूमि की कला प्रयोजन के लिये आवस्तरपता है...

#### अनराचे।

(ग) जिला —सा (ख) सहजील–	141 100	
\ख/ गहल लम (ग) नगर ∠षा		
(म) ६० व्हा- २		
17.	ख्रिसर मह	असिंग स्वदा (हे.मे
1	5011-11	0.080
2	509-1	9,153
3	545	0.072
4	520	0.024
5	319	0.021
6	5.3	C.II14
7	118	0.001
8	517	0 016
9	522	0.027
10	245	C 160
11	246	6.075
12	247	0.995
.1	249	0.055
14	233	0.014
15	25.	6,633
15	252/1	6.013
17	263	8.805
1	261	0.040
15	267	0.032
26	260	C.C45
21	256	CUIS
22	254	9,155
21	89	8.847
74	87	0,140
25	70/2	0.012
26	717	0.079
77	77	0.004
28	74/2(1/2	6.011
26	25/04	5 Bi65
30	724-3	0.0/4
31	75/27.72	0.058
32	242	C.G1a
22	224	Û. 1119
34	2.92	0.255
35	1	0.004
36	20	0. 49
0	ल योग	2.247

भागेजनिक प्रयोगना हिस्तमे हिन्दे अर्जन ७ ८१८७० है–कार्यप्राहन २७३१, ४/६१ दिकाल लगान कमाक-र जिला-सलम (९.६) द्वारा वरमी व्यवकोन धरिवोजना में करनी व्यवकेल परिवोज-आगर्गत नागीव (शतमा) जावा नहर के आगंग दुवंतिया तब महनर नहर के निर्माण हेन्द्रु। मुमि जन्मजो (प्रतन) का निर्मिधन कलेकटर (मू-अर्जन) जिला सलमा के म्यायालय में फिया एक  $\geq$ )

<sup>(</sup>X) संगता है।

ø. 1350–भू–अर्जन–2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समामान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में एलिव्यित शार्यजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की पारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि सक्त भूमि की सक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-

<u> सनु</u>सूची

- (1) भूनि का वर्णनः (म.प्र. शासन / निजी खातः)
  - (क) जिला सतना
  - (ख) तहरील— नागौद
  - (ग) नगर / प्राग चन्दकोवा
  - (प) क्षेत्रफल 1,068080

ф.	खसरा नं.	এতিঁচ হকব। (ते.मे.)
1	439/29/3/1	0.1000
2	439/29/3/2	0.1000
3	439/29/3/3	0.0500
4	411/27	0.0820
5	410/28	0.2490
6	409/30/2	0.0720
7	413/26/1	0.1200
8	414/20/3	0.0140
9	415/19/3	0.0800
10	415/19/4	0.0030
12	415/19/5/1	0.1510
12	415/19/5/2	0.0470
	कुल योग-	1.0680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन अधरयक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमंक-7 जिला-सतना (म.प.) द्वास वर्ग्त व्यपवर्तन परिधोलना में बरगी व्यपर्दतन परियोलना अंतर्गत नरगैद (सतना) शाखा नहर के अतंगत चन्द्रकोश भाइनर के चन्द्रकोवा सबमाइनर नहर के निर्माण हेथ्।

(3) भूमि के नुबंश (न्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (मू-अर्जन) जिला रूतना के न्यायालय में किया जा सरुता है।

भागा ]

# क.--1351 पू अर्जन 2024

जुकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीके दी गई अनुसूची के पद त्रुपत राज्य तात्तान का इस बात का समामान हा गया है कि नाव पा पद अनुसूचा के पर (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में चल्तिखित सार्कजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अत मू-अर्जन अधिनेयम 2013, संशोधन (डा.–एक, सन् 2013) की घारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जला भूमि की उभार प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

<u>अनस</u>्त्री

(•) मूचे का वर्थन:-- (म.प्र. वासन/निजी आपा)

(व) जिला --सतना

(ख) तहसील- मामौद

(ग) नगर / ग्राम – अमबुई
 (ग) हे नफल – 2.7630केंग

亚.	4फल - 2.76308) यासर: नं.	अर्जित एकवा (दे.में.)
1	24475/172	r. L910
2	244/1/2	020100
3	243/1	0,0790
4	243/2	0.0730
1	243/3	0,0800
6	243/4	6.1010
7	24%/	0.0120
8	240	0.1430
9	239/1	0,0920
10	237/1	0.0459
11	237/2	0.0500
12	23'8'2	0.1030
19	236/1	0.0320
14	236/3	0.1090
15	220/1	0.2260
16	221/1	0.0150
17	222	0.2050
18	224	0.2720
19	21/67	0,0790
20	21/1/2	0.0530
21	21/1/3/1	0,0270
22	21/0/0/2	0.0270
23	21/1/3/3	0.0270
74	21/1/9/4	0,0270
25	21/1/4	0.0390
ini 🛛	21/2	0,0630
27	15/1	0.1210
26	13/2/1/1	0.0410
9	13/2/1/2	0.0510
60	13/3/1/3	0.6440
4	13/2/2	0.0290
52	12/2	0.2830
3	9	0.0100
	त योग-	2.7530

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आपश्यक है-वार्यपालन यंत्री, नर्मवा विकास संभाग z) कमांक-- 7 जिला-सत्तना (म.प्र.) हारा बरगी व्ययवर्तन परियोजना में बरगी व्ययर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंगीत उमरहाट वितरिका के पतवार महनर नहर के जिमांण ठेटु ।

मूमि के नवशे (स्ताम) का सिरोकण कलेकर (यू-अर्जन) जिला सतना थे भ्यायालय में किया जा зĵ रूँकता **है**ा

# म्य.– 1952– मू.– अर्जन– 2024

मुंकि शल्म शासन को इस बाद का समामन हो गया है कि <sup>21</sup>8 थे गई अनुसूची से 44 (1) में बर्मेंत भूनि की अनुसूनी थे 44 दें) में व्यक्तिता सार्वजनिक प्रवोजन के खिये आवस्यवता है। जहा भू—अजन अधिनेयम 2013, संशोधन क्रि—एक, सन् 2019) की मास 19 के अंतर्गत इसके द्वारा 45 थे उस देवर जाता है कि बयद मूनि की उसत प्रवेजन के लिये अध्यक्षता है:— <u>रानुस</u>्त्री (\*) भूमि का वर्गन्छन (ग.स. साराष्ट्र/ निर्ध्वा सारा) (क) किया नसरमा

	1.4 -11	212			
-	<u> </u>	_	-		
(75)	ग्रहसोक	-	111.1		
- 19 <b>-</b> 201	P. CORROY		- I- M		
				<b>m</b> .	

(स) भाष / ताम – महविया (আ) বাঁমকাল:-- 2,0000ট০

<b>万</b> .	खसरा न.	অভিিত ৬৬-৭ (৪.৭)
1	219/2/1	0.1120
2	219/2/2	9.8370
3	219/4	0.0280
4	214/2	0.0150
5	213/1	0.9490
6	212/2	0.9380
7	212/1	0.0870
8	205	0.0010
y .	206	0.0710
10	207	D 0180
11	203	0.0990
12	200	0.0450
13	<u>49</u>	0,0340
14	50	D.G780
25	43	0.0140
16	51	0.0810
17	52/1	0.0370
18	52/2	0.0040
15	64	0.0200
20	412/63/1	0.0160
21	412/63/2	0.0250
22	65	ROC NI
23	66	0.0320
24	196	0.05%
25	195	0.0258
26	70/1	0.0180
27	73/.	0.1450
28	74/2	9.164)
29	72	0.0050
30	7./4	0.0190
31	837.2	0.0070
52	84	0.2280
13	21	0.0210
14	20/1	0.2160
la	28/2	0.0380
j0	27/1	0.0860
37	27/2	0.0640
38	69	0.0.10
97	26/2	0.0030
IV I	25/2	0.0050
	कृत योग-	2.0080

नार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये कर्णन ४००४०० 8-कार्वपालन येजे, वर्षदा विकास संभाव कर्षाकन्त जिलानसाला (२.३) ४४ ४४० व्यव्हतेत परियोजना ने रहती जायतित परियालन आर्थर नार्थर (२.४२) ११४४ वटर के अत्रनी मीठाये विवरिया थे ने ४४वा गाउनर वहर के विन्तेन (2)

9ेतु। भूमि के भवते (ज्ञान) रु निर्देशभ क्षश्रेश्वर (गू-अर्थर) जिला सतनः ये ज्ञानव्य में विदय जा सकता है।  $\langle \mathbf{s} \rangle$ 

=

#### क.—1353—'मू---अर्जन---2024 -

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित मूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः मू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.–

अनुसूची

- भूमि क: क्यॉन:- (म.प्र. शासन्त / निजी खाता)
  - (क) जिला –सतना
  - (व) शहसील– नागौद
  - (ग) नगर / ग्रान कटवरिया
     (ण) क्षेचफदा– 2.2860हे;

).	खभग्न नं	र्व्सजीत रकवा (हे.गे)
P	380/1	0.0480
2	379/j	0.0800
3	378/1	0.0270
4	375/1	0.3170
5	374	0.0140
6	373	0.2150
7	304	0.0090
8	301/1	0.0190
9	301/2	0.1600
10	300/2	0.0150
R.	29%/2	0.1660
12	294	0.2190
43	295	0.0190
14	296/1	0.1640
25	296/2	0.4720
16	338/2	0,1910
:7	337	0.0080
18	335	0.0160
19	334	0.0420
20	<b>33</b> 3	0.0740
21	331	0.0100
22	332	0.0230
23	340	6.0100
24	341	0.0080
q	ूल योग-	2.2660

- (2) सार्यजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–7 जिला–सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतमा) शाखा नष्टर के अतंर्गत चन्द्रकोद्या माइनर के दुवहियान सबमाइनर नष्टर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्से (प्लान) का रिटेक्षण कलेक्टर (मू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मू-अर्जन प्रवच्च के 82/23-24 पड़ कर 135% मू-अर्जन/2024 दिंठ 28/06/2024 चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे सलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने जो नंभावता है। आतः सही भूमि अधिव्रहण पूर्वथत 2013 की धरा 11 की उपधारा (1) के राज्यधाला पडने बोज नंभावता है। आतः सही भूमि अधिव्रहण पूर्वथत 2013 की धरा 11 की उपधारा (1) के राज्यधाला पडने बोज नंभावता है। आतः सही भूमि अधिव्रहण पूर्वथत 2013 की धरा 11 की उपधारा (1) के राज्यधाल क बात अनुसूची के खाने 5 में उरलेखित अधिवायों को इश्व आहर्य का सूचना है। बातने हैं। त्राज्य शारजन हरूक आज अनुसूची के खाने 5 में उरलेखित अधिवायों को उक्ता पूर्गि के रंगध में उक्ता धरणान की उपधारा (2) आर्थत कोई प्रति के प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है। राज्य ही अधिवाय की खारा 11 (2) के आर्थत कोई प्रति कारित प्रार्थिक अधिक्षुचन ने विनिधिध्य भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या लोई संव्यवहार नहीं कत्तरंगा अध्या ऐसी अधिसूचना के अध्याशन की तारीरंघ से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय जस भूमि पर कोई वित्रभग सुरित्त नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का दर्णस		धारा १२ के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन कः वर्णन		
जिला	तहसील	41H	রাজীনীয় তেন্দ্র (ই. <sup>18</sup> ) ভগরণ।	ৰঃখিত্ব অধিকান্ঠ	
5	2	3	2	: 5	6
त्तत्रना	उचेहरा	बरनेश	X.267 - È	काईपेवितेन योत्री नगेंदी विकास संभाग क्य -०१ नागौध फिला स्वाना (२००००)	कार्याय (१९२२)) १९२२) राहर के अन्तर्यंत कॉस्ट्रेयुर माइतर तहर के नियरंग हेंटुं फेली भूमें का कर्लन।

भूमि का नवक्षा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूशर्जन शाखा) सटना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

র⊨ 1355 °ছু। এজনি<del>–</del>2021 -

पूंकि राज्य शासन के हरू बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्गित पूर्कि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अत भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क.–एक, सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूनि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसूची

(i) भूनि का पर्णन:- (ग.प्र, शासन / निजी खात)

(के) जिला —संतना

(ख) तहसील जागौद –

- (ग) नगप / प्राप्त गुनहर
- (ii) वेत्रफल- 0.3400हे0

क, खरारान.		अर्चित रकवा (धे.मै.)	
1	403/1	0.0420	
2	403/2	0,1070	
.Э	398/1	0.0090	
4	399/2	0.0530	
5	399/3	0.0720	
6	393/2	0.0080	
7	393/3	0.0130	
R	395	0.0360	
	कुल योग	0.3400	

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सराना के न्यायालय में किया जा सरफता है.

# ss.—1356—भू-अर्जन—2024

भूषि राज्य शासन को इस जात का समायान हो गया है कि मीथे दी गई अनुसूची के पर पुष्क प्रभव सामान का सन का सनामान के नगर है कि नगर से मुद्र मुद्र के पर (1) में प्रणित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उतिगरिता सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवस्वरता है। जेत भू-अर्जन अधिनियम 2013, संसोधन (क्र-एक, सम् 2013) की धारा 19 के जेतर्गत इसके हास यह पायित किया जाता है कि कबार भूनि की उत्तल प्रधोजन के लिये आयाप्यकता है--च्ची

	-54	-	131	ŀ
	_	_	a 2	2

<ol> <li>) भूमे का</li> </ol>	क्रां २:	(fig. 7	सन्. ∕ निजी	<u> अ</u> त्ता:
(4)	िल	कतना		

(97)	ाज्यस	ल-	÷	गीव	
्म	TTN:	Ζя.	ч	দ্রুলাজ	रहा ।

्म	-TF-X	7.8.4	40.000	V

<ul> <li>(iii) क्षेत्र राजना (</li> </ul>	1.56630	
砰.	জন্মর ২০	9. adv. (e.g.)
V	174	31.9
2	17/2	1.3134
1	'8	0.007
4	20/171	0.630
5	20/2	0.084
6	1.	0.050
2	.9/1/1	0.001
\$	22	800.0
9	21	0.074
·U	292-2	0.005
•	2:3	1.130
· · · · · ·	कुल योग—	0.665

शार्वालनिक प्रयोजन जिसके लिये आर्वन आगश्यम हे-जार्वपालन वर्षी नर्ववा दिकाल समाग (2) गायकत्वमा प्रभावन जिल्हा ताव कार्य कार्यय कार्ययन प्रभवना में इन्द्री के घेटने परियोजना ग्रहनक - ह जिल्हा स्वाना (म.प.) द्वारा बरमी धार्थतंत्र परियोजना में इत्यति के घेटने परियोजना अतन्त्र जागीब (स्वतन) जायज्ञ वहर के उत्तर्भत जतरहाद विप्तरिक के हुआता क्षर्थ तड़नत न्द्रर के Paris Eq.

भूमे के तब्दो (w a) का निरीक्षण कलेक्टर हे<sub>ल</sub>-अर्थर) जिला सतना के स्थयालय में किया ज 50 र्गकक्ष हो।

# ळ.—1357--मू--ऊर्जन- २०२४

22 दुके राज्य भाषान को इसर ताल का तमावाम ता प्राप्ता है कि तोने थे नई अनुपूची छे पर (r) ने वर्षित भनि की अनुसूची छे 44 (2) में जीवनपित नार्वजनिक प्रयोजन के लिंगे आतंक्षण्यता है। अतर पुन जर्बन जीवनियम 2013 सोनवान (क्रा-एक, सन, अगर) की थाए 19 छे अंत्रवेष इसके हात यह पांचित विच्या प्राप्ता है कि करना भूविके खेल्टा स्थोलन के सिद्धे (जयहबज्ज्या है –

<u>अन् सृष्टी</u> (i) भूमे का वर्षनः (15, 1000) / 20 क्षातः)

कि: जिला मम्प्रतमा (ब) वहरीतम् नागीद

6.00

1.1	-141K	/ 101-1	कनाइय
-			

ð.	অবহা দম	PT 444 (2)
	612	0.235
3	69	0.030
5	944.9	0.01
	14	9,100
	11	0.016
2	12	20.0
r I	11	00.5
1	5	0.145
	-	0.007
U	6/1	0.049
	0-Z	6.010
	¥1	0.153
	3/2	0.031
1	.0/1/2	9.000
	1.372	2,088
	16/4	00.06
-	सीग	0.651

(2) सार्वजनिक प्रयोधन जिसक लिये जननेन ४ अथक हे-कार्यपालन वजी। एमंदर विकास सनाग कमांक-र जिला-सतमा (म.प्र.) हात यरणे अपवर्तन परिवोधाना में काणी व्यव्योतन गड़ियोजणा अतमेत मामीव-सातमा हारखा महुर थे अन्तर्भः गोता सहमय महर के मिर्मान तेषु।

ूमें के नर्ज्य (आग) का निरीक्षण करोबदर (मूनसर्जन) जिला साला से नगागलय में दिया जा कार्यता है। [3]

भू-अर्जन प्रव्रम्न0 अ 82/23-24 पत्र क0.1369 भू-अर्जन/2024 दि0 28/06/2024 चुकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्षित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की समयना है। अत सही भूमि आधिप्रतण पुरोध & 2010 की घारु 11 की रपध र (1) के उपव्रध के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस अध्यय को सूचना की जती है। रजय शासन इतके डीर अनुसुर्थ के खाने 5 में एल्लेखित अधिकारी को इस अध्य को सूचना की जतती है। रजय शासन इतके डीर अनुसुर्थ के खाने 5 में एल्लेखित अधिकारी को उस्त भूमि के सक्रंग में उक्त धारा 11 की उपाध र (2) डोरा दी नई शकित्यों का प्रयोग करते के लिए प्रधिकृत वर्ल्शा है। ताथ हो आधिनियम की घरा 11 (4) के शतरांत कोई भी व्यक्ति उपस्थित अधिसुक्ता में जिनिविध भूति का कोई संवरणहार नहीं करेना था कोई संधवतर नहीं करएरण अथवा ऐसी अधिसूचना के उक्तशन की लारीज से इस अध्याय के अर्थल कार्यधाहयों के पुरा हो जाने के समय उस मुमि पर कोई दिल्ल्यन स्रीजा नहीं करेगा।

शनुसूची

भूमि को प्रणंग		धारा 12 को लिए	सार्वजनिक प्रयोजन म्प पर्णन		
जिला	तहसील	<b>ग़</b> न	अर्जनीय रक्षण (हे. ने) अन्तनन	प्राधिकृत अधिकारी	
1	2	3	4	5	8
रत्वना	चर्चहरा	बेरागल	0.43£ \$	कार्यपालन वर्त्त २०१३) विकास संशास कः—३४ नहमीद जिल्ला २०२० (२०५०)	-जनीव (नवल) शाखा सहर के जन्मनेत कडनपुर सब मण्डमर महन के निर्माण हेतु निजी भूगि का अर्जना।

भूमि का नल्या (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूरजंन शाखा) सनना के कार्यालय में देखा आ सकता है। अंग-1380--भू--फर्जन-2024

चुकि सल्य शासन को इस बात का समाधान तो गया है कि नीते वी गई अनुसूची के पव (1) में वणित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उत्तिखित सावजनिक प्रवोजन के लिये जावश्यकता है। उत्तः भू अजेन अधिनियम 2013, राष्ट्रोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की घारा 19 के जानीत इसके द्वारा यह थेतित किया जात है कि उक्त भूमे की उक्त प्रयोजन के लिये उत्तरध्यकता है:

#### <u>अन्सूची</u>

- भूगि क वर्णन' (न.प्र शासन / निजी खाल)
  - (क) जिल सत्तना
  - (ख) तहसील– नरगौद
  - (ग) नगर / ग्राम इटमा
  - (a) क्षेत्रफल- 3.109 देश

क्र.	হরমার নত	अर्जित स्कवा (हेंग्र में)
1	0. <sup>3</sup>	0.04 !
2	66	0.044
3	(-4	0.015
4	65	0.051
5	54	0.051
6	52	0.008
7	55	0.060
8	51	9.025
9	-14	0.035
10	42	0.078
11	45	0.016
12	191.3	0.072
3	192.2	0.030
11	1a3	0.052
15	141	0.032
16	195	0.822
18	ALC: A	

17	203/2	0.010
18	204	0.049
19	2012/2	0.013
20	205/2/2	0.104
21	286/2	0.913
22	212	0.027
23	215/1/2	(1.(152
34	212/2/2	0.249
25	21.1/2	63011
26	100	5.078
27	32 -11	0.070
28	321-1-2	0.030
29	321/2	0.027
30	322-0	0.008
31	327.1.2	0.008

# ø. 1360<del>- মূ-</del>अर्जन- 2024

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उत्तिलिखित सार्यजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। जत भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (डा.–एक. सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके हारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मुनि की जक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है–

अनुसूची

(1) भूमि का राणेन:- (4.9. शाश्च / मिठी कात)
 (70) जिला -स्वता\_

(थ) राउसील-- न्यमीद

(१) भगर / राम - इटमा

(iii) shower- 3.109 sto

. वह	रवसर। -(0	अर्जित रकवा (हे० ने)
1	63.1	0.04.)
2	86	0.044
9		0.925
4	65	0.051
-	54	0.051
6	32	0.308
7	5.5	0.060
2	51	0.925
9	[6]	0.533
10	43	0.078
11	.45	0.016
12	101.2	0.072
15	102.2	0.050
14	190	0.032
15	104	0 a v <sup>a</sup>
16	195	0.0.0
17	20372	0.610
18	19,44	0 (00)
19	202/2	0.0 0
20	205/2/2	0.104
21	200/2	0.0.3
Z2	212	0.027
23	213/1/2	0.052
74	215/2-2	0.249
25	23.177	0.011
26	320	0.078
.17	,12 o L	0.070
Z×	321.07	0.036
20	321/2	0.037
50	30270	800.0
31	327.1.3	a a08

3282

[ 11 | 4 - 4

110 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक ठ जुलाई 2024

32	324/1/1	0.053
3.3	32.3	0.0%
34	3151	0.080
05	Alp 2	C 080
36	315-0.1	¢.074
37	314/1	0.013
38	342	D. 100
39	343	0.094
40	344	0.001
41	350/2	0.114
42	.35.5	0.086
47	254-171	0.1415
41	3512	0.180
45	35547171	0.002
46	355   2	0.007
47	370.7	0.505
48	368/*	0.085
29	368/2	0.060
	योग	3.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है--कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास समाग इम्संक-7 जिला-शतन' (गंध्र) द्वारा घरगो व्याध्वर्तन धरियोजना में बरती व्यापर्यतन धरियोजना अंतर्गत नानीद-सतन सारधा भंडर के अन्तर्गत गौरा नाइनर मंडर के निर्भाण हेतु। (3) भूमि के तव्हो (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (पू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा

संकता है।

#### क.--1361--मू--अर्जन 2024

24 इंटि नजय जानना को इस बात का लगभगन हो गया है कि नीचे यो गई अनुभूची में प्र (1) न वर्णित मुनि की अनुसूची हे पर 2) में प्रतिशिक्त कार्यजनिक प्रयोधन के लिने अध्यक्षकता है। अन्त भू अजन अधिनियन 2013, जनमान (७-१७, सन् 2017) की प्राय 19 के अंतर्गता इसके हाय यह घोषित किया जन्म। है कि दल्ना भूनी को उक्त वयांजन के लिये आवस्थणता है – અનુસૂર્ગ

(र) कार / प्रान – जलपद

(11) दोजगन्त- 3,434हे0

ाः) इ वर्णल छ	DHT H	6 . ( +++++ ( 2. P)
1	19/2	0.220
2	19/4	R.965
3	18/285	0.1.7
4	15	0.767
9	15	9,916
5	11	0209
Ÿ	9671	0.08+
ĸ	66/7	0.125
9	\$57200	0002
10	87	0.684
1.1	86/1	0.915
:2	۲. CK	C.197
.)	84	6,219
14	83	C.016
i5	110	0.265
16	100	0.9 %
17	195/2	0.004
15	13472	31/0168
19	103	5.042
20	102	07.94
21	230	0.065
22	<u>11</u> 9	2006
22	2.9	0.19%
24	292	0.027
25	294/287	0.155
20	263	0.015
27	3/2	0.055
13	254	6194
75	274226.8	2013.1
20	272/3364	0.625
1	272/036/2	0.042
12	27.9/308	0.021
14	2747.	0.184
54	274727	0147
35	204/2/2	0.042
ч.	274/202	0 CII4
22	2360	0.078
H	275/20	0.010
29	(0)	0.004
40	259	0.014
	ग्रीम	3.434

(2) सार्थजनिक प्रधालन फिलके लिये जर्जन उत्पत्रका है-कार्यप्रलन गांधी, सर्वदा प्रियल्स संसाग कर्माल-7 फिल्ठ-सालन (म.प्र.) द्वाल करती प्रायलंग परिवालन में करते प्रायतेल परियोजन अंतर्पत नार्गाट-साल्म शाखा महर के अन्तरीत मीडारी विवर्षिका के सिवपुत माइनर नंतर के निर्माण हेंदु। (3) भूमि के महले (फाम) का निरीक्षण कलेक्टर (मू-अर्पन) जिला स्वरण के माव्यलय में किया जा सकरते हैं।

# क.—१३६२—मू–अर्जन—२०२४

चुकि राज्य कासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूसी के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उत्तिरवित शार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अत भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की घारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.-

अनुसुधी

# (\*) भूमि का वर्षमः= (२.९. अल्फा/मिटी खादा) (क) जिला =सतना (ख) शहसरेल्म नागौद

- (ग) नगर / ग्राम -- मुगद्वर (ग) सेजनल-- 3.5740हेल

<b>#</b> .	यत्तरः नं.	ৰাৰ্ডিন ক্ষক্ত (ই.শ.)
2	i 100/3	0.0340
2	10999	0.0790
3	1097	0.0210
4	1058	0.0050
5	1093	0.0370
6	1094	0.0140
7	1092	0.0020
8	1645	0.6010
9	7046	0.8620
10	1047/1	0.0490
11	1647/2	0.0170
:2	1048	0.0460
13	1025	0.0500
14	1623	0.0540
B	161.5	0.410117
16	1014	0.0320
17	1076/1	46.1269
18	2616/2	0.0610
19	1015	0.0010
20	1017/1	0.9770
21	1005/1	0.0580
27	10(4/1	0.0150
23	1003	0.0280

24	389	0.1750
2.5	390	0.0170
26	391	0.0120
27	397	0.0200
28	396	0.0120
29	398	0.0230
30	395	0.0080
31	394/1	0.0060
32	399	0.0340
33	370/1	0.6560
34	369/1	0.0160
35	369/2	0.0490
36	372/1	0.0040
37	372/2	0.0200
38	368	0.0100
39 40	367	0.0280
40	182/367	0.0440
41	366	0.0150
43	1181/366	0.0440
44	265 1180/365	0.0090
45	364/2	0.0440
46	358/2/1	0.0070
47	357/2/1	0.0080
48	354/3/1	0.0330
49	354/3/2	0.0900
50	352/1/1/1/1	
51	352/1/1/1/3	0.0040
52		0.0710
	355/1/1	0.0030
53	355/1/2	0.0400
54	355/2/1	0.0100
55	356/1/2	0.0910
56	356/2/1	0.0060
57	175	0.0150
58	173	0.0230
59	168	0.1690
60	172	0.0190
51	171	0.0300
62	170	0.0140

યાગ 1 ]

ī	कुल योग-	3.5740
87	9	0.1970 0.0160
86	8	
85	7	0.1280
84	6	0.0940
83	18	0.1030
82	19	0.0310
81	17	0.0300
80	70	0.0050
79	68	0.0890
78	67	0.0820
77	65	0.0480
76	65	0.0230
75	42	0.0020
74	64	0.0710
73	63	0.0710
72	43/2	0.0800
71	43/1	0.0090
70	48	0.0170
69	49	0.0280
68	47	0.0440
67	162/2	0.0790
66	167/2/2	0.0480
65	167/2/1	0.0090
64	167/1	0.0270
63	169	0.0040

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग (2) क्रम्तंक-7 जिला--सतना (म.प्र.) हाश अरगी त्यपदर्शन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतन) शाखा नहर के अतंगीर धन्दकुड्या माइनर नहर के निर्भाण हेतु। मूनि के नक्षे (प्लान) का निरीक्षण कलेल्टर (मू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा (3)

चकता है।

ক্স- 1384 : শু ওার্জন—2024 -

चूंकि शब्ध शासन को इस बात का सनाधान हो गया है कि नीखे दी गई अनुभूवें के पद (1) में वर्गित भूमि की, अनुसूधी के पद (2) में चलिलखित सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अत भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्पत इरुके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की स्वत प्रयोजन के लिये आवश्यकता है--

अनुसूवी

- (1) भूमि का वर्णनः— (ग.प्र. १९१२न/निजी खाता)
  - (क) जिला –सतमा
  - (ख) तहसील– नागौद
  - (ग) भगर / ग्राम चन्द्रकुइया
  - (ध) क्षेत्रफल— 0.7100ह0

<b>T</b> .	खसरा भे	अ:जिंत एकवा (इ.में.)
1	1060	0.0230
2	1059	0.0470
3	1061	0.0690
4	1062	0.0530
5	1049	0.0020
6	1048	0.0390
7	558/2	0.0680
8	561	0.0720
9	563	0.0760
10	562	0.0020
11	564	0.0450
12	565	0.0240
13	546/3	0.0100
]4	545/1	0.0230
15	545/2	0.0290
16	545/3	0.0290
17	544/J	0.0310
18	544/2	0.0316
19	544/3	0.0310
20	544/4	0.0060
	कुंल योग-	0.7100

(2) सादेजांतेक प्रयोजन जिसके लिये अजंन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संधाग कमांक-7 जिला-सतना (न.प्र.) हात्त बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन गरियोजना अंतर्गत भागौद (ततना) शाखा नहर के अतंर्गत चन्द्रकुद्देया माइनर नडर के कचलोड़ा सक्माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, कलेनटर (मू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

3288

# क.—1365—भू—अर्जन—2024

चुंकि रज्य सालन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में दर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में डल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-आर्जन अमिनियम 2013, रांशोधन (क.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इराके द्वारा यह मोपित किंग, जाता है कि उस्त भूमि की उन्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-

अनुसुची

(1) मूमि का वर्णन:-- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला —सतना (ख) तहलील— चागौद

(ग) नगर / ग्राम – चन्द्रकोवा
 (ग) शत्राक्य – क्राय्क्येक

南.	खररा चं.	अर्जित चकवा (हे. में)
1	444/53/1/2	0.0800
2	344/48	0.0740
3	347	0.1010
4	346	0.0030
5	265	0.0050
6	366	0.0200
7	360	0.0170
8	379	0.0180
9	378	0.0200
10	374	0.0250
11	375	0.0220
12	373	0.0010
13	372	0.0420
14	371	0.0320
15	265/2	0.0060
16	264	0.0020
17	116/1	0.0130
18	115/1	0.1800
19	[14/]	0.0120
20	113/1	0.0930
21	113/5	0.0840
22	1376	0.0840 0.0130
24	110	0.1000
25	1/2	0.6230
	योग	1.0700

- रक्षावेजनिक प्रयोजन कित्तके सिये ऊर्जन अव्यस्यक है-कार्यपालन कंत्री, नर्यदा विकास संभाग  $\langle 2 \rangle$ कमांक-- जिला-सतना (म.प.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागीव (सतना) हाखा भरूर के अतंर्गत चन्द्रकोवा माइनर नहर के माडाटीला सबमाइनर -2 नहर के निर्माण हेतु।
- (3)भूनि के नवशे (प्लान) का गिरीक्षण कहोनटर (भू-अर्जन) जिला रातना के न्यायालय में किया जा सकला है।

भाग 1 ]

## क.—136<del>6 - প্. -</del>ওর্ত্ব<del>न -</del>2024 -

चूंगिक राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.–

अनुसूची

(१) भूमि का वर्णन-- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(रु.) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम - फुरताल खुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 0.1900हे०

<i>3</i> 6,	खलरा म	अफ्रिंस एकवा (हे.मे.)
1	17/2	0.0180
2	16/1	0.0390
3	16/2/1	0.0210
4	16/2/2	0.0110
5	12	0.0020
6	9/1	0.0030
7	9/2	0.0870
8	10	0.0090
- A-lim	योग	0.1900

) भूमि के नक्से (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (मू-अर्खन) जिला सतमा के न्यायालय में किया जा सकता है। क्र. - १४१७ -- भू-- आर्जन--- २०२४ -

सतन , दिनांक 1 जुलाई 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धार 10 के अंतर्गत इसके इग्रा यह भौषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--

अनुसूची

- (1) गूंगि का वर्णन:-- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
  - (क) जिला सतना
  - (ख) तहरील- मामीद
  - (ग) नगर / प्राम वचवई
  - (घ) सेत्रगहरू 3.0270हे)

<del>फ्</del> र.	खकण चं,	জার্ডির ২কবা (ই.শ্র.)
1	285/1	0.1440
2	285/2	0.0140
3	284/1	0.0130
4	119	0.1510
5	120	0.0100
6	117/1	0.3010
7	116/1	0.0120
8	115/1	0.1680
9	114/1	0.0100
10	106/1	0.1410
11	106/2/1	0.0250
12	106/2/2	0.0850
13	106/2/3	0.6900
14	105	0.0130
15	i04/1	0.0600
16	104/2	0.0550
17	104/3	0.1150
18	103/1	0.0220
19	103/2	0.0180
20	36	0.0130
21	37	0.0630
22	38	0.0470

23	32	0,0450	1
24	35	n.0350	
25	30	0.0610	
26	29	0.0010	
27	27	0,0700	
28	28	0.0340	
29	16	0.0220	
30	15	0.05R0	
31	2	0.0340	
32	3/2	0.0320	
			-
33	286	0.0030	_
34	3406	0,05RB	_
9.5	287/1	0,0900	_
36	287/2	D.OACO	-
37	305	0.0310	_
38	305	0.9110	_
39	304	0,0040	_
40	302	0.0030	
4]	288	0.0560	_
42	283/1	0.0130	-
43	275/1	0.0670	
44	275/2	0.0650	-
45	272/1	0.0240 0.0520	-
46	272/2	0.0016	-
47	271 270	0,0230	-
40	398	0.0260	
50	397	0.0200	
jl	399	Q.N150	
52	396	0.0090	-
53 S	400	0.0430	_
54	401/3	0.0010	-
5.5	403	0,0020	-
56	395/1	0.0410 0.0540	-
57	404	0.0540	
58	425/1 425/2	0.0330	-
39 60	420	u.ou/U	
61	427/1	0.0010	
62	424	0.0190	
63	412	0.0280	
64	420	0.0410	_
65	423	0.0050	_
1.1.1	19571	0.0360	

स्पर्वजानेक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन अवश्वक है-कार्यगलन यंत्री, तर्मद्र विकास संभाग कगांक-7 जिला-सलगा (म.प्र) द्वाल बलगी व्यप्यर्तन परियोजन में बलगी व्यप्यंतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सलग) शाख नंतर के अंतर्गत मोहांची वित्तरिका कि बमुरोविया माहगर व हरदुआ मजोल सबमाहगर 2 तहर के निर्वाण देतु। भूमि के नंवहां (फ्लाम) का निरीधन कलेक्टर (नू-अर्जन) जिला सतन्त के प्यायालय में किया जा (z)

423/1

422

যাঁন্দ

65

67

0.0360

0.1450

3.0270

(a) सन्छता है।

भाग ( ]

# ळ.—1418—मू—अर्जन—2024

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अत भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क.–एक, सन् 2013) की घारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

<u>अनुसू</u>थो

- (1) भूमि का वर्णना- (म.प्र. शासन/ निजी स्व.ता)
  - (य) जिला –सतना
  - (ख) वारशील~ नागीव
  - (\*) नगर / बाम कोनी
  - (U) あっかっ 3.0740さい

क्र.	खरसपा म	अर्जित राजवा (हे.मे)
1	450	0.0450
2	451	0.0300
3	452	0.0360
4	449	0.0390
5	453	0.0290
6	448	9.0330
7	447	0.0310
8	454	0.0220
9	429	0.0380
10	446	0100.0
11	440	0.0620
12	442	0.0210
13	443	0.0320
]4	435	0.0750
15	403	0.0250
16	409	0.0330
17	410	0.0040
18	406	0.0580
19	405	0.0090
20	403	0.0330
21	404	0.0600
22	401	0.0150
23	418	0.0760
24	417	0.0370

25	419	0.0030
26	422/1	0.0150
27	47.2/2	0.0210
28	423/1	
29	423/2	0.0180
30	421/2	0.0040
31	424/1	
32	424/2	0.0610
33	47.4/3	
34	305/2	0.1160
35	303	0.1760
36	300	0.0250
37	282	0.0130
38	283	0.0400
39	292	0.0330
40	291	0.0640
41	290	0.0130
42	288	0.0650
43	259	0.0240
44	258	0.0150
45	236	0.0360
4G	237	0.0670
47	238	0.0230
48	230/1	0.0360
49	230/2	0.0360
S0	229/1	0.0040
51	206/1	0.0820
52	205	0.0150
53	207	0.0430
54	211/2	0.1320
55	121/2	0.0010
56	121/3	0.1600
57	12]/4	0.0760
58	122/1	0.0030
59	124	0.0760
611	112	0.0920

3294

	योग	3.0740
72	91/1	0.1780
71	100	0.0740
70	99	0.0680
69	101	0.0200
68	102/2	0.0780
67	111/3	
66	111/2	0.1750
65	111/1	
64	110/23	
63	110/10/3	0.0490
62	110/10/2	0.0100
61	110/10/1	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आग्रशक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—7 जिला—सत्तना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवंतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत कोनी माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

兩.—1192—및\_\_317년- 2024

रातना, िनांक 19 जून, 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उत्तिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः मू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की घारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उन्द्र भूमि की उपत्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसुची

- भूमि का वर्णनः— (म.ए. शासन / निजी खाता)
  - (क) जिला –सतना
  - (ख) लहसील— मझगवां -
  - (ग) नगर / ग्राम -- पिण्डरा
  - (u) क्षेत्रफल- 2,0230 है0

9×0	खसर। भं.	अर्जित रकवा
(1)	(2)	(3)
1	3665/1/2	2.0230
	कुल योग रकबा	2.0230

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– जलसंसाधन रांभाग रातना के आंग्रेत दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्ले (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (गू-अर्जन) जिला सत्तना के न्यागालय में किया जा राकता है।

क.—1193—मू—अर्जन-2024

पुंकि राज्य शासन को इस बात का लगामान हो गया है कि नीथे थे यई अनुसूची के २५ (१) में अभित भूमि की, अमुसूची के पद (२) में उत्तितिक्षत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अविश्यकत है. अतः मून्याजेन अधिनियम् 2013, संशोधन (कन्युक, सन् 2013) की भारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भोषित किया जाता है के स्वता मूमि को धव्या प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--

#### अनुसुची

(૧) મૂચિ 🗠 કર્ષન:-- (મ.પ્ર. શામન / નિગ્ની રુત્વા)

- (६३) जिला सतना
- (स) तहनील- मसम्ब
- (ग) नगर / ग्रह्म वित्तीरिहा वी
   (ग) क्षेत्रफल— 13,5530 50

450	खसरा नं.	জাইনি মঞ্চধ্য	
111	(2)	(3)	
1	6/1/1	0.4070	
*	5/1/2	0,4060	
3	6/2	0.8150	
4	6/3	0.8130	
Б	2	0.8130	
8	6/1/1/1	0.6780	
7	6/1/1/2	D.3930	
8	6/1/2	1.0700	
8	6/1/3	1.0880	
10	6/2/1/1	0.5480	
17	6/2/1/2	0.6490	
12	6/2/1/3	0.6490	
13	BV2/2	0.5460	
74	6/2/3	0.6490	
17	6/2/4	0.5490	
16	7	1.6430	
17	8	0.3320	
18	9	0.0200	
18	10	0.6880	
20	t1	1.5380	
21	12	0.4500	
22	13/1	0.5740	
23	13/2	0.6740	
24	13/3	0.6760	
25	14/1	0.0340	
26	14/2	0.0340	
Z7	14/3	0.0330	
28	15/11/17	0.6630	
29	15/1/1/2	0.5680	
30	15/2/1	1.0920	
371	1544	0.6680	
	बुल याँग रक्या-	19.6830	

(2) मार्वजमिक प्रयोजन चिसको लिये अर्जन अयस्वयः है- जलसंसाधन संभाग स्रतना भे अंतर्गत चौरी सागर क्षंध के जिमांध हेतु।

भूमे के नवरो (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू अर्जन) जिला सतना के न्यायलय में किया जा सकता है।  $\langle 3 \rangle$ 

2012

.....

1.4

s): 1194-भू-अर्जन-2024

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुरूचि के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुस्वी

- (1) भूमि का वर्णनः- (न.प्र. शासन/मिजो खाता)
  - (क) जिला –सतना
  - (छ) सहशील- मझगवां

(ग) नगर / ग्राग - देवलहा

(u) क्षेत्रफल— 80,8123 है0

(ब) या अभ्रत्न-	80.8123 80	
<b>क</b> 0	खसरा न	अर्जित रकया
1	20/2/2/1/5	
2	20/2/2/1/4	
3	20/2/2/1/3 4	
4	20/2/2/1/2 :	
3	20/2/2/1/1	
6	20/1/6	
2	20/1/5	10.9811
8	20/1/4	
9	20/1/3	
10	20/1/2	
11	20/1/1	
12	20/2/2/2	
13	20/2/1	
14	53	C.4130
15	52/2	C.4540
16	52/1	0.4710
17	51/3/1/1	
18	51/2/3	
19	51/7/2	1.1508
20	51/2/1	
21	51/1/1/2	
22	325	
23	324/2	0.1800
24	324/1	
25	319/3	
26	319/2/2	
27	319/2/1	
2B	319/1/4	0.3110
29	319/3/3	
30	319/1/2	
31.	319/1/1	
the second se		

भागः ]

	Constant County In the or Store	
22	318	0.1740
38	317	0.0890
34	316	0,0020
35	315	1.4960
36	314	0.0490
57	312/2	0.1650
38	312/1	0.1660
30 30	76	0.3120
40	75/1	
4D	75/2	0.3440
41	74	0.1660
42	73	0.8210
٥,	72	0.2060
44	70	0.2180
45	Ŭ9	0.4780
45	EB	C.4980
47	67	0.8360
48	66	0.283D
49	64	0.1420
49 5C	63	0.2430
51	62/2	
52	62/1	0.1460
53	61	0.4146
54	50	0.2429
55	57/2	
56	57/1	0.0234
57	55/2	8 5 46 5
56	55/1	0.2490
30	54	0.2864
60	24/2	
61	24/1/3	
62	24/1/2	3.5000
63	24/1/1/2	
61	24/1/1/1	
G5	23/1/1/1	
66	23/3	
67	23/2	
68	23/1/2/2	
69	23/1/2/1	
70	2.3/1/1/4	8,2872
71	23/1/1/3/3	
72.	23/1/1/3/2	
73	23/1/1/3/1	
74	23/1/1/2	

3298

75	21/3/7	
76	71/3/1	
11	21/7/2	7.7246
78	21/2/1	
7만	21/1	
86	77	0.3040
81	78/1	E. C.
82	78/2	0.202C
8.3	79/1	
84	79/2	2.8618
85	81/1	2.0934
85	81/2	2.0354
8/		= 4300
87	82 83	2.42B0 0.5870
89	85	1.3560
30	86	0.1500
\$1		
	87	0.0400
92	88	0.3560
93	89	0.5830
94	90	0.4250
95	91	0.1380
946	92	0.1620
97	93/1	0.4130
38	93/2	
59	94	0.2230
200	95	0.1290
101	96	0.1620
102	97	0.6440
103	98	0.1971
104	99	0.0810
105	100	0.0880
196	101 102	0.0572
109	102	0.1290
109	134	0.0400
132	135	0.0530
and the second se		0.1660
112	138	0.2190
113	136	C.1380
114	139	0.1090
115	140	D.D320
115	141	0.1460
117	142/1	0.1487
11.8	142/2	
110	143	0.1342
120	344	0.0930
21	145	0.0400

322	145/1	0.1110
123	147	0.2880
124	143	0.1100
125	149	0.0910
126	350	0.1770
127	251	0.2830
128	152	0.3720
129	153	C.214C
730	154	Ç.2310
131	155	0.1250
132	156	0.0410
153	157/1	0.0200
135	157/2 158/1	0.1090
136	158/2/1	0.2200
137	158/2/2	0.1090
136	152/3	0.1130
139	159	0.5430
140	162	0.5720
141	163/1	0.0240
142	163/2/1	0.0540
143	163/2/2	U.0270
144	163/3	0.0240
145	164	1.0230
145	165	0.0400
147	156/1	0.0610
148	366/2/1	0.0040
149	366/2/2	0.0410
150	166/3	0.0610
151	167	0.0340
152	3/65/1	0.2740
159	365/2	A.B A
154	366/1	
155	366/2/1/1	
156	365/2/1/2	1.5940
157	365/2/1/3	
158	366/2/1/4/1	

366/2/%/4/2

159

3300 -

ר ויוןר ]

भग1]

160	366/2/1/4/3	
161	366/2/1/4/4	
162	356/2/2/1	1
163	356/2/2/2/1	
164	366/2/2/2/2	
165	367	0.1460
165	176	0.1550
167	178	0.2240
168	179	0.2950
169	180	0.0650
170	181	0.0530
171	182/1	0.0480
172	129/1	
173	189/2/1	6 8 4 3 8
174	189/2/2	0.0430
175	189/3	
176	190	0.0200
177	191	1.5980
178	192	0.1380
179	195	0.4940
136	196	0.0320
121	198	0,1170
182	199	0.1180
165	203	0.0290
184	204	0.0610
185	205	0.1219
186	205	0.0690
187	207	0.0770
183	208	0.1540
189	209	0.0670
190	275	0.0040
151	274	0.0030
192	229	9,0020

3301

193	223	0.0050	
194	222/2	0.0470	
195	222/1	0.0950	
196	221	0.2620	
197	270/1		
198	220/2	2.2870	
153	215	0.3070	
żca	257	0.2430	
201	216	0.2870	
202	215	0.1980	
203	214	0.2430	
204	213	0.1610	
205	212	0.3400	
206	211	0.195D	
207	210	0.3680	
208	287/1/1		
205	287/1/2		
210	287/1/3		
211 287/1/4		1.1549	
21.2	287/1/5		
213 287/3/6			
214	267/2		
215	288/1		
216	288/2	a.0670	
217	286/1	6.3666	
238	289/2	0.7000	
219	290/1	0.0100	
220	290/2	0.3160	
221	291	0.3120	
222	203/1	0.2020	
223	293/2	0.60.0	
224	295/1	0.3600	
225	295/2	0.3600	

242

243

296	0.1090
297	0.1010
Z98	0.1500
299	C.1660
100	0.0280
301	0.0770
302	0.1010
303	0.0290
304	0.4578
305	1.3330
306	0.0240
307	0.5670
309/1	0.1850
309/2	0.1860
310/1	0.0210
310/2	0.021Ų

326/1			
or up 1	244		
325/2	245		
329/3	246		
326/4	247		
योग -			
	326/3 326/4 योग -		

311/1

311/2

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक हैं- कार्यपालन वंत्री, जलसंसाधन संगाग सतना, (2)जिला सतनः (पण्प्रद) में दौरी सागर नव्यभ सियाई परियोजना के निर्माण हेतु। भूमि के नवरो (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला सतना के न्दायालय में किया जा

(a) सकता है।

> मध्यप्रदेश के राज्यताल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पर्दन उपसंचित

0.3860

0.3890

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क.-40--अ--82--मू-अर्जन-2023--24

बूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के धद(1) में कर्णित गूंगि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः मू अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 रान् 2013 की धारा 18 के अंतर्मत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जब्द भूमि की खब्द प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-		ः अनुसूची ः
भूगि का वर्णन :		
क. जिला	21	कटनी
ख. एहसील	4	रलीगनाबाद
31. VPT	1	रलीगनाबाद(मोहदापुरा बस्ती) प.ह.
ए. अर्जित क्षेत्रफल	1	0.110 हेक्टेयर

आभा को विवरण	खरारा नम्बर	আর্তিরি বরুষা(ই০)	
	364	D.080	
ग्राग– स्लोग्डनाबाद(नोटयापुरः बस्ती) प.ह.न.– ४१	365	0.010	
	365	0.020	
	कुलयोग :	0.110	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिलके लिए आवश्यकता है – बरगी व्ययदर्तन परियोजना की निर्माणाधीन स्लीभनाबाद अनल निर्माण देलु।

(a) भूमि के भवशे (प्लाक) का लिरीक्षण कार्यालय भू अर्जन अधिकारी, घरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में फिया जा सकता है।

(4) \* प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू—अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 11 तथा 111 के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाधात कारक कार्यताही एवं कुटुम्बों के पूर्नवासन और नुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया दा रहा है।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धार -20 के लहत् अर्जित की जाने वाली भूगि का चिन्होंकन, मापमान एवं रेखाकन की कार्यवाही की जावेगी एवं शारतव प्रधावित एकवा एवं खुलरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवि प्रसाद, कलेक्टर एवं प्रदेन रागवित रारकार.

| #P14

कटनी, दिनांक 18 जून 2024

#### प्ररूप "ख"

[नियम 5 का रूपनियम (2)]

#### - बड़वाह, दिनांक ३० अम्रैल २०२४

गन्त्र ड⊴. 1256–सी–1–2021–प्र.क.–0029 वी 121 2025-24

गध्यप्रवेश भूभिगत पाईपलाईन. केवल एवं डक्ट (भूषि के उपयोक्ता के अधिकारों का आजंग) अधिनिया 2012 (क्रमांक- 5 समे 2013) के अंतर्गत जाशी अधिसूचना क्रमांक- 2225/रीडर-1/2023, बढ़वाह. दिनांक 16.06.2023 का भएम० राजपन्न में दिनांक 14.07.2023 व सभाचार पत्र स्वतंत्र संपाचार रामय में दिनांक 26.06.2023 एवं समाचार पन्न नई दुनिया में दिनांक 27.06.2023 में खसरा नम्बर 106/1 व 106/2 का जुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है 1 जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाये 1

1	to:	रूटिपूर्ण प्रविष्ट	याँ		संशोधित सही प्रविष्टयाँ				
चित्रसा	त्तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का दर्गात	खसरा कर्माक	खपयोग के अधिकार के लिये धर्जित की जाने बाली मूमि (रेष्ट्रधर में)	ितिला	तहसील	ग्रान / पटदारी रख्का कमाक	खसरा जमोफ	छपयोग के द्वविकार के लिये अखित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(I)	22	3	60	15	21.	(2)	13	14	13
खरगौन	सनावद	ग्राम :	106/1	0.180	खरगोन	सन्नावद	ग्राम :	106/2	0.130
		जूनापानी. प.इ.नं. 46	106/2	0.010			जूनापानी, प.इ.नं. ४६	106/1	0.010

🔊 रोध अधिसूचना यथावत्त रहेगी ।

प्रताप कुंभार अगास्या, अनुवेभागीय आदेक शे (शजरू) एवं तक्षम प्राधिकाचि

भग1]

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(प्रारूप क)

नियम 04

क.--4147--भू. अ.--2024

रिावनी, जिनांक 19 जून 2024

राज्य रारकार, समुचित सरकार प्रभावित संश्रो में १८७४ सार पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम स्वदेली तहसील सिवनी परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण बंडोल गामें से कोहका मार्ग मिर्भाण हेतु करन थाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना च.हती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्दासन और पुनर्व्यवस्थापन में सचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्राज्यानों के अनुसार किया जाइगा।

1	परिवोलना विकासक का नाम	कार्यधालन यंत्री लो.नि.यि.(भ/फ) सिवनी
2	भूमि के प्रश्तावित अर्जन का प्रयोजन	र्वडोल मार्थ से कोडका मार्ग निर्माण
3	अध्ययम का कार्रा हाथ में लेंगे गाले सामाणिक समाधात निर्धारण दल के सदस्यों का विदरण	
4	भूमि का विवरण	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
क	জিনা'	रोगनी
e.	ਰਤਵੀਕ	रिवर्भ:
ગ	अन्य / नगर	रनबेटी
ঘ	कुल प्रभावित क्षेत्र	0.23 g.
ভ	अर्जित होने दाला क्षेत्र	C 23 8
5	प्रस्तादित भरियोजना का संझिप्त विवरण	
G	परियोधन, क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र 126 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 0.23 हे.
7	क्या ग्राम सभा और था भूगि धारक की राहमति अपेक्षित है	नही
9	सामाकिक स्थाधात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख	अचिसूचना प्रकाशन से ७: नाह के मीतर

 आजेत की जाने उपराक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (श) एप मू—अर्जन अधिकारी सिदनी जिला रियनी के कार्यालय में किया जा अकत है।

2 अर्जित की जाने अपरोका प्रस्ताचित भूमि का नक्शा (प्लान ) था निरीक्षण जार्यालय कार्थाधालन यंग्नी लो.भि वि (ग/रा) सिवनो के कार्यालय में किया जा राकता है।

1 414 1

3306

### (प्रारूप क)

#### नियम 04

क्र. 4148 भू, अ.–2024

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम ठरका तहसील सिवनी परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण बंढोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुन्गोत्तन और पुनर्व्यवस्थापन में अंचेत प्रतिकर और पारवर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावयनों के अनुसार किया जाएगा।

٩.	परियोजना विकासक का राम	कार्यापालन यंत्री, लो.नि.वि.(१ / स) सिवनी
2	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण
3	अध्ययन का कार्य हाथ में लेगे दाले सामाजिक अमम्पात निर्धारण यल के सदस्यों का निगरण	<ol> <li>अनुविमागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी</li> <li>कार्यपालन रुप्ति जलदरंशाधन विभाग संभाग कर्णालं 1 सिवनी</li> <li>मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग सिवनी</li> <li>नायब तहसीलदार, वृत्त बंडोल जिला सिवनी</li> <li>सहायक कृषि विस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी</li> <li>बन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी जिला सिवनी</li> <li>रारपाः एद सचिव ग्राम नंयाच्या माल्बोर्ड</li> </ol>
4	भूमि का विवरण	
क	चिला	सिवनी
र.	तहसील	सिवनी
η	ग्रास / नगर	<u> तर</u> न्त्र
5	कुल प्रभावित दोत्र	0.44 है, 6 क. पंकोन 582 वर्गमी,
ह	अजित होने वाल क्षेत्र	0.44 है.
5	प्रस्त दित परियोक्तना का सक्षित वितरण	बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु
6	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र 126 हे. एवं प्रमावित क्षेत्र CAA हे.
7	क्य ग्रान रूभा और था भूमि धारक की सहमति अमेक्षित है	नही
8	सामाजिक समाधात नीर्धारण पूर्ण किथे जाने की तरीख	अधिसूचना उकरान से 12: गाह के भीतर

 अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का गतरा। ('लान ) ८८। निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकार (१) एवं भू–अर्जन अधिकारी खितनी जिला चिननी थे कार्यालय में किया जा शकता है।

२. अजिंत की जाने अगरोक्त प्रस्ताविस भूगि प/ नब्दश (प्लान ) का निशेषण कार्यालय करणोकलन बंद्री लो.नि. वि.(१/२१) 'सेवनी के कार्यालय <sup>37</sup> किया जा सकता है।

## (प्रारूप क)

#### नियम 04

क्र)- 4149 - भू, २१,+२०२४

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रमावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम मारबोडी तहत्तोल सिवनी परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिने सानाफिक समधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वारन्न और पुनर्व्यवस्थावन में छचित प्रतिकर और पारदर्शितः का आंधेकार अधिमियन 2013 की धारा ८४ के जावपानो के अनुसार किया आएमा.

\$	परियोजन्ता विकासक का न्यम	कार्यापालन यंत्री लो.नि.चि.(न/स) स्पिनी
2	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बलोल मार्ग से कोहका भाग निर्माण
3	अध्ययन के कार्य होध में लेगे याले सामाण्जिक समापाल गिर्धारण दल के सदस्यों का विवरण	<ul> <li>अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी सिवनी</li> <li>कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन 'वेश'ग संभ ग कमांक 1 सिवनी</li> <li>मुख्य कार्यपालन आंधेकारी, ग्रामांपा यांत्रिकी विनाग सिवनो</li> <li>मुख्य कार्यपालन आंधेकारी, ग्रामांपा यांत्रिकी विनाग सिवनो</li> <li>मुख्य कार्यपालन आंधेकारी, ग्रामांपा यांत्रिकी विनाग सिवनो</li> <li>मायब तहसीजवार, वृत्त बंडोल जिला सिवनी</li> <li>सहायक कृषि दिस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी</li> <li>सहायक कृषि दिस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी</li> <li>संस्पच दर सचिव ग्राम पंचायत मार्स्नोडी</li> </ul>
2	भूमि का दिवरण	
21:	জিলা	सिवनी
रह	तहसील	सिवनी
91	ग्रन्म / नगर	गारबोङी
घ	भूल प्रभावित क्षेत्र	0.48 है., 2 क.मकास 89 वर्गभी,
ड	अर्जित होने पाला क्षेत्र	n.48 है.
5	प्रस्तावित परियोजन्त्र का संशिष्त विवरण	बंदलेल भागे से कोहक। मार्ग निर्माण हेतु
6	परियोजना के॰ और प्रभावित क्षेत्र	परिचोजना क्षेत्र 1.20 डे. एवं प्रभावित क्षेत्र 0.49 हे
7	क्या ग्राम रामा और यह भूमि धारक की राहनति अपेक्षित है	नही
8	सामाजिक सनाघात निर्धारण ५०	अधिसूधना प्रकाशन से छः माह के भीतर

 अजित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नव्सा ('ल'न ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी रिागनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकत है।

2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रसाधित भूमि का नक्शा (प्लान ) का मिन्देशण कार्यालय कार्यापालन यंत्री लो.मि. वि.(म/त्तर) सिवनी के फार्यालय में किया जा सकता है। ★一4109-1 さいいー2024

सिवली, दिनोक 25 जून 2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस को अवधि में कोई अपलित प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनवींसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन ऐतु आधेक्षित है :-

अन्स्ची

परियोजना का नाग

मटामः(मॅंडरई) जलाशय घरियोजना

शिवनी

लखनादौन

गुंगवारा

2 - भूमि का विवरण :--

Ъ.

**7**44,

**(क)** जिला

(ख) तहसील

(ग) नगर / ग्राम

प.ह.न.- 103

रगेग ए

(घ)	लभम	ग बौत्र	फल	<ul> <li>— 3.44 हेक्टेयर</li> </ul>
सर्वेक्ष ज क्षमां क	स्टान्टित्य का प्रकॉर	भूमिं, यन प्रग्नार	<u>अर्जन</u> के अधीन झेअफल (देव मे)	हितबद्ध व्यक्ति का भाभ और पता
2	3	4	5	6
212	भूमिस्ताम्	सूचि	0.12	बेनाबाई बेवा राष्ट्रअसिंह संतोषसिंह जर्मिलावाई दुर्गाबाई गौरीबाई पिता सूरजसिंह जाति राजपूत नि.या भूमिस्वामी

	\$	स्टान्दिय इ	भूमिं हता 5	अर्जन झेअफल (		नयो	यसिम		परिय	प्रचति ह	24	5	िलंग २
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	14
1	212	भूमिस्ताम्	स्वि	u.12	बैनाबाई बेवा रारजसिंह संतोषसिंह जर्मिताबाई दुर्गाबाई गौरीबाई पिता सूरजसिंह जाति राजपूत नि.या भूमिस्वामी	रुप्तरेन्द्र थि, नोर्डसिंह की भूमि	धाम स्तरहद मिलना	३७५७ुमारी पत्मी शीक्षमस्ति वर्षे रह की मूशि	वैभाषाई बेवा रू,एलसिं ह, बगैरछ को जेप भूमि	1	1		1
2	211	भूगिन्त्वाभी	य: व	0.04	सत्यंद्रसिंह पिता नोखेसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी	विक्तरुप दि नोखेतिह की भूमि	देनासाई थेव लूरजांसेंह वगैरह की सूमि	इन्द्रकुम है मली गोकमसिंह वर्गेहह जी भूनि	सत्येदति ३ पि. न ठोलेंट वी शष् भूषि	1	1		
3	213	भूमिस्यानी	र भूष	0.13	इंद्रकुमारी पत्नी भीकमसिंह यशवंतसिंह नुद मीकभसिंह जाति र जपूत जी.उ.र. भूमिस्वामी	भंगोंध है बेबा बाबूसिछ बर्गरहाटनी पूनि	चाम र १५२व सिंज-१	इन्द्रम्हुभारी घरन्गे भौकमर्थिह द्रगैरह की रोष भूगि	बैलाबाई पंगा सूरजसिं ह हर्भ २५ ज्ले भूमि	i	1		1
4	210	फ्र <sub>ि</sub> निरथा मी	₩.	0.06	बित्तराग पिता नोखेसिह	रागज पिता बुटानी को भूमि		मनीबाई बेवा बायूसिंह गरीरह की मूलि	विसरान निता चोडोसिक की शेप भूमि	4	-		
6	204	भूमें,स्तामी	कृति	0.21	जाति राजनूत नि.भः भूभिस्वामी	ंत्रेशशम मेत नोसेक्षिठ को सोष भूमि	भहेत्रा दुर्गेश गीता श्वजो दुलारी पिता सालगिष्ठ की भूमि	पुरुषीलम वि. जेखनिड की मूनि	ष्ट्रासकीय राज्या	1			

Þ

संस्च

키

Ŀ.

dez 1

पुध

ł

Þ.

भाग 🔿

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई २०२४

[भरा1

1.1

1

1

াণাৰাই ইংশ ৰামুমিষ্ট ৰগঁৎয় জী পুনি जित्तरान पिक्षा नोक्षेरिज की मूमि র ক্রিয়ান্ডুন ম বির रमणी युटानी नि.घा र লগী। Nai ગુમિસ્ટામે iùar ∰s≈ 0.04 जाति श्जम्स पुटानी की हैंध नरेशफिड को मूमि भूमिस्लामी भून का रथ ाने गोशीरांड नि एकेशक करूतनेंह मार की रामको पिता ब्रह्मची जीव इंस्टर में राकेशकमार पिता đ.

7	209/ 4	भूमित्वामी	कृषि	0.06	राकेशकुमार पिता महेशसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूगिरुवामी	पुरत्वोत्तम की गुनि	अुटानी की मूमि	गुम्हानिंह ४१२४ छे. भूमि	सिंग् ग्व पिः अपे	ĩ	1	1	1
8	215/ 2	भूमिस्यामी	ज्ञ न	0.13	मंगोबाई बेवा बाबूसिह रामनाथ पूर्णिमाबाई पिता बाबूसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गाँरीसिंह पि. जुम्मासिंह की मूमि	इन्हकूशारे। जल्मी मीकनसिंह बगैरह को मूक्ति	ः) (भारते होता) सामुसित और उन्हें की रोष भूमि	िज्जम ि. नोय्डेसिंह की भूमि	1	.1		
9	215/ 3	भूनिस्यागे	के	0.13	ओमकुमारी बेवा गौरीसिंह विनेशसिंह अशोकसिंह रामगोपाल पिता गौरीसिंह जाति राजपूत नि ग्रा भूमिस्वामी	रागायाई पि खुम्मासिंह की भूगे	म्लेगवाई थेथा आयुत्तित बगेरह को बोश पुत्नि	औषयुनारी देत्रा गौरीसिंह दर्गरु की रोब भूमि	राजेशकु २७ मिता नहेशसि ६ की भूमि	1	.1		1
10	206/ 2	गून्स्वामी	<del>क</del> बे	0.10	ईश्वरसिंह पिता पुरूषोत्तमसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकोत रास्ता	इंग्रेनरसिह िता नुरूषोत्मनारे इ. की रोष फूने	गोशाराज्ञ "ने कुम्मासिंट की मूर्गि	ईस्वरसि ह पिता पुरूमोत्ता न <i>े</i> २ को सोम भूग्वि	t	1		1
11	206/ 1	भूमिस्ट्यामी	<u>ल</u> ्ब	0.07	युक्तमोत्तम पिता जेरवसिंह जाति राजपूत नि.प्रा भूमिस्यनी	शारार्थ'य राख्ता	पुरूषोत्सँग मित लेखरिइ को होव भूगि	विसराम दिता नोखेरिह की भूनि	शात्तवतीयः सनतः	i	1		1
12	207	ון איזיא	कृषे	0.20	महेश दुर्गेश मीता रज्जो दुलारी पिता लालसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	बिसकम निता नोक्षेरिन्ड की फूॉंग्	महेश दुर्गेल कीता १०वी बुलारी पिंट स्तालसिंह की होत्र भूमि	विभयम जित नोर्खेलिहा की भूमि	शाक्तनीय सन्त	i	1		1
13	206/ 3	भूमिस्टामे	कृषि	0.03	पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पकुमार पिता पुरूषोत्तमसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी	विरासम पिता नोखेल्डेड ग्डी भूमि	पुष्पेन्द्र पिठा पुरूपोक्तमसि ह की शेष मुथि	पुरुषोत्तम पित लेखसिंह की भूनि	नडेश मगैरह पिया जाजसिंह की भूनि	T	1	-	1
14	202/ 2	मूनित्तभो	-12 -12	0.07	संजयकुमार पिता अमरसिंह जाति राजपुत नि.ग्रा भूमिस्वामी	ताराबाई पांसे डुल्कररिंह की भूमि	रूजमकुमार िता अमरसिंह को होध पूरी	१ म कीय राज्या	अमरसिष्ट थि २० <sup>-्रा</sup> म्ड को भूमि	ī	1	1	4
45	202/ 4	અુમિસ્વાધો	म् भ	0.05	त्ताराबाई मति हुल्ल्य्यकिष्ठ जाति राजपूत नि.धा. भूमिस्यानी	ताराबाई पति दुल्करसिंह की ई.त्र भूमि	न'जयकुभार जेपा उम्परसिंह को सुने	शास्त्रकीय सारद:	गूमराबा हे परि हुउद्यतिक ह बगैरह को भूनि	ų.	1		1
16	201/ 3	भूम्हेल्वामी	मूबि	0.07	खुब्बाबाई दया ऊर्फ दयाबती ताराबाई निर्मलाबाई पिता हुल्करसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गुमतानाई पति टुज्नारसिह बनैश्हः की शेष्ट मुमि	ठ मरसिंह हर्षा भ्रागळूम ३ पि समसिंह को भूम्	तारावाठ पारे १९४५-२२ उत्ते भूनि	उ <sup>के</sup> म्प्रका २ मि चोधनरिं ए प्री नुमे	i	1		1
17	2017 2	भूमिस्टामी	æ \$"	Ð.13	अनरसिंह उर्फ समकुमार भिता समस्तिह जाति राजपूत नि.फ, भूगिरवाणी	पुण्याबाई याते इल्करशिष्ट सर्वरह की भूमि	अमरसिंह उर्फ राम्फ्लुमार पि रागसिक्ष की रोष मुक्ति	संजयकुमार पि अमरसिंह की मुनि	জাপদ্রকা হা থি গাঁৱলন্তি চ কা দুটি	1			1

3330

20% 2

б

भाग । ]

18	182	भूम्स्लामी	<u>क</u> ाले	0.13		अटेमरूकार २ थि पोधमसिस की जोम भूमि	service to o	নুনীয়িত নৈ অন্যানিক কিন্দুনি	शार:मीय भू जल	1	1		1
19	:72	भूटिस्हानी	क <u>ु</u> ह	0.15	ओमप्रकाशसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत नि.ग्रा. मूमिस्वामी	ओगध्रकार t पि. मोडनसिंह की शंघ मुगि	ओमप्रकाश पि मोत्रनसिंह की रहेष भूमि	गुमर च ह पांगे हुल्लाहरिंह दर्गरह हमे शुम्हि	लाखन <b>ि</b> संह्र <b>ी</b> स बगलांसे ह को भूगि	Ĵ,	1	1	1
20	175	भूमें रत्नमी	(#.) #	0.14		ओमप्रकार १ मि. मोहनसिंह की शेष पुनि	ओमप्रकाश पि मोहनसिंह की शेष भूमि	त्त्राचनसिंह निरा कमरासिक की भूमि	ਬ 414ਏਂਦ ਪ੍ਰਾਯਾਦੀ	4	I		t
21	1737 1	بالعاديان	e.e.	U.ÙB	लाखनसिंह यिता कमलसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. मूमिश्वमी	লারেলাই মি বিরা কাজাইটে ন্যা মাথ ম্যাই	कुगारिह २२. का शरिह की धुनि	ओमधळात्रा चि मोहनसिंह की भूमि	भाव दि ति इ जीवहांग तिन्न	1	E.		ł
22	173/ 2	्यूभित्त्वाम्त्रे	कूथि	0.08	मुनीसिंट पितन् क्रमलसिंह जाति राजपूर भि.धा भूभित्वामी	साळ- रो म निप जम्मासेह कौ शेष भूमि	तुनीएउ जे रुक्ट्रासिंह की संब भूरि	ओमप्रकाश पि. गोडनसिंह बरी मूमि	अंगत्रव्य स. मे मोहर्ग्स ह. क्षी पुनि	3			1
23	i79	જ્યમિત્ધાર્મા	<u>4</u> 5	0.07	अन्मीसिङ प्रिंग श्रीचद जाति शजपूर मित्रा भूमित्वामी	हिल्लावाई च.प. हुन्दुमसिंह वरीरह की मुमि	:भन्मीरिंछि पे श्रीचंच की राष भूमि	वालकोग भू—जन	लोमलीका ई भूति कलीताम की भूमि	4	L		1
24	177	भूमिल्लानी	्याष्ट्र	0.67	छित्तीबाई ध.प. हुकुमसिंह सरोज पिता हुकुमसिंह ललिता ध0प0 संतोष राहुल पिता संतोष जाति राजपूत नि.ग्रा. मुमिस्वामी	फ़िल्तोबाई ध.प. हुन्हुमरिक वर्गरह की शेष मूमि	अन्मीरिक है. श्रीपद की मूं≧	शालकोग भू-चारः	सामतीबा ई गरि कलीसन की भूनि	4			,
25	178/ J	الأشعديا	(7) (7)	0.04	सोमतीबाई पति कलीराम जाति गाँढ नि.ग्रा. भूमिस्वामी	लोमसी वार्ड पति कलीशम दर्भ शेष भूमि	कोमतीगाई पति कलीफर की शेष भूरि	छित्तोबाई 4, ए.स्व. हुकुमरिंह कर्तरह की भूगि	रा.स.कीग मू-∸25	ł	1		1
26	215/ 1	મૃત્મિસ્વાની	¢.	Q. 14)	राधाबाई पति कुम्मासिह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्यामी	रत्नत-ला पति सुरे-व्रसिंह	गोरीसिंड वि खुम्मासिंह की भूमि	दिनेशसिंह पि. टोपसिंह जी भूमि	इस्वर्श्वे इ.पिता पुरुष्ठोरत गरिइ यो गुप्ति	4	1	1	Ţ
27	217/ 2	भूमिस्तामे	र्भुष्ट.	0.05	पार्यतीबाई पति सोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी	भंगाखई वन्त्री हरिओनीरे। हाली पूर्षि	सोहनसिंह पि मक्खनसिंह की भूमि	पार्ततीयाइ 1 ते सोडनसिड को शेष श्रूमि	पत्नगाल चरि सुरेन्द्र'स् ह की मूने	а	1		1
28	217/ 1 /1	भूभिरदागी	عثانه	0.16	सोहनसिंह पिता मवखनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. मूमिस्यामी	ण्यदेशियाइ मति सोहनशिह स्टी. ्रुनि	सुर्यचनत माण्माः चिता च चर्ता मुल्लेष्टसिट की भूमि	स्तांहनारि-ड पिता गेक्टबनलिड तो सोध भूमि	जन्तरगाला चांदि स्टु२-डा¥् २ व्ही भूगि	1	-		,

3311

योग	34		-	3.44							1	+	
34	135/ L	भूगिरुवाम <sup>ि</sup>	<del>ह</del> ी:	U.12	हरिओमसिंह पिता सोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	हरिजोगति। २ २ १९ेहन-२१४ त्वी साथ भूभि	गणाबद्धं पति हरिडो। सिंह को भूगि	दिगपालमिंह पि. पंतनसिंह जितन्द पि. शपानसिंह की मूमि	सुरेन्द्र स २ - पे स्वरूम संह की भूमे	1	1	-	1
33	1,74	ग् <u>र्</u> यूरे स्तानी:	بر ها	0.13	विगपालसिंह पुत्र चेतनसिंड जिनेन्द्रसिंह नुश्र स्यामसिंह जान्ति राजपूत ि.धा. मूमिस्वामी	विमपाला संह पि इं. नारोह को झेंग भूमि	मुकेशसिक पिता पुरुषगैरिफ जी पुरुष	लत्ताप्रसिष्ट पि स्ट्रप्लसिम को भूगे	हरिऽग्रेम सह हि सोइनसि ह की टूनि	I	1	-	1
v	133	भूमिल्च <del>न</del> ी	ί, th	0.12	संत.प .सिध मिता सूरजसिंह राजभुत मि.७ भूमिस्वामी	रातीवसिंह २ २- जारिड रण- राष मुम्	मुखेशसिक चिता तुलसी हे ह भूति भूने	्रांग स्थीना	देगम् रत संद थि बता थिं इ की मूमि		1		1
31	217/ 3	ار کېږېله	क्	0.05	गंगाबाई पति हरिओमसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. मूमिस्वामी	तरिकालीत इ. मि. सोङ्गॉसेंड की भूमि	गंगावाई पति उरिभोनरिज की शेष मुम्	मुकेत्रसिष्ठ पिता सुजसी। रेप् को गूमि	मुरेन्द्रसि ह मि नवर्र्टनी देव्ह दे दूनि	ī	-	-	1
ac	218/	.नू भिक्ष्यणी	<del>क</del> ांब	0.16	मुकेशसिंह पिता तुलसीसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	संसोधां सह  P २८५वरिंछ नरे रह कर्ष भूमि	मुळेशसिह मिता ुलारांग्डे ह गुरी संघ भूमि	णच सॉमा	भागावाडी पांसे इ.ए.ओ. ही सड वर्ग मूर्ग-	1	1		I
28	217/    /2	भूनित्वामी	मिरि	0.16	्रूर्यकति मध्यप्र जिल व अली- तुकेशरोह- व्यप्ति राजप्त मिथा, भूगिशाचे	ક લો	विनेशसिंह मि लेपसिंह की भूमि	सूचकाः सः)हाः वितः तः वर्तः पुरुशिष्ठि वर्गरांत्र भूमि	चलभाता बाहे सुरेष्ट्रासी अंदर्भ मुमि	ÿ			ł

अर्भित की ज्वाने पाली चल्लोसित प्रस्तावित भूति २० -शर्था (स्वान) >> निरीक्षण व्यायास्य उन्तुविभारीय अंग्रेकार्श

(राजरू) रव भू- कर्डन अधिकारी अखरादौन किला रिवनी के कार्यलय में किया का राकता है।

- 2 असिंह की जाने वाली उल्लेखिट प्रस्तावित भूमि का नवरा (फ्तान) का निरोक्षण कार्यालय कार्यप्रालन वर्त्त, जल रूसधन संगण कमांक 1 सिवनी जिला रिपनी के कार्यालय में किया जा उलता 💲
- 💵 मधित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का मिश्ला दिसले लिये भूमि जी अवस्यकता है— +टामः(मुंडरई) जलाशय परियोजना की रूपी रात मुख्य नडर एवं गुंगवारा माहगर तहर निर्याण कार्य हेतु निलंग भूमि के उप्तीत के संख्या में।

गळप्रदेश के राज्यवाल के नाम से तथा आदेशानुसार. क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं दवेन उपराधिय

1.5141.7

कार्यालय, कलेक्टर, (पदेन उपसचिव) एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विमाग, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिलांक 25 जुन 2024

ø. 7723 પ્ ઠાર્જો 2024

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, मुनर्वास एवं गुनव्यवस्थापन में उचित्त प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार, अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013)

चुकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि कमाक ! भें इन्दौर-वाहोद नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम गुणावद तहसील व जिला चार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक दार विवरण अनुसूचि (2) में उल्लेग्छेत है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्ताणित है। प्रस्तादित सर्वे कार्यक की भूमि इन्होर—दाहोब नई बडी रेल लाईन परियोजना में प्रमावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। प्रकरण में स्त्रेशल इम्पेक्ट अरोसमेंट सर्वेक्षण की आवश्कता जहीं है।

अतः भूमि अर्जन भुनर्वास एवं पुनर्वायरथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता क। अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि iनेम्स वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्गजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैः

अन्राचि (1)

यामः− गुणावद ',

क	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि कः कुल रक्ष (हेक्टेयर)					
		सिंचित	असिंचित	कुल			
1	इन्दौर-दाहोद नई बडी रेल लाईन परियोजना	0.421	0.000	0.421			
-	योग	0.421	0.000	0.421			

अनुसूचि (?)

इन्धोर-धाहोद नई बडी रेल आईन परियोजना के अंतर्गत ठाम भुणावद की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

\$	कृषक का नाम व पिता/धौरो का नाम	खसरा द्व्याक	भूमि	का कुल रव	क्त्य		की जाने वात रकबा (हेक		रिमार्क
			शिथित	असिवित	कुल	Rida		i in in ite	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t	पुष्पांशई वैया मेहरबानसिंह, महेन्द्र पिता मेहरबानसिंह, राखी, निता पिता मेहरबानसिंह जाति राजपुत निवासी गुणावद तह व जिला धार	\$58/1	1.280	0.000	1.280	0,421	0.000	0.421	
	कुल	1	1.280	0.000	1.280	0.421	0.000	0.421	

नध्यप्रदेश के राज्यपाल के नान से तथा आदेश नुसार. प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर (-देन जन्सचिव) एवं समुचित सरकार.

ನಕ್ಕಳು ಎಂದು ಮಾ

धूंकि राज्य १७सन को इस बात का समाधान हो रूथा है कि नीचे टी गई अनुसूची (1) ने वर्णित भूमि की कालम लंबर 5 में तणित गार्वजनिक प्रयोजन के लिए अवश्यकता है। इस हेतु अनुस्थी-2 मैं वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित। का अधिकार अधिनियम 2013 (इन्हांक 30 राज 2013) की धारा 19 के अंतर्गत घड़ घोषित किया जात। है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिल	तहसील	आग	लग¥ग क्षेत्रफल (हेक्ट्रेचर में)	सार्वजनिक प्रथोजन का तर्णन
1	2	3	4	6
वैतून (म.प्र.)	बैत्तूल	टाहली	0.272	गङ्गा नध्यस धरियोजना हेतु निर्जी अूसि एवं गरिसंपत्ति का अर्जन

<u>अनुस्</u>र्वो -2

(एआवित धारकों की सुची )

क्र.	अूमिस्वामी का नाम						ख.न.	कुल स्कबा (हे.से.)	अर्जित रकवा (हे.में)
1			2				3	4	5
1	कमलनयन अूमिस्वामी	च.	कृष्णाचंद	স্তর্থনে	जाति	जैन	348/2	2.023	0.272

(2) चूँकि गढ़ा अध्यम सिंच्यई परियोजना से प्रभादित होने वाली उपरोक्तानुंसार भूमि मय धरिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से थारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविधागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैलूल के ज्यासालय में किसा जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट <u>www.betul.nic.in</u> पर भी अपलोड किक अगा है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, २०. ११- अ ६२ २०२५ २४ ७६७ - ४ ५६७ - ४ ५४७७ - इंतूल विनोक ०४ जुलाई २०२४

यूंकि समुचित सरकार को इस बान का समाधान हो गया है कि भीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूगि के कालम नम्बर 5 में पंगित शर्वजनिक प्रयोजन के लिए अवश्यकता हैं! इस हैंदु अनुसूची-2 से नगित मूमिस्वामियों का भूमि अर्जन पुनर्वारान और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 राज 2013) की थारा-19 के अन्तर्गत थड़ वोषित किया जाता है कि उक्त भूगि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आक्श्यकता है-

अनसची-1

जिला	त्तहसील	त्तवर/राम	सग्रभग क्षेत्रफल(हे.में)	ধাৰ্ষজন্তিক প্ৰযাতন কা বৰ্ণন
1	2	3	4	0
हेतूल (स.प्र.)	मुलताई	उहुआ नथ	1.282	सहिलावाडी लंधु जलाशय के डूब क्षेत्र में आजे वाली निजी भूमि का अजेन
	1	1	अनुसूची -2	S.M.
		(प्र	माधित धारकों की सूची)	
अ. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे. में	अर्जन की भूमि का एकवा हे. में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	261	4.090	0.068	पतीसम व. इटठु, चमन बेथ। कन्हेंचा, राजेश, बाबूलाल, सतीश पिता कन्हेंचा, ललिता पिता कन्हेंचा, मधू, पुल्दन पिता इटठु, नन्हा पुत्री इटठू, रूखमई बचा इटठु, जाति पंचा सा.देह
2	278/1	D,769	0.202	श्रीराम, राभू पिता रत्मजी, जिलेला. रेखा थिता राम्रजी, जाल्ही बेबारागजी सुनीता बेक हरीरान, रोशनी, दुर्गा पिता हरीराम जाति पंचार, रगदेह

S PE 1 ]

যৌগ		10.186	1.282	
6	282	0.55D	0.550	यशंवत भिता जतथू, संजय पिता गुलाबसव, राध्या, जित्या पिता रुत्रावसव, शाल्ता बेवा गुलावसव, जिसीका बेवा विनोधी, सुरेश, रजेश, दिनेश भिता दिनोधी, सरौज, शाल्ता, लीला, बेबी, लता पिता जत्थू, जाति पंबार सा.देह
5	281	3.238	0.057	निर्मला बेचा विकोदीर जाति पंचार सा.देह
4	278/3	0.770	0.203	अध्नण पुत्र तेजी, स <sup>्</sup> देह सुलनाई
3	278/2	0.769	0.202	फागूलाल, प्यारेलाल, बसंत, कैलाश पिता गजमल, उषा, इमला पिता गजमल जाति पंवार, सा.देह

(2) चुंभि महिलावाडी लघु जलाशय के इब क्षेत्र में अपने धाले हिराबद व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यबित का विस्थापन नहीं होने से धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुजर्वारान और पुनव्धवस्थापन स्क्रीम का सार रकीन का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही ŘΕ

(3) भूँगि का नक्शा (प्लग्न) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के ल्यायालय में किया जा सकत! है।

(4) संयुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.cic.in पर भी अगलोठ किया गया है:

भध्यप्रदेश के साव्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर उने सनुचित सरकार.

[माग 1

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

राजगढ, विन्तंक १ जुलाई 2024

कनॉल**5315/**भू–अजंन/2024 थुंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न रामी के खाने (d) ने धर्मित भूनि की अनुसूची के खाने (£) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अलग आवश्यकता नड़ने की संगचना है।

प्रकल्ण क्रमांक ठैिि अ-82 / 2028–24 सुंकि सरुप कारुन को इस बात का स्वाधान हो गया है, कि नीचे दी मद अनुसूत्री कमांक 1 में मोहनपुरा घृष्टव सिंधाई परियोजना ततसील खुंजनेश जिला सजगढ़ देतु ग्राम झुमका की प्रयादित रणित भूमि किस्का कृषकवार तर्व कमचार विवरण अनुसूधो 2 में उल्लेखित है। अतः मूमि अर्जन नुमर्वास और नुमर्खनस्थापन में असेन प्रतिकर और पारवशित का आंटेकार आंदेनियम 2013 कि 30 रुन् 2013) की धारा—11 के उत्तारि अधि किया जाता है कि निस्त वर्षित का आंटेकार आंदेनियम 2013 कि 30 रुन् 2013) की धारा—11 के उत्तारि अह और किया जाता है कि निस्त वर्षित आनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में ऑफित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। यूंकि मोहनपुरा युहद सिंबाई परियोजन का निर्माण पूर्ण हो दुक है (से इस इंदू अधिकारा भूमि का अर्जन किया जा जुका है और इस कारण पास—11(3) के तहत सामाजिक समाचात निर्धारित रिजीय का सार प्रकाशित नही विवया जा रहा है।

#### -: अनुसूची ( 1 ) :--

मोइनपुरा यहाद सिंचाई परिगोधना हेंदु प्रभावित भूमि -

स.क.	विधरम	उस्जेन्न हेतु स्कबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
3	्रम् का	2.576
	कुलयोगः	2.576

#### --: अनुसूची ( 2 ) :--

प्रभादित कृषक का नाम खसरा भवर मोल प्रकाश (हे.मे) जाणित रकबा (हे.मे) स.क. 1 2 3 4 h णभवाद, निता भागोलाल जाति रूवादा जे,ग्राम भूमि स्वामी 1.075.262 1 0.202 101/1 0.658 0.65B યોગ 🛏 2 0.940 0.060 2 दीयनासमूल पिहा भाषानल जाला कताला दिशाक मुमि स्वःभी 2790.291 0.291 योग ----0.291 0.291 1 रमेश चिंता दयापास ज्यांने कवाला पता (नेवाली ग्राम भूमि स्वामी п 114/1 0.765 0765 योगः 0.765 0.765 1 करण मिंह द्वारसिंह कुनेर पिंह पिंग गम्नाताल जाति रूंचाता £ 35572 0.193 0.139 वता निव्यसी साम नि.साम भूनि स्वानी योग :--0.133 0.133 1 बद्दीलाल विद्ता धीरालाल जाति स्तवाल निवाम गुणे त्यांगी Ε, (72/1/2/1 Ö.114 0.006 सोगः : 1 0.114 0.006 रनेष्ट मेता कनीरान जाति रुवाता किंग्राम भूमि खामी 6 293/3 0.051 0.0.51 योग > 1 0.051 0.051 પ્રમુ લ ૯ પિતા છોટેલાલ ખાતિ ઇલાટ: "દેસાંમ ગૂ–રવાળી 2 457/1 0.590 0.037 योग – 0.590 0.037 1 केंटर सेवा होटेलाज जाति ककरत लेखफ मुनस्थामी 8 457/2 0.590 0.337 योग :--I. 0.590 0.037

457/3

1

D.590

0.590

0.036

0.036

गापूलाल पिता छाटलाज जाति स्थाल। मिजाम भू–९४१मी

योग 🛏

9

भोडनपुरा धृहद सिंबाई परियोजना हेतु प्रसावित भूमि :- ग्राम झुनका

	महायोग :	17	4.495	2.576
	यांगः	1	0.012	0.006
16	भेक्सला.श., गजरानां.शेठ, शिव्हाल निता जालगलिए, नानुवाई वेवा जात्तमसिंह जाति रत्याता नि.आम भूमि स्वामी	327/1/1	0012	6.006
	योग :	i	0.284	0.134
15	गणा प्रेग, सरदार, सुबन मुझी दयाराम जाति चल्याला नि.आभ भू—रवान्य	171/	D.£34	0.134
	4 <sup>1</sup> 17 ;	1	D.043	0.015
14	ज्मेश पिता क्रभीशम जाति रुबल्दः नि.शम भूनि स्वामी	270/5	D.D13	0.013
	थोग :	L	0.043	0.027
13	कल्ल्यालिङ पितः वानीराम करति रत्याकः निवासी अप्तम भूनि स्वामी	175./4	0.043	0.827
		ĩ	0.043	0.028
12	भारतसिंह पिता कनीराम जाहि हवाला निवासी साम भूनि स्थामी	170/5	0.043	0.026
	434 t+	1	0.043	0.029
11	<ul> <li>मूलाल मिता कर्मातक जाति कलाका निकासे आभ भू थे स्वामी</li> </ul>	170/2	0.543	9.025
	दौग ≔	1	0.043	0.030
20	वयीलाल पिता कलीलन जाति कलाउंध जिन से प्राप्त भूगे स्थानी	170/1	0.048	0.036

भूमि कं नवशे (प्लान) आदि का निरोधांग अनुविभागीय अधिकारी, एव भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिल राजगढ़ के प्रार्थालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर,

## न्यायालय, उपायुक्त (राजस्व), संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी

## मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (मूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012, जिला शहडोल (म.प्र.)

দ্বৰূপ – শ্ৰ

[भियम ६ कः उपनियम (2) देखिए]

दिनाक 14 जून 2024

क्रमांक 📝 ७२ / मॅंम-१२१ / २०२२--२३, अत्तएप, राज्य उरकार को ठोकहित में यह आवश्यक प्रतीद डोता है कि गैस परिवरण हेतु ग्राम स्वोनवर्घ, पटवारी हल्का— छाता, तहलील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेलर्स रिलायस इण्डल्ट्रीज जिल्मेटेड, सोमीएम प्राजेज्य शहरतील द्वारा गूणिगत पहिषताइन केवल एवं डक्ट बिलाई जाए।

और आरएव राज्य संस्कार को उनक भुम्भित प्राइप लाइन, केवल एवं उज्ज्ञ विछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसने भूमियत भएप लाइन, केवल एवं ढक्ट निष्मये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलगन अनुसूची में वर्णित है, सम्योग के अधिकार का अर्जन किया जार।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइट लाइन, केवल एवं डक्ट (भूनि के सप्रयोक्ता के अधिकक्तें का अलेन) आंधेनियन, 2012 (कमांक 5 सन, 2013) की धार 3 की लपधास (1) इन्स प्रदर्श शक्तिमां को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उत्तरें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करली है।

कोई व्यक्ति जो सक्त अनुसूची में मर्णित भूमि में हिसबन्द है, एक तासेख से जिसको उक्त अधिनियन की बास 3 की जन्मारा (1) के उभीन अधिरूपना राज्यात्र में प्रकाशित होती है। तीक दियस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप जाइन: केश्वत एवं डक्ट विछाये जाने के संबंध में राजन प्राविध्वली, उपायका राजरव, शहलोज संभाग, शहलोल (म.प.) को लिखित में आक्षेप भेज राकेगर।

			अनुसूची	
जिला	फ्रास् ताल	ग्राम / पटदारी इल्का	ন্দ্রবার ক্রাক	उगयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहजील	सोहरगपुर	कोन्दर्ण/ अक	190/1/1, 190/1/2, 190/2, 190/3/1, 190/3/2	0EL.0
			188/2	0.291
			187	0.165
			384/1, 384/2	0.114
			182	0.082
			181	0.007
			236/1, 236/2	0.184
			235/1, 235/7	0.421
18			229/1/1, 229/1/2, 229/1/3, 779/2	0.041
19			97/1, 97/2, 97/3	0.012
1			94	0.045
			96	6.075

मध्यप्रदेश मूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012, जिला शहडोल (म.प्र.)

#### प्ररूप – ख [नियम 6 का उपनिधम (2) देखिए]

क्रमांक /03/बी–121/2022–23, अलएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रशीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पिपरतरा, पटवारी हल्का-- छाता, तडसील सोहागपुर, जिला शहडोल ने मध्यप्रदेश राज्य में भेसर्स रिलायर: इण्डरट्रीज लिनितेड, सी.बी.एम. प्राचेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइगलाइन केवल एवं डक्ट बिधाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उपत भूभिगत पाइप लाइन, केवल एवं डक्ट विकाने के प्रयोजन के ज़िये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चस भूमि में, जिसमें भूभिगरा पाइप लाइन, केवल एवं उक्ट विलामे जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में दर्भित है, राज्योग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केंबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 रून 2013) थी घरा 3 की उपधरा (1) द्वारा प्रयत्ता शकितयों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यकि जो जरूरा अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबदा है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की जप्रस्थ (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, कंडल एवं डक्ट विछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, तपायुक्त राजस्व, शहडोल संमाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिल <u>ा</u>	त्तहशील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा कर्माक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहलोल	सोहागपुर	ीपरतर/ धता	19	0.098
			20/2	0.205
			49	0.072

अन्सची

# मध्यप्रदेश मूमिगत पाइप लाइन केवल एवं डक्ट (मूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012, जिला शहडोल (म.प्र.)

#### प्रक्तन – ख [नियम त का उपनिधम (2) देखिए]

अगोक /04/बेम् t21/2022–23, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीस होता है कि गैस भेरियहन हेनु ग्रान छांता, पटवारी हल्का– छाता, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में गध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल हारा गूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिरुग्ई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केवल एवं डक्ट विछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केवल एवं डक्ट दिछाये जाने का प्ररताय है, जो इस अधिशूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमियत पाइप लाइन, केंबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपपारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा कश्ती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुत्तूची में वर्णित मूमि में व्हेतबद्ध है, उस तारीख से जिसको जक्त अधिनियम की धारा 3 की उधधार। (1) के अधीन अधिरहूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दियस छे भीतर, भूमि के नीचे पाइय लाइन, केवल एवं ढक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शरडडोल संभाग, शरडोल (म.प्र.) को हिखित में अक्षेप भेज सकेगा।

জিলা	तहसील	ग्राम / पटवारी इल्का	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकारी के लिथे अर्जित की जाने वाली मूमि (हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहङोल	सोहनगपुर	ଏଟା / ଅଲା	55	0.035
			57	0.027

अन्सची

मय्यप्रदेश के राज्यपाल के नाग से तथा आदेशानुसार. मिनीषा भगवती माण्डेय, राक्ष्म प्राधिकारी रुपानुपत (राजरय). कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ४. ७१ ९ अर्जन २०२४ मंहर, दिनांक ८८ मार्च २०२४

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समध्यान हो गया है कि नीचे दो गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्धजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकर्ता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2019) को धारा 19 के उत्तर्गत इसके द्वारा यह मोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये अवस्थकत. हैं-

अनुसूची

(1) भूमि का तर्णन:-- (म.म. शालन/निजी खता)

(ल) जिला **–मैहर** (ल) राहतील- **अमरपाट**न

(ग) नगर / प्राम – सेमरी

(म) क्षेत्रफलें – 5.895 है0

«L.ф.	गाराजी क.	अर्जित रकना
1	223/272	0.090
2	273/1/3/2/2	0.544
3	223/1/2/1	0.208
4	>>>	0.043
5	221	0.476
G	220	0.020
7	219	0.325
8	216	0.065
9	215	0.074
10	714	0.084
11	213	0.067
12	212	0.046
13	211	0.456
14	99	Q.493
15	98	0.023
16	97	0.4%5
17	100/1	D.055
10	100/2	0.02
19	87	0.298
20	101	0.178
21	85/3	8.012
22	80	0.500
23	79	0.678
24	77/1	0.21
25	77/2	0.442
26	75/2	0.067
27	85/3	0.025 निजी खाता भूमि योग रकवा -

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन अनरयक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, शेव: शाखा नहर अंतर्गत प्रडरिया विरारिक नहर के निर्माण हेतु।

(3) ५(मे के नवशे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, (भू–अर्जन), जिला मैडर के न्यायालय में किया आ सकता है।

> गण्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार सानी बाटड, कलेक्टर एवं पर्दन जपसचिव

332.2

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पर्वन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विमाग (प्रारूप क) निराम ०४

a 4395 पू.अ. 2024

सिवनी, पिनॉक 5 जुलाई 2024

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्र प्रभवित क्षेत्रों में प्राप्त स्तर पर यथा स्थिति रागि कन्डरगांग तहसील सिंदनी प्रचम्रई से निम्न भूमि का अभिव्रहण गंडोल नाने से कोएका मार्न निर्माण केंदु करना चाहतो है. और कोक प्रयोजन के लिये सामाजिक स्टमाक्क निर्धारण अध्यक्ष करना चाहतो है, अध्यक्षत का कार्य गुमे अर्जन पुनर्शसन और पुनर्ध्ववस्थापन में अधित प्रतिकर ओर पार्श्वदर्शना का अधिकल अधिनियम 2015 को पास 04 के जावधानों के अनुसार किया जाएगा।

1	परियोजना विकासक का नाग	कार्यापालन यंत्री लो.नि.वि.(म./. <b>र</b> ) सिवनी		
z	गूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण		
5	आरणगण का कार्य झाथ में लेगे कले समाधिक समाधात निर्धारण दल ले सदस्यों का टिवरण	1 अनुविभागीय अधिकारी(राजस्ट) एवं मू-अर्जन अधिकारी सिवनी 2 कार्यपालन वर्श्व), जलसंसाधन विभाग संभाग कमाढ़ 1 सिवनी 3 पुरक्ष व्यर्थपालन अधिकारी, प्रत्यीम यांत्रिकी विभाग सिवनी 4 नायव सहसीलदार, कृत्व बंडोल जिला सिवनी 5 सहावक कृषि विस्तार अधिकारी शिवनी जिला सिवनी 6 थन पश्चित्र अधिकारी सिवनी जिला त्तिवनी 7 संस्थर एव राधिव आग पंथायुरा भारकोर्डी		
4	भूमि का विवरण	-2 - 00		
₽	जिला	रिावनी		
20	तहसील	Rich		
F	साम / न्यूर	कन्डरगांच		
4	कुल प्रमाचित क्षेत्र	0.11 8. 1 4. मकान 20.22 वर्गमी, 1 क. मकान 79.43 वर्गमी.		
š.	अर्जित होने जाला क्षेत्र	C.11 Č.		
ī	प्रस्तावित परियोजना रज संक्षिपा हिवरण	बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निमौण हेतु		
)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र 1.25 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 0.11 हे.		
r	एया अन्त 'तम आर य' भूमि धाएक की सहमति अभेक्षित है	-१ही		
I	साम्यजिक सन.घाट निर्धारण पूर्ण किंटे जाने को तारोख	अभिसूचगा प्रकाशन से छ. नाह के भीतर		
6	असिंग की जाने जायगेवन प्राप्ताति	न भगि का उठना (प्रमान ) का निरीषण वयानिका अनमिकारीय अधिका		

 अजिंत की जाने सपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नवशा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (त) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिश्ली जिला सिटनी के कार्यालय में किया जा सकता है

 अधित की जाने उपरोधत प्ररताधित भूमि वग मण्डा (स्तम्म ) का गिरीक्षण कार्यालय कार्यानालन यंत्री सो.नि. वि.(भ/त) रिवनी के कार्यालय में किया जा र कता है।

> गध्यप्रदेश के राज्यताल के ताम से तथा आदेशगुसार संस्कृति जैन, कलेक्टर एवं पर्दन उपरायेव.

भाग 1 |

## कार्यालय, कलेक्टर, पांढुर्णा मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जंबुर्ज, पिमाक 55 जुलाई 2524

વ્રક 197 પૂ અનેન 2024

with my surface .

यूंकि राज्य शालन को यह प्रसीक्ष होता है कि संशन्त अूसुची के खाने (1) से (4) में जल्ले किन नॉर्गेत नूमि के अनुसूची खाने (6) में खसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के पुनर्व्यवरक्षणन में खविस प्रसेकर और पारदर्शित का अधेयतन आंवेनियम 2013 कि धारा 11 की उपकर (1) के उपक्षों के अनुसार एतद झारा समी संबंधित दिसबंद्व व्यक्तियों को इस आशम की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा उनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्रास्कृत अधिकारी को उक्त भुमि के संबंध में, भूमि अर्थन, पुनवोसन और पुनर्व्यवर्थपन में उचित प्रतिकर और पारवर्शित, क: आधेकार अधिनेय∺-2013 की धास−11 में दी गई शकिसमें को प्रयोग करने के लिए प्राक्ति करना है

2. मच्यप्रदेश शासन, जल संराधन विषाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क.—22 (१)/381/2018/एनपीएस/31/221 भौपाल, निरांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय ज्यीकृत प्राप्त है।

3 अत्तएव लगरोकत के दृष्टिगत आवेदक विमाग द्वारा भूमि अर्थान, पुमर्थासन और पुनर्वावेस्थापन में समित प्रतिकर और पारदक्षित का अधिकार आधिभियम–2013 की धारा–6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहों तत्त्रागय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अवीन पर्यावरणीय समावत निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक सनाघात निर्धारण के उपबच्च लागु नहीं तोंगे। अत्तर अधिनियम की धारा–8 के अतंर्गत सम्माजिक स्वाधात निर्धारण अव्ययन से कृत प्रवान की जाकर अधिनियम की धारा–12(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. - इस संदंध में सरज्य शास्तन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त फूनि के अधिग्रहण किथे जाने के संबंध में भुमे अर्जन, पुनर्वारान और पुनर्व्वरुखाएन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित। का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–15 के उपबंध उक्त गूमियों के संबंध में जागू होंगे ।

चिल्ल	राइसील	नगर∕गाम	अचिंद की जाने वाली प्रस्तावित सूचि रुपालग ईप्रफल (हेक्टेथर में)	भू हे अर्जन, पुनर्दरन्त और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और मारवसिंह का अधिकार अधिनियम 2013 की साला 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अजित को जाने वाली प्रश्त बिल भूमि के शार्थजनिक प्रयोजना का वर्णन
। महुण	2 माढुर्गा	३ चान खडको ८.ध.ग. ३२ ब. न. १४ स.मिi. सिगांब		३ भू-अर्जन अधिकारी तसरीह गरंडूनी किला प्रदुषो	<ul> <li>ह बेलेसिंग सिर्जेसायर (मादुनी बाठ) गरियोजना के अंतनेत जूद क्षेत्र प्रधावित ज्ञाम को निवी मुक्ते असिंबहरू 'क्षेत्रे जाने के संबंध में</li> </ul>

#### अनुसूची

. **1**95 પૂ સાનં⊷ 2024

offs are sales a

टूंकि राज्य शासन को रह selle होता है कि संलग्न अनूसुची के खाने (:) से (a) में उल्लेखित वॉर्णेल भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये खार्वजनिक प्रसोधनों के मुनर्व्यक्षण्यक में हसित प्रतिकर और पारवरीता का अधिकार अधिनियन 2013 के धारा नाग की उपधारा (1) के उपसंधों के अनुसार एतद झारा रुपी संबंधित हितबए व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी खाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकार अधिनियम 2013 की संबंध में, भूमि अर्जन पुनर्वरात्र और पुनर्ववस्थ्याव्य में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की घारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन दिभाग, मंत्रालय यल्लम भयन, भोनाल के आयेश एव क.–22 (ए)/381/2059/एमपीएस/37/221 भोपाल, दिनॉक 02.032059 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्तीलत प्राप्त है।

3. अत्रपत ७५२१९९ के दृष्टिगत आवेदक विभाग दाश भुमि आर्थन, पुनर्वाशन और पुनर्व्यवस्थापन में उत्तित प्रतिकर और पारदर्शिता का अविकार अधिनियम-2013 की धारा 8 (2) के अन्तर्गत सिंच हे पश्चिधजनाओं को कवत जहां तरसमय प्रयुग किसी अन्य विश्वि के उपबंधों के अवीन पर्वावरणीय समावात विर्धारण की प्रक्रिया की आवेता जहां तरसमय प्रयुग किसी अन्य विश्वि के उपबंधों के अवीन पर्वावरणीय समावात विर्धारण की प्रक्रिया की आवेती है. इस अधिनियम के लागाजिक समाधात विर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं हॉर्ये। अतः अधिनियम की घारा 8 के अतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से धूट प्रदान की जाकर अधिनियन की धारा 11(5) के अन्तर्गत सान जिक समाधात विर्धारण सिंध्यत प्रकाशित नहीं किंग। जा रहा है।

4. इस लंबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 49 अधिकार अधिनियम 2019 की घारा–15 के उपबंध उक्त भूमियों के राजध में लगू होंगे।

	1. 40	ग का दणग :			
जिला	राउरी ल	শগং / জান	अर्जित की जाने वाली प्रस्त त्रेत भूमि लगगत क्षेत्र कल हिक्टेयर भें,	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अभिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अभिन की जाने वाली प्रस्तावित भूनि छे सार्टजनिक प्रयोजना का वर्णन
1	8	3	4	ő	6
पानुणा	म् युग	आ <del>। पू</del> री घड़, न. ३१ व.सं २०१९ स.नि.भी तिमके	रकवा — १७७८८८ हेक्टेगर एवं सपरांगत -भूमि पर आने धाली परिसणदेतमां।		बैलेसिंग रिजेवायर (पांडुर्णा बांध) परियोजना के अंतर्गत जूब क्षेत्र प्रगापित ग्राम को निजी भूमि अधिग्रहन किये जाने के संबंध में

#### अनुसूची

3325

क.–199–मू–अर्जन–2024

चूंबि राज्य से सन को पह स्तीत होता है के राजन अनू कुछ के खाने (\*) से (4) में उल्लेखित दर्गित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजने के पुनर्वावस्थापन में उचित प्रतिकर और नारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 कि पारा –11 की उपपास (1) के उपरंधों के अनुस्तर एतद द्वारा सभी संबंधित हित्मद्व व्यक्तियों को इस आजन की सूचना दी जाती है कि राजन जासन इसके ठार अनुसूची के खाने (5) में उक्लेखित जाधिकृत अधिकारी को उच्छा पुणि के संबंध में भूमि अर्जन, मुनर्वारान और पुनर्थाः स्थापन ने उचित प्रतिकर और मारवर्शित का अधिकार आधिकार आधितियन 2003 की धारा तम में दी गई शक्तियों को स्थीम करने के हिए प्राधिक्त करता है

 मध्यप्रदेश शास्त्रन, कल संसाधन विभाग, गंत्रालय प्रस्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र ३६–३२ (६)/361/2019/एकपीएरा/31/221 मोपाल, पेनांक 0203,2019 के हास खेजना की प्रधासकीय स्वीकृत प्रार है।

3. अत्रिय उपरेवत के दृष्टिगत आदेवक देमेग द्वारा भूमि अर्जन, मुगवीसन और पुनवीवस्थापन में अंदित प्रतिकर और पारवर्शिता का अधिकार अधिकार अधिभ 2013 की धारा ट (2) के अन्तर्गत सिन्धई परियोजनाओं की घरत जहां तत्समय जन्त किसी अन्य विधि के उपबंध के अधीन पर्यावरणीय समामान निर्धारण को प्रक्रिय की अवेधा की जाती है, इस अभिनेचम के राजनुद्धिक रागवर्त्त निर्धारण के उपबंध के उपबंध के उपबंध के उपवास तानू नहीं होंगे। अत्र अधिनेदन को धाराम्य के अवेधा की जाती है, इस अभिनेचम के राजनुद्धिक रागवर्त्त निर्धारण के अवेधा की जाती है, इस अभिनेचम के राजनुद्धिक रागवर्त्त निर्धारण के उपबंध की उपबंध तानू नहीं होंगे। अत्र अधिनेदन को धाराम्य के उपनेच के उपवास तानू नहीं होंगे। अत्र अधिनेदन को धाराम्य के अन्यांत स्वामित रागवर्त्त के प्रत्य अतर्गत रागमजिल रागवर्त्त निर्धारण अध्यक्ष्य के प्रत्य का जाकर अधिनेयन को धाराम्य (3) के अन्यांत रागविक रागवर्त्त के प्रत्य के प्रत्य के प्रात्य का रागवर्त्त के प्रत्य के प्रत्य के प्रात्य के त्यांत को धाराम्य निर्धारण के उपनेच के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रात्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रजनित के प्रात्य के प्रत्य के प्रात्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रात्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रात्य के प्रत्य का रागवर्य के प्रात्य के प्रात्य के प्रत्य का प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रात्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य का प्रत्य के प्रात्य क

4 इस संबंध में राज्य शालम यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूने के अधिरायम किये जाने के रांध्रेय में भूमि अर्जन, मुनवायन और पुनव्यवरण्यापत के उचित प्रतिकर और मारणर्शीता यह अक्षेत्रपर अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त मुनियों के संबंध ने जान होगे।

अनुसूची

জিলা	<u>1. भुमि का वर्णन</u> ः तहसोल नगर∕ग्राम		- अधित को स्पर्ने वाली प्रस्त दिन पुषि जनभग सेञ्फल (हेंक्टेंग्स में)	मूमि अर्जन, पुनर्धासन और पुनर्व्यापस्थापन में टटिट इतिकर और जरदर्शित क अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित मुन्दि के सार्वफनिक प्रयोजन ( क! २ <sup>01</sup> ने	
1	2	3	4	5	6	
पाहुणो	पांदुणां	थे.म. व.वडीखाम: ज.इ.स. ६२ व.न. २०३ - २३नि.म. पहुंगी	हेवटेयर एवं छगरीवत	मू–अर्जन अधि-गरी तहरील जदुर्णा जिला मंदुर्श	बेलेसिंग सिर्जवायस (पाडुणां वाध) परियोजना के के अंतर्गत डूब क्षेत्र प्रभावित ग्राम की निजी मूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध मे	

3326

. #. 200 પૂઝાઝોન 2024

1. मनि का वर्णन :

यूँविः राज्य शासन थे। यह प्रतीत होता है कि संलाग अनूसुनी के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्षेत भूमि के अनुसूधी खाने (6) में उसले सामने दिये गरो सार्वजनिक प्रयोजनों के पुनर्व्यवस्थापन में जवित प्रशिकर और पारदर्शित। का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा –11 की उपधास (1) के उन्वंधों के अनुसार एतद् द्वारा समी संबंधित हितबढ़ व्यक्तियों को इस आशत की सूचना दी जातों है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूधी के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकार को उक्त गुमि के संबंध में, भूमि अलेन, पुनवीसन और पुनर्व्यवस्थापन में एचित प्रतिकर और पारदर्शिता जा अधिकार अधिनियम 2015 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्रातिकर और पारदर्शिता जा अधिकार अधिनियम 2015 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्रातिकर और पारदर्शिता जा अधिकार अधिनियम 2015 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए

2. मध्यप्रदेश शासम, जल संसाधन विशाग, मंत्रालय वल्लग गयन, भोपाल के आदेश २७ ७.–22 (ए)/381/2019/एनफेएस/31/221 भोजल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय त्वीकृत प्राप्त है।

3. अत्एव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग हार भुमि अर्जन, नुनवर्षान और पुनर्व्याप्रध्यपन में खीवत प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार आदिनियम-2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंग्वाई परियोजनाओं की बावत जह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य बिधि के रूपमध्ये के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अभ्य की जाती है, इस अधिनियम के स्तानजिक संगाधात निर्दारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। अत. अधिनियम की धारा-6 के अतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर ऑधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत रामाजिक संगाधात निर्धारण स्वार्थ प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त गूगि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुनि अर्जन, पुनर्वासन और मुनर्व्यवस्थापन में उधित प्रतिकर और पारदर्शिता या अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–15 के उपनंध उक्त भूमेंगों के संबंध में लागू होंगे:

				<u>.</u>
- 30		Н	-	Т
N	- 1	х.		
	_		<b>.</b> -	-

Sier	तस्पीश	भएर/सान	अलिंत की जाने वाली प्रस्ताबित भूगि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर भे)	भूनि अर्जन, मुनवॉलन और पुनर्ज्यवस्थापन में चरित प्रतिकर और पारवसिंडा का अधिकार अधिनियन 2013 की तारा 12 के अंग्रेगत ज्ञाधिकृत अधिकारी	অভিনি কী আই শালী মধ্যানির মুটি ক কার্ত্রনিক স্থাত্রনা ফা হার্নি
। मङ्रण	? पाटुर्ण	ः इ.स. पुगः हो प. इ.स. ३२ व.स २९७७ रा.फी.सं	ब स्कमा – इश्रतका हंक्टेयर एवं रूपसेम्ल सूनि घर साने वाले परिसंग्रीलयों।	द मू—अर्जन: अधिकारी राज्यील पादुर्ग: जिला गांदुर्गा	४ उलेरिन होर्जवायर (पांतुपाँ साव) परियोजना के अंतर्पत खुब क्षेत्र प्रभावित प्राण की निजो भूष्टि अर्छेप्रहण
1.10		"रीगांद			किये जाने के रांत्रथ गे

क. 205 टू. अर्जन 2024

मूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होते। है कि संलग्भ अनूतुंची के खाने (5) से (4) में सरलेखित वर्णित भूमि के अनुसूनी खाने (6) में उसके सामने दिये गरे गार्वजनिक प्रयोजनों के पुनर्व्यक्यापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियन 2013 कि धारा - 11 की उपकास (1) के उपदर्श के अनुसार एतद हारा समी संबंधित दितबढ़ व्यक्तियों को इस आसाय की सूचना दी जातों है कि राज्य सासन इसके हारा अनुसूर्यों के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को एक्त मुनि के रॉक्टेंन में, भूमि अर्जन, मुनर्यारान और पुनर्व्यक्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी को एक्त मुनि के रॉक्टेंन में, भूमि अर्जन, मुनर्यारान और पुनर्व्यक्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारा ठाउनियन-2013 की धारा-11 में दी नई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

 मध्यप्रदेश शासक, जल संसाधन विभाग, नंत्रालय गल्लभ मनग, भौराल के आदेश वत्र क.-22 (ए)/381/2019/एमपीएरा/31/221 भौषात, दिनांक 02,032019 के झार योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्रभा हे

3. अत्राव जमसेक्त के दृष्टिगत आदेवक दिभाग हारा भुमि अर्जन, पुनंबोस्त और पुनव्यवस्थापन में उत्तित प्रतिकर और घारदर्शित का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबज जहाँ रात्समय प्रवृत किसी अन्य विति के उपबंधों के अधीन पर्यावरण्य समाधात निर्धात्तम की प्रक्रिया की अपेकों की दाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे. अतः अधिनियम की धारा-0 के अतंर्गत सामाजिक समायात निर्धारण अध्ययन त्ते कुट प्रदान की जाकर अविनियम की धारा-11(3) के वाक्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण स्थियन क्तारांग्र उकाक्षित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संदंध में राज्य शालन यह भी निर्देश देता है. कि उपरोधत भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुमि अर्जन, पुगर्वासन और पुनर्वावस्थापन में उचित प्रतिकर और चारवर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–15 के राजबंध राक्त भूमियों के रूपंत में लग्नू होंगे।

अनुसूची

	1. मुग	ने का वर्णन :		φĸ.	
জিলা	ਰਣਚੀ ਹ	448Z7914	शलित की फाने वाली प्रस्तः'वेत भूसि लगभग धोत्रकल (हैक्टेयर गे)	भूमि अर्जन, पुनर्वाशन और पुनर्व्यवस्थापन में उभित प्रतिवन और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की घारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अ जेत की जाने वाली प्रस्तापित भूमि के रायंजनिक प्रयोजना का वर्णन
•	2	J.	4	5	ĸ
पाउना	मंदुर्णा	राम नोरळोगरी प.ट1 तर थ न. ३२४ ६८% भ. श्रंतूर्णा	सपरोव्ह भूटंने पर आने ताली	कुशर्जन ६ विकार्स तहसील पांदुर्गलिला पंडुर्ण	हेंग्रेसिंग (रेजीवागर (प्रांदुर्ध) बांध) परियोलन के अंतर्गत कुछ क्षेत्र प्रभागित ज्ञाम की निजी भूमि अभिग्रहण किये जाने के रार्वधा में

#### .....

ø. 202 गू-उन्हेंच-2024

मूँकि राज्य शासन को थह प्रतीत होता है कि संलग्न अनूसुमी के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्षित भूमि के अनुसूची खाने (8) में उसके सामने दिसे गये आर्वजनिक अधोजनों के पुनर्व्यवस्थापन में एकित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2018 कि घारा --11 की उपानर (1) के उपबंधों के अनुसार उतद द्वारा समी कॉबॉयेट डिलंबेड व्यक्तियों को इस अश्रम की सूचना दी जाती है कि राज्य सासन इसके द्वारा उनुमूचों के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिलन अधिकार को उक्त गुनि के संबंध में भूमी अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्खाररणपन में उचित प्रतिकर और नारवर्शिता का अधेकार अधिनियन-2013 की धारान्या में दी गई शकिरमों को प्रयोग करने के लिए प्राचिकर और नारवर्शिता का अधेकार अधिनियन-2013 की धारान्या में दी गई शकिरमों को प्रयोग करने के लिए प्राचिकर और नारवर्शिता का अधेकार अधिनियन-2013 की धारान्या में दी गई शकिरमों को प्रयोग करने के लिए

2 मव्यव्येष्ट रासन, जरु संसाधन विभाग, मंत्रालय पत्लग भवन, भौषाल के आदेश पत्र क्र.-22 (६)/381/2019/एनपीएस/31/221 भौजाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना यह प्रसारव्यीय स्वीकृत जात है।

3. अत्र २४ उनरे का के कुष्टिनन आवेदक विश्वभ हारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ववस्थापन में जांचेत प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार जविनियम-2013 की प्रसा-३ (८) के अन्तर्गत सिंशई परियोजनाओं की बावत जहां तत्समय प्रेवृत कित्ती अन्य पिंधे के जपशंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की वक्तिया की अपेक्ष की जाती है. इस अपिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। अतः जबिनियम की धारा-६ के अतर्गत सोधनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। अतः जबिनियम की धारा-६ के अतर्गत सोधनियम के सामाजित समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। अतः जबिनियम की धारा-६ के अतर्गत सोधनिक समाधात निर्धारण उभयवन से छूट प्रदान की जावर जबिनियम की धारा-11(३) के अन्तर्गत समाजिक रागाधात निर्धारण सिंगेर्ट का सरांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इत्त लंडोर में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूगि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूनि अर्जन, पुनर्नासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की घारा–15 के उपडंघ उक्ता भूगियों के संबंध में लानू डोंने।

अनुस्वी

Gron	त हरूी।ज	चग⊽∕ ४।•।	अर्जित की जाने वाली प्रत्ताचित भूगे का भग घेड़फल (ड्रेक्टेयर में)	गूमि खर्जन, तुनवालन और पुनार्गनस्थापन में त्रवित प्रतिकर और पारदर्शिता का स्रतिकार अधिनियम 2013 की पास 12 के अंतर्गत प्राविज़्या अधिकारी	अ.जेंत की जाने वाली प्रस्तावित भूनि छे रार्धजनिक प्रयोजना का वर्षन -
१ चतुषा	> চারুণা	३ नाम खेळीधान भोदर प.ट.नं. ३३ व.मं. ३३ रटॉने.नं. होगांच	2 रत्व्य — १.९८९ हेक्टेयर एवं जपदेवत भूमि पर आने वाली परिसंधक्तियां।	इ भू—अर्थः। रामिकार्य उउक्तैल मोद्रुभ <b>िक्ल पां</b> ढुर्णा	ं बैलेरोग रिजवायर (पंडुणी बांध) गरियरेजना के अंतर्गत कु धेव प्रभावित साम की निजी भूमि आदेसडण किये जाने के संबंध बै

1. मुनि का वर्णन :--

ડલ 203 પૂઝાલીન 2024

मूँकि राज्य शासन को यह प्रतीक होता है कि संतरण अनूचुची के खर्म (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि को अनुसूचो खान (6) में उसके सामने दिये गर्म सार्यजानेक प्रयोजनों के पुनर्ववस्थापन में उदित प्रतिकर और सरअर्थिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा –11 की उपघारा (1) के उज्यंधों के अनुसार एतद् द्वार समी संबंधित दितमह व्यक्तियों को इस आशान की सुनना की जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राचिक्ता अधिकारी को उस्ता मूपि के संबंध में, मूपि अर्जन, पुनर्व'त्वन और पुनर्ववस्थापन में उचेत प्रतिकर और भारदर्शिता का उधिकार अविनिधन 2013 को धारा–11 में दी गई शक्तिनों को ज़्योंग करने के लिए प्रतिकर और भारदर्शिता का उधिकार अविनिधन 2013 को धारा–11 में दी गई शक्तिनों को ज़्योंग करने के लिए प्रयिक्त करता है।

2. मध्यप्रदेश शालन, जल संसावन विभाग, मंत्रालय यल्लग भएन गोपाल के आदेश पत्र क.–22 (र)/381/2518/एस/एस/31/221 भोधाल, दिगांक 02:03:2618 के द्वारा योजन की प्रशासकीय रवीकृत ज्ञापा है

3 अल्ट्स एपरोव्ट के दृष्टिगत शावेदक विभाग झार भुमि अर्थान, पुनर्वासन और पुनर्व्यवरव्यापन में तरीत प्रतिकर और पारवर्शित का अधिकार अधिनियम—2013 की धारा—6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनरजे की दावत उठाँ तत्समय प्रवृक्ष किसी अन्य दिधि के उपबंधों के अधीन पर्यादरमीय समावात निर्धारण की प्रक्रिया की आवेठा की जती है. इस अधिनियम के सामाधिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंने उटा अधिनियम की धारा—8 के अतर्गत सामाजिक रामाधात निर्धारण उपजयन से खुट प्रतान की जाकर अधिनियम की खार—11(3) के अन्तर्गत समाधिक समाधात निर्धारण दिपोर्ट का राजांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इक्त रॉमंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि राजरोक्त भूमि के अधिग्रहण 'केथे जाने के सबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वांसन और युनर्व्यवरयाणन में खवित प्रतिकर और पास्तर्शिता का अधिनगर अधिनिसम 2013 की धास–15 के सपदंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे

अनुसूची

	1. मुन	में का बर्णन :		- 9.K-1.	
र्जिला	राइसील	नगर/आभ	अणित को जाने वाली प्रस्ताधित भूगि लगभग बोत्रकल (देक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्थ्यवस्थापन में वचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अजिंग की जाने যती एसा केव मुभि के भार्तजनिक बचेजना का राष्ट्रन
1	2	3	4	5	Ĥ
<u>मः</u> दुर्णा	पांदुर्ग	ग्राम-मीलकॉठ प.ह.नं. ६२ व. नं. २१५ रा.नि. मं. पांडुर्णा	रकवा २,००० हेक्टेंटर एव उपरोटा गुने पर आने वाली परिसंगति यो।		बेले सेंग सिर्जनाथक (पांदुणी बांध) परियोजन के अंतर्गत दूब धेत्र प्रमाधित ग्रान की निजी भूमि अधिसरुण किये जाते के संबंध भें

मध्यप्रदेश के राज्यभाल के नाम के तथा उनवेशानुसाह आजय देव शर्मा, फलेस्टर एवं पहेन अपर राजिय.

3330

15

इसे जेननाईट www.govtpressmp.nic.in से भी जाउन लोड किंगा जा सकता है.



# प्राधिकार से प्रकाशित

भोगाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2024—भाष्ठ 22, शक 1946

जन्म के 37]

# विषय-सूची

भाग (.....(1)) राज्य सालना के शादेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) तन्त्र न्यातालय के आदेश और अधिनुलनाएँ, (4) राज्य शासन के सेंकल्ग, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की आंधसूचनाई, (7) लोक भाषा परिशिष्ट

भाग 2.— स्थानीय विकास की अधिस्चनाएँ

भाग 3.— (1) विज्ञाम और विविध सुचनाएँ, (2) सॉटिंगकीय सुचनार्थ

भाग 4.—(क) ( ; ) मध्वप्रदेश विश्वेयक, (2) प्रयर ममिति के प्रतिनेदन. (3) संसद में प्रतस्थाणित विधेयक.

- (ख)()) अध्यादेश, (२) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (3) संसद के अधिनियम.
- (4) (1) प्रारूप गियम, (2) अंतिम निगम.

# भाग १

#### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

#### मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

#### भोपाल, दिनोंक 16 अंगस्त, 2024

ज्ञ, ई-1-121-2024, 5, एक.—भारत सरकार, संस्थापन आंधेकार), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्लों के परिपद क्रमांक 33-07-2014 EO (SM-I) (4), दिनांक 7 अगस्त 2024 के अनुक्रम में, हाँ, पत्रम कुमार शर्मा, भाष्रस (1999), कॉमेश्वर, भोषाल संभाग, भोपल्ट की रोज एं भारत सरकार के अंडगंत संयुक्त अधित, रक्षा विभाग, H5 मंदरल्ली के पट पर, बार्यभार प्रहमा करने के दिनां के से 05 वर्ष को अन्ति अथवा अन्य आतामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए निवृत्ति हेत् भारत सल्कार, काशिक, लोक शिकायत एवं ऐंशन मंत्रालय, कार्मिक एएं इज़िक्षण विभाग, गई दिल्ली को सौंगी जाती है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसाद वीस राण्या, मुख्य सचित्र. ४२४६

#### भोगाल, दिनांक 27 अगस्त 2024

क्र: १५.-५-०४-२०२२-एक्:(१).--माननीय न्यायाधिपति पहोदय, श्री जी, एस, अइलुवालिया, उच्च नाफलय, मध्यप्रदेश, जवलेपुर को हो,आर,-कम-जी,जी,एस, मान, ठच्च न्याय स्थ, ज्यसपुर के प्रस्ताच क्र. सी–5359–(चे–1) 4, 2018) दिनांक 23 जुलाई 2024 के अनुज्ञम में, दिनोक्त 9 से 17 जुलाई 2024 तक, चार दिन का पूर्ण केंत्रन नथ भत्तों सहित अधन्मश की त्वीकृति साथ डी अवकाश के पश्च रू में दिनोफ 13 एवं 14 जुशाई 2024 क सर्वजनिक अयकाश का लाभ 361ने की अनुमति उक्त म्यावालय त्यायां गील (जेतन तथा लेवा भर्ते) अभिनियम, 1954 की भारत 13 के अंतर्गत प्रदान की जली है.

> मध्यप्रदेश के राज्यणत के नाम से तथः आदेशानुसार, अञ्जय कटेसरिया, उण्सांचज

नियंत्रक, शासकीय तुद्दान तथा क्षेत्र समग्री अध्यक्षतेक द्वारा स्वतकोय केन्द्रीय मुद्रजालय, भंभाल सं भूदिव तथा जनवर्षित (2024)

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, राजीव गाँधी प्रांद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश,

राजभवन, भोगल, दिनोक 5 सितम्बर 2024

क्र. एक 1 4 20 स. स. मू. ६. 1 10/५.—सर्वाव गांभी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियन, 1998 की धारु (३ की उपधास (७) के प्रावधानोंद्ये आदेश क्रमांक एफ-1-4-20- स. स.-यू. ए. 1-३३७, दिनांक 7 पार्च 2024 के क्रस डॉ. रूपम गुपा, स्रध्यध इथा मुचना प्रौद्योगिकी संकाय, यू. टी. डी., सर्जाय गांधो प्रौद्धोगिकी विश्वविद्यालय, गोपाल की विश्वविद्यालय के गये कुलगढि को नियुक्ति होने तथा मुचना प्रौद्योगिकी संकाय, यू. टी. डी., सर्जाय गांधो प्रौद्धोगिकी विश्वविद्यालय, गोपाल की विश्वविद्यालय के गये कुलगढि को नियुक्ति होने तथा मुचना प्रौद्योगिकी संकाय, यू. टी. डी., सर्जाय गांधो प्रौद्धोगिकी विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय के गये कुलगढि को नियुक्ति

2 चुंकि अधिनियम को धारा 12 को उपथास (1) के अंतर्गत उक्त दिश्लविदालय के नये कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूर्य गहीं हुई है और चुंकि अधिनियम को धारा 13 की उपधास (6) में समित छः पाह को कालावधि दिनांक 6 सितम्बर 2024 को समाछ हो रही है, अतः उक्त धारा 13 की उपधास (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए में, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौक्षोंगेकी विश्वविद्यालय, भोपाल एतदुद्वास डॉ. रूपम गुदा, सकायाध्यक्ष, केप्यूटर तथा मुचना प्रौद्धोगिकी संकाय, व.टी. डी., उजीव गांधी प्रौक्षोंगेकी विश्वविद्यालय, भोपाल एतदुद्वास डॉ. रूपम गुदा, सकायाध्यक्ष, केप्यूटर तथा मुचना प्रौद्धोगिकी संकाय, व.टी. डी., उजीव गांधी प्रौक्षोंगेकी विश्वविद्यालय, भोपाल को दिनोक 7 सितम्बर 2024 से अधिनियम की घाट 12 को उपसास (1) के अंतमंत्र नये कुलपटि की नियुक्ति होने दक्त कुलपटि के पद का कार्य संगादित करने के लिये नाम-निर्देशित करता हूं,

मंगुभाई पटेल, कुल थिपति,

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल गर्यावरण गरिसर, ई 5, अरेरा कालोनी, भेजल—462016

भोगाल, दिनोक & सिंगम्बर 2024

#### इंदीर विकास योजना, 2021 में प्रस्ताविद उपांतरण को सूचना

ज्ञ. ३३७३-गंज. यो. इंदौर-उर्मग्रत्ण नग्रतीन २०२४. — एतद्वार ७३ सूचना दो जाती है कि इंदौर विकास योजना, 2021 में जगांतरज्ञ का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973, (क्रमोंक 23 सन् 1973) को धारा 23 को उपधास (2) सहपठिव धारा 18 को डगधास (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति मिरोधण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

👝 आयुक्त, इंदीर संभाग, इंदौर, मच्चत्रदेश, ।

कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश,

आवुक्त, नगरपालिक निगम, इंदौर, मध्वप्रदेश,

संतुक्त संचालक, नगर उथा प्राप नियेश, जिला क यॉलय इंदी ८ मध्यप्रदेश.

#### प्रस्तावित उपांतरण का विवरण

 इंदौर विकास चौजना, 2021 के अध्याव 3 की केंडिका क्रमोक 3.25.2 की सरणी 3.6 के सरल क्रमोक 39 के नरचात् सरल क्रमोक 41 फ्रीमालुसार अंत: स्थणित किया जाना प्रस्तावित है :

3.25.2

ৰাম –

		मारणी ३.६
क्रमांच	नार्गका नम	प्रस्ताविड चौडाई (मीलर में)
(1)	(2)	(3)
41	ए, याँ, रोट बायगार (उत्तर में रजू खेड़ी	105
	जंक्शन में दक्षिण में एउ जंक्शन तै∕फ).	

 इंदौर सिकास चोवना, 2021 के अध्याय 6 को केंडिका अगांक 6.10.13 के पश्चात् गर्वांग कोटेका क्रमांक 6.10.14 निष्नानुसार अंत.रथासित किया जाना प्रस्तावित है :---

. (6.10.14) इंदीर जायपास के कट्टेल एरिया में आने लाले खरातें की भुनियों को मर्ज एवं सिश्चित उपयोग के संबंध में

ए. बी. रोड बायपास में (उत्तर में रहू खेड़ी जंकतन सं दक्षिण में राठ जंकरन तक) आने वाले ग्रामों के खलते में ए. बी. रोड बायपास के वर्तमान राईट ऑफ वे (R.O.W.) लाइन से दोनों ओर 22.50 मीटर तक (22.50 मीटर की पट्टी) (देनों ओर अतिरिक्त 22.50 मीटर R.O.W. उपांतरित R.O.W.- कुल 105.00 मीटर) तक मार्ग प्रस्तावित एवं प्रस्तावित 105 मीटर मार्ग के दोनों ओर 22.50 मीटर तक मिब्रित भूमि उपयोग\* किया जाना प्रस्तावित है.

 मित्रित भूमि उपयोग क्षेत्र की 22.50 मीटर को पट्टी (ए. वो. रोड वायपास के उपान्तरित R.O.W.- लाइन से दोनों और 22.50 मीटर तक स्थित भूमि) या उसके किसी भी भाग में, किसी भी उपयोग / प्रयोजन के ले आउट अनुमोदन के समय, भूमि स्वामी के लिए मित्रित भूमि उपनोग उपान्तर? शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है. मित्रित भूमि उपयोग उपान्तरण शुल्क, केयल एक मुश्त व एक श्रार हो देश होगा.

िभुमि उनसीम में प्रस्ताहेत ज्यान्दरण उक्त भूमि के भुस्तामी द्वारा भेषुकासेंच लग्ध तथा प्राप्त निर्णर, इंटी में से अवन्य प्राप्त के शाहमें का गण्ड करने निर्भाषित वर्णाण स्थानीय मिकाय की प्रशीत द्या र विजित पूर्ण इगयांग धोनियम का भुरतम करने एवं सिनास्टीटीट विन्तम निर्णयों के प्राप्त करने की घर्त मर लिए त

- मित्रित भूमि उपयोग के लिये देय मित्रित भूमि उपयोग उपान्तरण सुक्ल, उक्त भूमि के क्षेत्र के आसपास प्रचलित Collector Guideline में आवासीय भूखंड के मूल्यांकन के दरों के अनुसार उक्त भूमि के मूल्य का 10% होगा.
- उपान्तरित मिश्रित भूमि उपयोग में आवासीय, वाणिश्विक, सार्वजनिक एवं अर्थ सार्वजनिक उपयोग में इंदौर विकास योजना 2021 के अनुसार सभी स्वीकार्य गतिविधियाँ / उपयोग परिसर पूर्ण रूप से अनुसेय होंगे.
- पश्यप्रदेह इस्तोत्वरफीय किंकास अधिकार गियम, 2018 (MP TDR Rules 2018) के अनुसार (Development Rights Confifeate एवं Additional Buildlable Area प्रीमियम) का उपयोग नियमानुसार कर सकेंगे.
- 5. एबी रोंड थायपास के उपालरित ROW लाइन से दोनों और उपांतरित मिन्नित भूमि उपयोग क्षेत्र में आने वाली भूमि पर भूखण्डीय विकास (स्वीकृत अभिन्यास में विक्रय हेतु आरक्षित भूखण्डीय क्षेत्र × कलेक्टर गाईडलाईन का 3%) उन्नयन विकास प्रभार राशि तथा बहु-इकाई भवनों को निर्मित किये जाने पर स्वीकृत फशों क्षेत्र अनुपात के आधार पर भूमि स्वामी को उन्नयन विकास ग्रभार राशि, [स्वीकृत फशों क्षेत्र अनुपात (1 : 2 .0 तक) × कलेक्टर गाईडलाईन का 3%] राशि देय होगी. 1 : 2.0 से अधिक 1 : 4.0 तक फशों क्षेत्र अनुपात का लाभ प्राप्त किये जाने पर उपरोक्त कंडिका क्र. 1 के प्रावधान लागू होंगे.
- 6. मित्रित गुणि दणगोग के गिए ग्राइंड कवरेज भूखंड क्षेत्र का अधिकतम 40% मान्य होगा, और अच्य उपयोग के भूमियों के लिए गियोजन गापदण्ड इंदीर विकास योजना 2021 के प्रावधानों के अनुमार होगा.

प्रस्तावित उपांतरण के ल्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयाथधि के लिये आम-जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप से संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन को अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु अश्वर किंगा जा सकत है.

# इंदौर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3864-वि. यो.-इंदौर-उपांतरण-नग्रानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जातो है कि इंदौर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 73 सन् 1973) की धारा 23 को उपधारा (2) सहपटित धारा 18 को उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसको प्रति निरोक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

- आयुक्त, इंदौर अंभाग, इंदौर, मध्यप्रदेश,
- 2. फलेक्टर, जिला इंदौर, अध्यप्रदेश,
- अ युवद, नगरपालिक निगम, इंदौर, मध्यप्रदेश.
- संयुक्त संचालक, नगर तथा राम तिबेश, विशा कार्यालय इंदौर, मस्यप्रदेश:

#### प्रस्तावित उपांतरण का विवरण

2. ईंदीर विकास योजभ, 2021 के अध्याय 3 की कैटिका जमके 3.25.2 की सारणी 3.5 के सरल क्रमांक 39 के परचात् सरल क्रमांक 40 मिधमजुतार अंत:स्थाणित किया जाना प्रस्तयित है :—

3.25.2

क्रमांक (1) 40	मार्ग का नाम (2) टिगरिया बादशाह मेन रोड से कुज्जवाह	स्वारणी 3.6 अस्तायित चौड़ाई (मौनर <sup>्थ</sup> ) (3) 30
	नगर होते हुये उज्जैन नाका बाण गंगा तक.	50

प्रस्तावित उपांतरण के व्यौरे सूचना प्रकाशन को तिथि से 30 दिन को समयावधि के लिये आम-जनता के निरोक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलव्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तायित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप से संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक में 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक्त विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

#### शुद्धि पत्र

क. 3509 फियो नदी, डी. वास. (प्राईन क्षेत्र)-22-भग्रामि 2024, भोपाल दिनोक 9 अगस्त 2024 के द्वारा प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचन , जिसका प्रकाशन स प्रारण मजगत्र भाग 1 में दिनोक 25 अगस्त 2024 को किया गया है.

उक्त सूचना के पैर. 1 में तुटिवक इंदीर निवेश क्षेत्र के स्थान पर जयलपुर निवेश क्षेत्र प्रकाशित हो गया है, जिसे जयलपुर निवेश क्षेत्र के स्थान पर इंदीर निवेश क्षेत्र पढ़ा जावे, शेष यथायत् रहेगा.

भीकोते वनोठ, जि.च.अ. सह आधुक्त तह-मंचालक...

# कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वासिवर, दिनोफ 27 अगस्य 2074

(पारित दिनांक 27 अगस्त 2024)

क्र. उ-सर्गल.एज-खिथिध-2024-13224.—मध्यप्रदेश शालन. गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-2-(क)-9-08-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 के परिपत्र अनुसार जिले के भोतर थानों / चौकियों की सीमाओं के निर्धारण एफ-2-(क)-9-08-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 के परिपत्र अनुसार जिले के भोतर थानों / चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला लोक अभियोजन अधिकारी को समिति को दिये गये हैं. उक्त निर्देशों के का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला लोक अभियोजन अधिकारी को समिति को दिये गये हैं. उक्त निर्देशों के का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला लोक अभियोजन अधिकारी को समिति को दिये गये हैं. उक्त निर्देशों के क्रम में, मध्यप्रदेश शासन, यह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोषाल का पत्र क्रमांक 03 1770880-7023-यी-3-दो. भोफाल क्रम में, मध्यप्रदेश शासन, यह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोषाल का पत्र क्रमांक 03 1770880-7023-यी-3-दो. भोफाल दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिए गए निर्देशानुसार जिला ग्वालियर के थानों / जौकियों की सीमाओं के पुरानेंश्रीरण हेतू अनुविभाग़तेय दण्डाधिकारी स्तर पर तथा जिला दण्डाधिकारी स्तर पर बैठके आयोजित कर जनप्रतिनिधियों एवं स्थानजिक संगटनों री सुशाद प्रश्व किथे गए.

उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में, भुडिस अधीक्षक, जिला 'वालिंगर (म. प्र.) का पत्र क्रमोक-पुअ-ग्वा.-एर्सप्रथम 'गॅ-399-ए-23-24, ग्वालियर, दिनोंक 11 जनवरी 2024 एवं पत्र क्रमोक-पुज-ग्वा.एरोंप्रथम-नी 3991-सी-23-24, ग्वालियर, दिनोंफ 15 अगवरी 2024 के द्वारा ग्वालियर, दिनोंक 11 जनवरी 2024 एवं पत्र क्रमोक-पुज-ग्वा.एरोंप्रथम-नी 3991-सी-23-24, ग्वालियर, दिनोंफ 15 अगवरी 2024 के द्वारा ग्वालियर के 15 थानें ज़म्शा: (') नहारालपुरा, (2) पतिहार, (3) पिछोर, (4) गिजीर्ग, (5) आंतरों, (6) फिंतरवार, (7) क्रिजीली, किंशी ग्वालियर के 15 थानें ज़म्शा: (') नहारालपुरा, (2) पतिहार, (3) पिछोर, (4) गिजीर्ग, (5) आंतरों, (6) फिंतरवार, (7) क्रिजीली, (8) गिरवाई, (9) झांसीरोड, (10) चीनीर, (11) विल्तै'आ, (12) अवस देहात, (13) बहोबापुर, (14) चीको बड़ागांव थाना मुशर एरों (15) ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले मोहल्लों / ग्रामों की भौगोलिक स्थिति, जनसुर्येशा एपं सुरक्ष, की दूरी को आधार णनते हुए तथा (15) ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले मोहल्लों / ग्रामों की भौगोलिक स्थिति, जनसुर्येशा एपं सुरक्ष, की दूरी को आधार णनते हुए तथा विगत 05 वर्षों में घटित अपराधों की संगीक्षा के आधार पर कुल 15 थानों की भीमत्वों में परिवर्तन के र्शवंध में अनुशंसा सहित प्ररताज किंगत 05 वर्षों में घटित अपराधों की संगीक्षा के आधार पर कुल 15 थाने की सीमत्वों में परिवर्तन के र्शवंध में अनुशंसा सहित प्ररताज किंगत हुआ है, प्रस्तुत प्रस्ताव को दण्ड प्रक्रिया संहिता की थारा 2, खण्ड एस के जनुसार अधिसूचना का दिनॉक 26 जनवरी 2024 को प्राय हुआ है, प्रस्तुत प्रस्ताव को दण्ड प्रक्रिया संहिता की थारा 2, खण्ड एस के अनुसार अधिसूचना क्राइन के दिनांक से 30 हिंग्रेश की सच्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित किया गया है, तथा उक्त संबंध में अधिसूचना प्रकाइन के दिनांक से 30 हिंग्र की अंवॉध के अंदर आपतियां आमंत्रिय आमंत्रित की गई.

डक्तानुसार अधिसूचना के अनुक्रम में, श्रीमती मंजू राजू खटीक, सभापति संचार संकर्म समिति सदस्य जिला पंचायत, क्षेत्र वार्ड 09, जिला ग्वालियर (म. प्र.) द्वारा ग्राम सूखापठा, थाना पिछोर एवं ग्राम गढ़ी, थाना पिछोर को सोमा को थाना चिलीआ की सीमा में नहीं रखने तथा पूर्ववत् थाना पिछोर में रखने के संबंध में दिनांक 27 फरवरी 2024 को आपति प्रस्तुत की गई है. उक्त अप्पत्ति जिसकश्ण हेयु मुल्ताः पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर को भेजों -1ई.

उक्त आपत्तियों के अनुक्रण में, पुलिय अधीक्षक, जिला ग्वालियर (म. प्र.) का पत्र क्रमांक-पुअ-ग्वा.-एसोप्रयम-पी-160-24, ग्वालियर, दिवांक 29 म.चं 2024 के इ.स.चाः. सूखापठा एवं गढ़ी को धाना फिछोर की सीमा में हो बयावत् रखे जाने को अनुशंसा सहित अधिमत भ्राज हुआ है.

जिल। स्वर्गलेयर की सीमॉतर्गत असे वाले डानों / मेधुल्लों की भौगंकिक स्थिति, जन्सुफिंधा, सुरक्षा तथ, फिरद्र गांध वर्ण के अपशंघों की सनीधा के आधार पर सिमॉलवित अनुसुची के कलिम में (2) में ऑकिंव थानों की सीमा के कॉलम में, (3) में ऑकिंत आने वाले प्रामों / मोइल्लों को कॉलम ने, (4) में ऑकिंत थान में सम्मिलिट करते हुए थानों की सीमाओं का पुनर्नियांस्प किंवा अहा है.

(इण्ड प्रक्रिया संहिता को शण्ट ७२ , खण्ड एस के अनुसार)

क.-3- अलि.सज-भिविध 2024 (13724)- जिल श्वालियर उम्होंन ( शहरी धानों के अंधर्मत अले णले प्राभी / मोहल्लो को भी-भेलिक स्थिति, जनसुविधा एवं सुरक्षों के दृष्टिकोण से लंबे समय को दूरी तथ न करना। एड़े तथा आमजन को समस्याओं का निराकरण त्वरित गौत से करने आदि सुविधाओं ()) दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित थानों को दूरी तथा विगत 05 वर्षों में घटित अपराधों की समीका उपरांत 15 थानों बी करने आदि सुविधाओं ()) दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित थानों को दूरी तथा विगत 05 वर्षों में घटित अपराधों की समीका उपरांत 15 थानों बी करने आदि सुविधाओं ()) दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित थानों को दूरी तथा विगत 05 वर्षों में घटित अपराधों की समीका उपरांत 15 थानों

4289 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक ०३ सितम्बर 2024 भाग 1] प्रस्थावित भाषा यर्तवान आने का तान प्रांग का लाम स, क्र, (4) (3) (2)(1)बिजैली a1. मह राजगुरा પૃત્નપુરા <u>वि</u>त्वाई पनिहार बजरंगनुरा 02. **ੜਾਂ**ਸ਼ੀਏਡ खेरिया <u>কস্তাই</u> चीनौर इतुमान टेकरी बिलौआ. ईकोना पिछोर 0G. आदिवासी दफाई बंबारा का पुरा शंकरपुर, शंकरपुर कॉलोनी गिन्हौर्स हिहायल 04. नोडना वझेत आंतरी 05. मकोडा ટીસીમી कॅएसएक एकेडमी (आंधरी थाना क्षेत्र) पार. ग्राम गंचरात बिजकपुर (वैजनाख का ढेरा, इल्हा का छेरा) ≪अस देहात भितरपार Q6. ग्राम पंत्तायत भैसनारी (अजीतपुरा, शन्तिपुरा, लेडैवापुरा, चुन घाट का डेस). रिप्रपरिवा भैसनारी (सिपरिया दकाई) ओंको बढागांव थाना मुसर सिन रमुरा লিজীলী 07 ग्राम करनजो क्षेस्थिममंदी उदयपुर नणेशपुरा युनारपुरा ज्वालसा भगर निगम क्षेत्र का जाडे कर 10 मुंदरी महत्व, ग्वालिसर् बहोडापुर CR. सत्त्वजी शिशु भंदिर एवं वादलगढ़,

स्वचिका चौहान, करनेक्टर एवं जिला दण्टाविकारी,

Gwalior, the 27<sup>1</sup> August, 2024

#### (Passed date 27th August 2024)

No.-3-Sali.Raj-Miscellaneous-2024-13224.—According to the circulat of Mailiya Prodesh Government Home (Police) Department Ministry, Vallabh Bhawan, Bhopal, lotter No F-3(a)-9-08-B-3-2, date 30<sup>6</sup> July 2010. The authority for essessment has been given to the committee of Collecter, Superintendent of Police and District Public Proceeding Officer at the district level. In accordance with the above instructions, as per the instructions given in the letter number -03-1770880-2023 B 3/2, Bhopal dated 4 January 2024, of the Ministry of Madhya Pradesh Government Home (Police) Department, Vallabh Bhawan, Bhopal, the boundaries of the police stations / outposts of Gwalior district, For rescheduling, meetings were organized at the sub-divisional magistrate level and at the district magistrate level and suggestions were received from public representatives and social organizations.

In pursuance of the above instructions, Superintendent of Police, District Gwaijer (M.P.) letter number No. PA-GWA ACPraham-P-399-A-23-24. Gwalier, dated 11 January 2024 and letter number PA-GWA-ACPraham-P-3991-C-23-24, Gwaher, dated 15 January 2024 by 15 police stations of district Gwalier respectively (1) Maharajpura. (2) Paraher, (3) Picher, (4) Gyara, (5) Antri, (6) Bhitarwar, (7) Geographical position of the mohollas/villages fulling under Bijanti, (8) Grevat, (9) Jamisi Read, (10) Chinaur, (11) Bilua, (12) Dabra Debar. (13) Bahedapur. (14) Chowki Badagater police station. Murar, and (15) Gwalier, Geographical breatien/villages inder Owalier, public facilities And considering the distance of safety as the basis and based on the analysis of crunes committed in the fact 05 years, a proposal has been received with recommendations regarding change in the boundaries of a total of 15 police stations. According to Section-02, cleause S of the Code of Cruminal Procedure, the presented proposal has been published by the Madhyo Pradash Gaztre Anthonity on 26 January 2024 and in this regard, comments were invited within a period of 30 days from the date of publication of the neutrication.

In continuation of the above notification; Sev. Magg: Rajt Khat, K. Charman, Communication Works Committee, Member, District Panchayat Area, Ward 09, District Gwaiter (M.P.) has ordered that the boundaries of virlage Sukhapatha police station Pichhor and village Gath, police station Pichhor should not be kept in the limits of police station Bilua and the same police station should be kept as before. Objection regarding keeping at in Pichhor has been submittation 27.02.2024. The said objection was originally sent to the Superintendent of Police, District Gwaiter for resolution,

In continuation of the above objections, the Superintendent of Police, District Gwahor (MP) vide letter No. Pa-Gwa ACFirst-P-160-24, Gwaliar dated 29.03.2024, has been transferred to village Sukhapatha and Garta within the limits of police station Picher. Opinion has been received recommending that it he k-pit as is.

On the basis of review of the geographical location, public facilities, security and orners of the last rive years of the villages/localities falling under the boundaries of Gwalior district, column to, of the following schedule in the list of police stations mentioned in column (a) villages/localities mentioned in column (b) will ges/localities mentioned in column (c) will ges/localities mentioned in column (c) and the given column no. (4) is foundaries of the police stations including the police stations mentioned in Rescheduling is done.

### (ACCORDING TO SECTION 02, CLOAUSE S OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE).

No-3 Sali:Rej-Macellaneous-2024-18234. Keeping in view file geographical rotation of the whitges/localities failing under the runs/turban across of district Gwaltor, public tabilities and safety, one should not have to travel long distances and the facilities to solve the problems of the common people at a fast predict. Charges are made in the limits of 15 police stations after reviewing the distance and comes committed in the last 05 years p-

S.N.	Nome of current police station	Name of village.	proposed police station
(I)	(?)	(3)	(4)
01.	Mcharajpura	Foolgani	Bijoli

भागः 1]	मध्यप्रदेश राजगत्र, दितांक 13 सितम्बर 2024				
(1)	(2)	(E)	(4)		
02.	Panihar	Bajtangputa	Girwai		
		Kheria	Jhansi Roud		
		kuchhai			
		Hamuman Takeri	Chiner		
03.	Pluhore	Ekonz	Bilua		
		Adiwasi Dafei			
		Banjara's Pora			
		Shankarpur, Shankar Colony			
04.	Gijona	Hidayal			
		Mohna			
05.	Ar.tri	Bajhera			
		Maxoda			
		TCP			
		BSF Academy (Area of aneri publice Station)			
		Patha			
06	Bhitarwar	Gram Pachayat Vijakour (Vaijnath Ka Camp, Itola Ka Camp).	Dabra Deha		
		Gram Pencheyat Bhaistiari (Ajitpura, Shaktipura,			
		Ladaryapura, Chuna Ghat camp).			
		Simaria Bhainmari (Simaria Dafai)			
07	Bijauli	Sigurpera	Chewki		
		Village Kargawag	Badagacu		
		Kheriamadi	Police Station		
		Այեւլեր-ե	Murar.		
		Gameslipora			
		Surveyora Khalsa			
U8.	Bahodapor	Ward no. 10 of moniciple corporation,	Gwalier		
		Gori Mahai, Soraswati Shisho Mandur,			
		Badalgarb.			

RUCHIKA CHAUHAN, Collector and District Magistrate,

# राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लध भवन, भोपाल

# भोगाल, दिनांके 5 सिंखम्बर 2024

ज्ञ. 14 –6–0020–2023-जात शा. 7.— मध्यप्रदेश भू राजस्व संहित, 1969 (क्रमॉक 20 राग् 1969) की पास 13 की उपकार (3) में अंतविंध्य उपबंध के अनुसरण में, एटद्वार, यह सूचना दी जाती है कि उक्त थारा डारा प्रदर्श शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला गुना को वदंगान तहसील गुना को सोमाओं को परिवॉर्तेंड करने, एवं गवरेंग बसोरी उपखण्ड सूचन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में चिनिदिध्य किये भए, अनुसार उसकी सोनाओं को परिभाषित करना। प्रस्ताविड करती है.

''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में हरा सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिलस के अवसान होने के 'पश्चात् प्रस्तान पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आधरि या सुझाव, लिखित में, उक्त कालाजांध का अवसान होने के पूर्व सांधव, पाध्यप्रदेश शासन, तजस्त्र विभाग को अग्रेपित किए जा सकेंगे:---

अनुसूचौ

थानु. अर	त्रिद्यमान वग्राग्ड का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्ताविन परिवर्तन के (विद्यमान उपखण्ड सतन से अपवर्तित किए जाने खाले क्षेत्र का विनरण).	प्ररतालित भरिवर्तनों के 'अपक्षण्ड इवे उनलेक मुख्यालयों के चान	प्रस्ताजित मॉरंजर्तनों के परचात् उपखारुत में सन्ताविष्ट किये पये क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित गरिवर्तनों के पुरस्तात् उपख्रप्र्य को सोमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गुना, पुञ्जालग, गुन्ग.	<ol> <li>तइसील संख्या-01 नाम-बमोरी.</li> <li>राजस्व निरीक्षक मण्डल संख्या 02. नाम फ्लेहगढ़, बमोरी.</li> <li>परतारी हल्कों को संख्या-80.</li> <li>राजस्व फ्रामों को संख्या-254.</li> </ol>		<ol> <li>तहसील संख्या-02 गाम-भुना नगर, भुना</li> <li>राजस्व निरीक्षक मण्डल लंख्या 03 नाम-ज्याना, ऊमरी, गुगा,</li> <li>नटयारी इल्कों को संख्या-87.</li> <li>राजस्य ग्रामों की रॉख्या-307.</li> </ol>	पूर्वं दिशा— जिल्ला अलोकनगर. पश्चिम दिश्ता— तढसील वगोरो. उत्तरदिला—जिला शिवभुटे. दक्षिण दिशा—तह सोल आरोन एवं तहसील राधौगढु.
2			बमोरी, मुख्यालय. अगोरी.	<ol> <li>वहसंग्ल संख्या-01 नाम धर्मारो.</li> <li>राजस्व निरीक्षक मण्डल संरत्या- 32 नाम-फतेहनड्, बमोरी.</li> <li>गटवारी इल्कों की संख्या 80.</li> <li>राज्यत 31 में भी यंख्या-254.</li> </ol>	पूर्व में— टहलोल गुन्ध पश्चिम में —राजस्थान योगा उत्तर में—राजस्थान सोगा रवं जिला शिदपुरी दक्षिण में—तहलोल राघौगढ़,

 प्रस्ताचित परिजनेत यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि योत्र का प्रकृमन समुचित एवं प्रभावों «ए से किया जा मके.

> मध्यप्रदेश के अञ्चयपाल के तम में तथा आदेशानुसान, राजेश कुमार कौल, अजर मॉर्चव,

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

## शहडील, दिनांक 30 अगस्त 2024

फ. दल-भू-अर्जन-३०-अ-82-2022-23-5611.—राज्य मार्गे क्रमांक 57 रीथा-भ्यौहारी टेटका मोड में नेव्ह झोल्डर के साथ 2 लेन के पुनकांस और अन्यस कार्य (बैनेज 0.000 से 18.550 किनो तक बघजर नहर पुल निर्माण, चैंगेज ३३.000 कि मो और 40.650 से 111.500 किमी तक, डिजाईन लम्बाई 90.000 कि भी) हेतु तहसील औहारी अंजर्गत प्रभावित साम भमरता द्वितीय, क्षेत्रफल 0.880 हेक्स हेतु ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्जवस्थापन में उचिन प्रतिकर और परदर्शिता अधिकारी, आधिकियम 2013'' के तहत् धारा 19 की आधिसूचना जारी के जाकर मध्यप्रदेश राजरत्र भाग 1, जमाचार-पत्रों, स्थानीय स्तर पर निम्नानुसार प्रकाशित कराई गई थी :—

	অর্থন	। हेन्नू अधिसुचित	भूमि		प्रकाशित अधिसूचनाओं का चित्ररण
96.	ग्राम	तइमील	क्षेत्रफल (हेल्टर में.)	_	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
515	भगरहा डिटोय	व्योहारी	0.880	राजनत्र, दिनांक भाग ।	णुष्ठ क्रमॉक 6513, दिनांक 16 जुन 2023
				समाचार-गत्र	<ul> <li>(1) सलय शहडोल, दिनोक 25 जून 2073</li> <li>(2) दैनिक कोर्ति क्रांति डेली शहडोल, दिनांक 25 जून 2023.</li> </ul>
				स्थानीय प्रकाशन तहसील/ग्राम पंचायत.	যিবাঁক 22-7-≥023

वक आधिसूचनाओं के प्रकाशन उपसन विधानसभा निर्वाचन 2023, सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु आरलं आचरण सॉइना प्रभावशोस होने तथा उस दौरान अधिकारियों के पास कार्य की अधिकता / व्यवस्तता होने के कारण भू-अर्लन को अधिम कार्यवाह सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है, थारा 19 के तहत अधिसुरना प्रकाशन को हिथि से भू अर्वन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियद समव-सीमा दिनांक 22 जुलाई 2024 को व्यापाद हो गई है, चौंके इस बोलना से लोगों को आवानमन को भूलिया प्राप्त होगी तथा योजना दूरमाने हितों से सम्बद्ध है, भूनि अर्जन को कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है, जिस कारण में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने होता जान, आवश्यक नारोचित प्रतीत होता है,

अतः, "भूमि अलंग, पुनवांसन और पुनव्यंतस्थापन में डविंद प्रतिकर और पारटॉर्शना आधिकार अधिनियन, 2015 को धार, 25 में प्रदर शक्तियों को चम्योग में लाते हुए धारा 19 के टपरान्त कार्यवाही हेट्रु 12 माह को अवधि जिल्लापित की जाती है.

#### ר וידא

### अनुसूची

क्र, इस-भू-अर्जन 29 अ 82 2022-23-5612,—राज्य मार्ग क्रम के 57 रोबा-च्यौहारो-टेटका मोड में पेळ्ड शोल्डर के साथ 2 लेन के पुनर्शरा और उमायन कार्य (चैनेज 0.000 से 13.550 कि.मी तक राषणार नहर पुज निर्माण, जैनेज 33.000 कि. मी. और 40.450 से 111.500 कि.मी. तक, डिजाहो लम्बाई 90.000 कि.मी.) देतु तहसील ब्यौहारी अंतर्गत प्रभावित सम जरण्डा, क्षेत्रफल 0.669 हेनटर हेसु ''भूमि अर्जन, मुनर्जासन और पुनर्श्वरम्पन में डचित प्रतिचार और पारदर्शिता आध्यक्षर, अधिनियम 2013'' के इहत् धारा 19 की अधिसूचना जारी को जाकर मध्यप्रदेश सावपत्र भाग-1, समस्तार प्रश्ने, स्थानीय स्तर पर निज्यानुसार प्रकशित करई गई थी :—

## अनुसूची

	মার্জন	हेत्र अधिराूचित	भूमि		प्रकाशित अधिसूचनाओं को विवरण
क.	1111	तइसील	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	_	
(1)	(2)	(3)	(4)		(\$)
1.	जगमल	व्यौद्धारी	0.669	राजपत्र, दिनांक	गृष्ठ क्रमांक 6314, दिनांक 16 जुन 2023
				4PT -	
				समाचार्-षन	(1) শিলক্ষার মার্চার, বিনাক 26 জুন 2023 (2) ইনিক কার্টি জায়ি ষ্টর্জা গড়ভৌন, বিনাক 25 জুন 2023,
				स्थानीय प्रकाशन तहसील/ग्राम पंचायत.	হিনাক 27-7-2023

तक अधिसूचनाओं के प्रकाशन उपसन्त विभाग सभा दिर्वाचन 2023, जामान्य लोकराभा निर्वाचन 2024 इंतु आदर्श थाअरप संहिता उभावशील होने तथ- रस दौरान आंधकारियों के पास कर्म को आंधकता / जास्तत होने के कारण भू-अर्जन को आंधम कर्मयहो रानय-सीना में मूर्ण नहीं हो अर्क है. धारा 19 के तहत् आंधसूचना प्रकाशन की तिथि से भू-अर्जन कार्यजाहो पूर्ण करने देत नियन समय-तोन दिनांक 22 जुलाई 2024 के व्याणत हो गई है, चूंकि इस योजन से लोगों को थानगणन को सुविधा प्राप्त होगी तथा गोजना दूस्पामी इंतों से सम्बद्ध है. भूमे अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये ही रही है, जिस कारण से भू आर्जन को अंग्रिम कार्यवाही किया जाना अवस्यक न्यायोग्वेत प्रतीत होता है.

ातः, ''भूमि अलेग, पुनबांसन और पुनव्वंत्राध्यापन में अचित प्रहिकर और प्रार्द्धार्थता अधिकार अधिनेयम, 2013 की भार 25 में प्रदर्श शक्तियों को उपयोग में लावे हुए भारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 52 माह को अवधि विस्तारित की वाले है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार सिंह, कलेक्टर एवं प्रदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारो, सिलकनी, जिला रायसेन, पध्यप्रदेश ॉमलवनी, दिनांक 3 डुलाई 2024

प्र. क. 001-04-82-23-24-रीडर-भू-अर्जन 2024.—स्वताधरण को सुर्वेक किंग जता है कि शासन को 'आपसी सडमति से कम -तेडि'' के तडन लोक निर्माण देवु निर्माय संभाग भोगाल द्वारा उनसेन जिले में सकटुआ-रियरमऊ मार्ग के कि. मो. 1874 में नहरिया नदी पर जडन-नीथ पुल मय गहुंच मार्ग निर्माण के लिए निरन विवरण अनुसार लोक निर्माण पिभाग के पक्ष में क्रम करने हेनु पिचर किंग जा रहा है, यदि किसो व्यक्ति / व्यक्तियों को भूमि के स्वत्य संबंधी कोई आपति से ही हो से सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में लग्रामाण प्रस्तुत कर सजता है, निरुद् आवधि के पश्चात कोई आपति मान्य नहीं होनी एले भूमि को (म. ग्र.) लोक निर्मण विभाग छेत् निर्माण के पश में क्रय करने हेनु अग्रिम कार्यवास की ज्येगी :---

्भाग ।

11571112191	मञ्चान	TO STATES	11	र्मनाजग	2024
मध्यप्रदेश	MM134,	1.2 H.M.	1.2	10101-047	1074

ish.	धाम करतते.	ડસ્સે ભ	খিল	गूमि त्त्वानी क' नाम (हातव्यामिलिखित/धारक)	ज्बसरा नं.	क्रथ के स्लिए प्रस्तालित स्कबा (हेन्द्रेयर में)
(1) 1	(2) ग्रिनघरा	(३) सिलग्रानो	(4) रायलेन	(5) महेश पिंडा जवाहर सिंह जाति गाँळ निवासो तिनघरा.	(6) 363(1/2/2	(इस्ट्यर न) (7) 0.04 हेन्स्टेयर

प्र. अ. 2 था 82 23 24 रीडर पू थालंग 2020.—सर्वसाधारण को सुर्वेद किया जाता है कि शासन को ''थापसी सहगरि से ऊभ कीते'' के तहत् लोक निर्माण विभाग सेतु निर्मण संभाग भोपाल द्वारा सबरोग जिले में ककरूआ-सरों मार्ग का करवे वहीं पर जलमग्वीय पुल मय पहुंच नार्ग निर्माण के लिए निन्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु थिचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति 7 व्यक्तियों की भूगि के स्वत्य संवर्धी कोई जागरि हो तो इस सूचना के प्रकर्णन से 15 दिवस की अवधि में लागण प्रस्तुत कर सकता है, नियद् अवधि के क्रयत्व कोई आगंच मान्य वर्डी होगी एवं भूमि को (म. प्र.) लोक निर्माण किमाग सेतु निर्माण के पक्ष में अन्य करने हेतू अग्रिम कार्यवाहो को जायेगी 5 -

9K.	પ્રાપ આ નામ	तहसील	जिला	भूमि स्वामी का चान (ज्ञात/अभिलिस्कित/भारक)	ચાસા ને.	क्रथ के लिए प्रस्ताबित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	ल्फधा (हेक्टेयर में) (7)
1	होरापुर	रिलवनी	रायरांन	दसोदाबाई पत्नी गोरेलाल लाति गौंड साम होरापुर,	4	0.061 हेक्टेयर

# कार्यालय, कलेक्टर जिला खरगोन मध्वप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

#### खरगेल, दिनांक 22 अगस्त 2024

फ. 281-भू-अर्जन-2024. 'चूँके, राज्य शासन को इस बात का सनाधान हो गया है, कि नोचे दो गई अनुसूची (1) में वर्षिंड भूमि की, अनुमूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की घार गढ़ में वर्णित प्रावधान के गांग्रेक्य में इस प्रवरण में किसी भी गरिवार को विस्थाणित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्ययशयन स्तोप की आवश्यकता गई है, अदर भूमि अर्नन, पुनर्व्ययशयन स्तोप की आवश्यकता गई है, अदर भूमि अर्नन, पुनर्व्ययशयन स्तोप की आवश्यकता गई है, अदर भूमि अर्नन, पुनर्व्ययशयन स्तोप की में उचित प्रतिकर और नरदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 को थारा 19 की उपधारा (1) के अन्तगेद इसके द्वारा यह मोपित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिने आवश्यकता है :—

#### अनुस्च

(।) भूमि का व्यति—

- (क) जिला—सरपोन
- (ख) तहनील—दिस्तया
- (ए) जन—बेतज्ञ
- (A) जगभग क्षेत्रफल—14.732 हे सर

હ્રાય્ય ને	ाकअः (डे. मॅ)
$\langle \cdot \rangle$	(7)
273	2.575
302/2/3	2,110
90972	0.750
303/3	2.330
369/1	0.075
369/2	0.080

(.)		(2)
369/3		0.243
269/4		0.475
269/5		0.075
369/6		0.085
389		3,910
392/1		2.365
39272		0.850
394/2		0.110
396/1/1		0.225
398/1/1		
397		0.440
399		0.303
400/1		0,465
100/2		1.330
400/3/1		0.809
400/3/7		0.521
400/4		1.330
401/1		a.o4o
400/2		0.335
	कुल बोग .	14,732

1.5

प्रकाश नायक, अनुविभागीय अधिकारी.

150

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये प्रि.को भवल्यकना है—''चेडला तालाच शॉर्थ कार्य में आने पालो निर्दा भूमि''.
- (3) भूषि का नवशा (प्लान) अनुविधागीय अधिक री (राजरब) एवं भू अर्जन अधिक री, भौकनमांब, बजर्वजलन चंत्री, जल संसाधन संभाग, खरमोन कार्यालय में शावलों रून किया जा सकडा है.
- म्यप्रदेश के राज्यन त के सान से तथा आदेशानुआर कामॅकीर शामी, कलेक्टर पूर्व सक्षम प्राधिकारी.

-

कार्यालय कलेक्टर जि	ाला सतना, मध्यप्रदेश एवं	(1)	(2)
, , ,	देश शासन, राजस्व विभाग	528/1	
শহল চলকাম্প, শহলস	द्श शासन, राजस्व विचान	528/2	
जन्म, दिनोक	<ol> <li>रिंगतम्बर 2024</li> </ol>	578/3	
a 1986-भ-अर्तन-2024	—न्तूंकि, राज्य शासन को इस खाउ	528/4	0.142C
	चे दी गई अनुसूची के पद (1) भें	528/5	
	गद (2) में डॉल्लॉग्रित सार्वजनिक	528/6	
	. अतः भू अर्जन आधिनिषम, 2013	536	0.1270
	को यास 19 के अंतर्गत इसके द्वारा	535	0,1550
	क्त भूमि की उक्त उपोजन के लिये	534/7	0.0750
⊎য়লখ্যদরা উ:—	n.	474	0.1250
জ	नुसूची	552	0.0070
(1) भूमि का वर्णन (	(म. ज. शासन/निजी खाता)	534	0.0300
		\$35	0.0310
(ক) জিলা— ৫৫- (ক) কলী— ব		473	0.1420
(ख) तइसील⊷ उं (ग) का⊽ग्राम— रं		472	0.0100
	तपर उप उन्हा हेक्टेयर	565/1/T	0.0060
• •		565/1/2	0.0360
खरारा गं.	अजिंत रक्तबः (दे.मॅ)	564/1	0,0920
(:)	(2)	564/2	0.0730
486/0	0,0130	562	C. 1570
496/2	0.0080	709	0.0330
491/0	0.3150	710	0.0170
491/2	0.1020	711	0.D210
491/3	0,0900	1124/714	0.0840
488/	0.1250	714	0,0130
		715/2	0.1540
4:772	0.0100	/16/2	0.0100
548	0.7850	734	0.0210
547	0.0120	733	0,0250
546	0,0100	/32	0,0120
545	0.1120	731	0.00890
1107/543	0.1260	721	0,0060
541/3	0.0100	/22	5900.0
541/2	0.0520	717	0.0850
53%	0,0370	718	0,0260
527/1		770/1	0.1050
527/2		913/1	0.C÷00
		911/1	
527/3		911/2	
527/4	0.1310	911/3	0.5.100
527/5		911/4	
527/6		911/5	

44 · J		-	
(1)	(2)	(1)	(2)
		1039/1	D.CC20
912/1		1039/2	
917/2	0.0100	1042/1/1	
917/3	0.0100	1042/1/2	0.1460
312/4		1042/2	
912/5		1044/1/1	
930/1		1044/1/2	0.0460
930/2		1044/7	
930/3/*	0,1330	1046/1/1	
930/3/2		1046/7./2	0.0420
929/1	0.210	1046/2	
929/2	0121-	22/1	
933/1	0.0500	22/2	0.0520
933/2/1 933/2/2	coost	21/1	0.0000
928/1		71/2	0.0020
928/7	0.1/00	23/1	a Aur-7
	0.1700	23/2	0.0830
928/5		247:	
927/1	0,0120	24/2	0.0020
927/2/1	1,6120	20/2	0.1510
927/2/2	0.0520		0,0050
1106/1091	0.0280	30	
1091	0.0110	4771	C.0400
1092	0.0620	18	0.0500
1094/1	0.0540	31	0.0140
1094/2	0.0160	39/1	0.0041
1004/2	0.0190	40	0,1100
1005	0.1340	39	0.0020
1006	0,0090	60	2.0150
1007	0,2510	61	0.0710
1008	0.0520	62	0.0250
1009	0.0320	63	0.0280
0010	0.(1150	0.0	
1017/1	2.0100	योग	5.5991
1011/2	12 And 2		
1030	0.0210	(2) एवंजनिक प्रयोग	an जिसके लिये कही। आवश्य
1031	0.0350	है— बरुगि व्या	वर्तन परियोजना अंतर्गत ∺ागैव
°C36/1		यतन्त्र-शाखा भह	र को महदेई लितरिका की गोबर
1036/1/2		कला मण्ड-१ सेन	ग्री दुवे गाइनर एवं सरमाहनर
1036/2	0.0077	निर्माण डेतु.	-
1036/3/1	0,2200		· _ · _ /• · · · _ · ·
1036/3/2			(২০০০) ভা নিৰ্যাঙ্গণ, জলীৰ জন্ম
1036/4		- 4	तला राइना के ज्यवालय में कि
1036/5		जा सकत है.	
1038	0.1000		
1043	0.0350		

4298	मय्यप्रदेश राजभन्न, गॅंदनॉक 13	सिंह-बर 2024	114	11
क्त <u>1987</u> –भ अर्थन-2024	.—च्च्रींक, त्रभ्य शासन को इस जाव	(1)	(2)	
को रामाधान हो जन्म है कि ज	चे दी गई अनुसूर्वी के नद (3) में	317/2	0.0740	
वर्ण्ड भूमि को, अनुसूची के	पद (2) में इंटिलसिंह सर्वजनिक	317/3	0.0370	
प्रयोजन के लिये आजस्यकत: है	रे. अतः भू-अर्जन शाधिकीयम, 2013 भूनी समय १२ के संसर्धन सम्प्रेत समय	251/2	0,0460	
संशोधन (%, एक, सन् 2013) जन्म कोर्पान किया जाना नै कि	) की श्वारा 19 के अंत्रगंत इराके द्वारा 846 भूमि को उबत प्रयोजन के लिये	250/1	0,0200	
यह आगित किया जाता हायर आवश्यकता है:—		250/7	0,0200	
	।नुसूच <u>ी</u>	- 96	0.0100	
() ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਾਇਕ-	(म. १. शासन/निजी खाता)	90 90	0.0040	
		95	0.1170	
(ক) জিলা– ৬৫ (ক) কল		93	0.0830	
(ख) तत्वसील − (म) तनर/जाम -		94/1	0.3670	
		73	0.1070	
खत्तरा नं.	अर्जित रकबा	72	0.0350	
	(हे. में)	71	0.1510	
(1)	(2)		D.1100	
451/1	0.0090	\$3/2		
450/1	C.0750	48/1/2	0.0370	
449/1	0.0120	68/2/1	0.0580	
444	0,0950	48/2/2	C.0580	
443	0,0900	48/2/3	0.0580	
445/2	0.0040	38	0.0070	
447/2	0.0450	37	0.0150	
442	0.0520	33	0,1700	
447	G.0080	34/2	0.1760	
276/3	0.0150	35	0.0120	
273/3	0,0120	74	0.1/60	
440	0,0270	18	0.0920	
437	0.0020	8	0.2760	
438	0.0010	634	0,0340	
437	0.0480	<i>{46/</i> `	0,0060	
432/1	0.0110	646/7	0.0070	
422	0.0320	651	0.0030	
423	0.0380	ñ52	0.0020	
415	0,067C	589	0.4800	
231/2	0,0930	S/2	0.0330	
407	0.0100	az 5	0,0030	
319	0.1150	74/1/1	0.0040	
319	C.0780	792	0.0620	
518	0.07.00			

[भाग ।

	नध्यप्रदेश राजप	12, दिन <sup>:</sup> क 13 सितम्बर	2024		4299
(1)	(2)		(1)	(2)	
295	0.0300		294/2	C, 0400	
296	0.1060		263/1	0,0050	
321/1	0.0370		299	0.0200	
327/2	0.0560		306	0.0120	
321/3	0.0≥90		93	C.0F40	
252	0.0910		300	0.0170	
249	0,1420		301	0.0710	
109/1	0,0620		305	0.0530	
106/2	0.1640		302	0.0120	
323/1	0.0310		रो -	T 5.2330	
373/7	0.0310	(2)	มเกิดโค้กะ นอโ	জন জিন্ধন্ট লিখি অজন ও	गवण्यक
10171	0.0290	(*)		पहलन एरियोजना अंतर्गत	
101/2	0.3400			र की लगरगत, वितरिका व	हो सेमरी
hee	0.1050		बुत्रमंडाइ माइनर	्रके निर्माण डेतु.	
309/1	0.0580	(3)	भूमि के नक्शे	(ग्लान) का निरीक्षण,	चलेवटर
			(17 )75 F	नन जनग के जाननग	ti faran

(भू-अर्जन), बिला सतना के त्यायालय में किना 309/2 0,0580 जा राकता है. 809/3 0,0460 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार 309/4 0.0720 अनुराग वर्मां, कलेक्टर एवं परेन उपमांचित.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं प्रदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खिन्दवाड़ा, दिनांक १० सिंतम्बर २०२४

क्र. 5436-भू-अर्जन २०२४ - चुकि, जञ्म शासन को वह प्रतीत होता है कि संलाम अनुराणी के खाने (1) से (4) में उल्लोग्वत वॉणित भूमि ची, अनुसूची के खाने (6) में उसके जामने दिये गये आवंजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ते को संभावना है, अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और नुच्व्यंजस्थापन में डांचरा प्रतिकर और पारदर्शिता का आधिकार अधिनियम, 2013 की थारा 11 की ठपधार (1) के उपवर्धी के अनुसार एडयुद्धारा, मभी संबंधित डिठवद्ध जावितरों को इस आहाय की सुचना दी जाती है. रण्य शासन, इसके द्वार, अनुसूची के खाने (5) में ठल्लोरेंवत प्राधिकृत अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, गुनर्वासन और पुनव्यंतस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित। का अधिकार अधिनियम, 2013 को धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए ग्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश सालन, जल संसाधन विभाग, गणालय, बल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र अन्यांक 22 (ए) 581-2019-एम.मी.एस.–२१–२२१, भोताल, दिनांक ८२ मार्च, २०१९ के द्वरा परियोधना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(5) अतएच उपरोक्त के दुष्टिगत आयेदक विभाग द्वारा<sup>1</sup> भूमि बार्जन, पुनर्यासन और पुनर्व्यवस्थापन में अधित प्रतिकर और पारदर्शित। का अधिकार अतिनियम, 2013 को घारा () (2) के अत्तरीत "सिंधाई परियोधनाओं को बाबत् जहां इत्यगय प्रवृत किसी जन्म विधि के उपलंधों के अभीन पर्यावरणीय समरणत निर्धारण की प्रक्रियनकी अपेक्षा की लाती है, इस अधिनंत्रम के सामालिक ममायात निर्धारण के उनलंश त y नहीं होंगे.<sup>17</sup> जेतर अधिनियम को भारा 6 के अन्तरीत सन्तानिक समाधात निर्धारण अध्यवन से जुट प्रदान की जाकर आधिनियम को धारा 11(3) के अन्दर्गत मामाजिक मगरूति निर्धारण रिपोट के सारीश प्रकाशित पहीं किया का रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अभिग्रहण किये जाने के संयंथ में भूमि अर्जन, गुनर्वासन और पुनर्ख्यपत्थापन में ठपित प्रतिकर और प्रस्तृशिंत। का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में तागू इंगिः—-

			अनु	सूचो	
		গুটি কা বৰ্জা		भूमि अजेन, गुनवांसन और	अर्जित की जाने वाली
जिलः	तहसील	त्तगर/ग्राम	आंधेंत की जाने वाली प्रस्तवित भुमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेक्ट ने)	पुनव्यंअस्थापत्त में ठवित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 को धारा 12 के अंत्रमंत प्राधिकृत अधिकारी	जल्दाषित भूमि के सार्वजनिक तथोजन का वर्णन
(1) ଡି-ସେୟା	(2) घंद	(३) ग्राम-नॉलाझिर प.इ.नं. ३२ ब.न १४६ रा.मि.मं चांद.	(4) रकवा-01.950 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	(5) भू-अर्जन अधिकारो, उहराँल- चौर्ड, जिला छिन्दलाडा.	(8) लिन्द्रवाहा सिंचाई आग्यलेक्स संदग 2, बांध परियोजना के अन्दर्गत मंग हाउस क्रमांक 9 निर्माण के लिये गिवी भूनि अधिप्रहण किथे जाने के संबंध नें.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्ताजित भूमि के बारे में उंडेठबद्ध कोई जावित अधिसूचना प्रकाशन की जानकपी बेनलाईट www.chhindwara.nsc.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोगाल की बेबसाईट http://www.mprevecter.nctin/ भर भी देखा जा राकडा है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेधित प्रस्ताजित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरोधण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदयाड़ा, जिला-छिंदबाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा यकवा है.
- (4) अजिंत को जाने जाली उल्लोधित प्रस्ताजित भूमि के नजरो (प्लान) का निरोधण, भू-अर्जन अधिकारी एव अनुविभागोय अधिकारी (राजस्व), तडसील-चौरई, जिला-छिन्द्रजाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सजता है.
- (5) अजिंत करें तहो वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का तक्ला ("लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्वणालन यंत्री, जह संचाधन रांभाग, झिन्द्रवाड़ा, जिला छिन्द्रवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयोग चमय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्त वित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल रांसाधन उपरांभाग तामिया, रंजला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयोग समय पर किया जा सकता है.
- (7) शार्जित की जाने वाली डल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवाद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू आजने किये जाने के संबंध में शार्श्वय में शार्श्वय लिखित रूप से कलेक्सर, छिन्दवाढ़ा के सन्द्र प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. (437-भू-अजंन-2024.—चूंति, राज्य शासन को यह प्रतेत होता है कि संतप्त अनुसूची के खाते (1) से (4) में उत्ततेखित वर्णित भूमि को, अनुसूचो के खाने (6) में उसके सामने दिये पये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अधवः आवश्यकता पढ़ते की संभावना है, अतएव भूमि अर्बन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थाएन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उददुद्वारा, सभी संबंधित दितबद्ध व्यक्तियों को इस आश्य की सूचन दी जाती है, राज्य शासन, इसके हार, अनुसूचो के खाने (5) में उसकेखित प्राधिकृत अधिकारों को उसत भूमि के संबंध में, भूमि खर्बन, पुनर्वसन और मुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और मारदर्शिता का आधिकार आधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी नई शकित्यों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश झासन, जल संसाधन दिभाग, मंदालय, यल्लभ भवन, भांपाल के आदेश पत्र जमांक 22 (ए) 381-2019 एम.गी.एस.-31-221, भांगाल, दिनके 2 मार्च, 2019 के द्वारा मरिंगोलना को प्रतासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(३) अन्तएव उपरोवत के दृष्ट्यत आपेदक विभाग द्वारा ''भूमि आर्जन, मुनर्जासन और नुनर्जवस्थापन में उचित प्रविक्त और पारदर्शिता का ऑप्रकार अभिनियम, 2013 को भारा 6 (2) के अनगते ''सिंनाई परिवांखनाओं को बावत् जहां तत्सनय प्रवृत्त किसो अन्य विभि के उपरांधों के वाधीन पर्यवरणेय गंगाभात निर्धारण की प्रक्रिया को आपेक्ष को जाती हैं, इस अभिगयन के सामाजिक समापात निर्धारण के उपरंथ लागू नहीं होंगे.'' अतः आधानगय की घारा ६ के अत्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छुट प्रदान को जाकर अधिनियम की बारा 21(2) के अन्दर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण सिर्वेट का सत्तरंग जकाशित नहीं किंगा जा रहा है.

(2) इस संबंध में राज्य शायन यह भी निर्देश देता है कि उपसेक्ष पूरि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्थन, पुनर्यायन और मुन्तर्श्वस्थापन में डॉवत प्रटिकर और करदर्शिता का आधिकार आधितियन, 2013 की धारा 15 के उपलंध रहता भूमियों के संबंध में लागू होंने:---

[भाग 1

			અતુ	सूची	
		খুনি কা অৰ্গন		भूमि अर्जन, पुनजोसन और	अर्जित को जाने वाली
નિના	तहसीज		जंत भी जाने वाली प्रस्ताजित भूमि लगभग क्षेत्रफल (इंड्रेस्टेयर में)	पुनर्व्यवस्थापन में अधिद प्राहेकर और पारतांहोंता का अधिकार अधिनितम, 2013 को धारा 12 के खेतगेत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ক্ষির্থাড়া	<u> </u> चांट	ग्राम-तीलवंडरीकला प.इ.स३२ वि.स. २३३१ रा.ति.म चांद.	रक्रबा-C2,000 हेक्टेयर एवं उपसेक्त भुमि पर आने चालो परिसंगत्तियाँ.	भू-अर्जन अधिकारी, उठसोल- चौरते, जिल-ॉळन्दवाढु।.	क्रिन्दवारा सिंचाई काम्पलेक्स सोराम 2, बांध परियोजना के अन्तर्गत पंग्र हाउस क्रमांक 9 में चांद-परसर्गांव मुख्य मार्ग से पंग्र हाटस तक राडूंन मार्ग निर्माण के शिये निजी भूमि

- (2) अजिंत की जाने वाली उल्लेखित प्रस्त वित भूमि के बारे में डितबद्ध कोई व्यक्ति अभिसूचना प्रकाशन को जानकारी वेबसाइंट www.ofbindwars.nio.in एवं २७४४देश शाखन. राजस्त विभाग, भोपाल की वेजसाईट http://www.mprovonuo.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अजिंत की जाने जाली उल्लेखित प्रस्तायित भूमि के नक्से (प्लान) का किरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्लन लाखा, छिंदवास, विला-छिंदवास के ज्यायालय में वार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (4) अजिंत को जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्से ('रतान) का मेन्द्रीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ('राजस्व'), तहसील-चौरई, गंजला-छिन्द्रवादा ('स. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयोग समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वालो उल्लेखिट प्रस्तावित भूमि के नक्से (प्लान) एवं प्रकरण का निर्नेक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सिन्द्रवाहा, जिला जिन्द्रवाड़ा के कार्याजय में कार्याजयीन संभव पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित पूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग समिया, जिला छिन्द्रयाङ्ग के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (7) आर्थेत को जाने घण्ली उल्लेखिड प्रस्तावित भूगि के चारे में हिउबढ़ कोई व्यक्ति अधिसूचन: प्रकाशन के 60 दिनों के घंदर भू शजने किये जाने के संबंध में आहेप लिखिड रूप से कलेक्टर, डिन्दवाझ के समझ प्रस्तुत कर सकता है.

#### सिन्दवाडा, दिनांक ३ सितम्बर 2024

क्र, 5309-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रहोद होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखेत वर्षित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामन दिये गये सर्वलनिक प्रयोजनों के लिए आवश्वकता है अथवा आवश्यकता नज़ने को संभावना है, अतएव, भूमि अर्जन, गुल्वांसन और गुल्व्यंवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदाशेदा का अधिकार अधिनावम, 2013 की भारा 11 की उपयान (1) के उपवंधों के अनुसार, एतचुड़ारा, राभी संबंधित द्वितवद्ध व्यक्तियों को इन आश्वक सौं सूचना दो जातों है, राज्य शारा-, इसके इस, अनुसूनी के खाने (5) में उल्लेखित प्रधिकार अधिकारों को धारा 12 में हो पह शकियों को प्रयोग करने के लिए पुन्व्यंवस्थापन में उत्तिर प्रतिकर व्योत प्रदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 को धारा 12 में दो गई शकियों को प्रयोग करने के लिए प्राचिक्ता है.

2. मुंकि, सहीय आभे संरक्षण प्राधिकरण गई दिल्लों के दिशा होदेश 2021 एवं राज्य शासन पंत्र लय. वल्लभ भवन औप ताका पत अगांकF 3-8 07 10 2 -21 29 दिनांक 30 जक्टूबर 2008 की छायाप्रदि संस्था किया गया जिसमें तईगर सेजर्न संजी में से प्रामों के पुरुषस्य हेतु रूपने 10.00 लाख प्रति परिवार को दर से जनुदान सांसे अश्लेष्ट करवाने के संजीप में जारी पार्मदर्शिका के छनुसार दो विकल्प दिवे मये किसमें ये विकल्प एक में हितसाही व्यक्तियों को पुन्तीय हेतु स्रशि ज्यद दिवा जाना है तथा उन्हें कोई भूमि नहीं दी जावेगी जहकि दूसरे विकल्प में हिस्साहिमों को दो इक्तेयर भूथि तथा जाको भगद सिंग जाना है.

4501

अधिग्रहण किये जाने के

संबंध में

अतरुव, उन्तोका के दूषिटगत आवेदक विभाग द्वारा सतपुढ़ा चईपर रिजर्क के अंतर्गत वन परिक्षेत्र देनत। त्रफर खे प्राग हुंडी भाडीवानी का विस्थापन जो कि, मध्यप्रदेश शासत. वन विभाग मंत्रालव की महत्वकांक्षी थोजना के रूप में क्रियामिकत है भूमि अर्जन, मुचर्चाप्टन और मुनव्यंवस्थापन में तचित प्रतिकर और भारदर्शिता का अधिकार आधितियम, २७१३ को धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन को अत्यावश्यकत की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभिनियन की भार 9 के अन्तर्गत सामाजिक रम्माकात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रक्षन को जावन, आधितियम की भारा 11(3) के अन्दर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार्यहा प्रकाहित नहीं किया जा रहा है,

(3) इस संबंध में रज़्य शास्त यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्जासन और गुनर्ज्यवस्थापन में उत्तित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियन, 2013 की धारा 15 के उपकंध उक्त भूमियों के संबंध में आगू होगे:---

		भूमि क बर्णन		भूमि अर्लन, गुनबांसन और	अर्जित की जाने वाली
ाँनला	तहरमेल	नगर/प्राध	अर्जित की जाने वाली प्रस्तवित भूमि लगभग क्षेत्ररुक (हेक्ट्रेयर में)	मुनव्यंवस्थापन में डॉचत प्रांतकर और पारदर्शित का अधिकार आधिनियम, २०१३ जी धारा १२ के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्द्रवाड़ा	तानिथ।	आग दुंढी भाजोपानी म.इ.गे16 ब.नं. 45 ख, स.नि.मं देलाखारी. वहसील वामिना	८१६मा ७३.३४३ हेक्टेपर एउँ तपरोक्ट अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली र परिसंपनियां.	भू अर्जन अधिकारी, तरसील– जुनारदंव, जिला–क्रिन्दवाढ़ा.	सतपुरु टाईगर रिजवे के अंत्रर्गत वन परिक्षेत्र देवता बफर से जिस्थाणेंतों को निजी भूमि का क्षथिप्राइण बावट.

- (2) अर्लित को लागे वाली उल्लेखित प्रस्तापित भूमि के बारे में दिराबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन को जानकारी वेत्रसाईट www.chhindwara.nic.ip एवं मध्यप्रदेश हासन, राजस्त्र विभाग, भोणल को वेत्रसाईट http://www.mprovonuc.nic/in/ पर भी देखा जा सकता है.
- (3) वार्थित्र की जाने वाली अल्लेखित प्रसायित भूमि के चन्नहों (प्लान) का निरोधण, कार्योलय, कलेकर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दजाड़ा, जिल्ला फिर्ट्रजाड़ा के त्यायालय में किया जा संकता है.
- (4) अर्जित को जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित पूरेंग के नक्षों (पनान) का निरीक्षण, भू-अर्जन आधिवारी एवं अनुविभागीय आधिकारी (राजभ्य), दहसील अन्तरदेव, जिला छिन्द्रजाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की काने वाली कल्लेखिड प्रस्तावित भूमि के काले (प्लान) एवं प्रकरण वा निरीक्षण, उन संचालक सतपुढ़ा ठाईगर रिवर्ष नर्पदाधुरण किला नर्मदापुरम (म. प्र.) वे कार्वाडव में भी कार्यालयीन समय पर किया जा सकटा है.
- (6) अर्जिन को जाने बाली उल्लेखिड प्रस्तायित पूरी के नक्षी (प्रतान) एवं प्रकारण का निरीक्षण, सहा संचालक सतपुरू राईनर रिजर्न प्रियरिय, जिला नर्पदायुर्थ (म. प्र.) के कार्यालय में भी कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (7) अर्किंड को जाने वाली उल्लोग्वित प्रश्ताणित गुणे के बारे में हियजद्ध कोई व्यक्ति अधिमूचना उत्ताहन के 50 दिनों के अंदर भू-यार्जन किये जाने के अंबंध ने आधेप लिखित रूप से कलेक्टर, क्रियवाटा के समक्ष प्रन्डत कर सकता है.

• ध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से बथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेन्टर एवं पदेन उपसचिव.

अनुसुची

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

## पन्न), दिसीक १४ जून २०२४

प्र. क्र. -अ-82-वर्ष 2024-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के ख़ते (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूचों के खाने (6) में उसके सामने दिये गये खालंजनिक प्रयोजन के हिंगे आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पहने की संभाषना है. अत्र: भू-अर्जन पुतवांसन और पुनव्यंवस्थापन में अधित प्रतिकर और मारदर्शित आंधवार आंधवियम, 2013 (क्रमोक 30 सन् 2013) को धारा 1: की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार रसके द्वारा संभी पंचथित व्यक्तियों को इस आलय की सूचना दी काले है. सब्र शाखन, इसके हास, अनुसूची के साने (5) में उल्लेखित आधकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दो गई शकियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकत करता है;—

			ઝતુન	तूची	
		শুমি কা বল	Π	थास 12 के अन्तर्मत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहस्रोल	का⊽ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का चर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(e)
पःना	अमानगंज	पुरैगा	निजी भूमि रक्क्या 0.84 हे. एवं शासकोय भूमि स्वात्रा 0.10 हे. कुल रक्तजा 0.34 ह.	क.र्यपालन गॅवी, लोक निष्तंभ विभाग सेतु निर्मार संभाग, अगलपुर, मग्वप्रदेश.	गम्मा-अमानगंज-सिमसिया मार्ग के के, मॉ, 5679 में केन नदी पर उच्च स्तरीय पुल एखं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु थॉटर्गत थाने वाली पूमियों के भू-अजेन हेतु पूमि का अलंग थारा भा का प्रकाशन हेतु,

(2) भूमि का नजरण (ग्लान) कालंगलन यंत्री, लोक निमोण दिभाग हेंठु निर्माण खंभाग, जललपुर, मध्यप्रदेश के काणंलय में देखा जा सकदा है.

## फना, विनोक 18 जुलाई 2024

3. क. 12 था 82 यर्ष 2024-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है।कि इससे सहलन अनुसूची के साने (1) से (4) मैं वरित भूगि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सावंजनिक प्रयोजन के लिये अलश्यकता है अशया आवश्यकता पढ़ने की संभावना है. अत: भू-अजने पुतर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित। अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रम्बंक 30 सन् 2013) की धारा 11 की ठेउधारा (1) के उपयंथों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशाय की सचन दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उज्येक्षित आधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धार 12 द्वारा दी गई धाकेलों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है;—

			अनुर	पूची	
		भू⊐ि का यर्ण∘		् भारा १२ के जन्तमंत	सार्त्रजानिक प्रयोजन
जिला	तहस्री ह	H*Wal⊐	लगभग शेत्रफल (हे. मॅ)	प्राधिकृत अधिकारी	ন্চা ফার্বন
$\langle \gamma \rangle =$	(2)	(3)	(4)	(5)	(e)
पन्ना	मिमरिज	ांतघरा	निजी भुग्ति २क्तलः	कर्यपालन संत्री, लोक	मन्त-असानगंल-सिल्सिय।
			C (b) हे, एवं शासकोय	निर्णण विभाग सेषु	मार्ग के के मी. 56/8 में
			भूमि रकव	लिगीत संभाग, जवलपुर,	केन नदी पर उच्च स्तरीय
			0.60 हे. बुल्	मग्वप्रदेश.	पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण
			रक्तमा 0.69 ह.		हेतु अंतमंत आने वाली भूमियों
					के भू आजेन हेतु भूमि का
					अर्जन भारत 11 कर प्रकाशन

(2) भूमि क नजशा (म्लान) कार्यवालन यंत्री, लोक निमोण विभाग हेडु निर्माण सभाग, अयलपुर, मच्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा एकडा है.

> गध्यप्रदेश के राज्यवाल के नाम से तथा आदंशगुल्यर, मुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पर्वत उपसचित.

इन,

4303

#### दमोह, दिनांक 13 अगरद 2024

रा. ५. ऊ. ००८२ वा ४२ वर्ष २०२४ २०२३.—तज्य शासन को सार्वजनिक हित को परिवोजना के किवानवयन हेतु आनसी सहमत से ५/में अन्य नोति २८६४ के तहत अनुसूची के कॉलम चंबर (1) से (5) में वॉर्मेत भू-धारक / भू-धारकों को भूमि कॉलन नंवर (7) में वर्णित प्रयोजन हेतु आवश्यक है, जिसके लिए मू-धारकों / धारक द्वारा प्रारूप ''ख'' में क्रयनोंनि के तहत प्रस्ताविध प्रतिशल एवं समतुल्य पुनेवास अनुदान प्राप्त कर राज्य शासन के मध्न में विक्रव करने की स्वीकृति प्रदान की है :—

যিলা	तहसील	ग्नाम् / नगर	ख्य, ने, /	भू-धारक का जम	ઉપયિક્ત	सार्वजनिक
	का नम	का नाम	रकवा (है, में)		वाधिकारी	ম্বৰীজন কৰ
						वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दग्रीह	हटा	मैसायाद	294 रक्तप्रा	टोकारान पिता सुन्दर कुमीं	<b>क</b> र्षगालन	हव-ग्रॅंसमरिय!
			0.25 में से	निवासी मैसाबाद तल्सील हट	वंत्री लोक	मार्ग के
			a,25 हे.	जिलः दनोइ.	निर्माण विभाग	फिल्मी, 66 7 6
दमोह	हट.	ौत्ताबाद	295 एकवा	गोपी पित्रा झल्ली युर्टणी निवासी	सेतु निर्माण	ल्हारमा नदी
			0.15 में से	गैसाबाद दहसोल हटा जिला	संभाग	पर्
			વ્યાક છે.	दगोह.	जवलनुर.	उच्चस्तरोय
						पुल निमाण,

अनुसूची

७५५७७ भूमि थारुठ तथा परियोजना के लिए संबंधित विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचल किया ज रहा है. अठः भूमि म दितबद्ध व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 13 दिवस में अपना आधेप लिखित रूप से अथोठस्त्राक्षरी अधवा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्थन अधिकारी, हटा के ज्यान्तव्य में प्रस्तुत कर सकता है.

सुधार कुमार को बर, कलेक्टर एवं पर्दन उपसचित.

कार्यालय, कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा), जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

क, 12244 -मू–अर्जन–2024

गर्मबाहरन, दिन्होंक 20 श्रे.सन् 2024

# (म.प्र. शांसन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत)

राज्य शफल के विभिन्न विक्रांगे एवं उपक्रम को सार्वजलिक प्रयोजन हेलु निर्माण की जाने वाली अधीसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है। म.प्र. शग्सन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12/02/2014/साह/ए, दिलांक 12/11/2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14/11/2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नोति" जारे की गई है।

इस सीठि के अंतर्गत शज्य शरमन के विभाग/समूह योजना के अंतर्गत लोक निर्माण दिभाग के अंतर्गत एन.डी.बी. योजनांतर्गत निर्माणधीन सेमरीहरवंद, पालदेवरी, बोरना मिदठा, तेलसिर, महुआखेडा, मूजरखेडी, सांकला मार्ग निर्माण में याम महुआखेडा में निर्माणाधीन बाकत पुल के महुआखेडा लरफ के पहुंच मार्ग में लगभग 150 मीटर में आ रही निजी भूमि की आवश्यकता है। जिसका विवरण जिल्लाखिति तालिका ये दर्शित है। उक्त भूमि के मून्स्तामी/मू-स्वामियां द्वारा "आपसे सहमंति से भूमि कथ गीति" की कठिका 10 के उत्तरांत भू-अर्जन हेतु निर्माएत प्रारम-छ थे सहमति भय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी है। आपसी सड़मति से भूमि क्रथ भीति थी कंडिका-11(1) के अंतर्गत सर्वसाधरण वी स्वन्त के लिये यह सूचना आरी की जा रही है "आपसी सहमति से भूमि क्रय भीति थी कंडिका-11(1) के अंतर्गत सर्वसाधरण वी स्वन्त के लिये यह सूचना आरी की जा रही है "आपसी सहमति से भूमि क्रय भीति थी कंडिका-11(1) के अंतर्गत सर्वसाधरण की क्रय किये जाने पर पियार फिया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि शे झाधार सहित अपनी आपति अधीहरत भएकती के कार्यासर भ अध्यक्षे के दिनों को छोड़कर कार्यालयील रूमच में प्रस्तुत कर सकता है। कियत अवधि के पश्चात प्रान्त होने राजी आधीतियों को न तो त्वीकर किया जादेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का दियार (क्रिया जानेना;

-: आपसी सहमति से क्रय को जाने बाली भूभि/भक्तन का चिनरण :-

जिला-भर्मदापुरम, अनुविधाग-सोहागपुर, तहसील-सोहागपुर, ५.इ.सं.-07, बाम महुआखेडाखुर्द, रा.लि.संडल-धनझक्लां, कुल रकता= 0.310 हेक्टेयर

<u>क</u> .	भूमि स्वामी की नाम पिता का नाम	জ্ঞান.	क्षुल रकवा	प्रभावित रकवा	शिं चिह रकबा हेक्टेयर में	असिंचित रकवा हेक्टेयर में	अन्य संगति
01	02	ВÚ	04	05	06	07	08
91	अजंद मिता उसदेव सिंह	49/1	0.072	0 020	निरंक	0.020	
02	छोटी बाई पत्नि जगदोश सीला	49/2	1.B21	G.290	0.290	निरंक	
	ন্যুন যথ	दो	1.893	0.310	0,290	0.020	

म्राप्तप्रदेश के रूज्यपाल के भाग से तथा आदेशानुरागर. सोनिया मीन्स, कलेक्टर, 4306

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला–झाबुआ, जिला धार, मध्यप्रदेश

ज्ञाबुआ दिनोलं **2**4 मई 2024

--9 क. 2807—री—1—भू–जर्जन—2024 रा.अ.अ. 184—व—121—2022—23 प्ररूप:— घ {निर:म 6 सेरिडए )

अरएग मध्यप्रदेश भूनिगत पाईपलाईन, केवल एवं उन्नट (भूमि के छायोक्तर के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (फमकेन 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उन्त आधितियन के भग से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की राष्ट्रपास (1) के अधीन जासे सदाम प्रधिकारी की अधिमुचना एव देगांक- 812/री-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 02,03,2028 हारा. राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-वेटलावद-धांदला लएव एपुर माईको छद्दहन रिंधाई परियोक्तना के अंतरीर आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी. 2 तक निर्हाई जाने दाली छी.ए -2 माईन नहर <u>में जल</u> परिवहन हेतु ग्राम- सन्दला, प.ह.नं.-89, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहरील-झाबुआ, जिला--आबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डवट को ,बेछरने के प्रयोक्त हेह आंतेसूबना को संलग्न अनुसूची में दिनिर्दिष्ट धूनि में उपयोक्त के अधिकार के अर्थन की इस आग्रव की घोषणा की संलग्न अनुसूची में दिनिर्दिष्ट धूनि में उपयोक्त के अधिकार के अर्थन की इस आग्रव

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिन्द्रंक 17.08.2023 को प्रकाशित को गई तथा कलेकर, राधम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटेश खेडे के साथ ग्राम मंचयत एवं संसंधित अप के लोक सनामय स्थल पर अधिसूचना चस्या कर इसकी सुचना भूमित्वणी/अविभोधी को भी दी गई है ।

अर २५, एक्ट अधिनियम की धारान न की उपधास (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूनि नें उपयोग का शाधिकार राभी जिल्लंगमों के मुक्ट होकर, राज्य रास्कार में जिहित होना .

ন্টিলা	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा कर्माक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ ग्राम— रान्दला, प.ह.नं.—89,	568	0.020
			567	0.035
\$1 D.W			563	0.010
1.2	11		. 560	0.040
1.12			552	0.008

ः अनुसूची ः

w(∓ 1 ]

1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- सन्दला,	565	0.043
		प.ह.नं89,	564/2	0.013
	1.10		554/2	0.028
			564/1	0.030
			554/1	0.020
			551/5	0.010
202	- D.		546/5	0.010
1 2 2			551/4	0.002
	1		551/3	0.010
			547	0.020
			548/1/1	0.005
1 A.	1. 1. 1. 1. 1.		542/2	0.010
1.01			540/5	0.010
			540/10	0.015
1.1.2.9			540/7	0.010
1 10° 178	1		540/6	0.010
100			538/1	0.013
1			540/2	0.005
131	Service 1		540/4	0.010
1			540/3	0.010
Sec. S. 1	1		535/3	0.010
			535/2	0.015
1.1			536	0.020
			534	0.020
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			532	0.005
	12-14		452/2	0.015
37 1	24 10		452/1	0.015
	- Section -		451/2	0.020
1.2	1		451/1	0.014
115. S. I	0 25/20		450/1	0.008
11-21-12-1	-	कुल योग	35	0.539

### ua क. 2809-सि-1-1, अर्जन-2024-स.प्र.२०, 152-ब-121-2022, 23

प्रका थ

### (नियन ६ देखिए )

असरम मजप्रयेश भूजेंगरा पाइंपलाईम, संगल एव ढनट भूमि के उपयोधना के अधिकारी का अयोग) अधिनियम, 2012 (कमायल 5 लगु 2013) (जिसे इसने इसके परवार, प्रका अधिनियम के नाग से निर्दित्त किया गया है) की पान 3 को समयप (1) के अधीन जासे राष्ट्रम आधेक री की अधेश,तना गंद क्रमांत्र- १८४/पी-1/मू-उद्यंत्र/२८२३ फानुरु, दिनांक ८८.१३.२०२३ हाल, राज्य खरवगर ने नवेंद आङ्ग्रा २८०० र अंदला संरहारकर पाईको लड्वाइन लिवाई परियोजना के अंतर्गत आई.मॅ.मी.टी.-। के ४ ई.मी.मी.टी.-७ शत्क निष्ठाई जाने आजी डी.एम.-२ पाईप तहन की लेजर नईनर पहुंच २<sub>०१</sub> कगाल-२५ <u>वे जन वरिवान केन</u> ग्राम--फुटिया, प.इ.म.--63, रा.मि.मं. --02, यल्याणपुरा, तहसील-झादुआ, जिला-झाबुआ के भुकेत प्रहंगलहंग केमा एवं wore की खिलाने के प्रयोजन हेनू अधिरहन की संसान अनुसूची में 2 नेहिल मुन्नि में कमानेता के अधिकार के उलेन की इस आगत की रोषण की है ।

और यह अभिमूचना राजपंच में दिनाक 17.08.2028 को जन्मणित को गई तथा कर्तकर र छन् अधेकारी, सहरीजदाः कार्यजन के मोटिर होड के साम वान पंचाया एवं स्वभिर जान के लोक समागन रुपल का अभिन्तुवना करने कर इसको सुवना भूमेस्वाले/अधियोगों को भी दी नई है ।

असरन अन्य अनि केन्य की भाषान थ की उपपास 🚷 सान, पाईपलाईन, विष्ठाने के लिए भूमें में खबबांग का अधिकार सभा केल्ला में से मका ठेवल, राज्य करकार में गिहित होगा ।

જિલા	પ્રક્રાઈ શ	ः अनुसूचीः २१म / पश्चमरा घरका दशके	खसरा कृ-Ch	चपगोग के आवदाह के हिंगे अलिंव की आने वार्श्ट भूनि डिक्टेबर भी
1	2	ā	4	S
ज्ञाहुआ	ज्ञाहुआ	ग्राम-फुटिया,	354	0.030
	123/57	4.6.793,	402/1	0.010
	2-1-1		101/3	0.030
	5.5115	F	103/2	0.010
	1	Sun I	403/1	0.030
		1 +	374	0.035
			255	810.0
			256	0.010
		E	216	0.640
			371	0,020
			254	0.020
2			215	0.020
			214	0.070
			212/3	0.005
(1) (1)			205	0.018
			158/3	0.010
			158/3	0.010
			158/3	0.010
201		E	153/3	0.020
-			154/3	0.015
			115	0.058
			143/1	0.050
		E	155/4	0.010
			154/2	0.015
			1.54/1	0.015
			153/2	0,060
Sec. 1. 1.			142/2	0.030
0.0			142/1	0.030
		ৰ্যুক্ত থাঁয	28	0.649

प्रके के. 2811—री—।—मू—अर्जन—2024—राम्रामः - 151 ० 121 2022—23 > २०४५ - घ

(निधम क देखिए )

अत्तर्य अध्यद्वदेश भूनिगत पाईनलाइंग, केवल पूर्व उक्ट (गूने के उपयोकत के अधिकारों का अर्जन) अधिनियन, 2012 (कमांक- 5 रान 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उकत अधिनियम के ना के निर्दिष्ठ किया गया है) की घरा 3 को जन्मारा (1) के अधित जारी सक्षम प्राधिकार्श को अधिभूषना पत्र कमांक- 747/री-1/भू-उर्धन/2023 झाडुआ, विनांक 02.03.2023 हास, राज्य करकोश ने नर्मदा-झाडुआ-पेटलावव-धांदलान सरवारपुर माईग्रों जम्पहन सिंगई जरियोजना के अंतर्गत आई.बो.पी.टी. 1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक किंगई जाने वाली डी.एम. 2 पाइंग नहर को लेक माईनर भाईन नहर क्राइंक-23 में जल परिवहन हेतु ग्राम-खेड़ी, पाहान.-88, सा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूनियत जाईपलाईन, केवल एवं उक्ट को किंगने के ज्योजन हेतु 2 विश्ववना को संजन्म अनुसूची में निनिर्दिष्ट भूमि में उपयोजता के आधिक र के कर्जन को इस आरथ की घोषणा की है ।

और यह अधिजुबना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, समय अधिकारी, राहसीलदार कार्यालय के गोटिस बोर्ड को आध ग्राम पंचायत एवं सर्वधित ग्राम के लोक रापागम स्थल पर अधिलूचना घरम कर इसकी सूचमा गूमेरचारी/अधियोगी को मी तो गई है।

असएय, एक्त आधिनियम की धाश- 4 की खगधरड (1) डार, पाईगलाईन, बिलाने के लिए भूगि ने जपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, सच्य सरकार में निहित होगा ।

ग्निसा	ਰੋਡ ਵੀ ਦ	ग्राम / पदवारी हल्का कमांक	खसरा कर्माक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
I	2	3	4	S
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-खेड़ी,	417	0.063
		प.ह.न88,	416	0.045
1.2			415/3	0.045
41.341	en3en	अग्र प्रभू।, प.इ.न88,	415/2	0.035
		4.0.1.00,	385	0.015
•	1. 2.	-	376	0.010
		कुल योग	06	0.211

# ः अनुसूची ः

		ः अनुसूची ः		11 marian
তি চন	પ્લયમથ	थ्रागः / मटकारो हल्का कर्माक	च्छरारा कमाँक	उपयोग को अञ्चिक के लिये अर्जित को चाने वाली भूनि (हेक्टेरंथ नी)
J	2	3	4	\$
जानुआ	झानुआ	ग्राम-	530	0.005
		नवापाड़ा	529	0.036
	1.2 60	नवीन,	494	0.043
12.6	19-5-	प.ह.न82, -	49.5	0.013
			293	0.008
		1 1	489/2	0.625
			490	0.043
			485/1	0.023
			444	0.023
			442/4	0.005
	_		442/3	0.025
			442/2	0.005
			451	0.038
			452	0.008
			436/3	0.233
			436/2	0.038
			236/2	0.005
			436/1	0.021
			435/1	0.038
			435/2	0.008
			24	0.033
			23	0.525
			9	0.009
			22	0.028
-		कुल योग	24	0.527

भौर ६६ अधिकृतना राजपक में दिशांक 17.03.2023 को प्रकारित को नई तथा कलेजरण सकत अधिकारी, ताहसीतवार कार्यातय के नेडिंक चीडी के लाल ग्राम पंचायत रथे (बेदिन सान के लोक जनायत स्थल पर अधिसूच्या अरण कर इलकी सूरणा भूमिस्ट में / अदिगीरी को भी ची नई है।

View अनुसूर्यी में सिनिसिंग मूनि में तस्वोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस असम की संवभा को

गाम से गिदिष्ट किया गमा है) की थास उनकी सम्पन्ध (1) के आपीम आरी पंथम आधिकारी को आधिसूराना पत्र कमांग्रम 742/शिमा/भूम-अर्थन/2023 झालुआ. दिनांक 05.03.2023 हाश. राज्य राश्कार ते मर्गद म्झालुआ लेकलावड सार्यजा-सरवाशपुर माईस्रो उद्देश्वर दिवाई परिवेजना के अंतनस आईसी पी.टी.मर के आई.श्री.म.शी.म्य कर दिछाई जाने वाली टी.एम.म्य गाईन के94 <u>ते जान</u> प्रतिहान हेतु याम नवापाड़ा नकीन, प्र.ह.ग**म्बर, प्रानि.मं.न्वर, कल्याणपुरा, वालीकि-आपुआ** फिजा-हालुआ में भूमिगर्स एई.फी.इ.केवल एवं जवत को विष्ठान के प्रधीलन केतु जीवर्युग्रना क

पद्म क्र. 2813- री - 1—भू—अर्जन- २०२४—रा.प्र.ङ —160-ड—121—2022-23 प्ररूप— २

ŧ.

### (िय<del>म</del>-6 देखिर)

का अर्जन) अधिनियन 2012 (क्रमाफन असन् 2013) (लिसे इन्हर्ग इसके नरवात लाग अभिनियन के

रातरब कम्प्रदेश भूगेपत गई कहिन, केवल एव जनस (मुनि के वच्चोव्स) के अधिकारी

पत्र क. 2015 🕄 1-भू-अर्जेन-2024 रा.प्र.क.-149 🖣 121-2022-23

```
्ररूप– घ
(निधम–ठ दैस्टिए )
```

अवएन मध्यप्रदेश भूमियत पाईगलाईन, केवल (वं उनस (भूनि के राययोक्स के अधेक) का अजान) अधिनियन, 2012 (कनांक- 5 सन् 2012) (जिसे इसनें इनके पश्चम, उक्त अधिनियन के नान से निर्देश्व किया नया है) की धारा 3 की उपयास (1) के अधीन जांसे स्थाम प्राधिकारी की अलिसूचना पत्र कमांक- 797/री-1/फू-अर्डन/2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा, राज्य रारकाय ने नर्मता-सायुआ-पेटलादद आवआ-सरदारपुर गाईको खद्यायन सिंसाई नरियोजना के कांसगंट आई.बी.पी.से.-न से आई.बी.चे.टे.-२ एक बिलई जाने वाली टी.एन.-२ सईप सहय की लेन्द्र मार्हनर पाइंग् नडर कनांक-12 <u>में चल परिवदन हेन</u> ग्राम- सातबिल्ली, प.इ.सं.- 71, स, नि.मं.--02, कल्याणपुरा, तहसील- झाखुआ, जिला-झाबुआ में भूमिनत मईनलाईन कंदन एव जल्द को दिछने के प्रयोगन हेनु अधिसूचना को संतरन अनुसूर्य में दिनिदिक भूमें में रापयोक्त के अधिकार के अर्थन की इल जरा की बेर्फन की से क्ष्रा की में

अंध तह अधिनूचना राजगव में दिनांक 17.03.2029 को प्रयोशित को भेद तथा कलंक्टर, लक्ष्म अधिकरी, तडसीसदार कार्यालय के नोटिल बोर्ड के साथ राज पंजावत २० संबंधित ताम के लोक राजगत स्थल २२ अधिसूचना करपा कर इसकी सूचना भूमिल्लामों/अविभौगी को भी दी नई है :

अतरण, एक्त आधिनियम को बारा १४ की जनभाषा (1) द्वारा, पाईमलाईन, विछाने के लिए भूमि में रापयोग का अधिकार सभी तिरलंगमों से मुका होकर, भाषत अंशकार में निहित होगा ।

जिला	तहसील	ः अनुसूयाः - ग्राम् / पटयरा हल्का कमांक	खसरा कर्माक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर गें)
J	2	3	4	5
झाबुआ	इााबुआ	ग्राम-	139	0.030
	ee nie	सातबिल्ली,	138/2	0.060
		प.ह.चं.— 71,	135	0.032
			129	0.023
			127 30	0,070 0,035
			29	0.020
			27	0.010
			12	0.010
			11	0,020
			10	0,060
			3	0.050
		कुल योग	12	0.420

und इत. 2817 - রী-1—मू—अफ्रीन - 2024—রা प्र.३५, ±157—म- 121—2022—23

 $g_{\rm NM} = \Pi$ 

## (नियम 6 देखिए )

असएन मध्यप्रवेश भूगिगत पाईनलाईन, क्षेत्रल एवं टक्ट (-ूी. से जमगोवन्ता के अधिगारों २१ अजॉन) अप्रिंगियग, 2012 (फमर्फन, 5 शांभ 2013) (सिंग्रे इस्तों इस्तते पश्चात उक्त आभितियन के नाभ से भिर्दिका किया गया है) की धारा 8 की उन्छारा (1) के अधीन जारी साथग प्रार्थनगरी की अधिसूचना पश्च कमांक - 777/२–1/गू-अजंन/2023 सामुआ, दिनांक 02.03.2028 हास, राज्य २ स्कार ने नामता–आमुआ–गेतलायन-बांदलन संपर्यत्पुर भाईको जच्चरता सिंगाई नरियोजना के अस्ति आई.भी.भी.सी. -1 से आई.भी.मी.सी-२ सक भिरूई जाने वाशी औ.एम. २ माईप नहर की लेज्छ माईगर गाईन नहर उक्तांक-12 में जल परिवान हेत ग्राम–नरवालिया, भ.इ.स.–72, श.नि.मं. –02, यज्याध्वपुच्चा, राष्ठसील–डााबुआ, जिल्ला–झाबुआ ने भूंगेगरा पार्डस्वाइंग, कंश्व रंग ठक्षर को विल्लन के प्रयोजन हेतु अधिसूधना को सलप्त अप्रदुर्ध में गिलिटिक्ट भूपि में जमजोवना के अस्ति को इंग्रेन रहे प्रयोजन हेतु अधिसूधना को सलप्त अप्रदुर्ध में गिलिटिक्ट भूपि में जमजोवना के

अपित तह अधिरपुर्वना कलपत्र में दिनांक 17.08.2023 को इकारिय की गई तथा कलंकर, सभम अधिकपो, अडरीनियार कार्यालय के मोटेश बोर्ड के लाथ जोगे मयस्यत इव रावविज इत्य के लोक समायग रखल वर आंधेरपुर्वना वरूप कर इराकी सुर्वना सुपिरधानी/आधिसोग) को भी वी गई है ।

अत्तरेय, जनत अधि नेवन की घाराम ४ की जनसंख (1) द्वारा, माईपकाईन, जिल्लों के i8ty कूंथे में जननोरा ४५ अधिल्वर सभी विल्लगर्फों से दुक्त ओकर, राज्य संस्कार में निष्टित होगा ।

ব্যি <i>জ</i> ।	राइसील	ः अनुसूचाः ः ग्रामः / पटवारी हल्ला कमांकं	श्वरारा कथांक	ওদায়ান ক आधकार के लिये शणित की फाने वाली भूमि (हेक्टेथर में)
	2	3	4	5
<u>इत्राज</u> ुआ	जानुआ	ग्राम	367/3	0.018
	2	नरवालिया,	365/5	0.033
		प.इ.न72,	365/3	0.026
	1. 1. 2		365/2	0.024
			365/1	0.021
	_	+	361/2	0.010
			334/6	0.010
1.50			334/5	0.025
			334/7	0.004
		334/8	0.022	
1.01.213			255	0,033
		T T	250	0.080
			121/1	0.018
			121/2	0.010
			124	0.040
			123	0.004
		T	125	0.010
			126	0.010
	1	-	129	0.009
			153	0.020
			130	0.008
		-	1.52	0.015
			151/2	0.065
		कुल योग	23	0.455

∿ङ का 2819—री—1 भू—आजंग 2024—रा.प्र.डा.—156 ड—121 2022–25 प्रकार— थ (मियस—6 देखिर )

> अतरर मरगम्बंश भूनिगत पर्डपक्षईन, केवल एन लक्ट (भूनि के उपयोगता के अविभारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (ब्लगज़ 5 त्रन् 2015) (जिसे इसने इसके वस्त्रात् चका आधिनियम के नाम से निर्दिग्ते किया गया है) की धारा 3 को जम्बा रा (1) के अधीन जारी, जश्म प्राधिकारी की अधिसूचना पन्न कनांक- 772/श-1/भू-शार्जन/2028 ब्रावुआ, दिनांक 02,08,2023 हारा सज्य सरकार ने नर्नचा-आयुध्ध-पेटलावद-धांवला रन्शापुर माईको उजवडन सिंचाई अस्योजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-२ से आई.बी.पी.टी.-२ तक दिशाई जाने दाली जी.एम. २ पाईम नहर की लेक्ट राईनर पाईन नहर कनांक-23 में जल परिवहन देव प्राम-नवापाड़ा, पाह.स.-87, रा.नि.मं. -02, कल्याणधुरा, तडसी.ल-झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिवट सइंग्र्लाइन केबल एवं इक्ट को थिखने के प्रयोजन हेव अधिसूचना को सलज अनुसूची में विभि.ईष्ट भूमे में उपयोगता के अधिश्वर के उर्जन की इस आग की दोशा की है

> और पह अदिराज़्यना आजन्त्र में दिनांक 17.63.2023 को प्रकारित को गई तथा करोत्रचर, रंग्सन अधिकारी, इ.ट.सीलपार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ धाम पंथायत एवं संवधित ग्राम के लोक सनामम स्थल ५र अधिसुरू ( चरमा कर इसकी सुबना पूनिस्तानी / अधिभोनों को भी दी राई है ।

> अतरब, जब्द अधिनियम की धालन र की रुपयारा (:) इन्श, याईप्रताईन, बिधाने के लिए भूमि में उपयोग, का अधिकार सभी विद्योगनों से पुक्त होयल, स्वय राज्यार में निष्ठित होग्य ।

জিলা	तहसील	ः अनुसूचाः ः ग्राम / पटवारी श्वत्का ज्रमोर्भ	खसरा कर्माक	उपयोग के अविकार के लिये शब्दित को जाने वाली फूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम—नवापाड़ा,	652	0.055
au3-u		प.इ.न87,	650/1	0.011
			644/1	0.019
			647	0.017
			646	0.029
	-		635	0.030
		640	0.020	
			638	0.010
	1 C 1 C		624	0.028
			622	0.038
		194	616	0.063
			615	0.015
			567	0.056
		कुल योग	13	0.391

: अनसची :

पत्र 🖂 २९२१ - १) - १ - भू - अर्जन - 2024 - २१.प्र.क. - 155 -- ब -- 121 - 2022 -- 23 प्र रूप -- घ

#### (नियम e देरिप्ए )

अस्तून मध्यप्रदेश भूमिगत नईपशाईन. केवल एवं कल्ट (भूमि के वपयोग्सा के अधिकाने का शर्वन) अधिनियल, 2012 (कमांक- ७ प्रान् 2013) (विसे इसनें भ्रशने मध्यात ठका अभिन्तिम के नाग से निविष्ट किया गया है) की कार ७ की उपपाल (१) के अधीन वारी भयाम प्रथिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 787/श-1/भू-अवॉन/2023 द्वायुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वाला चल्य सरकार ने नर्नदा-अधुआ-मेहलावव आंदक-सरवाधपुर नाईको उद्याउन सिखई पश्चिंग्लन के अंतर्गर वाई.वी.वी.ती-1 से उद्देश्री.पी.टी.-2 तक विध्यई वाने वाली थी.एम.-2 लईन नहर की लेपट पाईनर पाई.वी.वी.ती-1 से उद्देश्री.पी.टी.-2 तक विध्यई वाने वाली थी.एम.-2 लईन नहर की लेपट पाईनर पाई.वी.वी.ती-1 से उद्देश्री.पी.टी.-2 तक विध्यई वाने वाली थी.एम.-2 लईन नहर की लेपट पाईनर पाई.वी.वी.ती-1 से उद्देश्री.पी.टी.-2 तक विध्यई वाने वाली थी.एम.-7 लईन नहर की लेपट पाईनर पाई.वी.वी.ती-1 से उद्देश्री.पी.टी.-2 तक विध्यई वाने वाली थी.एम.-7 लईन नहर की लेपट पाईनर पाई.वी.वी.ती-1 से उद्देश्री.पी.टी.-2 तक विध्यई वाने वाली थी.एम.-7 लईन नहर की लेपट पाईनर पाई.वी.वी.ती-1 से उद्देश्री.पी.टी.-2 तक विध्यई वाने वाली थी.एम.-7 लईन नहर की लेपट पाईनर पाई.वी.वी.ती-1 से उद्देश्री.पी.टी.-2 तक विध्यह के प्रार्थ पाई.एम.-7 नहर की लेपट पाईनर पाई.वी.वी.टी.-1 से उद्देश्री.पी.टी.-2 तक विध्यह के वाली थी.एम.-7 तेवल की लेपट पाईनर पाई.वी.वी.ही. वाहर्य क्रमांक-31 में जल परवहन के द्याय- थूं.दी.पाइ.व. ए.छ.चें- तथ.दीन. के इंच उक्त को विक्रने को मयोगण हेद अधिनुल्क को जेलग्य अनुसूची में वितिबिष्ट यूंग्रि ने उपयोक्ता के उत्तिकर के अर्जन की इंग आग्रय की पोष्टा की पोष्टा की है :

योर ६४ अधिकुल्मा राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई लक्ष कड़ेनेटर, सदाम अधिक से, तडसीलदार कार्यालय थे नोटिस बोर्ड के साथ साम पंचायत एवं संबंधित साम के लोक समागद स्थल पर आविकुल्मा करना कर इसकी सुप्रमा भूमिस्वामी /अदियोगी की भी जे गई है ।

अस.(२. ७२त अधिनियम को आरम्म ४ को ७गधाल (१) क्रम, पाईपलाईन, क्षिण्टने के लिए भूमि में रजन्योग का आधियतर सभी विल्लभानी के तुनन होकर, राज्य अरकर में निष्टित होता ।

জিলা	त्तहश्रील	प्राग / षटयारी हत्का कंगोक	रत्ररारा कर्माक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झावुआ	झाबुआ	ग्राम—	914/2	0.015
-		गुंदीपाड़ा,	915/4	0.003
	1 1 CHZ	प.इ.न 79,	915/3	0.020
			916/3	0.020
	1.		915/2	0.010
		-	829/1	010.0
		1	826	0.024
		100	82.5	0.020
			824/1	0.015
			735	0.003
	1		736/8	0.020
			736/5	0.050
			736/2	0.030
			594/2	0.028
			72.5/2	0,010
	A Contract of the second se		723	010.0
	1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		722	0.005
	-		593/2	810.0
			594/3	0.020
	1.00		595	0.054
			600/5	0.040
	-		623/2	0.060
			621	0.010
		1	627	0.020
			617	0.090
		कुल योग	25	0.587

पश्च क्र. 2823—श्री 1…मू—अर्जन—2024 स्टाप्राक—154 स्वे−121—2022, 23 प्ररूप घ रिका—6 देखिए )

अगरन भध्यप्रदेश भूनेतत पाईनल.इंन, केश्ल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्त के अधिकारों भग अर्जन) अधितियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चत् एथरा अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किय: यया है) को धारा 3 की उपधास (1) के अधीन जारी रक्षिन प्राधिकरों की अधिसूचना पत्र क्रमांक– 782/री–1/मू-अर्जन/2023 झानुआ, दिनांक 02.03.2023 हार, सज्य रारफार ने नर्नदा-प्रावुआ–पेरतावद आवंका–रारदास्पुर माईको छद्वहन सिंचई परियोजना के अंधर्गत आईवी.पी.टी.–1 से आई.बी.पी.टी.–2 तक बिछाई जाने थाली डी.एम.–2 भाईर नहर <u>ने जल</u> परिवहन हेतु ग्राम–कल्याणपुरा, प.ह.न.–83, रा.नि.मं.–02, कल्याणपुरा, तहसील–झाबुआ, जिला–झाबुआ में भूमिनत धाईपलाईन, केश्रल एवं डक्ट को बिधाने के प्रयोजन हेतु आधेर्थ-+। को सलग्न अनुस्टो में किन्तोंदेष्ट भूगि में लगयोक्त के अधिकार के अर्जन की इर. आध्य को मोषणा की है ।

और वह अधिशूलना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, सहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ चान पंचायत एवं संबंधित आर के लोक सनागम स्थल पर अधिसूचना धस्पा कर इसकी शूचना भूमेस्यामी/अधिभौगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्ता अधिनियम की धाराम 4 की उपधारों (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिखने के लिए भूभि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य रूरकार में निहित होगा ।

जिला	<b>ल</b> एसील	ग्राम / पटवारी इल्का कमांक	खसरा कमांक	चपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम—	564	0.060
		कल्याणपुरा,	565	0.070
		प.ह.न83,	586	0.068
4.1.1.3	1000		619/1	0.020
		San ali	619/2	0.030

ः अनुसूची ः

1 ויודי]

1 1	2	1 3 3 4 2	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम	632	0.003
angen	2	कल्याणपुरा,	631	0.035
		प.इ.न83,	636	0.020
	_	4.0.1. 00,	635	0.005
- L. I			637	0.043
			638	0.010
			646/2	0.058
	12.1		646/1	0.080
			694	0.030
	1.		696	0.015
			783/2/1	0.010
			783/4	0,005
			767/1	0.008
	2 3.14	E. E	766/4	0.010
	1002		762/1	0.010
	1		766/5	0.005
	17 19 1		762/3	0.008
		P	766/3	0.010
	125		762/2	0.005
	1.5000		766/2	0.005
	1.1528		769/2	0.605
	PLOPES III	E Contra E	762/5	0.008
	12.25		769/1	0.005
	1.1.223		770	0.015
	0.83.5		765	0.003
	10-33		762/6	0,008
	1. 2000		762/4	0.008
	1.42.20		757	0.075
	1000000		744/5	0.010
	1		744/8/J	0.040
	112300	1	744/7	0.040
	i sente		749	0.005
	Contraction of the		266/1	0.020
	1.67.1.1		244	0.040
	1000000		245/1	0.035
	1000		246/1	0.034
	192.23		247/2	0.060
	1.4911		175/2/2	0.017
	-	+ +	170/1	0.014
		-	170/2	0.050
		-	160/2	0.054
1. 1.	100	1	152/2	0.030
		-		0.018
			152/1	0.010
	-		151	
		कुल योग	49	1.247

पन्न २० 2825—री—1 भू अर्जन—2024 रा.प्र.क.—153—३—121 2022—23 प्ररुप— च

(नियम ४ देखिए )

अल्एन मण्डप्रदेश भूभिगत पईनलाईर, केंबल एवं खयर (भूनि के रणयोक्स) के अधिकारों का आर्ड?) अधिनियम, 2012 (कानंक- 5 सन् 2013) (किसे इसने इसके उड़शन सरत अधिनियम के नाम से निर्दिश किया गया है) की पारा 3 यो अधधारा (1) ये अधीन जारी सक्षम प्रधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 757/री-1/मू-अर्जन/2023 झाट्टरा, दिनांक 02.03.2023 हाला. राज्य सरकार ने नर्मदा-टाहुआ-पेटलावद-मॉग्लल-तरवारपुर नाईको अव्दरतन सिंबाई परिवोजना के अंतर्गत आई.वी.गे.टी.-1 से आई.वी.सं.टी. 2 तक बिटाई जाने वाली की.एन. 2 पाईप नहर <u>में धाल</u> पारिवडन <u>केंत</u> प्राम-भगरदा, प्र.ह.न.-84, रा.नि.मं-02, कल्याणपुरा, राहसील-झानुआ, जिल्ला-झाबुआ में भूगिंगर पाईनलाईन, केंबल एवं उद्दार का बिएन के प्रयोजन के प्रतिमान मानुआ, सरकार के प्रान्त में दीनिर्दिश्व भूमि में उपयोक्ता के आदिकार के अर्जन की इस आश्रम की घोष्टन को ह

और यह अधिकुचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, समन अधिकारी, एडसीलदार कार्यालय के नीटिस बोर्ड के साथ गाम भक्तत एवं संबंधित ग्राम के लोक समरूप स्थज पर रुधिसूचना बरमा कर इसकी सूचना भूमिल्तनी/अधिनोगी को भी वी गई है 1

अतएव, उक्त आंगेनियम की धार- 4 की जनभाषा (1) द्वारा, पाईमलाईन, बिछने के

টি'ল:	राहसील	ः अनुसूचीः अभ / पटवाश हल्कः क्षमांक	खसरा कर्माक	रुपयोध के आयिकाए के लिदे अधित की जाने वाली पूनि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाधुआ	झावुआँ	ग्राम-भमरदा,	512/1	0.005
1.50		प.इ.च84,	513	0.028
	1.1.2		514/3	0.023
			489	0.040
			493	0,005
	L	+ +	494	0.025
			495	0.026
	-		393	0.030
			389	0.010
			390/3	0.025
			387/3	0.025
			385	0.010
			384	0.005
	0.0		383	0.020
			380/2	0.003
		कुल योग	15	0.280

·· अनमनी ··

शिए मुटि में उपयोग का अधिकार सभी दिल्लंगनी से मुक्त होयन, श्रज्य रारकार में जिहित होगा ।

০৬ জ. 2827 ই—1—9, ওার্জন—2024 –ই.ম.ফ. 161—ট. 121—2022 23 হল্ডেন ম

# (नियन-६ देखिए )

अतएन मध्यप्रदेश भूमिनट पहुंपलाईन, केवल एवं इक्ट (मूनि, के रपनेवता के अधिनातें का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- इ.स.न. 2019) (जिसे इसले इसके प्रस्तात उक्त अधिनिय के नाम से निविंग्ध किया गया है) की चारा इ को जगधाश (1) के अधीन जारी स्थाग प्राध्यक्षों की अधिसूचना पत्र कमांक- 797/श-1/भू-कर्जन/2023 झाबुआ, दिशीक 02.08.2023 झाल. राज्य राज्यार है तर्नेदर-अ बुआ-पेटलावद-श्यंदला अध्यारपुर गाईलो एप्यछन सिंगई परियोजना के अंतर्गत आई.वी.पी.टी.-1 से आई.पी.पी.टी.-2 सक दिखई जाने वाली डी.एम.-2 पाईन नहर की लेपद भाईनर पाईग नहर कनांक नह एमं उसकी राज्य होने पाईन दाल दिखई जाने वाली डी.एम.-2 पाईन नहर की लेपद भाईनर पाईग नहर कनांक नह एमं उसकी राज्य होने पाईन नहर क्यांग, एल.एस्टएम.-5 में ज़न परिवर्डन हेतु स्थान- ढेवर, प.ह.नं.- 71, सा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ जिला-झाबुआ में गूपिन्दा पईपलाईन, केवल ६वं डक्ट को विछाने के प्रयोजन हेतु आंध्यसूचन को संतरन बनुकुमी में विनिहित्व पूर्वि में एपयोक्ता के अत्येगर के उर्जन की इस शक्षय नी घोषणा की संतरन बनुकुमी में विनिहित्व जूनि में एपयोक्ता के अत्येगर के उर्जन की इस शक्षय

और यह अधिलूचना राजगध में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्सर, राष्ट्रभ अधिकारी, तर्रसीलदार आर्गालय के सोटिस दोड़े के राज आम पंचायत एम संबंधित प्राप के अंक समागग स्थल पर अधिसूचना चल्का कर इसकी सूचना भूनिस्वाणी/अधिमोगी को भी की गई है ।

अत्यथ्व, उक्त अधिनेगम की घोरान 4 की उपभाष (1) प्राय, पाईपलाईन, जिलने के लिए पूर्णि भे उपयोग का आंधिकार अभी मिल्लंगभों से पुगर होकर राष्ट्र सरकार में निष्टित होगां ।

ডিলো	तहसील	ः अनुसूचाः ग्राम / पटवारी इल्का कगांक	खसरा कमांक	खपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झानुआ	ग्राम– ढेबर,	1560	0.056
4		प.ह.नं 71,	1540	0.011
			1535/1	0,022
		1.4.0.82	1534	0.020
			1533	0.044
	1	+ +	1526	0.020
			1.527	0.033
	Contraction of		1519/1	0.043
			1480	0.030
			1479	0.005
			1476	0.011
		कुल योग	11	0.275

एव क्र. 2820- श्रे 1 - भू–शार्टन–2024–NLS.dv.−160–न−121 - 2022–23

⊊জ্य− स

### (निधम । 5 देखिए )

अत्एव नकाइदेश शूरियत पाईपलाईन, कंगल एव उच्च (शूनी के स्परोतन) के अविकासें ला अलंग) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन, 2015) (जिसे इसमें इसके मरुवाद लतन अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की घरा 5 की चन्फता (1) के शधीन जारी शधान प्रतिव्यासें अधिसूचना पत्र कर्मायम 752/सी-1/भू-अर्जन/2023 झाहुआ, दिनांक 02.05.2023 डास. राज्य सरकार में कर्मदा-झाहुआ-मेदलादव ध दक्षा-सरकारपुर नाईको उदयहन लेखेर परियोजना के अंतरात आइ.मे.फी.टी. 1 के आई.बी.पी.टी.-2 तक विछाई जाने वाली डी.एन.-2 एइंग् नहर की लेपट मईनर आईन भडर कार्मजन्ड1 में जल परिवहन हेतु ग्राम- एजनपुरा, प.ह.में.- 79, सा.नि.में. --02, कल्याणपुरा, तस्सील- इग्रहुआ जिला--झाहुआ में श्रीमेच पाईपलाईन, केवल एवं लख्ट को बिजाने के प्रयोजन हेतु अधेमूचन को संसन्त अनुसूची में शिविदिष्ट भूति में उपयोक्स के अंद्रेकार के अर्जन की इस आशय की घोषाना की है ।

और वह अधिसूचना राज्यात्र में दिसांक 17.83.2029 को जन्मरित की १५ तथा कलेक्टर, २४४न अधिकारी, तहतीलवार जन्मलिय के मौटिर मोर्ट के साथ ग्राम प्रथाशक एवं एंग्रेविन आम के शोक समामन स्थल पर अधिभूच- ( चरना कर इसकी सूचना भूनेस्थाओं/अधिशोमी को भी दी गई है ।

अतरव, उच्च आंधेनियम की धासन 4 की जपायता (1) ज़रा, पाईपलाईन, विद्याने के लिए भूमि में खपसीन का अधिकार सभी विरूप्तिनों से मुख्य होकर, राज्य सरकार भे निहित होगा ।

जिला	ਗਖ਼ਦੀ ਯ	याम / पटमारी हल्का कमांक	थासरा कर्मांक	खपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-	46	0.00B
	1.1.1.1.1.1	एजनपुरा,	54	0.042
	12	प.ह.न 79,	55	0.023
			56	0.010
		1.80 - 201	74 76/2	0.079 0.090
			96	0.016
			84/2	0.016
			83/4	0.010
			83/9	0.010
			83/8	0.003
	1000		83/60	0.005
			83/7	0.020
			83/6	0.018
			83/5	0.014
	U.S. U.S.U		83/1	0.005
		कुंल योग	16	0.319

यत्र क. 2831—रो—1—मू—अर्जन- २८२४ -रा.प्र.२०, 159 -व—121—2022—23 प्ररूप— घ ग्रीवेटम—6 देखिए )

और यह अधिसूधनः राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर लक्षम अधिकारी, तहसीलवार कार्यालय के गोटिस बोर्ड के राथ प्राग पंचायत एवं लंबंधित ग्राम के लोक सनागम रथल पर अधिसूचनः चरपा कर इलकी सूचना भूनिस्वानी/अधिभोधी को भी दी गई है ।

अत्तएव, सकत अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (:) द्वारा, पाईमलाईन, विछाने के लिए भूनि में उपयोग का दक्षिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

জিলা	तहंसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	खपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली शूमि (धेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम —	250	0.025
		खेरमाल	249	0.005
			242/2	0.030
		प.इ.न. 92	242/1	0.048
0.5		कुल योग	04	0.108

न≫ 35, 2833 - री—1—97ू २ फॉन—2524—रा.प्र.म., 158—ब 121—2022 -23

দ্বন্থনা ম

(नियम-6 देखिए अत्तएए मध्यप्रवेश भूमिगत पाईपलाईन, केपल एवं डक्ट शूमि के उनयोरना के अधिकारों गा २०१४) अधिनियम २०१२ (जनांग- ६ सन् २०१३) (विरो इक्तों इसके एस्वास् तका अधिनियम के भग से लिहिंबर किया गया है) की दास 3 की उपयास (1) के आधीन जानी रक्षन प्राधिकक्षी की अधिसुकन ४४ व्यांक - ७४१/सी-१/मू-शर्जन/२०२३ ४१हुआ, दिन्हांक ०२.०२.२०२३ 'होर' राज्य करणगर ने चर्मदा झानुआ--वेटलणद-धावला करदासपुर माईक्रो सदयहन लिंगाई प्रतेयोजना के অন্তর্শন আছিখাঁ,এঁ এ.–१ বাঁ, আই গি ২টটো- ৫ কেচ খিচোই আলি পালেঁ। জীবনা -৫ কাইন লচন লগি জনত माईगर पाईंग सहर कम के-12 में जल परिवहन हेतु ग्राम-झरनिया, प.इ.स.-72, श.नि.म. -02, कल्याणपुरा, तहसील-आदुश, जिला-झाबुशा ने भूमेलत पाइंपलाईन केवल एवं डक्ट को थिआने के क्लंबन हेतु आंधेकूष्टना को संसम्म अनुपूर्व में निनिर्दिष्ट भूमि थे उक्टेकन के अधिकाः के अलंग की इन आषाय को भोषभा को है

और यह रुभिसूचना राजनअ थे दिनांक 17.03.2023 को प्रचलरीत की गई तथा कलेवरण रुधम अधिकणे, तहरीलवार कार्यातक के घोटिस बोडे के राभ्य ग्राम पंचायत एवं संसंधित यान के लोक लमागफ स्वात पर अधितूचरा प्रत्य, धार इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधियोग) को भी की 48 🕏

अतरण, एवक अधिनियम को धाराम व को उपघार। (1) मारा, पाईपलाइन, जिलने के त्विर पूर्वि में समयोग का अविकार श्रमी किल्ले भो से मुख्य शोकर सच्या सरकह में विदित होना ।

जिता	तस्थील	ग्राम / धटवारी इलाग्र फर्भाक	खसरा कगांक	उपयोग के अधिकार के लिथे अर्थित की जाने माली मुमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	्रमाबुआ	ग्राम- झरनिया, प.ह.न72,	247/1	0.051
			166	0.038
	120150		162	0.018
			161/2	0.010
			173/1	0.010
			161/1	0.010
			172	0.030
			160/1	0.010
			175	0.025
			121/6	0.014
			121/8	0,008
		121/7	0.008	
			121/9	0.019
		121/5	0.004	
			12.2/3	0.016
			122/4	0,012
			123	0.025
			115	0.008
			77	0.035
			76	0.083
		फुल योग	20	0.434

मन्न इत. 2635- हें - 1-सू--अर्जन-2024 - N.9.इत.--163--ब - 121 -2022--23 -

### (निवन-६ देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूनिगत जईगलाईन. केवल एवं उक्ट (भूमि के उपनौचता के कविकाशें का उत्तांन) अधिनियम. 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (लिसे इसमें इसके प्रधान, उश्त अधिनियन के नाम से निर्देष्ट किया भया है) की धारा 3 की अपकास (३) के उचीन आरी राक्षम प्राधिक से को अधिसूधना भन्न कमांक- 607 / से-1 / भू-अर्जन / 2023 झाक्षुआ, दिनोक 62,03,2023 हास. राज्य सरकार ने मर्मदा-झानुआ-पटलायद-आंदला-सरवायुर नाईको स्वकृटन सिंगई प्रस्थिभना के अतर्गत काई.नी.फी.टी.-1 से आई.की.भी.टी.-2 तक बिठाई जाने वली डी.एन. 2 पहले नडर की लेका माईनर पाईन कर कमांक-22 में जल परिवडन देव प्राम- बरोडर, प.ह.नी.न 88, सा.नि.फी. -02, क्रेक्याणपुरा, लडसील- झाबुआ जिला-झाबुआ मे भूभिगत पाईरलाईन, लेकन एवं स्वरत को बिठाने के प्रयोधन हेतु अधिसूचना को सजस्य अनुसूची में जिन्हिंग्रेट भूनि में जगरेका के असियार के अर्जन की इत्त अधिस्थ की पोषण को है ।

थीर यह अपिसूबना राजपत में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलंकटर, रक्षत अधिकारी, तहसीलवार कार्यालय के केंट्रिस बोर्ड थे साथ याम वंधायत एवं संबंधित आनं के लोक जगामभारत पर अधिनूचना करन कर इनकी सूचना भूनिस्वती//अधिभोगों के भी दी गई है ।

अत्तएम, उका अधिनियम की धारान थ की जन्मारा (\*) द्वारा, पाईचलाईन, शिक्षके के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार रूपने शिल्लोनमें से मुक्त होकर, राज्य सरकार में लिडित होगा ।

<u>ि</u> ला	जोश्मित जोशित	ग्राम / पटवारी हल्का वन्धरंक	खसरा कर्माक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- बरोड़,	330	0.023
		प.ह.न. 88,	333/1	0.020
1210			329	0.010
1.1			336	0.025
			337	0.030
T	- 3	-	348	0.105
			355/5	0.020
		1	356	0.008
			452/1	0.038
			451	0.047
		-	450/J	0.090
			448	0.040
			447	0.030
			446/2	0.018
		-	446/1	0,018
		कुल योग	15	0,522

ः अनुसची ः

সকলেন্দ ঘ

मञ्जक, 2837–री–1–मू–अर्जन–2024–रा.ब.क., 162, 4, 121–2022–23,

इफ्लप− च

#### (ियम-४ देसिए )

अतरंघ मध्यप्रदेश भूगिकत कईप्रशाईन, छेदल एवं सकट भूगी के तमयोका के अविलायें का सर्चन) अधिनियन. 2012 (क्रमांक 5 तत्त 2013) (चिंसे इतनें इतने परणत् जनत अधि नेथन के नाम से निर्दिश किया गया है) की गांस 3 की खरवास (१) के अधील लारी राजम प्राधिकारी एंग अविसुधना एवं व्लावंक- 202/एँ-1/फू अर्खन/2025 झाठुआ, दिनांक 02.03.2025 हार, भाव्य भरकर ने नगवा-वायुआ-पटलावद-पांदल-स्कतारपुर माईको एकटरा नीचाई गरियोजना के कीरानेंग आई.बी.पी.टी.-2 तक विरुद्ध लाने राती छो.एम.-2 वाईन गर्द्य जनते के केस्ट्रेजी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक विरुद्ध लाने राती छो.एम.-2 वाईन गर्द्य जनते के केस्ट्रेजी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक विरुद्ध लाने राती छो.एम.-2 वाईन १४ प्रथ कन्नकी देवट नाइंनर पाईन नहर कगांल-31 में जन परिवान हेत् साम-गोपालपुरा, प.ह.न. -81, सा.नि.मं,-02, कट्याणपुरा, तहसील-झावुआ, जिला-झाबुआ में जुनेतन पाइंग्लाईन, केव्व ६वं उत्तर को विधाने के प्रथानन हेंद्र अभियुचन को संत्रण्य अनुसूती में गिनिर्देश्य भूपि, में रुपयोच्या के अधिकर के अजन की इस आरंघ की घोषण को है ।

और यह अदिसूचना राज्यत में दिनांक 17.08.2023 को प्रकाशित को पई तथन कलंडटर, तसन अधिकारी, सडकीलपार कार्यालय के नोगिक बोर्ड के साथ थाम नवानत ५४ सदमित शाम के तोक जम्मगण स्वत पर अधिक्तूचना चन्या कर दरको सूचना भूनिस्ताने/अधिमोगी का फी दी गई है

अलएक समत अधिभियन की मारम व की उपयन्त (:) हाता. पाईगलाईन, विष्टाने के लिएं भूमि में उपयोग का अधिकार राभी किल्लंपनी से पुरात इंग्लर, सरक सरकार में विहित होगा ।

খিল	য়চলীল	ग्राम :/ पटवारी इलग कर्नाक	खसरा क्षमॉक	उपयोग के अयिकार के लिये अजित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम—गोपालपुरा, प.ह.न.—81,	150%	0.018
			27	0.013
	12.1		21/1	0.010
	1.2		21/2/3	0,041
	1.196.1	A San	22	0,027
		作 亡	23	0.628
			18	D.017
			150/3	0.025
			150/2	0.025
			135/1	0.018
			136/1/1	0.005
			132/1	0.015
			132/2	0.015
			132/3	0.005
- 2			45/4/1	0.010
			45/6/2	0.013
			45/2/3	0.008
			126	0.042
			50	0.060
			9/1	0.040
		कुल योग	20	0.435

ः अनसची ः

पत्र छ. 2839–दी—1—ग, अर्जन 2024–दा.प्र.छ.—160—म∘ 185 2022—23 प्रस्तम— घ (नियम ६ देखिर)

अलएव नध्यप्रदेश भूमितत पाईपलाईन, कंबल एवं ७७८ (हुने, के उपयोक्त के आयेकारो का अर्चन) अधि निगत. 2012 (कृमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात अग्रव अधिनियम के नाम से निर्दिश्च किया गया है) की धारा 3 की जगशास (1) के अयीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 823/री-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 डास, राज्य सरकार ने तर्मता-झाबुआ-पेटलायद-धांदला-र रदारपुर आईश्रते सदयहन सिंचाई परियोजन के अंतर्गत आईसी,पी.टी. 1 से आई.बी.गी.टी.-2 तक बिठाई जाने थाली डी.सग.-2 पाईन नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - तलावनी प.छ.न. 92 श.नि.मं. 02 कल्याणपुरा तहसीले-झाबुआ जिला झाबुआ में पूरियत पाइंपलाईन, केवल एवं उक्त को बिछाने के प्रेयोजन हेतु अधिसूचना को संतरन अनुसूची में विनिर्धिश्च थूनि में उपयोक्त के अर्जन की दश आशय को नोथन की इंग्राया था के अन्त्र की प्रायान हेतु

और यह अधिशूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम अधिकारी, चहरीलियार कार्यालय के नोटिल बोर्ड के साथ ग्रम्भ पंचायत एवं संबंधित ग्रान के लोक सनागम स्थल पर अधिसूचना अर्था कर इसको सुचना भूमिस्चमी/आधेभोगी को भी दी गई है।।

अतएव, एक्त अखेनियम की धारान 4 की उपसारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, दिफानें के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी दिल्लंगमों से नुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

जिला	तइसील	ग्राम / पटवारी हल्का कंगोक	खसरा कमांक	जपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	तलावनी 42	432/2	0.010
			428/1	0.060
	(		432/1	0.038
			433	0.030
		A CONTRACT	425	0.020

ः अनुसुची ः

4325

# मध्यप्रदेश राजभ%, दिगांक 13 शितम्बर 2024

H.	LĤ.	-	L .
	1.1		

जिला	ವ್ರಾಣಿತ	ग्रांस / पटवारी हल्का कमांक	ख संर्थ कृमांक	खपरोग के अधिकः के लिगे अर्जित की जाडे बाली गूमि (डेक्टेपर में)
1	2	3	4	5
झालुआ	झाबुआ	ग्राम -	429	0.003
4		तलावनी	339/6	0.003
		प.इ.न. 92	038/3	0.025
			331/2	0.026
_			330/4	0.024
			275	0.010
			276/5	0.020
			276/3	0.005
			276/6	0.010
			276/2	0.018
			284	0.046
			229/4	0,019
	1		229/1	0.018
	83		231/2	0.036
			229/3	0,003
	-		231/1	0.020
			230/1	0.008
		1 POLD	234	0.025
			227	0.019
			223/1	D.033
		International English	222/1	0.017
	5		221/4	0.060
	1.1.1		219	0.021
			58/2	0.000
			364	0.023
			55	0.045
	1.1		53	0.026
	1251		58/1	0.035
			76	0.025
	S		87/2	0.004
			38/3	0.020
			38/2	0.013
			38/1	0.020
			27	0.023
			26	0.019
	20000		25	0.013
			23	0.055
-11-1-2			15/2	0.040
~		1	17	0.000
			6/4	0.027
			6/2	0.033
			6/5	0.019
			6/6	0.023
			6/3	0,026
		कुल योग	49	1.149

पत्र क. 2841–चै–1–भू–भर्जन–2024–च.प्र.ल.–165–म–125–2022, 23

(नियम्मद देखिड़) अतरव मध्यप्रदेश भूमिगत मईपलाईन, केबल दुवं हकट (गूमि के उपयोक्त के अधिकारों का अर्थोन) अधिनियम, 2012 (अमांकन 5 पान 2013) (जिस्ते इसके प्रस्थान कक्षा अभिनेश के नाम से निर्मिश्च किया गया है) की धारा 3 की उपयास (1) के अधीन कारो सवाम प्रेंदिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांकन 818/री-1/मू-अर्जन/2028 झाबुआ, दिनांक 02.03.2028 झारा, राज्य सरकार ने नर्नदा-झाबुआ-पैटलावद-आंदलन करव पुर माईकी अवरहना लिंचाई परियोजना के अंतर्गत आईडी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक विधाई जाने वाली डी.एन.-2 मईम नहर में जुल परिवडन डेव् ग्राम - आमलीमठार प.ह.न. 85 रा.नि.मं. 02, कल्याणपुरा सहसीलि--भीबुआ जिला झाबुआ में भूगिमर पाईनलाइन, केवल एन ज्यट को विधाने के अयोजन हेयु अभिरोतना को संतर्गन अनुसूची में गिनिदिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के जजन की इस आश्च को घोषण को हो ।

और २३ अभिरायना राजपत्र में दिनरंक 17.03.2023 को प्रशासित की भई तथा ललेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहस्तीलवार कार्यलय के भोटिस बोर्ड के साथ राम पंचारत एवं संबंधित १ भ के लोक रागणग रथल पर अविरायना वरपा कर इनकी सूचना गूगिरदायी/अधिगोगी को भी दी यह है।

अतरंग, उक्त आधेनियन की धाराम ४ की उपधास (1) द्वास, पाईपलाईन, भिष्मने के लिए मुने में उपथोग क अधिकार सभी किल्लोगमों से मुख्त होकर, राज्य सरकार में लिडित होग्य .

টিলা	तहसील	ग्राम / पटवारी इल्का कृष्णविः	खसरा कर्माक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली मूमि (हेक्टेयर में)
I	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम —	420/5	0.013
		आमलीपठार प.ह.न. 85	420/4	0.011
200 2			406	0.013
			408	0.050
40. 50		1	403 0.030	0.030
		É T	402	0.033
			393	0.050
1.1.1			394	0.020
-			397	0.003
			396	0.008
		कुल योग	10	0,231

:: अनसची ::

प्ररूप च

पत्र का 2843—री- 1 भू अर्जन−2024—राष्ट्र थ. 0011—रि−121−2023 24 प्ररूप 14 (नियर—8 देखेए)

अतएत मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डवट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों ५० अर्जन) रुशिनेथग. 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नफ से निर्दिष्ट फिया गया है) की धारा 3 की उपयास (1) के अधीन सारी सक्षम प्राध्विकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1288/री-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वास, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरवारपुर माईक्रो उदवहन सिंघाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 (ग्राम-दौलतपुरा प.ह.नं.-50 तहसील- रामा, जिला- झाबुआ) से आई.बी.पी.टी.-1 (ग्राम- छोटीखरडू, प.इन. 35, तहसील- रामा, जिला- झाबुआ) से आई.बी.पी.टी.-1 (ग्राम- छोटीखरडू, प.इन. 35, तहसील- रामा, जिला- झाबुआ) से आई.बी.पी.टी.-1 भूगिगत पाईगलाइन <u>में जल परिवहन हेतु ग्राम</u> बामन सेगरितया, प.इ.नं.- 61, रा.नि.मं. -01, झाबुआ, राहसील- झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केवल एप डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची ने विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोश्या की है :

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 05.05.2023** को प्रकाशित की गई तथा फलेक्टर, शक्षम अधिकारी, तहसीलवार कार्यालय के नोटिस कोई के साथ ग्राम पंचायत एवं सबंधित ग्राम के लोक समामय रश्रज्ञ पर अधिसूचना चरना कर इसकी सूचना मूमिरवाणी/अधियोगी को भी ती गई है

करोएव, उनत अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) धारा, पाईपलाईन, बिछाउे के लिए मूर्फि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लागमों से मुक्त क्रेकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

ডিলো	त्तवसील	ग्राम / पटदारी इल्का कमांक	खसरा कर्मांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झावुआ	झाबुआ	ग्राम–	120	0.020
		बामनसेमलिया, प.ह.नं.— 61,	119	0.058
		कुल योग	02	0.078

## : अनुसूची ::

4> p. 2825-री-1-भू-अर्जन-2024-₹.5.4>. 0009-व-121-2023-24.

बरूए— रः

#### (गितम–6 देखिए)

अतरण मध्यप्रदेश भूमिनने पे इंनल ईन, लेबल रवं इत्यद (भूमि ले उपयोतन के सहिकारों का उल्लंग) आदेनियन, 2012 (क्रमाक— 5 सन् 2013) (जिसे इक्तमें इसके पश्चात उन्तर आधिनियम के भाम के निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की राष्यान (1) के अधीन लारी रुवन प्राधिकारी को अहिसूचना पत्र कमांक— 1276/री—1/भू-अर्जन/2023 आबुआ, दिनोंक 05.04.2023 द्वार, राज्य राष्यार के वर्तत्त-इज्युअ—देतलावद-शावर्खा—तरव स्पुष्ट माईको एवंदावर: तिलाई अस्थितना के अंतर्पत के वर्तत्त-इज्युअ—देतलावद-शावर्खा—तरव स्पुष्ट माईको एवंदावर: तिलाई अस्थितना के अंतर्पत के वर्तत्त-इज्युअ—देतलावद-शावर्खा—तरव स्पुष्ट माईको एवंदावर: तिलाई अस्थितना के अंतर्पत के वर्तत्त-इज्युअ—देतलावद-शावर्खा—तरव स्पुष्ट माईको एवंदावर: तिलाई अस्थितना के अंतर्पत की वर्तत्त-का विमान, पाह,न,-45, र्स,नि.मं.-03, पास, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ में भूमिनत पाईपलाईन, केवल एवं उक्त को बेखाने के प्रयोजन रेत्तु अधेसूचत को संलग्न अनुसूचों ने विनिर्देष्ट भूमि में अपयोलता के दक्षिल र के बार्जन की इस आशत की घोषण: की है

और यह अग्निसूचना राजधत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की यह संभा कलेक्टर, स्ट्रन अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नौटित होते के साथ ग्राम पंचयत रहे संबंधित आभ के लोक समाध्य स्थल पर अधिसूचना घरना कर इसको सूचना थूमिल्यारी /अधिगौरी को भी यो गई है ।

अल्एय, चब्त्त अधिनियम की धासम 4 की जन्मारा (\*) हास, पहुंपल ईन 'बेछाने के तिए भूमि में उमयोग का अधिकार सभी दिल्लंगमें से मुक्त ठोकर, राज्य सरकार में निहित होता ।

জিলা	तहसील	ग्राम / पटवारी उल्का फमौक	खसरा कमांक	छपयोग के अधिक: के लिये अर्जित की जाने बाली भूमि (हेक्टेशर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम—बांकी,	208	U.008
2000		प.इ.न45	204	0.010
St. 1.		1.5	203	0.034
18		201/2	0.023	
12 C 1			202	0.014
		5 1	4/1	0.028
3		1	45/2/1	0.059
		1	48/2	0.058
		1 6	45/1	0,060
	1.1	1 - 5 - 1	48/3	0.040
			47/2	0.015
			31/1	0.019
			24/1	0.045
		कुल योग	13	0.413

### प्ररूप- रु

(िंसम्-७ देखिए ) अग्नरूप मध्यप्रदेश मूभिगत पाईपल.ईन. क्षेत्रल एवं जन्मर (मुभि क्षे प्रण्योक्ता के अधिव्यानें

और वह अभियुषमा राजपत्र में दिनांक 65.05.2023 को प्रकारित की मई तथा कलेग्डर, सक्षम अधिकारी, ततलीलवार कार्यालय थे - \2\1 बोर्ड के रूप साम पंचायत एवं संबंधित जान के लोक जमानम स्पन्त पर अधियूचन, तत्व कर इसकी शुचना भूतिलामें/ समेभेगी को भी दे - ई है।

ठतरव, चक्री अधिनियम को भाषाम ४ की चाहारा (1) द्वारा, पाई-शाहेन, विकाने के जिब भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विष्यंगणों से मुख्य डोकर, शाव्य १.९४४१ में किहेत होना ।

ितरु।	নভর্ত্তাল	राभ / पटवारी उलाग फनांक	सरत कार्जक	चपयोग के रूपिकार के ठियि अजिंत की जाने गाली मुभि (हेक्टेस्थ ने)
τ	2	3	4	5
झाबुआ	זויזצ	ग्राम-खेडली,	53	U.036
		<b>प.ह.न.</b> —21	55/2	0.055
1.2.1			55/1	0.048
			99	C.079
12.24			19	0.010
1		3	98	0.075
			94	Q.004
6 I			86	0.018
			89	C.014
			88	0.014
			24	0.044
		E	23	0.023
		1 1	21	0.038
			141/15	0.013
			108	0.082
			116/7	0.01.4
			116/1	0.028
2.51			117/6	D.046
100			158	0.022
		भुल योग	19	0.613

पत्र छ. 2849--%: 1---भू--अर्जन- २०२४--स.म.ज.-०००७: २-१२१--२०२३: २४

प्ररूप- ४

#### ( 9.कीर्ड 8-माउली)

यत्तएव मध्यप्रदेश भूमित गईमलाईन, केवल ५६ डक्ट (गूर्वि के उपयोक्त, के आवेकाशें क कवागे) अभीनियम, 2012 (कनाफ ठ कन् 2013) (किसे इसमें इसके प्रश्चात उपर वाधिनियम के नान में 'ने देख किया गया है) को भाष, 3 की उपवर, (1) के अधीन जारी स्वम्भ प्राधिक से की वाधिभूचना पत्र करांक- 1268/श-1/भू-अप्रेल/2023 आहुआ, दिसोक 05.04.2028 हाए. राज्य सरकार में नगरा-जाबुआ-पेटलावव-थायतः--सरकारपुष मर्थको एएयहन सिंघ है परियोजना के अतर्गत की.सी. 1 से पी.६स.-5 तक बिछाई जाने तजी सी.एम. 2 सुमेनत धाईमलाइन <u>में,</u>काल परिवरन केंद्र ग्राम-प्रयामपुरा, प.इ.स.-45, शा.नि.सं.-03, पारी, तहसील-रोमा, जिल्ला-डाबुआ में भूमियत प्रद्रंगताईन, केवल एवं उटन को बिछाने के प्रयोजन के द्वारायकी चोंदणा को सलगत अनुसूची में सूमियत प्रद्रंगताईन, केवल एवं उटन को बिछाने के प्रयोजन के द्वाराय की चोदणा की सलगत अनुसूची में सिश्चिट जूनि में स्वायोग्या के अप्रेलाए के अर्वान की इंच आधाय की चोदणा की से 1

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिसोक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा अलेकर, रक्षम अधिकारी, तहवीलवार कार्यालय के मोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित प्रम छं लोक रामागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी∕अधिभोगी को भी दी गई टे ।

डत्तएव, धक्त अधिनियम की माराम 4 की जनसजा (\*) डास, पाइंपलाईन, विडाने के लिए भांध में अपयोग का अधिन्त्रर सभी जेल्लनमाँ से मुझा होकर, राज्य करायर में निभिन्न होगा ।

जिला	ਸਟਵੀਰ	ग्राम / पटधारी उल्फा कुमांगः	खसर। कमांक	उएयांग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (रेक्टेयर ने)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामाः	ग्राम-श्यामपुरा,	375/3	0.011
~	1.12	प.इ.न45	375/2	0.015
			358/1	0.005
	1.4.4		359/2	0.039
	1	l l	350/1	0.015
-	-		358/2	0.004
		359/8	0.005	
		F	360/2	0.005
			361	0.025
			353	0.014
-			244	0.083
			242	0.014
			239	800.0
			241	0.044
-			223	0.008
			225	0.023
- N - 1			226	0.032
1.1.1.1.1		न्छुलं योग	17	0.352

### ः अनूस्यी ः

पत्र का 2861 सिम्नन-भू-अर्जन-2024 साम्राज्य-0008 < 121-2023-24

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम. 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निदिष्ट किया नया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जाशे राक्षण प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक– 1263/री–1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा. राज्य सरकार ने नर्मदा–झाबुआ–पेटलावद–धांदला–सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.–1 से पी.एस.–5 तक विछाई जाने वाली डी.एम.–2 भूमिगत पाईपलाइन <u>में जल</u> <u>परिवहन हेतू ग्राम–धांधलपुर. प.ह.न.–34, रा.नि.सं.–03, पारा, तहसील–रामा, जिला</u> झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल रचं उक्ट को विछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न शनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इरा आश्चर की घोषणा की है ।

और यह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 05.05.2029** को प्रकाशित की गई एथ कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कर्यालय के नोटिस धोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं अंबंधित ग्राम के लोक राग्तगर स्थल पर अधिसूचना चरना कर इसकी सूचना भूमिस्टामी/आधेमोगी को की दी गई है।

अत्तएव, उक्त अधिनियम की धारा- ४ की ७५७११ (1) द्वारा, पाईपलाईन, विधाने के लिए गूगि में उनकोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

জিল্য	त्तरुसील	ग्राग / घटवारी इल्का क्रमांक	खसरा कर्माक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्थित की जाने बाली मूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम–धांधलपुर, प.ह.नं.–34	625/2	0.105
			511	0.009
12.12.19			502	0.034
1.55			503	0.006
and the second			498/2	0.024
144		कुल योग	05	0.178

पत्र का 2963—री—1 भू अफोर—2024—रा.प्र.का.—0005 थ—121—2023—74 प्ररूप— घ (गियर—6 देखिए )

> अत्युव मध्यप्रदेश भुमिन्त पईण्लाईन् केवल एवं डक्ट (भूमि के एपयोल्या के अधिकारों का अर्जन) अभिनियम, 2012 (कनांक- ७ सन् 2013) (जिसे इसनें इसके प्रचार उक्त आविभिधन के नग से निर्दिष्ट किया गया है) की भाषा 3 थर्मे उपधारा (1) के अधीन जासे सराम प्रायिकारी की अधिक्षूप्रभा पत्र कर्माक- 1258/री--1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ. दिनांक 05.04.2023 जास, साव्य लस्कार ने नर्मद झाबुआ नेटलावद आंदला-सर्स्वास्ट्र माईको उदयहन सिंगई पारेथोलना के शतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस.-५ तक बिटाई जाने पाली जी.एन.-2 भूमि त मईपलाइन <u>में जल</u> परिवहन हेतु ग्राम--गोमला, प.इ.न.-34, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसीलि--रामा, जिला-झाबुआ में म्हूमेगत पाईपलाईन, केवल एवं उक्ट को बिछ ने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलर्गन अनुसूची में दिनिदिष्ट भूमि में उपयोक्त के अधिकार के अर्जन की इस अश्वय की घोषणा की

> और गए अधिसूचनः राजपत्र में दिनांक 05.05.2025 को प्रकाशित की गई तथा कहोक्टर, सक्षम अधिकारी, तहरीलियार कलांलय के भौतिस बोर्ड के साथ ग्रान मंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक रामागम स्थल पर अधेरपूचना घरपा कर इलकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोनो को भी दी गई है !

> अत्तरव्य अक्ष्त अधिनियम की धाराम ४ की उपयास (1) झारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में जमयोग का शधिकार सनो विल्लंगमों से मुख्य होकर, राष्ट्र्य सरकार में निढित होगा ।

জিলা	तहसील	भ्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कर्माक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली मूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इा।बुआ	रामा ग्राम-गोमला	ग्राम-गोमला,	742	0.040
		प.ह.न34,	741	0.015
100			585	0.020
19.20			586	0.016
		a la ser a la	587	0.010

भाग 1 ]

1	2	1930	4	5
झानुआ	रागा	ग्राम-गोमला,	588	0.017
-		प.ह.न34,	580	0.035
			573	0.014
			563/2	0.028
			559/2	0.033
			561/2	0.008
C			551/3	0.003
			540	0.054
			544	0.025
			526/2	0.014
			526/1	0.016
			527	0.005
50			.528	0.005
			532/1	0.015
1.1.1.1			530/1	0.025
			488	0.020
20.0			497	0.015
S.C			424	0.045
			427	0.025
			425	0.020
			238	0.065
0.1			242	0.050
			246	0.020
		No. Contraction	280	0.015
			247	0.030
			248	0.005
- 1		i i i i i i	279	0.020
1000			292	0.030
			277	0.050
		कुल योग	34	0.808

एज एत. 2055 - री--1---गू- अफ़ोन---2024---रा 9.30.---0004--थ - 121--2023--24

### ज्ञान— भ (गणिन—6 देखेर)

अत्तएव नव्यप्रदेश भूगिगत माइंपलाईन, केवल एवं डक्ट (धूंगे के खगवोक्ता के अभिकारों

का अर्फन) इचिनियम. 2012 (क्रमांक- 5 रान् 2013) (किसे इसमें प्रस्काप ख्या अधिनियन के नाम से निर्दिश्त किया गया है) की भारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सहम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1253/री-1/मू-कर्जन/2023 झाड्रुआ, दिनांक 05,04-2023 द्वारा राज्य सरकार ने नर्गदा- झाड्रुआ-देटलांगद-आंद्राज-सरदारपुर पाईको उदयहन सिंचाई परियोजन के अंतर्गत डी.सी.-1 से फीएस.-5 तक जिलाई उठने दाली डी.एन.-2 भूमिंगत पाईपलाइन <u>ने जल</u> प्रश्विहन <u>हेत</u> ग्राम-आम्बा, प.ह.नं.-30, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ ने मूचिराव याईएलाईन, केवल एवं इक्ट को विधाने के प्रयोजन हेतु अभितूचना को संलग्न अनुसूची में निनिर्दिष्ट भूमि ने उपयोक्त के डयिकार के डर्जन की इस आधाय की घोषण छे है ।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित को नई तथा कलेक्टर, राक्षम अधिकारी, तहरतिवार कार्यालय के नोटिल बोर्ड के राज्य यान मचायत एवं संबंधित आग के लोक समाजम रक्षल तर अधिसूचना धरण कर इसकी, रूपना भूमिस्टामी/अधिनौगी को नी दी गई है ।

अतएम, उन्ह अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (1) इ.स. पाईपलाईन, विछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार राजी दिल्लांग्रफों से मुक्ल होकर, राज्य शरकार में निहिस डोला ।

ডালা	त्तहशील	ग्राम / पटवारी हल्का कर्माल	खसरा कर्माक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	
झाबुआँ	रागा ग्राम-अ	रागा ग्राम-आम्बा,	ग्राम–आम्बा,	81/1	0.064
		प.इ.नं30,	74/6	0.009	
	1.1		61/2	0.009	
	1. 1. 1. 1. 1.		74/5	0.023	
			61/1	0.009	

1	2	NY 1833	4	5
झाबुआ	रामा	ग्रामआम्बा,	73	0.028
21301		प.ह.नं.—30,	72	0.005
		1.0 00,	60	0.028
			58	0.020
			56	0.011
			61/3	0.005
			62	0.045
			57	0.014
S			32	0.004
10 10 10			33/5	0.005
			33/1	0.010
			33/2	0.015
10.00			33/3	0.008
der al d			24/1	0.019
		1	23	0.004
	1. 1.		21	0.033
			20	0.014
	1 2 3 2		19	0.021
1	1000		13	0.034
	15.85		221/3	0.035
	-		221/4	0.060
		Distant Street	223	0.015
1		कुल योग	27	0.547

L

पुरु क. 2857—री- 1 -भू -अर्जन-2024- रा.स.क.-2003-⊼-121, 2023-24

### प्ररूप ध (नियम– हदेखिए)

अतएव मन्यप्रदेश भूगि। र पईपलाईन, केश्ल ५८ कल्ट (भूमि के उपशोग्ना के अधिलाउँ का शर्जन) अधितिरम, २७७२ (ममाक- ६ शन, २९१३) (केंस्टे इसने इसके भष्टवान ज्यत आंधे.नेतन के नात थे निर्मेष्ट किया गया है) को शास ६ की एम्साल (1) के अधीन जाते सप्तन मधिक थे जी शरिभूषणा पत्र कम.क - 1248/री-1/भू-श्रर्जन/2029 झाबुआ, पित्तीक 05.04.2023 द्वारा सप्प एरफार से नर्मता-डाहुआ-पंतरतंगर भोजला-सरधारपुर माहोतो जर्दक्षत्रन शिशाई परियोधनम के शताल श्रे.शी.-? से पी.एस.-६ तक शिम्प्र्ड जाते औ.एम.२ स्ट्रॉन्सन पश्चित्रना के शताल श्रे.शी.-? से पी.एस.-६ तक शिम्प्र्ड जाते औ.एम.२ स्ट्रॉन्सन पश्चेश्वरन <sup>के</sup> प्रतियान के जान-सरधारपुर माहोतो जर्दक्षत शिशाई परियोधनम के शताल श्रे.शी.-? से पी.एस.-६ तक शिम्प्र्ड जाते की श्रे.पन २ स्ट्रॉन्सन कर्डप्रवाहन <u>में पह</u> परिवान के जान-स्वाध्यान, प.ह.न.-27, सी.नि.मॉ.-01, सामा, सहस्तील-सम्मा, जिल्ला-झाथुआ भे भूगिक्ष मईपलाईन, कंश्वल ५० कल्ट को बिराने के प्रजेजन हेनु आंधेलूबना को संलगन अनुस्ट्रो मे विनिद्दिन्द भूनि ने जाने की अधिकार के शर्जन की हरा आपन की पीत्रना की संलगन अनुस्ट्रो मे विनिद्दिन भूनि ने जाने का अधिकार के शर्जन की हरा आपन की पीत्रना को संलग्न अनुस्ट्रो में विनिद्दिन पुन्ति में जाने के अधिकार के शर्जन की हरा आपन की पीत्रना

और यह अधितूमना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकारित की गई तथा कर्र-४२९ शक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के मोटिश बोर्ड के राज्य ग्राम पंचायत एवं मंत्रेयित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना घरण कर इसकी सूचना भूमिस्वाणे/अधिनोनी को भी पी नई हे :

अयारण, जनत अधिविधन को भारतन ४ को जन्माया (1) झाल, पाईमलाईन, डिफाने के 189ए भूमि में उपयोग का अभिव्यन सभी मिल्लनामें से मुक्त होव्वर, राज्य सरकार में विकिस होगा '

जिला	বঙ্গান	বান্দ / ঘটনাংগ সংকা কিশ্ববিদ	ত্রজন্য ¢ষ্টক	चपयोग के अंतिकार के लिये अर्जित की जाने बाली भूभि (बिचरेयर में)
1	2	3	4	5
उतनुआ	বার্শা	ग्राम-नवापाड़ा,	190/1	0.030
		प.ह.न27,	189	0.015
	11. 1. N.		190/2	0.030
	2 2 2 6 7		190/3	0.030
	1000	1000000	185	0.D15
	1	1 1	58	0.040
			188	0.020
			:187	0.040
			226	0.010
	1.		67	0.035
			62/3	0.030
			62/2	0.025
			78	0.010
			76	0.025
			80	0.020
			85/1	0.016
	1		97/2	0.013
		1	3/1	0.013
	12 11 11		85/2	0.016
	1. 1. 1. 1. 1.		97/3	0.613
			85/3	0.017
			97/1	0.013
			85/4	0.017
			-98	0.030
		कुल योग	24	0.553

ः अनुसूची :

भन्न क्र. <u>2859</u>—री—र—मु—अर्जन—2024 ारा.ज.क.—0002—बे—121—2023÷24

### अर्थल<del>म्</del> च

### (नियम क देखिए )

लतएव भव्यप्रदेश मूनि'त नाई' साईन. केवर एवं स्वट (भूने के उपयोक्ता के अधिकारें का अर्जन) अधिनियम. 2012 (कनांक— ह रान 2012) (जिमे इस्तर्ग इसके मस्याद उक्त अधिनेयम के नाम तो निर्दिष्ट किव मया है) की सांस 3 की उन्ह साई थीं, कि अर्थन जास यायम प्राष्ठिवांसे के अधितूतना पत्र कमांक— 1243/ से—1/भू—रूर्जन/2023 झाडुआ, दिनांक रठ.04.2023 हाल्. सच्च सरकार में नमंदा साहुआ नेवलाकद आवल्ट सरकसुर माईकी उद्दर्क्तम सिंगई प्रतिनेतना के असमंत उन्ति—1 के पी.एस. 5 तक लियाई जर्ज मार्ज आएर—-2 मूमिंगत कईवलाइन <u>में प्रा</u>ाल प्रतिहत हेत् प्राम—मोलाबड़ी, प.इ.न.—26, सा.नि.सं.—01, सामा, तहसील--प्रामम, जिल्ला—झाडुआ में भूनित पाईन्छ ईन, केवल व्य स्वर को विजने के प्रयोजन हेत्रु अधिकुलन के सलग्द अनुकूयी में नितिर्देश, भूने ने जमगोक। के अधिकर के अक्षंत की इल आशन की योगफ की सलग्द अनुकूयी में नितिर्देश, भूने ने जमगोक। के अधिकर के अक्षंत की इल आशन की योगफ की ह

ेरे यह अभिनुदना राज्यत्र में दिनॉक 05052023 को प्रकाणित की यह लिया कलेक्टर राष्ट्रण अधिकारी, साररोजवार क वीजय के मोटिस बोर्ड के राष्ट्र जना पर्न्न पूर्व सर्वरोन सान के लोक सनायन स्थल पर आधिसूचल चस्या कर इसको सूचना भूत्रिस्वामी/अधिनेयों को मो दी. यह है।

अलएय, उब्दा अभिनियम की भाषा- ४ तने उपमान (t) हान, पाईपलाइंग, भिश्राने के लिए भूमि में उपमोन का अभिवयन समी विस्तंतनों से पुरुष ठोकर, शब्द सरकार में निहित होगा

विन्न	वहसील	আদ / ফ্রেবারী চুলক্ষ কর্নাক	खत्तर. कमांक	डपयोग के आवेकार के हिंचे अखित की खाने धालें, सूपि (ईक्ट्रेयर में)
1	z	3	4	5
ङ्गावुआ	रामा	ग्राम—गोल्हादली,	324	0.009
		प.इ.च25,	325	0.025
		1 [	327	0.037
		1 [	301	0.040
	-	1 1	300	0.032
1		1 1	792	D.C25
			29.3	0.020
			290/1	0.012
			263/3	0.035
		1 [	269	0.008
			271	0.01^
			268	0.011
			275	0.005
		1 [	274	0.623
			279/1	0.032
			279/2	0.015
			279/4	0.023
			248	0.023
			245/1	0.090
			246/5	0.041
			245/6	0.008
1			25	0.019
			21/419	0.070
		कुल यौग	23	0.517

ः अनुसूची =

49) क. 2861–सें–1–मू–अर्जन–2024–स. ५.४८, ५००१) 4, 121–2023–24,

और यह अधिसूचना राजगत में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा अलेकप, सम्रम अधिकारों, तहसीलधार कार्यालय के नोटिस कोई के साथ ग्राम पंषायत एवं संबंधित साम के लेक समायन स्पत्न पर अधिसूचना चस्प? कर इसकी सूचना मूमिस्तानी/अधेमोंगों को भी दी नई है :

अत्तरण, ७४४ अधिनियम की कारान ४ की जनधान (1) दात्त, माईनलाईन, डिम्प्लो के

्रिए भूमि में रूपयोग का अधिकार समी विद्लंगमों से मुक्त ठोकर, राज्य सरकार में निष्ठित होगां ।

সিলা	ਕਰਾਜੀ ਦ	ग्राम / पटवारी हल्का कपांक	खसरा कर्माक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूनि हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-रोटला,	12/1	0.014
		प.इ.न25,	13	Q.018
	14.7		43/2	0,048
			40/1	0.017
			28/5	0.015
			28/4	0.010
			32	0.025
		1 0	93/1	ôE0.0
			99/17	0.019
			93/2	0.011
			93/3	0.022
			99/18	0.023
			99/4	0.018
			99/19	0.029
			114/1	0.016
		कुल योग	15	0.321

गल ३३. 2663– १० 1—मू—अर्जन - 2024–२३ प्र.क.—0023 - **4** - 121—2025 - 24

```
प्रस्त्रम— स
(निधम ६ देखिड़ )
```

अतएद मध्यप्रदेश भूमिगत पाईएलाईन, केवल एवं डक्ट (भूगि के उपयोक्त। के अधिकारों का अर्फन) अभिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 रान् 2013) (जिसे इसमें इसके परवात उक्त अधिनियम के नाग से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी स्थाम प्राधिकारी को अधिसूचना पत्र कमांक– 1348/री–1/भू–अर्जन/2023 शाहुआ, दिनांक 05.04.2023 धारा, राज्य सरकार ने नर्गदा–झाहुआ–पेटलावत-धांदला–सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंधाई वस्टिटेजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. 1 से अर्थ्हवी.पी.टी.–2 तथः बिछाई जाने दाली डी.एम.–2 पाईप नहर एवं उत्तकी दॉयी आंर की माईनर पाइंप नहर कमांक– 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम–कागलखों, प. ह.न.–03, रा.नि.मं.–01, रामा, तहसील–रामा, जिला–झाहुआ में भूमिगत पाईनजाईन. केवल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुभूधी में विनिर्दिस्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आध्रय की घोषणा की है ।

और यह अधिसूचना शजपत्र में दिनोक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, शक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिल बोर्ड के साथ ग्राम पंचर्यत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वकी/अधिकोनी को भी दी गई है ।

अतएव. उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधास (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए थूंगि में उपयोग का अधिकार सभी पिल्लंगमों से गुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हक्टेयर में)
I	2	3	4	5
झाबुआ	रामा 🗄	ता ग्राम—कागलखों, प.ह.न.—03,	272	0.030
			273	0.026
	i î		274/1	0.005
			251	0.045
			250	0.029

[भाग-

জিলা	<b>রচ্</b> ষীল	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर भें)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	े ग्राम-	238	0.023
		कागलखों,	134	0.016
		प.ह.न03,	133	0.035
		1.0.1.00,	249/11	0.013
			249/10	0.010
			249/9	0.005
			249/8	0.003
			240/2	0.007
			240/1	0.014
			43/2	0.020
			42	0.024
<ul> <li></li></ul>			44	0.014
			49	0.050
· · ·	1.1		48/1	0.009
			48/2	0.020
			152/2	0.047
5 1 2 1			58/2	0.097
			58/1	0.053
1			131	0.025
			130	0.033
			128/6	0.005
			128/7	0.048
			77/1	0.021
	A 2		79/1	0.018
			81/1	0.025
		कुल योग	30	0.770

-

णत्र ३३ २१६५ हे - 1--भू--क्षाजीन-2024--राष्ट्र प्र.--5022 - 4 - 121--2023--24

#### রক্তন- ধ

#### (नियन–६ देखिर )

अतएन मच्यप्रदेश भूनेगरत पाईपलाईन, केवल एवं उक्ट (भूमि के उन्योक्ता के अविकारों का अलेन) अधिनियम, 2012 (क्यांक– ६ रून 20:3) (विसे इतमें इसमें नरघाद उक्त अभिनियम के नाम से निदिध्न किया गय है) को आश उ की डपयास (1) के अधीन जास प्राधिकारी को अधिसूचना पत्र क्रमोंक– 1843/री–1/थू–अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 06.04-2023 झारा माज्य सरकार ने नर्मदा–झाबुआ–पटलावद–आंदला सरधारपुर नाईको राद्दतहन सिंबाई परियोजना के अंतर्गत श्री.सी.–! से पी.एस.–इ तक विधाई जाने नाली डो.एम.–? पाईप नहर की साईट गाईनर पाईन नहर क्रयाक -1! में जल परिवहन देव प्राप्त–रामा, प.इ.म.–22, रा.नि.म.–01, रामा, तहसील–-रामा, जिला–झाबुआ में भूमियत पाईपलाईन, केवल रवं डक्ट को वित्यने के प्रयोजन हेटु अधिमूचन को संसम्ब अनुमूर्य ने विनित्तिंड भूने में उपयोक्त के आवेकार के आर्थन की इस क्रम के प्रायेशन को में संसम्ब अनुमूर्य ने विनित्तिंड भूने में उपयोक्त के आवेकार के आर्थन की प्रयोजन हेटु अधिमूचन को संसम्ब अनुमूर्य ने विनित्तिंड भूने में उपयोक्त के आवेकार के अर्थन की

और वह अधिसूचना सालपत्र में दिनांक 05.05,2028 को प्रकासित की गई तेल करोभटर, संधम अधिकरी, तहत्तीलदार कर्यालय के नोटिल कोई के साथ थाम भन्मधत एवं संबंधित ग्राम के लोक जनगत स्थल पर अधिसूचना संस्था कर इनकी रचुवना मूमिरवाणी/अधियोगी को भी थी गई ही .

अतएष, अन्त अधेनियम की दारान 4 की चण्धात (1) द्वाल, पर्हमलाईन, भिक्षने के लिए भूमि में उमर्जन का अधिकार सभी विल्लंगमां से मुक्त क्रेकर, राज्य सरकार ने निडित क्रेम ।

জিলা	वरसील	ग्राग / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	छपयोग के अन्यकार के लिये अर्जिंग की जाने वाली गूमि (ईक्टेयर में)
1	2	3	4	5
आनुआ	रागा	ग्राम–रामा,	196/1	0.026
		प.ह.न22,	194	0.024
			167	0.024
			181/1	0.025
			166	0,009
आवुआ	रामा	ग्राम-रामा,	- 165	0.013
		ष.ह.न22,	164/1	0.009
			163	0.008
			162	0.008
			61	0.040
			62	0.048
			194         0.024           167         0.024           181/1         0.025           166         0.009           165         0.013           164/1         0.008           163         0.008           162         0.008           162         0.008           133/1         0.025	D.025
			133/3	0.011
			133/4	0.005
		कुल योग	14	0.275

पन्त्र क. 2867--री-1--भू--प्रार्जन--2024 -रा.ज.क.--D020--री--121--2020 - 24

### प्ररूप— य (िधम—४ देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिरत पाईपलाईन, केवल एवं उक्ट (मूमे के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अभिनियग. 2012 (फ़गांक– 5 रान् 2013) (जिसे इसमें इसके प्रस्तत् लका अभिनियम के नान से निर्दिष्ट किया गया है) को धारा 3 की उपधास (1) के अधीन जासी सक्षम प्रायिकारी की अविसूचना पत्र कमांक– 1333/री–1/भू-अर्जन/2023 आबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वार, राज्य सरकार ने मर्गदा–इन्द्रुआ–पेन्लावय–व्यांदला–स्परदारपुर धाईछो उददहन सिंचाई परियोजना के आंतर्गत डी.सी. 1 (ज्र.म.-वीजनपुरा प.इ.न.–३० तहसील– रामा, जिला– झाढुआ) से आई.वी.पी.टी.–1 (प्राम– लोटीखरज्ज, प.इ.न.–३६, तहसील– समा, जिला– झाबुआ) तक विछाई जाने वाली जी.एम–1 भूगिरत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम – छापरी प.इ.न. 37 रा.नि.मं. 03 पारा तहसी्ल– रामा जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं उक्ट को विछाने के प्रयोजन हेतु अधेसूत्रना को संलग्न अनुस्तूयी में गिनियिंक्ष भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्थन की स्वाने के

और तह अधेसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की भई तथ कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालग के नौटिस बोर्ड के साथ आग पंचायत एवं संबंधित ग्रान के लोक रामागन स्थल पर अधिसूचना करपा कर इसकी सूचना मूमिरवानी/आधिमों की भी दी गई है ।

अतएव, खक्त अधिनियम की धारान 4 की उपयास (t) द्वारा, पाईपलाईन, जिलने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सनी विल्लंगमों से गुक्स क्षेकर, राज्य सरक्षार में निहित होगा ।

টিলো	ਰਵਸੀਲ	ग्राम / पटबारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेबर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम - छापरी	310	0.025
		प.ह.न. ३७	311/4	0.038
			338/4	0.014
			338/2	0.015
			311/3	0.070

ः अनुसूची ः

জিলা	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कर्माक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम – छापरी	338/1	0.010
5		प.ह.न. 37,	338/3	0.020
			286	0.093
1 X - 2 - 1			92	0.055
			349/12	0.010
			349/11	0.016
			349/10	0.002
			349/2	0.029
			90/2	0.017
			90/3	0.005
			90/1	0.030
			82	0.079
× .	2.7		66/6	0.037
			66/2	0.031
			66/3	0.022
-			66/1	0.037
	2		59/1	0.020
	12		59/2	0.028
			58/2	0.030
		1 .	57	0.015
			60	0.029
			55	0.002
			49/7	0.029
			53	0.034
		कुल योग	29	0.842

यत्र क, **2869-री-1-मू-**अजन **-**2024-रा,प्र.यम (3019-ब-121) 2023-24

प्रकान- ध 

अतरुव मध्यप्रदेश भूमिगल अईपलाइंग, केवल एगं उक्त (भूमि के उपयोगरः) के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (ज़नांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अवत अधिनियन के नाम से निदिष्ट फिया गया है) की धारा 3 की संपंधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1328 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य **सर**कार ने नर्मदा–झाबुआ–पेटलावद–थांदला–सरदारपुर गाईको उद्वहन सिंभाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.—1 से पी.एस. 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.—2 मूनिगत पाईपल.इन <u>में छ</u>ले <u>परिवहन हेतु</u> ग्राम—झुमका, प.ह.न.—45, रा.नि.मं.—03, पारा, तहसील—रामा, जिला-झांधुआं में भूमिगत मईपलाईन, केवल एवं उत्तर को बिधाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संतरन अनुसूची में विनिर्दिध भूंनि में उपयोक्ता के अभिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और तह अधिरूचना राजपत्र में **दिनांक 05.05.2023** को प्रकाशित की गई राथ कलेव्यर, सक्षम अधिकारी, सहशीलदार कार्यालग के मोटिस बोर्ड के साथ भ्रार्थ पंचायत एवं संबंधित धान के लोक समागग स्थल ५४ अधित्तूचन यस्था कर इसकी सूचना गूभिस्वामी∕अधिमरेगी को भी दी गई है ।

अतएव. उन्त अधिनिधम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईनरुवईन, निधाने के लिए भूमि में उपयोग ५० अधिकार सभी जिल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

जिला	त्तइसील	ग्राम / पटवाशे इल्का क्षमांक	खसरा कर्माक	चपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली मूमि (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5		
झानुआ	रामा ग्राम-इ	ग्राम—झुमका,	181	0.028		
-		प.ह.न45,	139	0.005		
1.1			182	0.015		
	1.2	1 1			143	0.044
			185	0.005		

## ः अनुसूची ः

1 Million

জিলা	त्तइसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के सिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेरर गें)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम–झुमका,	189	0.018
		प.ह.न45,	147	0.017
			177/1	0.003
			176/1	0.065
			191/3	0.008
			191/2	0.006
- 2			134/2	0.033
		-	197/4	0.003
			197/3	Q.014
			197/2	0.013
			197/1	0.010
~			194	0.035
			145	0.02
-		1	149	0.005
			137/2	0.049
			118/2	0.018
			118/1	0.028
			116	0.007
			114/2	0,007
			114/3	0.006
			6/2	0.005
			7	0.034
10			9	0.04
			11	0.015
		कुल योग	29	0.556

4345

पन्न मः 2871—री—1—V\_ अर्जन—2024 (K.H.ज.=0017) व=121—2023=24

রক্রদ— য (নিখন—6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डाग्ट (भूमि के उपयोधती के अधिकारों का अर्थन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2015) (जिसे इसमें इसके पस्चाए उदत अधिनियम के भाम से निर्दिष्ट किया भया है) की धारा 3 को उपयास (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचना पत्र डमांक— 1318/री–1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ. दिनोंक 06.04.2023 झारा, राज्य सरकार ने भर्मदा-झाबुआ–पेटलावद-धांदला–रारवरणुर माईको उद्दक्हन सिंवाई परियोजना के अंतर्भत आई.बी.पी.टी.–1 से आई.बी.पी.टी.–2 तक किलाई जाने वाली सो.एफ 2 पाईण नहर एवं उसकी माईनर वाईप भहर कमांक– 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम – देवझरी पण्डा प.ह.न. 46 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील– झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईम, केबल एवं डक्ट को विधाने के प्रनोजन हेतु आधियूचना को संलग्न अनुत्त्वों में विनिर्दिष्ट भूनि ने उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आहन की धोषणा की है ।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 यो प्रकारित की गई तथा अल्पैक्टर सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस कोई के राज्य ग्राम पंचायत एवं संबंधित आम के लोक रागरण्ड स्थल पर अधिरूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूभिस्वामी/अधिनोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की लपधारा (1) साथ, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूभि में उपयोग का अधिकार सभी दिल्लंगमों से मुधन होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

জিলা	तद्वशील	ग्राम / घटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम —	21	0.009
. 4	Ū	देवझरी पण्डा	20	0.025
		प.ह.न. ४६	19	0.005
			90/1/2/1	0.015
	8 (L)		90/2	0.010

भन्ग 1 ]

জিলা	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खन्नरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम —	90/3	0.011
		देवझरी पण्डा	91	0.035
		प.ह.न. 46,	147/1	0.022
			147/2	0.011
			147/3	0.011
			146/1	0.012
			155/6	0.012
			155/11	0.011
			170/3	0.014
		1 E	146/4	0.007
			155/4	0.002
		-	155/8	0.008
			155/10	0.005
			170/2	0.020
	1.1		146/5	0.007
			155/5	0.006
· · · · · ·			155/7	0.005
			155/9	0.006
	6 11		170/1	0.006
			163/3	0.042
1			163/4	0.015
			165	0.025
- 1 I			168	0.003
			166	0.021
			194/1	0.005
			185/4	0.016
1			185/6	0.015
			185/7	0.012
	1.1		184/3	0.010
			184/4	0.003
		कुल योग	35	0.442

पत्र क. 2873--री--1--1, अलेन, 2024--राप्र क.--0015--प--121, 2025, 24

#### प्ररूप– घ

#### (नियम-6 देखिए )

अतरव मध्यप्रवद्य भूगिगत पाईपराइंग, लेकर, एवं ढवर (भूमे के उपनेक्षा के अपियांसे का अर्थन) आविंगियन, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) छिंसे इसमें इसफे प्रशान उक्ता अधिनिमम के नगर से निविष्ट किन गण है) की मारा ३ को उपनास (1) के अधीन जरी लक्ष्म प्रधिकारों को अभिसूष्टनक पत्र कमाक- 1908/री-1/भू-अर्जन/2023 आबुआ, विनोक ठटाव्यव्यव्य होन, सज्य करकार में मर्मदा-आबुआ-पटलामा-भावल- मरवासपुर एडंकी एदच्डन सिंधाई । रेथोलना के रावनीय कीसी, 1 रे आईडी.पी.री. 1 तक विग्रह जने शहर डॉ.एप्स-र पूर्वनत जर्दय नहर एवं स्टब्स के लेक्ट भाईनर पहुंच नहर कमांक-ड <u>में जल परिवहन हेलु पाम</u>- मोलर छोटी, प.इ.न. 68, स.नि.मं.--01, झाबुआ, तहसीलि- झाबुआ, जिला झाबुआ में बूनिक्टेंट ब्रुडि में उपले के को बिजने के प्रधोनन हेनु आयेन्द्रना का सत्रमा अनुसूची में विनिक्टेंट ब्रुडि में उपले के को बिजने के प्रधोनन हेनु आयेन्द्रना की संलग्न अनुसूची में विनिक्टेंट ब्रुडि में उपल् के अधीकार के अनेन की इस आयय की संबंध के संसंग्र के हे ;

और यह अभिकृषना सरापक में दिनोक 05452023 को तक पित को नई तथा फेलेफेट 14का अधिकारी, इस्पीलदार कार्यालय के फीटेंस बोट के प्राय जान पंचारत एवं सर्ववेत जान के तोक जनावन ज्वल पर आधिसुरुक परस्थ कर इलको जुबना गुनिन्दायी/अधिनोगी को भी दी धंई है।

असएए, अस्त कांधेनियम की धासम वाकी उपयास (1) जास, पाईपलाईन, जिलने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सामी विस्तायमों में मुक्त डोकर, राज्य सरकार में निष्ठित ज्ञाना ।

জিনা	ରନ୍ଦୋଟ	ग्राम ≠ १८३३% श्वेल्का किनोकि	শ্বদাখ কথাক	एपयोग के अधिकार के लिये अस्तित की बानी वाली मूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	हार्डुआ	ग्राम– गोला	502	0.038
	C	ष्टोरी,	487	D.003
		प.ह.न. 68,	485	0.041
			464	0.015
		1	499/2	0.066
		1 11	457	0.020
			408	0.010
			486	0.013
			484	0.014
			488	0.032
			417	0.004
			416	0.035
			415	G.042
	1		137	0.005
			136	0.025
			159	0.012
			140	0.008
			i×\$	0.002
			152	0.075
-			150	0.055
			160	0,099
		T	27	0.007
		कुल योन	22	0.595

ः अनुसूची =

पत्र क्र. 2876--री--1-भू--अर्थन -2024--राष्ट्र प्र... 0016--म--121, 2028--24

#### দ্বজ্ঞদ ন

### (गियन-+6 देखिप )

सतएय मध्यप्रदेश भूभेगत अईपलाइंन, केवल एवं लगर (भूभि के उपयोक्ता के शक्षिकारों क अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रनांक- 5 रान् 2012) (लिसे इसमें इसके नत्थात उक्त शक्षिनेतेयम के नाम से निविंग्स किया गया है) को भार 2 को खगवारा (1) के अर्थन जारी सहम प्राविकारी की अधिमूचना पत्र क्रगरंक- 1813/श-1/भू अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05,04-2023 डास, सच्च सरकार ने नर्नचा-झाबुआ-पटलावद-स्थल-नारदारपुर गाईको एवंदन्स कियाइं गरियोचना के क्षेत्रमंत काईबी.पी.टी. -1 से निधाई जाने वाली की.एम. 1 पाईम नहर <u>में जल परिवहन हेव</u> प्राम-धारीलीपाइन, प.इ.न.-59, रा.नि.सं.-01, झाबुआ, सहसील-झाबुआ, जिल्ला-झाबुआ में सूमिगत नईपलाईन, केवल एवं इनट को विजन के प्रयोजन हेन्न अन्ध्रभ्र को संहरन अनुसूची में सूमिगत नईपलाईन, केवल एवं इनट को विजन के प्रयोजन हेन्न अन्ध्रियना को

और वह अधिभूचना राजनव में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की भई तथा क¢ेक्टर, सक्षम अधिकारी, राइसीलदार कार्यालय के नोटिल बोडे के आध साम पंचायरा एवं संसंगित याम के लोक समापन स्थल पर अधिभूचना घरण कर इसको सुरुपा धूमिस्वामी/अधिमोनी को नौ देने बई है।

असएव, स्वतः अधिनिथम की धार - 4 को ७८५५११ (१) हास, पर्वत्रकाई। भिशने के जिए भूनि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुख्य रोकर, राज्य सरकार में मिटिन होगा १

कि ला	त्तरुभी%	য়াস / দতবাধী স্তর্কা ক্রমকৈ	ন্দ্রমব্য কন্দাঁক	एक्गोग के अधिकार के लिये भर्जित को जाने वाली भूमि (हेक्टे-दर ने)
1	2	3	4	5
झाबुआ	ज्ञायुआ	ग्राम—	249/2	0,012
Ū		चारोलीपाड़ा,	249/1/2/1	0.020
		प.ह.न59,	249/1/2/2	0.005
			249/1/1	0.031
		1 · · · · · · · ·	246	0.002
			225	0.058
		1 1	224	0.036
		1 1	187	0.074
		1	165	0.006
		1 1	166	0.025
		1 1	113	0.080
			111	0.017
			118	0.013
			112	D.012
			119	0.046
			121	0,074
		कुल योग	16	0.517

पन्न .p. 2879–री- 1 -भू–अर्जन- 2024–रा.ज.क. - 0018–ब- 121–2023–24

### प्ररूप - म

### (निजग-6 देखिए )

अलएल मध्यप्रदेश भूनिगत पाईपलाईन, केवल एमं उपर भूमि के राम्योक्ता के अधिकारों का उल्लेन) अधिनियम, 2012 (क्रमॉल– ७ रान् 2013) (जिसे इसमें इसके परचात उक्त अधिनियन के नान से निर्दिष्ट किया गय हैं) की धारा 3 की रापारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राप्तिकारी की अविसूचना पत्र कमांक– 1323/सि–1/मू–अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 06,04.2023 द्वार, पाज्य सरकार ने मर्मदा–झाबुआ–पटलावद-आंधल–सरदारपुर माईको एदयहन लिंगाई परियोजना के उत्तरीत छीसी.–1 से आई.वि.पी.टी–1 तरू विझाई जाने दास्त्री जी.एफ.–1 भूनिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप महर करांक 5 में जल परिवटन हेतु ग्राम – छापरी प.ह.न. 37 पा.नि.म. 03 पास, तहसील– रामा जिला झाबुआ में भूभिगत पाईपलाईन, क्षेबल एवं डवर को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूक्ष्या को संलक्त अनुसूची में विनिदिष्ट मूनि में उपयोल्ता के अधिकार के उन्तेन की इस अध्य की धोपना जी है ।

और ४४ अभिरूचन। राजपत्र में दिनांक 05.06.2023 को प्रकाशित की गई तथा कहेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालथ के नोटिस बोर्ड के लाख ग्राम धंवायत एवं लंबंधित राम के लोक समानम स्थल पर अधिसुचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्नामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।

असएब, उक्त अभिनिधम की धारान 4 की उपधारा (1) हारा, पाईरलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अभिकार जभी दिल्लंगमों से मुक्त होकर, शल्य सरकार में निटित होगा ।

বিল্য	तहसील	ग्राग / पश्चारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	एपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जराने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम – छापरी	58/2	0.004
		प.इ.स. 37,	57	0.023
			60	0.037
			50	0.017
			17	0.052
		1	49/6	0.071
			51	0.005
		1 · F	49/4	0,015
			15/1	0.018
			15/2	0.020
			15/3	0.016
		कुल योग	11	0.258

मन्त्र क्र. 2681- श्रे ४**—म्<sub>र</sub>—अर्जन** 2024—रा.प्र छः 0013—न्त्—121, 2023—24

#### प्ररूप थ

#### ("गेतम=6 देखिए )।

अराएग नाट्यदेश मूमिनत धईगताईन केवल रचं करत (भूमि के उपयेक्ता के अभेक्षों का उन्हेंन) अभिनियन, 2012 (कमांचन & सन् 2013) (किसे इसमें इसके स्टमाझ उक्ता आमित्यन के नास से निर्दिष्ठ किंगा थया है) की सारा 3 की जकारत (१) के अभेन जारी सभम प्राधिकारी की जविश्वचना पत्र कमांकन 1298/शेन1/भू-अर्जन/2023 झातुआ, दिनॉक 06.04.2023 जास, राज्य सरकार से मर्मदा-झायुजा-पेटलायद-धांदजा-अरशरपुर नाईको उद्दरहन रि काई पश्चिरेतना के इंतर्शत आई.दी.पी.टी.न्ड से आइंग्री.पे टी.न्ट सक विद्यार हेन्ते काले डी.एम.- 2 पाईप नडर की लेक्ट माईनर बाईची.पी.टी.न्ड से आइंग्री.पे टी.न्ट सक विद्यान हेन् याम- हूंगरालाल, प.इ.न. -50, स.नि.मं. --01, झाबुआ, सहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूनेगत फईथलाईन केवल रचे करव को बिछाने के प्रयोजन हेंदु अधित्वन को संलग्ज बन्दुश्वी में बेनिसिंध भूमें में ध्ययोवता के कविज्ञान के अर्जन होत्त अहर को धेवन की संलग्ज की दे

और यह अधितूतना राजभत्र में दिनांक psot.2023 को प्रकारित की गई तथा कलेक्टर राक्षम आंधेकारी सहसीलवार व्याप्रीलय के ओटिस बॉर्ड के राथ प्राम मंचायस एवं संबंधिस साम के लोक समापन स्थल पर अधिरूवना चस्थ कर इस्प्रोंगे सूचना मूंग्रिस्नामी/अधिनंगी को भी दी माई थे।

अलपथ, उच्चा अभिनिथन को साथ- 4 को रूपथास (1) हाथ, पाईमलाईन, बिछाने कं लिए भूभि में उपयोग का अधिकार सभी थिल्हांगणों से मुक्त डोकर, प्राज्य राजकार में निक्रेस छोगा ।

জিলা	'ਬਸ਼ਾਈ' ਗ	आप / पटबर्स इल्फा कमकि	खसरा ∳र्माक	उपयोग के संधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	ङ्माबुआ	ग्राम-	226	0.004
5.14 ···		डूंगरालालू,	224	0.003
		प.ह.न50	221	0.010
			718	<b>D.03</b> 6
			189	0.010
			211	0.020
			210/1	0.006
			200	0.015
			101	0.002
	20		100	0.030
			09	0.030
			105	0.003
			107	0.026
			119/2	0.034
			111	0.030
			117/2	0.020
			117/1	0.0Z2
		कुल योग	17	0.301

पत्र 35, 2877 - शे. 1 - मू--शर्जन-2024- २.५.७५ - 50%-- इ-- 121, 2023, 24

प्ररूप- घ (गिटन-6 देखिए )

अंशएब एक-प्रदेश भूमिरत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किंवा गया है) थे? धरा 3 की उपधारा (1) के अधीन ऊरी राक्षम प्राधिकारों की अधिसूचना पत्र कमांक- 1303/री--1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईको उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेपट नाईनर पाईप उहर कमांक-6 <u>में जल परिवहन हेत</u>ु ग्राम - बर्झलिया प.ह.न. 69 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विचिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आश्च की धोधगा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक रागागग रूपत पर आदेसूचना चरूना कर इराको सूचना भूगिरवागी/अधिगोगी को भी दी गई है ।

अलएब, जनत अधिकिरण की धाराम 4 की चमधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुख्य होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

জিল্য	राहसील	ग्राम / पटवाशी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली मूमि (हेक्टेयर मे)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम —	155	0.005
		बडलिया	156	0.027
		प.ह.न. 69	151	0.074
			146	0.065
		कुल थोग	04	0.171

## ः अनुसूची ः

| भर 1

up ab 2883--रो--1--भू--अर्जन 2024 (स.प्र.उत्त-0012--म-12)--2023 24

#### प्ररूप– घ

### (ियम–४ देखिए )

अतरद मध्यप्रदेश भूमिगत पईपलाईन, फेश्रस ५नं इनद (भूमि के सण्गोल्क के अधिकारों का आर्जन) अदिनिधम, 2012 (क्रम्शंक— 5 सन् 2013) (जिसे इंश्वम् इसके परचात् एक्त आधिनियन के नाम से निविष्ट किया पदा है) की भाषा 2 की उत्त्वाया (1) के अधीन करते लक्षम प्राधिकारी की अधिगूबना पत्र कगांक— 1293/चि—1/भू—अर्जन/2023 झाहुआ, दिनांक 05.04.2025 इन्स, रेजिंग सरकार से समेद झाहुआ नेटलादद धांदला सरदारपुर माईको अदन्दन: सिंचई परियोजना के अंदर्गत ओसी—? से आई.बी.गो.गी. 1 ६० निव्हाई जाने वाली थी.एम—! भूमिगत पाईय नहर एवं एसकी लेफ्ट गाईनर पाइंप नहर कगांक 5 में जल परिवहन हेतु ग्राम — मेलपाडा प.ह.न. 68 ए.नि.में. 01 झाबुआ तेइसीलि— झाबुआ जिला झाबुआ ने भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं टक्क को निछनों के प्रयोजन हेतु आंयेगूबना को संलग्न कनुसूची में दिनिर्दिष्ट भूमि में रुपयोक्त: के अंदिकार के अलंन को इरू आध्रय जी घोषणा की हो संलग्न कनुसूची में दिनिर्दिष्ट भूमि में रुपयोक्त:

और ०८ अधिसूचना राजपत्र में दिन्द्रीक 06062023 को उकाशित की नई तथा कलेक्टर, राधम अधिकारी, तहरीलवार कार्यालय के नोटिल शोर्ड के स.स. ग्राम पंच गत एव संबंधित आम के लोक स्थापण स्थल पर अधिसुद्रन सम्ध कर ट्रसकी सुचना भूनिरदानी/अधिनोगी को मी दी यह है।

अतएय, उक्त अधिनियन की धाराम 4 की उपधारा (1) डाया, पाइंगलाईन, दिखाने के जिए भूनि में उपयोग का अधिकार सभी किल्लंगमों से मुख्या होयक, राज्य सरकार में निहित होगा १

ট্বিলা	त्तस्त्रील	द्राग / पटवारी इल्ह्य कमांक	खसरा कर्माक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेबर में)
1	2	3	4	5
साबुआ	इशबुआ	ग्राम	348	0.025
		मेलपाडा	301	0.008
		प.ह.न. 68	343	0.054
			311	0.D18
			312	0.061
	-	T T	164	0.020
	0		184	0.018
	0 0		183	0.045
		1	177/2	0.062
			177/1	0.030
			148	0.045
			70	0.030
			149	0.008
			115	0.020
		कुल योग	14	0.434

पत्र हा 2065—री—1--गू अर्जन—2024—साम्राज्य, 0030—व 121—2023, 24 प्रक्ष्य— घ

(नेयग 6 देखिए )

सत्तएय गध्यप्रदेश मूगिगत पाइंपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अजंग) अधिनियग, 2012 (कृगांक- 5 राष 2013) (जिरो इसमें इसके प्रश्चात उक्त अधिनियम के नाम के निर्दिध किया गरत है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी अक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1223/री-1/मू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2029 हागर. राज्य लरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-आंदला-सरदारपुर भाईको छद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.दी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई उपने नाली डी.एम.-2 पाईन नहर की दौंची ओर की माईनर पाईप नहर कमांक- 11 (आर.एम.-11 में जल परिवहन हेतु ग्राम-मुण्डल, प.इ. न.-02, रा.नि.मं.-01, रामा, तहरील-रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत धाईण्लाईन, केवल एवं सक्ट को विछाने के प्रयोजन हेतु अधिरूचना को संलग्न अनुसूत्ते मे विनिदिंह्र मूनि में उपयोक्ता के क्षधिकार के उर्जन की हुर आशत की धोषणा की है ।

और वह अधिशूचना राजपत्र में **दिनोंक 05.05.2023** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, राक्षम अधिकारी, तहसीलवार कार्यालग के मोटिस बोर्ड के साथ ग्राम एंचरगत एवं संबंधित ग्राम के लोक कमागन स्थल पर अधिशूचना वरेषा कर इसकी सूचना भूनिस्वानी/अधिगोगी को भी दी गई है ।

अंतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधाल (:) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए दूंगि में उपयोग का अधिकार राष्ट्री विल्लंगमें के मुक्त होकर, राज्य चारकार में निहित होना ।

<u>जिला</u>	রহম্বীন	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कुमांक	चपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली पूर्षि (हेक्टेयर गें)	
1	2	3	4	5	
झाबुआ	रामा ग्राम-	रामा ग्राम-मुण्डल,	ग्राम—मुण्डल,	1056/1	0.090
		प.ह.न.—02,	प.ह.न.–02,	1018/6	0.008
				1018/3	1018/3
			701/5	0.023	
	1.1.1		953/5	0.025	

जिला	त्तहरील	राम / पटवारी ( इल्का कम्रांका	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3.	4	5
झानुआ	रामा	ग्राम–मुण्डल,	953/3	0.028
		प.ह.न02,	1018/5	0.029
			1018/2	0.024
			953/4	0.008
		1 10	1015/1	0.023
			1014	800.0
			998	0.033
			1012/4	0.008
	1.11		950	0.017
	-		710	0,032
			713/2	0.035
			723	800.0
	1.12		722	0.015
			724/2	0.015
			721	0.024
			748/6	0.011
			800/1	0.034
			800/2	0.031
			89/1	0.010
			805/2	0.023
			805/1	0.028
			809/7	0.018
100			809/6	0.014
			809/5	0.014
			809/1	0.043
			67	0.048
		कुल योग	31	0.747

नरु क. 2887 ∛—1—मू—अजेन—2024—¥I.ज.क.—3028 ≤—121—2023—24

яক্র∓ খ (নিধ্দ<del>–</del>6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत णईपलाईन, केवल एवं उक्ट (भूमि के उपयोक्त के अधिकारों का अर्जन) अधिनियन, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जित्ते इसप्रें इलके पश्यात, उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिश्च किया गया है) की धरा 3 की उपधारा (1) के अप्रीन जारी सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचना पत्र कमांक- 1213/री-1/मू-अर्जन/2023 आबुआ, दिनांक 05.04.2023 हारा, राज्य सरकार ने नमंदा-आबुआ-पेरलावद-धांदला सरवारपुर माईको उद्दवहन सिंधाई परियोजन के अंतर्गत छी.ती.-1 से पी.एस/ 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 मूरोगत पाईपलाइन में जल परिवहन डेत प्राम-कालीदेवी, प.इ.नं.-21, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं उक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्त अनुसूई? में विनिर्दिष्ट भूमि में अपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राधापत्र में दिमांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, राक्षन अधिकारी, तहसीलवार कार्यालय के लेटिल बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं एंबंधित ग्राम के लोक सनागग स्थल पर अधिसूचना वस्सा कर इराकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमंगी को भी दी गई है ।

अक्षएट, उक्त अधिनियम को धारान 4 की उपघःश (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगां ।

জিলা	तहर्सील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाथुआ	रामा ग्राम–कालीदेवी,	201	0.015	
		प.ह.नं.—21,	200	0.020
	1.10		199	0.030
			179	0.018
			175	0.010

 1.1	-	L

जिला	तहसील	मार्क पुट्रवासे इत्याहरू	र्थ खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3 -	4	5
ञ्चाबुआ	रामा	ग्राम-	178	0.015
		कालीदेवी,	177/1	0.D23
	10		205	0.040
		प.इ.नं21,,	180/3	0.010
			177/2	0.023
			158	0.013
			157	C.049
			156	0.035
			78/2	0.017
			154	0.005
	1.1.1.1		91	<b>D.0</b> 04
			92	D.003
1.1.1.1			148	0,008
			147/3	0.015
			144/1	0.020
			143	0.013
			142	0.007
			105/2	0.008
			104/2	D.044
			103/1/1/1/1/1/1	0.030
			105/1/1/1	800,0
	1.1.1.1.1.1		107	0.019
			24/1/1/2/1/1	0.017
			261/8	0.054
			24/1/1/1/1/2	0.0034
			24/1/1/1/2	0.0034
			24/1/1/2	0.0034
			74/1/2	0.0034
		[ [	24/2	0.0034
			46/1	0.038
	-		45/1	0.018
			18/1/1	0.005
		कुल योग	37	0.621

पुरु क. 2009 हे -1-मू-अर्जन 2024-रा.प्र.क. 0024-त-121 2023-24

#### प्रहरू- भ

### (गिटम—6 देखिए )

अतएम मध्यप्रदेश भूमिगत माईपलाईन, क्षेत्रन् एवं उक्ट (गूमि क्षे अपयोक्त के उधिकारों का अर्लन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 6 रान् 2013) (जिसे इसतें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्विश्व किया नाम है) को धांश 3 की सपनास (1) के अधीन जासी सक्षम प्राण्डिकारों के अविश्वयना पत्र कमांक- 1183/री-1/मू-अर्जन/2023 झाबुआ, विनांक 06.04.2023 डास, राज्य सरकार में नर्गता- झाबुआ -पेललावल-आंदल: सरवारपुर माईको उद्ध्वडन हिंचाई परियोगला के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक डिछाई जाने वाली डी.एम. 2 पाईर नरुर स्वं अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक डिछाई जाने वाली डी.एम. 2 पाईर नरुर स्वं उसकी दॉमी और कां नाईनर पाईप नरुर कनांक- 11 में जल परिवटन हेतु ग्राम-दुधी, प.इ.न. -04, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील--रामा, जिला-झाबुआ में भून्शत पाईपलाईन, केवल एवं इक्ष्ट को बिम्लने के प्रयोजन हेतु अंग्रेसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमि में उमयोगन के अंग्रेकर के अर्जन को इस आश्रम की घोषणा की है ।

और 25 अधिसूचना राजपश्र में दिनांक 05.06.2023 को प्रकारित की गई तथा कलेक्टर, सड़म अधिकारी, तहसीखंडार कार्यालय के चोटिस चोर्ड के लाथ ग्राम पंचाचन एवं संबंधित ग्राम के लोक समायम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इक्तयने सूचना भूगिरवाणी/अधिभौणी को भी दी गई है '

अत्तएय उक्त अधिनियन की धारान 4 की उपयास (1) द्वारा, पाईपलाईन, विधाने के ज़िए भूमि में उपयोग का अधिकार राभी विल्लंगमों से मुक्ल होकर, सान्ध सरकार ने निड़ित थेंगा ।

ঝিলা	तहसील	ग्राम / पटवाश इल्का कगरंक	खसरा कर्माक	लपदोग के अधिकार के लिये अर्जिश की जाने वाली मूमि (हेक्टेयर गे)
1	2	3	4	5
द्वादुआ	रामा	ग्राम—दुधी,	695/2	0.025
-		प.इ.न04	695/3	0.023
			674/3	0.024
			649/1	0.018
			649/2	0.050
			649/4	0.007
	1		601/3	0.019
			601/1	0.012
			649/3	0.009
			601/2	0.024
			651	0.013
		कुल योग	11	0.224

11년 87, 2889 - 한구나는 일 양년구는 2024 - R.S. 와.는 2025 - R는 121 - 2023 - 24

```
দ্রজন্ম য
```

### (নিতন-৫ এটিরড় )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट (गुगि के उपयोधता के आवेकारों का अर्जन) अधितिनम, 2012 (क्रमांक- 5 रान् 2013) (जिसे इसमें इसके परवात् उक्त अधिनियम के नाग से निर्दिष्ट थिया गया है) की घाद 3 की उदधारा (1) के अधीन ऊगरों सवाम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1198/री-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 हारा, राज्य सरकार ने मर्मदा-झाबुआ-पटलावद-धांदला-राद्धारपुर माईको उद्यहन सिंवाई परिणेजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.धी.पी.टी.-2 तक मिलाई जाने याली डी.एम.-2 पाईप नहर एपं उत्तर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.धी.पी.टी.-2 तक मिलाई जाने याली डी.एम.-2 पाईप नहर एपं उत्तली थॉथी ओर की माईजर पाईप नहर छभांक- 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम-खेड़ा, प.इ.न. --01, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं उपत को दिलाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचन को संतन्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूनि में उपनोयती के आदेलार के अर्जन की इस आशय थी घोषणा की है ।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनकि 05.05.2023 को प्रकाशित की गई सभ कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचलक एवं संबंधित ग्राम के लोक सनागर्भ स्थल पर अधिसूचन। चरपा कर इसकी सूचना भूनिश्वामी/अधिगोगों को भी दी गई है ।

अलएच, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, विछाने के लिए मूंगे में उपगोग का अधिकार सनी विल्लांगमों से मुक्त होयल, राज्य सरकार में निहित होरा।

জিলা	तहसील	ग्राम / पटवारी इल्का कमांक	खत्तरा कर्माक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)			
1	2	3	4	5			
झाबुआ	रामा	रामा ग्राम—खेड़ा, प.ह.न.—01,	1119/1	0.033			
			प.ह.न01,	प.इ.न01,	प.ह.न01,	1119/2	0.040
	1125		1125	0.103			
		1	1127	0.028			
		1 1	1151	0.027			

[ भव स

जिला	राष्ट्रशील	वास / पहतीथे हक्का कमावा	ন্ত্রজন্য ক্রমাক	चपयोग के अधिकार के सिथे अणित की अने माजी मूमि (हेक्टेयर में)
1	z		4	5
झाबुआ	যান্য	गाम>खंडा,	770	0.020
angon	1	५.७.च.—01,	772/2	0.015
			767	800.0
	1		764/2	0.049
			783	0.087
			784/1	0.020
	10		785	0.064
		- 1	794	0.033
		_	787	0.027
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	823	0.045
		-	BZZ	0.025
		-	824	D.003
		-	825	0.029
			604	0.024
	-		603	0.045
		-	585/2	0.053
			585/1	0.010
			853/2	0.014
			853/6	0.015
	-		853/5	0.017
			574/2	0.045
			853/1	810.0
			570	0.053
			<b>29</b> 0	0.013
	1		195	0.019
	1		196	0.036
		1. [	314/3	0.018
* .			314/1	0,016
			293/1	0.020
			292/1	0.010
			293/2	0.035
		1 F	199/4	0.005
	1	1 1	199/3	0.030
		1 1	200/3	0.005
		1		0.005
	1	1 1	199/2	0.010
			200/2	
			205	0.014
			204	0.023
		कुल योग	44	1.227

पत्र क. 2883-रो 1 मू-अर्जन-2024 स.ज.क.-0026 थ 121-2023-**2**4

```
সন্দশ ম
(লিকাও देखिए)।
```

अत्तएट मध्यप्रदेश भूनिगत एर्ड्यलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोवधा के अधिकारों

का अर्जन्दो अधिनियग, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (रोले इतमें इसके महमत् उल्ता अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट 'केथा गया हैं) की धारा 3 की उपक्षादा (1) के अधीन जारी राक्षन प्राप्तेकारी यो अधिसूचना पत्र कमांक- 1203/री-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 हारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलायद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्यहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत छी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक विछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन <u>मैं जल</u> परिवहन हेत<u> ग्राम-धामन्दा, प.ह.न.-03, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा,</u> जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केंद्रल एवं उक्ट को विछाने के प्रयोजन हेतु अवितृच्ना को संलग्न अनुशूथी में विनिर्दिष्ट भूभि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की दौषणा को है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 05.05.2023** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायतें एवं संबंधिस ग्राम के लोक सामगग ज्यल पर अधिसूचना चरपः कर इसकी सूचना सूमिरवामी/अधिशोगी को मी भी गई है ।

अतएव, उनक अधिनियम की धारा - 4 की उपधारा (f) हारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूगि में उपयोग का अधिकार रागी विल्लंगमों से गुका होकर, साज्य सरकार में निश्चित होगा ।

जिला	तञ्चसील	ग्राम / पटवारी इत्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली मूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झायुआ	रामा	ग्राम—धामन्दा, प.ह.न.—03,	580	0.017
कुल योग			01	0.017

पत्र क. 2895--री--1--भू--अर्जन-2024--रा.प्र.क.--0027--रु--121--2023--24

### भ्ररुम- च (नियम-७ देखिय)

वतएव मध्यप्रदेश भूनिगत पर्ह्रमलाईन, केवल एवं इनट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों क अधोन) अधिनियन. 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमे इसके पश्चात् जक्त अधिनियन के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) को धास 3 की उपधास (1) के अधीन जाशे रुक्षम प्राधिकांशे की अधिसूचना पत्र कमांक- 1208/री-1/पू-अर्जन/2023 झाडुआ, दिनोंक 05.04.2023 डाश. शध्य सरकार ने नर्नसा-झावुआ-पेटलायद-व्यांसला-शस्पासपुर गाईको उदयहन सिद्याई परियेशना के असर्गत आईबोसी.टी.-1 से आईबी.धी.टो. 2 धर्क दिखाई जाने वालो डो.एम. 2 पाईन नटर स्व ससकी दोंगी और की माइंगर पाईम नटर कमांक- 04 में जल परिवडन हेत्र ग्राम-छापसी, प.ह.न. -24. स.नि.मं.-01, समा, तहसील-सामा, जिल्सा-झाबुआ में मूनिगत पाईपलाईन, केवल एवं उक्तन को जिलन के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूधी में विनिर्दिश्व भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आश्च की दोष्टन की संलग्न अनुसूधी में विनिर्दिश्व भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आश्च की दोष्टन की संलग्न अनुसूधी में विनिर्दिश्व भूमि में उपयोक्ता

और यह अधिगुब्रना राजपत्र में दिनांक 05.06.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेकरर अक्षम कोधेकारी, तहसीलदार कार्यालय के गोतिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचयत एवं संबंधित राम के लोक सनागत स्थल पर अधिसूचना चला कर इतकी सूथना भूमिखामी/अधिभैसी को भी दीं यह है।

अतएव, उक्त अधिनियन की घाधान 4 की उन्धारा (1) द्वास, पाईपलाईन, भिष्ठाने के लिए भूनि में उपयोग का अधिकार सभी दिल्लंगमों से नुक्त होकर, राज्य करकार में निहित होगा ।

জিলা	तहर्सील	ग्राम / पटवारी इल्का कमांक	खसरा कर्माक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्थित की जाने बाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्रामछापरी,	350	0.016
		प.ह.न24	351/1	0.018
1			352	0.035
		1	354	0.004
			358/3	0.024
			362/1	0.015
			362/2	0.015
			365/2	0.003
			365/3	0.015
			365/4	0.029
			374/2	0.009
		कुल योग	11	0.183

## ः अनुसूची =

एच.एस. विश्वकर्मा, अनुकेतनोग अधेकरी

### कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश

मनावर, दिनांक 24 जून 2024

पत्र क.—1796—भू—शर्जन—री—1—2024—राप्र क.—0014—अ- 02-2022-23 प्ररुप- ध

(नियम ह चेखिए )

अल्पूय सम्प्रदेश भूमिगत आईपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के लगगोलाः के आगेकशी ज्या अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्यांक- ७ स्पन् 2013) (जिसे इसमें इसके परचात उपल अधिनियन के २.४ से निर्दिष्ट क्रिया गया है) की धारा 3 की उपधार (1) के अधीन जारी रुक्षम प्राधिकारों की अधिसूचना पत्र कनांक-163/भू-अर्जन/री-1/2023, मनावर, दिनांक 25.01.2023 हारा. शज्य सरकार ने नर्मदा-क्षाडुआ-टेटलावट-क्षांदात-रुखास्टुर माईको खत्वरूटन क्षिंचाई गरिधोजना के उपनीत पन्न हाऊल कनांक-4 से डी.सी. 2 तक विठाई रुप्तमे वाली भूमियत राइंग्लिमेन पाईपलाइन के निर्णन एवं जलसे संदर्धित जन्य कार्य हेतु ग्राम-केलीकलां, प.इ.न.-02, रा.नि.मं.-01, पंधिवान्ती, तहसील-भोधवानी, जिला-धार ने भूनिगत पाईपलाईन, कंदल एवं उक्त को विछाने के प्रयोजन हेतु आधित्त्रना को सलगा अनुसूर्यी ने दिनिदिष्ट भूमि ने स्पर्धाव्या के अधिकार के

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को उफाशित की नई तथा कलेक्टर राक्षण अधिकारी, सहस्तोलदार कार्यक्रथ के गोटिस योडे ले साथ आम पंचायद एवं संदर्धित राम के लोक समझाम स्थल पर अधिसूचना वस्या कर इलकी सूचना भूमिरपामी/अधिगोनी को भी दी ाई है ।

अत्तएन, ऊब्ल अधिनियम की धारान 4 को उक्कारा (1) आध, पाईपरगईन, बिछाने के लिए भूभे में अपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

উল্ল	तहलील	ग्राग / ५८थारी इल्झा क्रभांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली मूनि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम—केलीकलां, प.इ.न.—02	44/3	0.035
			107/13	0.012
	- 5.		107/7	0.053
			107/6	0.036
			109/1/8	0.050
			109/17	0.06.1
	1	1	109/14	0,054
			178/21/1/	0.030
		कुल योग	08	0.333

ः अनुसुची ः

राज क. 1785-मू-अजेन-सॅन1-2024 स.प्र.क.-0013-अ-82-2022-23

प्ररूग घ (निथम 5 का लपनिथम (2) पोखिए )

#### संशोधित अश्विसूचना

अतएव, सरू सरकार वने लोकतिल में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लमया--तानुआ--पेटलावद--धांदला--सरदारपुर वाईको उदयहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मम्प धालक क्रमंक--३ से प्रम्य हालस कवांको--४ तक विछाई जाने थाली भूमितत राईकिंगमेन प्राईनलाइन के निर्नाण रहे उससे समिति अन्य कार्य हेतु साम--त्रुनणा, पहंश.-21, स.नि.मं--01, मंधवाकी, तहशील--मंधवकी, लिला- धार नध्यप्रदेश सज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मवा विकास संभाग कर्ना*यो---*80, मनव्यर, जिला-- धार (म.प्र.) द्वारा भूनियत पाईपसाईन, केवल एवं उक्त विकाई आए ।

और आतएव सुख्य सरकार को उन्त भूनिगत पाईगलाईन, केवल एवं उक्त निधाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीव होता है कि उदा पूथि में, जिसमें भूगिमध माईण्डाइंग, केवल एवं इक्त दिखाये जाने का प्रस्तान है, जो इश अधिशुचना के संस्तन अनुसूची ये भ<sup>्य</sup>त है, उपयोग के अधिकार क अर्जन किया जाए।

शतएक, मध्यप्रदेश भूमिगल पर्छपलाईन, केवल एवं अवट (भूगि के उगयोक्ता के अधिकारों क अर्जन) अभिनियग, 2012 (वन्धांवन- 5 सन् 2018) की धारा - 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त सावित्रयों को प्रधोग में लाले हुए, राज्य लरकार, उरूनें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आराय की घोषणा करती है

लाई लाफिर जो खला अनुरहूले में क्योत भूनि में दितबाह है, उस तारीख से लिशानो उनत अधिनियम की धाराम 3 की उपधार (1) के अधीन अधिसूचना सकरात्र में प्रकारित होती है इक्कील दिवस के भीतर, भूमि के सीचे मईमलाईन, केवल एवं उक्त विखाये जाने के संवेध में सक्षम प्राक्षिकारी एवं अनुदिभागीय अधिकारी (राजरन), मनापर, जिलाम धार एक्ट्रप्रेयेश को लिखित में साक्षम सकता :

जिला	त्तहसील.	ग्राम / पटतारी हल्फा फ्रमांक	खसरा कर्माक	डगयोग के अधिकार के लिये अर्जिंद की जल्ने वाली भूभि (हेक्टेकर में)
1. C	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम—चुनप्या, प.इ.न.—21,	631/3	0.104
			646	0.042
1				647/1
		-	649	0.070
		1	666	0.024

:: अनसची ::

4364

জিলা	सहसील	ग्राग / पटवार्श हल्का कगांक	खरारा द्रमांक	उपयोग के अधिका के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
L	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम—चुनप्या,	667	0.010
		प.इ.न21,	671/1	0.042
			600	0.056
		1 1	599	0.090
			610/1/T	0.010
	1	1 1	709	0.060
			710	0.032
	1 (m. 1		713	0.034
			715	0.040
			740	0.045
			716	0.035
			719/1	0,093
			713	0.050
			741	0.038
			739	0.024
12			918	0.020
			733	0.036
	1	- A - 10 - 1	732	0.017
· · · ·	1		919	0.031
			948	0.049
	23		946/1/1	0,015
		1	949/1	0.013
		1 1 10	946/1/2	0.013
			1042	0.017
	1.0		945	0.038
1			946/1/3	0.045
	1	-	943/2	0.024
			457/2/2	0,021 Extern.

### प्ररूप– घ (नियम 5 व्या रापलीयम (2) देखिए )

#### संशोधित अधिराजना

अंतिएव, राज्य सरकार को स्वेकडित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मवा-हामुआ-पैटलावद-यांदला-सरदारपुर माईको उद्दहन (रिवाई ८,२२०७०ना के अंतर्गत पर्य्य हाठ.स कर्माक-3 से प्रम्य हाकस कमांक-4 तक विछाई जाने वाली भूमियत सईजियनेन याईपलाइन के निर्माप एवं उसके दबधित अन्य वगर्य हेतु ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21, रा.नि.मं.-01, मंघवानी, तहसील-मंघवानी, जिला- धार मध्यप्रवेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कर्माक-30, मनावर, जिला- धार (रा.प्र.) हारा भूमियत पाईपल्लईन, क्षेवल एवं उन्ह बिलर्ड जाए ।

्फैर अतएव आज्य सरकार को खबत भूमियत पाईपलाईन, कंमल एवं उल्ड विज्ञाने कं प्रयोजन के लिए यह अलध्यक प्रतीध होता है कि उस भूमि में, जिसमें मुसिनल पाईपलाईन, कंबल एवं उपट विश्वार्थ जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संजयन अनुभूची में धनिंस है, उपयोग के अधिकार का अजेन किया जाए।

अन्तर्भन सध्यप्रवेश भूगिगल पाईनलईन, केवल एवं सकर (मूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का जर्भन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपयास (1) डास प्रवस्त सक्तियों को प्रयोग में लाहे हुए, राज्य सरकार, जसमें उपयोग के आंधेकार का अर्जन करने के अपने आहाय थी। बोधणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है. उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की घारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनाबर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेंगा 1

গ্লিলা	<b>श</b> हररील	ग्राम् / पटवारी इल्का कन्नोक	खसरा कर्माक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित क्षी जाने वाली भूभि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी ग्राम—चुनप्या, 631/. प.ह.न.—21, 646	1.22	633/3	0.104
			646	0.042
			647/1	0.014
			649	0,070
		1	666	0.024

:: अनसची ::

জিলা	तहरील	ग्राम / घटमारी चल्का क्रथांक	खेराश कम्मेंगे	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम—चुनप्या,	667	0.010
		प.इ.न21,	671/1	0.042
		1	600	0.055
		1 1	599	0.090
	· · · ·		610/1/1	0.010
	1.1		709	0.060
		1	710	0.032
			713	0.034
	1.5	1 .	715	0.040
			740	0.045
			716	0.035
	1		719/1	0.093
		. [	718	0.050
			743	0.038
			739	0.024
			918	0.020
			733	0.036
			752	0.017
			919	0.031
			948	0.049
			946/1/1	0.015
			949/1	0.013
	1.1		946/1/2	0.013
			1042	0.017
			945	0.038
			9467173	0.045
	3		943/2	0.024
		1 1	457/2/2	0.021

ि: ēn	तहरील	आग / पटवारी उत्नम च्यम्संबर	रत्त्व (२) यम्प्युविधः	खपयोग को अधिवनर को हिंगि अधिंश की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम—चुनप्या,	456/1	0.010
	÷ .	प.ह.न21,	456/2	0.036
			371/1/2	0.019
			37171/1	0.029
			3717:73	0.020
			416/2	0.033
			415	0.051
			410	0.077
			409	0.167
			149	0.006
			1041/3/1	0,031
			1041/3/2	0.007
			1041/3/3	0.011
	1.1.9		1039/6	0.010
			1041/2	0.025
			1040/1	0.010
			457/2/1	0.015
			1048/6	0.026
			1048/7	0.013
			1048/3	0.011
			1048/5	0.006
			1048/4	0.005
	-		1048/1	0.103
		कुल योग	56	1.973

राहुल भुप्ता, रक्षण प्रशिकारी ५वं अनुविभागीय अधिकारी,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क.-0009-अ-82-2022-23-भू-अर्जन-बदनूरढाना-7548

चूँकि समुचित सरकार को थह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रम्संक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त शूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तिओं का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

### अन्सूची-1

# (प्रश्नावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	নৰ জন্ম প্ৰিয়কল	धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
			(हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	बैत्तूल नगर	<b>बदनूरढाना</b>	0.040	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) सध्य रेल, बैलूल @ नागपुर	इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

### <u>अनुसूधी -2</u> (प्रभावित धारकों की सूची )

अ.क.	ख.नं.	ক্ষুন	अर्जन हेतु	मौके की स्थिति /	वर्तमान में भूमि के कब्जेदार /
		रकब। हे.नें	प्रस्तावित रकबा हे. में	परिरांपत्ति	उपयोग की स्थिति
1	107/2	0.013	0.009	14.55mx7.55m पर दो मंजिला पक्का सकान	शांता पति गणेश प्रसाद वामनकर
2	107		0.006	सोहे का इलेक्ट्रिक पोस तथा डामर रोड	सार्वजनिक उपयोग हो रहा है।
3	106		0.008	(0.001हे.) पर टीन शे <u>ड</u>	चन्द्रभागा के कब्जे में है, परन्तु अभिलेख में चन्द्रभागा के नान ख.जं. 113/3 रक्षवा 0.008 है. ब्दर्ज?है।

बैधुल, दिगांक 21 अगरत 2024

		0.005	2.7mx4.8m (0.001हे.) पर टीन शेड बना है	चल्द्रभागा के कब्जे में है।
			1.6mx0.38m (0,001हे.) पक्की कम्पाउंड बाल	निर्मला दुबे के स्थामित्व की
			(0.003 हे.) मौके पर रिक्त है, जिसपर 1 पपीता, 1 आम, 1 जाम, 1 नीबू, 1 कटहल, 1 केता पेड़ है।	मूल ख.नं. के भूमिस्वामी की शेष बची भूमि
4	95	0.012	मौके एर रिक्त	अधिकार अभिलेख 1968-89 में हरिताल, श्वामलाल पिता छेटीलाल के नाम दजे हैं। मूल भूमिस्वामी का नाम वर्तमान अभिलेख के ख.नं. 95 के बटांकन में दर्ज नहीं है।
-	योग	0.040	. /	-

1 - चूँकि हितबद व्यक्तियाँ की आँशिक भूमि इटारसी नावपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किय. गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का स्वर्शा (प्तान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के रूमध प्रारंभिक अधिसूचना में विनिदिष्ट भूगि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई बिल्लंगमन सुजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.—०८०१—९१—८२–२०२४—२५—मू–अर्जन—खेग्रीरामोसी—७७४१

धूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में दर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

<u>রি</u> না	तहसील	<b>का</b> म	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म.प्र.)	प्रभात पहने	खेड़ी रामोसी	20.159	खेरी लघु जलाशय के डूंब क्षेत्र हेलु निजी अूमि का अर्जन

<u>अनुस्ची -2</u>

### (प्रभावित धारकों की सुची )

<b>35</b> .	भूमिस्वामी का नाम	ख.मं.	कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा(हे.में)
1	2	3	4	5
1	अभरलाल व. टेन् जाति मेहरा भूमिस्वामी	304/1	0.402	0.402
2	ईश्वर व. ठग्गू जाति मेहरा भूमिस्वामी	304/2	0.746	0.746
3	संजु व. गोकुल, उषा व. गोकुल जाति मेहरा भूमिस्वामी	304/3	0.566	0.566
4	लुइडी व. कुंजीलाल, आशाराम व. कुंज्हीलाल, कौतिक, मुसी ऊर्फ देवकी व. कुंजीलाल जाति मेहरा भूमिस्वामी	305/3	0.077	0.077
5	सुर्यभान व.फुसल्या जाति मेहरा भूमिस्वामी	305/2	0.530	0.200

4371

-	11 <b>2</b> 0		·	
6	बिसरी, बिरजू व. मिठूचंद, गोवर्धन, मुन्ना, शिवपाल, बलीराम व. गोविंदा, ग्यारसी बेवा गोविंदा, अप्यू, कबीरचंद व. चिरौजी, रखिया बेवा बिहारी, भूल्या, सुखराम व. विहारी, गजरू, मीरा व. बिहारी जाति मेहरा भूमिस्वामी	-	1.756	0.809
7	सया बेवा गोम्डा, रामजी,प्रहलाद,धनराज व.गोमा,पंचफूला, संगीता व. गोमा,लक्ष्मी व.आशाराल जाति मेहरा भूमिस्वामी	298	2.222	2.222
8	पंजाबराय य. रंगलाल, जाति मेहरा सा. देह	299	1.064	1.000
9	देवीसिंह, भुन्नासिंह, शारदयालसिंह व. घुड्रसिंह, सुमन, रामकली व. घुड्रसिंह, सम्मेती व. ठाकुरसिंह, सहुल, कमलेश नावा. व. ठाकुरसिंह वली मा समोती सेशनी व. ठाकुरसिंह, सुमन बेवा घुड्रसिंह, जाति राजपूत सा.देह		0.108	0.108
0	अल्का पत्नि रामजी, जाति मेहरा सा.देह	300/2	0.600	0.600
11	शिवम्, सत्यम नादा. व. तुधीर संरक्षक, सुधीर व. रामदीन जाति मेहरा सा.देह	313/1	0.700	0.270
12	मयार्बली बेवा लक्ष्मणसिंह, जाति राजपून सा.देह	315/1	1.994	0.650
3	अनुसया पत्नी लक्ष्मणसिंह, जाति राजपूत सा.देह	315/7	0.405	D.150
14	रचिया बेवा वि(जलरस, बाबाराम, सावन्था, प्रकाश थ. बिरजलाल, इमला बेवा इंदल करन व. इंदल, गायत्री व. इंदल आति मेहरा स.देह	317/1	1.518	0.578
	फल्या व. अभुत्या, जाति मेहरा सा.देह	318/1	1.206	1.296
5		296	D.041	0.041
		297	1.630	1.630
Ø	नस्थू, सुरेन्द्र, सुभाष व. शिवजी, कांता बेवा गंगाराम, रानो, अधिल व. लंगाराम, महादेव व. झैया, राजू व. देवजी, शीला, ममता व. देवजी, नरेश, राजेश व. विष्णु, सुमन बेवा विष्णु, जाति मेहन्द्र सा.देह	318/2	1.918	1.318
7	मुल्नी पत्नि हरीभाऊ. जाति किराड सा.देह	325/1	0.947	0.300
8	विनोद व. चतरू, सुलन्दा, किरण व. चतरु, कला बेवा चतरू जाति सेहरा सा.देह	326	2.351	0.750
ġ	नधु य. फल्या जाति मेहरा सा.देह	275/4/2	0.922	0.922
)	कालूराम, अभिराम व. देजी जाति मेहरा सा.देह	275/4/1	0.221	0.221
1	रामबाई व. शिवलाल, जाति मेहरा सा.थह	275/1/2	0.202	0.030
2	शंकर व. शिवलाल, जगति मेहरा सग्रदेह	275/1/1	0.941	0.110
3	कसलु, किशोरी व.किसन,हंसी व. किसन, धारगरती बेवा मधु, शिवम व. मधु, सोलज, पूनम व. मधु उसति मेहरा सा.देह	275/5	1.142	1.142
	कुला बेवा गाँडू, लक्ष्मण, गणपति व. गाँडू, नान्ही व. गाँडू जाति गेहरा सा.देह	295/3	1.608	1.608

25	पारबती व. अन्नू जाति मेहरा सा.देह	295/1	0.780	0.030
26	रामराव, डोमा, शिवरतन, मनोहर, श्यामराव व. रतन, सोमा व. मन्सू जाति गॉड सा.देह	294	0.121	0.121
27	रामलाल, गुलाब व. भूता, सुकलू, कालूराम व. मोहनू ताति गाँड सा.देह	293	0.259	0.230
28	संस्कू, बाबुराम व. मोहनू, रामप्यारी व. मोहनू, फलमा बेवा मोहनू जाति गोंड सा.देह	292	0.109	0.059
29	पंचम, जग्गू, झामसिंग, धनसिंग, भंगी व. रामधार, मनका व. रामसा जाति गोंड सा.देह	291	0.077	0.040
30	रामलाल, गुलाब व. भूता सा.देह	289	0.097	0.010
31	रङजोबाई देवा डेद्, हीसवंती, समकली व. डेब् जाति गोंड सा.देह	281/1	1.530	0.560
32	कान्तोबाई बेवा सुखदेव, राजेश व. सुखदेव, रानी, प्रीति, मोनू, सोनू, रोशनी व. सुखदेव जाति मेहरा सा.देह	305/1	0.607	0.060
33	शन्जू व. डोमा जाति कुन्बी सा.देह	306/1	1.362	0.450
34	इठू व. डोमा जाति कुन्बी सा.देह	306/3	1.362	0.390
35	पंजू, धासुदेव, सुखदेव, जगदेव, तुखराम, सरवन व. गोरेलाल जन्ति गोंड सा.देह	290/2	0.053	0.053
36	धनराज व. सीताराम, जाति गोंड सा.देह	274/1	1.034	0.097
37	अवण व. टेनू जाति मेहरा सा.देह	304/4	0.403	0.403
_	योग		33.611	20,159

(2) चूँकि खैरी लघु जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रमावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबढ़ व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्घ्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुदिआगीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुललाईक ज्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की देवसाईट <u>www.betul.nic.in</u> पर भी अपलोड किया गया है।

भग1]

क्र.—0008—अ—82—2023—24—भू—अर्जन—सोनाघाटी—7942

भूंकि राज्य शासन को इस बास का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में धर्णित मूमि की कालम नंबर 5 में ठॉर्णेंत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इम हेर्नु अनुसूची-2 में वर्णित प्रमादित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनवोसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पतिकर और पारदर्णिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंसर्गत यह घोषित किया जरता है कि उक्त भूमि की सर्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

4	6
0.180	इटारसी नागपुर तीसरी रेन लाईन.परियोजभा हेतु किकी धूमि का अर्ज़ीन
	0.180

<u>अनुसूची</u> -2	
(एकावित धारकों की सर्च	TF.

<b>क</b> ,	भूमिस्वामी का नाम	स.नं.	कुल रकवा (हे.से.)	अर्जित रकवा(हे.मॅ)
1	2	3	4	5
1	रामन्ध्रथ य. रामदुलारे सा. बैतूल भूमिस्वामी	11/1/1/1/1	0.296	0.045
2	शोभनादेवी पति कृष्णमुरारी सा. बैत्ल भूमिस्वामी	111/2/1/1/1	0.025	0.025
э	देवाशीष थ. कृष्णमुंशरी सा.बैतूल भूमिस्वामी	111/2/1/1/2	0.024	0.024
4	सत्यजेत व. कृष्णमुरारी सा. वैतूल अभिस्वामी	111/2/1/1/3	0.024	0.024
5	रामजाध थ. रामदुलारे सा. बैतूल भूमिस्वामी	86/1	0.243	0.010
6	बैना बे. श्यामराव,संशोष, सुगन, ईमन, सुशीला व. श्यामराव, अनिता बे. अजावराव, वर्षा, हेमा पिता अजाबराय ला. देह भूमिस्वामी		0.240	0.020
7	अञ्चनराज व. अभरजीत पोपली सा. बैतूल रांज भूमिस्वामी	120	0.089	0.004
8	राजेन्द्रकुमार व. सीताराम सा. देह भूमिस्वामी	75/6	0.323	0.026
9	सरस्वती पति बरजोरसिंह सा. वैत्रूल भूमिस्वामी	75/104	0.019	0.002
1	योग	9	1.283	0.160

(2) यूँकि इटारसी जागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार अभि मय परिसंपहित के अर्जन से हितबद व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विरुधापन नहीं होने से धारा 18 की उपधारा (2) के तडत पुनर्धासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) ४४मगत भूमि का गक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी वैंतूल के न्यायालय में किया जा राकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबलाईट <u>www.betul.nic.in</u> पर भी अपलोड किया गया है। नध्यप्रदेश के राज्यज्ञाल के नाम से तथा आदेशगुराध. नधेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुपित सरकार.

1 19

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

#### ४१दा, दिनांक 6 चित्तम्बर 2024

#### <u> দ.</u>क.—12670-শু চার্রান *प्र.क.*01—अ—82—24

प्र. प्र. 01 २३–02 वर्ष 2022–23 भूंदि अर्जम भुभवेश्वान ओर पुनर्थायरक्षात्रा में कविट प्रशिक्ष और पारदर्शिता यज अधिकार अधिमियम, 2013 की धारा–16 (1) के आतंगंत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 तिवरा २५ समयावधि में कोई आपतित प्रसुत नहीं होने के कारण भूभि अर्जन पुनर्वात्तन और पुनर्वावरध्यापन में उधित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार जीधमियम, 2013 की धारा–16 (1) के आतंगंत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 तिवरा २५ समयावधि में कोई आपतित प्रसुत नहीं होने के कारण भूभि अर्जन पुनर्वात्तन और पुनर्वावरध्यापन में उधित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनिश्वद 2013 की धारा 16(2) के अतंगंत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस अधान राध्य शास पर राध्य शासन को द्वार का समाधान हो गया है कि अनुसूची की कठिका कमांक (1) में वर्णित भूमि की अन्द्रसूची की कठिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है इस प्रकरण में किसी भी नरिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वात्तन एवं पुनर्वावरधापन की स्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वात्तन एवं पुनर्वावरधापन की स्थापित मही किया जाना है, इसलिए पुनर्वात्तन एवं पुनर्वावरधापन की स्थापित प्रतिकर और पारदर्शित यह घोषित प्रतिकर आधार-19 के अतंगीत यह घोषित किया जाता है हि निग्न अनुसूची को अंदरवक्ता नहीं है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वात्रस्थापन में विदेश प्रतिकर को दिस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वात्तन एवं पुनर्वावरधापन की स्थापित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिका? अधिकिंग्र 2013 की धारा-19 के अतंगीत यह घोषित किया जाता है हि निग्न अनुसूची को थ्योकाउन इम्रोक (1) में वर्णित भूंगे क्रांडिका कमांक (2) थे दर्गित लोक प्रयोजन के लिए अपरेशता है हि किया जाता है हि निग्न अनुभूत्री को थ्योका इम्रोक (1) में वर्णित भूंगे क्रांडिका कमांक (2) थे दर्गित त्यह घोषित किया जाता है कि लिए अपरेशता है लोक उन्हाक (1) में वर्णित भूंगे क्रांडिका कमांक (2) थे दर्गित लोक प्रयोजन की लिए अपरेशता है लिए अन्रेकित (1) में वर्णित भूंगे क्रांडिका) क्रांक प्रयोजन की किया जाता है कि जिन्स अपरेश हो कार होति (1) में वर्णित भूंगे प्रतिक्र कार्य (2) थे दर्गित लोक प्रयोजन को लिए अपरेशनन को लिए अपरेशन वत्त है लिए अपरेश होत्त हो कर होति हो जात्र की लिप जाता है लिए अपरेश होत्त

#### <u>अनुरायी</u>

(১) দুদি তদ বর্থনা :---

(क) िला 🗁 👘	डत्त्वा
(न) तहसील :	કંહિયા
(ग) जला :	भर्मारी म.इ.न. 28
(घ) भौत्रफल :	9.977 E.

ध्वक्षरा नम्बर	कुल अर्जित ९४४४ (टेक्टेयर मे)	भूलि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
2/1/1	0.705	নিজী পুমি
2/1/2	0.077	নিডী পুশি
2/1/3	0.077	নিজী পূমি
2/:/4	0.174	निजी भूनि
2/1/5	6.129	निजी भूगि
3	2,172	ণিজা পুলি
4/1	3,359	দিজী দূৰি
4/2	D.609	चिन्ही भूति
5/1	2.501	निजो भूनि
8/3	0.244	નિગી પૂમિ
	9.977 है.	n n

(2) हंडिया बैराज परियोजना के असंगीत एफ.टी.एल. बैशज, पाटर झरुस एवं स्थित्र यार्ड के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु।

(3) भूगि से रॉबंधित नक्शा (प्लान) कार्वालय कलेक्टर हरदा में ओर कार्यालय अनुविमागीय अधिकारी (राजस्य) हरदा में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

उग्त उद्घोषण: जिले की वेबसाईट www.harda.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यताल के नाम के तथा आदेशानुसार. आदित्य सिंह, कलेक्टर एवं प्रदेन उपरायित.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं परेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

### क,—5840 जि.भू.३१,—2024

सिवर्गी, दिनांक 2 रितिग्वर 2024

[भग 1

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत जोता है कि लोक प्रयोजन के लिए चाम बरेला पटवारी हलका में 20 रा.चि.मं कहानी तहसील प्रसार जिला सिवनी में कुत 0.40 है. निजी भूमि आपेक्षित हैं. अर्थात झाबुआ पायर लिमिटेड (रांयुक्त उपक्रन एन.टी.पी.तो. लिमिटेड) को देज मार्ग से कोयले के परिवहन के लिए रेलवे लाईन के निर्माण परियोजना हेतु समाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन स्वतंत्र प्रहुशाखीय रूमुह दल द्वारा फिथा गया था और नियम 4 के अपीन क्या विहित कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत को ाई हैं। सनाजिक समाधार रिपोर्ट का लार इस प्रकार डैं-

- स्थापित विद्युत संगंत्र के लिए कोयले का परिवहन हेतु रेलये लाईन का निर्माण किया है। यह परियोजना विद्युत उत्पादन संयंत्र के स्थापित क्षमता से विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।
- रेलवे लाईन के निर्माण से विद्युत संयंत्र को कोयले की उपलब्धता सुगम एवँ सुरक्षित तरीके से होगी जिससे सर्यत्र रथान्द्रेश झनता पर विद्युत एत्यादन कर नव्यप्रदेश एवं राष्ट्र की उर्ज़ आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान गुरु संयंगा।

झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपकम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) की रेलये लाईन परियोजना में किसी भी कुटुम्ब को विस्थापित नहीं किया जा रहा हैं। संलंग्न अनुसूचि के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की रेलये लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन को लिए आवश्यकता पडने की संभावना हैं। अत भूमि अर्जन, पूनवांसन और युनर्व्यवस्थापन में उपित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपवंशे के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जातो है कि राज्य शासन द्वारा मुख्य कार्वकारी अधिकारी, झाबुआ पावर लिमिटेड गाम बरेला, यो अतरिया, तहसील घंभी, जिला सिवनी (म.प्र.) से संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वावस्थापन में उपित प्रतिकर और पास्टर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के जिए प्राधिकृत एल्सा, है। अर्जन ठेटुं प्रस्तावित मून्जि या वियस्त निम्लानुसार है–

याम का नाम – बरेला, 4.इ.नं. – 20 रा.नि.मं. - कडानी, राइसींट – घंसीश फिला रोडनी

				रेज	ा — क्यांग हरू हित्तद्वड व्यक्ति यंग नाग और पक्ष		सं	माए		50	ព	স্বৰ্থ	श्लाए
iπ.	रःपेक्षण रां०	स्वामित्द को प्रकार	भूभि चन प्रकार	अर्जन का ऐव हैंग		उत्तार	टरिंगण	۴	परिंग्रान	कित्म	संख्या	प्रनार	स्लिथ एरिया
1	2	3	4	6	Ð	7	9	9	1C	11	12	1\$	14
1	- 666//2	<del>भू–स्</del> तामी	क्षरितिवत	040	भगोहर पित छेतु, जगुना गिता खेतु, क्रुवारः पति खेतु, जाति गाँड ग्राम यरेका तल्सोल घांतौर सिंगनी	अ हुफ, पाक लिनिहेल	डी।सर्कोय भाल।	भासकीय नाला	<b>श</b> ारावीय नाला	-	4	-	-
योग	-			0.40		-	-	-	-	-	-	-	-

) अर्जन हेतु प्रस्तागित मेवफल – a,40 है.

 अधित की फाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्सा प्लान का निरोधना कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी सजस्य घंलौर जिला सिलने के कार्यातय में किया जा सकता है।

- 2 अजिंत की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निशीक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ब्राबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) ग्राम बरेला, पो. अत्तरिया, तहसील घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3. अधिनियम की घारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सुजित नहीं करेगा।
- 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रत्ताविध भूभि के बारें में डितबड कोई भी व्यक्ति भूगि अर्जन पुनर्वसिन और पुनर्ववस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदीं तिा का अधिनियन 2013 की थाला 15(1) के अधील इस अधिसूचना प्रकाशन ये 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारें में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो. फाईल किए जा सकेंगे।

#### च्छ.—5641 ितमूका, 2024 -

धूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम बिनेकी कसा पटवारी हत्का न. 24 स.नि.मं. कहानी तहसील पंसीर जिला किंभनी में कुल 1.35 है. निजी भूमि आपेक्षित हैं, अर्थात झाबुआ पावर लिपिटेड (रायुक्त उपकप एन.टी.नो.सी. लिमिटेड) को रेल मार्ग से कोयले के परिवहन के लिए रेलवे लाईन के निर्मान परियोजना हेतु समाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन स्वतंत्र बहुसाखीय समूह दल हारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। समाजिक समाधात रिपोर्ट का सर इस प्रकार है–

- 1 स्थापित विद्युत संयंत्र के लिए कोयले का परिवहन हेतु रेलवे लाईन का निर्माण नितन हैं। यह परियोधः विद्युत जरपहन संयंत्र के स्थापित क्षमता से विद्युत जरपादन के लिए महत्वपूर्ण है।
- २ रेसचे लाईन के निर्माण से विद्युत संयंत्र को कोयले की उपलब्धता सुगम एवं सुरक्षित तरीके से होगी जिससे संयंत्र श्वापित क्षमतः पर विशुतः टत्पादन कर मध्यप्रदेश एवं राष्ट्र की उर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान कर सफेगा

झाबुआ पायर लिमिटेड (संपुक्ट उपकम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) की रेलये लाईन परियोजना में फिभी भी मुप्टुम्म २०) विस्थापित मही किया जा रजा है। संलग्न अनुसूचि के खाने (1) से (14) में उजलेखित वणित भूपि जी रेलये लाइन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पढने की संभावना है। उत्तः भूभि अर्जन, पूनवसिन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 को धन्स 11 की उपचारा (1) उपवंसी के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आहाय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन डींग मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झाबुआ पायर लिमिटेड ग्राम बरेला, पो. अतरिया, तहसील घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र.) से संबंधित भूमि वे संबंध में मूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में लपित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियन 2013 की घारा 12 में दी मई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्रायिकृत करता है।

#### अर्जन हेन् प्रस्तादित भूमि का विवरण निम्नानुकर है

(1)	ग्राम क≿ाम −िबेने	को कत, पहले, -	–४४ रा.नि.मे. –	कज्ञनी, तहसील -	्यसीर जिला सिननी
	2 100 100				

	_	সক্ষাহ	Τ	म रि	हितबद्ध व्यक्ति का जान और पत		सीम	η		ġ	ย	रास	वनाए
क्रां.	रन्तेंशच संग	स्वत्तित्व ज्य प्र	मीने का प्रकार	अपने का छै।	1	उत्तर	दालेग	्रम् -	परिंध+	किस्म	संख्या	भ्रवतर	रितनः एरिश
1	Z	3	4	5	8	7	8	8	10	1	12	13	14
1	113/2	¥.—स्वाम <sup>7</sup>	- असिनित	1.35	लक्की ईमेता गोविंसी चाति गौंड ग्राम बिनेकों, करन तहस्रोल मंचीर भिवनी	द्रगां बाई, की गॄगि	≉ाकुआ पालर लिमे. ती. भूमि	रु-ि साई, की भूमि	अप्तार सिंह की भूति				-
योग	-			1.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) বার্তান উন্নু সম্রোবির উপ্রথন –1.35 ঠ.

 अर्जित की जाने घाली उपरोक्त प्रसावित भूनि का नय ाा प्लान का निरीक्षण कार्यादय अनुविधाणिय अधिकारी राजस्य घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा भकता है।

- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) ग्राम बरेला, पो. अतरिया, तहसील घंसीर जिला सिवनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3. अधिनियम की धारा 11(4) के अधोन कोई भी लायित कलेक्टर के पूर्व अनुगोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से गूमि का कोई भी संव्यवतार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवतार नहीं होने देगा अर्थात कय / विकय आदि नहीं करेगा था ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सुचित्र भाषी करेगा।
- 4. अर्जित की जाने दाशी अल्लेखित प्रस्तायित भूमि के बारें में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भूमि ऊर्जन पुनर्शासन और पुनर्व्यवस्थापन में छवित प्रतिकर और नारवर्शित का अधिनियम 2013 की धारा 25(1) के अधीन इस अधिनूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूनि अर्जन के बारें में कलेक्टर के समझ आसेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकने।

मध्यप्रदेश ले राज्यपत्न के नाम से तथा आदेशानुसार. सांस्कृति जीन, कलेक्टर एवं प्रदेव उपलचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवांस, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनगंक 6 सिंध बर 2024

<u>у.сл. -403—मू</u>–अज्ञन- <u>у.</u>с. -182—ऑ–82—2024, 25

थूँकि समुभित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -01 में वर्णित भूमि की राज्य शासन को हंडिया बैराज परियोजना के अंतर्गत एफ.टी.एल. बैराज, पावर हाउस एवं स्विच यार्ड के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आयश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संमायना है। यूँकि परियोजना प्रबंधक नर्गदा विकास संभाग कमांक–23 गोपाल द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र.शासन नर्गदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल के पत्र कमांक एफ-04/2020/सत्ताईस-1 भोपाल दिनांक 06 अगरत 2021 द्वारा प्रदाय कि गई है एवं हंडिया चैराज सिंचाई परियोजना के टी.ओ.जार.की स्वीकृति केन्द्रीय प्रयोधरण वभ एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक EC236003MP179692 फाईल में. १७४५ /२०२३ दिनांक ०१/०९/२०२३ द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। खतः अधिनियम की धारा 6(2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पूर्नवासन ओर पूर्नव्यवरव्यापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबद जहाँ पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रयुत्त किसी अन्य विधि के उपवंधों के उधीन अपेक्षित है यहाँ इस अधिनियम के समर्शजेक समाधात निर्धारण से संबंधित उपवंध लागू नही होगे। परियोजना के निर्माण से लगमग 72 ग्रामों की लगमग \$5000 हेक्टेयर भूमि सिंधित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित सिंहित है। अतः भूभि अर्जन पुर्नेवासन और पुर्नेव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ही धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इस सार्वजकि सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमियों का अर्जन किया जाना है।

1.	धरियोजना का नाम	÷	इंटिया बैशज सिंचाई परियोजना
2.	भूभि का दिवरण	$\succ$	
1	जिला	-	देयानः
2	तहसील		खतोगीव
З	ग्राग का नाम	÷	क्रण्डगोंव खुर्द
	म.स.चं.		64
5	গাঁর্জন পুদি কা ধ্রীরকল		1.3609 Eecut

:	अन	(सुची	-01	÷
---	----	-------	-----	---

स.क.	श्वर्थे नम्बर	स्वागित्व 'का प्रकार	भूगि भा प्रकार	श्वर्जन का क्षेत्रफल (है.)	हित्तबद्ध थ्यवित का माम और एता ( राजस्त अभिलेख अनुसार)
1	123	ગૂસ્યામી	कृषि भूभि	0.4700	रत्मेश्याम् भिता दक्सीराम जाति कलोताः निशारी–कुण्डगीव खुर्द
2	125	भूस्वामी	વર્ષ્ય મૂમિ	<b>0.370</b> 0	रामदिन पितः वक्कीराम जाति कलोता निगासी–कुण्डर्गाव खुदे
3	125	भूरबागी	કૃષિ ગૃમિ	0.2100	श्री श्यागलाल पिता सीवासम निवासी–कुण्ठमॉब खुर्द
4	217/1	भूरवामी	গ্রম গৃংম	0.1800	खम शंकर भिरा जगदीश जाति विश्वनोई निवासी–कुण्डगाँव खुर्द

'स.क) ।	श्वार्थे जम्बर	रथागिल्द का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हे.)	ितवह व्यथित भा भाग और पता ( शहारा अभिलेख अभुसार)
5	217/2	भूरयाभी	कृषि भूमि	0.130D	कत्त्वनशई पति उपासंकर आति विश्लोई निवासी–कुण्डमीव खुर्द
			योग	1,3600	

भूमि से संबंधित नक्सा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर देवास में ओर कार्कलय अनुविधाणीय अधिकारी (राजस्त) खातेगॉद में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलगीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

सुमचित शरफार उथत अधिनियम की भारा-12 में तथा यथां उपवंधित एवं यिनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूभि में प्रवेश करने ओर जसका सयँधण करने, किसी भी भूमि के स्तर जेने, अवमृदा में खुदाई करने या येधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पायन के लिएे अपेक्षित सभी संन्य कार्य करने के लिएे धारा-12 के अतंर्गत लागू उपबंधों के तहत प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा—11 (4) के अधीन कोई भी प्राक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुगोदन के बिना ऐसी अधिसूचन्त्र के प्रकाशन तारीख से भूभि का कोई भी राव्यवहार गएी करेगा था कोई भी संव्ययहार नहीं होने देगा अर्थांत कय /दिक्व आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई गिल्संगम सुणित नहीं करेगा।

अधिनियम की थारा—15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इंच्छुक व्यक्ति हारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समझ आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेगें।

उक्त अधिसूचना जिले की वेवसाईट <u>www.dewas.nic.in</u> पर देखा जा सकता है।

मध्यान्देश के राज्यवास के नाम से सथा आदेशानुसार. ऋष्य गुप्रा, कलेपटर एवं प्रदेन उपराजिय.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, शाजस्व विमाग

### सीहोर, दिनॉल 12 फिल्फर 2024

कमांक 0008/अ-82/2024-25 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होत. है कि इसके संलग्न अनुसूची-1 के खाने (8) में वर्णित भूगि एवं मकान की अनुशूची के खाने (5) मे उसके सामने

दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पर्छने की सम्मावना है। अतः मूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्ययस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा–11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा समी व्यक्तिरों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिक्षा करता है।

			नुसूची - 1	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
		শূমি /	संपत्ति का व	<b>0</b> 4			
ઉલ્લા	राहसील ∕ गाग	लगगग क्षेत्रफल डेक्टेयर/वर्ग गीदर	धारा 12 हे यांवे		सार्वजनिक प्रयोजन का धर्णन		
	2	al 3		1 雪湯		6	
सीटोर	<del>ง</del> ขา∺นูง ∕ างสื่อใ	भूमि — 46.640 🖁 , 272.97 थ.+े मकान		' যন্নী' জল এ লংখিঁচগৰু		জনা ভাল নির্দাল से दू <del>।</del> स सेहु गू—এজন	
		-: अ	भुसूची – २	3 <del></del>			
स.क.	-iFi (क्रुंसक, पिरा) का ना	দ, জারি ব্যাশ	स्तये नंबर	कुत स्कब (निजी) हे.गे		रियार्क	
1	2		3	4	5	ь	
/1	उर्मिला बेबा केशरबिंह ४८) - केशरबिंह जन्ती गीना पतः १ मध्य प्रदेश - भूनित्त्वामी अठल	र्गामपुर री होर	3/3/1	0.368	D£0.0		
			18/2	0.631	0.370		
2	रारिधा बाई भिता तकतसिंह सीक्षेश्व मध्य प्रदेश भूमि स्वर्ग		8/4	0.419	D.080		
	ताहार नव्य अवश श्रीम रवाग		1E/3	0.303	0.070		
3	ওলল সিচ দিনা <mark>অসন্দায়</mark> য	टाति भीना पता -	41/2	0.041	0.010		
3	सीतोर मध्य प्रदेशगृगि स्वामी	A	49/2	0.299	û.299		
	काशीरन दिता कालूरन जा	हे नैना प्रता 🕞	8/5/3	6.150	0.150		
4	सीहोर नध्ध प्रदेश भूमि स्लाग		8/2/1	0.108	C.108		

574.1

					and the second se
5	लक्ष्मीन रायण थित। छोटेराम जाति गैना थता मरहेटी हवामधुर सीकोर मध्य प्रदेश धूमि स्वामी 1/4 वर्षाताबाई थिता छोटेराम जाति मैना पता भरहेटी स्वमपपुर सीकेर भव्य प्रवेश भूमि रधार्ग 1/4 कवीताबाई पिता छोटेराम जाति मैना पता जिस्ती स्वामपुर सीकोर मध्य प्रदेश भूमि स्वग्ती 1/4 सुमलबाई पिता कोटेराम जाति मैना पता अरहेटी श्यानपुर नोटोर मच्य प्रदेश भूमि 1/4	9/ <del>3</del>	D.413	0.057	
6	नुरम्बो पुत्री युत्री विरानसुख धन्नू आ पररासम युधराम आ मनीराम जाति चमार पता निपासी रपैहोर मध्य प्रदेश भूमि रयागी	8/1	0.550	0.500	
	सुगनबन्धं वेदा राजू कार्टिक जाहा कृत्मल 🎽	17/3	0.742	0.120	
. ,	नाना पुत्र राजू कल्प्ता राषा पत्नक नाम पुत्रिया राजू नाना पता पिपालनेर तहरतील 🗠	16/2,17	D.392	<b>0.73</b> 0	-
	हुजूर भोपाल भोपाल मध्य प्रयेश भूत्रित्त्वामी 🌱	3/3/2	0.627	D.020	
В	निर्मलाबाई बेवा दौनदयाल जाति भीना पता मरहेटी स्वागपुर सीहोर अध्य प्रदेश भूगि स्वाभी 1/3 विकास पुत्र दीनवय ८ जाति नीना पता मरहेटी श्यानपुर सीहोर गव्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 विजय पुत्र दीनदयाल जाति मीना पता मरहेटी स्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश मूमि स्वामी 1/3	\$2/3	0.391	C.069	
r 9	रामबाबू दिहा जगनाप्रताद वाति मोना पला सीहोर नथ्य प्रदेश भूमि स्याफी	46/2/2	0.607	D.39U	
10	अभिष्ठवन्त्र पिता गंगारम् जाति भेग्ग पता 🕠	46/2/1	0.348	0,166	
	निन्धयों सीहोर मध्य प्रदेश मूर्ने रघणी	46/4	0.346	0.165	
11	नितेश विता भग्रजानसिंह खाति भीना पता 🔹	1 52/2/2	0.052	G.035	
11	नितारी औद्योर मध्य प्रदेश भूमि रवामी.	46/3/1	0.045	0.025	
/12	गे"ताबाई पत्की जगनप्रसाद जाति मौना भवः निवासी सीहोर मध्य प्रवेश भूमि स्वामी	41/1	D.113	0.010	

13	प्रेमलता मेवा डेमराज जाति मेन्द्रा पता मरहेटी इत्यामपुर सीहोर मध्य अवंश भूमि स्वामी 1/4 सचिन ता बा पुत्र हेमराज जाती भीन्द्रा पता गरडेटी स्वायपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 विकास ता बा पुत्र हेमराज जाति सीना पता मस्ट्रेटी स्वामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूनि स्वामी 1/4 सिनरन ना बा पुत्री टेसराज प्राति मीग्म पता मरहेटी स्वामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4	46/1/2	0.323	0.120	
14	प्रेमलता बेना डेमराज सचिन विकास सिनरन पिता देमराज ज्यति मीना परा भरहेटी श्यामपुर सीहोर नध्य प्रदेश यूपि स्वामी	52/2/1	0.085	0.035	
	त्तेजसिंह भित्ता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवाकी सीहोर नग्द प्रदेश भूमि स्यामी	52/1	0.607	0.637	
16	यूनुरा र्खा पितः जनगत र्खा जाति गेवरती पतः संग्रेहोर मध्य प्रदेश भूमि स्तामी	162/98/1	U.385	0.085	
	शगरम्बन हेगसिंह विल हस्प्रिसाद दोपलीबाई मुलाब्बाई पुत्री हस्प्रिसाद जाति देशवाली पता सीहोर मध्य प्रदेश मूनि स्वामी	112	6.933	0.220	
	रानगौमाल पिता गोरधन जाति कुढमी पता आखन्होई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	113/3/4,185 /015/4,185/ 115/10	0.203	0 135	
	गंगण्डाम गिरा। चौतील्गल जाति कुलमी पता निवरमी सीठोर मध्य प्रदेश भूमि स्वन्मी	115/2/4	0,8\$4	0.854	
	कोरेयप्पर्न्ड उल्नी लीहाकिशन जाति कुड़में पता आछारोई - सीहौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/3/3,185 /)15/9,185/ 115/10	1 215	0.290	
21	क्षयताप्रसाथ पिताः गोडूलाल जाति कुछरी पत्त। अष्क्ररोई सीहोर मध्य प्रदेश मूमि स्वामी	115/3/5,785 /125/9,185/ 115/10	1.420	0.900	
	संधेकिञ्चन भिता भारेजाल जाति कुडमी पत्ता आछारोई सीहोर राष्ट्र्य प्रदेश गूनि रवागी	115/1/6,185 /115/9,185/ 115/10	1.420	0.160	
	किशनलाल मिता यबरु जालि कुडनी पता आछारोई बीहिल मध्य प्रदेश भूमि खामी	115/2/1	0.924	0.500	
	प्रेमसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपुत पत्न	183/120/1	D.609	0.560	
-	र्सहोर मह्य प्रदेश शूमि स्वामी	184/126/1	1.606	1.050	•
1.12	त्त्रवदांबाई बेवा सुरेश जाति नाई पत्त चरनाल				

[માળવ

910 A ]

		भोसजीम भिता तथी खां जाती रेवाली बता 🛸	128/6	D.526	0.526	
3	26	निवःक्षी सीहोर गध्य प्रदेश भूमि स्नामी	128/9	0.498	0.498	
			128/8	1.011	1.011	
2	17	मोसादिक नित्र नदी खा उतति नेवाली पत्ता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश गूंगि रचली	128/10	0.514	0.450	
_			128/16/2	0.405	(1.405	
2	18	नंगुसिंह पिता अन्तरसिंह जाति राज्यपूत पता चीहोर भध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 जादकुंवरकई वेचा मनोहरसिंड आजादसिंह मिता मनोहरसिंह कमलेशबाइ श्वाक्षई पुशे फ्लोहरसिंह जाति राजपूत पता सीहोर भध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2	240/1/1/2	D.SaO	8.300	
2	9	कलाबाई वेवा चेयकरत जाति भोई पहा आछारोई चौडोर मध्य प्रदेश भूमि स्टामी	185/115/1	C.405	0.4%	
3	٥	बेनबाई पल्नी छोटेसम जाति कुडनी पत्त। आफ्लत्तेही सीठोर मध्य प्रदेश मूमि स्वामी	185/115/2	0.558	11,558	
3	L	ब पूलाल चिता गुन्मलाल जाति सभार भटा निवासी ग्राम भूमिस्टामी सीहोर मध्य प्रदेश भूनि स्वामी	185/115/3	1.011	0.310	
3	ż	लालसिंह राकेश) भिता बानूलाल तेजकूंवर मुची बागूलाल जाति मीना पता मस्टे <b>ी श्</b> र्यामपुर शीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वानी	17/1 16/1	1 244	<b>C</b> .370	
3		लखनलाल पिल हरिसिंह जाति मौना पल निवासी सीहरे राज्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2	- 52/5	0.251	0,160	
		राधेस्याम पिता आह जाति मीना पत्। निवासी गहिरेर कथ प्रदेश भूमि त्वामी 172	46/11	0.3 <del>5</del> 0	0.200	
34	4	जगन्नभ पिता नुमालाल जाति ज्यार पता मन्हेजी स्थामपुर सीहोर मध्य प्रदेश कृषिरयानी	195/315/8	3.119	0.550	
35	5	अर्थुन तिह पितः भारत सिंह जाति मुजर बता नियासी सीहोर मध्य प्रदेश भूभित्त्वानी	128/2	G.291	0.200	
36		रीतदिवी मली शंकल्पल जाती चगार पता चल्लाल सीहोर मध्य प्रदेश कूंगेरदामी	128/4	0.749	0.690	
37		रहीद को पिता घीरू था। जाति मेवाती यहा कारणवाद सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	120/5	0.789	0.786	
38		दीवसिंह गिता ब्ल्ट्रूलाल जाति कुढनी पता निवासी कीहोर मध्य प्रदेश मूनि स्वामी	128/7	0.829	0.225	

20	चजेश पिता भगवानतींड जनीते गीना पता	52/2/3	3.553	0.035	
39	निवासी सीहोर नध्य प्रयेश भूमि स्वामी	46/3/2	D.045	0.025	
40	अनिल पिता भगवानसिंह जाति गीना पता	52/2/4	0.057	Ø.Ø35	
-0	नियाशी रहिहोर पथ्य प्रदेश भूमि स्वाली	46/3/3	D.040	0.025	
41	सुनिता बाई पत्नी ताससिंह जाति गीना पतः निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	S2/4	0.247	0.161	
42	सरितः बाई पत्नी अजबसिंठ जाति मीना पताः शीहोर गव्य प्रदेश गूगि रवगी	49/1	0.606	0.254	
43	जयसिंह पिता समदयाल जाति मीना पता रोहोर गव्य प्रदेश यूपित्वामी 1/0, बनेसिंह निता समदयाल जाति मैंग्ता ण्ता सीडोर मरंग प्रदेश यूनि त्वामी 1/5, प्रीतम सिंह पिता रामदयाल जाति मीन पता सीडोर मध्य प्रदेश यूगिरवामी 1/3	175/41/1	0.113	0.113	
44	धादम्बबाई वैव कमल सिंह जाति मीना पता गरहेती श्यागपुर चौडोर मध्य प्रदेश भूमिस्वानी 1/4 तरावाई पुत्री कमल सिंह जाति मीना पता मरहेती श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वानी 1/4 ठाकुर प्रसाद पुत्र कमल सिंह जाती गीन वता गरहेती श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूनिस्वामी 1/4 रण्मबाबू पुत्र कमल सिंह जाति मीना पता मरहेती श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/4	175/41/2	0.113	0.113	
45	पण्यू भिता बटटटूलाल जाति जाटव भंतां मश्हेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश: भूगि रदागी	181/24/2	0.433	0.493	
46	धापुबाई पति बेबा बदीप्रसाद जाति चमारं पत भरहेली स्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्यामी अनस्तांतरणीय	181/40	C.186	0.485	
47	ज्ञान शिंह पिता मिश्रीलाल जाते वमार ५ता निवःक्षी कीकोर मध्य प्रदेश मूर्ग्म स्वामी अञ्चलांतरण्डीय	3/5	0.56D	0.530	
48	कुमेर सिंह भिता मांगीलाल जाति चमार पता निवासी सीठोर मध्य प्रदेश मूनि क्यांगी अहरतांतरणीय	3/9	0.560	D.560	

# <u> 년 1 년</u>

49	धाणुबाई वेवा वदीप्रसाद जाति चमार पता मरहेटी श्वामपुर सीहोर मध्य प्रवेश सूमिल्वामी अहरतांतरण्येय	3/в	<b>D.</b> 56D	D.560	
50	रूप सिंह पिता मिश्रीलाल जाति चमार ज्ला निवासी डीड़ोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अरुरवांवरणीय	3/6	D.56D	D.540	
51	गूललु पिता मिश्रीलाल जाति चगार गता निवःसी तीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीथ	3/7	0.550	0,570	
52	अन्मारम्न भेतः दुर्गाप्रसाद् जाति मेहतर पता निवासी सीहोर पत्व प्रदेश भूमि स्वामी अहल्त तरणीम	3/10	0.960	0,560	
53	श्रगामलाल पिता गवनलाज्ञ जाति चपार बता निवासो सीझोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/11	D.560	0.560	
54	अभस्वरूष निता जगन्मार्थं आति कमार प्रता गरहेटी इसामपुर सीक्वेर मध्य प्रदेश भूभिस्व:-1 अतस्ततिरपीय	3/12	0.550	0.560	
55	राजासम पिता गंगाराम जाहि चगार च्या निवासी स्रोहोर भध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तोतरपीय	3/13	0.560	0.560	
56	मान सिंह पित। रामकिशन जाति चनार पता निवासी सीहोर नष्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणींग	3/14	D.560	0.56C	
57	यत्रमता ित्त गंगारुन जाति अभार यत्। जिवासी सीहोर मस्य द्वदेश भूमि स्वामी अहरकांतरणीय	3/15	D.560	0.5EC	
58	बद्वीप्रसाद पुत्र मिश्रीलाल जाति क्लार क्ला नरहेकी स्टानपुर सौंद्वोर मध्य प्रदेश भूतिस्वामी अहरतांतरणीय	3/16	D.560	0.560	
59	कमल भिता भागवक्षे जाति चमार पता निवासी सौहोर नथ्य प्रदेश मूमि स्वानी अडक्तांतरणीय	3/16	0.560	0.590	
бо	प्रथ्मी सिंह पिता नन्तूलाल जाति व्यार यता िवासी सोत्तोर मध्य प्रदेश भूमिस्त्रानी अहरतालण्णीय	3/19	D.560	0,550	
 61	डालचन्द्र पिता बटलू जाति चनार पता नियासी सीसोर मध्य प्रचेश भूमि रवामी अंतरतांतरणीय	3/20	0.560	0.560	

52	सोश्यकई बेवा थानीरथ शिव पुत्र मजीरण भेजबाई कैज़ार बाई सुगनबाई सुनीताबाई पुत्रिया भागीरथ जाति चगार पता मरहेटी सीहोत्त नग्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/21	0.560	0.070	
53	कालूराम पिता मिश्रीलाल जाति वमार पत्त निवासी शीहोर गध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/22	0.56D	Q.56D	
64	रगेश पुत्र मिश्रीलाल जाति चमार पता मरहेटी श्याभपुर सीहोर मध्व प्रदेश मूगिरवागी अहस्तांतरणीय	3/23	0.560	0.560	a
65	रवस्तिंह गिता हरिप्रसाद जाति चमार पत्न मस्हेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूभिस्वामी अठरतांतरणीय	3/17	0.560	0.090	
<del>6</del> 6	मुकेश निता जमनाप्रसाद जाति मैन्द्र पता मरहेती श्यागपुर सीक्षेर मध्य प्रदेश मृमि स्वामी	4/1	0.928	0.070	
67	रारितावाई वेवा तखत सिंह जाति मौना पता मरहेटी स्यामपुर सीडोर राज्य प्रवेश भूमि स्वामी 1/6 अनिल पुत्र तखत सिंह जाति मौनः पती मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रवेश भूमि त्वामी 1/6 सुनील पुत्र तखत सिंह जाति मौना पता मरहेटी श्यावर्षुर सीहोर मध्य प्रवेश भूमि त्वामी 1/6 रवि पुत्र तखत सिंह जाति मौना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रवेश भूमि त्वामी 1/6 राज पुत्र तखत सिंह जाति मौना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रवेश भूमे त्वामी 1/6 सुमनवई पिता तखत सिंह जाति मौना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रवेश भूमे त्वामी 1/6 सुमनवई पिता तखत सिंह जाति मौना पता मरहेती श्याभपुर सीहोर मध्य प्रवेश भूगे स्वामी 1/6	8/6	0.553	0.520	

-					
бБ	रामकली बेवा श्रीकिशन जाति गीना पता भरहेटी श्यानपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि रयागी 1/8 कैलाश पिता श्रीकिशन ज्यति तीना पता भरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूगि रवागी 1/8 रारजन पेत श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्थानी 1/8 गनपत पिता श्रीकिशन जाति मीना पता गरहेटी श्यानपुर शीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्थानी 1/8 दिलीप दिता श्रीकिशन जाति मीना पता गरहेटी श्यानपुर शीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्थानी 1/8 दिलीप दिता श्रीकिशन जाति मीना पता गरहेटी श्यानपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्थानी 1/8 सुंदरलाल बिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेती श्यामपुर सीहोर मध्य प्रवेश भूमि बचनी 1/8 गीताबाई थिता श्रीकिशन जाति मीना पत्न मरहेती ज्यामपुर सीहोर मध्य प्रवेश भूमि बचनी 1/8 गीताबाई थिता श्रीकिशन जाति मीना पत्न मरहेती ज्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/8 जयमाल मंद्र सपित पिता जनदीश कृष्णवाई बेधा जगवीश जाति मीना पता नरहेती श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश गूनित्तारी 1/8	Б/7	D.535	9.140	·
ы	रागपूल पिता लीखाकिश्व∺ आहि मेंगा पत्ता गिवासी सीहोर मध्य प्रदेश कृपि रवणी	8/8	0.405	0.200	
70	हनुभत सिंह जरूरथ सिंह हेन्साल चिह आ रब्बू सिंह वयामी बाई शिप्रा बाई मुत्री रब्बू सिंह जाति मीना पता नि. बान भूमिरवामी आहस्तांतश्मीय	3/2/1	1.600	0.310	
11	जसारथ सिंह िता रब्बू सिंद जाति मीना पता मरहे <i>ी</i> स्तामपुर सोंहोर गच्य उदेश मूमिस्वामी आतस्तातरणीय	3/2/2	0.587	Q. 240	-
	×न्था दिहा पर्वतसिंह जाति गीना वता सीह <sup>ै।</sup>	37/5	0.024	c.920	
77	मध्य प्रदेश भूमि ખ્यानी.	41/5	0.020	0.005	
73	विश्रामसिंह मिला मांगीलाल जाति गीना गढा	37/4	0.024	ð.D10	
	सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/5	0.056	0.00S	
74	नवल सिंह गिता जगन्नाथ पता सीटोर नध्य प्रदेश भूमि रचागी	41/3	C.036	D.010	
75	अभर सिंह पिता जनन्ताण जाति सीना पत्र सीहोर गध्य प्रवेश पुषि रव से	41/4	0.04D	0.012	

ղի է ]

-

76	मुक्तेश पिता पर्यतसिंह जाति गीना पत्न सीसोर मध्य प्रवेश भूमि स्थामी	41/7	0.036	0.005	
	रीनाबाई बेधा दिनेश अल्मोल जाबलिक शिवाने नाबालिक आ दिनेश जाति मीन? प्रता मरहेटी	4b/2	0.60)	0.350	
	श्यानपुर सीहोर गथ्य प्रदेश भूमि ज्वामी	52/2/6	0.080	0.050	
78	गिञ्गुसिंह पिता प्रभुलाल जाति मीना पता निवर्ष्सी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	46/5	0.210	0.160	
	भूगि जयागी	52011	0.069	0.050	
79	हारकान्साद पिक कूंजीलाल जाहि मोना पता सीहेर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	62/7/5	0,081	0.050	
30	शान्ति कई पत्नी जगन्ताथ जाप्ति जुडमी पता उन्हारोहे सीहोर मब्द प्रदेश भूमि स्वामी	115/1/9	0.906	0,550	2
-'81	रेखाबाई वेज वेदा रागगोपाल चांजय ना थ' प्रदोब ना बा आ सनगोपाल सौनु ना बा काजल ना बा पुत्री रामगोपाल जाहि कुडमी पता आछल्रोई बीहिर मध्य प्रदेश जूमि रवागी	\$15/2/4	U.647	0.100	
82	हरिचरणः पिता मोतीलाला जाति कुढमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/3/1,185 /115/9,185/ 115/10	1.425	0.750	
-	छोटेरान पिता गहपत जाति कुलमी पता निवासी स्थामपुर सीहोर मध्य प्रदेश पूमिस्व मी	115/3/2/1	2.345	0.900	
83	1 /2 गोकलज्ञराद पिता गनण्त जाहि फुलगी पता तिवासी सीटोर मध्य प्रदेश भूमिस्पामी 1 /2	115/4/1	0.50D	0.050	
<u>⁄81</u>	रमेश पुत्र श्रीकिशन जाति कुलगी जल निवासी आफारोहि भूमि स्वामी सीटोर मध्य प्रदेश भूमि	115/3/2/2/1, 115/9,185/1 35/10	0.762	0.360	
	स्वामी	715/4/2/2	0.166	0.090	
85	धर्मेंद्र पुत्र श्रीकिशन जाति कुढमी पता निवासी आछारोही भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि	115/9/2/2/2 ,115/9,185/1 15/10	0.787	0.060	
	स्यामी	115/4/2/2	D.167	0.D20	

[मग1

_					
√ <sup>′</sup> 86	फूलगिंह पुत्र श्रीकिशन जाति कुलगी पता निवासी आरक्षरोठी भूमि स्वामी सोलेर मध्य प्रदेश भूगि स्वागी	115/4/2/3	D.166	0.01D	
87	प्रेम्नारायण भिता रामप्रसाद जाति कुडमां पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश पूर्णि रव मी	114/1	1.841	1.340	
88	रामसिंह पिता मंतरलाल जाति कुटमी पता िवासी श्रीटोर मध्य प्रदेश भूमे स्वामी	114/?	0,491	0.550	
89	सुनील भित्ता रामप्रसाद जाति कुट्रमी पता आछारोही भीहोर मध्य प्रदेश मूम्वेस्वामी	114/4	1.845	D.04D	· · · ·
90	हेमराज पिता मदनलाल जोति कुढनी पता भरहेटी सीहोर नध्य प्रदेश गृनि रयागी	114/5	0.530	<b>3.0</b> 80	
91	अब्दुल अली पित समद खॉ जाग्री रेवती पता सीक्षेर मध्य प्रदेश भूगि रवागी	101/2/3	2.696	1.020	
i'42	हिरदेश पिता ज्यापलाल जाति कुळनी पता करनाल सीटांप मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	124/5,125,1 26	0.623	0.100	
93	गायक्षेबाई पत्नी राजवयाल जाति कुइसी पता चरनाल सीहोर गथ्य प्रदेश भूमि स्वामी	124/8,125,1 26	0.789	6.10D	
94	जगदीश विद्या लील किंशन जाग़ेंने कुढ़नी पत्ता चरनाल सौहोर नध्य प्रदेश भूनि स्वामी	)24/17,)75, 126	0.607	0.030	
95	जनन्ताथ आ नन्दरान दि 25 पैसे रामरतन आ राधेकिशन हि 25 पैसे दीपसिंह अन कटटुलाल हि 25 पैरो रागनोवाल आ गंनाराम हि 25 पेसे जाति कुढमी एता जीवासी ग्राम चरनाल सूमि स्वर्थी	124/18,125, 126	0 263	0.120	£.,
	रामस्वरूप मिता इस्प्रिसाद जनति देशवाली पत:	128/3	¢.202	0.702	
<del>У</del> Ъ	सीहोर मध्य उदेश भूमि रदागी	128/19	1.011	0.060	1
97	र मदयाल मिता मोहनलाल जाति नुज़र पता	128/12/1	0.226	0.130	
91	प्रयागाः जीवोर मध्य प्रतेषः धमि रुणमी	140/1/2/2/1	0.114	0.100	
·98	दौलतसिंह पिता मोठाकाल जाति गुजर पता	128/12/2	0.227	0.080	
20	श्यामपुर चोहोर गम्म प्रदेश मूनेरयागी	140/1/2/1/2	0.113	0.100	
99	पर्वतसिंह पिता रात्रलाल जाति भूजर पता निवासी जीहोर मध्य प्रदेश भूनि चवामी	128/13	0.453	0.060	
100	मोशहोद पिता क्वीच्यों जाति मेवाती परा। सीडोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	\$28/17	0.196	0.020	

161	टेमसित पिता तरिप्रसाद जाति देशतग्ली पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/18	1.001	0.580	
102	प्रीलनगिंह पिल शंकरलाल जाति व्यगर गता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश गांगे स्वामी 1/4 राजेन्द्रं मित शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश मूमि स्वामी 1/4 सुनील गीता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश मूमि स्वामी 1/4 अगिल मिता शंकरलाल जाति चमार पत्ना चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश मूमि स्वामी 1/4	178/70	Q.6N7	Q.550	
103	दीपकच्छुनार दिला रागस्वरूप जारि देशवाली कता निवासी न्यूम यूनिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्तानी	128/21	0.405	0.405	
104	ओगप्रकाश पुत्र हरिद्रराच लाही नाई पता चरनाल सीहोह मध्य प्रदेश भूमि रदागी	128/22/1	0.789	0.580	S 11 C
105	गोधील ल गिता भिश्रीलाल जाति तेली पत्ता नियासो सीहोर मध्य प्रदेश भूगि रवामी	128/22/2	0.789	0.180	
IDB	श्यामलाल मिता लक्ष्मण जाति युजर पता निवाली स्टीहोश मध्य प्रदेश भूमि स्वत्मी	128/23	0.293	0.180	
107	विव्वमसित पिता निर्मय सिंह जाति गुर्जर पता निवासी तीकोर मध्य प्रदेश भूमि रूगमी 1/3 सुनेरसित पिता निर्मय सिंह जाति गुर्जर पता निवासी तीहौर गव्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 बबलू पिता निर्मय सिंह जाति गुर्जर पता निवासी सीहोर मब्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3	128/24	6.291	0.200	
106	बम्रीग्रसाद पिता कमलसिंह जाति गुजर विवासी गता सीहोर वष्ट प्रदेश भू?' स्वामी	128/25	0.291	0.210	
1u9	प्रीतमलिंह पिता शंकश्लाल जाति चमार पता चल्लाल सांहोर मध्य प्रदेश गूने बयानी	128/26	1.011	D.19U	
110	राघेश्यास निता काशीराम जाति लाहु पता चरनाज गीहोर मध्य प्रदेश गूनि रकनी	131/2	1.214	0.450	
113	वर्यतांरींड पिता समलाल फारि भूछर पत्म 'नेयासी तींडोर मध्य प्रदेश भूनि स्वामी	140/1/2/3	0.276	0.195	
112	ज्यगदीशसिंह पितः अमर सिंह आति भूजर पता निकर्णा सीक्षेर मध्य अदेश भूमि स्व.नी	140/1/2/4	0.417	0.26U	
11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11					

4390

-

-	कुल योग :	149	91.964	46.646	
124	रवि भिता हेमलिंह आति देशवाली पता भेरूपुरा श्यागपुर रहिोर मध्य प्रदेश भूमि स्कर्ती 1/2 दीपक पिता रामस्तरूप जाति देशवाली भत. भेरुपुरा श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश थूथि स्वामी 1/2	105/9 115	0.405	0.405	
123	रागकिश्चल पुत्र मून्या जाति कमार पत्न भरदेशे स्थानपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूति रवामी	165/115/7	1517	D.450	
122	कौशल्याबाई परिन कामलाप्रखाद गोरियादाई परिन लीलाकिशन गीताबाई पलिन जालाप्रसाद विनला पलिन रहीश्याम जाति क्रुइमी पता थि. आछ रोही थूमि स्वामी	185/115/6	1.121	0.700	
121	शामकलीबाई चल्नी गोळल प्रशास पतन सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/115/5	0.558	0.530	
120	त्तभ्यतवाई भक्ती गोरेलाल जा ते कुढ़मी पता मध्हेदी श्रयागगुर सोहोर मध्य प्रदेश भूमि क्यानी	165/115/4	1.519	1.120	
119	गरेन्द्रसिंह पिता भवरल'ल जाति उजपूत पता आछारोई सीहोर गध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 महेन्द्रसिंह पिता मवरत्नाल जति राजपूत पता आदगरोई सीहोर नथ्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2	1K4/2,120	] 647	Q. 70V	
118	इस्माईलच्यां पिता रसूलखां जाति भेवाती पता निवासी सोहोर मध्य प्रदेश मूलि स्वामो	182/98/4	1.619	1.939	
117	जखनजात पिंचा बट्टूलाल जांचि जन्टम पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमे स्वामी	181/24/3	0.220	D.220	
116	सुरकासिंह िता अमर सिंह जाति गूजर पत्ता निवासी सीटोर मध्य प्रदेश भूमि स्दामी	140/4	0.413	0.285	
125	दीवसिंह पेता अनर सिंह जाति गूजर पता गीछोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	140/3	0.412	0.900	
114	मेहररवागांसेंह पुत्र गंगोरत्म जाति गूजर कता मरहेटी श्वामपुर सीहोर तथ्य प्रदेश भूमि रवामी	140/1/2/1/2	0.455	0.350	
113	बनेसिंह पुत्र गंनाताम जाति गूजर पता मरहेती श्लामपुर सीक्षेर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	140/1/2/1/1	0.455	D.360	•

	भूमि स्वामी का नाम पेता का नाम पता मौ संहदिक पिला नगौर्खा जान्ति मेशली पता मरहेती श्यामपुर सीहेल भध्य प्रदेश भूनि रक्तनां १/४ भी सलीम पिता नबीर्व्या जाति मेबाती पता मरहेती	بعدل المعلم	भक्तान का प्रकार गव्दकः भवजन छदा आर सी. सी. भूदारः गव्दका मद्धन	लण्दाई गीटल ने 12.85		कुल सेवफल मर्ग मीठा में 113.28	भदरः स्वामी नाम	्रिनार्ड 1.गयन का स्थानित्व
	मेवाती पता मरहेती श्यामपुर सीहेल १४८ प्रदेश भूनि रणनां १/४ भी सलीम पिता नबीखां जाति मेवाती पता मरहेती		छद आर सी. सी. भूडाल पञ्चन मकल्	12.85	8.9	113.58	2	
	सीहेल भध्य प्रदेश भूनि रकेनां १/४ भी सलीम पिता नबीर्खा जाति मेवाती पता मरहेती					1.1.1		+अधक्रेदारों द्वारा दी पई
	<u></u>		छत आर सी. भी, पूतल	3.85	4.65	17.90	મર અ	15611 이 다 마르 다고드
1	रच भपुर सॉहोर मच्च प्रदेश मुगि स्वामी 1.76 मो शाहिब मिता गधीखा जाति मेवाता पता मरडेवी श्यामनुर सौहोर मच्च द्ववेश भूगि त्वानी 1.76 रफीला, गी पुत्री	183/98/3 में े)	पक्क, मइजन छत्त आर सी. सी. प्रथन तल	4.10	4.35	17 84	गोगादिक पिता गर्दा खां जाति	
1	गवोक्ता जाति भेकती पता मरहेटी श्यामपुर तोडोरे मध्य प्रदेश भूगि स्वामी 1/6 जाहिदा वी मुनी	¥i	खुलाटीन शेड	11 45	7,45	85.30	मेदाली द द 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
	नबीखां जाति नेवाती पता मरहेवी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रवेश शूमि स्थामी 176 शहजावी नी पुत्री रखेखां जाति मेवाती पता मरहेवो		पशु शेढ टीन	9.00	3.95	35.55		
	१थ भुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि खामी 1/8		श्रीयलय	2.20	15	3.30		

 भूगि के सदशे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुतिभागीय अधिकारी (राजस्त) एवं मू–अर्जन अधिकारी सीहोर / तत्सीलदार स्वयमपुर जिला श्वीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. प्रकरण के प्रकाशन अपरांत धारा-15 अंतर्गत विदित 60 दिवस के भीतर किशी भी व्यक्ति को ' कोई आपति हो को अनुविभागीय आंधेकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/तत्तसीलवार स्वभपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

> गण्डप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आवेशानुराथ. प्रवीण सिंह अढायथ, कलेल्टर एवं पहेन अपश्वथिक

[ भ.ग 1

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैम, दिनांव, 3 सितग्बर, 2024

क. भू आर्जन=2024=7371=९। प्र. क 0001=अ=82=2024=25.= ब्रॅंग्ले, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीये थे गई अनुसूची क्रमांक (1) में किरम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिप्रडित डेतु प्रस्तावित वर्णित भूंगे किस्तक सचै क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित हैं. निमावर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) ें वर्णित भूंगे की, अनुसूचो के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिथे अजरथकरण है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संगयना है. अतः भूगि=अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थानन में खचित प्रतिकर और पार्व्यवेता का अधिकर अधिनियम, 2013 की बारा 11 की उपकास (1) के लगबंधों के अनुसार रही, संबंधित व्यक्तियों को इसके हास, इस आश्रय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अश्विस्तुवना के पुनर्व्यवस्थानन में खचित प्रतिकर और पार्व्यवेता कार्यवाहीयों के पूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अश्विस्तुवना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहीयों के पूच हो जाने तेल अधिसूचन में विकार्यित्य भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा आखे ही अत्यत्या अध्य ही स्वीत प्रतिकर प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अर्घान की तारीख से पुरा हो जाने के समय एस भूमि के सम्बंध में घल 12 इस दी नई शक्तियों का प्रयेन करने हेतु प्राधिक करत्ता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डोएमआईसी विक्रम स्व्योगपुरी लि., सज्जैन के विरत्तारीकरण के लिए है, यो मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, गत्रालय, भोजाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं 3 म—जनता के व्याप्रक एवं यूरभागी हितों से है, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाविक रूमाधात निर्धारण किया गया, जिराका मूल्यांकन भू, अर्जन अधिनियन की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक रुशाकिकरण और सामाविक आधिति विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वयुद्ध परिवोजना जो कि लोकडित में है साथ ही समूह द्वारा परिवोजना में किरी भी परिवर क: विरम्भवित, नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम को धारा 43 के तहत् प्रशिक्ष की नियुक्ति आवरपक नहीं है —

N	5.3
यन संचा	141
on na su	
	1.1

विवरण	असिंह की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रकल (हेक्टर में)
विक्रम उसोगपुरी लिभिधेरू के दिस्तारीकरण हेतु	10.810 है.
औद्योगिक विकास एवं शहरा उन्नयन हेट.	

		<b>3</b> - 1
1	ΞΠ	101
9 <b>7</b> 7	541	121
- 1,06,12		e

-----

$\langle 1 \rangle$	শুদি কা যেও	- Internet		
	(ক) যি ল	π	তত্ত্বীন	
	(ख) तहर	ਜੀਵਾਂ 👘	उज्जैन (ग्रन्मीण)	
	(ग) ग्राम	4	माधौनुर	
	(ઘ)ાં≏ાં	) दूमि का शजिंत फुल क्षेत्रफल	11,810 हेक्टेयर.	
5°.	सर्वे नम्बर	अर्जन हेतु निची भूमि रकवा (हेबटे, गे)	वारा १२ के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकःशि	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	. (4)	(5)
1.	80	0.150	कार्यप्रतन श्रेत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
2.	89	0.410	ऊँ एमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
3.	80	0,580	डद्योगपुरी लि, जिला	उद्योगपुरी लि., के
4.	91	0.450	ভত্ত্বীপ.	विस्तारीकरण हेतु.

1394		મધ્યપ્રવેશ અહેવર	त्र, दिगांक 13 सितम्बर 2024	្អែរារ
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)
ь.	81/1	0.500	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
6.	82/2	0.100	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
7.	84	0.110	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
8.	85/1	0.270	<b>उ</b> ज्जैन_	विस्तारीकरण हेतु,
9.	86	0.170		
10.	87	0.240		
1*.	81/2	0.900		
12.	82 / 5	0.220		
13.	83	0.140		
14.	B5/2	0.130		
15.	92	0.480		
16.	93/1	1,150		
17.	93/2	1.000		
18.	93/3/1	0.900		
19.	83/3/2	0.100		
20.	94/1	0.200		
21.	94/2	0.600		
22.	84/3	1.000		
23.	84/4/1/1	0.100		8
24.	94/4/1/2	0.400		
25.	94/4/2	0.500		
76,	84/5/1	0.800		
27.	94/5/2	0.200		
	र्थम	11.810		

(2) अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा अपश्रीयेत इस सूचना की तारीख ले 60 (साव) दिनों के भीतर किरी भी इच्छुक व्यक्ति हाश भूमि अर्जन के संदंध में कलेक्टर के राग्ध्र (कार्यालय, कलेक्टर की भू–अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सबैना.

(3) भूमि का नक्शा (फलन) अनुविभगीय आधिकारी (श.) चज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा का सकता है.

क, भू आर्चन-2024-7372-स. प्र. फ्र. 0007- अ 82 2024 25. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रगीत होता है कि भीते दी गई अनुभूची क्रनांक (1) में विक्रम चर्सागपुरी लिगिटेड के विरुद्धिकरण के लिए अधियहित हेतु प्रस्तावित यणित भूभि जिसका सचै क्रमांकवत क विवरण अनुष्ट्रची (2) में एल्लेखित है. निन्नदर्णित अनुसूची (2) के खाने (5) से (5) में वर्णित भूभि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेडित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संगवना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्थ्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपयोग (1) के उपबंधों के अनुसार राभी संबंधित क्योंक्यों की इसके ढ़ाए, इस आराव की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन को तारीख से इस अधिनियम के अधीर कार्यवहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विननर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएग। अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सुजित नहीं करेगा, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूख़ी के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी मई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह आर्थ औद्योगिक क्षेत्र औरमआईसी विक्रम उद्यौगपुरी कि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए हैं, जो मप्तप्रवेश शासने, औद्योगिक नीति इवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध आधोगेक दिकास एवं आम—जनता के व्यापक एवं तुरनामी हितों से हैं. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामादिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन अधिनियम की घारा 7 के तहत् विशेषज्ञ शामूह हाल कराया गया. विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेधि किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक स्वाक्तिकरण और सामाजिक -आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लपट्रक्त परियोजना जो कि लोकहित में है साथ ही स्पष्ट हाल परियोजना में किसी भी परिवर का विस्टापित, नहीं होना प्रतिवेधित किया गया है जिससे आधोनियम की भारा 43 के तहत्व प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :

अनुराया	(1)
---------	-----

विवरण	अर्कित की जाने वाली भूनि क' कुल क्षेत्रफल (हेक्टर ों)
विक्रम उद्योनपुरी लिमिटेड के विरतारीकरण हेतु	90.570 हे.
औद्योगिक विकास एवं समग्र जन्मचन हेतु.	

अनुसूची (2)

	(1)	भूमि का विव	રળ -			
		(रू) लिव	ना	÷	তজ্ঞান	
		(ख) तहर	ी ज	1	रुप्रलेग (ग्रामीण)	
		(ग) जाम		1	चैनपुर इंजखेड़ी	
		(১) নির্বা	ो भूनि का आंजेंत कुल क्षेत्रफल	-	80.570 ਲੇਬਟੇ 44.	
क्र.		सर्वे नम्बर	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे, में)		धार⊢:2 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिव्यरी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)
í,		88/1/1/1	0,∠1û		कार्यमालन यंत्री.	औद्योगिक क्षेत्र
2.		85/1/1/2	1.200		डीएगआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
3.		88/1/2/1	0.630		जयोगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि., के
4.		88/1/2/2	1.000		তত্ত্বন.	विस्तारीकरण हेतु.
5.		68/2/1	0.200			
б.		88/2/2	0.460			
7.		90/1/1	0.740			
8.		90/1/2	1.000			
9.		9G/2/1	0.250			

			۰.	-		
1	4	2	j	5	1	3

-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	80/2/2	0.800	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
11.	91	0.690	क्षीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
12.	95	2.520	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
13.	96	0.890	তত্ত্বীপ.	विस्तारीकरण हेतु.
:4.	98	1,220		
15.	99	1.890		
16.	100/1	2,800		
17.	100 / 2	2.0*0		
18.	101	1.920		
19.	102 / 1	1.340		
20.	102/2	1.340		
21.	103/1	1.080		
22.	103/2	2,490		
23.	104 / 1	0,120		
24	104/2	6.790		
25,	104/3	0,790		
26.	106/1	0.600		
27.	106/2	1.400		
28.	107	0.770		
29.	108/1	0.500		
30.	108/2	1.140		
31.	106/3	0.560		
32	109/1	5.690		
33.	109/2	1.400		
34,	109/3/1	0.400		
36.	109/3/2	0.400		
38,	110/1	0.200		
37.	110/2/1	0.590		
38,	110/2/2	0.290		

5 (A. 1. ]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
su.	110/3/1	Q N2C	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
40.	110/3/2	0.200	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
41.	1/0/4/1	0.110	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
42.	110/4/2	0.090	ন্তত্ত্বীল,	विस्तारीकरण हेतु.
43.	11:	0.930		
44.	112/1/1	1.500		
45.	112/1/2	1.500		
46.	112/2	1,270		
47.	112/3	1.700		
48,	112/4/5	0.670		
49.	112/4/2	0.200		
50.	12/5	1.200		
51.	113	2.510		
52.	114/1	2.400		
53.	114/2/1	0.200		
54.	114/2/2/5	1.200		
55.	114/2/2/2	2.R9U		
5 <b>8</b> .	116/1	2.720		
57.	116/2	0,100	•	
5B.	117/1/1	0.700		
<del>5</del> 9.	117/1/2	0.700		
60.	117/2	0.700		
81.	118/1/1	0.120		
62.	118/1/2	0.236		
63.	118/2	0.350		
64.	118/3	0.860		
65.	118/4	0.360		
68.	119	П 810		
67.	120/1	D.200		

А	a	a	2
	. 1	7	n

[ भाग 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
68.	120/2	0,050	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
69.	125	0.310	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
70.	122	0,360	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
71.	123/1	0.080	ত্তব্বীন.	विस्तारीकरण हेतु.
12.	123/2	0.440		
73.	124	0.360		
74.	125	1.590		
75.	:26	2.420		
78.	127 / 1	0.080		
77.	127 / 2	0.750		
78.	127/3	0.500		
79.	127/4	0.540		
8D.	:27/5	0.200		
ō1.	128/1	0.120		
82.	128/2	0.160		
83.	128/3/1	D.410		
84.	128/3/2	0.400		
85.	120/1	G.470		
86.	129/7	0,420		
67.	\$2 <del>8</del> /3	0.780		
88.	130/1	0.450		
89.	130/2	1.020		
90.	191	0.640		
91.	132	1.640		
92.	133/1/1	0.100		
83.	133/1/2	n.180		
94.	133/2	0.700		
95.	134	D,660		
95.	135/1	0.100		

101	٩T	ग	-	1	
-----	----	---	---	---	--

$\langle 1 \rangle$	(2)	(3)	(4)	(5)
97.	135/2	0.500	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
<u>88</u> .	135/3	0.400	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
<u>99.</u>	135/4	0.200	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
100.	135/5	0.290	ন্তত্ত্বীন,	विस्तारीकरण हेतु.
101.	136	1.240		
102.	137 / 1	0.480		
103.	137/2	0.200		
104.	137/3	0,300		
105.	137/4	0.300		
108.	138	0.210		
107.	139	0.250		
108.	140/1/1	0.100		
109.	140/1/2	0.770		
110.	140/2/1/1	0.100		
111.	140/2/1/2	0.100		
112.	140/2/2	0.100		
:13.	141 / 1	0,570		
114.	141/3	0.570		

(2) अधिनियम की भारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भौतर किसी भो इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के तमक (कार्यालय, कलेक्टर की भू-अर्जन साखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सबेना.

(3) भूमि का मक्शा (लान) अनुविभागीय अधिकारी (स) रफ्जैन (ग्रामीम) कार्यालय में देखा जा सकता है.

90,570

कुल रक्य

करेगत राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में एक्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में घारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी कि., उच्जैन के विस्तारीकरण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नी'ते रवं 'नेवेश प्रोत्ताहन विमाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विक्रस उद आग—जनता के व्यापक एवं दूरमांगी हितों से है, अधिनियन की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समधात निर्धारण किया गयत किराका गूल्यांकन भू अर्जन अधिनियम की धार 7 के तहत् दिशेषज्ञ समूह द्वारा करवा गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि एक योजन औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आधिक सराधात निर्धारण आधि विकाल को बढ़ाज देने के लिए उपयुक्त मरियोजना को कि लोकसित में है, साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसो भी परिवर का विकाल को बढ़ाज देने के लिए उपयुक्त मरियोजना को कि लोकसित में है, साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसो थी परिवर का विकाल नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे आधिनियम की घास 43 के तहन् प्रशासक को नियुक्ति आवश्यक नहीं है :—

anaarah (4)

অনুমুল	(1)
વિદ્રશ્ય	अर्जित की जाने धाली भूगि का कुल कैल्लागल (हेक्टर में)
विक्रम चलोगपुरी लिगिटेड के विख्तारीकरण हेतु	22.62 है.
औद्योगिक विकास एवं संगग्न उन्नंधन हेत.	

## अनुसूची (2)

(5)	भूमि का पिष	तरण —		
	(क) लि	ना ः	ভজ্জন	
	(ख) सह	शील	তগ্রীন (ग्रामीम)	
	(ग) ग्राम	r 4:	पिपलौदा द्वारकाधीश	
	(ઘ) નિપ	॥) भूमि का अर्जित कुल ६ो≾फल 🐑	22.62 हेक्टेयर.	
Дi.	सर्वे नम्बर	अर्जन हेतु निजी भूमि रकवा (हेक्टे. में)	धारा १२ के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	$\langle a \rangle$	(4)	(5)
1.	708	0.500	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
2.	217	0.500	औएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
3.	218	Ð.670	चचोगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि., के
4.	221/1	1.200	র্বতর্গন:	विस्तारीकरण हेतु,
5.	221/2	1.400		
6.	221/3	0.530		
7.	221/4	0.530		
8.	221/11	0.500		
9.	221/12	0.500		
10.	221/13	0.500		
11.	221/14	0.500		
12.	221/15	0.500		

(1)

 $\langle 2 \rangle$ 

 $\langle 4 \rangle$ 

(3)

13.	221 / 16	0.500	कार्यपालन यंत्री,	कार्यपालन यंत्री,
14.	721/7	0,500	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
15.	209/1	1.220	जग्रोगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि., जिला
1 G.	209/2	0.400	বত্তন	তত্তীন.
17.	210/1	2.610		
18.	210/2	1.000		
19.	211	2.280		
20.	214	0.460		
21.	216	0.580		
22.	212	0.060		
23,	213	0,800		
24.	215	0.800		
25.	219/1/5	0.300		
26.	219/1/2/1	0.320		
27.	220/1/1	0.270		
28.	218/1/2/2	0.190		
29.	220/1/2	0.110		
30.	219/1/2/3	0.320		
31.	220/1/3	0.270		
32.	2:9/2/1	D.310		
33.	220/2/1	0.190		
34.	219/2/2	0.320		
35.	220/2/2	0.180		
36,	221/6	0.800		
	कुल रकबा	22.62		

- (2) अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की करीख से 60 (साठ) दिनों के गीतर किसी भी इक्टुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेवटर के समक्ष (कार्यालय, कलेक्टर की भू–अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा.
- (३) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविधागीय अधिकारी (रा.) उच्चौन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.--२ू--अर्जन 2024-7374--९। प्र. क्र. 0004--अ--७2--2024 २८ -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में दिक्रम उद्दो नपुरी किमिटेड के विस्तार्शकरण के लिए अप्रिजित हेतु प्रजावित वर्णित भूमि किस्कों सर्वे क्रमांकवार का विवरण शतुसूची (2) में उल्लेखित हैं, तिम्नधर्णित अनुसूचे (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये शावरवकता है अथवा आवस्यकता पढ़ने की संजावन हैं, आतः भूनि--अर्जन पुनवांसन और पुनर्वदस्थापन में उदित प्रक्तिकर और पारवरिता का अर्थवा आवस्यकता पढ़ने की संजावन हैं, आतः भूनि--अर्जन पुनवांसन और पुनर्वदस्थापन में उदित प्रक्तिकर और पारवरिता का अर्थका आवस्य की सूचना दी लाती है भाषा 11 की उपधारा (1) के सपबंधों के अनुसार जमी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी लाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तार्थिस से इस आवेनिश्वम के अर्थन कार्यवादियों के पूरा हो जन्में तक आधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा था कोई संव्यवहार नहीं करण्या अथवा ऐसी अपिसूचन के प्रकाशन की तार्शित से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो प्रकाशन की तार्शित से इस अध्याय के अर्धन कार्यवहार नहीं करेगा था कोई संव्यवहार नहीं करण्यना अथवा ऐसी अपिसूचन के प्रकाशन की तार्शित से इस अध्याय के अर्धन करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएनआईसी। दिक्रम उद्योगपुरी लि., लज्लेन के विस्तारीकरण के लिए है, लो मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, एंकालय, भोवाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम—जनस के व्यापक एवं पूरभागी हितों से है, आऐनियम की भारा 4 के अंतर्गत साधानिक रूमावात निर्धारण किया रख, लिसका मूल्वाफन भू—अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ सनूह इएन कराण गया, दिशेषज्ञ समूह झार्च प्रतियोधेत किया गया कि चक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे बेज के अर्थिक स्वात्रिकरण और समासिक आधिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना को कि लोकहित में है, साथ ही सनूह इप्त परियोजना में किसी भी परिवर का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे आधिनियम की धारा 43 के सड़त्व प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :

अनुसूची (1)

	रुर्जित की जाने वाली भूगि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)
रीकरण हेतु	31.550 è.

विक्रम जत्मोरपुरी लिगिटेड के विस्तारीकरण है। औद्योगिक विकास एवं सगग्र उत्त्वयन हेतु.

<u>ਰਿੱਹਵਾ</u>।

अनुसूर्वी	(2)	
-----------	-----	--

(1)	भूमि का वि	uxu —		
	(ক) ডি	ला 🗧	বতর্তন	
	(ख) सः	ब्योल 👘	चज्जैन (ग्रामीण)	
	(ग) सा	F #	मुंजाखेडी	
	(घ) नि	जी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 🏨	31,550 हेक्टेयर.	
<u>57</u> .	सर्वे नम्बर	अर्जन हेतु गिली भूमि रक्ष (हेवटे, मे)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन क। वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1/1	0.450	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
2.	1/2	0.200	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
3.	2/1	0.800	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि., के
4.	2/2	0.150	ভত্তীন	विस्तारीकरण हेतु.
5.	з	0.500		

भगः ]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	4/1	0,050	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
7.	4/2	0,300	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
8.	4/3	0.130	खद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
<u>9</u> .	5	0.050	ত্তত্তীন,	विस्तारीकरण हेतु.
10.	ĥ	0.400		
11.	7	0.330		
12.	δ/1	0,170		
13.	8/2	1.210		
14.	9/1	0.100		
15.	9/2	0.190		
16.	33/1	0.020		
17.	33/2	0.460		
18.	33/3	0.150		
19.	33/4	0.060		
20.	35	0.420		
21.	37/1	1.520		
22.	37/2	0.180		
23.	38/1	0.170		
24.	38/2	0.460		
25.	38/3	0.090		
26.	39/1	0.790		
27-	39/2	0.500		
28.	40/1	ti.120		
29,	40/2	0.250		
30.	42	0,150		
<b>31</b> .	43	0.110		
32.	44	1,530	<i>a</i>	
33.	45	0.050		
34.	46	0.120		

4403

04		मध्यप्रदेश राजमन्त्र	. दिगांक १३ सितम्बर २०२४	[ יווזי
1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	47	0.070	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
ଟ.	48	0.020	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
7.	49	0.800	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
8.	54	0.660	রতজঁন,	विस्तारीकरण हेतु,
<u>e</u> .	55	1.690		
0.	56/1	0.070		
s.,	58/2	0.060		
2.	58/3	0.080		
З,	56/4	0.060		
4.	57/1	1.030		
5.	57/2	1.040		
6.	59	0.800		
7.	60	0,800		
8.	61/1	0.500		
9.	61/2	0.300		
iO.	67/1	0.240		
i1.	67/2	0.300		
i2.	67/3	0.140		
3.	67/4	0.570		
×4.	67/5	0.560		
55.	41/1	0.500		
56.	41/2	0,100		
<i>i</i> 7.	53	0.100		
58.	58/1	0.180		
19.	68/2	0.200		
0 <b>0</b> .	68/3	0.200		
51.	68/4	0.200		
12.	69	0.870		

भाग 1 ]		मन्यप्रदेश रज्यव	4403	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64.	72/*	6.310	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
65.	72/2	0.620	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
68.	75/1	0,600	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
67.	75/2/1	0.200	তত্তীন,	विस्तारीकरण हेतु.
66.	75/2/2	0,050		
69.	10/1	0.750		
70.	10/2	0.600		
71.	11	0.440		141
72.	13/1	1.220		
73.	13/2	0.410		
74.	13/3	0.210		
75.	76/1	0.260		
76.	76/2/1	0.250		
77.	76/2/2/1/1	0.080		
7B.	76/2/2/1/2	0.120		
79.	76/2/2/2	0.100		
	कुल स्कन	31,550		

where we there is the second

. 1

AAAK

(2) अधिनियम की भाषा (5(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के गीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेवटर के समक्ष (कार्यालय, कलेक्टर की मू—अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा संग्रेगा.

(3) भूमि का नगशा (न्लान) अनुविभागीय अधिक शि (२.) उज्जीन (यामीम) कार्यालय में देखा जा सकता है.

यड कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी तिकाः सद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है, जो मध्यप्रदेश

शास्त्रन, औधोगिक नीति एवं निवेश प्रोत्स इन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योनिक विकास एवं अम जन्मता के व्यापक एवं दूरगानी हितों से है. अधिनियम की घारा 4 के अंतर्गत सामाजिक रामाधात निर्धारण किया गया, जिसका मुल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम को धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ रामूह धारा प्रतिवेदित किया गया कि लक्त योजना औद्योगिक विलाल के लिए मडल्पपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक राशकित्रकरण और सामाजिक-आर्थिक विकारू को बताबा देने के लिए चपयुक्त परियोजना जो कि लोकडित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होन अतिवैदित किंवा गया है जिसने अधिनियम की धारा 45 के ततन् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :--

n ( 1

		अनुराू	ચી (1)			
	विवरण		अर्जित की जाने वाली भू	- अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल होत्रफल (हेक्टर में)		
	विक्रम उद्योगपुरी वि	नेमिटेड के किस रोकरण हेतु	46.760 हे.			
	औद्योगिक विकास	एवं सनग्र च <del>न्</del> रथन हेंचु.				
		अनुसू	ची {2}			
	(1) भूगि का विव	करण —				
	(ক) জি	ell	ভতনীন			
	(ख) तह	सील	उज्जैन (ग्रामीण)			
	$\langle v \rangle$ group	1	गांस्डी			
	(ঘ) নিজ	শি মুখি কা ধৰ্তিন কুল ঐসকল !				
$\overline{\mathbf{W}}_{i}$	ৰাই প•×ৰ :	अर्जन हेतु निजी भूगि एकवा (हेल्टे. नें)	धारा १२ के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
$\langle 1 \rangle$	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.	198	î. <b>21</b> 0	कार्यपालनः शंजी.	आँद्योगिक क्षेत्र		
2.	200	0.370	क्षेएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम		
З.	198	0.100	डचोगपुरी .सि., जिला	उद्योगपुरी लि., कें		
4.	197	0.569	ত্যতাঁশ,	विस्तारीकरण हेतु.		
5.	19 <del>6</del>	u.580				
ი.	195/1	0.630				
7.	235/2	0.590				
8.	235 / 1	0.600				
8.	234	1,150				
10.	233/2	0.790				
11.	233/1	0.390				
12.	232	0.400				
13.	231/2	1,000				
14.	203/3	0.600				

| भाग 1

4406

भाग र ]

(1)	(2)	$\langle 3 \rangle$	(4)	(5)
15	203/2	0.680	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
16.	203/1/2	0.200	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
17.	203/1/1/2	0.100	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
18.	203/1/1/1	0.460	ন্তত্ত্বল.	विस्तारीकरण हेतु.
19.	202/3	0.500		
20.	202/2	0.510		
21.	202/1	1.010		
27.	201	2.090		
23.	229/1	0,690		
24.	230	2.090		
25.	220	0.830		
26.	22'	0.250		
27.	222	0.220		
28.	218	0.230		
29.	217	0.230		
30.	216	0.220		
31.	229/2/2	0.500		
32.	229/7/1	0,180		
33.	229/3	0.680		
34.	228	0.110		
35.	227	0.100		
36.	226	0.100		
37.	225	0.780		
38.	224	0.390		
39.	228	0,400		
46,	215	0.340		
41.	214	0,300		
42.	213	0.310		
43.	208	0,290		

15.     208     0.110     डीएमबाईसी विक्रम     डीएमबाईसी विक्रम       16.     205     0.290     उधोगपुरी ति., जिला     उधोगपुरी ति. के       17.     204/2/2     0.330     उध्जैन     विस्तारीकरण हेतु.       18.     204/1     0.300     उध्जैन     विस्तारीकरण हेतु.       19.     204/1     0.300     उध्जैन     विस्तारीकरण हेतु.       10.     208     0.290     1     10.300       52.     211/2     0.110     10.300       53.     211/1     0.110     10.300       54.     212/1/3     0.410     10.300       55.     212/1/1     0.410     10.300       56.     212/1/1     0.410     10.300       56.     212/1/1     0.410     10.300       57.     712/4     0.410     10.300       58.     259     0.670     10.300       59.     259/2     0.100     10.300       52.     262/2     0.140     10.300       52.     262/2     0.140     10.300       53.     278/1     0.220     10.300       54.     278/2     0.860     10.300       55.     270/3     0.200     10.300       57.     280/2     0.	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
11.1.       200       0.110       00111gR (a, birct)       00111gR (b, birct)         16.       205       0.290       00011gR (b, birct)       00111gR (b, birct)         17.       204/2/2       0.330       00011gR (b, birct)       00011gR (b, birct)       00011gR (b, birct)         18.       204/1       0.330       00011gR (b, birct)       00011gR (b, birct)       00011gR (b, birct)       00111gR (b, birct)         19.       204/1       0.330       00011gR (b, birct)       00011gR (b, birct)       00011gR (b, birct)       00111gR (b, birct)         19.       204/1       0.330       00011gR (b, birct)       00011gR (b, birct)       00011gR (b, birct)       00111gR (b, birct)       0011111gR (b, birct)       001111gR (b, birct) <td>44.</td> <td>207</td> <td>0,180</td> <td>कार्यपालन यंत्री,</td> <td>औद्योगिक क्षेत्र</td>	44.	207	0,180	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
16.       205       0.290         17.       204/2/2       0.330         18.       204/2/1       0.300         19.       204/1       0.300         19.       204/1       0.300         19.       204/1       0.300         19.       204       0.290         11.       210       0.300         10.       208       0.290         11.       210       0.300         10.       211/1       0.410         10.       212/1/3       0.410         10.       212/1/1       0.420         10.       212/1/1       0.420         10.       259       0.670         10.       259/1       0.590         10.       259/2       0.100         11.       261/1       0.100         10.       262/2       0.140         10.       220       0.680         10.       279/1       0.220         10.       279/2       0.680         10.       281/1       1.700         10.       282/1       0.400         10.       282/1       0.400         10.	45.	206	0.110		डीएमआईसी विक्रम
17. $204/2/2$ $0.330$ $18.$ $204/2/1$ $0.330$ $19.$ $204/1$ $0.340$ $50.$ $208$ $0.290$ $51.$ $210$ $0.300$ $52.$ $211/2$ $0.110$ $53.$ $211/1$ $0.110$ $54.$ $212/1/3$ $0.410$ $55.$ $212/1/3$ $0.410$ $56.$ $212/1/1$ $0.420$ $57.$ $212/1/1$ $0.420$ $57.$ $212/1/1$ $0.420$ $58.$ $259$ $0.670$ $58.$ $259/1$ $0.590$ $80.$ $269/2$ $0.140$ $82.$ $262/2$ $0.140$ $83.$ $279/1$ $0.220$ $84.$ $279/2$ $0.680$ $85.$ $280/2$ $0.400$ $86.$ $281$ $1.900$ $87.$ $282/1$ $0.400$ $88.$ $281$ $1.900$ $89.$ $282/1$ $0.800$ $70.$ $282/7$ $0.800$ $71.$ $282/3$ $0.800$	46.	205	0.290		
19.       204/1       0.340         20.       208       0.290         21.       210       0.300         52.       211/2       0.110         53.       211/1       0.110         54.       212/1/3       0.410         55.       212/1/1       0.420         57.       212/1/1       0.420         57.       212/1/1       0.420         58.       258       0.870         58.       259       0.870         58.       259/2       0.100         57.       212/1       0.100         52.       262/2       0.140         53.       279/1       0.220         84.       279/2       0.860         85.       270/3       0.200         86.       280/1       1.700         87.       280/2       0.400         88.       281       1.900         88.       281       1.900         88.       281       1.900         88.       282/1       0.400         88.       282/1       0.800         70.       282/7       0.800         71.       28	47.	204/2/2	0.330	উড্ডান্	विस्ताराकरण हतु.
50.       208       0.290         51.       210       0.300         52.       211/2       0.110         53.       211/1       0.110         54.       212/1/3       0.410         55.       212/1/1       0.420         57.       212/1       0.410         58.       212/1/1       0.420         57.       212/1       0.410         58.       258       0.870         58.       259       0.870         58.       259/1       0.590         50.       259/2       0.100         52.       262/2       0.140         53.       279/1       0.220         54.       279/2       0.660         55.       270/3       0.200         56.       280/2       0.400         57.       280/2       0.400         58.       281       1.900         58.       281       1.900         58.       282/1       0.470         70.       282/2       0.800         71.       0.800       1.700	48.	204/2/1	0.330		
21 $210$ $0.300$ $52$ $211/2$ $0.110$ $53$ $211/1$ $0.110$ $54$ $212/1/3$ $0.410$ $56$ $212/1/2$ $0.410$ $56$ $212/1/1$ $0.420$ $57$ $212/4$ $0.410$ $56$ $212/1/1$ $0.420$ $57$ $212/4$ $0.410$ $56$ $258$ $0.870$ $50$ $259/1$ $0.590$ $50$ $259/1$ $0.590$ $51$ $261/1$ $0.100$ $52$ $262/2$ $0.140$ $53$ $279/1$ $0.220$ $54$ $279/3$ $0.200$ $55$ $279/3$ $0.200$ $56$ $280/2$ $0.400$ $58$ $281$ $1.900$ $59$ $282/1$ $0.400$ $59$ $282/1$ $0.400$ $59$ $282/1$ $0.800$ $70$ $282/3$ $0.800$	<u>49.</u>	204/1	0.340		
52. $211/2$ $0.110$ $53.$ $211/1$ $0.110$ $54.$ $212/1/3$ $0.410$ $55.$ $212/1/1$ $0.420$ $57.$ $212/1$ $0.420$ $57.$ $212/4$ $0.410$ $58.$ $259$ $0.670$ $59.$ $259/1$ $0.590$ $50.$ $259/1$ $0.590$ $51.$ $261/1$ $0.100$ $52.$ $262/2$ $0.140$ $53.$ $279/1$ $0.220$ $54.$ $279/3$ $0.200$ $55.$ $279/3$ $0.200$ $56.$ $280/1$ $1.700$ $57.$ $280/2$ $0.400$ $58.$ $281$ $1.900$ $59.$ $282/1$ $n.470$ $70.$ $282/7$ $0.800$ $71.$ $282/3$ $0.800$	60.	205	0.290		
53. $211/i$ $0.110$ 54. $212/1/3$ $0.410$ 55. $212/1/2$ $0.410$ 56. $212/1/1$ $0.420$ 57. $212/4$ $0.410$ 56. $259$ $0.870$ 57. $212/4$ $0.410$ 58. $259$ $0.870$ 59. $259/1$ $0.590$ 50. $259/1$ $0.590$ 51. $261/1$ $0.100$ 52. $262/2$ $0.140$ 53. $279/1$ $0.220$ 54. $979/2$ $0.860$ 65. $279/3$ $0.200$ 56. $280/2$ $0.400$ 58. $281/1$ $1.900$ 59. $282/1$ $n470$ 70. $282/7$ $0.800$ 71. $282/3$ $0.800$	51.	210	0.300		
54. $212/1/3$ $0.410$ 55. $212/1/1$ $0.410$ 56. $212/1/1$ $0.420$ 57. $212/4$ $0.410$ 58. $259$ $0.670$ 58. $259/1$ $0.590$ 50. $259/2$ $0.100$ 51. $261/1$ $0.100$ 52. $262/2$ $0.140$ 53. $279/1$ $0.220$ 54. $279/3$ $0.200$ 55. $279/3$ $0.200$ 56. $28n/3$ $1.700$ 67. $280/2$ $0.400$ 58. $271$ $0.200$ 59. $282/1$ $0.400$ 59. $282/1$ $0.400$ 59. $282/1$ $0.400$ 59. $282/1$ $0.400$ 59. $282/1$ $0.400$	52.	211/2	0.110		
55. $212/1/2$ $0.410$ 56. $212/1/1$ $0.420$ 57. $212/4$ $0.410$ 57. $212/4$ $0.410$ 58. $259$ $0.870$ 59. $259/1$ $0.590$ 50. $259/2$ $0.100$ 51. $261/1$ $0.100$ 52. $262/2$ $0.140$ 53. $279/1$ $0.220$ 54. $979/2$ $0.660$ 55. $279/3$ $0.200$ 56. $280/2$ $0.400$ 58. $280/2$ $0.400$ 58. $261$ $1.900$ 59. $282/1$ $n.470$ 70. $262/2$ $0.800$ 71. $282/3$ $0.800$	53.	211/1	0.110		
56. $212/1/1$ $0.420$ 57. $212/4$ $0.410$ 58. $259$ $0.870$ 58. $259/1$ $0.590$ 50. $259/2$ $0.100$ 51. $261/1$ $0.100$ 52. $262/2$ $0.140$ 53. $279/1$ $0.220$ 54. $978/2$ $0.660$ 65. $270/3$ $0.200$ 66. $280/1$ $1.700$ 67. $260/2$ $0.400$ 68. $281/1$ $1.900$ 75. $282/1$ $n470$ 70. $282/7$ $0.800$ 71. $282/3$ $0.800$	54.	212/1/3	0.410		
71 $212/4$ $0.410$ $76$ $258$ $0.670$ $50$ $259/1$ $0.590$ $50$ $259/2$ $0.100$ $51$ $261/1$ $0.100$ $52$ $262/2$ $0.140$ $53$ $279/1$ $0.220$ $84$ $979/2$ $0.660$ $65$ $279/3$ $0.200$ $66$ $280/1$ $1.700$ $67$ $280/2$ $0.400$ $58$ $281$ $1.900$ $70$ $282/1$ $n.470$ $70$ $282/3$ $0.800$	55.	212/1/2	0.410		
36. $259$ $0.670$ $50.$ $259/1$ $0.590$ $50.$ $259/2$ $0.100$ $51.$ $261/1$ $0.100$ $52.$ $262/2$ $0.140$ $53.$ $279/1$ $0.220$ $84.$ $979/2$ $0.660$ $65.$ $279/3$ $0.200$ $66.$ $280/1$ $1.700$ $67.$ $280/2$ $0.400$ $68.$ $261$ $1.900$ $59.$ $282/1$ $0.470$ $70.$ $282/2$ $0.800$ $(1, 282/3)$ $0.800$	56.	212/1/1	0.420		
58. $259/1$ $0.590$ 50. $259/2$ $0.100$ 51. $261/1$ $0.100$ 52. $262/2$ $0.140$ 53. $279/1$ $0.220$ 54. $779/2$ $0.660$ 55. $279/3$ $0.200$ 56. $260/2$ $0.400$ 58. $281/1$ $1.900$ 59. $282/1$ $0.420$ 70. $282/7$ $0.800$ (1.) $282/3$ $0.800$	57.	212/4	0.410		
50,       259/2       0,100         51,       261/1       0.100         52,       262/2       0,140         53,       279/1       0.220         54,       979/2       0.560         55,       270/3       0.200         56,       280/1       1.700         57,       260/2       0.400         58,       281       1.900         59,       282/1       0.470         70,       262/2       0.800         (1,       282/3       0.800	58.	258	0.870		
61. $261/1$ $0.100$ $52.$ $262/2$ $0.140$ $53.$ $279/1$ $0.220$ $54.$ $979/2$ $0.660$ $65.$ $279/3$ $0.200$ $66.$ $280/1$ $1.700$ $67.$ $280/2$ $0.400$ $68.$ $261$ $1.900$ $59.$ $282/1$ $0.470$ $70.$ $282/7$ $0.800$ $(1, 282/3)$ $0.800$	59.	259/1	0.590		
52.       262/2       0.140         53.       279/1       0.220         54.       279/2       0.660         65.       279/3       0.200         66.       260/1       1.700         67.       280/2       0.400         58.       271       1.900         59.       282/1       0.470         70.       282/2       0.800	60,	259/2	0,100		
53. $279/1$ $0.220$ $64.$ $979/2$ $0.660$ $65.$ $279/3$ $0.200$ $86.$ $280/2$ $1.700$ $67.$ $280/2$ $0.400$ $68.$ $281$ $1.900$ $59.$ $282/1$ $n.470$ $70.$ $262/7$ $0.800$ $(1, 282/3)$ $0.800$	61.	261/1	0.100		
84.       979/2       0.660         65.       279/3       0.200         86.       280/1       1.700         67.       280/2       0.400         88.       281       1.900         69.       282/1       0.470         70.       282/7       0.800         71.       282/3       0.800	62.	262/2	0,140		
85.       279 / 3       0.200         86.       280 / 1       1.700         67.       280 / 2       0.400         88.       281       1.900         69.       282 / 1       n.470         70.       262 / 7       0.800         71.       282 / 3       0.800	63.	279 / 1	0.220		
86.       280 / 1       1.700         67.       280 / 2       0.400         88.       281       1.900         69.       282 / 1       0.470         70.       282 / 2       0.800         71.       282 / 3       0.800	64.	9 <b>7</b> 9/2	0.660		
67.       280/2       0.400         68.       261       1.900         69.       282/1       0.470         70.       262/2       0.800         71.       282/3       0.800	65.	279/3	0.200		
88.     281     1.900       69.     282/1     π.470       70.     282/2     0.800       71.     282/3     π.800	66.	280 / 1	1.700		
59.     282 / 1     π∠70       70.     282 / 7     0.800       71.     282 / 3     0.800	67.	280/2	0.400		
70. 262/7 0.800 75. 282/3 0.800	68.	281	1.900		
(), 282/3 0.800	69.	282/1	n≠7û		
	70.	282/2	0.800		
72. 263 0.940	$G_{i}$	282/3	0.800		
	72.	263	0.940		

भाग।]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73.	264	0.460	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
74.	285	0,460	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
75.	285	0.470	जग्रोगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के विप्रवर्णनाण नेव
76.	287	0.520	তত্তীন,	विस्तारीकरण हेतु.
77.	208/1	0.840		
78.	288/2	0.360		
79.	288/0	0.650		
80.	288	1.870		
81.	290/1	0,620		
82.	290/2	0.600		
83.	290/3	0.200		
84.	295 / 1	0.180		
85.	295/2	0.700		
86.	295/3	0.840		
87.	260	0.240		
	कुल एकबा	46.760		

- (2) अभिनियम की धारा 15(1) के अधीन वश्त उपबंधित इस सूचन की तारीख से 60 (फाठ) दिनों के भीतर किसी भें इक्ट्रफ व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के संगक्ष (कार्यालय, कलेक्टर की भू–अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सर्वता.
- (3) भूमि का नव्या (प्लान) अनुविभागीव अधिकारी (२३) उज्जैन (ग्रामीम) कार्यालय में देखा जा लकता है.

क, भू अलंग-2024-7376-रा. प्र. फ्र. 0002- थ av 2024 25. चूँकि, राज्य रासन को यह प्रतीत होता होता सुमि चीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में दिकम सत्तोगपुरी लिनिटेड के दिस्तारीकरण के लिए अन्नेयरित हेतु प्रस्तावित वणित भूमि जिसका सचे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में सल्लेखित हैं. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (5) में वार्णेत भूमि की, अनुलूची के खाने (5) में सल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अश्रमा आवश्यकता पड़ने की संगवना है. अतः भूगि-अर्जन पुनावांसन और पुनव्यंत्रस्थापन में स्वितिक के लिये आवश्यकता है अश्रमा आवश्यकता पड़ने की संगवना है. अतः भूगि-अर्जन पुनावांसन और पुनव्यंत्रस्थापन में संवित्त व्यक्तियों को इसके द्वारा, इर आश्रम की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के अनुलार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इर आश्रम की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन वर्ट तारीख से इस आधिनियन के अधीन कार्यप्रियों के पूरा हो जाने तम अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संत्यवहार नहीं करेगा था कोई संत्यवहार नहीं कराएगा अधवा ऐसी सपिसूचना के प्रकाशन की सारीक्ष से इस अध्राय के अचीन कार्यवाहियों के पुरा हो जाने के समय रहा भूमि के सम्बंध में भार 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने हेतु प्रायिकत करता है.

46 कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिंक उन्जीन के विस्तारीकरण के लिए है. जो मध्यप्रदेश

शासन, औद्योगिक नीति एवं निर्देश प्रोत्ताहन विमाग, गंत्रालय, भोषाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक पिकार<sup>,</sup> एवं आम जनता के व्यापक एवं चूरनागी हितों से है, अधिनियग की धारा ▲ के क्षंतर्गत सामाजिक समाधार निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषद्व समूह द्वारा कराया गया, विशेषहा समूह द्वारा प्रतिदेदित क्रिया गया कि उक्त योजन औद्योगिक विकास के लिए अहत्वपूर्ण है जिलसे क्षेत्र के अविंध स्थादितकरण और सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है, साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवर का विरथापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिलसे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है >>

- -

		अनुसूच	यी (1)		
f	दिवरण		अजिंद की लाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (डेक्टर में)		
	_	भेनिरेंड के विस्तारीकरण हेतु	36.91 È.		
2	अँ द्योभिकः विकासः '	एव चागग्र उन्नयन हेतु.			
		अनुसूच	मी (2)		
(1)					
	(ল) ডিব				
	(ख) तरु		ভজ্জন (ग্रामीण)		
	(रः) ग्राम		୍ କୁହା		
		)) भूमि का आजित कुल क्षेत्रफल 🗄		1.0	
क्र	∵स्वें नम्बर	अर्जन हेतु निजी भूमि रकश (हेवटे, गे)	भारा 12 के अंतर्गत प्राधिवृत्व अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1,	452	2.700	कार्यपालन यंत्री.	औद्योगिक क्षेत्र	
2.	453	0.740	डोएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम	
з.	460/1	0.750	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि., के	
4.	480/2	0.090	প্ৰত্যুন,	विस्तारीकरण हेतु.	
5.	460/3	0.040			
6.	461	0.410			
7.	462	0.600			
8.	463	0.600			
<b>9</b> .	464	1.520			
10.	465	0.570			
11.	466	0.900			
12.	467 / 1	1.420			
13.	487/2	2,700			
14.	468	2.500			

भग1]

(1)	(?)	(3)	(4)	(5)
15.	469	0.870	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
16.	470	4.200	ढीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
17.	471	2.540	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
18.	472	0.590	उप्जेन.	विस्तारीकरण हेतु.
19.	473	1.450		
20.	474	0.470		
21.	475	0.240		
22.	476	0.350		
23.	477	0.300		
24.	478	0.610		
25.	479	0.790		
26.	480/1	n. 7 : D		
27.	480/2	n 750		
28.	480/3	n.7 <del>5</del> 0		
28.	481/1	1.640		
38.	481/2	1,100		
31.	482	4,040		
32.	431/1	0.490		
33.	431/2	0.450		
34.	441/1	6.190		
35.	441/2	0.160		
36.	458	0.630		
	कुल रक्ष	38.910		

(2) अधिनियम की धतर 15(1) के अधीन यथा जनवंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय, कलेक्टर की भू अर्जन शाखा) आदेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकना.

(3) भूमि का नक्शा ('लान) अनुविधागीय अधिकारी (रा.) चज्जैन (ग्रानीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क, भू अर्जन–2024–7377–स. प्र. क. 0006 अ 82-2024–25.–गूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूती अगर्क (1) में विक्रम जयोगपुरी लिगिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूंगे जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लोखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूंगे की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संगावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 ें। उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई े व्यक्ति इस आंधेशुच्चना के प्रकाशन की पारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिदिष्ट भूगि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा था कोई संव्यवहार नहीं कराएग! अथवा रेसी आधेसूचना के प्रकाशन की तारीख से दूस अध्याय के अर्धान कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सूजित नहीं करेना राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूत्ती के खाने (4) में उल्लेदित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी नई शाक्तेयों का प्रक्षेत्र करने हेतू प्रायिक्रत करवा है.

रुड कार्य हाँद्रोगिक क्षेत्र खेएनआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., एज्जैन के विस्तारेकरण के लिए डे, जो मध्यप्रदेश शारान, अँधोगिक गीति एवं निवेश प्रोत्साहन दिमाग, गंत्रालय, भोनाल रो. रवैकृत है, जिसका संबंध औधोगिक विकास एवं इ.ग जनता के व्यापक एवं दूरगानी हितों से है. अभिनियम की घास 4 के अंतर्गत सामाजिक संगाधात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषझ रुमुद्र द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रविदेत किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक संशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. राज्य की सारा 43 के तहत् प्रशासक यो नियुक्ति आर्थिक का विरुधाणित नहीं होना प्रतिविदेत किया गया है जिससे आधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक यो नियुक्ति आर्थवन नहीं है :

				अनुसूची	(1)	
	दिवरण				अर्जित की जाने वाली भ	भूमि का कुल क्षेत्रकल (हेक्टर में)
			लिमिटेड के विस्तारीकरण एवं समग्र उन्नयन हेतु.	हेतु	231,078 चे.:	
				अनुसूची	(2)	
	(1) 9	मि का वि				
		(क) जि		1	ਹਾਲੀਜ 	
		(७) तः	রহীল	G	उच्च्नैन (ग्रामीण)	
		(9) - <u>9</u> 1	म	3	भरवर	
		(ਧ) ਜਿ	जी भूनि का अलिंत कुल	क्षेत्रफल 🗧	231.078 हेक्टेयर.	1878.1 8
.वह	∖नवे	र्नम्बर	अर्जन हेतु निजी भूमि (हेक्टे. में)	रकता	धारा १२ फे संतर्भत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
$\langle i \rangle$		(2)	(3)		(4)	(5)
1.		55	0.250		कर्त्यणलन यंत्री,	आँद्योगिक क्षेत्र
2.		57	0.420		<u> अएगआईसी</u> विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
З.		61	5.320		ਰਵਜੇਸਪੂਵੀ लि लिला	उद्योगपुरी लि., के
4.		62	1.340		(100 <sup>4</sup> 1)	विस्तारीकरण हेतु,
5.		ճ4	1.510			
б.		65	1.710			
7.		<b>5</b> δ	7.850			
Ø.		68	1.120			
9.		70	1.400			

भार 1]				
(*)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	71	0.820	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
11.	72	1.130	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
12.	73/1	0,820	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
19.	73/2	0.600	ডড্ডান,	Idealation of
14.	78	2,150		
15.	488	1.130		
16.	490	1.120		
17.	508	0.610		
16.	509	0.160		
19.	510	n.180		
20.	511	0.790		
21.	512	0,630		
22.	513	0.700		
23.	515	1.25/3		
24.	521	2.790		
25.	523	2.270		
26.	488/1	0.880		
27.	489/2	0.200		
28.	491 / 1	1,120		
29.	481/2	0.090		
30.	491/3	0.010		
31.	507/1	0.410		
37.	507/2	0.200		
33.	514 / 1	0.400		
34.	514/2	0.270		
35.	516/1	2.620		
36.	516/2	0.970		
37.	516/3	0.770		

14		गल्यप्रतंश राजमञ	गण्यप्रतेष्ट' राजपन्न, दिनांक १३ सितम्बर २०२४		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
39.	517/2	1.690	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र	
40.	518/1	1.980	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम	
41.	5:B/2	1.980	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के	
42.	518/3	1.960	ডত্র্বান.	विस्तारीकरण हेतु.	
43.	52/1	0.380			
44.	52/7	0.300			
45.	520/1	0,140			
46.	520/2	0.150			
47.	520/3	0,150			
48.	520/4	0.150			
49.	522 / 1	0.930			
50.	522/2	0.820			
51.	53/1	0.030			
57.	53/2/1	6.420			
53.	53/2/2	0.420			
54.	53/3	0,840			
55.	53/4	0.830			
56.	54/1	1,000			
57.	54/2	1.000			
58.	59 / 1	1.489			
59.	50/2	1.480			
60.	69/3	1.480			
61.	50/4	1.480			
62.	60/1	1.400			
63.	60/2	ŭ6 <b>ח</b> .ŋ			
64.	65 / 1920	1.540			
65.	68 / 1930	0,840			
66.	69/1	0.520			
67.	68/2	1.000			

भाग 1]

(1)	(2)	(3)	$\langle 4 \rangle$	(5)
68.	41/1	0.260	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
69.	4:17	0,360	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
70.	42/1	1.090	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
71.	43	1.120	ত্ততন্দ্র	विस्तारीकरण हेतु,
72.	44/1	0.660		
73.	44/2	0.290		
74.	44/3	0.640		
75.	45/1/:/1	0.400		
76.	45/1/1/2	0,200		
77.	45/2/2	0.080		
78.	45/2/3	0.210		
79.	46/1	0.200		
60.	47/1/1	0.100		
81.	47/1/2	0.350		
82.	47/2	0.100		
вЗ.	47/3	n.420		
84.	48/1	0.580		
85.	48/2	0,260		
86.	48/3	0.170		
87.	49	2,090		
80.	77/1	0.520		
89.	77/2	0.200		
90.	aΩ/1/1	0.410		
91.	80/1/2	D.130		
92.	80/1/3	Q.090		
93.	80/2	0.600		
94.	81/1	1,040		
95,	81/2/1	0.953		
96.	81/2/2	0,465		

А	đ	L	6
-1			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
97.	81/3	1.020	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
98.	81/4	1.020	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
<b>9</b> 9.	288/1	0.520	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
i ПО.	288/2	0.520	ডত্টন.	विस्तारीकरण हेतु.
.01.	225/1	1.000		
102.	228/2	0.060		
103.	229/1	2.000		
104.	229/2/1	0.640		
105.	229/2/2	0.100		
106.	229/3	0.740		
107.	230/1	1.050		
108.	230/2	0.550		
109	230/3	0.500		
110.	230/4	1.050		
111.	230/5	0.640		
112.	230 / 6	0,400		
113.	234	0.830		
114.	232/1	0,980		
115.	232/2/1	0.300		
116.	232/2/2	0.300		
117.	233/1/1	0.290		
118.	233/1/2	0.330		
119.	233/2	0.200		
120	283/3	0.400		
121.	234	1,470		
12 <b>2</b> .	235/1	0.520		
123.	235/2	0,530		
124.	236	5.040		
125.	237	0,830		
2. 3. 4.	235/1 235/2 236	0.520 0,530 5.040		

(*)	(2)	(3)	(4)	$\langle h \rangle$
26.	238/1	0,400	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र जीवावार्यजी विकास
127.	238/2	0.810	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के
128.	239/1/1	0,270	उज्जैम.	विस्तारीकरण हेतु.
129.	239/1/2	0.730		
130.	239/2	0.360		
131.	240	0.110		
132.	241/1	0.520		
139.	241/2	0.520		
134.	242	0.650		
135.	243/1	0,920		
136.	243/2	0.500		
137.	243/3	0.260		
138,	244 / 1	0.980		
139.	244 / 2	0.980		
140.	245	1.970		
141.	246/1	0.780		
142.	246/2/1	0.520		
143.	246/2/2	0.480		
144.	24//1/1	0,350		
145.	247/1/2	0.290		
146.	247/2/2	0,650		
147.	247/2/3	0.310		
(48.	247 / 4	0.060		
149.	248/1/2	0.100		
150.	248/1/3	0.140		
151.	248/2	n.100		
152.	243/4	0.020		
153.	249/1	π.340		
154.	249/2	0.010		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
55.	250 / 1	0.410	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
156.	250/2	0.370	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
57.	250/3	0.300	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
58.	251/1	0.400	300H	विस्तारीकरण हेतु.
59.	251/2	0.400		
160.	252	<b>0</b> ,800		
161.	253	0.620		
162.	254	0.620		
163.	255	0.600		
164.	256	0.780		
165.	257	n.790		
166.	258	0.790		
167.	259	1,920		
168.	260	1.920		
169.	281	4.84D		
170.	262/1	0.300		
(71.	262/2	1.190		3
172.	263	1.040		
178.	264 / 1	2.000		
174.	264/2	2.000		
175.	264/3	2.000		
176.	255	0,520		
177.	266	0.620		
178.	267 / 1	0.400		
179.	267/2	060.0		
180.	267/3	0.390		
181.	267/4	0.180		
182.	268	0.410		

भाग 1 ]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
164.	270	0.210	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
185.	271	0.420	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
186.	272	0.420	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
167.	273	0.620	ত্তত্যাল.	विस्तारीकरण हेतु,
188.	274	0.630		
189.	275/1	0.580		
190.	275/2	1.210		
191.	276/1	G.170		
192.	276/2	1,270		
193.	276/3	0.470		
194.	977/1	1.090		
18 <del>5</del> .	277/2	0.520		
196.	778	0.450		
187.	278/1	0.380		
198.	279/2	0.260		
199.	280	0,680		
200.	283 / 1	0.850		
201.	283/2	2,340		
202.	283/3	0.520		
203.	284 / 1	0.510		
204.	284/2	1.050		
205.	264/3	0.260		
206.	287 / 1	1.290		
207.	287/2	0.490		
208,	289	1.040		
209.	347	0.320		
210,	348	0,350		
21%	349	0.630		
212.	350	0,350		

4	4	2	Ũ	)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
213.	351	0.970	कार्यपालन यंत्री,	औद्यौगिक क्षेत्र
214.	352/1	0.200	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
215.	352/1/2	0.080	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
216.	352/2	0.400	রত্যীন.	विस्तारीकरण हेतु.
217.	353/1/1	0.160		
218.	353/1/2/1	0.020		
219.	353/1/2/2	0.030		
220.	353/1/2/3	0.030		
221.	353/2/1	0,110		
222.	353/2/2	0.170		
223.	353/2/3	0.170		
224.	354/1	0.420		
225.	354/2/1	0.240		
226,	354/2/2/1	0.060		
227.	354/2/2/2	0.040		
228.	354/2/2/3	0.020		
229.	354/3/1	0.160		
230.	354/3/2	0.150		
231.	354/3/3	0.050		
232.	356	1.820		
233.	357 / 1	0.250		
234.	357 / 2	0.510		
235.	358/1	0,210		
236.	358/2	0.210		
237.	356/3	0.210		
238.	358/4/:	0.750		
239.	358/4/2	0.47П		
240.	359/1	0.940		
241.	359 / 2	0,740		

443.       361/1       0.200       डीएमआईसी विक्रम       डीएमआईसी विक्रम         444.       361/2       0.200       उधोमपुरी दि., जिला       उदयोमपुरी दि., के         445.       361/3/1       0.310       उधीमपुरी दि., जिला       उदयोमपुरी दि., के         445.       361/3/2       0.520       उधीमपुरी दि., जिला       उदयोमपुरी दि., कि         446.       361/6/1       0.150       अ       विक्रम         447.       361/5/2       0.250       50       362/1       0.430         51.       352/2       0.710       52       363/1       0.670         52.       363/1       0.670       53       365       0.900         54.       364       0.460       55       365       0.900         55.       365       0.900       58       384/^       0.680         57.       367       0.970       58       386/2       0.330         60.       3789       0.650       61       370       1.130         62.       371/1       1.100       53       371/2       0.441         64.       371/2       0.450       56       373       0.180         65.       372       0.750	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44.         361/2         0.200         खरीगपुरी हि         6विता         खरीगपुरी हि         6विता           45.         361/3/1         0.310         खरीगपुरी हि         6विता         विसारीकरण हेतु.           45.         361/4         0.830          विसारीकरण हेतु.           46.         361/6/1         0.150             47.         361/6/1         0.150             48.         361/5/2         0.250             49.         361/5/2         0.250             44.         361/5/2         0.250             50.         362/1         0.430             51.         362/2         0.500             53.         365         0.900             54.         364/2         0.330             55.         368/2         0.330             61.         370         1.130             62.         371/2         0.44n             64.         371/3         0.1	242.	360	1.860	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
Att.	243.	361/1	0.200		डीएमआईसी विक्रम
445 $361/3/1$ $0.310$ $446$ $361/3/2$ $0.520$ $477$ $361/4$ $0.631$ $446$ $361/5/1$ $0.150$ $440$ $361/5/1$ $0.150$ $440$ $361/5/1$ $0.250$ $50$ $362/1$ $0.430$ $51$ $352/2$ $0.710$ $52$ $363/1$ $0.870$ $53$ $365/2$ $0.000$ $54$ $364$ $0.960$ $55$ $365$ $0.900$ $56$ $366$ $1.130$ $57$ $367$ $0.970$ $58$ $368/2$ $0.330$ $60$ $389$ $0.650$ $81$ $370$ $1.130$ $62$ $371/1$ $1.100$ $63$ $371/2$ $0.441$ $54$ $371/2$ $0.450$ $68$ $373$ $0.180$ $67$ $374$ $0.280$ $68$ $375$ $0.200$ $68$ $376$ $0.200$	244.	361/2	0.200	( ) ( ) ( T	
47.       361/4       0.83n         448.       361/5/1       0.150         449.       361/5/2       0.250         550.       362/1       0.430         51.       352/2       0.710         52.       363/2       0.970         54.       364       0.960         55.       365       0.900         56.       366       1.130         57.       367       0.970         58.       358/2       0.330         60.       369       0.650         61.       370       1.130         62.       371/1       1.100         63.       371/2       0.44n         64.       371/3       0.400         65.       372       0.550         66.       373       0.180         67.       374       0.280         68.       375       0.200	245.	361/3/1	0.310	3001-1	विस्तारीकरण हतु.
44.       361/6/1       0.150         449.       361/5/2       0.250         550.       362/1       0.430         51.       352/2       0.710         52.       363/1       0.870         53.       365/2       0.900         54.       364       0.960         55.       365       0.900         56.       366       1.130         57.       307       0.970         58.       358/2       0.330         60.       369       0.660         59.       368/2       0.330         61.       370       1.130         62.       371/1       1.100         63.       371/2       0.440         64.       371/3       0.400         65.       372       0.550         66.       373       0.180         67.       374       0.280         68.       375       0.200	248.	361/3/2	0.520		
$49.$ $361/5/2$ $0.250$ $50.$ $302/1$ $0.430$ $51.$ $352/2$ $0.710$ $52.$ $363/1$ $0.870$ $53.$ $363/2$ $0.970$ $54.$ $364$ $0.960$ $55.$ $365$ $0.900$ $26.$ $366$ $1,130$ $57.$ $367$ $0.970$ $58.$ $388/^2$ $0.330$ $60.$ $359$ $0.850$ $61.$ $370$ $1.130$ $62.$ $371/1$ $1.100$ $63.$ $371/2$ $0.400$ $65.$ $372$ $0.150$ $66.$ $373$ $0.180$ $67.$ $374$ $0.280$ $68.$ $375$ $0.200$	247.	361/4	0.830		
50. $362/1$ $0.430$ 51. $352/2$ $0.710$ 52. $363/1$ $0.070$ 53. $363/2$ $0.970$ 54. $364$ $0.900$ 55. $365$ $0.900$ 56. $366$ $1.137$ 57. $367$ $0.970$ 58. $368/2$ $0.330$ 60. $359$ $0.650$ 61. $370$ $1.130$ 62. $371/1$ $1.100$ 53. $371/2$ $0.44n$ 54. $371/3$ $0.400$ 65. $373$ $0.180$ 67. $374$ $0.280$ 68. $375$ $0.200$	248.	361/5/1	0.150		
51. $3F2/2$ $0.710$ $52.$ $363/1$ $0.870$ $53.$ $363/2$ $0.970$ $54.$ $364$ $0.960$ $55.$ $365$ $0.900$ $56.$ $366$ $1.130$ $57.$ $367$ $0.970$ $58.$ $368/2$ $0.330$ $60.$ $369$ $0.650$ $61.$ $370$ $1.130$ $62.$ $371/1$ $1.100$ $63.$ $371/2$ $0.44n$ $64.$ $371/3$ $0.160$ $65.$ $372$ $0.750$ $66.$ $373$ $0.180$ $67.$ $374$ $0.280$ $68.$ $375$ $0.200$	249.	361/5/2	0.250		
$52.$ $363/1$ $0.670$ $53.$ $363/2$ $0.970$ $54.$ $364$ $0.960$ $55.$ $365$ $0.900$ $56.$ $366$ $1,130$ $57.$ $367$ $0.970$ $58.$ $368/^{-1}$ $0.680$ $59.$ $368/2$ $0.330$ $60.$ $379$ $0.650$ $81.$ $370$ $1.130$ $62.$ $371/1$ $1.100$ $63.$ $371/2$ $0.44n$ $64.$ $371/2$ $0.150$ $66.$ $373$ $0.180$ $67.$ $374$ $0.250$ $88.$ $375$ $0.200$	250.	362/1	0.430		
54.       363 / 2       0.970         54.       364       0.960         55.       365       0.900         56.       366       1,130         57.       367       0.970         58.       368 / 1       0.660         59.       368 / 2       0.330         60.       359       0.650         61.       370       1.130         62.       371 / 1       1.100         63.       371 / 2       0.440         64.       371 / 3       0.400         65.       372       0.350         66.       373       0.180         67.       3/4       0.280         68.       375       0.200	251.	352/2	0.710		
51. $364$ $0.960$ $55.$ $365$ $0.900$ $56.$ $366$ $1,130$ $57.$ $367$ $0.970$ $58.$ $368/2$ $0.660$ $59.$ $368/2$ $0.330$ $60.$ $359$ $0.650$ $81.$ $370$ $1.130$ $62.$ $371/1$ $1.100$ $63.$ $371/2$ $0.44n$ $54.$ $371/2$ $0.450$ $65.$ $372$ $0.950$ $66.$ $373$ $0.180$ $67.$ $374$ $0.280$ $68.$ $375$ $0.200$ $68.$ $376$ $0.200$	252.	363/1	0.870		
35.       365       0.900         56.       366       1,130         57.       367       0.970         58.       368/^       0.680         59.       368/2       0.330         60.       359       0.650         61.       370       1.130         62.       371/1       1.100         63.       371/2       0.440         64.       371/3       0.400         65.       372       0.350         66.       373       0.180         67.       3/4       0.250         68.       375       0.200         68.       376       0.200	253,	363/2	0.970		
56.       366       1,130         57.       367       0.970         58.       368/^       0.660         59.       368/2       0.330         60.       369       0.650         81.       370       1.130         62.       371/1       1.100         63.       371/2       0.440         64.       971/3       0.150         65.       372       0.150         66.       373       0.180         67.       374       0.250         68.       375       0.200	254.	364	0.960		
$57.$ $367$ $0.970$ $58.$ $368/^{2}$ $0.660$ $59.$ $368/2$ $0.330$ $60.$ $359$ $0.650$ $61.$ $370$ $1.130$ $62.$ $371/1$ $1.100$ $63.$ $371/2$ $0.440$ $64.$ $371/3$ $0.400$ $65.$ $372$ $0.750$ $66.$ $373$ $0.180$ $67.$ $374$ $0.250$ $68.$ $375$ $0.200$	Z55.	365	0.900		
58.       368/1       0.680         59.       368/2       0.330         60.       359       0.650         61.       370       1.130         62.       371/1       1.100         63.       371/2       0.440         64.       371/3       0.400         65.       372       0.750         66.       373       0.180         67.       374       0.280         68.       375       0.200	256.	366	1,130		
$59.$ $368/2$ $0.330$ $60.$ $359$ $0.650$ $61.$ $370$ $1.130$ $62.$ $371/1$ $1.100$ $63.$ $371/2$ $0.44\pi$ $54.$ $371/3$ $0.400$ $65.$ $372$ $0.750$ $66.$ $373$ $0.180$ $67.$ $374$ $0.250$ $68.$ $375$ $0.200$	267.	367	0.970		
60.       359       0.850         61.       370       1.130         62.       371/1       1.100         63.       371/2       0.440         64.       371/3       0.400         65.       372       0.150         66.       373       0.180         67.       374       0.280         68.       375       0.200	258.	368 / ^	0.680		
81.       370       1.130         62.       371/1       1.100         63.       371/2       0.440         64.       971/3       0.400         65.       372       0.350         66.       373       0.180         67.       374       0.250         68.       375       0.200	259.	368/2	0.330		
67.       371/1       1.100         63.       371/2       0.44n         54.       371/3       0.400         65.       372       0.750         66.       373       0.180         67.       374       0.280         68.       375       0.200         69.       376       0.200	260.	369	0.620		
63.       371/2       0.44n         54.       371/3       0.400         65.       372       0.350         66.       373       0.180         67.       374       0.230         68.       375       0.200         69.       376       0.200	261.	370	1.130		
54.       971/3       0.400         65.       372       0.750         66.       373       0.180         67.       374       0.230         88.       375       0.200         69.       376       0.200	262,	371/1	1.100		
65.       372       0.750         66.       373       0.180         67.       374       0.250         88.       375       0.200         69.       376       0.200	263.	371/2	0,440		
66.       373       0.180         67.       374       0.250         88.       375       0.200         69.       376       0.200	264.	371/3	0.100		
67. 374 0.250 58. 375 0.200 69. 376 0.200	265.	372	0.950		
88. 375 0.200 69. 376 0.200	266.	373	0.180		
69. 376 0.200	267.	374	0.280		
	268.	375	0.200		
70. 377 0.200	269.	376	0.200		
	270.	377	0.200		

		()	7.5	7-3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
271.	380/1	D,61D	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
272.	360/2	0.620	डीएमआईसी विक्रम	खीएमआईसी विक्रम
273.	38/0 / 3	0.170	उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन	खद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु,
274.	381/1	0.300	0.001-2	HALLOW Y ES.
275.	361/2	0.460		
276.	381/3	0.380		
277.	381/4	0.040		
278.	382 / 1	0.580		
278.	382/2	0.620		
280.	383 / 1	0.920		
281.	463/1	0.150		
282.	463/2	0.200		
283.	463/3	1.400		
284.	464	1.750		
285,	473/1	0.030		
286.	473/2	0.030		
287.	474	1,470		
288.	475	0.530		
289.	476	1.190		
290.	277	0.080		
291.	478	0.080		
292.	479/1	0.220		
293.	479/2	D.040		
294.	480	080.0		
295.	481	0.350		
296.	482/1	0,690		
297.	182/2	0.380		
298.	4R2/3	0,170		
299.	483/:	0.300		

भाग 1 🔓

(*)	(2)	(3)	(4)	(5)
30 <b>0</b> .	483/2	0,420	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
301.	483/3	6.130	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
302.	484	0.490	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
303.	485	2.600	ন্তত্তীল.	विस्तारीकरण हेतु.
304.	496	0,580		
305.	497/1	0.140		
306.	497/2	0.140		
307.	497/3	0.140		
308.	490/1	0.920		
309,	498/2	0.140		
310.	498/3	0.14C		
311.	499	0.140		
312.	500	0.170		
313.	501	1.250		
3:4.	502/1	0.270		
915.	502/2	1.120		
S16.	502/3	D,170		
917.	502/4	0.500		
318.	503/1	0.100		
319.	503/2	0.200		
320.	503/3	1.490		
321.	504 / 1	0.090		
322.	504/2	5.190		
323.	549/1/1	0,690		
324.	549/1/2	0.400		
325.	549/2	0.020		
376.	549/3	0.180		
327.	560/1	0.020		
328.	560/2	1.090		
329.	560/3	0.180		

4424		મધ્યપ્રવંશ રાખપત્ર,	. विनांक 10 शितम्बर 2024	[ 411+ 1
(•)	(2)	(3)	(4)	(5)
330.	561/1	0.360	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
931.	561/2	0.180	ढीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
332.	561/3	0.360	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
333.	562	1.140	তর্তনন.	विस्तारीकरण हेतु.
334.	563	0.620		
335.	565 / 1	0.386		
336.	565/2	0.380		
337.	566	1.050		
398.	540	0.780		
339.	547 / 1	D.550		
340,	547/2	n.200		
341.	547/3	0.200		
s42.	548	1.020		
343.	550/1	0.270		
344.	550/2	6.270		
345.	564 / 1	0.210		
346.	564/2	0.210		
347.	505/1	0.420		
340.	505/2	0.530		
348.	505/3	0.930		
350.	290	1.250		
351.	291	1.300		
352.	355 / :	0.260		
353.	355/2	1.200		
	कुल ४कमा	231.078		

(2) आधिभियम की धारा 15(1) के आधीन यथ: उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साट) दिनों के मीतर किसी मी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अलंग के रागंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय, कलेक्टर को भू अर्जन शाखा) आक्षेपों यांदे कोई हो फाईल किया जा सर्वभा

(3) भूमि का नवशा (प्लान) अनुविधागीय शाधकारी (स.) उल्जैन (यानीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से प्रथा आदेशानुसाद नीरज सिंह, कलेक्टर एवं पर्दन उपसंचित.

# कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

घट्टिया, दिनांक ६ सितम्बर २०२४

## प्रारूप—<sup>a</sup>श्व<sup>a</sup>

[[नेयम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क, भू-अर्जन-2024-1147 ज क्र. 0001-अ-82 2024-25.-अत्तएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ड ख़ायवर्शन क्लोज खतर परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकाली हेतु ग्राग जमालपुरा, तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावचा, तहसील घट्टिया तक उत्तर निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यजान यंत्री, जल संसाधन संमाग, उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए.

और अत्तरव, राज्य संस्कार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ष्ट सिर्माण किए आने का प्रस्ताव है, जो इस अधिलूचना में, संलग्न अनुसूधी में दर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन क्रिया जाए.

अतएव, मस्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं उपर (गूमि के सम्योक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रनकं 5 शन् 2013) की धात्त 3 की उपछार (१)। द्वारा प्रदेव शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्चय की घोषणा फरती है.

कोई व्यक्ति को उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनेयम की धारा 3 की लपंधारा (1) के क्वीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती हैं, इक्कीस दिवस के भीतर, केवल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में लक्षम प्राधिकारी एवं अनुविधामीय आधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला उक्त्रेन, मध्यप्रदेश को लिखिस में आक्षेप भेज सकेना :--

िला	તક્ષીન	ग्राम/ पटनारी हल्कः क्रमांक	खसरा क्रमांक	त्तपयोग के अधिकार के लिये अजिंत की जाने
				वाली भूमि (हेक्टेयर गें)
(1)	(2)	(3)	(4)	$\langle s \rangle$
ডতলঁপ	घट्टिया	ग्राग सिंगाव्दा	327	0.23
		पद्धवारी हल्का	328/2	0.22
		遊引iea - 24	328 /1	0.14
			331 / 1	0.60
			331 / 2	0.48
			344	6.03
			343	0.88
			342/1/1	0.11
			342 /1/2	0.01
			342/2	0.74
			345	0.36
			349	0.27

अनुसूची

				()
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			340	0.64
			338 /2	0.03
			373	0.32
			383/1	88.0
			383/2	0,20
			382/1	0.80
			382/2	0.36
			384 / 1	80.0
			384/2	0.15
			384/3	0.23
			386/1	0.05
			366/2	0,75
			387 / 1	0,20
			387 / 2	0.29
			329 / 2	0.1D
			328 /3	0.26
			332	0.10
			337	0.14
			339	0,40
			861	0.02
			389 /1	0.36
			388	0.10
			407	0.12
			376/2	0.45
			330	0.24
			341	0,87
			35 <b>0</b>	3.30
			579	0.15
			378 /1	0.40
			378 /2	1.77
			361	0.35
			385	0.40
		कुल योग	44	18.46

## দ্যান্ডদ–"ন্দ্ৰ"

[गियम ६ का ७५निम्म (2) देखिए]

क्र.—मू–अर्जन—2024 1548—प्र. का 0003—अन82 2024—25.—जतरथ, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीस होता है कि कान्ह खायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूपित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालनुस, तहसील सज्जीन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया तक हफ्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश सच्य कार्यवाल यत्री, जल संसाधन संमाग, उज्जैन, जिला सज्जीन, मध्यप्रदेश द्वारा इक्ट निर्माण किया जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रटोत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त निर्माग किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में, संलग्न अनुसूची में वर्षित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतरक, गरध्यप्रदेश भूमिगत पाइण्लाइन, केंबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्त के अधिकारों का अर्जन), अपिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) को धारा 3 की उपधारा (1) 'द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य रास्कार, जलमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई काक्ति को चक्त अनुसूर्यों में, वर्णित भूमि में सितबद्ध है, उस ताएँख से लिएको चक्त अधिनियन की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र ने प्रकाशित होती है, इवकीस दिवस के भीतर, कंबल एवं उच्च निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पहिया, जिला उज्जीन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप थेज सकेगा : -

ानगरी

	अनुस	रूची	
तहसोल	ग्राग∕ पटवारी हल्का क्रमॉक	खरारा प्रश्नाक	लगयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने अली भाषा किल्लेफ के
			वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(2)	(3)	(4)	(5)
धहिया	ग्राम–अम्बोदिया	4	0.25
	पटवारी हल्का	75	0.47
	क्रमांक 24	74	0.02
		72	0.15
		71	0.57
		77	0.57
		69	1,47
		65/1	1.70
		68/2	2.40
		70	0.54
		79	0.18
		70	0.47
		86/1	0.40
		86/2	1,60
		86/3	0.61
		ഒ7	1.77
		58	0.46
	(2) धाहेमा	तहसोल ग्राग/ पटवारी इल्का क्रमांक (२) (३) धटिया ग्राम-अम्बोदिया पटवारी हल्का क्रमांक २४	इल्का क्रमोंक (2) (3) (4) धडिया ग्राम-अम्बोदिया 4 पटवारी हल्का 75 क्रमांक 24 74 72 71 77 69 68/2 70 68/2 70 79 70 86/1 86/2 86/2 86/3 67

28	मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनॉफ ९३ सित∞४ 2024				[भाग	
1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
			59	0.15		
			87	0.47		
			90	0.96		
			89	0.43		
			52	1.64		
			45	0.05		
			41	0.81		
			53	0.20		
			40	0,35		
			30	0,25		
			38	1.20		
			37	1.01		
			35	0.32		
			42	0.62		
			36	0.06		
			228/1	0.59		
			22R/2	0.87		
			229/1	0.60		
			317/1/1	0.10		
			316/1	0.24		
			316/3	0.10		
			298 / t	0.15		
			298/2	0.18		
			298/3	0.06		
			299	0.24		
			296/1/1	0.20		
			296/1/2	0.10		
			296/2/1	0.63		
			296/2/2	0.50		
			297	0.84		
			295/2/1	0,31		
			. 295/2/2	0.06		
			284/2	0.54		
			293	1.72		
			292 / 1	0.11		

i)	(2)	(3)	(4)	(5)
			282/2/1	0.52
			292/2/2	0.48
			292/3	0.26
			292/4	0.26
			291	0.19
			278	0,07
			278/2	0.04
			277 / 1	0.14
			277/2	0.34
			277/3	0.2 <del>9</del>
			294/1	0.05
			51/1	0.04
			66/1	0.09
			75	2.66
			57	0.19
			56	1.00
			91	0.19
			60	0.23
			61	4.42
			92/1	0.73
			64	0.36
			55	0.35
			54	0.40
			229/2	1.18
			287	1.10
			316/2	0.11
			81	0.25
			308	0.05
			Z	0.22
			62	0.52
			145	0.10
			275	0.13
			405	0.25
		कुल योग	85	47.21

#### प्राफ्तः, "स्ट"

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र.-मू-अर्जन-2024-1149-प्र. क्र. 0002-अ-82-2024-25.-अत्तएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवस्वक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकाली हेतु आग उभालपुरा, तहसील जब्वीन से याम सिंन वदा, तहसील घड़िया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यगालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उच्चीन, जिला उच्चीन, मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए.

और, अतरव, राज्य सरकार को उक्त उक्तः निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट लिमोण किए जाने का प्रस्ताय है, जो इस अधिसूचन: में, संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूनिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोवता के व्यधिकारों का अर्जन), अधिनियन, 2012 (क्रमांक 5 राम 2013) की धारा 3 की उपधारा (1)। द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जसमें उपयोग के अधिक र का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो एक्त अनुसूची में, वाणेत भूमि में डिपश्रद्ध है, उस सारीख से 'जेसको एक्त अधिनियम की धारा 3 की जम्धारा (1) के अधीन अधिसूचना सजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, केवल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घड़िया, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश के लिखित में आक्षेप भेज सकेम :--

		अनुः	सूची	
জিলা	ਚਠਾਹੀਜ਼	ड्राग∕ पटवारी इल्फा क्रमॉक	ल्वरारा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने
				वाली मूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	ત્તિદિયા	ग्राम बडवई	126/2	0.55
		पटवारी हल्का	126/3/1	G.19
		क्रमांक 26	126/3/2	0.05
			162	0.78
			163	0.11
			164	0.19
			127/2	n.72
			161/1	0.42
			161/2	0.23
			160/1	0.23
			169/1	0.40
			159/3	0.70
			159/2/1	0.93
			159/2/2	0.30
			158/2	0,06

ਸ਼ਹਦਰੀ

אוין ז 📘		मध्यप्रदेश राजनत्र,			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			171/1	0.17	
			172 / 1	0.41	
			174	0.14	
			310	0.09	
			311/1	0.06	
			291/1	0.03	
			281/2/(	0.015	
			291/2/2	0,015	
			291/3	0.03	
			282	0.15	
			284	0.09	
			297	0.02	
			298	0.11	
			289	0.28	
			301	0,10	
			302	0.04	
			303	0.05	
			304	0,06	
			305	80.0	
			306/1	1.12	
			306/2	0.55	
			300	0,08	
			308	0.30	
			267	0.14	
			279/1	1.01	
			279/3	1.00	
			276/1/1	0.70	
			276/1/2	0.18	
			268	0.12	
			273 / 1	1.18	
			275/1	0.25	
			274/2	0.24	
			274/1	0,03	
			271	0.59	
			269	2.19	
			247	1.36	

[ भाग 1	मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक १८ सितम्बर २०२४				
	(5)	(4)	(3)		
	0.94	248			
	1.10	246/1			
	2.13	242/1			
	0.61	249			
	0.47	270/1			
	0.30	245/1			
	۵,۵4	243			
	0.25	239			
	0.55	240			
	0,16	346 / 1			
	0.34	125			
	0.31	169/2			
	0.10	157			
	0.25	173			
	0.47	170			
	0.16	171/2			
	0.13	172/2			
	0.02	169/2			
	0.21	311/2			
	0.10	269			
	0,03	290			
	0.02	188/2			
	0.08	309			
	0.08	279/2			
	0.07	275/2			
	0.15	276/2			
	0.05	273/2			
	0.14	277			
	0.10	288 ·			
	0.70	241			
	80.0	245/2			
	0.45	323			
	0.07	346/2			
	29.36	84	कुल योग		

4432

(1)

(2)

शांजाराम करजरे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## अग्नथुष विभाग अल्लभ भवन, क्रमांक 3, चतुर्थ तल, गंत्रालय, भोपाल भोगल, दिनांक २ सितम्बर 2024

ж. १५५-5-15-2010-एक-उत्सत, —युवस एण्ट कॉर्ट्सेटिक्स ७८७, 1945 के नियम 152 तथा नियम 67 ए द्वारा प्रदत्त शांक्तनों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उक्त नियम के खण्ड VIA. VIIA. IXA. XII. XIV. XV. XVI. XVIA. XVII. XVIII एवं XIX (जहां तक इनका संबंध आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी औषधियों तथा कॉस्सेटिक्स से है) के प्रायधानों के प्रयोजनार्थ पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 5-15-2010-1-उनसत, दिनांक 13 जुलाई 2017 को अधिक्रमित करते हुए, एतदद्वारा, डॉ. हिम्मत सिंह डायर, प्रभारी औषधि निरीक्षक, संचालनालय, आयुर्ष, मध्यप्रदेश भोषाल को मध्यप्रदेश राज्य के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी (Licensing Authority) नियुक्त करता है.

No. P 5-15-2010 1 LTX.—In exercise of the powers conferred by Rule 152 and 67A of the Drugs and Costnetics Rules, 1945, for the purpose of the pars VIA, VIIA, TXA, XII, XIV, XV, XVI, XVIA, XVII, XVIII and XIX (upto the extent to which these are related to Ayurved, Siddha, Unani and Homoeopathic drugs and cosmetics) of the said rules the State Government, superseding the previous notification issued vide No. 1' 5-15-2010-1-LIX, dated 13<sup>th</sup> July 2017. hereby appoints Dr. Himmat Singh Dawar, Dr.g Inspector in charge, Directorate of Ayush, Maditys Pradesh as Licensing Authority. (Indian System of Medicine and Homoeopathy) for Madhya Pradesl; State.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसर. रंबना देवडा, उपसचिव

### वन विभाग

मंत्र लय, बल्लाभंभवन, भोपल

भौपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2024

क्रमांक एफ-1/5/5/0001/2024-1-10 :: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) की धारा 101 के

द्वारा घदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के तियम 17 के उपलंधों के अधीन चन विभाग अंतर्गत स्थापनकों की अनुसूची में दी गई विशिष्टियों के अनुसार संविदा के पदों पर निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:-

#### अनुसूची-एक

विभागाध्यक्ष का नाम- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख

	अनुर	पूर्ची	-दो	
मंग्रिया	0ਵੀਂ	ah 1	चिल	चंकत

भ स्व	सीधी	चिन्द्वांकित	। प <i>द /</i> तंत्रर्ग	एवं संख्या		योग	रिमार्क	
		भर्त्ती के स्वीकृत पद	दुष्टि ३।धिन एदं कम दुष्टि (1.5%)	बहरे ऑर कम सुनने बाले (1.6%)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिति है, सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन,एसिड अटेक पीडित, मरकुलर डिस्ट्राफी (1.9%)	आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक वर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगना (15%)	(215 1847)	)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
तूनीय थेणी	जी.आई. एस. विशेषज्ञ	26	-	21	-	-	Ď1	शंविदा
अलूर्थ येणी	चीकीदार	07	*	-	Ĥ1	-	Ĥ1	संविदा

मध्वप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश मुआर, किश्मेर कुमार कन्याओ, अग्रामिव,

# वन विभाग

# मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

# भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्रमांक / 1671 /2196109/2024/तत्त-3.- शारतीय वन अधिनियन, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिश्विन, किसी भी रीप्ति में न्यूनीवृत्त या प्रभावित नहीं किये जाथेंगे। यह वनखण्ड रामगिरखुर्द में N 24<sup>0</sup>24'16.08" से N 24<sup>0</sup>24'31.84" उत्तार अक्षांश तथा E 77<sup>0</sup>22'38.66" से E 77<sup>0</sup>25'53.52" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसुची

जिला – गुना वनमंडल –गुना तहसील – आरोग वन परिक्षेत्र – आरोन

अ.		व	নজাত্ত কী গুঁ	मि का विव	रण	वनखण्ड की सीमाएं
.क	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद		(क्षेत्रफल) हेक्टेयर	
1	रागगि र खुर्द	रामगिर रहुर्द	शासकीय भूमि	92/1/2,	10.000	<ul> <li>चत्तर— प्रस्ताविश संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक की कृत्रिभ वन सीमा।</li> <li>पूर्व – प्रस्तावित संरक्षित धनःखण्ड के गुनाश क्र. 2 से 3 तक की कृत्रिग धन सीमा।</li> <li>दक्षिण— प्रस्तावित संरक्षित धनःखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 सक की कृत्रिम बन सीमा।</li> <li>पश्चिम–प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 1 तथ</li> </ul>
				योग	10.000	की कुंत्रिम दन सीमा।

## (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः —

1. (क) भारत शरकार पर्यायरण, वन एवं जलवन्धु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक (1) 6-एमपीबी063/2023--बीएघओ दिनांक 22.10.2024 (2) 6--एमपीबी064/ 2023 -बीएचओ दिनांक 20.06.2024 एवं (3) क्रें/8-एमपीबी065/2023--बीएवओ दिनांक 08.01.2024 में अधिरोपित शर्तों के अनुसार महाप्रंबधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई गुना, मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना गुना जिले में जल जीवन मिशन अन्तर्गत राजधाट समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु में प्रभावित 8.705 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 10.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 10.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति दनीकरण के छद्ददेश से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर गुना के आदेश क्रगॉर्क/521/नजूल/रा. नि. 2023–24 गुना, दिनांक 27.06.2023 से हस्तांत्तरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

.2. 'अन्ध कारणों का विवरण - निरंक

(छ) अभरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, नायब तहसीलदार आरोन के प्रतिवेदन क्रम<sup>1</sup>कं निरंक दिनांक 11.03.2003 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:--

व्यक्तिगत अधिकारः — सक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

सामुदायिक अधिकारः — उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त गूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

> मच्यप्रदेश के राज्यशाल के नाम से तथा आदेशानुंसार. अतुल कुमार मिश्रा, सचिव

# भोपाल, दिनांक 12 सिंसम्बर 2024

क्र, 1671—2221931—2024) दस: 3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खम्ख (3) के अनुसरण में, इस थिनम को अधिसूचना क्र. 1674—2221931—2024—दस—3, दिनांक 12 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद संज्यपाल के प्र भिकार से एतदहारा प्रकारित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुराष, अत्ल कुमार मिश्रा, राजिव,

## गण्गप्रदेश राजनंत्र, दिनोंक 13 सिंतकर 2024

#### Bhopal, the 12<sup>d</sup> September 2024

No./  ${}^{1}$ 1671 /2196109/2024/(X-3,-- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Ramgir khurd lies between N 24<sup>0</sup>24'16.08<sup>th</sup> to N 24<sup>0</sup>24'31.84<sup>th</sup> North Latitude and E 77<sup>0</sup>22'38.66<sup>th</sup> to E 77<sup>0</sup>25'53.52<sup>th</sup> East Longitude.

#### SCHEDULE

District : - Guna Forest Division: - Guna Tahsli :- Aron Forest Range : - Aron

S.	Name of		Details of Land	Forest Black Boundaries		
N.	Proposed Forest Black	Name of VRIage	Present bead of tend	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Rungir khurd	Ramgir khurd	Government Land	92/1/2	10.000	<ul> <li>North- Artificial forest boundary from pillar no. 1 to 2 of the proposed protected forest block.</li> <li>East- Artificial forest boundary from pillar no. 2 to 3 of the proposed protected forest block.</li> <li>South- Artificial forest boundary from pillar no. 3 to 4 of the proposed protected forest block.</li> <li>West- Artificial forest boundary from pillar no. 4 to 1 of the proposed</li> </ul>
				Total	10,000	protected forest block.

# (A) Reason for publication of notification

 (A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and climate change, Government of India, New Delhi letter number (i) 6-MPB063/2023-BHO dated 22.10.2024 (ii) 6-MPB064/2023-BHO dated 20.06.2024 and (iii) 6-MPB065/2023-BHO dated 08.01.2024 and in lieu of 8.705 hectare of forest land affected in the sanctioned project of General Manager, Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit, Project Implementation unit Guna, Madhya Pradesh Tlaying of underground pipeline in Rajghat group water supply scheme under Jal Jivan Mission in Guna district", the above mentioned non-forest lund of 10.000 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by Collector Guna order No. 521 / नजूल / रा.चि. 2023 24 Dated 27.06.2023 of 10.000 because transferred or mutated for the purpose of compensatory afforestation.

#### 2. Details of other Reasons- NU-

(B) The Khusara wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated 11.03.2003 of competent revenue officer, Naib Tehsildar Aron are as onder.

Individual Rights There are no individual tights on the said land.

Community Rights – There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Porest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh. ATUL KUMAR MISURA, Secy.

गोपाल, दिनांक 12 सिंहाग्वर 2024

क्रमांक, 1673 /2221955/2024/ दस-3,-भारतीय वन अधिनिथम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 होस प्रदल्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद हारा उपत अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों था समुदायों के वर्तनान अधिकार, जहाँ तक कि थे सच्य शासन हारा रागय-अमय पर संशोधित/अभीदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी भीते में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंने।

# <u>अनुसुधी</u>

जिला — गुना वनमंडल —गुना तहसील — गुना यन पश्चित्र — गुना दक्षिण

<b>8</b> 1.		वनखण्ड ।	की भूमि का	विवरण	वनक्षण्ड की सीमाएं		
<b>क</b> ,	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	सूमि का वर्तमान मद	ष्त्रसरा अंक.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		
1	निर्मयगढ पहाड 'ए'	बजरगढ	शासकीय धन विभाग म.प्र. शासन	911/07/2	8.800	त्रसार— प्रयत्न चित सांसतित थनत्वण्ड के मुनास क. १ से 2 तक कृत्रिभ धन सीमा। 9ूर्व — प्रस्ताचित संरक्षित वनस्वण्ड के मुनास क. १ से 7 तक कृत्रिम वन सीमा दक्षिण— प्रस्ताचित संरक्षित धनरवण्ड के नुनास क. १ से 8 तथ्य की कृत्रिम चन सीमा। वरित्रम— प्रस्ताचित संरक्षित धनरवण्ड के नुनास क. 9 से 14 एवं नुनास क्रन्तांक 1 तरु कृत्रिम चन सीमा।	
2	निर्मयगढ़ पहाढ जी	यजरगढ	शासकीय यन विभाग म.प्र. शासन	9587	14.000	छत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनस्वण्ड के गुनास क्र. 1 रो 3 तक कृत्रिम वन रहिता। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनस्वण्ज के गुनास क्र. 3 से 4 तक कृत्रिम यन सीमा। दक्षिण- त्ररतादित संरक्षित वनस्वण्ड के मुनास इन. 4 से 5 तक की व्युटिंग वन सीमा। परिचम- प्रस्तादित संरक्षित वनस्वण्ड के गुनास	
		कुल योग	т		22.800	ज्ञ. 5 सं1 तल्थं ∻्त्रिक यन सीमा।	

# (क) अधिसूचना प्रकाशने की आधार —

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमॉक 6-एमधीआर 007/2023-बीएचओ दिनॉक 06.09.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रंबधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, ग्वालियर की स्वीकृत परियोजन। "आरोन सधौनाढ काया विदोरिया मार्ग के उन्तयन कार्य" हेतु में प्रमादित 22.729 हेक्टेयेर वनभूमि के एवंज में प्राप्त 22.800 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित मूमि हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति बनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर गुना के आदेश क्रमॉक/606/नजूल/स.नि./22-23 एवं आदेश क्रमॉक/603/नजूल/स.नि./22 23 दिनॉक 08.06.2022 से हस्सांसरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलवार गुना के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनोंक 07.08.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खरसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदाधिक अधिकार उक्त भूगि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय यन अधिनियम, 1927 की धास 29 के अंतर्गत संरक्षित यन घोषित किया जाता है।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुर ५. अतुल कुमार मिश्रग, रूचिव,

# भोपाल, जिनांक 12 सितम्बर 2024

क. 1673 - 2221965—2024—दश—3.— ाएत के संविधान के अनुब्धेद 349 के खल्ह (3) के अनुसरम में इस विभाग की अधिसूचना का 1873—2221965 - 2024 - दस-3. दिनांक 12 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यवाल के प्राधिकार से एतदहारा प्रकाशित किया जाता है.

> नध्यप्रदेश के राज्यवाल के नाम से तथा अन्देशानुसार. अतुल कुमार मिश्रा, समिव,

#### Bhopal, the 12th September 2024

No./1673 /2196109/2024/X- $\dot{y}_{-}$ . In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

#### SCHEDULE.

District :- Guoa Forest Division: - Guna Tabsil : - GUNA Forest Range : - Guna South

<u>s.</u>	Name of		Details of Land	lactuded		Forest Block Boundaries
N.	Proposed Porest Block	Name of Village	Present head of land	Khusru No.	Area (Hectare)	
1	Niroliayagarh Pahad "A *	Rejtangarh	Governmenr Land Pores: Department M.P.	AF80037	8.800	<ul> <li>North- Artificial funsat boundary from Filla no. 1 to 2 of proprosed presected forest block.</li> <li>Lust- Artificial forest boundary from Pillar no. 2 to 7 of proposed protected funcat block.</li> <li>South- Artificial forest boundary from Pillar no. 7 to 9 of proposed protected forest block.</li> <li>West- Artificial forest boundary from Pillar no. 9 to 14 and pillar no. 1 of proposed protected forest block.</li> </ul>
2	Nirbhayagart Patad "B"	Bajrængærh	Government Lauré Forest Dependent M.P.	938/2	14,000	<ul> <li>North- Artificial forest boundary from Pillar no. 3 to 3 of proposed protected forest block.</li> <li>Bast- Artificial forest boundary from Pillar no. 3 to 4 of proposed protected forest block.</li> <li>Smuth- Artificial forest boundary Econ Pillar no. 4 to 5 of proposed protected forest block.</li> <li>West- Artificial forest boundary from Pillar no. 5 to 1 of proposed protected forest block.</li> </ul>
_	1	Total		10	22.800	

#### (A) Reason for publication of Notification

 (A) In accordance with the condition hid down in the Ministry of Environment and Forest. Govt. of India's letter no. 6-MPR0007/2023-BHO dated 06.09.2023 in lieu of 22.729 herate of forest land affected in sanctioned project Read upgradation work from Aron to Ragboguin via Bideliya of General Managor, Madhya Profesh Read Development Corporation Linited District Guna, the above mentioned Non Forest Land of 22.800 herate transferred or manues in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by Collector Guna order number 606/mge/Kift/22-23 and order number 603/mge/Kift/72-23 dated 08.06.2023. 2. Details of other Reasons- Nil-

- (B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report no. Nil dated 07.08.2022 of Tehsildar Guna are as under.
- 1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land.
- Community Rights There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared us protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ATUL KUMAR MISHRA, Seey.

भोपाल, दिनाक 12 सिंह म्बर 2024

क्रमांक / 1675 / आर—2196822 / 2024 / दरा—3.— भारती य वन अधिनियम. 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927). की धारा 29 द्वारा प्रदत्तः शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद हारा उथत अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबच्चों को नीचे की अनुसूची नें चल्लेखित भूमि पर लागू होने की धोषणा इस शर्त पर करशा है कि इस मूमि पर ध्यक्तियाँ या समुधायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि ये राज्य शासन द्वारा समय—समय पर संशोधित / रूपमेदित किये जायें, के अतिरिक्त, फिसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वन्तसण्ड N-22°00/56.05 से N-22°00/34.13 उत्तर आक्षांश तथा E-80°22'14.98" से E-80°21'41.65" पूर्व देशांश के बीध स्थित है।

अ.		वनखण्ड क	গী পুশি কা	वनखण्ड की सीमाएं		
丣.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्रास का नाम	भूमि का वर्त्तमान मद	जसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1,	ग <b>ैन)</b> झोल्न	गँनाझोला	बड़े झड़ क जंगल	8/2	30.000	उत्तर – प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मुनाश क्रमांक 5 से 10 १.4- व कृत्रिम वनसोभ। पूर्व – प्रस्तावित संरक्षित वभरडण्ड व
						मुनारा क्रमांक १० से १३ त कृद्रिन प्रनसीन।
						दक्षिण – प्रस्तावित संरक्षित यनखण्ड मूनाः। क्रतांक १३ से १७ त कुत्रिग वनसीमः
						पश्चिम – प्रस्तावित संरक्षिण वनखण्ड
						मुनार। क्रमांक 17 से 05 त कृत्रिम यनशीमा
				योग	30.000	36141 - 1010

अनुसुची

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :---

(1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6-MPR030/2023-BHO दिनांक 13.02.2024 में अधिरोपित शर्ष अनुसार गहाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इंकाई क्र. 1 बालाघाट की स्वीकृत भार्ग निर्म्हण परियोजना भैंसवाही से जल्दीडांड, रकवा 9.912 हेक्टेयर।

(2) मध्यप्रदेश शारान, बन विकाग, गंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक / 657 / R-1328500 / 2023 / 10-3 दिनांक 27 मार्च 2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक, गध्यप्रदेश धामीण सङ्क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क. 1 बालाधाट की स्वीकृत मार्ग निर्माण परियोजना पितकोना से दड़करक्ष मार्ग, रक्षा 4.455 हेक्टेयर।

उपरोक्त 02 प्रकरणों में प्रमावित कुल रकवा 14.367 हेक्टेयर वनमूमि के एवज में प्रापा कुल 30.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्वप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाधाट, जिला बालाघाट के संशोधित आदेश क्रमांक स.प्र.फ्र. 0013/अ–59 वर्ष 2022-29 दिनांक 05.04.2023 को हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन धोधित किया जाना है।

(3) अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्य अधिकारी भाराब तहसीलदार ७७वा (५२सवाछा) थे द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विरतृत विवरण निम्नानुसार है :--

व्यक्तिगत अधिकार — उपरोक्त पर्भित भूमि घर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

सामुदायिक अधिकार - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

> गण्यप्रदेश के राज्यताल के नाम से तथा आदेशानुसार. अतुल क्यमार मिश्रा, सचिव,

# भोपाल, दिनांक 12 रितिम्बर 2024

क्र. 1675—आर—2196822—2024—दरा—3.— भारत के सोंवेधान के अनुकोद 340 के लगड़ (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिक्षत्रमा क्र. 1676 अगर-2196822 -2024 वस 3, दिस्तंक 12 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदुद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> ः ध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाग से तथा आदेशानुसार. अतुल कुमार मिश्रा, सचिव,

# गन्दप्रदेश राजमञ्च दिनांक १३ सितम्बर २०२४

#### Bhopal, the 12<sup>5</sup> September 2024

No./ 1675 /R-2196822/2024/  $\chi$ -3.-- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-22<sup>6</sup>00'56.05 to N-22<sup>6</sup>00'34.13 North Latitude and E-80<sup>6</sup>22'14.98" to E-80<sup>6</sup>21'41.65" East Longitude.

SCHEDILE

8.	rest Division: Name of Froposed Forest Block	De	tails of Lap	est Range : - North Ukwa (T) Forest Block Boundaries		
N.		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Gaunujhola	Gaunujhola	Bade Jhad ka Jungle	8/2	30.000	North – Artificial forest boundary from pillar number 5 to 10 of proposed protocled forest block. East – Artificial forest houndary pillar number 10 to 13 proposed protocted forest block. South – Artificial forest boundary pillar number 13 to 17 of proposed protocted forest block. West - Artificial boundary pillar number 17 to 5 of proposed
	Langer C			Total	30.000	protected forest block,

# (A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition faid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, Regional Office Bhopal, letter number 6-MPR030/2020-BHO dated 13.02.2024 and in lieu of the 9.912 ha, forest area affected in sanctioned project "Road construction from Bhainswahi to Jaldidand" of Genetal Manager, MatRya Pradesh Rural Raod Development Authority, Project implimentation unit number-1, Balaghat.

2. In accordance with the condition laid down in the Madhys Pradesh Governmont, Forest Department, Vallabh Bhavan Mantrulayu, Bhopal letter number 657/R-1328500/2023/10-3 dated 27.03.2024 and in lieu of the 4.455 ha, forest area affected in sanctioned project "Road construction from Pitkena to Dadkasa" of General Menager, Madhya Pradesh Roral Road Development Authority, PIU-1 Balaghut.

In lieu of total 14.367 ha, forest area affected in above two project, the land manifored in the schedule above 30.000 hactare transforred or mutated in favour of Madhya Pradesh, Forest Department by collector Balaghat order no. 0012/A-59 year 2022-23 Date 05.04.2023 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reason - Nil

(B) The khasrs wise details of recorded rights on the above land as per report of Deputy Tebsildar Ukwa (Paraswada) are as Under

1. Individuals Rights :- There are no individuals Rights on the said land.

Communities Rights :- There are no Communities Rights on the said land.

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Predesh, ATUL KUMAR, MISHRA, Seev.

# भोधाल, दिनांक 12 रितम्बर 2024

क्रमांक / 1678 / 2186743 / 2024 / दरा—3. भारतीय वन अधिनियम 1827 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 होरा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् होरा '640 अधिनियम के अध्याथ 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तेक कि वे राज्य शासन क्षारा समय—समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रमायित नही किये जायेंगे। यह वनखण्ड गोंडीवढोना "द" 21<sup>6</sup>30'08.30" से 21'80'14.64" उत्तर अक्षांश तथा 78<sup>6</sup>47'24.64" से 78<sup>6</sup>47'32.60" पूर्व देशांश के बीद स्थित है।

#### अनुसनी

जिला- णंजुर्णा वनमण्डल - दक्षिण छिन्दवाड़ा यनमण्डल

ाहसील — साँसर वन परिक्षेत्र — कन्हान

-31,		वनखण्ड की	भूमि का वि	वनखण्ड की सीमाएँ		
重.	वनखण्ड को नाम	ग्राम के। नाम	भूमि क। वर्त्तमान मद	खासरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	गॉडीवडोना ''द"	गोंडीवाबोना	गैर वन्म्मूमि	76/2 (s)	2.55	उत्तर- संरक्षित धनखण्ड खापाकरीमवार 'आ के भुभारा क्रमांक 267/1 रो 285/1 तक वन सीमा। पूर्य - संरक्षित ननखण्ड खाप-करीवनार 'अ' के मुनारा 265/1 से प्रस्ताप्टेत संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्ताधिर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक्ष कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से संरक्षेत वनस्पण्ड खापाकरीगवार 'अ' के
				योग	2.55	गुनारा इन्म्सॅक 267 / 1 तक कुत्रिम ४न - रीमा

2.

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :--

1. (i) भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलेवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8/34/2021-FC दिनांक 21.04.2022 में अधिरोपित सर्त के अनुसार मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड जिला—राहडोल, मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना विक्रम कोल ब्लॉक ओपन/मूमिगत कोयला उत्खनन में प्रभावित रकबा 151.095 हेक्टेयर बन शूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.55 हेक्टेयर गैर वनमूमि क्षतिपूर्ति बनीकरण के उद्देरघ से मध्यप्रदेश शासन, वन विमाग के पक्ष में न्यायालय नायब तहसीलदार सौंसर के प्रकरण आदेश क्रमांक/ 113/अल्6/2024-25 दिनांक 12.08.2024 के अनुसार निजी भूगि से शासकीय वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायन तहसीलदार सौंसर के प्रतिवेदन क्रमांक 113/अ–6/2024–25 दिनांक 12.06.2024 के अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

> गध्यप्रदेश के राज्यपाल के भाग से तथा आदेशानुसार. अतुल कुमार मिश्रा, सविव.

# भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क. 1675 -21966743—2024—दरू 3. भारत थे सीवेधान के उनुत्रकेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क. 1675 आए-21966743—2024—दर्स 3, दिसांक 12 सिसम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद एज्यपाल के प्राष्टि किए से  $\sqrt{\frac{1678}{2000}}$  प्रकाशित किया जा $\frac{X-3}{2000}$ 

> गध्यप्रदेश के राज्यमाल के नाम से तथ्य आदेशाभुशार. अतुल कुमार गिश्रा, राचिव.

#### Bhopal, the 12th September 2024

No./ 6478 /2196743/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Gondivadhona "D" lies between 21°30'08.30" to 21°30'14.64" North Latitude and 78°47'24.64" to 78°47'32.60" East Longitude.

SCHEDULE

# Forest Runge - Kanhan Natural - Sausar

# Forest Division - South Chhindrata Division District - Pandhuma

Forest Block Rouderies	Details of Land Included					'S
	astA. (snatsski)	KJaara Nik	to brant to brant brant	to ameN agalliV	Manacot Brend Blook	٩N
No. 1/201 of [/762 Jourdary from piller	55'7	(%) 2/52	nail? Isunail	іткло втайћач	ift amother inter	J.
protecto forest block Khapakarimwar'A'.			ਸਭਾਸਤ	C	νŪ.	
East - Artificial forest houndary from						
pillar 265/1 of protected forest						1
hook Khapahadinawai 'A' tr bisagong 'to ξ' το		1				
protected forcet block.				2		
South - A mitter is boundary formation - dues		1.1				
proposed protocted form			-			
୮୩୦୦୫ସ୍						
mod viebnuod isent leisitity - 1885W						1
protected forest housed protected forest housed						
No. 2671 of protected forces block Khupelearinwar 'A'.	55°Z	[eto]	_			

## -: понемиюм ю консыкана тон позвом (E)

compensatory attorestation. daled 12-06-2024 of Court of Maib Tehsildar, Sausar for the purpose of Madbya Pradesh Ciovernment, Forest Department by order No./113/88-6/2024-25 Shahdol, Madhya Pradesh, the non forest land of 2.55 heetare mutated in favour of Open/Underground Coal Mining Project of M/s Birls Corporation Limited, District 04-2024 and in lice of 151.095 because of forest land the brock in Vikini for 1502-40 Forest and Climate Change, Government of India's lotter No. 8/34/2021-FC dated 21-I. (i) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment,

2. Details of other Reasons - Mil

riepun No./113/34-6/2024-25 dated 12-06-2024 of Court of Nail Tahaildar Sausar are as (B) The khasts wise details of recorded tights on the above land as per order

, Individual Right -: There are no individuals Right on the said land,

2. Community Rights :- There are no Communities Right on the said land

.7291 roA restor further 1927. Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29.

By order and in the name of the Governor of Mischiga Prededit,

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# राजपत्र

# प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2024—आश्विन 5, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिमूचनाएँ, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत को अधिसुचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग ३.—(१) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

- भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
  - (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
    - (ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
      - (3) संसद् के अधिनियम,
    - (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

# राज्य शासन के आदेश

# सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

# भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्र. ई-5-562-आवएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. एन. कांसोटिया, भाप्रसे (1989), महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 18 से 20 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 14, 15, 16, 17 एवं 21, 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री जे. एन. कांसोटिया, भाप्रसे , की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री संजय दुबे, भाप्रसे (1993), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्व प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (मा. अ. प्र.) तथा विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ एवं अपर मुख्य सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिको विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया, भाप्रसे को अस्थायो रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आर.सो.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जे. एन. कांसोटिया, भाष्रसे, महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रयंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोषाल के कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुवे, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

विवंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

4665

क्रमांक 39]

# वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2024

क्रमांक/ 1698 /2196038/2024/10—3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्राक्धान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

# अनुसूची

জিলা – ৰালাঘাত

तहसील - वारासिवनी **वन परिक्षेत्र** — वारासिवनी (सा.)

वनमंडल – दक्षिण बालाघाट (सा.)

я.		लाघाट (सा.) बनखण्ड	की भूमि का वि	वरण		वनखण्ड की सीमाएं
ф.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान नद	खसरा क.	सेत्रफल (हेक्टेयर)	
1,	बकेरा (अ)	बकेरा	छोटे झाड़ का जंगल	2/1/2	6.216	उत्तर– आरक्षित वनखण्ड बकेरा के मुनाश क. 4 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनास क. 1 से मुनास क. 8 तक कृत्रिम वनसीमा।
/				73/2/2	3.722	पूर्व – प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से मुनारा क्र. 12 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण – प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से 13 से आरक्षित वनखण्ड बकेरा की वनसीमा लाईन तक कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम – आरक्षित वनखण्ड बकेरा की वनसीमा लाईन से मुनारा क्र. 5 से 4 तक वनसीमा।
2.	बकेंस (ब)	बकेरा	छोटे झाड़ का जंगल	88/1/1/2	7,000	<ul> <li>उत्तार- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनास क. 1 से 2 तक और मुनारा क. 2 से आरक्षित वनखण्ड बघोली के कक्ष क्र 540 के नुनारा क्र. 17 तक की कृत्रिम वनसीमा।</li> <li>पूर्य - आरक्षित वनखण्ड बघोली मुनारा क्र. 12 से मुनारा क्र. 13 तक की वनसीमा।</li> <li>दक्षिण - आरक्षित वनखण्ड बघोली मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 3 एवं 4 तक की कृत्रि वनसीमा लाईन।</li> <li>पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनाग क्र. 4 से 6 तक और मुनारा क्र. 6 से तक की कृत्रिम वनसीमा।</li> </ul>
		कुल ३	र्गेग		16.938	

#### अधिसूचना प्रकाशन का आधारः — (ക)

 (i) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6- एमपीआर 023/2023—बीएचओ/1/80827 दिनांक 29.08.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्ययन इकाई क्रमांक–1, 2 बालाघाट, जिला बालाघाट की स्वीकृत परियोजना कि.मी 45 ऑफ थी 02 से कट्टीपारकला तक मार्ग निर्माण के प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155398/2022 में प्रभावित वनभूमि 6.705 हेक्टेयर ।

 (ii) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6-एमपीबी 033/2023—बीएचओ/ विनांक 07.11.2023 से स्वीकृत परियोजना टेमनी से टाटीधार व्हाया केरादेही तक मार्ग निर्माण के प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/156162/2022 में प्रमादित वनमूमि 1,275 हेक्टेयर |

इस प्रकार उपरोक्त दो प्रकरणों में प्रभावित कुल 7,980 हे0 दनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 16.938 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0031/अ–59 वर्ष 22–23 दिनांक 05.12.2022 एवं संशोभित आदेश दिनांक 14.03.2024 से हस्तांतरित अधवा नामांतरित किये जाने के कारण |

अन्य कारणों का विवरण — निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार वारासिवनी, जिला–बालाघाट के प्रमाण–पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:--

1. व्यक्तिगत अधिकारः — उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2. सामुदायिक अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः जक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

# भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2024

क्र.-1698-2196038-2024-दस-3 .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग को अधिसूचना क्र.-1698-2196038-2024-दस-3, दिनांक 20 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदड्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्वप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Т

Ear

# Bhopal, the 20th September 2024

No./ 1698/2196038/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

#### SCHEDULE

: - Balaghat District

absil		Warascom
est Range	1	Waraseoni (T)

-	Name of		linghat (T) Details of Land	Included		Forest Block Boundaries
s. N.	Proposed Forest	Name of Village	Present head of land	Khesra No.	Area (Hectare)	
	Block		and a start	2/1/2	6.216	North- Artificial forest boundary from
1. Bakera (A)	1 CA 17 M CONT 1	Bukera Chhote Jhad 2/1 ka Jungle	27 17 -		Pillar No. 4 of Reserved For Block Bakera to Pillar No. 1 Pillar No. 8 of Proposed For Block.	
				73/2/2	3.722	East - Artificial forest boundary from Pillar No. 8 to Pillar No. 12 o Proposed Forest Block.

		-				South- Pillar No. 12 to 13 of Proposed Forest Block to the forest boundary line of Reserved Forest Block Bakera. West - Forest boundary from the forest boundary line of Reserved Forest Block Bakera to Pillar No. 5 to 4.
2.	Bakera (B)	Bakera	Government Land (Chhote Jhad ka Jungle)	88/1/1	7.000	<ul> <li>North - Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to 2 of the proposed protected forest block and from Pillar No. 2 to Pillar No. 17 of compartment No. 540 of reserved forest block Bagholi.</li> <li>East - Forest boundary from Pillar No. 17 to Pillar No. 13 of reserved forest block Bagholi.</li> <li>South - Artificial forest boundary line from Pillar No. 13 of reserved forest block Bagholi to Pilla No. 3 and 4.</li> <li>West - Artificial forest boundary from Pillar No. 4 to 6 and Pillar No 6 to 1 of the proposed protecter</li> </ul>
-		To	otal	_	16.938	forest block.

# (A) Reason for publication of notification :-

1. (i) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India's letter No. 6-MPB 023/2023-BHO/I/80827 dated 29-08-2024, and in lieu of 6.705 hectare of forest land affected in sanctioned project "road construction from KM 45 of T 02 to Kattiparkala, proposal no. FP/MP/Road/155398/2022 of General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, PIU-I Balaghat, district Balaghat

(ii) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India's letter No. 6-MPB 033/2023-BHO dated 07-11-2023 and in lieu of 1.275 ha, forest land affected in sanctioned project "Road counstruction Temni to Tattidhar Via Keradehi\* proposal no. FP/MP/Road/156162/2022 of General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, PIU-1, 2 Balaghat, District Balaghat

In lieu of total 7.980 ha, forest area affected in the above two project, the non forest land of 16.938 hectare as mentioned in the schedule above, transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 0031/A-59 year 22-23 dated 05.12.2022 and amended order date 14-03-2024 of Collector Balaghat for the purpose of Compartmentensatory afforestation.

Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Compartmentetent Revenue officer report of Tahsildar- Waraseoni, District- Balaghat are as under.

- Individual Rights There are no individual rights on the said land.
- Community Rights -- There are no Communities rights on the said land. 1
- Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian 2.

Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Maditya Pradesh. ATUL KUMAR MISHRA, Secy. वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2024

क्रमांक/ PCCF/7/0060/2024-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्दारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

तहसील- मझगवां वन परिक्षेत्र- बरौंधा

-----

जिला- सतना

э.		वनखप	ण्ड की भूमि का	वियरण			यनखण्ड की सीमाएँ
<b>क्र</b> .	प्रस्तायित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1	बरहा-अ	बरहा	निजी भूमि	10/1/1	1.229	उत्तर-	प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड
	1.0			10/2	1.991	1	के मुनारा क्रमांक 17 र
				13	0.085	1	संरक्षित वनखण्ड मुडियादेव
				14	0.174	1	के मुनारा क्रमांक 38 तव
				15/2	1.729	1	कृत्रिम वनसीमा एवं संरक्षित
	12			16/2/1	1.324	1	वनखण्ड मुडियादेव के मुनार
	12		- C	16/2/2	1.509	1	क्रमांक ३५ की वन सीमा।
						पूर्व-	संरक्षित वनखण्ड मुडियादे
							के मुनारा क्रमांक 35 प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 वै
							कृत्रिम वन सीमा।
						दक्षिण-	प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड
		* 					के मुनारा क्रमांक 1 से 13 वें कृत्रिम वन सीमा।
						पश्चिम-	प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड
	1						के मुनारा क्रमांक 13
		योग	Г		8.041		मुनारा क्रमांक 17 तक वै
					हेक्टेयर		कृत्रिम वन सीमा।

वनमण्डल- सतना

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2024

2	बरहा-ब	बरहा	निजी भूमि	23/1	1.214	उत्तर-	प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड
				23/2/1/1	2.563	1	के मुनारा क्रमांक 22 से 1
			1.1	23/2/1/2	1.215	1	तक कृत्रिम वन सीमा।
				23/2/1/3	1.215	पूर्व-	प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड
				23/2/2/2	4.050	1	के मुनारा क्रमांक 1 से 9
				28/1	1.214	1	तक कृत्रिम वन सीमा।
			1.00	67/1	6.070	ব্লেয়িण-	
	54 ().			69/2/2	8.093		के मुनारा क्रमांक 9 से 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
	100					पश्चिम-	प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड
	122.31	यो	ग		25.634 हेक्टेयर		के मुनारा क्रमांक 11 से 22 तक कृत्रिम वन सीमा।
		कुल	योग	1	33.675 हेक्टेयर	1	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक/8-34/2021-FC दिनांक 21.04.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार वनमण्डल दक्षिण शहडोल के रकवा 142.075 हेक्टेयर व्यपवर्तित वन भूमि की स्वीकृत परियोजना मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड, सतना में प्रभावित 142.075 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में अनुसूची में वर्णित 33.675 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में नायब तहसीलदार वृत्त बरौंधा, तहसील मझगवां, जिला- सतना के राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र प्र.क्र./640/अ-6/2023/202324 दिनांक 13.06.2024 से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार वृत्त वरौँधा, तहसील मझगवां, जिला- सतला के राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र प्र.क्र./640/अ-6/2023/202324 दिलांक 13.06.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2024

क्रमांक/PCCF/7/0060/2024-FLR-PCCF :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ PCCF/7/0060/2024-FLR-PCCF का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्दारा प्रकाशित किया जाता है।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भाग 1 ]

Bhopal, the 27th September 2024 No./PCCF/7/0060/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act. 1927(xvi of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communication in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.

#### SCHEDULE

S.No.	Name of	De	tails of L	and Inclu	ded		Forest Block Boundaries
	Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of land		Area (Hectare)		
1	Barha - A	Barha	Private Land	10/1/1	1.229	North-	Artificial forest boundary from pillar No. 17 of the proposed protected forest division to pilla
				10/2	1.991	1	No. 38 of the protected fores
				13	0.085	1	division Mudiyadev and fores boundary of pillar No. 35 of the
				14	0.174		protected forest division Mudiyadev.
				15/2	1.729	East-	Artificial forest boundary from pillar No. 35 of protected forest
			-	16/2/1	1.324		block Mudiyadev to pillar No. 1 o proposed protected forest block.
1				16/2/2	1.509	South-	Artificial forest boundary of pilla No. 1 to 13 of the proposed protected forest block.
		Total			8.041	West-	Artificial forest boundary from pillar No. 13 to pillar No. 17 of the
					Hactare		proposed protected forest block.
2	Barha -B	Barha	Private Land	23/1	1.214	North-	Artificial forest block Boundary from pillar number 22 to 1 of
				23/2/1/1	2.563	L	proposed protected forest Block. Artificial forest block boundary
				23/2/1/2		East -	from pillar number 1 to 9 of
				23/2/1/3		1	proposed protected forest Block.
	1			23/2/2/2		South-	Artificial forest block boundary
	. 8	1. J		28/1	1.214	proposed protected	from pillar number 9 to 11 of proposed protected forest Block.
				67/1	6.070		Artificial forest block boundary
		Total		09/2/2	8.093 25.634 Hactare		from pillar number 11 to 22 of proposed protected forest Block.
		Grand Total			33.675 Hactare		

#### (A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter No. 8-34/2021-FC Date 21/04/2022 in lieu of 142.075 Hectarc of affected forest land under the sanctioned project of Coal Mining M/s Birla Corporation Limited, the above mentioned Non Forest Land of mentioned in the schedule 33,675 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government. Forest Department by order No. 640/A-6/2023-24 dated 13-06-2024 Nayab Tehsildar, Circle Baraundha, Tehsil Majhgawan, District- Satna for the purpose of compensatory afforestation.

#### 2. Details of other Reasons :- Nil

The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No 640/A-(B)6/2023-24 dated 13-06-2024 of Nayab Tehsildar, Circle Baraundha are as under:-

1. Individual Rights-There are no individual rights on the said land.

2. Community Rights- There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

## भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2024

क्रमांक/ PCCF/7/0060/2024-FLR-PCCF Part(1) :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( रूमांक 16, सन 1927) यारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को योग में लाते हुए, राज्य शासन , एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीघे की अनुसूची में उसेखित भूमि पर लागु होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमानअधिकार, लहाँ तक की वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी शीति में न्यूमीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 23" 20' 59.27" से 23' 21' 38.22" N उत्तरअक्षांत तथा 81' 53' 11.73" से 81' 53' 49.29" पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है.

अनुसुची

#### जिला-शहडोल

1700

क्लमंडल-दक्षिण वनमंडल शहडोल

## तहसील - जैतपुर

## वन परितेत्र-केशवापि

31,		चन खण्ड	की भूमि का विध	रण		वनखण्ड की सामाए
3.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का गाम/ पटवारी हल्का न्	भूमिका	खसरा इ.	रकमा (हेक्टेयर)	
1.	महोरा( 1)	ग्राम का नाम- छिनमार	गिजी चूमि से वन विधान को	1 2/2 का भाग	3.076 1.376	वत्तरः- आर्थसत बनाउंड महोरा के मुनार इम्पांक 724 से प्रस्तुचित संतर्कत पनसङ वे
	1 8	पटवारी हल्का	हस्तान्तरित	2/3/3 का माग	1.659	गुनारा क्रमांक 72 से होते हुए मुनारा क्रमांक 153 तक कृतिम वन सीमा  एवं मुनारा क्रमांक 152 र
		पटवारा हल्का नं-गोडिनबुहा	1	2/3/4 का भाग	1.659	े असमित बनखण्ड महोत के मनारा क्रमांक 72
		(43)		4/1की माग	0.547	राक वन सीमा।
				4/2 审1 भाग	0.547	पूर्व-:- आरबित वनखंड महोरा के मुना
				7/2/1 का मान	0.364	तम्मांक 722 से प्रस्तावित संरवित वनसंड व
				7/2/2 का मान	0.365	मुनारा क्रमांक ६ तक कृत्रिम वनसीमा एवं मुना
	1.1.1.1			9/2का पाग	3,998	जन्मांक 6 से आरंडित बनखंड महोरा के मुना
				10/1का भाग	0.045	क. 721 तक वन सीमा से होते हुए प्रस्तावि संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 25 तक कुनि
	1.1.1.1.1.1			10/2का माग	0.190	संरक्षित वनखंड के मुनास क्रमांक 25 तक कृति वनसीथा एवं आरवित वनखंड महोरा के मुनार
	1.11			11/2का माग	3.237	क. 720 के निकटतम मिलान बिंदु प प्रस्तावित संरक्षित बनखंड के नवनिर्मित मुनार
	1	1.0.1		12	0.648	क्रमांक 26 तक दन सीमा। दक्षिण:- प्रस्लावित संरक्षित वनखंड के मुना
				13	0.599	कमांक 26 से मनारा क. 67 तक कड़िम उ
	1 . 1			14	0.077	सीमा। पश्चिमः- प्रस्तापित संरक्षित वनखंड के गुना
				15	0.514	क्रम्डाक 67 से मुनारा क. 71 तक कृत्रिम क
			1	16	0.210	सीमा से होते हुये अल्लंबेत वनखण्ड महोरा वे गुनारा क्रमांक 724 तक वन सीमा।
			1	17	0.522	
				18	0.077	
				19	0.129	
				20	0.368	
				21	0.142	
				22	0.040	
				39/1का भाग	4.727	
		_		39/2 का भाग	4.047	
				40/1 কা মান	4.856	
+				41/1 का माग	4.346	आन्तरिक सीमा-:
				11/2/2 101	2.025	1. पेच झ. 01 :- खसरा झमांक 177 की निज

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

भूनि की सीमाय- (पाठी की पाल की विवरीत चिंत्रा में) 0.433 उत्तर :- प्रस्तावित संरवित वनसंड के नुनास 2.310 जमांक 78/1 से मुनारा क्रमांक 78/2 तक कृत्रिम 45 46 0.849 वन शीमा । पश्चिमः- प्रस्तावित संरवित वनसंढ के मुनास कमांक 78/2 से भुनारा कमांक 78/3 तक कुंत्रिम 47 0.324 वन सीमा । दक्षिण :- प्रस्तुतावित संरक्षित बनखंड के मुनारा 49/1 का माग 0.704 क्रमोक 78/3 से मुनारा क्रमांक 78/8 तक कृत्रिम वन सीमा । पूर्व :- प्रस्तावित संरक्षित वनलंड के मुनाव क्रमांक 78/8 से भुनारा क्रमांक 78/1 तक कृत्रिम 49/2 का माग 1.619 यन सीमा । 2. पेच क. 02 > खसरा क्रमांक 5051 एवं 52 की लिजी भूपि की सीमाये- (घडी की चाल की विपरीत दिशा में) 53 1.428 उत्तर :- प्रस्ताबित संदक्षित बनखंड के मुनारा हमोंक 41/12 से मुनारा तमांक 41/1 राक 54 0.251 कृत्रिम बन सीमा । पंडिमः- प्रसुतायित संरवित बनखंड के मुनारा 55/2 **का मा**म 0.218 क्रमांक 41/1 से मुनारा क्रमांक 41/4 तक कृतिम वन सीमा । दक्षिण :- प्रस्तायित संरवित वनरांड के मुनारा क्रमांक 41/4 से मुनारा क्रमांक 41/8 तक कृतिम 56 1.616 वन सीमा । पूर्व :- प्रसुतायित संरक्षित वनलंड के मुनात 82/1 का भाग 4.452 इमांक 41/8 से मुनारा ब्रमांक 41/12 तक कृत्रिम बन सीमा । 62/2 का मान 1.672 กไม 40 मिला 55.811 रङसरा

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिव्री के आदेश ळमांक 8/34/2021-PC दिनांक 21.04.2022 से सैद्धांतिक अधिरोपित शर्त के अनुसार मंश्वर्स बिरता वॉपोरेशन लिमिटेड शहडबेल जिला ग.प्र. की स्वीकृत परियोजना बिरूप कोल ब्लाक ओपन/भूमिनत कोवला उत्खनन में कुल प्रभावित काबा 142.075 हेक्टेयर यनभूमि एवं 9.020 हेक्टेयर शत्सरव वनभूमि कुल 151.095 हेक्टेयर के एवज में प्राप्त कुल 114.372 है. निजी भूमि से जपरोक वर्णित मुमि 55.811 हेक्टेयर शत्मपूर्वि बनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायत्वय तहसीलवार जीतपुर का आदेश क्रमांक 307/ अ-6/2021-22 दिनांक 23.06.2022 के अनुसार दिनांक 31.07.2022 को निजी भूमि से शासकीय वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित अधवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण - :निरंक

(ख) उपरोत्त भूमि पर सधम राजस्व अधिकारी तहसीलदार जैतपुर के प्रतिवेदन क्रमांक 307/A-6/2021-22 दिनांक 23.06.2022 एवं दिनांक 31.07.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विक्ला निम्मानुसार है-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- चक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकारः - जक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक मूनि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरवित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

5676

| भाग 1

# भोपाल, विनांक 14 नवम्बर 2024

क्रमांक/PCCF/7/0060/2024-FLR-PCCF-Part(1) :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ PCCF/7/0060/2024-FLR-PCCF-Part(1) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदुद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

#### Bhopal, the 14th November 2024

No./PCCF/7/0060/2024-FLR-PCCF-Part(1) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected In any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23°20'59.27" N to 23° 21' 38.22" N North Latitude and 81" 53' 11.73" E to 81° 53' 49.29" E East Longitude .

#### SCHEDULE

#### District: -Shahdol

#### Tehsil: - Jaltpur

Forest Division: - South Shahdol

Forest Range: -Keshwahi

S.N.	Name of	Details of	Land Include	be		Forest Block
	Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Ha)	Boundaries
1	Mahora (1)	Chhinmar.	Transfrred	1	3.076	North - Artificial fores
		Godinbuda	from Private	2/2 Part	1.376	boundary from Pilla
		(43)	Land to	2/3/3	1.659	number 724 of reserved forest block Mahora via
		1.1.1.1.1.1	Forest	Part		Pillar number 72 o
			Department	2/3/4	1.659	proposed protected fores block to Pillar number 152
		1		Part	100-00V	and forest boundary from
	1.000			4/1 Part	0.547	Pillar number 152 to Pilla
				4/2 Part	0.547	number 722 of reserver forest block Mahora. East - Artificial fores boundary from Pilla number 722 of reserver
1.1				7/2/1	0.364	
				Part		
				7/2/2	0.365	
- 0				Part		forest block Mahora to Pilla
				9/2 Part	3.998	number 6 of propose protected forest block an Artificial forest boundar
				10/1	0.045	
- 1				Part	1	from Pillar number 6 to Pilla
				10/2	0.190	number 721 of reserved
				Part	1000	forest block Mahora through the forest boundar, till Pillar number 25 of th
- 1	The second second			11/2	3.237	
			Part	1	proposed protected fore	
			0.648	block, Forest boundary up to newly constructed Pillar		
			13	0.599	No. 26 of the proposed	
- 1				14	0.077	protected forest block at the nearest matching point of Pillar No720 of reserved forest block Mahora. South – Artificial forest
				15	0.514	
- 1		1		16	0.210	
				17	0.522	
			1	18	0.077	boundary from the Pilla
1				19	0.129	Number 26 to Pillar Number

भाग 1]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2024

भाग 1

20 0.368 67 to. the proposed 0.142 protected forest block. 21 22 0.040 39/1 4.727 Part 39/2 4.047 Part 40/1 4.856 Part 4.346 41/1 Part 41/2/2 2.025 Part 44 0.433 45 2.310 West -Artificial forest boundary from Pillar No. 67 to Pillar No. 71 via forest boundary up to Pillar No. 724 of Reserved Forest Division Mahora. Internal Boundary :-46 0.849 1. Pench No. 1:-Boundaries of private land of Khasra number 177 - (anticlockwise direction) North :- artificial forest boundary From Pillar 0.324 47 number 78/1 to Pillar number 78/2 of the proposed protected forest block. West:- artificial forest boundary From From Pillar Number 78/2 to Pillar Number 78/3 of 49/1 0.704 the proposed protected Part forest block. South:- artificial forest boundary From From Pillar Number 78/3 to Pillar Number 78/8 of

5678

1	1			the proposed protected forest block.
		9/2 art	1.619	East:- artificial forest boundary From From Pillar Number 78/8 to Pillar Number 78/1 of the proposed protected forest block. 2. Pench No. 2:-
1				Boundaries of
		53	1.428	private land of Khasra number 50, 51 and 52 - (anti-clockwise direction)
				North :- artificial forest boundary From Pillar number 41/12 to Pillar
	 F	54	0.251	number 41/1 of the proposed protected forest block.
			3	West:- artificial forest boundary From From Pillar Number 41/1 to Pillar Number 41/4 of the proposed protected forest block.
		55/2	0.218	South:- artificial forest
	- H	Part 56	1.161	boundary From From
		62/1	4.452	Pillar Number 41/4 to Pillar Number 41/8 of
		Part	4.452	the proposed protected
		62/2 Part	1.672	forest block.
				East:- artificial forest boundary From From Pillar Number 41/8 to Billar.Number 41/12.of the proposed protected forest block.
	P	40 arcel	55.811	

# A. Reason for Publication of Notification:-

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8/34/2021-FC dated 21.04.2022 principal approval/stage 1 approval the forest 142.075 hectare of affected forest land 9.020 ha. Revenue forest land total 151.095 ha. Under the sanctioned project of Bikram coal Block open cost and underground coal mining project of M/s Birla Corporation Limited Shahdol, out of 114.372 ha. obtained forest land, the above mentioned Non Forest Land of 55.811 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt. Forest Department by order No. 307/A-6/2021-22 Dated 23.06.2022 to and Dated 31.07.2022 of TehasildarJaitpur for the purpose of compensatory afforestation.
- 2. Details of other Reasons- Nil
- B. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per the Report No 307/A-6/2021-22 Dated 23.06.2022 to and Dated 31.07.2022 of Tehasildar Jaitpur are as under.
- 1. Individual Rights- No Individual Rights are on above land
- 2. Community Rights- No Community Rights are on above land

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927

> By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ATUL KUMAR MISHRA, Secv.

#### भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2024

क्रम्बंक PCCF/7/0133/2024-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927). की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रोति में न्यूनीकृत या प्रभायित नहीं किये जायेंगे।

# Annexure A (iv)

#### FORM-II

(for the projects other than Linear projects) Government of Madhya Pradesh Office of the District Collector, Shahdol P.O. Shahdol (M.P.)

No. RM/FRA/2020/792

# Dated - 09-DetoBER 2020

# TO WHOMSOEVERIT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest & Climate Change (MoEF&CC), Government of India s letter No. 11-9/98-FC (Pt.) dated 3<sup>st</sup> August 2009 wherein the MoEF&CC issued guidelines on the submission of evidences for having initiated and completed the process of settlements of rights under the Scheduled Tribes and Othre Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 9.020 hectare of revenue forest land proposed to be diverted in lavour of M/s. Birla Corporation Limited, Bikram Coal Block, Shahdol for diversion of forest land for underground and opencast mine of coal in Shahdol district fails within jurisdiction of Gopalpur & Bartara village(s) in Burhar tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 9.020 hectare (Bartara 5.506 hectare & Gopalpur 3.514 hectare) of revenue forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A1 to A2 annexure B : and annexure C.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forestdwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Gopalpur & Bartara village(s) is enclosed as annexure A1 to annexure A2.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Fre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per Section 3(1) (e) of the FRA.

Encis: As abovu.

15

X 20 12

Signature

Fornal

(Dr. Satendra Singh) Collector, Shahdol District-Shahdol (MP.) शाइडोल (म.प्र.)

No. 7059

# FORM-II (for projects other than linear projects) Government of Madhya Pradesh. Office of the District Collector, Shahdol P.O. Shahdol (M.P.)

Dated 26/09/20/

# TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for flaving initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 (FRA), for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 142.075 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of M/s. Birla Corporation Limited, Bikram Coal Block, Shahdol for diversion of forest land for underground and opencast mining of coal in Shahdol district falls within jurisdiction of Gopalpur & Bartara village(s) in Burhar tensils.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 342.075 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure "A1" to "A2" annexure "B" and Annexure "C".
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-divellers, who eligible under the FRA;
  - the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Gopalpur & Bartara village(s) is enclosed as annexure "A1" to annexure "A2".
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a guorum of minimum 50% of the members of Gram Sabhalpresent;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive. Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA

# Encls: As above.

- (I) Annexure- "A1" Gram Sabha Village Gopalpur:
- (ji) Annexure- "A2" Gam Sabha village Bartara.
- (iii) Annexure- "B" Block Level Committee.
- (v) Annexure- \*C\* District Level Committee.

Signatu

(Dr. Ashok Kumar Bhargava) Collector, Shahdol Districe/Shaffdol (M.P.) Shahbol (M.P.)

# Annexure A (v)



Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

TED (11902) Know More

You are here: / Reports / Query By Account		
Query By Account		
e-PayOrder Number	CRG0589328	
Debit Status	Success	
		27-05-2024
MADHYA PRADESH CAMPA		
Twenty Two Lakhs Sev	enty Two Thousand Thirty 22,72,03	35.00
Five only		
00000030015285306		
PUJA JAIN CAG, KOLKATTA Maker "CRG	Nitesh Soni SM Authorizer 1 :0589328"	NEHA BOGHANI Authorizer 2
Actual Debit Amount	22,72,035.00	•
Actual Debit Amount	22,72,035.00	
Commission	0.00	
Counterfoil Description	Bikram Coal	
Transaction Type	RTGS Fund Transfer	
GSTIN Number		
Click here to view credit and debit account details		
You can only enquire the status of transactions authorisation please use the 'View Inbox'/'Bulk		Query by echeque' option under Reports tab. For actions'.
consolidated amount, the commission corporate) • For NEFT multiple credit transactions,	will be initiated as a separate transaction	Transactions,although the echeque displays the only (EOD or per Txn as per the mandate of your olidated amount. The commission will be initiated as date of your corporate.

© State Bank of India

Site best viewed at 1024 x 768 resolution in Microsoft Edge 79+, Mozilla 96+, Google Chrome 97+

https://corp.onlinesbi.sbi/corpuser/queryechequesdetailsdisplay.htm



Corporate Office 1. Shakespeare Serani, A.C. Market (2<sup>rd</sup> FH, Kokana 700 071 P. 055 6605 1500 02 F. 491 035 2208 4426 E. coontinator@binkersp.com

29<sup>th</sup> August 2023

BCL/Bikram/PCCF/23-24/02

# То

# The Principal Chief Conservator of Forest,

(Land Management) and Nodal Office (FC ACT), Satpura Bhawan, Bhopal, Madhya Pradesh

# **Reference:**

- 1. DFO Shahdol Letter bearing no. 케. च./2022/ 39 24 dt.01.06.2022.
- 2. DFO Rewa Letter bearing no. The Address dt.19.05.2022.
- 3. Challan Application No. 5849537792 dt.23.08.2023.

Sub: Payment of CA Scheme amount for Bikram Coal Mines.

Dear Sir,

We write with reference to letter bearing no. dt.01.06.2022 and shahdol and Rewa for payment of INR 4,37,22,200/- i.e INR 2,13,85,100/- + INR 2,23,37,100/- toward CA scheme amount into the Madhya Pradesh CAMPA Account for Bikram Coal Mines.

We hereby submit the CA Scheme payment (RTGS) detail of **INR 4, 37,22,200/- (Indian Rupees Four Crore Thirty Seven Lac Twenty Two Thousand Two Hundred One only)** against the generated Challan Application No. 5849537792 dt.23.08.2023 into the Madhya Pradesh CAMPA Account raised for Bikram Coal Mines.

# Your Sincerely, For Birla Corporation Limited

(Authorised Signatory) Name: Bhupendra Singh Chaudhary Designation: Vice President (Mines)

# Enclosure:

- 1. Copy of Challan Application No. 5849537792 dt.23.08.2023
- 2. CA Scheme Payment (RTGS) detail

<u>CC:</u>

- 1. DFO & CCF (South), Shahdol (MP)
- 2. DFO & CCF, Rewa (MP)





#### NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

#### Date : 23-08-2023

Agency Name.	COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED
Application No.	5849537792
MoEF/SG File No.	8-34/2021-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Birla Building, 9/1 R.N.Mukherjee Road, KolkataKolkata
Amount(in Rs)	43722200/-

Amount in Words :Four Crore Thirty-Seven Lakh Twenty-Two Thousand Two Hundred Rupees Only

# NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765849537792 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only



#### NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-08-2023

Agency Name.	COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED
Application No.	5849537792
MoEF/SG File No.	8-34/2021-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Birla Building, 9/1 R.N.Mukherjee Road, Kolkata Kolkata
Amount(in Rs)	43722200/-

Amount in Words :Four Crore Thirty-Seven Lakh Twenty-Two Thousand Two Hundred Rupees Only

# NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765849537792 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank



**Birla Corporation Limited** 

Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(i)

# Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 01 /24/25

# UNDERTAKING

(Against Condition no B (i) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited" do hereby undertake that the legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.

Date: 19-11-2024 **Place: Shahdol** 

# For Birla Corporation Limited

Digitally signed by Bhupendra Bhupendra Singh Singh Chaudhary Chaudhary

Date: 2024.11.19 13:13:10 +05'30' Bhupendra Singh Chaudhary,

Vice President - Mines (Authorized Signatory)

Date: 19.11.2024



**Birla Corporation Limited** 

Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(ii)

Date: 19.11.2024

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 02 /24/25

# **UNDERTAKING**

# (Against Condition no B (ii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited" do hereby undertake that the forest land will be taken only after the required non-forest land shall be handed over to forest department by the BCL.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

# For Birla Corporation Limited

Bhupendra Singh Chaudhary Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 14:52:08 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary, Vice President - Mines (Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(iii)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 03 /24/25

Date: 19.11.2024

# **UNDERTAKING**

(Against Condition no B (iii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that we shall pay the additional amount of NPV, if so determined by the Hon'ble Supreme Court of India.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol For Birla Corporation Limited

Bhupendra Singh Chaudhary Chaudhary Date: 2024.11.19 12:48:28 +05'30'

> Bhupendra Singh Chaudhary, Vice President - Mines (Authorized Signatory)



**Birla Corporation Limited** Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400

P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(iv)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 04 /24/25

Date: 19.11.2024

# UNDERTAKING

(Against Condition no B (iv) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited" do hereby undertake that the R&R Plan shall be implemented as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work implementation. The said R&R Plan will be and monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol For Birla Corporation Limited

BhupendraDigitally signed by<br/>Bhupendra Singh<br/>ChaudharySinghChaudharyChaudharyDate: 2024.11.19<br/>13:10:35 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary, Vice President - Mines (Authorized Signatory)



Birla Corporation Limited Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(v)

Date: 19.11.2024

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 05 /24/25

#### UNDERTAKING

(Against Condition no B (v) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that fencing, protection and regeneration of the safety zone area [7.5 meters strip shall be kept within the mining lease boundary and area of the safety zone shall be part of the total area of mining lease] and shall be done at the project cost within three years and maintained thereafter as per approved working plan of the State Govt.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol For Birla Corporation Limited

Bhupendr a Singh Chaudhary Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 13:02:41 +05'30'

> Bhupendra Singh Chaudhary, Vice President - Mines (Authorized Signatory)

-: Registered Office :-



**Birla Corporation Limited** Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 06 /24/25

Date: 19.11.2024

#### **UNDERTAKING**

(Against Condition no B (vi) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake BCL either himself or through the State Forest Department shall undertakes that afforestation on degraded forest land, at project cost, one and half time in extent to the area used for safety zone.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

#### For Birla Corporation Limited

Bhupendra Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 13:06:48 +05'30'

> Bhupendra Singh Chaudhary, Vice President - Mines (Authorized Signatory)



**Birla Corporation Limited** 

Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(vii)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 07 /24/25

Date: 19.11.2024

#### **UNDERTAKING**

(Against Condition no B (vii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that after the ceasing of mining operation we shall re-grass the mining area which may be disturbed due to mining activity and restore the land to a common condition which will be fit for growth of fodder, flora, fauna, etc.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

#### For Birla Corporation Limited

Bhupendra	
Singh	E
Chaudhary	1

Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 15:49:28 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary, Vice President - Mines (Authorized Signatory) **PROPOSAL FOR MITIGATIVE MEASURES TO MINIMISE SOIL EROSION, CHOKING OF** STREAM BY CONSTRUCTION OF CHECK DAMS AND RETENTION TOE WALLS TO **ARREST SLIDING DOWN OF THE EXCAVATED MATERIAL** 

FOR

## **BIKRAM COAL MINE**

(UNDERGROUND & OPENCAST)

(CAPACITY: 0.36 MILLION TONNES PER ANNUM,

ML AREA: 239 HECTARE)

AT

VILLAGE: BARTARA AND GOPALPUR. **DISTRICT: SHAHDOL, MADHYA PRADESH** 

**Project Proponent:** 



## BIRLA CORPORATION LTD.

Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor, 159, Churchgate Reclamation, Mumbai City-400020, Maharashtra Phone: +91 22 4343 5400 / 2204 8467; Fax: +91 22 2204 3615 E-mail: sandeep.jain@birlacorp.com; Website : https://www.birlacorporation.com

Prepared in compliance to point no. Viii (a) & (c) of section B of Stage-I Forest Clearance under the Forest Act, 1980 received vide F.No. 8-34/2021-FC dated 21.04.2022

> Issue 1 Rev. 0 (UID No. 202303002) March 2023

> > Prepared by:



MIN MEC CONSULTANCY PVT. LTD. A-121, Paryavaran Complex, IGNOU Road, New Delhi – 110 030 Ph : 91-11-29532236, 29535891; 29532568, Web site: http://www.minmec.com <sub>An ISO 9001:2015</sub> Email: mining@minmec.com; minmec@gmail.com



approved company

## CONTENTS

#### SI. No. Description Page No. 1.0 Need for Study ......1 2.0 The importance and necessity of Top Soil management for minimisation of 2.1 soil erosion ......2 2.2 2.3 2.4 Mining in lease area ......4 3.0 3.1 Impact of mining in lease area on Soil ......5 40 4.1 4.2 4.3 Soil quality......7 4.4 4.5 4.6 Drainage Pattern Outside ML Area .....14 Proposal for top soil management and stabilisation of over burden dumps in 5.0 project area & soil conservation in study area ......15 Procedure adopted for top soil management and stabilisation of over burden 6.0 dumps ...... 17 6.1 6.2 6.3 6.4 7.0 7.1 Brief details of the Retaining Walls (app).....22 7.2 7.3 Consolidated Map of Areas where Top Soil Management for minimising Soil 8.0 8.1 8.2 9.0

## LIST OF TABLES

Table No.	Particulars	Page No.
Table 1:	Post mine closure land use	5
Table 2:	Year/ stage wise quantities of hard OB & Top Soil	5
Table 3:	Average monthly temperature, relative humidity and rainfall (IMI Umaria)	
Table 4:	Soil sampling stations	7
Table 5:	Soil analysis result	12
Table 6:	Sediment load (Tonne)	13
Table 7:	Water bodies in the study area	14
Table 8:	Observed locations for check dam construction	15
Table 9:	Details of top soil removal & use (million cum)	18
Table 10:	Requirement of plants (year/stage wise and location wise)	21

## LIST OF FIGURES

Fig No.	. Particulars Page No.
Fig 1:	Consolidated areas where samples of soil were taken in the study area 8
Fig 2:	Location of Soil Sampling Stations (May, 2020)11
Fig 3:	Location of soil sampling stations (June, 2022)11
Fig 4:	Drainage map
Fig 5:	Coco Filter
Fig 6:	Application of coco filters for controlling soil erosion on slopes
Fig 7:	Cross-section of Toe wall
Fig 8:	Locations of dump sites around which toe walls will be constructed
Fig 9:	Cross section of proposed check dam
Fig 10:	Location of proposed check dams on Google Earth
Fig 11:	Location of proposed check dams on toposheet

## PROPOSAL FOR MITIGATIVE MEASURES TO MINIMISE SOIL EROSION, CHOKING OF STREAM BY CONSTRUCTION OF CHECK DAMS AND RETENTION TOE WALLS TO ARREST SLIDING DOWN OF THE EXCAVATED MATERIAL

## 1.0 INTRODUCTION

Bikram Coal Mine represents the northern contiguous area of the Karkati Sector of the Sohagpur Coalfield. The area of the block is 239 ha lying in villages Bartara and Gopalpur of Tehsil Burhar, District Shahdol, Madhya Pradesh. The Mine Lease area is 239 ha. Project Area is also same i.e. 239 ha. It is located approximately 7 km SW of Burhar town, in the western part of Sohagpur Coalfield, in Shahdol district of Madhya Pradesh. The coal will be extracted by both opencast and underground method. The mine lease has total forest area of 151.095 ha out of which 142.075 ha is Reserved Forest and about 9.020 ha is Revenue Forest.

The Coal block was allocated to M/s Birla Corporation Limited on 12<sup>th</sup> August 2008, and post de-allocated as per order of Hon'ble Supreme Court of India in 2014, reallocated vide vesting order no. NA-104/ 1/2019-NA, dated 10<sup>th</sup> February 2020 by Ministry of Coal for supply of coal to its integrated cement & captive power plants, through the auction process under section 6 of the Coal Mines (Special Provisions), Act 2015.

## 2.0 NEED FOR STUDY

M/s Birla Corporation Limited (BCL) has obtained an Environmental Clearance for Birla Coal Mine vide MOEF&CC letter no IA-J-11015/23/2020-IA-II(M) dated 20.05.2022. The forest diversion under section 2 (ii) of Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 151.095 ha of forest land for non-forestry purposes was initiated & revived vide proposal no. FP/MP/MIN/49537/2020 dated 09/09/2020. After consideration of the proposal made by the Bikram Coal Mine, the MoEF&CC, Government of India accorded Stage-I under the Forest Act, 1980 vide F.No. 8-34/2021-FC dated 21.04.2022. There are several conditions to be complied and compliance is to be fulfilled for the Stage-II approval.

In context of above, the sub-point (b) of point no. VIII (a) & (b) of B section of Forest Clearance Letter (vide File No. 8-34/2021-FC dates 21.04.2022) states that "Proper mitigative measures to minimize soil erosion and chocking of streams if available the vicinity of mining area shall be prepared and implemented" and "Construction of check dams, retention toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour". Hence, the need for preparation of a report for Soil Conservation and report on dumping of overburden and its toe wall has been envisaged.

## 2.1 The importance and necessity of Top Soil management for minimisation of soil erosion

The most important natural resources on the earth is soil. Most of the life depends on it as it's a direct and indirect source of their survival. Plants obtain nutrients from them while animals are dependent on them. Topsoil is the uppermost and outermost layer of soil. It's usually the first 6-8 inches of dirt, but it can vary depending on the area. Stripping, stockpiling, and reusing topsoil prior to disturbance while undertaking different kinds of projects is essential for proper reclamation of disturbed areas.<sup>1</sup> The importance of topsoil is in follows:

- Topsoil contains the essential microorganisms, nutrients, organic matter (microbes, plant and animal detritus, nutrients, manures, sludge, leaves, stalks, and other substances synthesized by soil microbes), and physical characteristics necessary to grow and sustain permanent vegetation.
- Due to the presence of nutrients, the topsoil becomes very fertile which is very useful for agriculture purposes also.
- Soil organic matter, with carbon as its main component, is crucial to soil health and fertility, water infiltration and retention as well as food production.<sup>2</sup>
- Topsoil as a major carbon storage system, play a crucial role in conserving and restoring soils and are essential for both sustainable agriculture and climate change mitigation.
- The water is cleaned by topsoil as the water percolates through it and also is the habitat of many organisms.

## 2.2 Importance & Necessity of Check Dams

A **check dam** is a small, sometimes temporary, dam constructed across a swale, drainage ditch, or waterway to counteract erosion by reducing water flow velocity. Check dams can be either temporary (during construction) or permanent. It is a device constructed of angular or crushed stone, crushed concrete, gravel bags, fiber rolls, or other prefabricated products placed across a natural or man-made channel or ditch. Check dams are typically, though not always, implemented in a system of several dams situated at regular intervals across the area of interest.

Need for check dams arises due to following:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>https://apps.itd.idaho.gov/apps/env/BMP/PDF%20Files%20for%20BMP/Chapter%205/PC33%20%20Topsoil%2 0Management.pdf - accessed on 21.06.2022

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://www.anaadifoundation.org/blog/ecology/why-our-topsoil-should-be-our-top-priority/ - accessed on 21.06.2022

- Check dams reduce scour and channel erosion by reducing flow velocity and encouraging sediment settlement by reducing the effective slope of the channel.
- Runoff water runs through and spills over the top of check dams and continues along the drainage way or swale. Check dams in a channel or ditch placed in series along gradients act like terraces. The primary purpose is to prevent channel erosion. It may be effective in removing large and dense particulates. The removal efficiency is typically less than 80%.<sup>3</sup>

#### 2.3 Need/ Importance of Toe Walls

Retaining Walls are usually built to hold back soil mass. It's a structure that holds or retains soil behind it. There are many types of materials that can be used to create retaining walls like concrete blocks, poured concrete, treated timbers, rocks or boulders. To retain soil at a slope which is greater than it would naturally assume, usually at a vertical or near vertical position<sup>4</sup>. However, for aesthetic landscaping purposed retaining walls can also be constructed.

There are several types of retaining wall that can be used such as Gravity retaining wall, Cantilever retaining walls, Counter-fort retaining wall, Buttressed retaining wall, Sheet pile retaining wall, Bored pile retaining wall, Anchored retaining wall.

The main criteria behind the design of the retaining wall are to counter the downward slope movement of back filled soil by gravity. The lateral pressure developed behind the wall depends on the angle of internal friction & cohesive strength of retained materials. The lateral pressure can also be liquid (hydro-static pressure), and pressure from any type of back-fill material like sand, granular material, fly ash, etc. A proper drainage system is to be provided to reduce the hydro-static pressure<sup>5</sup>.

#### 2.4 Need of stabilisation of dumps

Merely providing a toe wall is not enough. It is also necessary to undertake measures on the dump to ensure that it remains stable and does not erode excessively, slide or collapse. Hence, stabilisation of dumps is also necessary.

Mining companies are making higher and higher waste dumps for best utilization of land space. It is an important engineering aspect of an opencast mine because of its economic impact on production operations and safety to mine, machine and personnel. Steep slopes are favourable for economic reasons while low slopes angles are favoured for stability reasons. Any

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/egle/Documents/Programs/WRD/NPS/Tech/BMP/bmp-chec k-dam.pdf?rev=d467e378185649d1bf2b540498670c1e - accessed on 24.06.2022

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> https://www.slideshare.net/snehacoutinho/retaining-walls-51775738 - accessed on 25.06.2022

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> https://vincivilworld.com/2020/11/19/types-of-retaining-walls-materials-features-uses/ - accessed on 25.06.2022

compromise between these two options sometimes results in dump slope failures.

Stability of waste dump is mainly related to the design of slopes as well as the waste dump material properties. The factor of safety is thus dependent on the type and nature of the waste dump material as well as water content. To ensure dump stability from the geotechnical angle, slope stability study shall be carried out by the Company in due course and the dump construction shall be carried out as per the prescribed angles of slope for benches and the entire dump. The action of changes in pore pressure due to saturation of the dump during rainfall is also studied as a part of geotechnical stability.

This proposal shall restrict itself to the measures for stabilisation of the upper layer of the dump, which is exposed to natural elements such as rain water and high winds, which cause its erosion and consequently higher suspended solids in both rain water run off and air, respectively. The excess suspended solids in rain water lead to excess siltation in the downstream natural drains and therefore, the retaining toe wall with proper drainage system acts as the first activity for mitigation followed by check dams in the natural stream. In order to ensure that both the toe wall and check dams can function well, minimisation of erosion through soil stabilisation measures plays a major role.

## 3.0 MINING IN LEASE AREA

Out of 239 ha ML area, 141.43 ha land i.e. 59.17% will be disturbed by excavation till the end of life of OC mine. The featureless rolling topography and a thick soil cover in and around Bikram Block have completely masked the surface manifestation of the structural elements. Bikram Block being located in the central part of the Amlai-Burhar sub-basin of Sohagpur Coalfield is mainly covered by thin cover of soil and alluvium, ranging in thickness from 1.75 m to 8.55 m. The strata being soft, the depth of the weathering ranges between 8.35 m to 31.85 m below the surface. The total quantity of OB has been estimated as 36.81 Mcum, which includes 0.71 Mcum Top soil. Rock exposures are largely confined to seasonal nala sections.

To achieve 0.36 MTPA of coal production and to extract coal as much as possible, it is proposed to adopt both opencast method as well as underground mining method on three-shift basis. For open cast operation the top soil will have to be removed first with the help of 0.9 to 1.2  $m^3$  hydraulic excavator in conjunction with 10T truck.

Out of the total project area of 239 ha, there will be two temporary surface dumps over 9.67 & 2 ha which will be rehandled and backfilled during the course of the mining. The maximum height of the surface OB dumps will be 35 m & 20 m, respectively, above the ground level. The entire land coming within lease hold area of coal mine is 239 ha which will be utilized for mining and ancillary activities. Top soil dump of 1.68 ha shall also be temporary in

nature and will be reused for plantation. The details for during Mining and post mine closure land use is given in **Table 1**.

SI.	Туре	Total Area
No.		
1.	Excavation/Quarry Area:	118.6
	(a) Backfilled areas	79.53
	(b)Excavated Void	39.07
2.	External Dump	0.00*
4.	Infrastructure including magazine 3	
5.	Road 3	
6.	Water reservoir (settling pond)	0.60
7.	Green belt (including 7.5 m safety zone)	15.53
8.	Top soil dump 0**	
9.	Undisturbed	97.57
	Total	239

TABLE 1: POST MINE CLOSURE LAND USE

Note: \*11.67 ha was on mineral bearing area, rehandled & backfilled by 10<sup>th</sup> year

\*\* 1.68 ha was temporarily stored on area that was later excavated and backfilled \*\*\* maximum during life of mine shall be 6.7 ha

Source: BCL's ADS reply vide letter no. BCL/EC/Bikram/08/22 dated 26.03.2022 to MOEF&CC during environmental clearance process

#### 3.1 Impact of mining in lease area on Soil

The impact of due to solid waste generation (**top soil and overburden**) from the mine will be as follows:

- a) Top Soil: The total topsoil generated will be 0.71 Mcum during the life of the mine. Allocated storage area will be 1.68 ha. The year wise cumulative generation of the top soil can be seen in Table 2. Displacement of soil will lead to the loss of its fertility if proper management is not adopted. In the process of displacement, sustainability of soil as a plant growth medium gets affected due to change in the soil structure by excavation and dumping, leaching out of nutrients due to rain, erosion due to both wind and water and loss of characteristics when required to be stored over long periods of time. In case, no mitigation measures are taken, top soil and/ or its sustainability of soil as a plant growth medium will be lost.
- b) Overburden: The total quantity of pure hard OB generation (excluding top soil) has been estimated as 36.10 Mcum. The year/stage wise waste generation of Hard OB & Top Soil is given in Table 2.

Year	Excavated	Topsoil	Pure OB	Total waste	generated
	area (Ha.)	generated (Mcum.)	generated (Mcum.)	Progressive (Mcum.)	Cumulative (Mcum.)
1 <sup>st</sup> year	7.67	0.05	1.78	1.83	1.83
2 <sup>nd</sup> year	12.53	0.08	3.00	3.08	4.91
3 <sup>rd</sup> year	7.10	0.04	1.98	2.02	6.93

#### TABLE 2: YEAR/ STAGE WISE QUANTITIES OF HARD OB & TOP SOIL

Year	Excavated	Topsoil	Pure OB	Total waste generated	
	area (Ha.)	generated (Mcum.)	generated (Mcum.)	Progressive (Mcum.)	Cumulative (Mcum.)
4 <sup>th</sup> year	7.04	0.04	1.81	1.85	8.78
5 <sup>th</sup> year	7.20	0.04	1.80	1.84	10.62
Conceptual (23 yr.)	77.06	0.46	25.73	26.19	36.81
Total	118.60	0.71	36.10	36.81	36.81

Source:- Table 14.15 of Approved Mining Plan, March 2011

#### 4.0 PRESENT SCENARIO IN CORE ZONE

#### 4.1 OB Dumps in Core zone Area

The core zone is a virgin area at present and the mining is proposed to commence on obtaining all requisite permissions.

#### 4.2 Rainfall Characteristics

An understanding of the rainfall intensity and duration is useful for the design of runoff control and drainage systems. In the absence of on-site specific intensity data, the calculation for drainage system, siltation and any other pertinent parameters will be based upon the long term rainfall data obtained from the nearest IMD Station at Umaria.

Although the mean annual precipitation in the region can go upto 1190 mm and the maximum 24 hour total rainfall of 365.3 mm has been recorded 19/08/1923, the challenge lies in establishing the intensity/ duration relationship that will allow definition of peak discharge values. Because the 24 hour rainfall event will comprise both high intensity short-duration storms and low intensity long-duration events, detailed information of which is not available, it becomes further challenging to make the calculations. The average intensity for the aforementioned 365.3 mm/day event is 15.2 mm/h. It is most unlikely that this rainfall event occurred at a constant intensity and that there were one or more high intensity events embedded in 24 hour period. In the absence of real intensity data, annual data as given in **Table 3** has been considered along with assumptions given in **Section 4.5**.

The month wise average maximum and minimum temperature, average monthly relative humidity at 08:30 hrs & 17:30 hrs and yearly total rainfall (mm), recorded at IMD station Umaria, have been furnished in **Table 3**.

TABLE 3: AVERAGE MONTHLY TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY
AND RAINFALL (IMD STATION, UMARIA)

Months	Temperature °C		Relative humidity in %		Mean Rainfall	
	Min	Max	8.30 hrs	17.30 hrs	Rain (mm)	Rainy Days
January	7.70	25.10	81	55	20.3	1.9
February	10.40	28.10	71	47	20.0	1.8
March	15.30	33.60	56	34	13.0	1.1
April	20.50	38.90	43	29	8.2	0.9

Proposal for Soil Erosion Minimisation, Avoiding Chocking of Stream, Construction of Check Dams and Retention Toe Walls for Bikram Coal Block 6

Months	Temper	ature °C	Relative hu	midity in %	Mean F	Rainfall
	Min	Max	8.30 hrs	17.30 hrs	Rain (mm)	Rainy Days
May	24.40	41.50	42	29	10.6	1.2
June	24.30	38.30	61	50	133.2	6.5
July	22.10	31.80	83	76	306.4	15
August	21.30	30.40	87	81	372.6	15.7
September	20.80	31.30	83	76	247.6	9.9
October	16.70	31.50	76	61	40.4	2.1
November	11.20	28.90	75	56	6.8	0.7
December	7.00	26.30	78	54	10.9	0.8
Average	16.81	32.14	70	54	Total = 1190	Total = 57.6

(Source: Climatological Normals, IMD Umaria, Madhya Pradesh)

From **Table 3**, it can be seen that, June to September are the months of heaviest rainfall with 89% of the rainfall occurring in these months, while in rest of months it is low. The annual rainfall varies from the lowest value of 6.8 mm in November to 372.6 mm in August. The annual average being 1190 mm.

#### 4.3 Soil quality

Erosion is dependent on several factors including the nature of the soil, which is existing in the area where erosion is anticipated. Top soil samples were collected from eight locations- two from existing project site and six from study area during May 2020 and additional eight location in mine lease area during June 2022. The location of soil sampling stations are given in **Table 4** and shown in **Fig 2 & 3**.

Station No.	Location	Distance, km & Direction	Present Land use	Proposed land use
Soil Sam	ples collected during May 2020			
1	Core zone near Bartara village	Core zone	Agriculture	No change
2	Core zone near Gopalpur	Core Zone	Agricultural	No change
3	Chauradih village	1.5, NW	Agriculture	No change
4	Dhanpuri village	1.5, ENE	Barren Land	No change
5	Naugama village	1.8, S	Agriculture	No change
6	Karkati village	0.9, S	Barren Land	No change
7	Burhar village	3.2, NE	Barren Land	No change
8	Singhpur village	5.3, WNW	Agricultural	No change
Soil Sam	ples collected during June 2022			
1	Gopalpur Village (under proposed Green Belt 7.5m)	Core zone	Agricultural	Green Belt
2	Burhar RF near Gopalpur Village (under proposed undisturbed forest area)	Core zone	Forest	Undisturbed
3	Burhar RF near Gopalpur Village (under proposed open cast pit area)	Core zone	Forest	Open cast pit
4	Gopalpur Village (Dump Site 1)	Core zone	Agricultural	Dump
5	Burhar RF (under proposed open	Core zone	Forest	Open cast pit

TABLE 4: SOIL SAMPLING STATIONS

Station No.	Location	Distance, km & Direction	Present Land use	Proposed land use
	cast pit area)			
6	Gopalpur Village (under proposed open cast pit area)	Core zone	Agricultural	Open cast pit
7	Burhar RF near Bartara village (under proposed open cast pit area)	Core zone	Forest	Open cast pit
8	Burhar RF near Bartara Village (under proposed 50 m green belt area)	Core zone	Forest	Green Belt

The soil sampling at above locations can be seen in Fig 1.

## FIG 1: CONSOLIDATED AREAS WHERE SAMPLES OF SOIL WERE TAKEN IN THE STUDY AREA



#### Birla Corporation Ltd.



#### Birla Corporation Ltd.



#### Methodology

Soil samples were collected from a depth of 15 cm, 30 cm and 45 cm by digging a pit at the appropriate location with the help of a spade and a 'Khurpi'. The excavated soil from each location was mixed thoroughly and

about 1 kg of mixed sample was collected. The sample was packed in a polyethylene bag, sealed and brought to the laboratory.

After drawing sample for moisture content, the remaining sample was air dried for few days. For chemical characteristics, air-dried sample was ground in an agate mortar with the help of a wooden hammer and passed through a 2-mm (10-mesh) sieve. The coarser materials were rejected and the sieved material was sampled by the standard 'cone and quartering' method. Characterization of soil sample was performed by adopting methods prescribed under relevant parts of IS:2720, "Indian Standard Methods of Test for Soils".



FIG 2: LOCATION OF SOIL SAMPLING STATIONS (MAY, 2020)

FIG 3: LOCATION OF SOIL SAMPLING STATIONS (JUNE, 2022)



## Results

The analysis results of soil quality of the study area is summarised in **Table 5** and given in detail in **Annexure XII**.

Parameters	Unit	Result
Textural Classification		Fine to medium grained sand
рН		4.6-6.9
Electrical Conductivity	μS/cm	18.6-142.2
CaCO <sub>3</sub>	% by mass	2.0-6.5
Specific Gravity		2.05-2.67
Moisture	% by mass	0.596-15.363
Organic Carbon	% by mass	0.14-0.67
Organic Matter	% by mass	0.24-1.50
Phosphorous as P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	mg/kg	0.38-5.43
Nitrate-Nitrogen	mg/kg	0.2-6.2
Sodium	kg/ha	96.32-278.88
Potassium	kg/ha	74-596
Calcium <sup>2+</sup>	me/100gm	1.4-9.4
	soil	
Magnesium <sup>2+</sup>	me/100gm	0.4-2.2
	soil	

TABLE 5: SOIL	. ANALYSIS RESU	JLT

Source: Test Report no. MMS/06-2020/19 & MMS/06-2020/19A dated 03.06.2020 and Test Report no. MMS/06-22/39 & MMS/06-22/39 dated 17.06.2022 by Min Mec R&D Laboratory, Delhi

## Interpretation

Particle size analysis shows that the texture of the soil is of fine to medium grained sand. pH has been observed to slight acidic to neutral and electrical conductivity normal in nature. The soil is deficient in phosphorus, calcium and nitrogen at all locations.

## 4.4 Top Soil Removal and Use

As on date, no top soil has been removed for mining purpose.

## 4.5 Erosion Potential and Sediment load based on Slope

The quantum of sediment load carried by water depends upon the magnitude of flow, rainfall intensity, nature of formation, vegetation cover and slope. The adverse impact caused due to movement of sediment and land degradation need to be managed. To draw mitigation plan the quantum of sediment needs to be estimated on account of mining activity. The standard method for estimation of water erosion and sediment removal is by universal equation developed by U.S. Dept. of Agriculture, which is as under.

A = RKLSCP

Where

А	=	Average annual soil loss tonnes/ ha				
R	=	rainfall-runoff erosivity factor* 81.5 + 0.38Rn (in mm/ha.hr) (where, Rn = Rainfall range from 340 mm to 3500 mm)				
K	=	Soil erodibility factor, in this case**				
LS	=	slope length and steepness factor in m/m***				
С	=	cover management factor <sup>#</sup>				
Ρ	=	support practice factor##				

- \* Considering the rainfall 1190 mm/ year recorded at IMD Umaria for the period 1981-2010, rainfall-runoff erosivity factor calculated as 571.7 MJ-mm/ha.hr.
- \*\* The soil erodibility factor is 0.05 (for Loamy Sand with OM<2% as per Table no 13.3, Page no 349 of Transportation Decision Making: Principles of Project Evaluation and Programming by Kumares C. Sinha, Samuel Labi).
- \*\*\* The slope length steepness factor has been taken as 11.564 (as per Table of LS values for freshly prepared construction and other highly disturbed soil with little or no cover) since the dump bench slope is 57.80% with base width 34.6 m (top width 10 m) and height 20 m.
- <sup>#</sup> Cover management factor has been considered as 0.05 as perennial grass will be planted. Without grass, it would be 1.0 i.e. in absence of control measure.
- *Whereas, support practice factor 0.9 has been considered as the surface of the dump will be rough, irregular, having track movement in all direction. When in loose condition, it would rise to 1.0 (without control measure).*

The dump are the main source of generation of sediment load in mining industry. The sediment has been worked out based on aforesaid method and given in **Table 6**, with and without control measures.

Source	Area, ha	Average an loss, tonnes		Total annual soil loss, tonnes			
		Without CM	With CM	Without CM	With CM		
Surface dump	11.67	691.7	31.1	8072.6	363.7		
Top soil dump	1.68	691.7	31.1	1162.1	52.3		
Total				9234.7	416		

TABLE 6: SEDIMENT LOAD (TONNE)

Thus, with mitigation measures on the dump slope, the erosion will reduce by 22.2 times. In the course of mining when the dump slope will be matured it will be fully covered with coir mat and plantation there by the sediment load from the dump will be nil. Furthermore, the erosion that will still occur will be captured by garland drain with baffle walls. They shall be provided along the dump which will carry water to the rain water harvesting tank where sediment will settle down most of the time (when meeting retention time), except when sufficient time does not elapse during high rains.

The sediment load will be dredged and disposed in the OB dump. Coir matting will be done on inactive part of the dump gradually and to cover fully after total dump becomes in active which will help zero silt load from the dump.

## 4.6 Drainage Pattern Outside ML Area

There are a number of nalas present in the study area. When the mine becomes operational, the erosion that will take place from the dump area, can directly or indirectly lead to increase in siltation in the downstream nalas. Surpha nala, Baisaha nala, Kathaha nala and Utaila nala controls the drainage of west portion of the study area and joins to fall into the Son river at a distance of 12 km in North direction from the project. Nargara nala, Bagaiha nala and Gahiradhara nala are present in the eastern portion of the study area and join the Son river at a distance of 8.9 km in North East direction. Besides this, several water pond and nala are present in the study area. The topography and drainage map of core and buffer area is shown in **Fig 4**.

The river and streams found in study area are given in **Table 7**.

SI.	Name of the river	Distance w.r.t.	Direction
No.		mine	w.r.t. mine
1.	Son river	8.9 km	NE
2.	Baisaha nala	1.5 km	SW
3.	Surpha nala	2.7 km	W
4.	Nargara nala	1.7 km	SE
5.	Bagaiha nala	4.1 km	SE
6.	Belha nala	5.3 km	E
7.	Barua Nala	3.4 km	SW
8.	Kathaha nala	5.2 km	W
9.	Utaila nala	4.5 km	WNW
10.	Gohita Nala	5.6 km	SW
11.	Gahiradhara nala	4.9 km	SE
12.	Chirdaha Nala	9.2 km	NW
13.	Jamumba nala	1.9 km	Ν
14.	Kasai nala	5.7 km	NE
15.	Ram Sagar	6.4 km	SE
16.	Garjar Talav	2.8 km	S
17.	Hutiha Talav	5.3 km	SSE
18.	Ragha Pond	6.4 km	WNW
19.	Semra Dam	4.7 km	Ν

## TABLE 7: WATER BODIES IN THE STUDY AREA

SI. No.	Name of the river	Distance w.r.t. mine	Direction w.r.t. mine
20.	Bhuti Talav	2.8 km	NE

**Field visit findings:** There is no stream flowing in the mining lease area. In the study area there are three location have been observed where the check dams can be constructed. The information of the same is given **Table 8**.

#### TABLE 8: OBSERVED LOCATIONS FOR CHECK DAM CONSTRUCTION

SI. No.	Stream/ nala with location	Width of stream/ nala (m)	Depth of water observed (m)
1.	Nala near Charadih	4	0.3
2.	Baisaha nala near Majhiyar	10	1.5
3.	Nala near Jamuniha	15.2	7.6

Location of the above is seen in Fig 4.

#### 5.0 PROPOSAL FOR TOP SOIL MANAGEMENT AND STABILISATION OF OVER BURDEN DUMPS IN PROJECT AREA & SOIL CONSERVATION IN STUDY AREA

#### Stabilisation of Over Burden Dumps

As per the approved mine plan, OB will be dumped in the external and internal dumping area at the natural angle of response to avoid sliding of OB. The dumps will be properly compacted and planted as soon as ultimate height is achieved. Water channels will be planned with intermediate, muck arresting pits so as to prevent any accumulation of water and erosion of dumps. The overall gradient of the dump shall not be more than 28°. A systematic study will be commissioned to study the various slope stability parameters to reach at the optimum slope angle during mine operation period.

In addition to the above, following activities shall be carried out in the project area that will have an impact on the dump stabilisation:

- a. The sludge removed periodically from the septic tanks in the mining area would be organic in nature. The organic matter will be composted and used as manure for the plantation to be carried out on the dumps.
- b. The silt and soil sludge in settling ponds will be periodically removed and disposed in the overburden dump area.
- c. The municipal solid waste comprises of (i) organic, (ii) inorganic or recyclable and (iii) non-biodegradable components. The waste shall be segregated at source and the organic component shall be composted at the designated site within the project area. The composted matter will be used as manure in plantation in dump.




FIG 4: DRAINAGE MAP

- d. One of the major criterion for dump management is proper drainage of the working. Water management is of critical importance in the control of erosion, sediment generation, and slope stability. Therefore, following measures shall be undertaken:
  - Peripheral bunds will be erected on the outer edge of the abandoned benches before reclamation so that the soil is not carried away by storm water.
  - A water gradient of about 1 in 100 will be kept at every bench towards inside of the bench to prevent formation of gullies in the bench slopes causing serious erosion.
  - Stone pitching will be made at suitable location to regulate water flow and prevent soil erosion.
  - Construction of garland drains around freshly excavated and dumped areas so that flow of water with loose material is prevented. The mine water will be passed through settling ponds prior to discharge.
  - Any areas with loose debris within the lease hold will be planted.
  - Check dams can be constructed on the first order streams, on stretched outside project area. These checkdams will minimise solids from mining activities from washing into the larger rivers.
  - Geotextiles or plantation will be used to stabilise the dumps and backfill to minimise soil erosion.

## Outside mine lease area i.e. in study area

- Guide local villagers to participate in Soil Health Management (SHM) scheme under National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA). SHM aims at promoting location as well as crop specific sustainable soil health management and judicious application of fertilizers.
- Under SHM, establishment of soil testing labs in one of the components which are mainly located at district / block level. Therefore, the Ministry of Agriculture supports establishment of village level soil testing projects with the objective of employment generation for rural youth and to improve timeline in analysis of soil samples. The Company will guide the local youth to participate in such programs.

# 6.0 PROCEDURE ADOPTED FOR TOP SOIL MANAGEMENT AND STABILISATION OF OVER BURDEN DUMPS

## 6.1 Top Soil Removal and Use

About 0.71 Mcum of topsoil will have to be handled from areas to be excavated. Topsoil will be kept over an area of 1.68 Ha. The height of the

stacks will be kept less than 3 m. Extra generation of top soil will be utilised in two ways, part of the surplus top soil will be used for reclamation annually, whereas the rest will be stacked at pit head temporarily for consecutive laying over backfilling. Usually about 0.5 m thick layer of topsoil will be laid for afforestation. Topsoil availability and utilisation are shown in **Table 9**.

End of year	Top soil available	Topsoil utilised	Topsoil stack
1	0.05	0.02	0.03
2	0.08	0.05	0.03
3	0.04	0.03	0.01
4	0.04	0.03	0.01
5	0.04	0.03	0.01
Conceptual (23 <sup>rd</sup> )	0.46	0.46	0
TOTAL	0.71	0.62	0.09

TABLE 9: DETAILS OF TOP SOIL REMOVAL & USE (MILLION CUM)

#### 6.2 Geo-textiles Coco-Filter for Sedimentation Control

Geo-textiles act as a reinforcing element to the soil matrix helping to provide a stronger structural material. A geo-textile must be able to transfer its strength to the soil it is reinforcing. It must maintain that strength for maximum effectiveness and allow water to easily pass through while filtering out fine materials that can weaken the soil. Because of the this, the most important performance criteria for geo-textile reinforcement are grab strength, elongation, tear, and mass<sup>6</sup>. The function of geo-textiles are separation, filtration, drainage, reinforcement and protection.

In mining lease area, geo-textiles will be used in association with the soil. Coco-Filter and Geo-textiles are designed and developed to find an appropriate solution to the severe ecological problems. Coco-filter and geo-textiles are revolutionary eco products used as a structural and rooting mechanism for bioengineered systems. These filters can be used to provide filtration, perimeter protection, settling, reduction in water velocity/erosive forces and habitat protection.

Once installed, Coco Filters act to collect sediment and slow surface water movement and enable the establishment of vegetation. It will provide sufficient protection for the vegetation to grow into the embankments and take over the long term stabilization.

Coco Filters are the cost effective eco friendly alternative techniques. Coconut Fibres decompose naturally making them perfect for use in environmentally sensitive areas.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> <u>https://www.iwtcargoguard.com/functions-geotextiles-soil-stabilization/</u> - accessed on 27.06.2022

## FIG 5: COCO FILTER



Coco Filters



Vegetated Coco Filters

#### Specification

Product - Coco Filter Material - 100% Coconut Fibre Diameter - 30cm Length - 3m Netting – Polymer Staking rate - 4 - 6 stakes per Coco Filter Life Expectancy - 4-6 years depending upon the surrounding environment

## Advantages

- The Coco Filters are an economical, durable and biodegradable material.
- Great for use in catch basin protection, keeping unwanted pollutants from entering into sewer systems.
- Coco Filters will collect silt and sediment and slow water velocity whilst reducing erosion.
- A perfect cost effective bio-engineering product for natural water management.

## Cost Benefit:

- Coco filter cost can be recovered instantly as it will retain the precious ore contained silt in the mining areas which can fetch a good market value.
- Providing sustainable ecological cost effective solution to the problems related to water pollution which will affect the health of the mankind.
- Low Capital Investment and Maintenance free.
- Eco Compatible and meeting the requirement of regulatory authorities.
- Best Eco Restoration Technique for improving the quality of water in compare with other product and technique.

- This will help in improving the water holding capacity in the water courses, which will also save the de-silting cost of costly lake ponds and reservoirs.
- This technique could be a preventive measure as Silt & Sedimentation movement into the river leads to flood which will cause loss of precious life, property, crops etc. which cannot be assessable.

FIG 6: APPLICATION OF COCO FILTERS FOR CONTROLLING SOIL EROSION ON SLOPES



## 6.3 Reclamation Plan for minimisation of soil erosion

Reclamation is the process by which derelict or highly degraded lands are returned to productivity, and by which some measures of biotic function and productivity is restored. Long term mine spoil reclamation requires the establishment of stable nutrient cycles from plant growth and microbial processes<sup>7</sup>.

Reclamation of external surface OB dumps as well as top soil dump will also eventually take place. Reclamation Plan in an area of 99.363 ha, comprises of 79.53 ha of internal/ backfilled dump, 11.67 ha surface dump, 0.2 ha magazine, 0.6 ha water reservoir, 3.5 ha facility and 15.53 ha green belt.

The following points shall be taken for reclamation:

- The general choices of flora species will be site-specific that include herbs, grasses, shrubs, tree species (native). The species proposed are Sal, Mahua, Gulmohar, Neem, Siris, Acacia, Casuarina, Mango, China rose, Kaner, etc.
- Procurement of good quality seeds is the foremost requirement for carrying out any plantation programme.
- Planting can be done by various means:
  - Seedlings: Seedling planting is most often used to establish trees, or shrub species.
  - **Bulbils:** Species such as Agave can be propagated through bulbils.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> https://www.researchgate.net/publication/342831801\_A\_HANDBOOK\_ON\_MINE\_RECLAMATION - accessed on 27.06.2022

 Slip/culms/clumps/rootstock: The species such as grasses can be planted through slips, culms, clumps, rootstock etc<sup>8</sup>.

Biological restoration needs certain techniques for faster reclamation of any degraded land or any polluting areas of mining, OB dumps, as the growth of the plant is hampered due to lack of water, basic nutrients like nitrogen, phosphorous and potassium and maintenance. The best cost effective and performance oriented solution for this problem is to grow the plant to the maximum extent in nurseries and once it sustains on its own the same could be planted in the degraded land along with the bag without disturbing the root system. The plant mortality is always higher due to lack of watering and maintenance in any mining OB dumps. This technique will be cost effective and economical as watering and maintenance cost will be saved and it will also enhance the survival rate of the plants.

A plantation program over life of mine has been planned in a phase wise manner. The plantation shall be started from first year of mining and till conceptual period and about 248408 nos. trees shall be planted. The total plantation till the end of life of mine, shall be done on 99.363 ha. The stage wise cumulative plantation are tabulated in **Table 10**.

(YEAR/STAGE WISE AND LOCATION WISE)												
Mine	Cumulative year wise biological restoration, (area in hectare)											Cumulative
stages	Backfilled area	Surface dump	Top soil Dump	Maga- zine	Roads	Water reservoir (settling pond)	Facility	Green belt	Undist urbed	Total	trees @ 2500 per ha	Budget, Rs. Lakh
1 <sup>st</sup> year	0		0	0	0	0	0	10	0	10	25000	75
2 <sup>nd</sup> year	0	11.67	0	0	0	0	0	15.53	0	27.2	68000	174.825
3 <sup>rd</sup> year	7.64	11.67	0	0	0	0	0	15.53	0	34.84	87100	213.025
4 <sup>th</sup> year	11.17	11.67	0	0	0	0	0	15.53	0	38.37	95925	230.675
5 <sup>th</sup> year	16.52	11.67	0	0	0	0	0	15.53	0	43.72	109300	257.425
10 <sup>th</sup> Year	32.52	0	0	0	0	0	0	15.53	0	48.05	120125	337.425
15 <sup>th</sup> year	48.52	0	0	0	0	0	0	15.53	0	64.05	160125	417.425
20 <sup>th</sup> year	64.52	0	0	0	0	0	0	15.53	0	80.05	200125	497.425
End of mine	79.53	0	0	0	0	0	0	15.53	0	95.063	237658	572.49
PMC	79.53	0	0	0.2	0	0.6	3.5	15.53		99.363	248408	593.99

#### TABLE 10: REQUIREMENT OF PLANTS (YEAR/STAGE WISE AND LOCATION WISE)

Source: BCL's ADS reply vide letter no. BCL/EC/Bikram/08/22 dated 26.03.2022 to MOEF&CC during environmental clearance process

The point wise reclamation plan is discussed below:

1. The post mine closure land use of project area shows that all the disturbed areas will be reclaimed before abandoning the mine except the voids of 39.07 ha having depth 60 m, left at the end of the mining operations.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>https://www.researchgate.net/publication/342831801\_A\_HANDBOOK\_ON\_MINE\_RECLAMATION - accessed on 27.06.2022

- 2. Transportation and unloading of top soil at green belt or reclamation site will be undertaken. It will be levelled before plantation. It will be preferred to bring topsoil directly from the freshly excavated area to extract maximum benefit.
- 3. It is proposed to lay about 0.5-1m thick layer of top soil during leveling. In case of OB dumps, after leveling by the dozers, topsoil will be laid over it for reclamation. In case the soil is not adequate, the deficiency will be made up from the top soil stack. Reclamation programme will be done simultaneously with mining.

Whole of the excavated area is proposed to be developed into a picnic spot due to the formation of water body created as a result of the left out void. The water body will be used for irrigation, watering the forest at earlier stages and it will also attract avifauna.

#### 6.4 **Post plantation care**

The plantation care is very important to make sure that the plants survive for most of the days. The funds for maintaining the plants for the first five years after the plantation may be kept. Many steps will be taken immediately after planting the seedlings, such as daily watering on plants, manuring on soil, spraying insecticides on leaves if it's infected by insects, etc.


Replacement by fresh saplings will also be taken in case of uprooting and destroying of diseased and dead plants. Regular monitoring on survival rate and remedial action shall be taken in well organized manner.

## 7.0 PROCEDURE FOR CONSTRUCTION OF RETAINING WALLS

The project involves diversion of 151.095 ha of forest land for industrial purposes.

## 7.1 Brief details of the Retaining Walls (app)

Examples of toe walls constructed for stopping the sliding down of waste dump in other mines are shown below in figures given below:




Source: Noamundi Mine Iron Mine Tata steel limited



At South Kaliapani Mine, retaining wall & garland drains are built to take care of run-off water, arrest silt & sediment flows from OB/mineral dumps. The water so diverted is put to use for watering the mine area & Greenbelt development. (*Source: Orissa Mining Corporation*). The above are shown as a reference to aid the project proponent to prepare similar toe walls.

## 7.2 Proposed Cross section of Toe wall

For the given project, a cross section for the toe walls for both Dump 1 & Dump 2 are proposed in **Fig 7**.





## Dimensions of toe wall for dump-1, dump-2 and top soil dump


Туре	:	Gravity toe wall of Boulders
Height above ground level	:	1.75 m
Base width	:	4 m (1+1.5+1.5 m)
Top width	:	1.5 m
Stem thickness at bottom	:	0.75 m
Length	:	1668 m (dump-1), 573 m (dump -2), 558 m (Top soil dump)

The drainage channel that has to be constructed along the toe wall should take into account the following:

Parameter	OB Dump 1	OB Dump 2	Top soil Dump
Area, m <sup>2</sup> (A)	96700	20000	16800
Rainfall (R), m, max in 24 hrs	0.365	0.365	0.365
Design peak run off, cum/day	35295	7300	6132
Design peak run off, lps	408.5	84.5	71.0
Section of garland drain:	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal
Drain top width	1 m	1 m	1 m
Drain bottom width	0.4 m	0.4 m	0.4 m
Drain free board	0.4 m	0.4 m	0.4 m
Drain side slope	1in 0.5	1in 0.5	1in 0.5
Drain hydraulic gradient	1 in 100	1 in 100	1 in 100
Drain capacity as per Manning's formula	814 lps	814 lps	814 lps

Drainage channel design:

Therefore, the following section will be suitable for the toe wall drain based on Mannings formula:



- Design has to be done for an artificial drain for stormwater management.
- The design has to ensure that drain caries the design storm flows without overtopping, carry those flows without being excessively eroded, and are economically constructed and maintained.
- Design of trapezhoidal channel has been chosen
- Flow will be under gravity
- The mining plan and EIA report has stated the garland drain to be 1 m X 1 m in size.
- Hence, Manning equation for open channel has been chosen to check the section adequacy of the 1 m X 1 m section
  - Identify all hydrology issues that are required to achieve the objective of the system.
  - > Avoid right-angle bends in drains.
  - Avoid abrupt changes in drain gradient unless there is compensation in drain geometry.

- The uncontrolled discharge to 'natural surface' is to be avoided as this will simply put pressure on the system somewhere else. What was controlled channeled flow suddenly becomes uncontrolled overland flow.
- Suspended sediment contained in discharge will be deposited on the floor of the drain with reductions in velocity caused by a change in geometry or a reduction in gradient.
- Out of the various types of drainage channel configurations available (trapezoidal, triangular, parabolic), the trapezoidal channel is recommended because it is easier to maintain and are more tolerant of hydraulic variations.

## 7.3 Consolidated Map of Areas where Top Soil Management for minimising Soil Erosion is required within Mine Lease area

As described earlier, for minimisation of soil erosion Geo-textile Coco filter shall be used during dumping of top soil and OB, additionally Toe walls will be constructed around the dump site which will help in retaining dumped soil at its position. The locations of the dump sites within mine lease area are shown in **Fig 8**.



## FIG 8: LOCATION PLAN SHOWING OB AND TOP SOIL DUMPS


## 8.0 PROPOSAL FOR CONSTRUCTION OF CHECK DAM

As per the topography of the study area two Nalas have been identified in the buffer zone wherein two checkdams will be constructed to arrest eroded soil carried by run off water during monsoon season. The details of nala are given below:

Proposed Check Dam 1	Proposed Check Dam 2				
Location	Location				
Nala near Chauradih	Nala near Jamuniha				
Latitude & Longitude	Latitude & Longitude				
Latitude: 23°11'43.86''	Latitude: 23°12'57.408"				
Longitude: 81°27'42.024"	Longitude: 81°29'7.812"				
Photographs	Photographs				
Dotation in the Canteer of the Cante	DDE Brevense helle				
EXISTING NALA DIMENSIONS	EXISTING NALA DIMEN	SIONS			
Width of Nala: 4 m	Width of Nala: 15.2 m				
Depth of Nala: 1.2 m	Depth of Nala: 7.6 m				
Depth of water level in Nala: 0.3 m	Depth of Water Table:				
Depth of nala is uniform at all width at study point.	Depth of Jamuniha Nala at various points (m)	Depth of water level measured in nala (m)			
	0 to 3.8	0.6			
	3.8 to 11.4	0.9			
	11.4 to 15.2	0.6			
PROPOSED CHECK DAM DIMENSIONS:	PROPOSED CHECK DA	M DIMENSIONS:			
Length across stream: 6 m	Length: 18.2 m				
Height(H): 1 m	Height(H): 1 m				
Base width (L): 0.67 m (consider 0.67 x H)*	Base width (L): 0.67 m (consider 0.67 x H)*				
Thickness of base(D): 0.1 m (consider 0.1 x H)*	Thickness of base(D):0.1 m (consider 0.5 x H)*				
Width of toe(B): 0.33 m (consider 0.33 L)*	Width of toe(B): 0.33 m (consider 0.33 L)*				
Stem thickness at the top(T): 0.25 m (minimum)*	Stem thickness at the top	( )			
Stem thickness at the bottom(B): 0.1 m (consider $0.1 \times H$ )*	Stem thickness at the (consider 0.1 x H)*	e bottom(B): 0.1 m			

Location & Details of Nalas

## FIG 9: CROSS SECTION OF PROPOSED CHECK DAM



\*Design basis source: https://www.thestructuralworld.com/2019/03/04/design-of-retaining-wall/

Location of check dams is given in Fig 10 and Fig 11.



## FIG 10: LOCATION OF PROPOSED CHECK DAMS ON GOOGLE EARTH



FIG 11: LOCATION OF PROPOSED CHECK DAMS ON TOPOSHEET

#### 8.1 Materials

Materials and design may vary according to need and conditions. The other materials such as Gravel bags, prefabricated synthetic products are other options according to availability. However, in this case, crushed or angular aggregate (stone or crushed concrete) within cement underlain with geotextile is proposed.

#### 8.2 Maintenance

Check dams should be inspected weekly before commencement of monsoon and during monsoon. Washouts, sidecutting, undercutting, scouring, and deteriorating gravel bags should be repaired immediately. If erosion occurs between check dams, install a protective channel liner (riprap, mulch blanket, etc.), or additional check dams.

## 9.0 BUDGETARY PROVISION AND IMPLEMENTATION SCHEDULE

(a) Budget Provision for Check Dam to capture eroded soil and prevent chocking of streams

Total expected cost for check dams: 6 lakh + 6 lakh = 12 lakh

Implementation Schedule: Construction time will be one month.

## (b) Budget Provision for Toe Wall to prevent sliding of dump

- Cost per running meter: Rs. 1,000
- Total cost for toe walls around Dump-1: Rs. 5,73,000
- Total cost for toe walls around Dump-2: Rs. 16,68,000
- Total cost of construction : Rs. 22,41,000

**Implementation Schedule:** Before the commencement of dumping top soil and OB.

## (c) Geotextiles on overburden dump and top soil dumps to minimise soil erosion, sliding of dump and choking of streams:

SI.	Land use at	Area (ha)							
No.	different stage of mine	1 <sup>st</sup> year	2 <sup>nd</sup> year	3 <sup>rd</sup> year	4 <sup>th</sup> year	5 <sup>th</sup> year	End of mine		
1.	Surface dump	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	Rehandled & removes		
2.	Top soil Dump	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	Rehandled & removed		
	Total	13.35	13.35	13.35	13.35	13.35	-		

SI.	Land use at different stage of mine	Area (ha)					
No.		1 <sup>st</sup> year	2 <sup>nd</sup> year	3 <sup>rd</sup> year	4 <sup>th</sup> year	5 <sup>th</sup> year	End of mine
	% area under geotextiles at any time	10%	15%	15%	15%	15%	-
	Total Cost (@Rs. 1.5 lakhs/ ha)	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	

Grand Total = Rs. 14 lakhs

#### (d) Budget for Plantation and Green Belt Development

SI. No.	Particulars	No. of equip./ items	Unit cost, Rs. lakhs	Total cost, Rs. lakhs
1.	Green belt area (Hectare)	15.53	3.00	46.59
2.	Plantation on backfill (300 Rs./plant x 1500 plants / ha over 79.53 Ha.)	79.530	4.50	357.89
3.	Nursery development for supply of plants	LS	15.00	15.00
	Total Cost			419.48

**PROPOSAL FOR PLANTING ADEQUATE DROUGHT** HARDY PLANT SPECIES AND SOWING OF SEEDS **TO ARREST SOIL EROSION** 

FOR

## **BIKRAM COAL MINE**

(UNDERGROUND & OPENCAST) (CAPACITY: 0.36 MILLION TONNES PER ANNUM, **ML AREA: 239 HECTARE)** ΔΤ

VILLAGE: BARTARA AND GOPALPUR, DISTRICT: SHAHDOL, MADHYA PRADESH

**Project Proponent:** 



# BIRLA CORPORATION LTD.

Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor, 159, Churchgate Reclamation, Mumbai City-400020, Maharashtra Phone: +91 22 4343 5400 / 2204 8467; Fax: +91 22 2204 3615 E-mail: sandeep.jain@birlacorp.com; Website : https://www.birlacorporation.com

Prepared in compliance to point no. VIII(b) of section B of Stage-I Forest Clearance under the Forest Act, 1980 received vide F.No. 8-34/2021-FC dated 21.04.2022

> Issue 1 Rev. 0 (UID No. 202302002) February 2023

> > Prepared by:



AIN MEC CONSULTANCY PVT. LTD.

A-121, Paryavaran Complex, IGNOU Road, New Delhi – 110 030 Ph : 91-11-29532236, 29535891; 29532568, Web site: http://www.minmec.com An ISO 9001:2015 Email: mining@minmec.com; minmec@gmail.com



approved company

#### CONTENTS

SI. No.	Description	Page No.
1.0	Introduction	1
1.1	Need for Study	1
2.0	Requirement of species	1
2.1	Soil erosion prevention	2
2.2	Hardiness	2
2.3	Need for plantation of drought hardy plantation	4
2.4	Importance of Soil Moisture Conservation	6
3.0	Mining in lease area, present status of soil & flora and impacts	
3.1	Mining	7
3.2	Status of upper strata & top soil within mine lease	
3.3	Soil sampling within core zone area	
3.4	Impact of mining in lease area on top soil	
3.5	Present scenario of Flora in mine lease	
3.6	Impact of mining in lease area on Flora	
4.0	Management to control issues caused by the Mining in ML Area	
4.1	Proposed plantation within mine lease area	
4.2	Selection of species	
4.3	Plantation process including sowing of seeds	
4.4	Post plantation care	
4.5	Soil moisture conservation measures	
5.0	Budgetary provision	
0.0		

### LIST OF TABLES

Table No.	Particulars	Page No.
Table 1:	Soil sampling stations	7
	Results of soil samples	
Table 3:	Flora species found within mine lease area	11
	Requirement of plants (year/stage wise and location wise)	
	Species proposed for plantation	
	Budget for greenbelt and plantation	

### LIST OF FIGURES

Fig No	o. Particulars	Page No.
Fig 2:	Drought map of the country Location of soil sampling stations Mine stage at the conceptual stage showing proposed plantation	8

### PLANTING ADEQUATE DROUGHT HARDY PLANT SPECIES AND SOWING OF SEEDS TO ARREST SOIL EROSION

#### 1.0 INTRODUCTION

Bikram Coal Mine represents the northern contiguous area of the Karkati Sector of the Sohagpur Coalfield. The area of the block is 239 ha lying in villages Bartara and Gopalpur of Tehsil Burhar, District Shahdol, Madhya Pradesh. The Mine Lease area is 239 Ha. Project Area is also same i.e. 239 ha. It is located approximately 7 km SW of Burhar town, in the western part of Sohagpur Coalfield, in Shahdol district of Madhya Pradesh. It covers an area of 239 ha for extraction of coal by opencast and underground method. The coal will be extracted by both opencast and underground method. The mine lease has total forest area of 151.095 ha out of which 142.075 ha is Reserved Forest and about 9.020 ha is Revenue Forest.

The Coal block was allocated to M/s Birla Corporation Limited on 12<sup>th</sup> August 2008, and post de-allocated as per order of Hon'ble Supreme Court of India in 2014, reallocated vide vesting order no. NA-104/ 1/2019-NA, dated 10<sup>th</sup> February 2020 by Ministry of Coal for supply of coal to its integrated cement & captive power plants, through the auction process under section 6 of the Coal Mines (Special Provisions), Act 2015.

#### 1.1 Need for Study

M/s Birla Corporation Limited (BCL) has obtained an Environmental Clearance for Birla Coal Mine vide MOEF&CC letter no IA-J-11015/23/2020-IA-II(M) dated 20.05.2022. The forest diversion under section 2 (ii) of Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 151.095 ha of forest land for non-forestry purposes was initiated & revived vide proposal no. FP/MP/MIN/49537/2020 dated 09/09/2020. After consideration of the proposal made by the Bikram Coal Mine, the MoEF&CC, Government of India accorded Stage-I under the Forest Act, 1980 vide F.No. 8-34/2021-FC dated 21.04.2022. There are several conditions to be complied and compliance is to be fulfilled for the Stage-II approval.

In context of above, the sub-point (b) of point no. VIII (b) of B section of Forest Clearance Letter (vide File No. 8-34/2021-FC dates 21.04.2022) states that *"Planting of adequate draught hardy plant species and sowing of seeds to arrest soil erosion"*. Hence, the need to prepare a report on plantation of draught hardy species and sowing of seeds to arrest soil erosion has been envisaged.

#### 2.0 REQUIREMENT OF SPECIES

As per the requirement of the sub-point (b) of point no. VIII (b) of B section of Forest Clearance Letter (vide File No. 8-34/2021-FC dates 21.04.2022),

plant species needs to be draught hardy plant and also capable of arresting soil erosion. Both these aspects are discussed below.

#### 2.1 Soil erosion prevention

Soil erosion is a process which occurs gradually in which the upper layer of soil is moved by different agents like water, wind, and mass movement. The action of these agents removes the most fertile top layer of soil and is called soil erosion. Human activities like deforestation enhance soil erosion, which in turn lead to deterioration of soil quality and adversely affects the ecosystems.

Planting trees and plants reduces soil erosion through following mechanisms:

- 1) Trees reduce the effect of erosion agents using their root systems and foliage.
- 2) Large canopies of trees reducing the impact of rain falling onto the ground since the water moves down the leaves and branches and is gradually absorbed into the soil instead of forcefully hitting the ground. This reduces the amount of soil that is washed away with the rain.
- 3) Large canopies also tend to limit winds, which in turn limit the amount of soil erosion that can occur due to high winds.
- 4) Transpiration prevents the soil from getting too wet and heavy, thereby, preventing runoff by helping the roots to bind the soil into place.
- 5) Trees have thick and widespread root systems that branch into fine filaments and create a network. The network of roots helps to stabilize the soil around the tree and holds the soil in place.
- 6) The root and foliage system of trees, thus, reduces run-off of nutrients and soil sediment around it.
- 7) Tree roots reduce soil compaction and also improve the drainage of the soil.

Thus, an afforestation program involving planting of trees can help arrest soil erosion and give various other ecosystem benefits.

#### 2.2 Hardiness

Hardiness of plants is described as their ability to survive in adverse growing conditions. Usually this is based on adversity in climatic conditions. Thus, the measurement of hardiness of plant is in terms of its ability to tolerate cold, heat, drought, flooding, or wind. The geographic location (longitude, latitude and elevation) determine the hardiness of a native species. The various types of hardiness are briefly described below:

- 1) **Cold hardiness-** this exists in temperate latitudes which relates to the ability of the plant to tolerate cold and is generally measured by the lowest temperature a plant can withstand.
- 2) **Heat tolerance** this is the ability of the plant tolerate heat. Usually when plants are engineered to be heat tolerant, then they can grow and produce economic yield under high temperatures. There are different physiological mechanisms that attribute heat tolerance to the plant such as heat tolerant metabolism indicated by higher photosynthetic rates, stay-green, and membrane thermo-stability, or heat avoidance as indicated by canopy temperature depression.
- 3) Flood tolerance flooding creates composite and complex stress in plants known as either submergence stress or waterlogging stress or hypoxia or anoxia depending on the depth of the flooding. Morphological and metabolic adaptations to the stress includeendurance of complete submergence for 14-16 days, hypoxia adaptation causing molecular level changes in metabolism pathways, internode elongation under flooded conditions enabling plants to outgrow floodwaters, reduced root hydraulic conductivity, reduced root hydraulic conductivity, etc<sup>1</sup>.
- 4) Wind tolerance- Wind not only causes mechanical stress, but also makes the plant colder and dryer. Plants may evolutionally adapt to wind by becoming smaller (to avoid wind) or bigger (to resist the wind). Physiologically, the mechanical force also causes a cascade of signals in the living plant.
- 5) **Drought tolerance-** In nature or crop fields, water is required for plant growth. When plants do not receive adequate rainfall or irrigation, there is dehydration stress, which can reduce growth. Absence of rainfall or irrigation for a period of time sufficient to deplete soil moisture and cause dehydration in plant tissues can be referred to as drought. Generally three strategies can help a plant to handle dehydration stress- avoidance, tolerance and escape described as follows:

Strategy	Basis	Trait	
Avoidance	<ul> <li>environmental factor is excluded from the plant tissues</li> </ul>	<ul> <li>reducing water loss ("water savers", e.g. by thick leaf epicuticular wax, leaf rolling, leaf posture) or</li> <li>maintaining water uptake ("water spenders", e.g. by growing deeper roots).</li> </ul>	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SOURCE: SUBMERGENCE AND WATERLOGGING STRESS IN PLANTS: A REVIEW HIGHLIGHTING RESEARCH OPPORTUNITIES AND UNDERSTUDIED ASPECTS, FUKAO ET.AL.FRONTIERS IN PLANT SCIENCE 2019 (ACCESSIBLE AT HTTPS://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PMC/ARTICLES/PMC6439527/, 25.01.2023)

Proposal for Planting Adequate Drought Hardy Plant Species and Sowing of Seeds to Arrest Soil Erosion for Bikram Coal Block 3

Strategy	Basis	Trait	
Tolerance	<ul> <li>environmental factor enters the plant tissues but the tissues survive</li> </ul>	<ul> <li>maintaining turgor pressure under reduced soil water potential to make osmotic adjustment.</li> </ul>	
Escape	<ul> <li>plant uses previous optimal conditions to develop vigor</li> <li>plant species being able to recuperate after brief drought periods.</li> </ul>	<ul> <li>proper timing of life-cycle, resulting in the completion of the most sensitive developmental stages while water is abundant,</li> </ul>	


#### 2.3 Need for plantation of drought hardy plantation

With respect to rainfall, Shahdol district experiences a temperate climate characterized by a hot summer, well distributed rainfall during the south-west monsoon season and mild winter. The south-west monsoon or rainy season continues from middle of June to September when south west monsoon is active while October and November months constitute post- monsoon or retreating monsoon season. The climate of Shahdol District, as calculated by Thornthwaite Precipitation Effectiveness Method, is humid climate with forest type vegetation. The normal rainfall of Shahdol district is 1131.4 mm.

As per rainfall statistics, frequency of occurrence of Normal drought in the area is 25% and that of Mild drought is also 25% while occurrence of severe droughts in the area is only 5% i.e. on an average there is a possibility of occurrence of a normal or mild drought once in every seven years, while that of severe droughts is once in every 20 years. The area does not experience any most severe drought as er CGWB. (Source : http://cgwb.gov.in/District\_Profile/MP/Shahdol.pdf)

Probabilities of moderate and severe drought during 1901-2000 for Shahdol district, where the project falls has been estimated as 15% for moderate drought and 0% for severe drought as per Mapping of Drought Areas over India by National Climate Centre, IMD, Pune.

The drought map of the country with the location of the project superimposed on it is given in **Fig 1**.




#### FIG 1: DROUGHT MAP OF THE COUNTRY

Source: Manual for Drought Management, Dept. Of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare GOI

The drought frequency based on the above map is in the range of 5-8 years.

Thus, there is need for plantation of drought hardy plantation.

India is divided into fifteen agro climatic zones as shown below:



Interpretation of above The project falls in Zone 7 which is the Eastern Plateau and Hill Region.

Hence, species that are suitable for this region based on agro climatic map (**Fig 1**) as well as having drought tolerance and having a root system that aids in arresting soil erosion based on (i) the naturally found native species in the lease area (see Table 1) and (ii) the "Guidelines for Developing Greenbelts" by CPCB, March 2000 have been studied for this region to chose suitable species as listed in Table 3 later.

#### 2.4 Importance of Soil Moisture Conservation

The main objective of soil moisture conservation is to minimize the amount of water lost from the soils through evaporation (water loss directly from the soil) and transpiration (water loss occurring through the plants) – or combined, the evapotranspiration. Preserving soil moisture is important means to maintain the necessary water for agricultural production, helps minimize irrigation needs of the crops and also for growth of trees in non agricultural areas. This is especially important in areas where rainwater and/or groundwater resources for irrigation are scarce or decreasing due to climate change or other causes<sup>2</sup>.

Hence, in context of plantation of drought resistant species, it also becomes necessary to focus on soil moisture conservation.

# 3.0 MINING IN LEASE AREA, PRESENT STATUS OF SOIL & FLORA AND IMPACTS

#### 3.1 Mining

Out of 239 ha ML area, 141.43 ha land i.e. 59.17% will be disturbed by excavation till the end of life of OC mine. The total quantity of OB has been estimated as 36.81 Mcum, which includes 0.71 Mcum Top soil. To achieve 0.36 MTPA of coal production and to extract coal as much as possible, it is proposed to adopt both opencast method as well as underground mining method on three-shift basis. For open cast operation the top soil will have to be removed first with the help of 0.9 to 1.2 m<sup>3</sup> hydraulic Excavator in conjunction with 10 T truck.

#### 3.2 Status of upper strata & top soil within mine lease

Bikram Block being located in the central part of the Amlai-Burhar sub-basin of Sohagpur Coalfield is mainly covered by thin cover of soil and alluvium, ranging in thickness from 1.75 m to 8.55 m. The strata being soft, the depth of the weathering ranges between 8.35 m to 31.85 m below the surface. Rock exposures are largely confined to seasonal nala sections.

#### 3.3 Soil sampling within core zone area

Top soil samples were collected from eight locations in core zone area i.e. Gopalpur and Bartara Village. The location of soil sampling stations are given in **Table 1** and **Fig. 2**.

Station No.	Location	Coordinates
S1	Gopalpur Village (under proposed Green Belt 7.5m)	81°30'58.908"E & 23°11'16.32"N
S2	Burhar RF near Gopalpur Village (under proposed undisturbed forest area)	81°30'53.376"E & 23°11'21.006"N
S3	Burhar RF near Gopalpur Village (under proposed open cast pit area)	81°30'42.294"E & 23°11'22.524"N
S4	Gopalpur Village (Dump Site 1)	81°30'24.486"E & 23°11'20.028"N

TABLE 1: SOIL SAMPLING STATIONS

2

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/resources/soil\_moisture\_conservati on techniques 0.pdf accessed on 31.01.2023

Station No.	Location	Coordinates
S5	Burhar RF (under proposed open cast pit area)	81°30'4.716"E & 23°11'9.738"N
S6	Gopalpur Village (under proposed open cast pit area)	81°29'57.582"E & 23°11'21.408"N
S7	Burhar RF near Bartara village (under proposed open cast pit area)	81°29'43.902"E & 23°11'8.82"N
S8	Burhar RF near Bartara Village (under proposed 50 m green belt area)	81°29'31.422"E & 23°11'10.944"N

#### FIG 2: LOCATION OF SOIL SAMPLING STATIONS




**Methodology of sample collection:** Soil samples were collected by digging a pit of 30 cm depth at the appropriate location with the help of a spade and a 'Khurpi'. The excavated soil from each location was mixed thoroughly and about 1 kg of mixed sample was collected by 'Cone & Quartering method'. The sample was packed in a polyethylene bag, sealed and brought to the laboratory where the moisture content was estimated.

The soil sample collection locations photographs are given below:



#### Birla Corporation Ltd.



The soil moisture found under natural conditions has been given in Table 2. The moisture content in all the soil samples varies from 0.596 to 4.529 indicating it is a dry soil.

Station No.	oumpiee	
		(% by mass)
S1	Gopalpur (under proposed 7.5 m Green belt area)	3.64
S2	Gopalpur (in Sangwan Forest)	1.163
S3	Gopalpur (under proposed pit area)	0.596
S4	Gopalpur (under proposed Dump-1 area)	3.546
S5	Gopalpur (under proposed pit)	2.779
S6	Gopalpur (under proposed Dump-2 area)	4.529
S7	Gopalpur (under proposed pit area)	2.151
S8	Bartara (under proposed 50 m Green belt area)	3.874

#### TABLE 2: RESULTS OF SOIL SAMPLES

#### 3.4 Impact of mining in lease area on top soil

The total mine lease area is 239 Ha, out of which about 135.06 Ha i.e. 56.5% land will be disturbed. So 43.5% land will remain undisturbed. Out of 239 ha ML area, 118.6 ha land i.e. 49.62% will be disturbed by excavation till the end of life of OC mine. However, concurrent backfilling will be done from 2<sup>nd</sup> year onwards of mining operation. Till the 23<sup>rd</sup> year, 79.53 ha out of total excavated area 118.6 ha i.e 67.05% land will backfilled by internal dumping & rehandling of external surface dump (which will be created during 1 year of operation). The disturbed area within ML will comprise of excavated land, external surface dumps, area occupied by infrastructure, roads, settling pond etc.

When the surface gets disturbed, it will become prone to soil erosion. Soil erosion can occur at:

- 1) Open cast mine at exposed mine faces and benches
- 2) Overburden dump on the unstabilised portions or those without any plantation
- 3) Top soil dump- on the unstabilised portions or those without any plantation
- 4) Haul roads
- 5) Freshly laid top soil on reclaimed areas or in green belt area will get eroded if rainfall occurs before the

The total topsoil generated will be 0.71 Mcum during the life of the Bikram Coal Mine. Displacement of soil will lead to the loss of its fertility if proper management is not adopted. Long storage of top soil can also render it infertile. In the process of displacement, sustainability of soil as a plant growth medium gets affected due to change in the soil structure by

excavation and dumping, leaching out of nutrients due to rain, erosion due to both wind and water and loss of characteristics when required to be stored over long periods of time.

#### 3.5 Present scenario of Flora in mine lease

In the mine lease of Bikram Coal Mine, the floral species were identified through secondary sources and field visit. The list of flora found in the core zone is given in **Table 3**.

SI. No.	Botanical Name	Common Name	Family
a.	Trees		
1.	Acacia auriculiformis	Australian wattle	Mimosaceae
2.	Acacia leucophloea	Riunja	Mimosaceae
3.	Acacia nilotica	Babool	Mimosaceae
4.	Aegle marmelos	Bel	Rutaceae
5.	Ailanthus excelsa	Mahanim	Simaroubaceae
6.	Albizia lebbeck	Kala siris	Mimosaceae
7.	Annona squamosa	Sharifa	Annonaceae
8.	Anogeissus latifolia	Dhawda	Combretaceae
9.	Artocarpus heterophyllus	Kathal	Moraceae
10.	Azadirachta indica	Neem	Meliaceae
11.	Bauhinia variegata	Kachnar	Caesalpiniaceae
12.	Buchanania lanzan	Achar	Anacardiaceae
13.	Butea monosperma	Palas	Papilionaceae
14.	Cassia fistula	Amaltas	Caesalpiniaceae
15.	Dalbergia paniculata	Dhobin	Papilionaceae
16.	Dalbergia sissoo	Sissoo	Papilionaceae
17.	Diospyros melanoxylon	Tendu	Ebenaceae
18.	Eucalyptus hybrid	Nilgiri	Myrtaceae
19.	Ficus benghalensis	Bargad	Moraceae
20.	Ficus infectoria	Parak	Moraceae
21.	Ficus religiosa	Peepal	Moraceae
22.	Gmelina arborea	Gamari	Verbinaceae
23.	Lagerstroemia parviflora	Senha	Lythraceae
24.	Lannea grandis	Gunja	Anacardiaceae
25.	Madhuca latifolia	Mahua	Sapotaceae
26.	Mangifera indica	Aam	Anacardiaceae

TABLE 3: FLORA SPECIES FOUND WITHIN MINE LEASE AREA

SI. No.	Botanical Name	Common Name	Family
27.	Melia azedarach	Bakain	Meliaceae
28.	Mitragyna parviflora	Mundi	Rubiaceae
29.	Moringa oleifera	Sahjan	Moringaceae
30.	Pithecellobium dulce	Jangli jalebee	Mimosaceae
31.	Pongamia glabra	Karanz	Papilionaceae
32.	Psidium guajava	Amrud	Myrtaceae
33.	Schleichera oleosa	Kusum	Sapindaceae
34.	Shorea robusta	Sarai/ Sal	Dipterocarpaceae
35.	Syzygium cumini	Jamun	Myrtaceae
36.	Tamarindus indica	Imli	Caesalpiniaceae
37.	Terminalia arjuna	Arjun	Combretaceae
38.	Terminalia bellerica	Bahera	Combretaceae
39.	Terminalia tomentosa	Saja	Combretaceae
40.	Zizyphus jujube	Ber	Rhamnaceae
b.	Shrubs		
1.	Calotropis gigantia	Aak	Asclepiadaceae
2.	Cassia alata	Candle-Stick tree	Caesalpiniaceae
3.	Cassia tora	Tarota	Caesalpiniaceae
4.	Datura metel	Dhaturo	Solanaceae
5.	Gardenia gummifera	Kuddu	Rubiaceae
6.	Holarrhena antidysenterica	Karchi, Dudhi	Apocynaceae
7.	Ipomoea carnea	Hedge glory	Convolvulaceae
8.	Jatropha curcas	Ratanjot	Euphorbiaceae
9.	Lantana camara	Rajmunia	Verbenaceae
10.	Leucas aspera	Gopha	Labiatae
11.	Ocimum gratissimum	Banatulsi	Labiatae
12.	Phoenix acaulis	Chhind	Palmae
13.	Ricinus communis	Arand	Euphorbiaceae
14.	Woodfordia fruticosa	Dhawai	Lythraceae
15.	Xanthium strumarium	Godaria	Asteraceae
C.	Herbs		
1.	Achyranthus aspera	Chirchira	Amaranthaceae
2.	Amaranthus spinosus	chaulii	Amaranthaceae
3.	Euphorbia hirta	Dudhi bel	Euphorbiaceae
4.	Oscimum sanctum	Tulsi	Labiatae

SI. No.	Botanical Name	Common Name	Family
5.	Solanum nigrum	Bhatkadrana	Solanaceae
d.	Climbers		
1.	Asparagus racemosus	Shatavari	Liliaceae
2.	Butea superba	Palasbel	Papilionaceae
3.	Dioscorea bulbifera	Kand	Dioscoreaceae
4.	Zizyphus oenoplia	Makor	Rhamnaceae
е.	Grasses		
1.	Bambusa arundinacea	Kanta bans	Poaceae
2.	Cymbopogon martini	Rusa ghans	Poaceae
3.	Cynodon dactylon	Doob	Poaceae
4.	Dendrocalamus strictus	Bans	Poaceae
5.	Heteropogon contortus	Kushal	Poaceae
6.	Themeda quadivulvis	Ghonad	Poaceae
f.	Parasite		
1.	Cuscuta reflexa	Amarbel	Cuscutaceae
g.	Epiphyte		
1.	Vanda roxburghii	Banda	Loranthaceae
h.	Hydrophytes		
1.	Nelumbo nucifera	Lotus	Nelumbonaceae
2.	Nymphaea stellata	Water lily	Nymphaeaceae

In addition to the above survey in the core zone, buffer zone was also surveyed and 67 types of species of Trees were identified. The common species are Sarai (*Shorea robusta*), Salai (*Boswellia serrata*), Saja (*Terminalia tomentosa*), Kusum (*Schleichera oleosa*), Tendu (*Diospyrus melanoxylon*), Achar (*Buchanania lanzan*), etc. Bans (*Dendro calamus strictus*) are also seen in some of the areas.

There are various waterbodies present in study area. Apart from study of terrestrial flora, the study was also taken for aquatic plants of the study area. Some are free floating or submerged and some are marshy habitats. The three water bodies in the different sides of core zone is not proposed to be disturbed.

#### 3.6 Impact of mining in lease area on Flora

Ecological impact from open cast mining result from generation of pollutants both in air and water. Further excavation of soil causes damage to its structure and composition. The adverse impact of proposed mining activity will cause Loss of vegetation by excavation and dumping thereby affecting the species for which such vegetation was the host.

#### 4.0 MANAGEMENT TO CONTROL ISSUES CAUSED BY THE MINING IN ML AREA

- (i) **Compensatory afforestation:** As per the application made for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for Diversion of fresh forest area, encumbrance free 144.89 Ha of land has been purchased, on which compensatory plantation shall be done equivalent to trees that shall be removed for mining purpose.
- (ii) Reclamation plantation: The other measures for management of ecology will comprise of mainly of plantation for rehabilitation. Once the simultaneous backfilling of mine void commences from 2<sup>nd</sup> year, the reclamation process over the backfilled area will also commence. Reclamation of external surface OB dumps as well as top soil dump will also eventually take place. Reclamation Plan in an area of 91.42 ha, comprising of 1.68 ha of top soil dump, 79.53 ha of internal/ backfilled dump, 15.53 ha green belt and 2.0 ha of facility.
- (iii) **Plantation program of mine:** A plantation program over life of mine has been planned in a phase wise manner. The plantation shall be started from first year of mining and till conceptual period and about 248408 nos. trees shall be planted. The total plantation till the end of life of mine, shall be done on 99.363 ha.

#### (iv) Management of external dumps to minimise erosion:

- Retaining walls (with gabion, concrete or local stone) will be provided, wherever required, to support the benches or any loose material and also to arrest sliding of loose debris.
- Garland drains along the retaining walls or along bench contours leading to settling tank will be provided around the OB dump to arrest any particles from the dump area from being carried away by the rain water.
- The bench levels will be provided with water gradient against the general pit slope to decrease the speed of storm water and prevent its uncontrolled descent.
- Special local stone paved chutes and channels will be provided wherever required, to allow controlled descent of water
- Gullies formed, if any, on side of the benches shall be provided with check dams of local stone or sand filled bags.
- The inactive dump slopes will be planted with bushes, grass, shrubs and trees to prevent soil erosion after applying topsoil.

#### 4.1 Proposed plantation within mine lease area

Plantation in peripheral greenbelt (7.5m), along the sides of haul roads (outside quarry area or working dumps) and other vacant/ undisturbed areas will be developed by planting hardy species.

The stage wise cumulative plantation are tabulated in **Table 4**.

					LOC	ATION	WISE	)				
Mine	, , , , ,								-	Cumulative		
stages	Backfilled area	dump	Top soil Dump	zine	Roads	Water reservoir (settling pond)	Facility	Green belt	Undist urbed	Total	trees @ 2500 per ha	Budget, Rs. Lakh
1 <sup>st</sup> year	0		0	0	0	0	0	10	0	10	25000	75
2 <sup>nd</sup> year	0	11.67	0	0	0	0	0	15.53	0	27.2	68000	174.825
3 <sup>rd</sup> year	7.64	11.67	0	0	0	0	0	15.53	0	34.84	87100	213.025
4 <sup>th</sup> year	11.17	11.67	0	0	0	0	0	15.53	0	38.37	95925	230.675
5 <sup>th</sup> year	16.52	11.67	0	0	0	0	0	15.53	0	43.72	109300	257.425
10 <sup>th</sup> Year	32.52	0	0	0	0	0	0	15.53	0	48.05	120125	337.425
15 <sup>th</sup> year	48.52	0	0	0	0	0	0	15.53	0	64.05	160125	417.425
20 <sup>th</sup> year	64.52	0	0	0	0	0	0	15.53	0	80.05	200125	497.425
End of mine	79.53	0	0	0	0	0	0	15.53	0	95.063	237658	572.49
PMC	79.53	0	0	0.2	0	0.6	3.5	15.53	0	99.363	248408	593.99

TABLE 4: REQUIREMENT OF PLANTS (YEAR/STAGE WISE AND LOCATION WISE)

Source: BCL's ADS reply vide letter no. BCL/EC/Bikram/08/22 dated 26.03.2022 to MOEF&CC during environmental clearance process

To fulfill the requirements of nursery plants, a nursery will be established at the site. During peak requirements, additional plants will be transported from Govt. / Forest nurseries, located around the area. The common species used for plantation in the region are Sal, Mahua, Gulmohar, Neem, Siris, Acacia, Casuarina, Mango, China rose, Kaner, etc.

The following **objectives** will be kept while planning for plantation :

- a. To compensate the damage for vegetation due to opencast and underground mining.
- b. To prevent the spread of fugitive dust generated due to mining and other activities in ML area.
- c. To attenuate noise generated by the activities in mine.
- d. To reduce soil erosion.
- e. To increase the green cover of the region green belt development and afforestation will be carried inside the mining lease area. To control effective soil erosion progressive Green Belt will be developed and plantation will be done in and around the mining area. Progressive green belt development and plantation in the available areas will be carried out in a phase-wise manner till end of the mine life. Saplings

will be planted at the rate of 2500 trees/ha in external/internal dumps and in other areas. Plantation will commence there from the initial years of excavation and plantation will be expanded in such areas in progressive stages.

#### 4.2 Selection of species

Hence, species that are suitable for this region based on agro climatic map (**Fig 1**) as well as having drought tolerance and having a root system that aids in arresting soil erosion based on (i) the naturally found native species in the lease area (see Table 1) and (ii) the "Guidelines for Developing Greenbelts" by CPCB, March 2000 have been studied for this region to chose suitable species as listed in **Table 5**.

SI. No.	Botanical Name	Common Name	Family
a.	Trees		
1.	Aegle marmelos	Bel	Rutaceae
2.	Ailanthus excelsa	Mahanim	Simaroubaceae
3.	Albizia lebbeck	Kala siris	Mimosaceae
4.	Anogeissus latifolia	Dhawda	Combretaceae
5.	Azadirachta indica	Neem	Meliaceae
6.	Butea monosperma	Palas	Papilionaceae
7.	Cassia fistula	Amaltas	Caesalpiniaceae
8.	Dalbergia sissoo	Sissoo	Papilionaceae
9.	Diospyros melanoxylon	Tendu	Ebenaceae
10.	Ficus benghalensis	Bargad	Moraceae
11.	Ficus religiosa	Peepal	Moraceae
12.	Madhuca latifolia	Mahua	Sapotaceae
13.	Mangifera indica	Aam	Anacardiaceae
14.	Pongamia glabra	Karanz	Papilionaceae
15.	Psidium guajava	Amrud	Myrtaceae
16.	Schleichera oleosa	Kusum	Sapindaceae
17.	Shorea robusta	Sarai/ Sal	Dipterocarpaceae
18.	Syzygium cumini	Jamun	Myrtaceae
19.	Tamarindus indica	Imli	Caesalpiniaceae
20.	Terminalia arjuna	Arjun	Combretaceae
21.	Terminalia bellerica	Bahera	Combretaceae
22.	Zizyphus jujube	Ber	Rhamnaceae
b.	Shrubs		
1.	Calotropis gigantia	Aak	Asclepiadaceae
2.	Datura metel	Dhaturo	Solanaceae

TABLE 5: SPECIES PROPOSED FOR PLANTATION

SI. No.	Botanical Name	Common Name	Family
3.	Ipomoea carnea	Hedge glory	Convolvulaceae
4.	Jatropha curcas	Ratanjot	Euphorbiaceae
5.	Ocimum gratissimum	Banatulsi	Labiatae
6.	Lantana camara	Rajmunia	Verbenaceae
С.	Herbs		
1.	Euphorbia hirta	Dudhi bel	Euphorbiaceae
2.	Oscimum sanctum	Tulsi	Labiatae
3.	Solanum nigrum	Bhatkadrana	Solanaceae
d.	Climbers		
1.	Asparagus racemosus	Shatavari	Liliaceae
2.	Butea superba	Palasbel	Papilionaceae
3.	Dioscorea bulbifera	Kand	Dioscoreaceae

Drought resistant species of specific interest are:

- 1. Aloe vera: Aloe Vera is a succulent plant species and naturally survived in arid and semi-arid conditions. It also thrives in tropical climates. The plant has thick and fleshy leaves for storing water. As much as Aloe Vera primarily thrives in hot and dry areas, it can also survive in grasslands and the coastal regions. It is mainly grown for both agricultural and medicinal purposes. Aloe Vera is also among the most known drought-tolerant plants in the contemporary world owing to its medicinal value and used as a key ingredient in various products like body oils, hair shampoo, bathing soaps, detergents, and pharmaceutical gels just to mention a few. Studies, for example, have shown that Aloe Vera gel can help to limit the growth of harmful bacteria on fruits and vegetables, it can reduce inflammation, and boost the body's immunity. It is also aids digestion by relieving constipation, prevents sunburn, and can heal wounds.
- 2. Agaves: The plant has thick leaves for water storage and deep roots for absorbing water deep below the soil surface. These are the features that make agaves drought tolerant and enables them to grow without much care. Their flowers, leaves, and stalks of the agave are edible. The sap of the agave also produces the agave nectar used as a sweetener and a substitute for sugar. It is also used in the lubrication process and can be distilled to manufacture tequila.
- **3. Bougainvillea:** Bougainvillea is an evergreen thorny ornamental bush. It can also be cultivated in coastal regions because of its tolerance to salty water. It is a colorful plant associated with pink, purple, red, and magenta which makes it an excellent houseplant that can also be grown on walls, hanging baskets, and along fences. It is very easy to grow and maintain.

- 4. Sage: This is a perennial, drought-resistant herb mainly used for healing purposes. It grows best when there is abundant sunshine and it has been reported that overwatering can kill the plant. Aside from Sage's healing purposes, it has many other uses such as purification because of its antimicrobial agents that fight harmful bacteria. Sage also helps elevate moods by dispelling negative energy. In addition, it is also used in aromatherapy with it being an air freshener by producing a divine fragrance.
- 5. Cactus: Cactus is a xerophytic succulent plant that uses its entire plant structure and cells for water storage. Owing to its plant structure, cactus requires very little water to thrive and can survive in very dry areas such as the desert. The plant has one of the best adaptive survival mechanisms for even desert areas that makes it an amazing drought tolerant plant it has sharp thorns as leaves, succulent stem covered in wax to prevent loss of water, and it shrinks during the dry season to use the reserved water. It can, therefore, be grown in pots and survive with minimal care. Cactus produce big beautiful flowers and brightly colored fruits that can be a source of food to birds, insects, and mammals. Species of cactus such as dragon fruit and the prickly bear are safe for human consumption.
- 6. Geranium: Geranium is also an amazing drought tolerant herbaceous long-living shrub. It can flourish in areas with very low rainfall and high heat levels, which means it requires little watering. The geranium oil has a sweet aroma that elevates mood.
- 7. Sisal: Sisal is a succulent plant which can grow almost everywhere across the world. The plant can survive in dry and hot climates very well and will require little water or rainfall to survive. It is a beautiful plant for outdoors as it creates a natural aesthetic impression. Sisal can be used to produce fiber for the making of rope, carpets, cloth, and slippers because of its durability and elasticity.
- 8. Euphorbia : is an amazing drought tolerant plant that can be a good choice for boarders or indoor potted plant depending on the plant species. The plant does not require special attention and can go without water for a long time. It produces poisonous milky latex that causes severe skin irritation and might cause blindness. It can, however, be used in the treatment of ulcers.

Phase-wise plantation activities on the OB dumps and excavated / mined out areas are dealt in the progressive mine closure plan. The figure for the mine closure plan in which green belt and plantation are shown in **Fig 3**. It is proposed to take the extensive plantation of varieties on the dump slopes for stabilization and moisture conservation.




FIG 3: MINE STAGE AT THE CONCEPTUAL STAGE SHOWING PROPOSED PLANTATION

#### 4.3 Plantation process including sowing of seeds

Plantation can be undertaken in any of the following manners:

1) Seed balls or seed bombs are seeds that have been wrapped in soil matter and then dried. The soil matter is often a mixture of clay and compost. The seed is, therefore, pre-planted and can be sown by depositing the seed ball anywhere as long as the species can survive there. The wrapping mixture keeps the seed safe until it can properly germinate. Seed balls are self-sufficient and can survive more than two months without water. Seed balls are resistant to environmental stress and remain dormant till favourable conditions. In India seed balls are made from cow dung, clay, red soil, cow urine and seeds. Cow dung and cow urine act as natural compost, which prevent the seed balls from microbial attacks It is planned to make seed balls ready before monsoon arrives. Things can change with such innovative ideas and we can restructure our ecosystem biodiversity as well

2) Sapling plantation : Saplings are planted based on the soil texture and native species of the area. Check the availability of native species in the nursery, their age and height. Generally the ideal height is 60 to 80 centimeters. Preferably, species should be selected which have ethano botanical importance. Remove debris and weeds from the area where plantation is to be carried out. It is to be ensured that water is available for the plants in vicinity of area. Then dig the earth to a depth of about 1 metre and put half the earth back into the pit and spread it uniformly to make the soil loose. Mix remaining soil with manure/fertilizer and put the remaining soil back into the pit and spread it uniformly. To plant the tree, dig a small pit on the mound with a trowel, remove the root bag in which the plant was growing, and gently place the plant in the pit. Level the soil outside gently around the stem of the plant. Care shall be taken for its survival till at least 3 years. Make a wires mesh protector around the saplings so that they are not eaten by the stray animals.

#### 4.4 **Post plantation care**

The plantation care is very important to make sure that the plants survive for most of the days. The funds for maintaining the plants for the first five years after the plantation may be kept. Many steps will be taken immediately after planting the seedlings, such as daily watering on plants, manuring on soil, spraying insecticides on leaves if it's infected by insects, etc.

Replacement by fresh saplings will also be taken in case of uprooting and destroying of diseased and dead plants. Regular monitoring on survival rate and remedial action shall be taken in well organized manner.

#### 4.5 Soil moisture conservation measures

The soil moisture conservation measures have to be implemented at the following locations:

1)Proposed afforestation area in eastern side of the projectProposal for Planting Adequate Drought Hardy Plant Species and Sowing of Seeds to ArrestSoil Erosion for Bikram Coal Block20

- 2) Proposed 50 m green belt at the western side of the project
- 3) Proposed 7.5 m green belt area on the periphery of the mine lease
- 4) Dump 1
- 5) Dump 2

All the above locations can be seen in Fig 1 earlier.

These measures, aimed at minimising soil moisture loss, will include<sup>3</sup>:

- **Spreading manure** or compost over the soil this minimizes evapotranspiration and also provides valuable nutrients to the soil through processes of decomposition
- **Mulching** mulch is a layer of organic (or inorganic) material that is placed on the root zone of the plants. Examples of mulch materials include straw, wood chips, peat. Mulching will be suited for this area due to its medium rainfall areas.
- **Green manuring** growing of plant materials with the sole purpose of adding to the soil for improved organic matter and nutrients. The improved soil quality then also improves water retention capacity.
- **Deep tillage** suited for some areas and soils, deep tillage can help increase porosity and permeability of the soil to increase its water absorption capacity.
- Mixed trees and interplanting cultivating a combination of trees and shrubs with different planting times and different length of growth periods.
- Rainwater harvesting at mine site to minimize runoff and collect water for use on site.

#### 5.0 BUDGETARY PROVISION

The budget for plantation and green belt development has already been made a part of the environment management plan during environment clearance as shown in Table 6 and the same shall be implemented.

SI. No.	Description	No. of equip./ items	Unit cost, Rs. lakhs	Total cost, Rs. lakhs
Α.	CAPITAL EXPENDITURE			
1.	Green belt area (Hectare)	15.53	3.00	46.59
2.	Plantation on dumps (300 Rs./plant x 1500 plants / ha over 79.53 Ha.)	79.530	4.50	357.89
3.	Nursery development for	LS	15.00	15.00

#### TABLE 6: BUDGET FOR GREENBELT AND PLANTATION

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Source: https://www.ctc-n.org/technologies/soil-moisture-conservation-techniques accessed 31.01.2023

Proposal for Planting Adequate Drought Hardy Plant Species and Sowing of Seeds to Arrest Soil Erosion for Bikram Coal Block 21

SI. No.	Description	No. of equip./ items	Unit cost, Rs. lakhs	Total cost, Rs. lakhs
	supply of plants			
	TOTAL			419.48
В.	RECURRING EXPENDITURE			
1.	Maintenance of Plantation & green belt development including soil moisture conservation measures			40.80



**Birla Corporation Limited** Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(ix)

Date: 19.11.2024

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 09 /24/25

#### UNDERTAKING

(Against Condition no B (ix) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that the period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co – terminus with the period of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Mineral (Development & Regulation) Act, 1957, or Rules framed there under.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol For Birla Corporation Limited

Bhupendra Singh Chaudhary Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 13:00:11 +05'30'

> Bhupendra Singh Chaudhary, Vice President - Mines (Authorized Signatory)



Birla Corporation Limited

Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(x)

Date: 19.11.2024

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 10 /24/25

#### UNDERTAKING

(Against Condition no B (x) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that we shall ensure that the dumping of Over Burden (OB) shall be carried out as per the Reclamation plan of approved mining plan.


Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

#### For Birla Corporation Limited

Bhupendra Brigh Singh Chaudhary 14

Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 14:17:45 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary, Vice President - Mines (Authorized Signatory)



This is a computer generated cover page.

#### File No IA-J-11015/23/2020-1A-II(M)

Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Impact Assessment Division)

Indira ParyavaranBhawan Jorbagh Road, N Delhi -Email: Ik.bokolia@nic.in Tel: 01120819417

Dated: 20th May, 2022

To

The Joint President M/s Birla Corporation Ltd., 2nd Floor, Industry House, 159, Churchgate Reclamation, H.T. Parekh Marg, Maharshi Karve Road. Mumbai - 400020 (Maharashtra) Email: sandeep.jain@birlacorp.com

Sub: Bikram Opencast cum Underground Coal Mine with production capacity of 0.36 MTPA in an ML Area of 239 Ha by M/s Birla Corporation Limited located at Villages Bartara and Gopalpur, Tehsil Burhar, District Shahdol (Madhya Pradesh) - For Environmental Clearance-reg

Sir,

This has reference to your online proposal No. IA/MP/CMIN/185753/2020 dated 21<sup>30</sup> January, 2022, submitted to this Ministry for grant of Environmental Clearance (EC) in terms of the provisions of the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 under the Environment (Protection) Act, 1986 for Bikram Opencast cum Underground Coal Mine with production capacity of 0.36 MTPA in an ML Area of 239 Ha by M/s Birla Corporation Limited located at Villages Bartara and Gopalpur, Tehsil Burhar, District Shahdol (Madhya Pradesh).

2. The proposal was considered by the sectoral Expert Appraisal Committee (EAC) in its 26th meeting held on 18th February, 2022 and 29th EAC meeting held on 25 - 26 April, 2022. The details of the project, as per the documents submitted by the project proponent, and also as informed during the meeting, are reported to be as under: -

- The project area is covered under Survey of India Toposheet No 64 E/12 and 64E/8 and is (i) bound by the geographical coordinate's ranging from Latitude 23°11'04"N to 23°11'32" N and Longitudes 81°28'42" E to 81°31'02" E.
- Coal linkage of the project is proposed for captive use for Company's Own Integrated (ii) Cement & Power Plants located at Satna (Madhya Pradesh) and/or Chanderia (Rajasthan) and other plants of the company with provision of partial sale.
- (iii) Project does not fall in any Critically Polluted Area (CPA), where the MoEF&CC's vide its OM dated 13th January, 2010 has imposed moratorium on grant of environment clearance.
- (iv) Employment generation, employment to 701 persons (305 for opencast & 396 for underground mine) persons will be provided from the project.
- The project is reported to be beneficial in terms of employment opportunities (direct as well (x)



EC Identification No. - EC22A042MP160150

as indirect), Infrastructure & other social development, and overall development of area and country etc.

- (vi) This is a greenfield project. Environmental clearance is yet to be issued under EIA Notification 2006 and amendment made thereunder, for 0.36 MTPA coal production by opencast and underground coal mine in mine lease area of 239 ha.
- (vii) Standard Terms of Reference of the project was granted by Ministry on 16.12.2020.
- (viii) Total mining lease area as per block allotment is 239 ha. Mining Plan (Including Progressive Mine Closure Plan) has been approved by the Ministry of Coal, Government of India on 18.04.2011.
- (ix) The land usage pattern of the project is as follows:

Pre-mining land use details (Area in Ha)

SL No.	Land use	Within ML area (ha)	Outside ML area (ha)	Total (Ha)
1.	Agricultural Land	76.841	0.00	76.841
2,	Forest land	151.095*	0.00	151.095
3.	Waste land	4.167	0.00	4.167
4.	Grazing land		5.	-
5.	Surface Water Bodies		2	-
6.	Settlements	-	-	-
7.	Other • (Pond, Road, School etc. (Govt. Land))	6.521	0.00	6.521
	Boundary (Merh)	0.376	0.00	0.376
	Total	239	0.00	239

Note-\*(Revenue forest 9.020 ha+ Reserved Forest 142.075 ha)

#### Post Mining:

No.	Land use during	Land Use (Ha)						
	Mining	Plantation	Water Body	Public Use	Undisturbed	Total		
1.	External OB Dump	0	0	0	0	0.		
2.	Topsoil dump	3	0	0	0	3		
3.	Excavation	79.53	39.07	0	0	118.6		
4.	Roads	0	0	3	0	3		
5.	Built-up areas	2.00"	0	0	0	2.00		
6.	Green belt	6.89	0	0	0	6.89		
7.	Safety Zone	-	-	-	-	-		

EC Identification No. - EC22A042MP160150 File No. - IA-J-11015/23/2020-IA-II(M) Date of Issue EC - 20/05/2022

8.	Undisturbed Area	0	0	0	103.91	103.91
9.	Surface water reservoir	0	1.60	0	0	1.60

Note: \*11.8 ha was on mineral bearing area, re handled & backfilled by 10<sup>th</sup> year # Facilities area

- (x) Total geological reserve reported in the mine lease area is 22.016 MT and 18.078 MT are mineable reserve. Out of total mineable reserve of 18.078 MT, 9.85 MT are available for extraction. Percent of extraction is 45 %.
- (xi) The annual production of the mine is proposed as maximum 0.36 MTPA, out of which opencast mining will be carried out for 23 years @ 0.16 MTPA and underground mining for 33 years @ 0.2 MTPA.
- (xii) Seven coal seams with thickness ranging from 0.90 m to 4.0 m are workable. Grade of coal is D/G7, stripping ratio 9.8:1, while gradient is 0 to 6 degree.
- (xiii) Method of mining operation is envisaged by both opencast by shovel dumper with hydraulic excavator as well as underground method by bord and pillar method.
- (xiv) Life of mine is 33 years.
- (xv) The project has one temporary surface OB dumps inside lease in an area of 11.8 ha with 50 m height and 1.78 Mm3 of OB. At the end of OC mining operation after 23 years internal OB in an area of 79.53 ha with 36.09 Mm3 of OB backfilling is envisaged in the project.
- (xvi) Total quarry area (in opencast) is 118.60 ha out of which backfilling will be done in 79.53 ha while final mine void will be created in an area of 39.07 ha with a depth of 60 m. Backfilled quarry area of 79.53 ha shall be reclaimed with plantation. Final mine void will be converted into water body.
- (xvii) Transportation of coal has been proposed by Tippers from OC pit to the pit head stockpile. The coal from UG mine will be brought out by conveyors and lead to a surface bunker/ stockpile. From surface, coal will be transported by road or road cum rail to company's own plants.
- (xviii)Reclamation Plan in an area of 91.42 ha, comprising of 3.0 ha of top soil dump, 79.53 ha of internal dump/ backfilled dump, 6.89 ha green belt and 2.0 ha of facilities.
- (xix) 151.095 ha of forest land has been reported to be involved in the project. Approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 151.095 ha of forest land for nonforestry purposes has been initiated & revived vide proposal no. FP/MP/MIN/49537/2020 dated 09/09/2020 and the proposal is recommended by state Government on 20.12.2021 and the proposal is under process at MoEF&CC, New Delhi.
- (xx) There are no National Parks, Wildlife Sanctuaries and Eco-Sensitive Zones fall within 10 km boundary of the project.
- (xxi) Wildlife conservation plan for schedule I species has been submitted for seeking comments from the CWLW of the State Govt. vide letter no. BCL/Bikram/FC/06/21, dated 03.04.2021. Comments from CWLW is awaited.
- (xxii) The ground water level has been reported to be varying between 2.2 to 13.0 m during premonsoon and between 1.75 m to 10 m during post-monsoon. Total water requirement for the project is 234 KLD (potable water 34 KLD & industrial water 200 KLD).
- (xxiii)NOC for ground water abstraction has been obtained vide NOC no. CGWA/NOC/MIN/ORIG/2021/12093 issued on 17/06/2021.

EC Identification No. - EC22A042MP160150 File No. - IA-J-11015/23/2020-IA-II(M) Date of Issue EC - 20/05/2022 Page 4 of 17

- (xxiv)Public hearing for the project of 0.36 MTPA capacity in an area of 239 ha was conducted on 29.09.2021 at Govt. Middle School, Gopalpur, Village - Gopalpur, Tehsil Burhar District Shahdol, Madhya Pradesh under the Chairmanship of Addl. District Magistrate, Shahdol. Major issues raised in the public hearing include employment opportunity, provision of health care, drinking water & education, infrastructure development, pollution control measures, etc. Appropriate action to address the issues raised in the Public hearing have already been proposed to be taken are as submitted with basic information sheet.
- (xxv) Consent to Establish (CTE) shall be obtained after issuance of environmental clearance.
- (xxvi)Not any River/nalla (perennial) is flowing within boundary of lease. Thus, no nala diversion is proposed.
- (xxvii) Regular monitoring of ambient air quality shall be carried out on fortnightly basis. The documented report shall be submitted to Regional Officer, MPPCB, Member Secretory, MPPCB and also to MoEF&CC along with half yearly EC compliance report.
- (xxviii) No court cases, violation cases are pending against the project of the PP.
- (xxix) The project does not involve violation of the EIA Notification, 2006 and amendment issued there under. The coal production from the mine has not been started.
- (xxx) The project involves approximately 358 project affected families. Detailed survey are underway and data may get updated. R&R of the PAPs will be done as per Madhya Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2015.
- (xxxi) Total cost of the project as on date is about Rs. 289.45 Crores. Cost of production is Rs 2479 per tonne., CSR cost will be 2% of the average profit of three years as per Companies Act, R&R cost will be as per the R&R Plan. Capital and recurring Environment Management Cost is Rs. 15.40 crore (capital) and Rs. 5.62 Crore per year (recurring).
- (xxxii) Past Production details comparison with existing EC- Not applicable since project is yet to be implemented and no coal production has been there in the past.

4. The proposal was considered by the sectoral Expert Appraisal Committee (EAC) in 29<sup>th</sup> EAC meeting held on 25 – 26 April, 2022, and recommended for grant of Environment Clearance. Based on recommendations of the EAC, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change hereby accords approval to Bikram Opencast cum Underground Coal Mine with production capacity of 0.36 MTPA in an ML Area of 239 Ha by M/s Birla Corporation Limited in Villages Bartara and Gopalpur, Tehsil Burhar, District Shahdol (Madhya Pradesh), under the provisions of Environment Impact Assessment Notification, 2006 and subsequent amendments/circulars thereto subject to the compliance of the following terms & conditions / specific conditions for environmental safeguards as stated below:-

- PP to obtain the CTO for 0.36 MTPA capacity after grant of EC.
- (ii) Coal Transportation by Road route is permitted for 5 years and further transportation shall be conducted only through railway siding. PP to submit the action taken and proof of consultation with railway in this regard to IRO, MoEF&CC in six monthly reports.
- (iii) PP shall focus on tree plantation along the area proposed by PP far from North to west to South direction near the dump 2 and before the habitation & in the east direction too for 100 mts with miyawaki technique. A detailed action plan with budgetary provision should be submitted within 6 months to IRO. Areal images in this regard should be submitted in six monthly reports to IRO as a proof.

- (iv) 1.59 ha forest land can only be used to accommodate the overburden quantity. Out of 1.59 ha, 0.75 ha land comes under revenue forest where not a single tree is present. Thus, only 0.84 ha of forest land may be considered to be disturbed. While reclamation the plantation to be carried out at 1.59 ha with proper maintenance, before handling
- (v) PP to undertake the recruitment of a full-fledged qualified manpower with Environmental Engineer/Env. Science degree background in Environment Management Cell etc at coal mining site for compliance of EC conditions.
- (vi) PP to fulfill all the commitment made to address the public hearing issued in time bound manner as committed vide letter BCL/EC/ Bikram/08/22 dated 26.03.2022 and a progressive report to be furnished to IRO with every six monthly compliance report
- (vii) PP shall comply to its letter Refer no. BCL/EC/ bikram/11/22 dated 26<sup>th</sup> April, 2022 submitted for Sal nursery development by June, 2022, Installation of Solar Power plant of 1 MWH in 5 years, Road side plantation in consultation with gram panchayat which should be initiated by June, 2022, development of haul road by March, 2023 instead of December 2023. PP to maintain the topped haul road properly to minimized the dust emission.
- (viii) PP to develop pucca roads connecting to State Highway by seeking consent from the panchayat with widening of roads especially roads inter linking the villages within the study area of 10 km radius buffer zone. A record of it to be submitted to the respective IRO in six monthly compliance reports. All along the road tree plantation of about 20-30 mts shall be maintained.
- (ix) PP to furnish the record (audited) of actual budgetary expenditure for EMP in respect of capital cost of Rs. 22.83 crores & Recurring cost of Rs. 7.49 Crore per year.
- (x) PP to monitor the water quality of the ground water and surface water body located within the core zone and 5 km radius from the periphery of the mine boundary as per procedure laid down by CPCB.
- (xi) PP to install 1 more continuous ambient air quality monitoring stations at suitable locations preferably village side with consultation of SPCB. The real time data so generated shall be uploaded on company website and linked it with website of CPCB & SPCB. In addition, data should also be displayed digitally at entry and exit gate of mine lease area for public display.
- (xii) PP shall develop 2 water harvesting pond near the villages of suitable area as suggested by EAC in consultation with Gram Panchayat within 1 year.
- (xiii) PP shall deploy atleast 5 number of fog canons with 40 mts throw for mitigation of fugitive dust during mining operations within six months.
- (xiv) PP to plant additional 100,000 plants with three tier plantation along the haul Roads, if not completed, and identified areas with consent to the gram panchayat within one year and plant for remaining within 1 year for their proper growth.
- (xv) PP to install solar lights along the road used for transportation of minerals to avoid the accidents at night and also seek its maintenance. PP is asked to also identify the rural areas for installation of solar light with its maintenance within the study area of 10 km radius buffer zone within one year
- (xvi) Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular and Periodical medical examination of the workers engaged in the Project and maintain records accordingly; also, Occupational health check-ups for workers having some ailments like BP, diabetes, habitual smoking, etc. shall be undertaken once in six months and necessary remedial/preventive measures taken accordingly. The Recommendations of National Institute for ensuring good occupational environment for mine workers shall be

implemented. The prevention measure for burns, malaria and provision of anti-snake venom including all other paramedical safeguards may be ensured before initiating the mining activities

- (xvii) Persons of nearby villages shall be given training on livelihood and skill development to make them employable with its proper records
- (xviii)The illumination and sound at night at project sites disturb the villages in respect of both human and animal population. Consequent sleeping disorders and stress may affect the health in the villages located close to mining operations. Habitations have a right for darkness and minimal noise levels at night. PPs must ensure that the biological clock of the villages is not disturbed; by orienting the floodlights/ masks away from the villagers and keeping the noise levels well within the prescribed limits for day light/night hours
- (xix) PP shall pay to farmers of agricultural land if there is any loss due to pollution found by concerned District Commissioner as per extent rules or norms.
- (xx) PP should establish in house (at project site) environment laboratory for measurement of environment parameter with respect to air quality and water (surface and ground, a dedicated team to oversee environment management shall be setup which should comprise of Environment Engineers, Laboratory chemist and staff for monitoring of air, water quality parameters on routine basis. Any non- compliance or infringement should be reported to the concerned authority.
- (xxi) Hon'ble Supreme Court in an Writ Petition(s) Civil No. 114/2014, Common Cause vs Union of India & Ors vide its judgement dated 8th January, 2020 has directed the Union of India to impose a condition in the mining lease and a similar condition in the environmental clearance and the mining plan to the effect that the mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Compliance of this condition after the mining activity is over at the cost of the mining lease holders/Project Proponent". The implementation report of the above said condition shall be sent to the Regional Office of the MoEF&CC

The grant of environmental clearance is further subject to compliance of the Standard EC 4.1 conditions as under:

#### (a) Statutory compliance

(i) The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project.

(ii) The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.

(iii) The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan/Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report (in case of the presence of schedule-I species in the study area).

(iv) The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/ Committee.

(v) The project proponent shall obtain the necessary permission from the Central Ground Water Authority.

(vi) Solid/hazardous waste generated in the mines needs to addressed in accordance to the Solid Waste Management Rules, 2016/Hazardous & Other Waste Management Rules, 2016.

(vii) The Environmental clearance shall be subject to orders of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Courts, NGT and any other Court of Law, from time to time, and as applicable to the project

#### (b) Air quality monitoring and preservation

(i) Continuous ambient air quality monitoring stations as prescribed in the statue be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, SO<sub>2</sub> and NO<sub>8</sub>. Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets in consultation with the State Pollution Control Board. Online ambient air quality monitoring stations may also be installed in addition to the regular monitoring stations as per the requirement and/or in consultation with the SPCB. Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr, etc to be carried out at least once in six months.

(ii) The Ambient Air Quality monitoring in the core zone shall be carried out to ensure the Coal Industry Standards notified vide GSR 742 (E) dated 25<sup>th</sup> September, 2000 and as amended from time to time by the Central Pollution Control Board. Data on ambient air quality and heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr and other monitoring data shall be regularly reported to the Ministry/Regional Office and to the CPCB/SPCB.

(iii) Transportation of coal, to the extent permitted by road, shall be carried out by covered trucks/conveyors. Effective control measures such as regular water/mist sprinkling/rain gun etc shall be carried out in critical areas prone to air pollution (with higher values of PM<sub>10</sub>/PM<sub>2.5</sub>) such as haul road, loading/unloading and transfer points. Fugitive dust emissions from all sources shall be controlled regularly. It shall be ensured that the Ambient Air Quality parameters conform to the norms prescribed by the Central/State Pollution Control Board.

(iv) The transportation of coal shall be carried out as per the provisions and route envisaged in the approved Mining Plan or environment monitoring plan. Transportation of the coal through the existing road passing through any village shall be avoided. In case, it is proposed to construct a 'bypass' road, it should be so constructed so that the impact of sound, dust and accidents could be appropriately mitigated.

(v) Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. All the vehicles engaged in mining and allied activities shall operate only after obtaining 'PUC' certificate from the authorized pollution testing centres.

(vi) Coal stock pile/crusher/feeder and breaker material transfer points shall invariably be provided with dust suppression system. Belt-conveyors shall be fully covered to avoid air borne dust. Side cladding all along the conveyor gantry should be made to avoid air borne dust. Drills shall be wet operated or fitted with dust extractors.

(vii) Coal handling plant shall be operated with effective control measures w.r.t. various environmental parameters. Environmental friendly sustainable technology should be implemented for mitigating such parameters.

(viii) Major approach roads shall be black topped and properly maintained

#### (c) Water quality monitoring and preservation

(i) The effluent discharge (mine waste water, workshop effluent) shall be monitored in terms of the parameters notified under the Water Act, 1974 Coal Industry Standards vide GSR 742 (E) dated 25<sup>th</sup> September, 2000 and as amended from time to time by the Central Pollution Control Board.

(ii) The monitoring data shall be uploaded on the company's website and displayed at the project site at a suitable location. The circular No. J-20012/1/2006-IA.11 (M) dated 27<sup>th</sup> May, 2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall also be referred in this regard for its compliance.

(iii) Regular monitoring of ground water level and quality shall be carried out in and around the mine lease area by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers during the mining operations. The monitoring of ground water levels shall be carried out four times a year i.e. pre-monsoon, monsoon, post-monsoon and winter. The ground water quality shall be monitored once a year, and the data thus collected shall be sent regularly to MOEFCC/RO.

(iv) Monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies shall be carried out once in six months and record of monitoring data shall be maintained and submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change/Regional Office.

(v) Ground water, excluding mine water, shall not be used for mining operations. Rainwater harvesting shall be implemented for conservation and augmentation of ground water resources.

(vi) Catch and/or garland drains and siltation ponds in adequate numbers and appropriate size shall be constructed around the mine working, coal heaps & OB dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the river and water bodies. Further, dump material shall be properly consolidated/ compacted and accumulation of water over dumps shall be avoided by providing adequate channels for flow of silt into the drains. The drains/ ponds so constructed shall be regularly de-silted particularly before onset of monsoon and maintained properly. Sump capacity should provide adequate retention period to allow proper settling of silt material. The water so collected in the sump shall be utilised for dust suppression and green belt development and other industrial use. Dimension of the retaining wall constructed, if any, at the toe of the OB dumps within the mine to check run-off and siltation should be based on the rainfall data. The plantation of native species to be made between toe of the dump and adjacent field/habitation/water bodies. (vii) Adequate groundwater recharge measures shall be taken up for augmentation of ground water. The project authorities shall meet water requirement of nearby village(s) after due treatment conforming to the specific requirement (standards).

(viii) Industrial waste water generated from CHP, workshop and other waste water, shall be properly collected and treated so as to conform to the standards prescribed under the standards prescribed under Water Act 1974 and Environment (Protection) Act, 1986 and the Rules made there under, and as amended from time to time. Adequate ETP /STP needs to be provided.

(ix) The water pumped out from the mine, after siltation, shall be utilized for industrial purpose viz. watering the mine area, roads, green belt development etc. The drains shall be regularly desilted particularly after monsoon and maintained properly.

(x) The surface drainage plan including surface water conservation plan for the area of influence affected by the said mining operations, considering the presence of river/rivulet/pond/lake etc, shall be prepared and implemented by the project proponent. The surface drainage plan and/or any diversion of natural water courses shall be as per the approved Mining Plan/EIA/EMP report and with due approval of the concerned State/GoI Authority. The construction of embankment to prevent any danger against inrush of surface water into the mine should be as per the approved Mining Plan and as per the permission of DGMS or any other authority as prescribed by the law.

(xi) The project proponent shall take all precautionary measures to ensure riverine/riparian ecosystem in and around the coal mine up to a distance of 5 km. A rivarine/riparian ecosystem conservation and management plan should be prepared and implemented in consultation with the irrigation / water resource department in the state government.

(xii) The project proponent shall not alter major water channels around the site. Appropriate embankment shall be provided along the side of the river/nallah flowing near or adjacent to the mine. The embankment constructed along the river/nallah boundary shall be of suitable dimensions and critical patches shall be strengthened by stone pitching on the river front side, stabilized with plantation so as to withstand the peak water pressure preventing any chance of mine inundation.

(xiii) Garland drains (of suitable size, gradient and length) around the critical areas i.e. mine shaft and low lying areas, shall be designed keeping at least 50% safety margin over and above the peak sudden rainfall and maximum discharge in the area adjoining the mine sites. The sump capacity shall also provide adequate retention period to allow proper settling of silt material of the surface runoff

(xiv) The water pumped out from the mine, after siltation, shall be utilized for industrial purpose viz. watering the mine area, roads, green belt development etc. The drains shall be regularly desilted particularly after monsoon and maintained properly.

#### (d) Noise and Vibration monitoring and prevention

 Adequate measures shall be taken for control of noise levels as per Noise Pollution Rules, 2016 in the work environment. Workers engaged in blasting and drilling operations, operation of HEMM, etc shall be provided with personal protective equipments (PPE) like ear plugs/muffs in conformity with the prescribed norms and guidelines in this regard. Adequate awareness programme for users to be conducted. Progress in usage of such accessories to be monitored.

(ii) Controlled blasting techniques shall be practiced in order to mitigate ground vibrations, fly rocks, noise and air blast etc., as per the guidelines prescribed by the DGMS.

(iii) The noise level survey shall be carried out as per the prescribed guidelines to assess noise exposure of the workmen at vulnerable points in the mine premises, and report in this regard shall be submitted to the Ministry/RO on six-monthly basis.

#### (e) Mining Plan

(i) Mining shall be carried out under strict adherence to provisions of the Mines Act 1952 and subordinate legislations made there-under as applicable.

(ii) Mining shall be carried out as per the approved mining plan (including Mine Closure Plan) abiding by mining laws related to coal mining and the relevant circulars issued by Directorate General Mines Safety (DGMS).

(iii) No mining activity shall be carried out in forest land without obtaining Forestry Clearance as per Forest (Conservation) Act, 1980 and also adhering to The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 read with provisions of Indian Forest Act, 1927.

(iv) Underground work place environmental conditions shall be rendered ergonomic and air breathable with adequate illumination in conformance with DGMS standards.

(v) No change in mining method *i.e.* UG to OC, calendar programme and scope of work shall be made without obtaining prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC).

(vi) Efforts should be made to reduce energy and fuel consumption by conservation, efficiency improvements and use of renewable energy.

#### (f) Land reclamation

(i) Digital Survey of entire lease hold area/core zone using Satellite Remote Sensing survey shall be carried out at least once in three years for monitoring land use pattern and report in 1:50,000 scale or as notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change(MOEFCC) from time to time shall be submitted to MOEFCC/Regional Office (RO).

(ii) The final mine void depth should preferably be as per the approved Mine Closure Plan, and in case it exceeds 40 m, adequate engineering interventions shall be provided for sustenance of aquatic life therein. The remaining area shall be backfilled and covered with thick and alive top soil. Post-mining land be rendered usable for agricultural/forestry purposes and shall be diverted. Further action will be treated as specified in the guidelines for Preparation of Mine Closure Plan issued by the Ministry of Coal dated 27<sup>th</sup> August, 2009 and subsequent amendments. (iii) The entire excavated area, backfilling, external OB dumping (including top soil) and afforestation plan shall be in conformity with the "during mining"/"post mining" land-use pattern, which is an integral part of the approved Mining Plan and the EIA/EMP submitted to this Ministry. Progressive compliance status vis-a-vis the post mining land use pattern shall be submitted to the MOEFCC/RO.

(iv) Fly ash shall be used for external dump of overburden, backfilling or stowing of mine as per provisions contained in clause (i) and (ii) of subparagraph (8) of fly ash notification issued vide SO 2804 (E) dated 3rd November, 2009 as amended from time to time. Efforts shall be made to utilize gypsum generated from Flue Gas Desulfurization (FGD), if any, along with fly ash for external dump of overburden, backfilling of mines. Compliance report shall be submitted to Regional Office of MoEF&CC, CPCB and SPCB.

(v) Further, it may be ensured that as per the time schedule specified in mine closure plan it should remain live till the point of utilization. The topsoil shall temporarily be stored at earmarked site(s) only and shall not be kept unutilized. The top soil shall be used for land reclamation and plantation purposes. Active OB dumps shall be stabilised with native grass species to prevent erosion and surface run off. The other overburden dumps shall be vegetated with native flora species. The excavated area shall be backfilled and afforested in line with the approved Mine Closure Plan. Monitoring and management of rehabilitated areas shall continue until the vegetation becomes self-sustaining. Compliance status shall be submitted to the Ministry of Environment. Forest and Climate Change/Regional Office.

(vi) The project proponent shall make necessary alternative arrangements, if grazing land is involved in core zone, in consultation with the State government to provide alternate areas for livestock grazing, if any. In this context, the project proponent shall implement the directions of Hon'ble Supreme Court with regard to acquiring grazing land.

(vii) Post-mining land be rendered usable for agricultural/forestry purposes and shall be handed over to the respective State Government, as specified in the Guidelines for Preparation of Mine Closure Plan, issued by the Ministry of Coal dated 27th August, 2009 and subsequent amendments.

(viii) Regular monitoring of subsidence movement on the surface over and around the working areas and its impact on natural drainage pattern, water bodies, vegetation, structure, roads and surroundings shall be continued till movement ceases completely. In case of observation of any high rate of subsidence beyond the limit prescribed, appropriate effective mitigation measures shall be taken to avoid loss of life and materials. Cracks should be effectively plugged in with ballast and clay soil/suitable material.

(ix) Fly ash shall be used for external dump of overburden, backfilling or stowing of mine as per provisions contained in clause (i) and (ii) of subparagraph (8) of fly ash notification issued vide SO 2804 (E) dated 3<sup>rd</sup> November, 2009 as amended from time to time. Efforts shall be made to utilize gypsum generated from Flue Gas Desulfurization (FGD), if any, alongwith fly ash for external dump of overburden, backfilling or stowing of mines. Compliance report shall be submitted to Regional Office of MoEF&CC, CPCB and SPCB.

# 47

EC Identification No. - EC22A042MP160150 File No. - IA-J-11015/23/2020-IA-II(M) Date of Issue EC - 20/05/2022 Page 12 of 17

(x) A separate team for subsidence monitoring and surface mitigation measures shall be constituted and continuous monitoring & implementation of mitigation measures be carried out.

(xi) Thorough inspection of the mine lease area for any cracks developed at the surface due to mining activities below ground shall be carried out to prevent inrush of water in the mine.

(xii) Native tree species shall be selected and planted over areas affected by subsidence.

(xiii) The project proponent shall make necessary alternative arrangements, if grazing land is involved in core zone, in consultation with the State government to provide alternate areas for livestock grazing, if any. In this context, the project proponent shall implement the directions of Hon'ble Supreme Court with regard to acquiring grazing land.

#### (g) Green Belt

(i) The project proponent shall take all precautionary measures during mining operation for conservation and protection of endangered/endemic flora/fauna, if any, spotted/reported in the study area. The Action plan in this regard, if any, shall be prepared and implemented in consultation with the State Forest and Wildlife Department.

(ii) Greenbelt consisting of 3-tier plantation of width not less than 7.5 m shall be developed all along the mine lease area as soon as possible. The green belt comprising a mix of native species (endemic species should be given priority) shall be developed all along the major approach/ coal transportation roads.

#### (h) Public hearing and Human health issues

(i) Adequate illumination shall be ensured in all mine locations (as per DGMS standards) and monitored weekly. The report on the same shall be submitted to this ministry & it's RO on sixmonthly basis.

(ii) The project proponent shall undertake occupational health survey for initial and periodical medical examination of the personnel engaged in the project and maintain records accordingly as per the provisions of the Mines Rules, 1955 and DGMS circulars. Besides regular periodic health check-up, 20% of the personnel identified from workforce engaged in active mining operations shall be subjected to health check-up for occupational diseases and hearing impairment, if any, as amended time to time.

(iii) Personnel (including outsourced employees) working in core zone shall wear protective respiratory devices and shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.

(iv) Implementation of the action plan on the issues raised during the public hearing shall be ensured. The project proponent shall undertake all the tasks/measures as per the action plan submitted with budgetary provisions during the public hearing. Land oustees shall be compensated as per the norms laid down in the R&R policy of the company/State Government/Central Government, as applicable. (v) The project proponent shall follow the mitigation measures provided in this Ministry's OM No.Z-11013/5712014-IA.II (M) dated 29<sup>th</sup> October, 2014, titled 'Impact of mining activities on habitations-issues related to the mining projects wherein habitations and villages are the part of mine lease areas or habitations and villages are surrounded by the mine lease area'.

(vi) Skill training as per safety norms specified by DGMS shall be provided to all workmen including the outsourcing employees to ensure high safety standards in mines.

(vii) Effective arrangement shall be made to provide and maintain at suitable points conveniently situated, a sufficient supply of drinking water for all the persons employed.

#### (i) Corporate Environment Responsibility

(i) The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders.

(ii) A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

(iii) Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

(iv) Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

#### (j) Miscellaneous

(i) The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

(ii) The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

(iii) The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

# Jus

(iv) The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM<sub>10</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (ambient levels) or critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

(v) The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

(vi) The project proponent shall follow the mitigation measures provided in this Ministry's OM No.Z-11013/5712014-IA.II (M) dated 29<sup>th</sup> October, 2014, titled 'Impact of mining activities on habitations-issues related to the mining projects wherein habitations and villages are the part of mine lease areas or habitations and villages are surrounded by the mine lease area'.

(vii) The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.

(viii) The project authorities shall inform to the Regional Office of the MOEFCC regarding commencement of mining operations.

(ix) The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.

(x) The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.

(xi) No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

(xii) Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

(xiii) The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

(xiv) The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

(xv) The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.

(xvi) The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Trans-boundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with

# 47

EC Identification No. - EC22A042MP160150 File No. - IA-J-11015/23/2020-IA-II(M) Date of Issue EC - 20/05/2022 Page 15 of 17

their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

5. The proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report and also that during presentation to the EAC. All the commitments made on the issues raised during public hearing shall also be implemented in letter and spirit.

6. The proponent shall obtain all necessary clearances/approvals that may be required before the start of the project. The Ministry or any other competent authority may stipulate any further condition for environmental protection. The Ministry or any other competent authority may stipulate any further condition for environmental protection.

 Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

8. The coal company/project proponent shall be liable to pay the compensation against the illegal mining, if any, and as raised by the respective State Governments at any point of time, in terms of the orders dated 2<sup>nd</sup> August, 2017 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.114/2014 in the matter of 'Common Cause Vs Union of India & others.

9. The concerned State Government shall ensure no mining operations to commence till the entire compensation for illegal mining, if any, is paid by the project proponent through their respective Department of Mining & Geology, in strict compliance of the judgment of Hon'ble Supreme Court.

10. This environmental clearance shall not be operational till such time the project proponent complies with the above said judgment of Hon'ble Supreme Court, as applicable, and other statutory requirements.


This issue with approval of the competent Authority.

(Lalit Bokolia) Director

#### Copy to:

- 1. The Secretary, Ministry of Coal, Shastri Bhawan, New Delhi
- The Secretary, Department of Environment & Forests, Government of Madhya Pradesh, Secretariat, Bhopal.
- Principal Chief Conservator of Forests, Head of Forest Force, Madhya Pradesh Forest Department, Satpuda Bhawan, 1<sup>st</sup> Floor, Bhopal.
- The Chairman, Central Ground Water Authority, Ministry of Jal Shakti, Jamnagar House, 18/11, Man Singh Road Area, New Delhi, Delhi 110001
- 5. The District Collector, Shahdol, Government of Madhya Pradesh
- Monitoring File/Guard File/Record File.
   8. PARIVESH Portal

(Lalit Bokolia) Director





**Birla Corporation Limited** 

Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xii)

Date: 19.11.2024

#### Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 12 /24/25

#### UNDERTAKING

(Against Condition no B (xii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that no labour camp shall be established on the forest land and we shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

#### For Birla Corporation Limited

Bhupendra	Digital Bhupe
Singh	Chaud
Chaudhary	Date: 2 14:15:2

higitally signed by hupendra Singh haudhary hate: 2024.11.19 4:15:27 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary, Vice President - Mines (Authorized Signatory)



Birla Corporation Limited Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India

> P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xiii)

#### Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 13/24/25

Date: 19.11.2024

#### UNDERTAKING

(Against Condition no B (xiii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that the boundary of the mining lease shall be demarcated on ground at the project cost after the execution of *Mining Lease Deed of Bikram Coal Mine*, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

#### For Birla Corporation Limited

Bhupendra Singh Chaudhary Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 14:12:33 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary, Vice President - Mines (Authorized Signatory)



**Birla Corporation Limited** Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400

> P2 +91 22 2204 3615 Annexure B(xiv)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 14 /24/25

### UNDERTAKING

(Against Condition no B (xiv) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that the forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

### For Birla Corporation Limited

Bhupendra Singh Chaudhary Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 16:40:01 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary, Vice President - Mines (Authorized Signatory)

Date: 19.11.2024



**Birla Corporation Limited** 

Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xv)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 15 /24/25

Date: 19.11.2024

## **UNDERTAKING**

(Against Condition no B (xv) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that there will be no damage to the flora and fauna of the adjoining area.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

# For Birla Corporation Limited

Bhupendra	Digitally signed by Bhupendra Singh
Singh	Chaudhary
Chaudhary	Date: 2024.11.19 14:01:46 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary, Vice President - Mines (Authorized Signatory)



Birla Corporation Limited

Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xvi)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 16 /24/25

Date: 19.11.2024

#### **UNDERTAKING**

(Against Condition no B (xvi) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that the sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by us to the laborer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

### For Birla Corporation Limited

Bhupendra Singh Chaudhary

Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 13:56:27 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary, Vice President - Mines (Authorized Signatory)



Birla Corporation Limited Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India

> P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xvii)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 17 /24/25

Date: 19.11.2024

## UNDERTAKING

(Against Condition no B (xvii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that the layout plan of the mining plan/ proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

### For Birla Corporation Limited

BhupendraDigitally signed by<br/>Bhupendra SinghSinghChaudharyChaudharyDate: 2024.11.19<br/>13:54:01 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary, Vice President - Mines (Authorized Signatory)

-: Registered Office :-



Birla Corporation Limited Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India

> P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xviii)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 18 /24/25

Date: 19.11.2024

### **UNDERTAKING**

(Against Condition no B (xviii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that no additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

# For Birla Corporation Limited

Bhupendra Singh Chaudhary

Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 13:51:44 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary, Vice President - Mines (Authorized Signatory)



FOR

# **BIKRAM COAL MINE**

(UNDERGROUND & OPENCAST) (CAPACITY: 0.36 MILLION TONNES PER ANNUM, **ML AREA: 239 HECTARE)** ΔΤ

VILLAGE: BARTARA AND GOPALPUR, DISTRICT: SHAHDOL. MADHYA PRADESH

**Project Proponent:** 



# BIRLA CORPORATION LTD.

Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor, 159, Churchgate Reclamation, Mumbai City-400020, Maharashtra Phone: +91 22 4343 5400 / 2204 8467; Fax: +91 22 2204 3615 E-mail: sandeep.jain@birlacorp.com; Website : https://www.birlacorporation.com

Prepared in compliance to point no. XIX of section B of Stage-I Forest Clearance under the Forest Act, 1980 received vide F.No. 8-34/2021-FC dated 21.04.2022

Issue 1 Rev. 0 (UID No. 202302001) February 2023

Prepared by:



MIN MEC CONSULTANCY PVT. LTD.

A-121, Paryavaran Complex, IGNOU Road, New Delhi – 110 030 Ph : 91-11-29532236, 29535891; 29532568, Web site: http://www.minmec.com An ISO 9001:2015 Email: mining@minmec.com; minmec@gmail.com

approved company

Estb. 1983

# CONTENTS

SI. No.	Description	Page No.
1.0	Introduction	1
2.0	Need for study	
3.0	Need for avi-fauna, their importance & necessity of bird nesting	2
4.0	Mining in lease area and its impact	2
5.0	Present scenario of Flora and Avi-Fauna in core zone	3
6.0	Species wise identification of nesting preferences	6
7.0	Proposal for construction of artificial bird nests	17
7.1	Artificial bird nesting	17
7.2	Materials to be used for artificial bird nesting	
7.3	Steps to place artificial nesting	20
8.0	Budgetary provisions	22

# LIST OF TABLES

Table No.	Particulars	Page No.
Table 1:	Flora species found within mine lease area	
Table 2:	Avi fauna species found within mine lease area	6
Table 3:	Number of faunal groups reported in the study area	6
Table 4:	Data sheet for types of bird species, flora species in core zone are	ea7
Table 5:	Proposed the data sheet for artificial bird nesting to be maintained	d22
Table 6:	Cost for the development of alternate habitat/ home for the avifau	na22

# LIST OF FIGURES

Fig No.	Particulars	Page No.
Fig 1:	Sample for artificial nest box for Birds	18
Fig 2:	Construction of a nest box from a single wood sheet	20
Fig 3:	Consolidated map of areas where habitation development/ nesting for avifauna is proposed within mine lease area	

# PROPOSAL FOR ALTERNATE HABITAT/HOME FOR THE AVIFAUNA

# 1.0 INTRODUCTION

Bikram Coal Mine represents the northern contiguous area of the Karkati Sector of the Sohagpur Coalfield. The area of the block is 239 ha lying in villages Bartara and Gopalpur of Tehsil Burhar, District Shahdol, Madhya Pradesh. The Mine Lease area is 239 ha. Project Area is also same i.e. 239 ha. It is located approximately 7 km SW of Burhar town, in the western part of Sohagpur Coalfield, in Shahdol district of Madhya Pradesh. The coal will be extracted by both opencast and underground method. The mine lease has total forest area of 151.095 ha out of which 142.075 ha is Reserved Forest and about 9.020 ha is Revenue Forest.

The Coal block was allocated to M/s Birla Corporation Limited on 12<sup>th</sup> August 2008, and post de-allocated as per order of Hon'ble Supreme Court of India in 2014, reallocated vide vesting order no. NA-104/ 1/2019-NA, dated 10<sup>th</sup> February 2020 by Ministry of Coal for supply of coal to its integrated cement & captive power plants, through the auction process under section 6 of the Coal Mines (Special Provisions), Act 2015.

## 2.0 NEED FOR STUDY

M/s Birla Corporation Limited (BCL) has obtained an Environmental Coal Mine vide MOEF&CC Clearance for Birla letter no. IA-J-11015/23/2020-IA-II(M) dated 20.05.2022. The forest diversion under section 2 (ii) of Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 151.095 ha of forest land for non-forestry purposes was initiated & revived vide proposal no. FP/MP/MIN/49537/2020 dated 09/09/2020. After consideration of the proposal made by the Bikram Coal Mine, the MoEF&CC, Government of India accorded Stage-I under the Forest Act, 1980 vide F.No. 8-34/2021-FC dated 21.04.2022. There are several conditions to be complied and compliance is to be fulfilled for the Stage-II approval.

In context of the above, the point no. XIX of section B of Forest Clearance Letter states that "The user agency in consultation with the State Govt. shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project".

Therefore, the need for preparation of report for avifauna habitation has been envisaged with special reference to bird species, flora species, site selection for bird, etc.

# 3.0 NEED FOR AVI-FAUNA, THEIR IMPORTANCE & NECESSITY OF BIRD NESTING

Birds are the important species of ecosystem. They play a vital role in controlling pests, acting as pollinators and maintaining island ecology. They are known for the construction of different types of nests for their habitation. A bird nest is a place and structure where birds lay their eggs, incubate them, and rear the nestlings. A bird nest can be a simple depression on the ground or an elaborate hanging dome, all of which protect the eggs and young from the elements and detection by predators. The nests are species specific. Not all birds build nests for their habitation, some lay eggs on the grounds while others lay eggs in the nest of other birds. Nests are widely used for breeding. Various types of construction materials are found in nest building such as human hairs, twigs, woods, plastics, dropped feathers of birds, synthetic materials, etc.

In order to mate successfully, lay eggs, incubate and then produce a new generation of birds, each bird species is having an appropriate scheme of nest construction or shelter use.

Bird nests also provide optimal conditions for a rich and diverse community of mainly invertebrates, who use nests as a foraging site, shelter, hiding place and reproduction and overwintering site. It is one of the essential requirements for reproduction and provides significant clues to find out ecological relationship of a bird species.

Nest building is permanent behaviour record of a bird species (frozen behaviour). Since ancient time the nest building in birds especially nests of crow (*Carvous splendance*) was correlated with the onset of monsoon rain and quantity of rain in a particular year in India<sup>1</sup>.

# 4.0 MINING IN LEASE AREA AND ITS IMPACT

Out of 239 ha ML area, 141.43 ha land i.e. 59.17% will be disturbed by excavation till the end of life of OC mine. The pre-mining land records of project area shows 151.095 Ha out of total block area is covered by forest (Revenue + Reserved Forest). The project area contains 142.075 ha of reserve forests of Sal and falls under the Burhar Range of Shahdol Forest Division. Of this, part of the area will be excavated due to opencast mining to the extent of 99.23 Ha. The core zone is virgin land where mining proposed is to be carried out.

The adverse impact of proposed mining activity in core zone will cause:

<sup>1</sup> SOURCE:

HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/340661176\_NESTS\_AND\_NEST\_MATERIALS\_OF\_BIR DS\_IN\_SRTM\_UNIVERSITY\_AREA\_AT\_NANDED\_MAHARASHTRA\_STATE- ARTICLE ON NESTS AND NEST MATERIALS OF BIRDS IN SRTM UNIVERSITY AREA AT NANDED, MAHARASHTRA STATE- ACCESSED ON 18.06.2022

- Disturbance to the natural vegetation in the core zone area include trees, shrubs, herbs, etc. As the mine is part of the Burhar range of Shahdol Division, most common plant species of Burhar Reserved Forest are *Madhuca latifolia* (Mahua) and *Shorea robusta* (Sal). Besides this, other common flora of core zone includes *Terminalia tomentosa* (*Saja*), *Schleichera oleosa* (*Kusum*), *Diospyrus melanoxylon* (*Tendu*), *Buchanania lanzan* (Achar), *Anogeissus latifolia* (Dhawda), *Syzygium cumini* (*Jamun*), *Butea monosperma* (*Palas*) etc. Due to the removal of these trees caused by the mining in core zone area, the dependent fauna will be disturbed and displaced.
- Movement of species away from mining lease area due to noise, vibration and light.
- Disturbance to birds and animals due to bright light and unusual noise during operation activity.
- Loss of vegetation by excavation and dumping thereby affecting the species for which such vegetation was the host. The forest area falling under open cast mining area shall be disturbed. Local people are likely to be dependent on this forest for fodder, fuel wood, timber, etc. Due to the proposed mining activities in core zone area, loss of forest area will likely to occur.

## 5.0 PRESENT SCENARIO OF FLORA AND AVI-FAUNA IN CORE ZONE

In the core zone i.e. within the core zone of Bikram Coal Mine the floral and avi faunal species were identified through secondary sources and field visit. The list of flora found in the core zone is given in **Table 1**.

SI. No.	Botanical Name	Common Name	Family
a.	Trees		
1.	Acacia auriculiformis	Australian wattle	Mimosaceae
2.	Acacia leucophloea	Riunja	Mimosaceae
3.	Acacia nilotica	Babool	Mimosaceae
4.	Aegle marmelos	Bel	Rutaceae
5.	Ailanthus excelsa	Mahanim	Simaroubaceae
6.	Albizia lebbeck	Kala siris	Mimosaceae
7.	Annona squamosa	Sharifa	Annonaceae
8.	Anogeissus latifolia	Dhawda	Combretaceae
9.	Artocarpus heterophyllus	Kathal	Moraceae
10.	Azadirachta indica	Neem	Meliaceae
11.	Bauhinia variegata	Kachnar	Caesalpiniaceae
12.	Buchanania lanzan	Achar	Anacardiaceae
13.	Butea monosperma	Palas	Papilionaceae
14.	Cassia fistula	Amaltas	Caesalpiniaceae
15.	Dalbergia paniculata	Dhobin	Papilionaceae

<b>TABLE 1: FLORA SPECIES FOUND WITHIN M</b>	INE LEASE AREA
--	----------------

SI. No.	Botanical Name	Common Name	Family
16.	Dalbergia sissoo	Sissoo	Papilionaceae
17.	Diospyros melanoxylon	Tendu	Ebenaceae
18.	Eucalyptus hybrid	Nilgiri	Myrtaceae
19.	Ficus benghalensis	Bargad	Moraceae
20.	Ficus infectoria	Parak	Moraceae
21.	Ficus religiosa	Peepal	Moraceae
22.	Gmelina arborea	Gamari	Verbinaceae
23.	Lagerstroemia parviflora	Senha	Lythraceae
24.	Lannea grandis	Gunja	Anacardiaceae
25.	Madhuca latifolia	Mahua	Sapotaceae
26.	Mangifera indica	Aam	Anacardiaceae
27.	Melia azedarach	Bakain	Meliaceae
28.	Mitragyna parviflora	Mundi	Rubiaceae
29.	Moringa oleifera	Sahjan	Moringaceae
30.	Pithecellobium dulce	Jangli jalebee	Mimosaceae
31.	Pongamia glabra	Karanz	Papilionaceae
32.	Psidium guajava	Amrud	Myrtaceae
33.	Schleichera oleosa	Kusum	Sapindaceae
34.	Shorea robusta	Sarai/ Sal	Dipterocarpaceae
35.	Syzygium cumini	Jamun	Myrtaceae
36.	Tamarindus indica	Imli	Caesalpiniaceae
37.	Terminalia arjuna	Arjun	Combretaceae
38.	Terminalia bellerica	Bahera	Combretaceae
39.	Terminalia tomentosa	Saja	Combretaceae
40.	Zizyphus jujube	Ber	Rhamnaceae
b.	Shrubs		
1.	Calotropis gigantia	Aak	Asclepiadaceae
2.	Cassia alata	Candle-stick tree	Caesalpiniaceae
3.	Cassia tora	Tarota	Caesalpiniaceae
4.	Datura metel	Dhaturo	Solanaceae
5.	Gardenia gummifera	Kuddu	Rubiaceae
6.	Holarrhena antidysenterica	Karchi, Dudhi	Apocynaceae
7.	Ipomoea carnea	Hedge glory	Convolvulaceae
8.	Jatropha curcas	Ratanjot	Euphorbiaceae
9.	Lantana camara	Rajmunia	Verbenaceae
10.	Leucas aspera	Gopha	Labiatae
11.	Ocimum gratissimum	Banatulsi	Labiatae
12.	Phoenix acaulis	Chhind	Palmae
13.	Ricinus communis	Arand	Euphorbiaceae
14.	Woodfordia fruticosa	Dhawai	Lythraceae
15.	Xanthium strumarium	Godaria	Asteraceae

SI. No.	Botanical Name	Common Name	Family
C.	Herbs		
1.	Achyranthus aspera	Chirchira	Amaranthaceae
2.	Amaranthus spinosus	chaulii	Amaranthaceae
3.	Euphorbia hirta	Dudhi bel	Euphorbiaceae
4.	Oscimum sanctum	Tulsi	Labiatae
5.	Solanum nigrum	Bhatkadrana	Solanaceae
d.	Climbers		
1.	Asparagus racemosus	Shatavari	Liliaceae
2.	Butea superba	Palasbel	Papilionaceae
3.	Dioscorea bulbifera	Kand	Dioscoreaceae
4.	Zizyphus oenoplia	Makor	Rhamnaceae
e.	Grasses		
1.	Bambusa arundinacea	Kanta bans	Poaceae
2.	Cymbopogon martini	Rusa ghans	Poaceae
3.	Cynodon dactylon	Doob	Poaceae
4.	Dendrocalamus strictus	Bans	Poaceae
5.	Heteropogon contortus	Kushal	Poaceae
6.	Themeda quadivulvis	Ghonad	Poaceae
f.	Parasite		
7.	Cuscuta reflexa	Amarbel	Cuscutaceae
g.	Epiphyte		
8.	Vanda roxburghii	Banda	Loranthaceae
h.	Hydrophytes		
9.	Nelumbo nucifera	Lotus	Nelumbonaceae
10.	Nymphaea stellata	Water lily	Nymphaeaceae

Source: List of species of flora and fauna vetted by DFO based on primary survey

In addition to the above survey in the core zone, buffer zone was also surveyed and 67 types of species of Trees were identified. The common species are Sarai (*Shorea robusta*), Salai (*Boswellia serrata*), Saja (*Terminalia tomentosa*), Kusum (*Schleichera oleosa*), Tendu (*Diospyrus melanoxylon*), Achar (*Buchanania lanzan*), etc. Bans (*Dendro calamus strictus*) are also seen in some of the areas. There are various waterbodies present in study area. Apart from study of terrestrial flora, the study was also taken for aquatic plants of the study area. Some are free floating or submerged and some are marshy habitats. The three water bodies in the different sides of core zone is not proposed to be disturbed.

The common avifauna found in the core zone includes house crow, rock pigeon, common myna, spotted dove, owl, etc. could be seen. A total of 18 species of birds were recorded in the core zone area during the survey. The list avifauna species are given in **Table 2**.

SI. No.	Scientific Name	Common Name	Family
a.	Aves		
1.	Acridotheres fuscus	Jungle myna	Sturnidae
2.	Acridotheres tristis	Myna	Sturnidae
3.	Ardea ceineria	Grey heron	Ardeidae
4.	Dinopium benghalensis	Golden backed woodpeacker	Picidae
5.	Bubo bubo	Owl	Strigidae
6.	Bubulcus ibis	Cattle egret	Ardeidae
7.	Columba livia	Blue rock pigeon	Columbidae
8.	Coracias bengalensis	Indian roller	Coraciidae
9.	Corvus splendens	House crow	Corvidae
10.	Coturnix coturnix	Common quail	Phasianidae
11.	Cuculus varius	Common Hawk-cuckoo	Cuculidae
12.	Francolinus pondicerianus	Grey patridge	Phasianidae
13.	Gallus gallus	Jungle fowl	Phasianidae
14.	Milvus migrans	Black kite	Accipitridae
15.	Motacilla caspica	Grey waig tail	Motacillidae
16.	Passer domesticus	House sparrow	Passerinae
17.	Perdicula asiatica	Grey quail	Phasianidae
18.	Psittacula krameri	Roseringed parakeet	Psittacidae

TABLE 2: AVI FAUNA SPECIES FOUND WITHIN MINE LEASE AREA

Source: List of species of flora and fauna vetted by DFO based on primary survey

In addition to above, different faunal groups are present in the study area (10 km radius), the numbers of species of which are given in **Table 3**.

IN THE STUDY AREA	TABLE 3: NUMBER OF FAUNAL GROUPS REPORTED
	IN THE STUDY AREA

Faunal groups	No. of Species
Birds	60
Mammals	12
Reptiles	22
Fishes	11

# 6.0 SPECIES WISE IDENTIFICATION OF NESTING PREFERENCES

After identification of the species of avifauna, their nesting preferences were collated from various secondary sources and have been summarised in **Table 4**. This will serve as a basis for the subsequent plan for bird nesting in the simultaneously rehabilitated areas within the mine as the mine activities progress.

0	A 1 C			R TYPES OF BIRD SPECIE			
SI.	Avi fauna	Avi fauna	Usual	Preferred nesting site	Preferred	Types of natural	Examples of natural
No.	Name	Name	Breeding		tree/	nest constructed/	habitat/ nests
	(scientific)	(common)	season		shrub for	artificial nest	
					nesting	preferred	
1.	Acridotheres	Jungle	April to July	Secondary cavity nesters, us	Local tree	Nest in a hole of a	
	fuscos	myna		both holes in trees and in man-made constructions suc as walls, embankments, and houses from 2 to 6 metres at the ground <sup>2</sup>		tree/ nest box	
2.	Acridotheres tristis	Common Indian Myna	April to June	hollow-nesting species; that is, it nests and breeds in protected hollows found either naturally in trees or artificially on buildings (for example, recessed windowsills or low eaves) <sup>4</sup>	Local tree species	Hollow-nesting / nest box	5

#### TABLE 4. DATA SHEET FOD TYDES OF RIDD SDECIES FLODA SDECIES IN CODE 70NE ADEA

Source: Jha, Aniruddha (2001). "Competition between jungle myna Acridotheres fuscus and lesser golden backed woodpecker Dinopium benghalense for a nest hole". Journal of the Bombay Natural History Society. 98: 115 accessed on 07.07.2022
 Source: https://www.naturemagnified.com/2011/04/jungle-myna-nesting.html accessed on 7.7.2022
 Source: Bomford, M.; Sinclair, Ron (2002). "Australian research on bird pests: impact, management and future directions" (PDF). *Emu.* 102: 35.
 Source: https://itsnature.org/air/birds-air/common-myna/ accessed on 07.07.2022

SI. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
3.	Ardea ceineria	Grey heron	February to June	Nest n colonies known as "heronries:. Usually in high trees close to water body. Other sites include low trees and shrubs, reed beds, and rocky ledges. The same nest is used year after year until blown down. <sup>6</sup>	Near water bodies	Cup shaped nest. Nest starts as a small platform of sticks but expands into a bulky nest as more material is added in subsequent years. It may be lined with smaller twigs, strands of root, dead grasses, and in reed beds, it is built from dead reeds. The male usually collects the material, while the female constructs the nest. <sup>7</sup>	a

<sup>6</sup> "Grey herons". AvianWeb. Archived from the original on 2016-03-24. Retrieved 18 October 2015
 <sup>7</sup> "Grey herons". AvianWeb. Archived from the original on 2016-03-24. Retrieved 18 October 2015.
 <sup>8</sup> Picture by Neil Philips, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey\_Herons\_%28Ardea\_cinerea%29\_-2\_on\_nest.jpg accessed on 7.7.2022

SI. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
4.	Dinopium benghalensis	Golden backed woodpecker	February to July	The nest hole is usually excavated by the birds and has a horizontal entrance and descends into a cavity. Sometimes birds may usurp the nest holes of other birds Nests have also been noted in mud embankments <sup>9</sup>	Mostly Tree trunks	Large hole in tree trunk	10
5.	Bubo bubo	Owl		Many owls simply nest in holes, called cavities or hollows, in trees. These tree cavities occur naturally, but are often created by woodpeckers. <sup>11</sup>	Local Tree species	Cavity in tree trunk/ nest box	

<sup>9</sup> Source: Santharam, V (1998). "Nest usurpation in Woodpeckers". J. Bombay Nat. Hist. Soc. **95** (2): 344–345 <sup>10</sup> Photo by Sagar Adhurya, https://bdwb.wildwingsindia.in/share.php?id=B6VeBiPiPiDibex26 accessed on 7.7.2022

<sup>11</sup> Source: https://www.owlresearchinstitute.org/owls-1 accessed on 7.7.2022

<sup>12</sup> Photo by Robert Cohen, https://www.stltoday.com/news/local/metro/signs-of-spring-forest-park-owlets-attract-fans-followers/article\_1b8b8d93-fe41-5169-99ac-c8a6643fabc9.html accessed on 24.06.2022

SI. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
6.	Bubulcus ibis	Cattle egret	Onset of monsoon in May	nests in colonies are often found around bodies of water and usually found in woodlands near lakes or rivers, in swamps, or on small inland or coastal islands, and are sometimes shared with other wetland birds, such as herons, egrets, etc. <sup>13</sup>	Shrubs	Cup shaped nest The nest is a small, untidy platform of sticks in a tree or shrub constructed by both parents cattle egret <sup>14</sup>	15
7.	Columba livia	Blue rock pigeon	All years provided climate conditions allow <sup>16</sup>	Anywhere	anywhere	Cup shaped nest They select one stick and bring it back to build their nests. The nest of these birds can be found along building ledges, rafters, beams, under bridges or inside barns <sup>17</sup>	18

<sup>13</sup> Source: Telfair II, Raymond C. (2006). Poole, A. (ed.). "Cattle Egret (*Bubulcus ibis*)". *The Birds of North America Online*. Ithaca: Cornell Lab of Ornithology. doi:10.2173/bna.113. Archived from the original on 17 May 2008

- <sup>14</sup> Source: Telfair II, Raymond C. (2006). Poole, A. (ed.). "Cattle Egret (*Bubulcus ibis*)". *The Birds of North America Online*. Ithaca: Cornell Lab of Ornithology. doi:10.2173/bna.113. Archived from the original on 17 May 2008
- <sup>15</sup> Photo by Forest & Kim Starr, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr\_030628-0097\_Neonotonia\_wightii.jpg accessed on 24.06.2022

<sup>16</sup> Source: https://www.wild-bird-watching.com/Pigeons.html accessed on 7.7.2022

<sup>17</sup> Source: https://www.wild-bird-watching.com/Pigeons.html accessed on 7.7.2022

<sup>18</sup> Source: https://www.wild-bird-watching.com/Pigeons.html accessed on 7.7.2022

SI. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
8.	Coracias bengalensis	Indian roller	March to June	The nest site is usually an existing hole in a tree, a dead palm or building but may also be a hole in a mud bank. The hole may be excavated completely in soft material such as rotten wood. A thin mat of feathers, straw or grass is placed at the bottom of the cavity <sup>19</sup>	Trees and shrubs	Cavity in tree trunk/ nest box	20
9.	Corvus splendens	House crow		At least some trees in the local environment seem to be necessary for successful breeding although house crows occasionally nest on telephone towers. It lays 3–5 eggs in a typical stick nest, and occasionally there are several nests in the same tree <sup>21</sup> .	Any Tree species	Cup shaped nest	22

<sup>19</sup> ed. (1985). "Coracias benghalensis Indian roller". Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Vol. IV: Terns to Woodpeckers. Oxford: Oxford University Press. pp. 778–783

<sup>20</sup> Photo by Ckatke, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian\_roller\_playing\_hide\_and\_seek.jpg accessed on 7.7.2022

<sup>21</sup> Source: Lamba, B.S. 1963. The nidification of some common Indian birds. Part I. J. Bombay Nat. Hisl. Soc. 60:121-133
 <sup>22</sup> Source: https://pixabay.com/photos/crow-bird-indian-house-crow-391145/ accessed on 24.06.2022

SI. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
10.	Coturnix coturnix	Common quail	May to August	builds a nest of twigs and leaves lined grass and places it on or slightly above above ground, typically in a bush surrounded by tall grass	Tall grass areas/ some bushes	Cup shaped nest	23
11.	Cuculus varius	Common hawk-cucko o	March to June	Brood parasite - prefers nest of babblers & laughing thrushes	Not applicable	Not applicable	24

<sup>23</sup> Source: https://what-when-how.com/birds/common-quail-birds/ accessed on 7.7.2022
 <sup>24</sup> Photo by J.M Garg, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common\_Hawk\_Cuckoo\_%28Cuculus\_varius%29\_in\_Hyderabad\_W2\_IMG\_8920.jpg accessed on 7.7.2022

SI. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
12.	Francolinus pondicerianu s	Gray patridge	-	Hens lay up to twenty eggs in a ground nest. The nest is usually in the margin of a cereal field, most commonly winter wheat. Usually seen foraging on bare or low grass covered ground in scrub, they are inhabits of dry, open grass and thorny-scrub country, commonly found on the outskirts of villages. <sup>25</sup>	Grass or ground surface	Cup shaped nest	
13.	Gallus gallus	Jungle fowl	-	Shallow depression on the ground	On ground	Cup shaped nest	27

<sup>25</sup> Source: https://www.ranthambhoreguides.com/birds/grey-francolinpartridge accessed on 7.7.2022
 <sup>26</sup> Source: https://www.ranthambhoreguides.com/birds/grey-francolinpartridge accessed on 7.7.2022
 <sup>27</sup> Photo by JJ Harrison, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallus\_gallus\_female\_-\_Kaeng\_Krachan.jpg accessed on 7.7.2022

SI. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
14.	Milvus migrans	Black kite	Mainly January and February	They nest singly or in loose groups. The nests are built on tree branches, cliff ledges, or buildings and may be reused in subsequent years <sup>28</sup>	Any tree species	Rough platform of twigs and rags placed in a tree	29
15.	Motacilla caspica	Grey wagtail	April to July	The nest is placed near fast running streams or rivers on an embankment between stones and roots. <sup>30</sup>	Near water bodies or holes in manmade structures	Cup shaped nest	31

<sup>28</sup> Source: https://animalia.bio/black-kite accessed on 7.7.2022
 <sup>29</sup> Photo taken by Nirajkasar, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black\_Kite\_Pune.jpg accessed on 7.7.2022
 <sup>30</sup> Rasmussen PC; Anderton, JC (2005). Birds of South Asia: The Ripley Guide. Volume 2. Smithsonian Institution & Lynx Edicions. p. 312
 <sup>31</sup> Source: https://animalia.bio/grey-wagtail accessed on 7.7.2022

SI. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
16.	Passer domesticus	House sparrow	April to August	Nest sites are varied, though cavities are preferred. Nests are most frequently built in the eaves and other crevices of houses. Holes in cliffs and banks, and tree hollows, are also used <sup>32</sup>	Local tree species	Cup shaped nest/ nest box	33
17.	Perdicula asiatica	Grey quail	-	builds a nest of twigs and leaves lined with rootlets and grass and places it 1 to 3 m (3.3 to 9.8 ft) above ground, typically in a bush surrounded by tall grass <sup>34</sup>	Grass area	tall grass areas (at least 8 to 10 inches [20–25 centimeters] high) and some brush cover	35

<sup>32</sup> Source: Indykiewicz, Piotr (1990). "Nest-sites and nests of House Sparrow [Passer domesticus (L.)] in an urban environment". In Pinowski, J.; Summers-Smith, J. D. (eds.). Granivorous birds in the agricultural landscape. Warszawa: Pánstwowe Wydawnictom Naukowe. pp. 95–121

 <sup>33</sup> Source: https://avitrol.com/pages/avitrol-for-sparrow-control.html accessed on 7.7.2022
 <sup>34</sup> Source: Baptista, L. F., P. W. Trail, H. M. Horblit, G. M. Kirwan, and C. J. Sharpe (2020). Gray-fronted Quail-Dove (*Geotrygon caniceps*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.gfqdov.01 retrieved September 19, 2021 accessed on 7.7.2022

<sup>35</sup> Source: https://www.webindia123.com/wildlife/gallery/birds3.htm accessed on 7.7.2022

SI. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
18.	Psittacula Krameri	Roseringed parakeet	September to December	Secondary cavity nesters, using both holes in trees and in man-made constructions such as walls, embankments, and in houses from 2 to 6 metres above the ground	Local tree species	Nest in a hole of a tree/ nest box	36

Hence, it can be seen from the above table that there are four major categories of birds-

- the tree dwellers or passerines,
- the water dwellers or aquatic,
- the ground dwellers and
- the parasitic brooders who will lay an egg in another birds nest and the hatchling to be brought up by that bird.

<sup>36</sup> Source: https://indianbirds.thedynamicnature.com/2016/11/rose-ringed-parakeet-psittacula-krameri.html accessed on 7.7.2022

## 7.0 PROPOSAL FOR CONSTRUCTION OF ARTIFICIAL BIRD NESTS

After perusal of the types of nesting places and the nests that various birds prefer, a proposal for artificial bird nesting is described species wise in the subsequent sections.

## 7.1 Artificial bird nesting

Artificial bird nests refer to bird nests which have been created artificially using materials such as wood, cement, sawdust and other similar material for use by birds during their breeding season in replacement of open nests, tree holes or spaces between rocks found in nature<sup>37</sup>.

Habitation for avi-fauna in core zone area will be created using the eco-friendly materials in the forest area and human settlements adjoining the forest area being diverted for the project. The artificial nesting will be made based on the bird species, tree species, nest species and nests site selection.

Species wise suggestions for facilitating nesting are described below:

- **Tree dwellers (Zone A, B, C in Fig 3):** Construction nest boxes with large openings and protected from the sun light so that the hatchlings are comfortable. The height of the nest has to be atleast 2-3 m above the reach of humans. Since the mynas are omnivorous, the location of the nests should be at places where there is easier availability of berries, insects, little reptiles, etc.
- Water dwellers (Zone 1, 2, 3 in Fig 3): For artificial nesting, the company will facilitate by planting preferred trees next to the water body which has lesser foliage during the breeding season (i.e. between February to June). The environment team member of the project assigned with the job of implementation of the nesting scheme shall scout the areas near the water bodies and check for ample availability of dry sticks that the herons can use for the construction of their nests. And in case the twigs are not adequate, then they shall be collected manually by assigning a few workers and spread near the breeding habitat. This will facilitate the herons to make their nests for conveniently.
- **Ground dwellers (Zone A, B, C in Fig 3):** Tall grasses and areas deemed "safe" from the perspective of the ground dwelling birds such as away from an active path, road, human habitat, predators, etc. Will be developed within the dedicated green belts proposed around the mine periphery. Growing of various varieties of grass of varying heights shall be undertaken, which will serve as the lowest tier of the green belt, protect the soil and also facilitated habitation by ground dwelling birds.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> file:///C:/Users/User/Downloads/The\_Using\_Rate\_of\_Breeding\_Birds\_by\_Artificial\_Nes.pdf - accessed on 6.7.2022


In the case of both tree dwellers and ground dwellers, small tanks or water sources shall also be created for them in the targeted areas.

# 7.2 Materials to be used for artificial bird nesting

In the previous section it has been noted that there will be few birds who will adopt nesting boxes while the rest will not opt for the same. For the later category i.e. those who will not opt for the same, material availability for construction on their own will be ensured so that they do not face difficulties while finding material due to the removal of the natural forest. For the former category, the construction of artificial nest boxes is given below.

The artificial nest box will be constructed as per the size of the bird. The nest box will be constructed from the wood of a single tree, waste construction wood, mud or cement, any material that gives thermal comfort to the occupants, resistant to weather elements and long lasting. Box nests of various sizes such as 20 cm X 20 cm (for smaller passerines), 30 cm X 30 cm (for medium size passerines) and 40 cm X 40 cm (for larger passersines). The hole size will also correspondingly vary from 2" to 4" diameter. In case of species like myna, even larger horizontal slits across the front of the nesting box have been successful.

A typical photograph of a nesting box or alternate dwelling successfully used by tree dwellers is shown in photographs in **Fig 1**.



<sup>38</sup> https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artificial\_nest\_box\_for\_birds\_by\_Raju\_Kasambe\_DSC\_8039\_%281%29\_07.jpg - accessed on 7.6.2022

<sup>39</sup> Photo by Rakesh Khatri,

https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/world-sparrow-day-making-nests-from-scrap-can-attract-the-bird-to-urban -areas-101647836173823.html accessed on 7.7.2022




The typical construction of a box nest from a single wooden sheet has been shown in Fig 2. The dimensions shall be varied from species to species and the numbers to be constructed shall be decided after more detailed survey at the actual time of commencement of operation and in consultation with forest department.

Photo by J. M. Garg, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jungle\_Myna-\_Looking\_out\_from\_its\_nest\_inside\_a\_pipe\_I\_IMG\_2413.jpg 40 accessed 07.07.2022

- 41 From premises of Min Mec Consultancy Pvt. Ltd.

From premises of Min Mec Consultancy Pvt. Ltd.
 <sup>42</sup> From premises of Min Mec Consultancy Pvt. Ltd.
 <sup>43</sup> a Porch of My Own, http://rockinrsranch.blogspot.com/2011\_02\_01\_archive.html accessed 07.07.2022



# FIG 2: CONSTRUCTION OF A NEST BOX FROM A SINGLE WOOD SHEET<sup>44</sup>


# 7.3 Steps to place artificial nesting

44

The place for hanging nest boxes will include the existing trees and houses/ buildings, proposed buildings that will be constructed for the project and trees that shall be planted as part of safety barrier, green belt and reclamanation after they have achieved a sturdy diameter to support the nest and >3 m height. Stand alone 5-6 m poles can be installed with the box nests at > 3 m height or they can be provided with flat tops so that the birds of prey can opt to nest on top.

Some of the proposed areas for placing artificial nests or developing the habitat eco-system to support the native birds within the mine lease area in the first five years are marked in **Fig 3**.

https://www.researchgate.net/publication/344237792 A CASE STUDY ON THE NEST OCCUPATION O F\_BIRDS IN THE ARTIFICIAL\_NEST BOXES IN MIZORAM - A Case Study On The Nest Occupation Of Birds In The Artificial Nest Boxes In Mizoram by H.T. Lalremsanga - accessed on 20.06.2022



#### FIG 3: CONSOLIDATED MAP OF AREAS WHERE HABITATION DEVELOPMENT/ NESTING FOR AVIFAUNA IS PROPOSED WITHIN MINE LEASE AREA

After establishing the nesting sites, it will be essential to keep a record of the same over a longer time period to determine the success of the nesting program. Hence, the following data are proposed to be collected at the time of establishing the bird nest/ nest site/ boosting a habitat:

- 1. Location of the artificial nests for the birds (trees/ ground/etc) or natural habitat proposed for augmentation.
- 2. Height of the artificial nests from the ground onto the tree will be measured with the help of measuring tape.
- 3. Bird species propsed for nesting in the nest and the actual bird who occupied the nest will be identified, with the help of guide books.
- 4. Data sheets will be prepared as shown in the **Table 5** and record maintained.

# TABLE 5: PROPOSED THE DATA SHEET FOR ARTIFICIAL BIRDNESTING TO BE MAINTAINED45

SI.	Location	GPS	Type of area	Bird	Nesting	Activity	Artificial	Height	Date of	Date on	Bird	Observ
No.		Coordin	(Forest/	Species	sites	was	nest	from the	installat	which	species	ations
		ates	human	proposed	selected/	carried	orientation	ground,	ion	occupation	which	(write
			settlement/	to	habitat	out*	(direction	m		of the nest	occupied	in
			water body/	support	developm		w.r.t.			was	the nest	detail)
			others (please		ent		North)			observed		
			specify)		supported					for first time		

\* installation of nest, development of grass, collection of twigs, ground development to encourage ground dwellers, etc

## 8.0 BUDGETARY PROVISIONS

The total cost for the development of alternate habitat/ home for the avifauna for Bikram Coal Block is given in **Table 6**.

TABLE 6: COST FOR THE DEVELOPMENT OF ALTERNATE HABITAT/							
HOME FOR THE AVIFAUNA							

SI. No.	Activity	Nos.	Rate	Total capital cost, Rs.
1	Construction of nest box for passerines	100	500	50,000
2	Recce and installation	100	500	50,000
3	Habitat development near pond for water dweller	3	10,000	30,000

45

Adapted from https://www.researchgate.net/publication/344237792 - A Case Study On The Nest Occupation Of Birds In The Artificial Nest Boxes In Mizoram by H.T. Lalremsanga - accessed on 20.06.2022

SI. No.	Activity	Nos.	Rate	Total capital cost, Rs.
4	Grass & ground development for ground dwellers	6	10,000	60,000
5	Installation of tall CC/ MS poles for birds of prey	10	5,000	50,000
	TOTAL			2,40,000

The cost of development of suitable tree species which the birds use for feeding such as fruit trees, berry shrubs, etc; for nesting; for roosting are covered in the green belt development plan.



Birla Corporation Limited Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India

> P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xix)

Date: 19.11.2024

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 19 /24/25

## UNDERTAKING

(Against Condition no B (xix) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that we shall in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat / home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of eco – friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

## For Birla Corporation Limited

Bhupendra Singh Chaudhary

Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 16:45:07 +05'30'



Birla Corporation Limited Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor

159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xxi)

Date: 19.11.2024

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 21 /24/25

# UNDERTAKING

(Against Condition no B (xxi) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that we shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department only.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

## For Birla Corporation Limited

Bhupendra Singh Chaudhary Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 13:48:57 +05'30'



Birla Corporation Limited Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India

> P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xxii)

Date: 19.11.2024

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 22 /24/25

# UNDERTAKING

(Against Condition no B (xxii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that we shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

## For Birla Corporation Limited

Bhupendra B Singh Chaudhary

Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 16:49:48 +05'30'



Birla Corporation Limited Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India

> P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xxiii)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 23 /24/25

Date: 19.11.2024

#### **UNDERTAKING**

(Against Condition no B (xxiii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that the mining will be done in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the BCL from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in the concerned Sate Government and the concerned Integrated Regional Office of the Ministry.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

#### For Birla Corporation Limited

Bhupendra Singh Chaudhary

Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 13:46:44 +05'30'



Birla Corporation Limited Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor

Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xxiv)

Date: 19.11.2024

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 24 /24/25

# UNDERTAKING

(Against Condition no B (xxiv) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that we shall submit the annual self -compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Integrated Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

## For Birla Corporation Limited

Bhupendra Singh Chaudhary

Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 13:42:23 +05'30'



Birla Corporation Limited

Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xxv)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 25 /24/25

Date: 19.11.2024

#### **UNDERTAKING**

(Against Condition no B (xxv) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that we shall comply all the provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project;

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

## For Birla Corporation Limited

Bhupendra B Singh Chaudhary 13

Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 13:39:25 +05'30'



Birla Corporation Limited Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation

9 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xxvi)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 26 /24/25

Date: 19.11.2024

#### **UNDERTAKING**

(Against Condition no B (xxvi) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that Violation of any of the conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

## For Birla Corporation Limited

Bhupendra Singh Chaudhary Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 13:22:23 +05'30'



**Birla Corporation Limited** 

Industry House, 2<sup>nd</sup> Floor 159 Churchgate Reclamation Mumbai 400 020 India P1 +91 22 4343 5400 P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xxvii)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 27 /24/25

Date: 19.11.2024

# **UNDERTAKING**

(Against Condition no B (xxvii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "*Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited*" do hereby undertake that any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

Date: 19-11-2024 Place: Shahdol

## For Birla Corporation Limited

Bhupendra Singh Chaudhary

Digitally signed by Bhupendra Singh Chaudhary Date: 2024.11.19 13:36:12 +05'30'